

Ref. No.: LIC/SE/2025-26/51

Date: July 30, 2025

To

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai— 400001

Scrip Code: BSE – 543526

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400051

Scrip Code: NSE - LICI

Dear Sir/Madam,

Subject: Annual Report for the Financial Year 2024-25

This is further to our letter ref. No. LIC/SE/2025-26/20 dated May 27, 2025 wherein we have informed that the 4th Annual General Meeting (“AGM”) of the Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”) will be held on Tuesday, August 26, 2025.

Pursuant to the Regulation 34 and 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that a copy of the Annual Report for the Financial Year 2024-25 including the Notice convening the 4th AGM is enclosed herewith and the same is being sent to the members whose e-mail are registered with the Corporation/RTA/Depository Participant(s), as on cut-off date, i.e., July 25, 2025.

A letter to the Members whose e-mail addresses are not registered with the Corporation/RTA/Depository Participant(s), as on cut-off date, is also being sent, providing them the weblink(s) for accessing the Notice of the AGM and Annual Report of the Corporation.

The Annual Report including Notice along with other documents are also uploaded on the website of the Corporation at <https://licindia.in/2024-25-annual>.

Please take the above information on record and arrange for dissemination. A copy of this intimation is also being made available on the website of the Corporation at www.licindia.in.

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

ANSHUL
KUMAR SINGH

Digitally signed by
ANSHUL KUMAR SINGH
Date: 2025.07.30
17:15:40 +05'30'

(Anshul Kumar Singh)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a

**भारतीय जीवन बीमा निगम**

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com; वेबसाइट: www.licindia.in

चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम"/"एलआईसी") के सदस्यों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को 1130 बजे (भा. मा. स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड ("निदेशक मंडल") की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।
2. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी और 25बी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।
3. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
4. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28बी (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 12/- का अंतिम लाभांश घोषित करना।
5. निगम के लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस सम्बंध में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्पों को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल ("बोर्ड") द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, समय-समय पर लागू, उसमें किए गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं), या पुनः अधिनियमन (ओं) सहित, के अनुसरण में, निगम के सदस्य एतद्वारा, मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या: 106655W) की नियुक्ति को पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए निगम के सयुक्त लेखापरीक्षक के रूप में अनुमोदन करते हैं जो निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित नियमों एवं शर्तों और पारिश्रमिक पर चौथी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से नवी वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक के कार्यकाल का पद धारण करेंगे।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, एतद्वारा निगम के निदेशक मण्डल को, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अवधि एवं नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक पर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय(यों) और मंडल कार्यालय(यों) के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया जाए।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) और/या निगम के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को लेखापरीक्षकों के नियुक्ति की शर्तों और नियमों सहित पारिश्रमिक को तय करने और अंतिम रूप देने तथा उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए अधिकृत किया जाए।”

विशेष व्यवसाय:

6. निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में डॉ. प्रशांत कुमार गोयल (डीआईएन: 08652921) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (डी) के अनुसार, डॉ. प्रशांत कुमार गोयल को भारत सरकार की 17 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना के तहत से, निगम के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, नियुक्त किया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

7. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दिनेश पंत (डीआईएन: 11134993) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में श्री दिनेश पंत की नियुक्ति भारत सरकार की 14 मई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान पर कार्यभार ग्रहण करने से (01 जून, 2025) और उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख (यानी, 31 मई, 2027) तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गयी है तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

8. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रत्नाकर पटनायक (डीआईएन: 10283908) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में श्री रत्नाकर पटनायक की नियुक्ति भारत सरकार की 14 मई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान पर कार्यभार ग्रहण करने से (01 जून, 2025) और उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख (यानी, 31 मार्च, 2028) तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गयी है तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

9. निगम के सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और, यदि उचित हो तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 24ए के साथ पठित इसके तहत जारी परिपत्र (सहित उसमें किए किसी भी लागू वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन) और अन्य लागू कानून, यदि कोई हो, के अनुसरण में निगम के सदस्य एतद्वारा, मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: P1991MH040400) की नियुक्ति को पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए निगम के सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में अनुमोदन करते हैं जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक के कार्यकाल का, निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित नियम एवं शर्तों और पारिश्रमिक पर पद धारण करेंगे।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) और/या निगम के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को सचिवीय लेखापरीक्षकों के नियुक्ति की शर्तों और नियमों सहित पारिश्रमिक को तय करने और अंतिम रूप देने तथा उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए अधिकृत किया जाए।”

10. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) के साथ निगम के भौतिक संबंधी पक्ष लेनदेनों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सूचीबद्धता विनियम”/“सेबी सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमें किए

गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं) या पुनः अधिनियमन(ओं) समेत तथा, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) के 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिन्हे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमे लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) अनुमोदन प्रदान करते हैं, जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संशोधित सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, आईडीबीआई बैंक के साथ में अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, चाहे वह निरंतरता या नवीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है :

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार निगम के कॉर्पोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान;
- जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;
- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए;
- द्वितीयक शेयर बाजार के माध्यम से किए गए निवेश पर ब्याज आय; और
- सहमत प्रतिफल के बदले या जैसा की समय-समय की सहमति पर अन्य लेनदेन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/सेवाओं का एलआईसी से/को हस्तांतरण और/या जहां निगम/उसकी सहायक कंपनियां, प्रतिभूतियों की खरीद/ बिक्री, देय शुल्क, शुल्क, राजस्व, ब्रोकरेज या किसी अन्य व्यय, जैसे कि निगरानी/डिपॉज़िटरी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं, बीमा सेवाएं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, जारी करने और भुगतान अनुबंध शुल्क, साझा सेवाएं, संग्रह और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए।

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक में नहीं होगी, ऐसे सभी उपरोक्त लेनदेन , चाहे व्यक्तिगत रूप से और/या कुल मिलाकर, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	निगम के कॉर्पोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान	वास्तविक रूप से, उत्पादों की नियम एवं शर्तों, व्यवसाय के पैमाने, उत्पाद मिश्रण और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;	उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार लगभग ₹ 3,950 करोड़ तक
	गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए;	वास्तविक रूप से, संभावित उत्पादों के नियम एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
	अन्य: • प्रतिभूतियों/निवेशों की बिक्री • ब्याज आय • कमीशन • बैंक शुल्क • ब्रोकरेज • डिपॉजिटरी सेवाएं • सलाहकार सेवाएं	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियम एवं शर्तों, कारोबार के पैमाने और सेवाओं के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या निगम के अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्तियों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।”

11. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) के साथ निगम के भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं) या पुनः अधिनियमन(ओं) समेत तथा, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) के ‘संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति’, जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद ‘बोर्ड’ के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) अनुमोदन प्रदान करते हैं, जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संशोधित सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, एलआईसी एचएफएल के साथ में अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, चाहे वह निरंतरता या नवीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से पहले के अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है:

- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए; और/या
- जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक में नहीं होगी, ऐसे सभी उपरोक्त लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप से और/या कुल मिलाकर, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/ लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र / किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए;	वास्तविक रूप से, ऋणपत्र / किसी अन्य प्रतिभूतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक(ओं) और/या निगम के अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्तियों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।”

12. एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ) के साथ निगम के भौतिक संबंधी पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन(ओं), उपांतरण(ओं) या पुनः अधिनियमन(ओं) समेत तथा, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) के ‘संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति’, जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिन्हे इसके बाद ‘बोर्ड’ के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) अनुमोदन प्रदान करते हैं, जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संशोधित सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, एलआईसी एमएफ के साथ में अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, चाहे वह निरंतरता या नवीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से पहले के अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है:

- डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों / किसी अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उससे संबंधित लेनदेन;
- जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक में नहीं होगी, ऐसे सभी उपरोक्त लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप से और/या कुल मिलाकर, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों / किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उसके संबंधित लेन-देन	खरीद और/या मोचन, प्रत्येक के लिए लगभग ₹ 35,000 करोड़ तक
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या निगम के अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्तियों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।”

13. निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आर दुरैस्वामि (डीआईएन: 10358884) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (बी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में श्री आर दुरैस्वामि की नियुक्ति, भारत सरकार की 14 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, 2,25,000/- (निश्चित) के वेतनमान पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (अर्थात्, 14 जुलाई, 2025) या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक (अर्थात् 28 अगस्त, 2028) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की गयी है और तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 22 जुलाई, 2025

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’, जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

टिप्पणियाँ:

1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक:

- क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर, 2024 और एमसीए द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य लागू परिपत्र (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 (सेबी परिपत्र), के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को उसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के अनुपालन में 30 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से AGM आयोजित करने की अनुमति दी है।

एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त परिपत्रों, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956 या एलआईसी अधिनियम) के लागू प्रावधान, के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) और इसके तहत बनाए गए नियम, एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता

विनियम/सेबी (एलओडीआर) विनियम, के अनुपालन में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से निगम की चौथी एजीएम आयोजित की जा रही है, जिससे एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालय चौथी एजीएम के लिए वह सामान्य स्थल माना जाएगा।

- ख. जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (एलआईसी नियम) के नियम 28 के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्यों को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम के स्थल का मार्ग मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।
- ग. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस सूचना के टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना को एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।
- घ. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ-पहले पाओ के आधार (एफसीएफएस) कम से कम 1,000 सदस्यों के लिए पर उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश करने में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- ङ. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उक्त संकल्प/प्राधिकरण पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से संवीक्षक को info@mehta-mehta.com ईमेल पते पर भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को अंकित की जाएगी।
- च. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में वोट (मत) डालने का हकदार होगा।
- छ. वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते 25 जुलाई, 2025 (शुक्रवार) (कट-ऑफ तिथि) को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। चौथी एजीएम बुलाने वाली सूचना निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर प्रसारित कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com के संबंधित अनुभाग पर भी देखा जा सकता है। सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को भेजेगा जो विशेष रूप से अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए investors@licindia.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे हैं।

इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध विनियमों के विनियमन 36 (1) (बी) के अनुसार, निगम उन सदस्यों को एक पत्र भी भेज रहा है जिनका ई-मेल पता निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं है, जिसमें निगम की वेबसाइट का सटीक वेब-लिंक प्रदान होगा जहां पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी।

2. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 28 अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण, जो इस सूचना के मद संख्या 4 से 13 के तहत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
3. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) और एलआईसी नियमों के नियम 28 के साथ पठित आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार चौथी एजीएम में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक (कों) के संबंध में के आवश्यक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक - ए

के रूप में संलग्न हैं जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम ने नियुक्ति के लिए निदेशक (कों) से संगत प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त कर ली है।

4. अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

- क. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 27 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 12/- के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के परियोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, जुलाई 25, 2025 है।
- ख. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश, चौथी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, सदस्यों को 24 सितंबर, 2025 (बुधवार) तक भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभकारी मालिकों को जिनके नाम शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर /डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।
- ग. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वह अपने डीमैट खाते का रखरखाव रखते हैं, का उपयोग निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। निगम बैंक विवरण या बैंक जनादेश के किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। अतः डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डिपी) को तत्काल दें।
- घ. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह निगम के आरटीए को inward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा (i) हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति जिसमें सदस्यों का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात् बैंक खाता संख्या, बैंक की शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति और (iii) रद्द चेक की लीफ, जमा करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS) जनादेश को पंजीकृत करें।
- ड. जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अध्यतन नहीं किया है, उन्हें, निगम किसी अन्य अनुमत साधन के माध्यम से निगम के रिकॉर्ड में पंजीकृत पते पर लाभांश का भुगतान करेगा।
- च. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को जारी किए गए सेबी परिपत्र के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, और अनिवार्य किया है कि, 1 अप्रैल, 2024 से, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से ही किया जाएगा, यदि फोलियो केवाईसी अनुपालन है। ऐसे फोलियो को सभी विवरणों, पिन कोड के साथ पूरा पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार से जुड़े वैध पैन, नामांकन, नमूना हस्ताक्षर आदि सहित संपर्क विवरण के पंजीकरण पर केवाईसी अनुपालन के रूप में माना जाएगा। सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर संबंधित एफएक्यू प्रकाशित किए गए हैं और इन्हें <https://www.sebi.gov.in/sebi/data/faqfiles/sep-2024/1727418250017.pdf> पर देखा जा सकता है।

5. अंतिम लाभांश पर स्रोत पर कर (टीडीएस):

आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और निगम को आईटी अधिनियम के साथ पठित कर संधि के अनुसार निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधन देखें।

एक निवासी व्यक्तिगत सदस्य और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उन्हें पैन के साथ फॉर्म नंबर 15 जी / 15 एच, जैसा लागू हो, में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित अनिवासी सदस्य भारत और अपने निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन है, अर्थात्, जैसे की कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होने पर घोषणा, लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

इसके लिए मंगलवार, 08 जुलाई, 2025 को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डिपी के पास पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को या उससे पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

6. सदस्यों को अपने विवरण में परिवर्तन करने के लिए सूचना देनी होगी:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह अपने बैंक खाते का विवरण, अर्थात्; बैंक की शाखा का नाम और पता, शाखा का एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या, निगम के आरटीए यानी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम) सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032 में विधिवत भरे गए फॉर्म आईएसआर -1 और संबंधित प्रमाणों के साथ, प्रस्तुत करें।

जो सदस्य डिमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और बैंक खाते का विवरण प्रदान करना/बदलना/सही करना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) को भेजना है न कि निगम को। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह अपने बैंक का एमआईसीआर कोड अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें। निगम ऐसे सदस्यों से पते में परिवर्तन, नामों के स्थानांतरण, मृतक संयुक्त धारक के नाम को हटाने और बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन के लिए किसी भी सीधे अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। लाभांश का भुगतान करते समय, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ऐसे डिमैटरीज्ड शेयरों के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5ई के प्रावधानों के अनुसार, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह उचित सावधानी बरते और किसी भी सदस्य के पते में किसी भी बदलाव या निधन के बारे में निगम या आरटीए को जल्द से जल्द सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से आवधिक शेयरधारिता का विवरण प्राप्त किया जा सकता है, और समय-समय पर शेयरधारिता को सत्यापित किया जाना चाहिए।

7. शेयरों का अभौतिकरण:

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीकरण विनियम के अनुसरण में भौतिक रूप में धारित सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों के स्थानांतरण, पारेषण और अंतरण को केवल डीमैट रूप में अधिदेश करते हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी, 2022 के साथ पठित समय-समय पर जारी सेबी के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को निम्न सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिदेश है; डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना; अस्वामिक सस्पेन्स खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण/विनियम; अनुमोदन; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन।

तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अभौतिकरण के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमैटरियलाइज करें, सदस्य सहायता के लिए पूर्वोक्त परिपत्र में निर्धारित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

8. विवाद के समाधान के लिए :

सेबी ने मास्टर परिपत्र सं सेबी/एचओ/ओआईईई/ ओआईईई_आईएडी -1/पी/सीआईआर/2023/145 दिनांक 11 अगस्त, 2023 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ODR पोर्टल") की स्थापना की है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्य ध्यान दें, कि निगम और/या उसके आरटीए के खिलाफ किसी भी भारतीय प्रतिभूति बाजार से उत्पन्न विवादों के मामले में ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान दायर कर सकते हैं और इसे निगम की वेबसाइट <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution> के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। सदस्य इस तंत्र का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वह निगम और स्कोर्स के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा दें और निवारण के परिणाम से संतुष्ट न हों।

9. अस्वामिक लाभांश और आईईपीएफ:

जो सदस्य ऐसे लाभांश का दावा करना चाहते हैं, जिनका दावा नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वह नियत तारीखों से पहले पुनर्वैधीकरण और नकदीकरण के लिए निगम से investors@licindia.com या आरटीए से inward.ris@kfintech.com पर पत्राचार करें। दावा न किए गए लाभांशों का विवरण निगम की वेबसाइट पर www.licindia.in पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वह ध्यान दे कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के अंतर्गत अस्वामिक लाभांश खाते में अंतरित होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अस्वामिक अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अस्वामिक / अदावाकृत रहते हैं, तो उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

10. एजीएम के दौरान सांविधिक रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जो इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह investors@licindia.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
11. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए एवं उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए:
 - (1) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे से), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) investors@licindia.com या einward.ris@kfintech.com पर प्रदान करें।
 - (2) यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16-अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) einward.ris@kfintech.com को प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिन्दु 15 के चरण 1 (ए) में नीचे बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि।
 - (3) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेज सकते हैं।

12. एजीएम से पहले/दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग:

- (1) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करने की प्रसन्नता हो रही है; एजीएम में किए जाने वाले मर्दानों पर कार्यवाही के संबंध में अपने सदस्यों को 'दूरस्थ ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जा रही है। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के ई-वोटिंग सिस्टम के साथ दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- (2) मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी या आरटीए द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होंगे। भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी सदस्य या गैर-व्यक्तिगत सदस्य जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करता है और सूचना के भेजने के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 19 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- (3) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य, जो निगम के शेयर अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि, यानी 19 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को शेयर धारण करते हैं, वह बिन्दु संख्या 15 में नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- (4) दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स.) से शुरू होगी और सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर

दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार 19 अगस्त, 2025 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

(5) एजीएम में वीसी/ओएवीएम कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वह भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे संकल्प (ओं) पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, प्रस्तावों को बैठक की तारीख, यानी 26 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को पारित माना जाएगा।

(6) एजीएम के दिन दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।

13. श्री अतुल मेहता (सदस्यता संख्या: एफसीएस 5782) और उनके विफल होने पर सुश्री अश्विनी इनामदार (सदस्यता संख्या: एफसीएस 9409) मैसेर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में मतदान की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

14. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

I. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए बिन्दु संख्या 15 के तहत दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने सामान्य बैठक में शामिल हों (Join General Meeting) मेनू के तहत रखा गया वीसी/ओएवीएम का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का EVEN (134730) प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वह अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लेखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

II. सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि लैपटॉप, मोबाइल उपकरणों या टैबलेट के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले सदस्यों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए उन्हें स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

III. सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स.) से शुक्रवार 22 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.) तक, investors@licindia.com पर भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

IV. जो सदस्य बैठक में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स.) से शनिवार, 23 अगस्त 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.) के बीच investors@licindia.com पर अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अनुरोध भेजकर खुद को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

V. जिन सदस्यों को बैठक में भाग लेने और भाग लेने के लिए एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वह श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल sanjeevy@nsdl.co.in/022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

15. दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को 0900 बजे (भा. मा. स) से शुरू होगी और सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को सदस्यों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में मौजूद होंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में “दो चरण” शामिल हैं जो नीचे उल्लिखित हैं:

चरण 1: NSDL ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

क. डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 09 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपडेट करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य।	- ओटीपी पर आधारित लॉगिन के लिए आप लिंक https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8-अंकों की डीपी आईडी, 8-अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल पते/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com पर मौजूदा आईडीईएस (IDeAS) उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर लॉगिन के तहत लाभकारी स्वामी (“Beneficial Owner”) आइकन पर क्लिक करें जो ‘आईडीईएस’ अनुभाग में उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत “ई-वोटिंग तक पहुंच” (“Access to e-voting”) पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
	3. यदि आप आईडीईएस (IDeAS) ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प यहां https://eservices.nsdl.com उपलब्ध है “आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें” को चुने या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com को व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र पर टाइप करके खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो ‘शेयरधारक/सदस्य’ अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप “एनएसडीएल स्पीड” (“NSDL Speede”) सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल के ईजी (Easi)/ईजीस्ट (Easiest) का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ताओं आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ ईजीस्ट लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन एवं न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईजी उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईजी / ईजीस्ट के उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक और बैठक के दौरान वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
	3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन एवं न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से अपने डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होंगे।
व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evotingnsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या 022-4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evotingcdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-22-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख. डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप मौजूदा आईडीईएस (IDEAS) लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> लॉगिन कर सकते हैं। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर जा सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डाल सकेगे।

4. आपका उपयोगकर्ता आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, अगर आपकी DP ID IN300*** है और क्लाइंट ID 12 है***** तो आपकी यूजर ID IN300***12***** है.
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 है***** तो आपकी यूजर आईडी 12 है*****
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना मत डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' (Initial Password) प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और प्रणाली आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
 - अगर आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकरण है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। ईमेल खोल, आपके मेल-बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाए, और अटैचमेंट, यानी एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड NSDL अकाउंट के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, CDSL अकाउंट के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' (Initial password) होता है।
 - यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

- क) “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” (“**Forgot User Details/Passwprd**”) पर क्लिक करे (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) जिसका विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

- ख) भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड? (“Physical user reset password”) (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) जिसका विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
 - ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “नियम और शर्तों” से सहमत पर टिक करें।
 8. अब, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।
 9. “लॉगिन” बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में शामिल हों।

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को “EVEN” देख पाएंगे जिनमें आप शेयर धारण कर रखे हैं और जिनके मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के “EVEN” का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालना चाहते हैं और सामान्य बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको जॉइन जनरल मीटिंग के तहत रखे गए “VC/OAVM” लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और “सबमिट” (“Submit”) पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर पुष्टि करें (“Confirm”) पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, “वोट सफलतापूर्वक डाला गया” (“Vote Cast Successfully”) संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप प्रस्तावों पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

- i. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- ii. केवल वह सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
- iii. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- iv. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए बिंदू 14(v) पृष्ठ संख्या 12 पर किया गया है।

17. सदस्यों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- i. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी घटना में, आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए? या भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें? पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाना होगा।

- ii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों/सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें या एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को नामित ई-मेल आईडी sanjeevy@nsdl.co.in पर और/या evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजें सकते हैं।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 28बी के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने 27 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 12/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 7589.99 करोड़ का नकद बहिर्वाह शामिल होगा। यह 15.76% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वह सूचना में निर्धारित मद संख्या 4 के तहत निहित प्रस्ताव को स्वीकार करें।

मद संख्या 5

यह व्याख्यात्मक विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम या सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 36 (5) के संदर्भ में है, हालांकि वैधानिक रूप से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 23ए के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियमों, 1956 के नियम 28 के (एलआईसी नियम) के संदर्भ में आवश्यक नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25(9) के अनुसार मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101872W/W100045) को निगम के निदेशक मंडल द्वारा पांच साल के लिए निगम के संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में 27 सितंबर, 2022 को आयोजित निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो निगम की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक पद धारण करने के लिए किया गया जोकि कैलेंडर वर्ष 2025 में होगी। मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्यकाल चौथी एजीएम के समापन पर समाप्त हो रहा है।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 22 के प्रावधानों, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर नीति, जिसे समय-समय पर संशोधित किया, सेबी सूचीबद्धता विनियम, और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, के अनुसरण में, निगम के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है।

पूर्वगामी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इस एजीएम में निगम के संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट की अवधि पूरी होने पर, निगम के निदेशक मंडल ने उद्योग के अनुभव, सूचीबद्ध कंपनियों के अनुभव, लेखापरीक्षा टीम की योग्यता, लेखापरीक्षा के संचालन में दक्षता जैसे विभिन्न कारकों का मूल्यांकन और विचार करने के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ('सी एंड एजी') रैंकिंग, आदि, और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति को निदेशक मंडल और निगम लेखापरीक्षकों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होने वाले पारिश्रमिक पर, निगम के लेखापरीक्षकों के रूप में लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए चौथी एजीएम के समापन से वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली निगम की नवी (9वीं) एजीएम के समापन तक, नियुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं।

मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी, मुंबई आधारित लेखापरीक्षक फर्म है जिसे 51 वर्षों का अनुभव है। कुल 11 भागीदार हैं जिनमें से 7 भागीदार विशेष रूप से लेखापरीक्षक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फर्म के पास लगभग 200 लोगों की एक टीम है, जो पूरे भारत में ग्राहकों की सेवा कर रही है। यह फर्म एक एकीकृत पेशेवर सेवा फर्म है जो अपने ग्राहक को लेखापरीक्षा (ऑडिट), कराधान (टैक्सेशन) और परामर्श (कंसल्टेंसी) जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।

मैसर्स मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी ने निगम के लेखापरीक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सहमति दी है और पुष्टि की है कि नियुक्ति, यदि की जाती है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी और लागू कानूनों के अनुसार वह निगम के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए अन्य नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। निगम के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित फर्म का नाम एजीएम सूचना के मद संख्या 5 के तहत निहित संकल्प में दिया गया है।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, निगम के क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों की आवधिक रूप से लेखापरीक्षा/सीमित समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय और मंडल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। उक्त नियुक्ति निगम के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

लेखापरीक्षा सेवाओं के अलावा, निगम विभिन्न सांविधिक विनियमों और बैंकों, सांविधिक प्राधिकरणों, लेखापरीक्षा संबंधी सेवाओं और समय-समय पर अपेक्षित अन्य अनुमत गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं के तहत लेखापरीक्षकों (अर्थात् निगम लेखापरीक्षकों, क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों और मंडल लेखापरीक्षकों) से प्रमाणपत्र भी प्राप्त करेगा, जिसके लिए उन्हें पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा। जैसा कि लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

व्यावहारिक रूप से कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित और निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति, समय-समय पर यथा संशोधित और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अवधि एवं अन्य नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक के अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।

निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

भारत सरकार ने 17 अप्रैल, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. प्रशांत कुमार गोयल को डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला के स्थान पर अगले आदेश तक निगम का सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है

डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, त्रिपुरा कैडर के 2007 बैच के आईएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो वित्तीय समावेशन (एफआई) और डिजिटल भुगतान पर कार्य कर रहे हैं। निदेशक के रूप में वित्तीय सेवा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और डिजिटल भुगतान सहित विभिन्न विषयों पर काम किया है। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1सी) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुननियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली सामान्य बैठक में लिया जाए। तदनुसार, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में डॉ. प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

डॉ. प्रशांत कुमार गोयल और उनके रिश्तेदारों और भारत सरकार के अलावा, जो निगम में एक प्रमुख शेयरधारक हैं, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 6 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

भारत सरकार ने 14 मई, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री दिनेश पंत को कार्यभार संभालने की तारीख 01 जून, 2025 को या उसके बाद से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 मई, 2027) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री पंत ने 01 जून, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

श्री दिनेश पंत, 01 जून, 2025 से प्रभावी प्रबंध निदेशक की भूमिका संभालने से पहले निगम के नियुक्त बीमांकिक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) रहे हैं। वह भारतीय एकचुअरीज संस्थान और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एकचुअरीज, यूके के फेलो सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास इंजीनियरिंग और कानून के साथ-साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में डिग्री है। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री दिनेश पंत की निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 7 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री दिनेश पंत और उनके रिश्तेदार के अलावा, मद संख्या 7 के तहत निहित प्रस्ताव को पारित करने में कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 7 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

भारत सरकार ने 14 मई, 2025 की अपनी अधिसूचना के तहत श्री रत्नाकर पटनायक को कार्यभार संभालने की तारीख 01 जून, 2025 या उसके बाद से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 मार्च, 2028) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री पटनायक ने 01 जून, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

श्री रत्नाकर पटनायक ने वर्ष 1990 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना आजीविका शुरू किया। पारंपरिक विपणन में अपने 22 वर्षों के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इंदौर और जमशेदपुर मण्डल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय प्रबंधक (मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), पूर्वी क्षेत्र जैसे विभिन्न नेतृत्व पदों पर निगम में काम किया। उन्होंने प्रमुख (निवेश- फ्रंट ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (निवेश - फ्रंट ऑफिस), केन्द्रीय कार्यालय और मुख्य निवेश अधिकारी (केएमपी) के रूप में भी काम किया है। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री रत्नाकर पटनायक की निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति का औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 8 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री रत्नाकर पटनायक और उनके रिश्तेदार के अलावा, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 8 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 8 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 9

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 24ए के अनुसरण में, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा सचिवालयीय लेखापरीक्षा करवानी होगी, जो समकक्ष समीक्षित कंपनी सचिव होगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

इसके अलावा, सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 24ए अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि 01 अप्रैल, 2025 से, सूचीबद्ध संस्थाओं को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को लगातार पांच वर्षों के एक कार्यकाल से अधिक नहीं या प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की एक फर्म को लगातार पांच वर्षों के दो कार्यकाल से अधिक नहीं के लिए सदस्यों के अनुमोदन से नियुक्त करना आवश्यक है। ऐसे सचिवीय लेखापरीक्षकों को एक समकक्ष समीक्षित कंपनी सचिव होना चाहिए और सूचीबद्धता विनियमों के तहत निर्दिष्ट किसी भी अयोग्य नहीं होने चाहिए।

मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं. ("एसएनएसओ") प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की एक प्रतिष्ठित फर्म है, जिसकी स्थापना 1991 में श्री एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन - फेलो सदस्य और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई थी। चार दशकों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ, श्री अनंतसुब्रमण्यन ने फर्म की उत्कृष्टता और नियामक विशेषज्ञता की विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसएनएसओ का नेतृत्व पांच भागीदारों की एक टीम द्वारा किया जाता है और अनुभवी और योग्य कंपनी सचिवों के एक कैडर द्वारा समर्थित है। फर्म सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस परामर्श, नियामक और अनुपालन सलाहकार और विभिन्न कॉर्पोरेट कानूनों के तहत प्रमाणन शामिल हैं। अपने परिश्रम, गहरी नियामक अंतर्दृष्टि और अटूट पेशेवर अखंडता के लिए प्रसिद्ध फर्म है, एसएनएसओ ने खुद को सचिवीय लेखापरीक्षा और कॉर्पोरेट कानून अनुपालन के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम के रूप में स्थापित किया है।

निगम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और तकनीकी क्षमताओं, पेशेवर स्वतंत्रता, उद्योग-विशिष्ट अनुभव, कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता, लेखापरीक्षक भागीदारों और टीम की ताकत और प्राप्त अंकों के आकलन सहित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के व्यापक मूल्यांकन के बाद, निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर, मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं. (फर्म पंजीकरण संख्या P1991MH040400) की निगम के

सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। नियुक्ति लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए है, जो वर्तमान वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से शुरू होती है और वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली नवी (9वीं) एजीएम के समापन तक जारी रहेगी, जिसमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों से और 31 मार्च 2030 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक की अवधि शामिल है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए एसएनएसीओ को भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित शुल्क ₹ 6,50,000/- (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) है और लागू कर और जेब खर्च भी शामिल है। प्रस्तावित शुल्क में अन्य अनुमत सेवाओं की लागत शामिल नहीं है जिनका निगम द्वारा एसएनएसीओ से लाभ उठाया जा सकता है।

एसएनएसीओ ने सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, पुष्टि की है कि उनके पास आईसीएसआई द्वारा जारी एक वैध समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र है और उन्हें सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

तदनुसार, निगम के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में एसएनएसीओ की नियुक्ति को अनुमोदित करने और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर सचिवीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने का प्रस्ताव है।

निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड इस सूचना के मद संख्या 9 के अंतर्गत साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 10

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देना, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त है, यदि वह कार्य के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन ₹ 1,000 करोड़ या सूचीबद्ध कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हो, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षित समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष होने पर संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 10 के संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्ष लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्ष लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तारीख तक, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, इन लेनदेनों का कुल मिलाकर उपर उल्लेखित लागू भौतिक सीमा से अधिक होने की उम्मीद है। तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, ऐसे सभी अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो पहले की व्यवस्थाओं/लेनदेनों की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के रूप में हो या नये एवं स्वतंत्र लेनदेन के रूप में हों या अन्यथा, के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृति मांगी जा रही है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का आवश्यक विवरण सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के साथ पठित समय-समय पर इस संबंध में जारी सेबी के परिपत्रों के अनुसार यहा प्रदान किया गया है:

(1) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

(2) अन्य जानकारी:

निगम के लिए कॉर्पोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए जीवन बीमा उत्पादों और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान

आईडीबीआई बैंक लागू कानूनों के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के साथ पंजीकृत एक कॉर्पोरेट अभिकर्ता है। निगम ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए आईडीबीआई बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। निगम, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन का भुगतान करता है। भुगतान किए गए शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों अर्थात् व्यवसाय की मात्रा, उत्पाद मिश्रण, विनियामक दिशानिर्देशों आदि पर निर्भर करता है। आईडीबीआई बैंक के साथ समझौता, समझौते की शर्तों और नियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीकरण के अधीन है। इस बैंकाश्योरेंस साझेदारी के रणनीतिक लाभ बहुआयामी हैं और लंबे समय तक सामने आते रहेंगे।

वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित सुविधाएं

निगम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न बैंकों (संबंधित/असंबंधित पक्षों) से निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। जब कभी निगम ऐसी सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो वह ऐसा केवल तभी करेगा जब दें, नियम एवं शर्तें किसी अन्य बैंकिंग संस्था की नियम एवं शर्तों के तुलनीय हों। सुविधा का प्रकार और लेनदेन की शर्तें और अवधि, प्रत्येक मामले में, निगम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। बैंक को भुगतान किया गया ब्याज और शुल्क व्यय ऋण, गारंटी, नकद क्रेडिट आदि के रूप में मूल लेनदेन से होने वाले परिणामी लेनदेन हैं। इसलिए, लेनदेन की मात्रा मूल लेनदेन के मूल्य पर निर्भर करती है। आईडीबीआई बैंक के पास भारत में शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है जो बैंकिंग सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;

वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों एवं शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार।

निगम जीवन बीमा की बिक्री के व्यवसाय में है और उत्पाद की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। तदनुसार, निगम प्रतिस्पर्धी दरों पर कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक सेवाएं हितलाभ को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों को भी जारी करता है।

गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं जारी करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए;

संबंधित पक्षों से प्रतिभूतियों के अभिदान/मोचन से संबंधित लेन-देन निगम द्वारा अपने निवेश गतिविधियों के एक भाग के रूप में किए जाते हैं। निवेश करने का निर्णय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे बाजार की स्थिति, मूल्यांकन, जारी करने का आकार, नियामक सीमाएं आदि और विनियामक अनुमोदन के अधीन, जो भी लागू हो। इस प्रकार, लेनदेन के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। प्राथमिक बाजार में संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों को निगम द्वारा प्रचलित बाजार दर पर और उन्हीं शर्तों पर अभिदान दिया जाता है जिन पर इन प्रतिभूतियों को सभी भावी निवेशकों को पेश किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों की द्वितीयक बाजार खरीद प्रचलित बाजार दरों/उचित मूल्यों पर निष्पक्ष आधार पर की जाती है। लेनदेन की अवधि प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी। निगम अपने सामान्य कारोबार क्रम में जोखिम प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, अपेक्षित विनियामक अनुपात के अनुरक्षण का प्रबंध करने और मूल्य/प्रतिफल उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के लिए उपर्युक्त लेनदेनों में प्रवेश करता है।

अन्य लेनदेन

शुल्क, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रीमियम, किराया, प्रतिपूर्ति, किसी अन्य आय/व्यय और डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा की गयी गतिविधिया, अभिरक्षक सेवाओं और निवेश बैंकिंग आदि के अनुसरण में किए गए कार्यकलापों सहित आईडीबीआई बैंक के साथ अन्य अनुबंध/लेनदेन/व्यवस्थाएं जो निगम के कारोबार की सामान्य कर्म में हो सकती हैं।

निवेश पर ब्याज आय, निगम द्वारा धारित/अभिदत्त लेख पत्र की नियम एवं शर्तों के अनुसार और ब्याज दर अनुरूप होगी।

निगम अपने नियमित कारोबार के दौरान निगम द्वारा ऋण/अग्रिम अथवा निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेन-देन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता नहीं उठाता है। उपर्युक्त लेनदेनों में संबंधित पक्ष की संबंध/हित की प्रकृति वित्तीय है।

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार है इसलिए वह निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि निगम के बोर्ड (जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति शामिल होगी) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे वह पहले की व्यवस्था/लेनदेन के नवीकरण (ओं) या विस्तार(ओं) या संशोधन (ओं) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में हो या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी लेनदेन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो सकती है।

कोई सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 10 में विनिर्दिष्ट संकल्पों पर मत नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष है या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित संस्था में अपनी शेयरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त में वित्तीय या अन्यथा संबंधित/इच्छुक नहीं हैं।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड इस सूचना के मद संख्या 10 के अंतर्गत साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 11

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देना , किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त है, यदि वह कार्य के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष हैं।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन ₹ 1,000 करोड़ या सूचीबद्ध कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हो, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षित समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष होने पर संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 11 के संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्ष लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्ष लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तारीख तक, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, इन लेनदेनों का कुल मिलाकर उपर उल्लेखित लागू भौतिक सीमा से अधिक होने की उम्मीद है। तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, ऐसे सभी अनुबंधो/व्यवस्थाओं/लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो पहले की व्यवस्थाओं/लेनदेनों की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के रूप में हो या नये एवं स्वतंत्र लेनदेन के रूप में हों या अन्यथा, के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृति मांगी जा रही है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का आवश्यक विवरण सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के साथ पठित समय-समय पर इस संबंध में जारी सेबी के परिपत्रों के अनुसार यहा प्रदान किया गया है:

(1) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

(2) अन्य जानकारी:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र / किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए
1	लेन-देन का मूल्य	प्रस्तावित लेनदेनों के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यदि एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी किए जाने के लिए कोई ऋण प्रतिभूतिया प्रस्तावित है तो यह एलआईसी की बोली के अध्यक्षीन है,	उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार
2	भौतिक शर्तें	लेनदेन की शर्तें एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार और लागू कानूनों के अनुसार होंगी	प्राप्त प्रीमियम उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या हित की प्रकृति (वित्तीय/अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन-देन की अवधि	एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार	चुने गए उत्पाद की पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार।
5	लेनदेन का मूल्य प्रतिशत/पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्तीय वर्ष 2024-25 के समेकित कारोबार के आधार पर)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, अवधि, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र / किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान एवं मोचन करने के लिए और उसके आकस्मिक लेन-देन के लिए	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए
10	संबंधित पार्टी लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	निगम लागू कानूनों और प्रस्ताव पत्र के प्रावधानों के अनुसार एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी ऋणपत्र जैसे एनसीडी/किसी अन्य प्रतिभूतियों की भी अभिदान ले सकता है। निगम एनसीडी या किसी अन्य प्रतिभूतियों को विक्रय के लिए भी पात्र है, यदि कोई पहले या वर्ष के दौरान अभिदान की गई हो तथा निगम के हित में सभी निवेशकों के लिए समान रूप से लागू ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त करने के लिए भी पात्र है।	निगम जीवन बीमा की बिक्री के व्यवसाय में है और उत्पाद की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। तदनुसार, निगम प्रतिस्पर्धी दरों पर कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक सेवांत हितलाभ को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार है इसलिए वह निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि निगम के बोर्ड (जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति शामिल होगी) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे वह पहले की व्यवस्था/लेनदेन के नवीकरण (ओं) या विस्तार(ओं) या संशोधन (ओं) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में हो या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी लेनदेन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो सकती है।

कोई सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 11 में विनिर्दिष्ट संकल्पों पर मत नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष है या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित संस्था में अपनी शेयरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित/इच्छुक नहीं हैं।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड इस सूचना के मद संख्या 11 के अंतर्गत साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 12

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देना , किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त है, यदि वह कार्य के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष हैं।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन ₹ 1,000 करोड़ या सूचीबद्ध कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्धता इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हो, जो भी कम हो।

निगम ने 22 अगस्त, 2024 को आयोजित निगम की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक में एलआईसी एमएफ के साथ भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो चौथी एजीएम तक मान्य हैं। इस प्रकार, निगम को भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षित समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष होने पर संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 12 के संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षक लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्ष लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तारीख तक, जिसकी अवधि पंद्रह माह से अधिक नहीं होगी, इन लेनदेनों का कुल मिलाकर उपर उल्लेखित लागू भौतिक सीमा से अधिक होने की उम्मीद है। तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, ऐसे सभी अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो पहले की व्यवस्थाओं/लेनदेनों की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के रूप में हो या नये एवं स्वतंत्र लेनदेन के रूप में हों या अन्यथा, के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृति मांगी जा रही है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए भौतिक संबंधित पार्टि लेनदेन का आवश्यक विवरण सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के साथ पठित समय-समय पर इस संबंध में जारी सेबी के परिपत्रों के अनुसार यथा प्रदान किया गया है:

(1) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

(2) अन्य जानकारी:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों / किसी अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उससे संबंधित लेनदेन	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;
1	लेन-देन का मूल्य	खरीद और/या मोचन, प्रत्येक के लिए लगभग ₹ 35,000 करोड़ तक	उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यापार के पैमाने के अनुसार
2	भौतिक शर्तें	90 दिन का मोचन	प्राप्त प्रीमियम, उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या हित की प्रकृति (वित्तीय/अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन-देन की अवधि	90 दिन	चुने गए उत्पाद की पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार।
5	लेनदेन का मूल्य प्रतिशत/पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्तीय वर्ष 2024 के समेकित कारोबार के आधार पर)	खरीद और/या मोचन प्रत्येक के लिए 7.13%	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		डायरेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिटों / किसी अन्य प्रतिभूतियों की खरीद/मोचन और उससे संबंधित लेनदेन	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभ का भुगतान करने के लिए;
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	निवेश योग्य अधिशेष	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, कार्यकाल, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	निधियों की अस्थायी पार्किंग आईआरडीआई के मानदंडों के अनुसार	लागू नहीं
10	संबंधित पक्ष लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	निधियों की अस्थायी पार्किंग आईआरडीआई के मानदंडों के अनुसार	निगम जीवन बीमा की बिक्री के व्यवसाय में है और उत्पाद की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। तदनुसार, निगम प्रतिस्पर्धी दरों पर कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक सेवांत हितलाभ को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि निगम के बोर्ड (जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति भी शामिल होगी) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे वह पहले की व्यवस्था/लेनदेन के नवीकरण (ओं) या विस्तार(ओं) या संशोधन (ओं) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में हो या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी लेनदेन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो सकती है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निगम द्वारा एलआईसी एमएफ के साथ प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए अपनी सर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक वक्तव्य में उल्लिखित बातें भी शामिल हैं। लेखापरीक्षा समिति ने यह संज्ञा में लिया है कि एलआईसी एमएफ के साथ उक्त लेनदेन निगम के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा समिति को लेनदेन का विवरण, जिसमें आवश्यक शर्तें और मूल्य निर्धारण का आधार शामिल है, प्रदान किया है।

कोई सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 12 में विनिर्दिष्ट संकल्पों पर मत नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष है या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित संस्था में अपनी शेयरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित/इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 12 के अंतर्गत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 13

भारत सरकार ने 14 जुलाई, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री आर दुरैस्वामि, प्रबंध निदेशक, को प्रभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक (यानी, 28 अगस्त, 2028) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, ₹ 2,25,000/- (निश्चित) के वेतनमान पर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

तदनुसार, श्री आर दुरैस्वामि ने 14 जुलाई, 2025 को निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह निगम के प्रबंध निदेशक थे। वह 17 वें बैच के प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी हैं और उन्हें संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविद में 39 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री आर दुरैस्वामि की निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 13 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री आर दुरैस्वामि और उनके रिश्तेदार के अलावा, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 13 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 13 के तहत निर्धारित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक: जुलाई 22, 2025

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’, जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

अनुलग्नक - ए

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक - 2 के संदर्भ में, नियुक्त होने वाले निदेशक के संबंध में विवरण:

निदेशक का नाम	डॉ. प्रशांत कुमार गोयल		
उम्र	45 वर्ष		
राष्ट्रीयता	भारतीय		
योग्यता	एमबीबीएस		
डीआईएन	08652921		
संक्षिप्त विवरण	डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, त्रिपुरा कैडर के 2007 बैच के आईएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो वित्तीय समावेशन (एफआई) और डिजिटल भुगतान पर कार्य कर रहे हैं। निदेशक के रूप में वित्तीय सेवा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और डिजिटल भुगतान सहित विभिन्न विषयों पर काम किया है। डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, केनरा बैंक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी (एनआईए) के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. गोयल भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अंशकालिक सदस्य, बीमा लोकपाल परिषद के सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया की परिषद के सदस्य भी हैं। डॉ. गोयल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है। उन्हें पंजाब और त्रिपुरा राज्य में शिक्षा और उद्योग और वाणिज्य विभागों में काम करने का समृद्ध अनुभव भी है।		
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्तीय सेवाएं, बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन		
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 17 अप्रैल, 2025 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/DirectorsPolicyUpdated08082024s.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212 पर उपलब्ध हैं।		
पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं		
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया है	17 अप्रैल, 2025		
निगम में श्रेयधारिता का विवरण	शून्य		
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं		
नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों की संख्या	निगम ने इनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की पाँच (5) बैठके आयोजित की है। जिनमें डॉ. गोयल सभी बैठकों में सरकार द्वारा नामित निदेशक की रूप में उपस्थित रहें हैं।		
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	कंपनी का नाम	बोर्ड सदस्यता	समिति/सदस्यता (लेखापरीक्षा समिति/हितधारकों के संबंध समिति)
	केनरा बैंक	सरकार नामित निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सरकार नामित निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य हितधारकों के संबंध समिति-अध्यक्ष
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र		

निदेशक का नाम	श्री दिनेश पंत
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बीटेक, एलएलबी, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्जुअरीज, यूके के फेलो सदस्य और एमबीए
डीआईएन	11134993
संक्षिप्त विवरण	श्री दिनेश पंत 1 जून 2025 से प्रभावी प्रबंध निदेशक की भूमिका संभालने से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के नियुक्त बीमांकिक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) थे। वह इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्जुअरीज, यूके के फेलो सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास इंजीनियरिंग और कानून के साथ-साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में डिग्री है। 2017 में नियुक्त बीमांकिक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, श्री पंत ने एलआईसी में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए उत्पाद-बीमांकिक और बीमांकिक के रूप में लगभग पांच साल का अनुभव प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समग्र उत्पाद और बीमांकिक रणनीति का नेतृत्व किया, और उन्हें निगम के व्यापार ढांचे के साथ संरेखित किया। विशेष रूप से, वह उन कुछ एलआईसी अधिकारियों में से हैं, जिन्होंने भारत में प्रमुख शाखाओं में विपणन संचालन और एक प्रतिष्ठित विदेशी जीवन बीमा ऑपरेशन के सफल कार्यकाल के बाद बीमांकिक कार्यों के विशेष क्षेत्र में रूपान्तरण किया। इससे पहले, 2002 में आईआईएम-अहमदाबाद द्वारा प्रशिक्षण के बाद, अंततः निगम के महत्वपूर्ण ट्रेजरी डेस्क का नेतृत्व करने से पहले, वह एलआईसी के निवेश अनुसंधान टीम में शामिल हुए, ऋण, इक्विटी, पुनर्गठन, उद्यम निधि और परियोजना वित्त सहित विभिन्न निवेश कार्यों में व्यापक एक्सपोजर प्राप्त किया। नियुक्त बीमांकिक के रूप में, श्री पंत, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 2022 में निगम के मेगा आईपीओ (IPO) की सफल प्लानिंग और लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आईपीओ के बाद एलआईसी को लाभदायक और सतत विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सभी हितधारकों के लिए मूल्य का निर्माण हुआ। इससे पहले अपने करियर में, उन्हें केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या में महाप्रबंधक (लाइफ) के रूप में जीवन संचालन का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने पांच वर्षों से अधिक समय तक इस समग्र बीमा कंपनी के जीवन बीमा व्यवसाय के विपणन और समग्र संचालन की देखरेख की। 1989 में एक प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल होने के बाद से, उन्हें अधिकांश परिचालन क्षेत्रों का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने बैच से सबसे कम उम्र के सहायक शाखा प्रबंधक (बिक्री) के रूप में एक छोटा कार्यकाल किया, जिसके बाद उन्हें भारतीय बीमा जीवन निगम की राजस्थान और दिल्ली की कुछ सबसे प्रतिष्ठित शाखाओं का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय में निवेश अनुसंधान कक्ष में शामिल होने से पहले प्रबंधक (नया व्यवसाय और बीमांकिक) एवं प्रबंधक कानूनी की भूमिका निभाई।

निदेशक का नाम	श्री दिनेश पंत
	श्री पंत, 2017 से एलआईसी के बोर्ड में स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य रहे हैं और उन्होंने कई उप-समितियों में काम किया है, जैसे कि निवेश समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और लाभ संबंधी समिति। वह उत्पादों, मूल्यांकन, और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं एवं रणनीतियों सहित प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों पर शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को सलाह देते हैं। शिक्षा के लिए एक उत्साही समर्थक, श्री पंत ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी सहित विभिन्न संस्थानों में अतिथि संकाय सदस्य के रूप में शिक्षा जगत में योगदान दिया है। उन्होंने बीमा क्षेत्र की पेशेवर निकायों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित की है। इसके अलावा, उन्होंने पेशेवर निकायों और नियामकों की विभिन्न समितियों में कार्य किया है, जिसमें फिक्की की स्वास्थ्य समितियां और पीएफआरडीए की पेंशन सलाहकार समिति शामिल हैं। उन्होंने आईआरडीआई द्वारा गठित कई समितियों और उप-समितियों की अध्यक्षता की है और सदस्य रहे हैं, जो उत्पाद नियमों, सूचकांक-लिंकड उत्पादों, निवेश और जोखिम-आधारित पूंजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बीमा और वित्त के प्रमुख और विशिष्ट क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ, श्री दिनेश पंत, उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	बीमांकन, प्रशासन, वित्त, विपणन, निवेश संचालन, जीवन बीमा और निगमित प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/DirectorsPolicyUpdated08082024s.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212 पर उपलब्ध हैं
पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवाओं के निश्चित नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम 1988
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया है	01 जून, 2025
निगम में श्रेयधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों की संख्या	निगम ने इनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की दो(2) बैठकें आयोजित की है। जिसमें श्री पंत, प्रबंध निदेशक, सभी बैठकों में उपस्थित रहें हैं।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	शून्य
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	शून्य

निदेशक का नाम	श्री रत्नाकर पटनायक
उम्र	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	भौतिक विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स), लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा धारक
डीआईएन	10283908

निदेशक का नाम	श्री रत्नाकर पटनायक
संक्षिप्त विवरण	श्री रत्नाकर पटनायक ने वर्ष 1990 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। पारंपरिक विपणन में अपने 22 वर्षों के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इंदौर और जमशेदपुर मण्डल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय प्रबंधक (मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), पूर्वी क्षेत्र जैसे विभिन्न नेतृत्व पदों पर निगम की सेवा की। उन्होंने चीफ (निवेश- फ्रंट ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (निवेश - फ्रंट ऑफिस), केंद्र कार्यालय और मुख्य निवेश अधिकारी (केएमपी) के रूप में भी काम किया है। भौतिक विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स), लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा धारक भी है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, विपणन, जीवन बीमा, निवेश संचालन और निगमित प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/DirectorsPolicyUpdated08082024.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212 पर उपलब्ध हैं।
पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 14 मई, 2025 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवाओं के निश्चित नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम 1988
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया है	01 जून, 2025
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों की संख्या	निगम ने इनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की दो(2) बैठकें आयोजित की है। जिसमें श्री पटनायक, प्रबंध निदेशक, सभी बैठकों में उपस्थित रहें हैं।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	शून्य
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	शून्य

निदेशक का नाम	श्री आर दुरैस्वामि
उम्र	59 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बी.एससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य, और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ज्यूअरीज ऑफ इंडिया के छात्र सदस्य
डीआईएन	10358884
संक्षिप्त विवरण	श्री आर दुरैस्वामि ने 14 जुलाई, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह निगम के प्रबंध निदेशक थे।

(अस्वीकरण: चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में किसी भी अस्पष्टता/ त्रुटि होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्कारण में उल्लेखित सूचना को सही माना जाएगा।)

महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.सं.	विवरण	जानकारी
1	एजीएम की तिथि और समय	मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को 1130 बजे (भा. मा. स.)
2	प्रबंध करने का तरीका	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन ("ओएवीएम")
3	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक	https://www.evoting.nsdl.com/ (विवरण के लिए कृपया इस नोटिस के नोट्स के तहत पैरा 15 देखें)
4	एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता के लिए एनएसडीएल का संपर्क विवरण	ईमेल: evoting@nsdl.co.in संपर्क नंबर: 022-48867000 सदस्य इससे जुड़ सकते हैं: श्री संजीव यादव (सहायक प्रबंधक-एनएसडीएल) sanjeevy@nsdl.com
5	अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शुक्रवार, जुलाई 25, 2025
6	ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, अगस्त 19, 2025
7	ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि	शनिवार, 23 अगस्त, 2025 0900 बजे (भा. मा. स.)
8	ई-वोटिंग खत्म होने की तिथि	सोमवार, 25 अगस्त, 2025 1700 बजे (भा. मा. स.)
9	ई-वोटिंग इवेंट नंबर (EVEN)	134730
10	स्पीकर शेयरधारक के रूप में पंजीकरण	गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 से 0900 बजे (भा. मा. स.) से शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को 1700 बजे (भा. मा. स.) तक investors@licindia.com को ईमेल भेजें (कृपया अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी से अनुरोध भेजें और पंजीकरण के लिए भेजे गए ई-मेल में नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें)
11	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	नाम : केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम) पता : सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगा रेड्डी, तेलंगाना, भारत -500032 रजिस्टर प्रश्नों के लिए ईमेल आईडी : Einward.risk@fintech.com टोलफ्री नं. : 1800 309 4001 व्हॉट्सअप : +91-91000-94099 वेबसाइट : https://ris.kfintech.com/ निवेशक सहायता केंद्र : https://kprism.kfintech.com/
12	एजीएम का लाइव वेबकास्ट	https://www.evoting.nsdl.com/
13	एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के लिए क्यू आर कोड	



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com; Website: www.licindia.in

NOTICE OF THE 4TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 26TH DAY OF AUGUST, 2025, AT 1130 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the audited standalone financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2025, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Sections 24B, 24C and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
2. To consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2025, together with Report of Auditors thereon, in terms of Section 24B and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
3. To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2025, in terms of Section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
4. To declare final dividend of ₹ 12/- per equity share of ₹ 10/- each for the financial year ended on March 31, 2025 as recommended by the Board in terms of Section 28B (1) of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
5. To appoint Corporation's Auditor and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, as applicable, including any amendment(s), modification(s), variation(s), or re-enactment(s) thereof, from time to time, approval of the Members of the Corporation, be and is hereby accorded for the appointment of M/s. Mukund M. Chitale & Co, Chartered Accountants (Firm Registration No.: 106655W), as the Joint Auditors of the Corporation to hold office for 5 (five) years, from the conclusion of 4th Annual General Meeting (AGM) of the Corporation till conclusion of the 9th AGM of the Corporation, on such terms & conditions and remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the Board of Directors of the Corporation be and is hereby authorized to appoint/re-appoint auditors for Zonal Office(s) and Divisional Office(s) of the Corporation for the term and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board) and/or any of the whole time Director of the Corporation, be and are hereby authorised to decide and finalize terms and conditions of appointment including remuneration of the Auditors and to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolutions."

SPECIAL BUSINESS:

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Dr. Parshant Kumar Goyal (DIN: 08652921) as Government Nominee Director of the Corporation:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(d) of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the appointment of Dr. Parshant Kumar Goyal vide Government of India’s notification dated April 17, 2025, appointing him as Government Nominee Director on the Board of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved as recommended by the Board.”

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Shri Dinesh Pant (DIN: 11134993) as Managing Director of the Corporation:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation vide Government of India’s notification dated May 14, 2025, who assumed charge in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., June 01, 2025 and upto the date of his attaining superannuation (i.e., May 31, 2027), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board.”

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Shri Ratnakar Patnaik (DIN: 10283908) as Managing Director of the Corporation:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation vide Government of India’s notification dated May 14, 2025, who assumed charge in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., June 01, 2025 and upto the date of his attaining superannuation (i.e., March 31, 2028), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board.”

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, as the Secretarial Auditors of the Corporation for a term of five consecutive years from the Financial Year 2025-26 to the Financial Year 2029-30:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) read with circular issued thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and other applicable laws, if any, M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries (Firm Registration Number: P1991MH040400) be and is hereby appointed as Secretarial Auditor of the Corporation, for a term of five (5) consecutive financial years commencing from financial year 2025-26 and upto financial year 2029-30, on such terms & conditions and remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board) and/or any of the Whole Time Director of the Corporation, be and are hereby authorized to decide and finalize terms and conditions of appointment including remuneration of the Secretarial Auditors, from time to time and to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolution.”

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with IDBI Bank Limited (“IDBI Bank”):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof (applicable laws), the ‘Policy on dealing with Related Party Transactions’ of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2025-26 which shall be valid upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with IDBI Bank, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of

continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- (i) payment of fees/remuneration/commission for distribution of life insurance products, to act as the Corporate agent of the Corporation in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI);
- (ii) premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued;
- (iii) subscription/redemption to non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto;
- (iv) interest income on investments made through secondary market; and
- (v) Other transactions and / or arrangements with and/ or transfer of resources / services from/to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Corporation/its subsidiaries would purchase/ sell securities, fees payable, charges, revenue, brokerage or any other expenses, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities.

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2025-26 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and/or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2024-25, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, *inter alia* as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2025-26 and upto the date of next AGM
IDBI Bank Limited	Payment of fees/ remuneration/ commission for distribution of life insurance products, to act as the Corporate agent of the Corporation	At actuals, as per the terms and conditions of the products, scale of business, product mix and regulatory guidelines
	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued	Upto ₹ 3,950 crore (approx..), as per the terms and conditions of the products and the scale of business
	Subscription/Redemption to non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the prospective products and the scale of business
	Others: - Sale of securities/ investments - Interest income - Commission - Bank charges - Brokerage - Depository Services - Advisory Services	At actuals, as per the terms and conditions of the products, scale of business and services

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

11. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Housing Finance Limited (“LIC HFL”):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactments thereof (applicable laws), the ‘Policy on dealing with

Related Party Transactions' of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2025-26 which shall be valid upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Housing Finance Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- (i) subscription/redemption to non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto; and/or
- (ii) premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2025-26 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and/or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2024-25, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2025-26 and upto the date of next AGM
LIC Housing Finance Limited	Subscription/Redemption to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the NCDs/any other securities
	Premium/Fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions."

12. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Mutual Fund Asset Management Limited ("LIC MF"):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactments thereof (applicable laws), the policy on dealing with Related Party Transactions of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2025-26 which shall be valid upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- i. purchase/redemption of units of direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto;

- ii. premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2025-26 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and/or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2024-25, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, *inter alia* as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2025-26 and upto the date of next AGM
LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Purchase/ Redemption of units of direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto	Approximately up to ₹ 35,000 crore each for Purchase and/or Redemption
	Premium/Fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

13. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Shri R Doraiswamy (DIN: 10358884) as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(b) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Shri R Doraiswamy, Managing Director of the Corporation vide Government of India's notification dated July 14, 2025, as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation, for period of three years from the date of assumption of charge (i.e., July 14, 2025) or up to the date of his attaining the age of 62 years (i.e., August 28, 2028), or until further orders, whichever is earlier in the pay scale of ₹ 2,25,000/- (fixed), be and is hereby approved as recommended by the Board.”

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 22, 2025

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg,

Nariman point, Mumbai – 400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

NOTES:**1. Meeting through VC/OAVM:**

- A. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") vide its General circular nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 09/2024 dated September 19, 2024, and any other applicable circular issued by MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circular"), have permitted listed entities to conduct AGM through Video Conferencing facility ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on or before September 30, 2025, in compliance of various conditions mentioned therein.

In compliance with the aforesaid circulars issued by MCA and SEBI, applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956" or "LIC Act") read with rules and regulations made thereunder, the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"/ "SEBI (LODR) Regulations, 2015"/ "Listing Regulations"), the 4th AGM of the Corporation is being held through VC/ OAVM facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Central Office shall be deemed to be venue for the 4th AGM.

- B. Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 ("LIC Rules"), a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Corporation. Since, this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of the AGM venue are not annexed to this notice.
- C. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode during 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the e-voting website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of the Notes to this Notice. The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by Institute of Company Secretaries of India ("ICSI").
- D. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for at least 1,000 members on first-come-first-serve basis ("FCFS"). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Auditors.
- E. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC / OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation may be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in
- F. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.
- G. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 is being sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories Participants as at the close of business hours on **July 25, 2025 (Friday) (Cut-off date)**. The Notice convening the 4th AGM have been uploaded on the website of the Corporation at www.licindia.in and is available on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Corporation shall send the physical copy of the Annual Report for the financial year 2024-25 only to those Members who specifically request for the same at investors@licindia.com mentioning their Folio numbers/DP ID and Client ID.

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Corporation is also sending a letter to members whose e-mail address is not registered with the Corporation/ Depository Participant providing the exact web-link of Corporation's website from where the Annual Report for financial year 2024-25 can be accessed.

2. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 4 to 13 of this Notice is annexed hereto.
3. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and in terms of Rule 28 of LIC Rules read with Secretarial Standard - 2 issued by the ICSI in respect of the Director(s) seeking appointment at the 4th AGM are annexed hereto as **Annexure - A** to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Director(s) seeking appointment.

4. Record Date for Final Dividend:

- a. Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, members may note that the Board, in its meeting held on May 27, 2025 has recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended March 31, 2025. The Record Date for the purpose of final dividend is **Friday, July 25, 2025**.
- b. Final Dividend for the financial year 2024-25, once approved by the members in the 4th AGM will be paid to the Members by **September 24, 2025 (Wednesday)**, i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/beneficial owners whose names appear in the Register of Members/depository records as at the close of business hours on **Friday, July 25, 2025**.
- c. Members holding shares may please note that the dividend payable to the members will be paid through electronic mode only and to all those Members whose account details are updated with the Depository Participant on or before July 25, 2025. The Corporation cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat form for any change of bank particulars or bank mandates. Members holding shares in demat form are, therefore, requested to intimate any change in their addresses and/or bank mandate immediately to their Depository Participants.
- d. Pursuant to SEBI Master Circular issued to the Registrar and Transfer Agent, as amended, has mandated that, with effect from April 1, 2024, dividend to security holders holding shares in physical form shall be paid in electronic mode only. Such payment shall be made upon folio being KYC compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz; full address with pin code, contact details including mobile number, bank account details, valid PAN linked to Aadhaar, nomination, specimen signature, etc. The relevant FAQs have been published by SEBI on its website and can be viewed or accessed at https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/sep-2024/1727418250017.pdf.
- e. Members holding shares in physical form who have not updated their bank details and KYC are requested to register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate by submitting the (i) scanned copy of the signed letter which shall contain name of the Members, folio number, bank details (viz. Bank account number, Name and address of the Branch of the Bank, IFSC, MICR details) (ii) a self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf to the Corporation's RTA, by email at einward.ris@kfintech.com, on or before July 25, 2025.
- f. The members who have not updated their bank account details, the Corporation will pay the dividend through any other permissible mode at their address registered in Corporation's records.

5. Tax deducted at Source ("TDS") on Final Dividend:

Pursuant to the provisions of Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), as amended, dividend income is taxable in the hands of the members and the Corporation is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at the rates applicable as per the IT Act read with tax treaty as may be applicable. For the applicable rates for various categories, please refer to the Income Tax Act, 1961 and the amendments thereof.

A resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax is required to submit a declaration in Form No. 15G/ 15H, as is applicable.

Non-resident shareholders including Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., Declaration on No Permanent Establishment, Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F and/or any other document which may be required to avail the tax treaty benefits.

A communication for the same was sent to the members on Tuesday, July 08, 2025, whose email address were registered with the Corporation/Registrar/DPs and were requested to submit requisite information on or before **Friday, July 25, 2025**.

6. Members to intimate changes in their details:

Members who are holding shares in physical form and whose details are to be updated or changed are advised to submit particulars of their bank account, viz; name and address of the branch of the bank, MICR code of the branch, type of account and account number to Corporation's RTA, i.e., KFin Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India – 500 032 along with the duly filled in Form ISR-1 and related documents of proof.

Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/correct the bank account details should send the same to their concerned Depository Participant(s) only and not to the Corporation. Members are also requested to give the MICR Code of their bank to their Depository Participants. The Corporation will not entertain any direct request from such Members for change of address, transposition of names, deletion of name of deceased joint holder and change in the bank account details. While making payment of dividend, the Registrar and Share Transfer Agent is obliged to use only the data provided by the Depositories, in case of such dematerialized shares.

Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act, 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.

To prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Corporation or RTA of any change in address or demise of any member. Members are also advised not to leave their demat account(s) dormant for long. Periodic statement of holding may be obtained from the concerned Depository Participant, and holdings should be verified from time to time.

7. Dematerialisation of Shares:

Members may please note that the SEBI Listing Regulations mandate transfer, transmission and transposition of securities of listed companies held in physical form only in demat mode. Further, SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022, read with relevant SEBI circulars issued from time-to-time, has mandated the listed companies to issue securities in demat form only while processing service requests viz; Issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account; Renewal/Exchange of securities certificate; Endorsement; Sub-division/ Splitting of securities certificate; Consolidation of securities certificates/folios; Transmission and Transposition.

Accordingly, members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members may contact to the Corporation or RTA along with requisite supporting documents prescribed in aforesaid circular, for assistance.

8. Disputes Resolution:

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated August 11, 2023, has introduced a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market.

Pursuant to above-mentioned circulars, Members may note that in case of any dispute against the Corporation and/or its RTA, can file dispute resolution through the Online Dispute Resolution Portal for disputes arising out of Indian Securities Market (<https://smartodr.in/login>) and the same can be accessed through the Corporation's website at <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution>. Members can use this mechanism only after they have lodged their grievance with the Corporation and SEBI Complaints Redressal System (SCORES) and are not satisfied with the outcome of the redressal.

9. Unclaimed Dividend and IEPF:

Members who wish to claim dividends, which remain unclaimed, are requested to either correspond with the Corporation at investors@licindia.com or RTA at einward.ris@kfintech.com, for revalidation and encashment before the due dates. The details of such unclaimed dividends are available on the Corporation's website at www.licindia.in.

Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unclaimed/Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

10. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM or who wish to inspect the relevant documents referred in the Notice in terms of the provisions of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, can send their request at investors@licindia.com.
11. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:
 - (i) Members holding shares in physical form, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) at investors@licindia.com.
 - (ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self-attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self-attested copy of Aadhar Card) to einward.ris@kfintech.com. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained below in para 15 at step 1 (A) i.e., Login method for e-voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
 - (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

12. Remote e-voting before/during the AGM:

- (i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz; 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for casting votes by a Member using remote e-voting system as well as remote e-voting during the AGM will be provided by NSDL.
- (ii) Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date i.e., Tuesday, August 19, 2025, may cast their vote by remote e-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice as for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories or RTA as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM as well as e-voting during the AGM. Any non-individual member or member holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., August 19, 2025 (Tuesday), may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in
- (iii) Individual members holding shares in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, i.e., August 19, 2025 (Tuesday), may follow the login process mentioned below in para 15.
- (iv) The remote e-voting period commences on Saturday, August 23, 2025 at 0900 hrs (IST) and ends on Monday, August 25, 2025 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., Tuesday August 19, 2025.
- (v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible

to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting, i.e., August 26, 2025 (Tuesday).

- (vi) The remote e-voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.

13. Shri Atul Mehta (Membership No. FCS 5782) and failing him, Ms. Ashwini Inamdar (Membership No. FCS 9409) of M/s. Mehta & Mehta, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the e-voting (votes cast through remote e-voting before/during the AGM), within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to NSDL, the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed and will also be displayed on the Corporation's website under the 'Investor Relations' section at www.licindia.in. It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.

14. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

- I. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned below under para 15 for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Corporation's name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the **EVEN (134730)** of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password; may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice.
- II. Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
- III. Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 4th AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number, in advance at investors@licindia.com from Wednesday, August 20, 2025 at 0900 hrs (IST) to Friday, August 22, 2025 at 1700 hrs (IST). Such questions by the Members shall be suitably replied to by the Corporation.
- IV. Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at investors@licindia.com between Thursday, August 21, 2025 at 0900 hrs (IST) to Saturday, August 23, 2025 at 1700 hrs (IST). The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
- V. Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Shri Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at sanjeevy@nsdl.co.in /022-4886 7000.

15. Instructions for members for remote e-voting and joining Annual General Meeting are as under:

The remote e-voting period begins on Saturday, August 23, 2025 at 0900 hrs (IST) and ends on Monday, August 25, 2025 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Tuesday, August 19, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date.

The way to vote electronically on NSDL e-voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-voting system

- 1) Login method for e-voting and joining virtual meeting for Individual Members holding securities in demat mode:

In terms of SEBI circular dated December 09, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email address in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Login method for Individual Members holding securities in demat mode is given below:

Type of Members	Login Method
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL.	1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN, Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email address/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL site wherein you can see e-voting page. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-voting services under Value added services. Click on “Access to e-voting” under e-voting services and you will be able to see e-voting page. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 4. Visit the e-voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-voting page. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of Members	Login Method
	4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	- Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. - After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-voting page of the e-voting service provider for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-voting Service Providers, so that the user can visit the e-voting service providers’ website directly. - If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. - Alternatively, the user can directly access e-voting page by providing Demat Account Number and PAN from a e-voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-voting Service Providers.
Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-voting option. Click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-22-09911

2) Login Method for e-voting and joining virtual meeting for members other than Individual members holding securities in demat mode and members holding securities in physical mode.

- Visit the e-voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
- Once the home page of e-voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
- A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

- Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

- Password details for members other than Individual members are given below:
 - If you are already registered for e-voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - If you are using NSDL e-voting system for the first time, you will need to retrieve the ‘initial password’ which was communicated to you. Once you retrieve your ‘initial password’, you need to enter the ‘initial password’ and the system will force you to change your password.

- c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment, i.e., a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**.
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "**Forgot User Details/Password?**" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-voting system.

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "**EVEN**" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "**EVEN**" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
3. Now you are ready for e-voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolutions, you will not be allowed to modify your vote.

16. The instructions for e-voting during the Annual General Meeting (AGM) are as under:

- (i) The procedure for e-voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for remote e-voting mentioned at para 14(v) at page no. 44.

17. General Guidelines for shareholders:

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders/Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Shri Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL at the designated e-mail id: sanjeevy@nsdl.co.in and/or evoting@nsdl.co.in

STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956

Item No. 4

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”), the Board of Directors in its meeting held on May 27, 2025, has also recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share for FY 2024-25, subject to the approval by the members of the Corporation in Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 7589.99 crore. This translates into a dividend pay-out ratio of 15.76%.

Accordingly, the members are requested to adopt the proposal contained under item no. 4 set out in the notice.

Item No. 5

This Explanatory Statement is in terms of Regulation 36(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations” or “Listing Regulations”), though statutorily not required in terms of Section 23A of Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”) read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (“LIC Rules”).

M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountant, Mumbai (Firm Registration No.: 101872W/W100045) were appointed as the Joint Auditors of the Corporation by the Board of Directors of the Corporation for five years which were subsequently approved by the members of the Corporation in the first annual general meeting of the Corporation held on September 27, 2022, to hold office till the conclusion of the 4th annual general meeting of the Corporation to be held in the calendar year 2025, in terms of Section 25(9) of the LIC Act, 1956. The term of M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountant, expires upon conclusion of the 4th AGM.

Pursuant to the provisions of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of LIC Rules, the Board approved policy on selection of Auditors’ of the Corporation, as amended from time to time, SEBI Listing Regulations, and other applicable provisions, if any, the appointment of Auditors’ of the Corporation needs to be approved by the members in the AGM.

In view of the foregoing provisions and upon completion of term of M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountant, as Joint Auditors of the Corporation at this AGM, the Board of Directors of the Corporation after evaluating and considering various factors such as industry experience, listed companies experience, competency of the audit team, efficiency in conduct of audit, independence, Comptroller and Auditor General of India (“C&AG”) ranking, etc., and on the basis of the recommendation of the Audit Committee, propose the appointment of M/s. Mukund M. Chitale & Co., Chartered Accountant, as the Auditors of the Corporation, for the term of five consecutive years from the conclusion of 4th AGM till the conclusion of 9th AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2030, at a remuneration approved by the Board of Directors of the Corporation on the basis of the recommendation of the Audit Committee.

M/s Mukund M Chitale & Co. is a Mumbai based audit firm having 51 years of experience. There are total 11 partners out of which 7 partners focus exclusively on audits. The firm is having a team of around 200 people, serving client across India.

The firm is an integrated professional service firm providing a wide range of services to their client like Auditing, Taxation & Consultancy.

M/s. Mukund M. Chitale & Co. have consented to their appointment as the Corporation Auditors and have confirmed that the appointment, if made, would be within the limits specified under Section 141 of the Companies Act, 2013 and that they are not disqualified to be appointed as the Auditors of the Corporation in terms of the applicable laws.

Accordingly, it is proposed to authorize the Board of Directors to approve other terms and conditions and remuneration for appointment of aforesaid Auditor on the recommendation of the Audit Committee. The name of the firm proposed to be appointed as Corporation Auditors is given in the resolution contained under item no. 5 of the AGM notice.

Further, in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956, the Zonal and Divisional Auditors are also being appointed to carry out the audit/ limited review of Corporation's Zonal and Divisional Offices periodically. The said appointment shall be made by the Board of Directors of the Corporation on the basis of recommendation of Audit Committee, as per the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any.

Besides the audit services, the Corporation would also obtain certifications from the Auditors (i.e., Corporation Auditors, Zonal Auditors and Divisional Auditors) under various statutory regulations and certifications required by banks, statutory authorities, audit related services and other permissible non-audit services as required from time to time, for which they will be remunerated separately on mutually agreed terms, as approved by the Board in consultation with the Audit Committee.

In view of the practical difficulty, it is also proposed to authorize the Board of Directors for appointment of Auditors for Zonal Offices and Divisional Offices of the Corporation in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with rules made thereunder and as per the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any, to approve their terms and on the other terms and conditions and remuneration for appointment on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolutions, as set out under item no. 5 of the AGM Notice.

Item No. 6

The Government of India vide their notification dated April 17, 2025, has appointed Dr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Corporation until further orders, in place of Dr. Maruthi Prasad Tangirala.

Dr. Parshant Kumar Goyal, is 2007 batch IAS officer of Tripura Cadre, presently on Central Deputation and working as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India dealing with Financial Inclusion (FI) and Digital Payments. During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC), Regional Rural Banks (RRBs) and Digital Payments. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

Second proviso of Regulation 17 (1C) of SEBI Listing Regulations provides that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the board of directors is taken at the next general meeting. Accordingly, in terms of Regulation 17 of SEBI Listing Regulations, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 6 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Dr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Corporation.

Except Dr. Parshant Kumar Goyal and his relatives, and the Government of India, who is a major shareholder in the Corporation, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 6.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 6 to the AGM Notice.

Item No. 7

The Government of India vide their notification dated May 14, 2025, has appointed Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office on or after June 01, 2025 and upto the date of his superannuation (i.e., May 31, 2027) or until further orders, whichever is earliest. Shri Pant took charge as Managing Director of the Corporation on June 01, 2025.

Shri Dinesh Pant has been the Appointed Actuary and Executive Director (Actuarial) of the Corporation prior to assuming the role of Managing Director, effective June 01, 2025. He is a Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK. Additionally, he holds degrees in Engineering and Law, along with a Master's in Business Administration. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 7 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation.

Except Shri Dinesh Pant and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 7.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 7 to the AGM Notice.

Item No. 8

The Government of India vide their notification dated May 14, 2025, has appointed Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office on or after June 01, 2025 and upto the date of his superannuation (i.e., March 31, 2028) or until further orders, whichever is earliest. Shri Patnaik took charge as Managing Director of the Corporation on June 01, 2025.

Shri Ratnakar Patnaik started his career in Life Insurance Corporation of India in the year 1990 as Assistant Administrative Officer. During his long stint of 22 years in conventional marketing, he served the Corporation in various leadership positions such as Senior Divisional Manager (in-Charge) of Indore and Jamshedpur Divisions, Regional Manager (Chief Life Insurance Advisor), Eastern Zone. He has also served as Chief (Investment - Front Office), Executive Director (Investment - Front Office), Central Office and Chief Investment Officer (KMP). The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 8 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation.

Except Shri Ratnakar Patnaik and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 8.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 8 to the AGM Notice.

Item No. 9

Pursuant to Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations, every listed entity is required to undertake secretarial audit by a secretarial auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary and shall annex with its Annual Report, a secretarial audit report.

Further, Regulation 24A of the Listing Regulations *inter-alia*, provides that with effect from April 01 2025, the listed entities are required to appoint a Practising Company Secretary for not more than one term of five consecutive years or a firm of Practising Company Secretaries as Secretarial Auditors for not more than two terms of five consecutive years, with the approval of the members at its Annual General Meeting ("AGM") and such Secretarial Auditors(s) must be a Peer Reviewed Company Secretary and should not have incurred any of the disqualifications as specified under the Listing Regulations.

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co ("SNACO") is a reputed firm of Practising Company Secretaries, established in 1991 by Shri S. N. Ananthasubramanian - a Fellow Member and Past President of the Institute of Company Secretaries of India (ICSI). With over four decades of professional experience, Shri Ananthasubramanian has been instrumental in shaping the firm's legacy of excellence and regulatory expertise. SNACO is led by a team of five partners and supported by a cadre of experienced and qualified company secretaries. The firm offers a comprehensive range of services, including Secretarial Audits for both listed and unlisted companies, Corporate Governance Consulting, Regulatory and Compliance Advisory and Certifications under various corporate laws. The firms renowned for its diligence, deep regulatory insight, and unwavering professional integrity, SNACO has established itself as a trusted name in the field of Secretarial Audit and corporate law compliance.

Considering the Corporation's requirements and after a comprehensive evaluation of the proposals received through tendering process, including an assessment of technical capabilities, professional independence, industry-specific experience, domain expertise, strength of the audit partners & team and marks obtained. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee, has recommended the appointment of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries (Firm Registration No. P1991MH040400) as the Secretarial Auditors of the Corporation. The appointment is for a term of five consecutive years, commencing from the conclusion of the current Annual General Meeting (AGM) and continuing until the conclusion of the 9th AGM, proposed to be held in the calendar year 2030, covering the period from the financial years ending on March 31, 2026 and upto financial year ending March 31, 2030, subject to the approval of members of the Corporation.

The fee proposed to be paid to SNACO for the secretarial audit for each financial year, is ₹ 6,50,000/- (Rupees Six Lakh Fifty thousand only) plus applicable taxes and inclusive of out of pocket expenses. The proposed fee is exclusive of costs for other permitted services which could be availed by the Corporation from SNACO.

SNACO has given its consent to act as the Secretarial Auditors, confirmed that they hold a valid peer review certificate issued by ICSI and that they are not disqualified from being appointed as Secretarial Auditors.

Accordingly, it is proposed to approve the appointment of SNACO as Secretarial Auditor of the Corporation and authorize the Board of Directors to approve terms and conditions for appointment of Secretarial Auditors on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolution, as set out under item no. 9 of the AGM Notice.

Item No. 10

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025-26. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 10, during FY2025-26, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

During FY 2025-26, upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, these transactions, in the aggregate, are expected to cross the applicable materiality thresholds as mentioned above. Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/ modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise, in FY 2025-26 and upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months. The details of the material related party transaction for FY 2025-26, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI's Circulars issued in this regard, from time to time, is provided as under:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

IDBI Bank Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

Payment of fees/ remuneration/ commission for distribution of life insurance products, to act as the corporate agent of the Corporation and other related business

IDBI Bank is a corporate agent registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") in accordance with the applicable laws. The Corporation has entered into Corporate Agency agreement with IDBI Bank for distribution of life insurance products through extensive network of branches of IDBI Bank. The Corporation pays fees/ commission for distribution of life insurance products as per the regulations laid down by IRDAI. The level of fees paid is dependent on various factors, i.e., business volume, product mix, regulatory guidelines etc. The agreement with IDBI Bank is subject to renewal as

per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The strategic benefits of this bancassurance partnership is multi-dimensional and will continue to unfold over a long period of time.

Funded and Non-funded facilities

The Corporation is availing fund based and non-fund-based facilities from various banks (related/unrelated parties) as a part of ordinary course of business. Whenever the Corporation chooses to avail such facility, it would do so only if the rates, terms and conditions are comparable to the terms and conditions of any other banking institution. Type of facility and the term and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of the Corporation. The interest and fee expense paid to the Bank are consequential transactions flowing out of principal transactions in the form of loan, guarantees, cash credit etc. Therefore, the quantum of the transaction depends on the value of the principal transaction. IDBI Bank is having extensive network of branches in India offering wide range of banking facilities.

Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued

At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business.

The Corporation is in the business of selling Life Insurance and offers a wide variety of products which fulfill the needs of different segments of society. Accordingly, the Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions at competitive rates. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies to various unrelated corporate entities and financial institutions.

Subscription/Redemption of non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto

Transactions involving subscription/redemption of securities from related parties are carried out by the Corporation as a part of its investment. The decision to invest depends on various factors i.e. market condition, valuation, issue size, regulatory limits etc. and subject to regulatory approvals wherever applicable. Thus, value of transactions cannot be ascertained. The securities offered by related parties in the primary market are subscribed by the Corporation at the prevailing market rate and at same terms at which these securities are offered to all prospective investors whereas secondary market purchase of securities is undertaken at prevailing market rates/fair values at an arm's length basis. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities. The Corporation in its ordinary course of business, enters into the above-mentioned transactions for risk management, manage liquidity, to manage maintenance of required regulatory ratio and to earn profits from trading activities by taking advantage of price/yield movements.

Other transactions

There could be other contracts/ transactions/ arrangements with IDBI Bank *inter-alia* in the nature of fees, commissions, brokerage, premium, rent, reimbursement, any other income/ expense and other activities including activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services and investment banking etc., in the ordinary course of Corporation's business.

Interest income on the investment will be in line with the coupon rate for the instruments held/subscribed by the Corporation in accordance with the terms and conditions of the instruments.

The Corporation, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans/advances or investment by the Corporation. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with IDBI Bank Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding

the fact that all such transactions entered into during the financial year 2025-26 and upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 10 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolution, as set out under item no. 10 of the AGM Notice.

Item No. 11

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025-26. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 11, during FY2025-26, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

During FY 2025-26, upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, these transactions, in the aggregate, are expected to cross the applicable materiality thresholds as mentioned above. Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/ modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise, in FY 2025-26 and upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months. The details of the material related party transaction for FY 2025-26, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI's Circulars issued in this regard, from time to time is provided herewith:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

LIC Housing Finance Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Subscription/Redemption of non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
1	Value of the transaction	The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities, if any proposed to be issued by the LIC HFL	As per the terms and conditions of the products

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Subscription/Redemption of non-convertible debentures/any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
2	Material Terms	The terms of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the LIC HFL and in accordance with applicable laws	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/ otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	As per the terms of the securities issued by the LIC HFL	As per policy terms and conditions of the product opted for
5	% of value of transaction/ the Company's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024-25)	Not applicable	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Not applicable	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security	Not applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Not applicable	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	The Corporation may subscribe debt securities like NCDs/any other securities, if any issued by LIC HFL in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter. The Corporation is also eligible to redeem NCDs or any other securities, if any subscribed earlier or to be subscribed during the year or to receive interest on such securities uniformly applicable to all investors, in the interest of the Corporation.	The Corporation is in the business of selling Life Insurance and offers a wide variety of product, which fulfill the needs of different segments of society. Accordingly, the Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions at competitive rates. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies to various unrelated corporate entities and financial institutions.
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Housing Finance Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2025-26 and upto the date of the 5th Annual General Meeting (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 11 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the ordinary resolution, as set out under item no. 11 of the AGM Notice.

Item No. 12

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Corporation has obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC MF at the 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Corporation held on August 22, 2024, which will be valid till the 4th AGM. Thus, the Corporation requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025-26. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No.12, during FY2025-26, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

During FY 2025-26, upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, these transactions, in the aggregate, are expected to cross the applicable materiality thresholds as mentioned above. Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/ modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise, in FY 2025-26 and upto the date of the 5th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months. The details of the material related party transaction for FY 2025-26, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI's Circulars issued in this regard, from time to time is provided herewith:

(I) **Name of the Related Party and Nature of Relationship:**

LIC Mutual Fund Asset Management Limited (Associate Company)

(II) **Other Information:**

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Purchase/ Redemption of units of Direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued
1	Value of the transaction	Approximately up to ₹ 35,000 crore each for Purchase and/ or Redemption	As per the terms and conditions of the Products and the scale of business
2	Material Terms	90 days Redemption	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	90 days	As per policy terms and conditions of the product opted for.
5	% of value of transaction/the Company's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024-25)	7.13% each for Purchase and/or Redemption	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Investible Surplus	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not Applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security	Not Applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Temporary parking of funds as per IRDAI norms	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	Temporary parking of funds as per IRDAI norms	The Corporation is in the business of selling Life Insurance and offers a wide variety of products which fulfils the needs of different segments of society Accordingly, the Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions at competitive rates. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies/schemes to various unrelated corporate entities and financial institutions.

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Purchase/ Redemption of units of Direct liquid fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes issued
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/empowered/to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2025-26 and upto the date of the 5th Annual General Meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

In terms of Regulation 23 of the SEBI Listing Regulations, the Audit Committee has granted its omnibus approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Corporation with LIC MF during FY 2025-26, including as stated in the resolution and explanatory statement. The Audit Committee has further noted that the said transactions with the LIC MF are on arm's length basis and in the ordinary course of the Corporation's business. The management has provided the Audit Committee with a description of the transactions including material terms and basis of pricing.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 12 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 12 of the AGM Notice.

Item No. 13

The Government of India vide their notification dated July 14, 2025, has appointed Shri R Doraiswamy, Managing Director as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation for a period of three years from the date of assumption of charge or upto the date of his attaining the age of 62 years (i.e., August 28, 2028) or until further orders, whichever is earliest.

Shri R Doraiswamy took charge as Chief Executive Officer & Managing Director (CEO & MD) of the Corporation on July 14, 2025. Prior to taking charge as CEO & MD, he was the Managing Director of the Corporation. He is a Direct Recruit officer of 17th Batch with more than 39 years of rich and diverse experience in operations, Marketing, Technology and Academics. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 13 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Shri R Doraiswamy as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation.

Except Shri R Doraiswamy and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 13.

Accordingly, the Board recommends the passing of the ordinary resolution as set out under item no. 13 to the AGM Notice.

By order of the Board of Directors
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 22, 2025

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg,

Nariman point, Mumbai – 400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

Annexure A

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Director seeking appointment:

Name of Director	Dr. Parshant Kumar Goyal		
Age	45 years		
Nationality	Indian		
Qualification	MBBS		
DIN	08652921		
Brief Resume	Dr. Parshant Kumar Goyal, is 2007 batch IAS officer of Tripura Cadre, presently on Central Deputation and working as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India dealing with Financial Inclusion (FI) and Digital Payments. During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC), Regional Rural Banks (RRBs) and Digital Payments. Dr. Parshant Kumar Goyal is the Government Nominee Director on the Board of Canara Bank, New India Assurance Co. Ltd. and National Insurance Academy (NIA). Dr. Goyal is also a Part Time Member of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Member of the Council of Insurance Ombudsmen and Member of the Council of Institute of Actuaries of India. Dr. Goyal has done MBBS from Punjab University. He also has a rich experience of working in Education and Industry & Commerce Departments in State of Punjab and Tripura		
Expertise in specific functional areas	Administration, Financial Services, Insurance and Corporate Governance		
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated April 17, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212		
Details of remuneration	Not Applicable		
Date on which first appointed on the Board	April 17, 2025		
Details of shareholding in the Corporation	Nil		
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None		
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Dr. Goyal, Government Nominee Director has attended five(5) Board Meetings held during the period from the date of his appointment and upto the date of this notice.		
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Name of Company	Board Membership	Committee/Membership (Audit Committee/Stakeholders Relationship Committee)
	Canara Bank	Government Nominee Director	Audit Committee-Members
	The New India Assurance Company Limited	Government Nominee Director	Audit Committee - Members Stakeholders Relationship Committee - Chairperson
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Bank of Maharashtra		

Name of Director	Shri Dinesh Pant
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B. Tech, LL. B, Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK and MBA
DIN	11134993
Brief Resume	Shri Dinesh Pant has been the Appointed Actuary and Executive Director (Actuarial) of the Life Insurance Corporation of India (LIC) prior to assuming the role of Managing Director, effective 1st June 2025. He is a Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK. Additionally, he holds degrees in Engineering and Law, along with a Master's in Business Administration. Before his appointment as Appointed Actuary in 2017, Shri Pant gained nearly five years of experience as the Product Actuary and Actuary for International Operations at LIC. During this period, he led the overall product and actuarial strategy, aligning them with the Corporation's business framework. Notably, he is among the few LIC officers who transitioned into the specialized field of actuarial functions after a successful tenure leading marketing operation at prominent branches in India and a reputed overseas life insurance operation. Earlier, after training by IIM-A in 2002, he joined LIC's Investment Research team, gaining extensive exposure across various Investment Operations, including debt, equity, restructuring, venture funds, and project finance, before finally leading the important Treasury Desk of the Corporation. As Appointed Actuary, Shri Pant was part of the LIC's Key Management team and played a pivotal role in the successful planning and launch of LIC's mega IPO in 2022. He has been instrumental in steering LIC towards profitable and sustainable growth post-IPO, creating value for all stakeholders. Earlier in his career, he had the distinction of heading the Life operations at Kenindia Assurance Company Ltd., Kenya, as the General Manager (Life), overseeing the marketing and overall operations of the life insurance business of this composite insurance company, for over five years. Since joining LIC in 1989 as a direct recruit officer, he had an extensive exposure in most of the operational areas followed by a short stint as one of the youngest Assistant Branch Manager (Sales) from his batch before being promoted to lead some of the most distinguished branches of LIC of India in Rajasthan and Delhi. He subsequently took over the role of Manager (New Business & Actuarial) and Legal before joining the Investment Research Cell at the Corporate Office. Shri Pant has been a permanent special invitee to the Board of LIC since 2017 and has served on several sub-committees, such as the Investment Committee, Risk Management Committee, and With-Profit Committee. He advises top management and the Board on key functional areas, including products, valuation, and risk management practices and strategies.

Name of Director	Shri Dinesh Pant
	A passionate advocate for education, Shri Pant has contributed to academia as a visiting faculty member at various institutes, including the National Insurance Academy. He has also developed course materials for insurance professional bodies. Furthermore, he has served on various committees of professional bodies and regulators, including the Health Committees of FICCI and the Pension Advisory Committee of PFRDA. He has chaired and been a member of numerous committees and sub-committees formed by IRDAI, focusing on areas such as product regulations, index-linked products, investments, and risk-based capital. With over 35 years of rich experience in key and specialized areas of insurance and finance, Shri Dinesh Pant continues to be a significant contributor to the industry.
Expertise in specific functional areas	Actuarial, Administration, Finance, Marketing, Investment operation, Life Insurance and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated May 14, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
Details of remuneration	As per Government of India notification dated May 14, 2025 read with Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988
Date on which first appointed on the Board	June 01, 2025
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Shri Pant, Managing Director has attended two(2) Board Meetings held during the period from the date of his appointment and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Nil
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

Name of Director	Shri Ratnakar Patnaik
Age	57 years
Nationality	Indian
Qualification	Graduate in Physics (Honors), Post Graduate in Public Administration, Fellow Member, Insurance Institute of India and Diploma holder in health insurance
DIN	10283908
Brief Resume	Shri Ratnakar Patnaik started his career in Life Insurance Corporation of India in the year 1990 as Assistant Administrative Officer. During his long stint of 22 years in conventional marketing, he served the Corporation in various leadership positions such as Senior Divisional Manager (in-Charge) of Indore and Jamshedpur Divisions, Regional Manager (Chief Life Insurance Advisor), Eastern Zone. He has also served as Chief (Investment - Front Office), Executive Director (Investment - Front Office), Central Office and Chief Investment Officer (KMP). A graduate in Physics (Honours) and a post graduate in Public Administration, he is also a Fellow of Insurance Institute of India and a Diploma holder of Health Insurance.
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance, Marketing, Life Insurance, Investment Operation and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated May 14, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
Details of remuneration	As per Government of India notification dated May 14, 2025 read with Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988
Date on which first appointed on the Board	June 01, 2025
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Shri Patnaik, Managing Director has attended two(2) Board Meetings held during the period from the date of his appointment and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Nil
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

Name of Director	Shri R Doraiswamy
Age	59 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Sc (Mathematics), Fellow Member, Insurance Institute of India and a student member of the Institute of Actuaries of India
DIN	10358884
Brief Resume	Shri R Doraiswamy took over charge as CEO & MD of Life Insurance Corporation of India on July 14, 2025. Prior to taking charge as CEO & MD, he was the Managing Director of the Corporation. He is a Direct Recruit officer of 17th Batch with more than 39 years of rich and diverse experience in operations, Marketing, Technology and Academics. As Managing Director, Shri R. Doraiswamy headed Marketing through Bancassurance, Group Business, Customer relations, Finance, Compliance functions, et al. He has held various leadership positions within the Organization as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai-I, Thanjavur and Pune divisions. He had spearheaded the modernization of IT infrastructure and Business Applications of LIC's Individual Business as Chief & Executive Director. He achieved tremendous growth and productivity improvement in the areas of Group Insurance Marketing in Southern Zone, during his stint as Regional Manager. As Research Associate at National Insurance Academy, Pune he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management & Chartered Financial Planning. Shri Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance, Marketing, Life Insurance and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated July 14, 2025. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
Details of remuneration	As per Government of India notification dated July 14, 2025 read with Life Insurance Corporation of India, Chief Executive (Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1998. Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 253 for remuneration paid during last Financial Year 2024-25 in capacity of Managing Director.
Date on which first appointed on the Board	September 01, 2023
Details of shareholding in the Corporation	35 Equity Shares
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the Financial Year 2024-25 and till the date of notice	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 226 for the Financial Year 2024-25. The Corporation has conducted five(5) Board Meetings during the Financial Year 2025-26, till the date of this notice in which Shri Doraiswamy has attended all the Board Meetings in the capacity of Managing Director.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 227 to 229
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

Information at a glance

S.No.	Particular	Details
1	Date and Time of AGM	Tuesday, August 26, 2025 at 1130 hrs (IST)
2	Mode of conduct	Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")
3	Link to participate in the AGM through VC/OAVM	https://www.evoting.nsdl.com/ (For details please refer Para 15 under Notes of this notice)
4	Contact details of NSDL for assistance before or during the AGM	Email: evoting@nsdl.co.in Contact No.: 022-48867000 Member may connect with: Shri Sanjeev Yadav (Assistant Manager-NSDL) at sanjeevy@nsdl.com
5	Record date for Final Dividend	Friday, July 25, 2025
6	Cut-off date to determine entitlement for e-voting	Tuesday, August 19, 2025
7	E-voting start date	Saturday, August 23, 2025 @ 0900 hrs (IST)
8	E-voting end date	Monday, August 25, 2025 @ 1700 hrs (IST)
9	E-voting event number (EVEN)	134730
10	Registration as speaker shareholder	Commence from Thursday, August 21, 2025 at 0900 hrs (IST) to Saturday, August 23, 2025 at 1700 hrs (IST) Send email to investors@licindia.com (Please send the request from your registered e-mail ID and mention name, DP ID and Client ID/Folio No., PAN, Mobile No. in the e-mail sent for registration)
11	Name, address and contact details of Registrar and Share Transfer Agent	Name : KFIN Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) Address : Selenium Building, Tower-B, Plot no 31& 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India-500032 Email Id for register queries : einward.ris@kfintech.com Tollfree No. : 1800 309 4001 Whatsapp Number : +91-91000-94099 Website : https://ris.kfintech.com/ Investor support Centre : https://kprism.kfintech.com/
12	Live webcast of AGM	https://www.evoting.nsdl.com/
13	QR Code for accessing the notice of AGM & Annual Report	

सशक्तिकरण
ऊर्जा संचार
निरंतर विस्तार

EMPOWER
ENERGIZE
EXPAND



68th

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25
Annual Report 2024-25

भारतीय जीवन बीमा निगम
Life Insurance Corporation of India

Board of Directors



Shri R Doraiswamy
Chief Executive Officer and
Managing Director



Dr. Parshant Kumar Goyal
Government Nominee
Director



Shri Sat Pal Bhanoo
Managing Director



Shri Dinesh Pant
Managing Director



Shri Ratnakar Patnaik
Managing Director



Dr. Ranjan Sharma
Independent Director



Shri Vinod Kumar Verma
Independent Director



Prof. Anil Kumar
Independent Director



Smt. Anjuly Chib Duggal
Independent Director



Shri Mahalingam G
Independent Director



Shri Raj Kamal
Independent Director



Dr. V.S. Parthasarathy
Independent Director



Shri Muthu Raju Paravasa
Raju Vijay Kumar
Independent Director

Key Managerial Personnel



Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair
Executive Director (Corp.Gov/ GJF/ Reg.Comp)
& Chief Compliance Officer



Shri Sunil Agrawal
Chief Financial Officer



Shri Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary
& Executive Director (Actuarial)



Shri Ramakrishnan Chander
Chief Investment Officer & Executive Director
(Investment Front Office)



Shri Shatmanyu Shrivastava
Executive Director (ERM)
& Chief Risk Officer



Shri Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance Officer

CEO & MD and all Managing Directors of LIC are also Key Managerial Personnel.

हमारा कल्पना दर्शन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिस्पर्धी, विशाल वित्तीय समूह, जो विभिन्न समाजों के लिए महत्वपूर्ण हो एवं भारत का गौरव हो।

हमारा लक्ष्य

आकांक्षा के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से समुचित लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सभी के जीवन स्तर को निरापद रखना एवं उन्नत करना तथा आर्थिक विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित करना।

हमारे मूल्य

अभिरक्षण व शिष्टाचार
अभिक्रम व नवीनता
सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता
गुणवत्ता व लाभ
सहभागिता व संबंध
विश्वसनीयता व भरोसा

हमारी संस्कृति

दक्षता
अनुकूलता
सहयोग
प्रतिबद्धता
अनुशासन
अधिकृत करना
संवेदनशीलता
उत्कृष्टता



OUR VISION

To transform ourselves into a transnationally competitive financial conglomerate of significance to societies and the Pride of India.

OUR MISSION

To ensure and enhance the quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development.

OUR VALUES

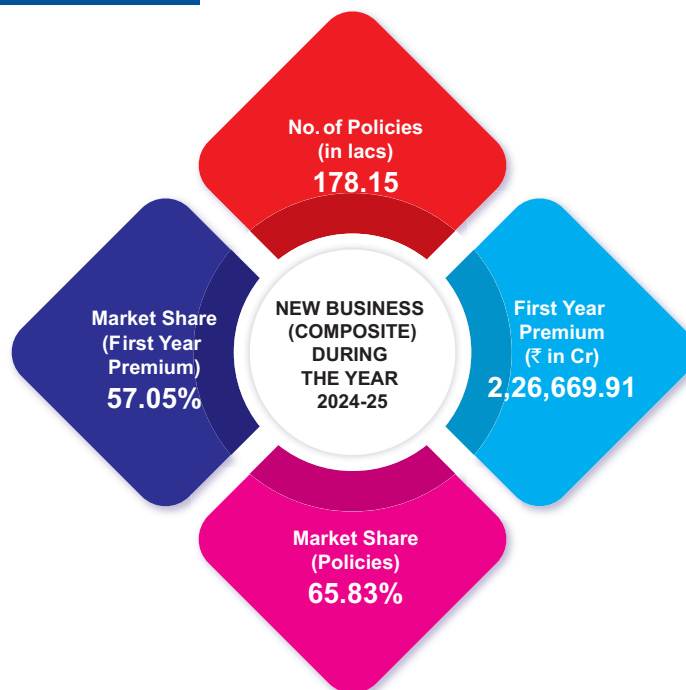
Caring and courtesy
Initiatives and Innovation
Integrity and Transparency
Quality and Returns
Participation and Relationship
Trustworthiness and Reliability

OUR CULTURE

Agility
Adaptability
Collaboration
Commitment
Discipline
Empowerment
Sensitivity
Excellence



PROFILE 2024-25



• Market Share as per IRDAI Statement

PENSION AND GROUP BUSINESS (Conventional Business)

Achievement from
01.04.2024 to 31.03.2025

Volume **32,268**
No. of Schemes

Market Share **77.77%**
No. of Schemes

Volume **461.64 Lakh**
No. of Lives

Volume **₹1,64,265.27 Cr**
New Business Premium Income

Market Share **71.19%**
New Business Premium Income

Total Premium Income
(₹ in Crore)
1,69,449.03

Total Policy Benefits Paid
(₹ In Crore)
1,50,583.17

BUSINESS IN FORCE

Schemes

1,76,580

Lives

9,20,73,612

S.A
(₹ in Cr)

33,34,861.92

Fund Size
(₹ in Cr)

11,84,904.31

Lives covered under Pradhan Mantri
Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) - 3,27,16,683

PROFILE 2024-25

PERFORMANCE PARAMETERS

(₹ in Cr) F.Y.2024-25

Total Income

8,81,434.07*

Total Net
Premium Income

4,88,148.17

Payment to
Policy holders

4,16,354.69

Total Life Fund

47,84,941.86

Total Assets

56,22,929.99

*Excluding Transfer of fund from shareholders A/C

CLAIM SETTLEMENT PERFORMANCE 2024-25 (INDIVIDUAL, MICRO & P&GS)

Total Number of
Claims settled

229.31 Lacs

Total amount of
Claims paid

₹ 2,69,243.59 Cr

Percentage of
Maturity
Claims Paid*

90.97

Percentage of
Death
Claims Paid*

99.48

*Based on Number of claims

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

विषय सूची | Table of Contents

निगमित अवलोकन

6	एलआईसी - यात्रा
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक की कलम से
14	निदेशक मंडल

Corporate Overview

169	LIC - The Journey
174	From the desk of Chief Executive Officer & Managing Director
178	Board of Directors

वित्तीय विवरण Financial Statements

326	परिणामों का सारांश / Summarised Results
335	स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) / Standalone
611	समेकित / Consolidated

वैधानिक रिपोर्ट

19	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण
40	बोर्ड रिपोर्ट
62	निगमित शासन रिपोर्ट
117	व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

Statutory Reports

183	Management Discussion and Analysis
203	Board's Report
223	Corporate Governance Report
274	Business Responsibility & Sustainability Report

Additional Information

792	Embedded Value Report
794	Glossary of Terms

अस्वीकरण: वार्षिक रिपोर्ट के किसी भी खंड/भाग प्रावधानों में अस्पष्टता/विसंगती होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में उल्लेखित खंड/भाग/प्रावधानों को सही माना जाएगा।

एलआईसी – यात्रा

1956

- 1 सितम्बर को 245 कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से एलआईसी की स्थापना।
- फिजी और मॉरीशस में विदेशी शाखाएं प्रारम्भ।

1957

- समूह बीमा योजना के अंतर्गत पहली मास्टर पॉलिसी एलआईसी के मुंबई कार्यालय द्वारा जारी की गई थी।
- पहली पेंशन पॉलिसी योजना जारी की गई थी।
- 'योगक्षेम' कॉर्पोरेट पत्रिका मई में एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में शुरू हुई।
- वेतन बचत योजना माध्यम शुरू किया गया जिससे लाखों कर्मचारी एलआईसी पॉलिसी लेने में सक्षम।

1958

- एलआईसी की पहली निवेश नीति 25 अगस्त को संसद के पटल पर रखी गई।
- प्रथम बीमा ग्राम - अमरावती ज़िले में तलनी पूर्णा ग्राम को घोषित किया गया।

1960

- नागपुर में 16 मई को अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई।
- यू.के. में विदेशी शाखा आरम्भ की गई।

1961

- अधिकारी वर्ग की प्रत्यक्ष भर्ती का पहला बैच निगम में शामिल।

1963

- एलआईसी ने कैलेण्डर वर्ष से वित्तीय वर्ष में कार्य करने के परिवर्तन को अपनाया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय 'योगक्षेम' एक स्थापत्य स्थल चित्र का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को किया।
- मुंबई और कोलकाता कार्यालयों में पहले कंप्यूटर स्थापित किए गए।

1967

- मुंबई में आईबीएम 1401/1410 कंप्यूटर स्थापित किए गए।
- इंडोपी विभाग ने काम करना शुरू कर दिया।

1969

- अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज को नागपुर से बोरीवली, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।

1970

- भारतीय जीवन बीमा को दर्शाने वाले स्मारक टिकट और पोस्ट कार्ड भारतीय डाक और टेलीग्राफ के माध्यम से जारी किये गए। 1870-1970 (भारत में जीवन बीमा की एक सदी)

1971

- अभिकर्ता क्लब की अवधारणा 1971 में आरम्भ की गई।

1972

- पहली कैरियर एजेंटों की शाखाएं 1972 में स्थापित की गईं।
- भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता विनियम तैयार किए गए।
- पुनर्गठन नीति 1971 से 1978 की अवधि में लागू की गई थी।
- प्रो. ईश्वरदयाल, एक प्रबंधन सलाहकार, को संचालन के पुनर्गठन के लिए लगाया गया जहां शाखाएं प्राथमिक सेवा केंद्र बन गईं, जो वहां उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों के 80% को निपटाने में सक्षम थी।
- कैरियर एजेंसी योजना अस्तित्व में आई।
- एजेंट क्लबों के चार स्तर - अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक और शाखा प्रबंधक के क्लब एजेंसी बल को पेशेवर बनाने के लिए गठित किए गए।

1978

- संयुक्त उद्यम कैन इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आरम्भ।
- विकास अधिकारियों हेतु प्रोत्साहन बोनस योजना अस्तित्व में आई।

1979

- ग्रामीण कैरियर एजेंसी योजना और शहरी कैरियर एजेंसी योजना अलग से अस्तित्व में आई।

1980

- विकास अधिकारियों की सीधी भर्ती प्रारम्भ।
- साधारण बीमा कम्पनी और उसकी सहायक कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) की स्थापना की गई।

1981

- जन रक्षा पॉलिसी ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई।
- माइक्रोप्रोसेसरों की स्थापना पहली बार अक्टूबर में शुरू की गई थी।
- खेल कोटे के तहत भर्ती शुरू।

1982

- ईसीआयएल-2958 मेनफ्रेम कम्प्युटर मुंबई में स्थापित।

1987

- भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा (LALGI) अगस्त में शुरू किया गया।

1988

- मानव संसाधन विकास (एचआरडी) नीति प्रस्तुत की गई।
- ₹ 100 करोड़ की राशि के साथ एक सामाजिक सुरक्षा कोष भारत सरकार द्वारा भारत के समाज के कमजोर वर्गों को कवर करने हेतु स्थापित किया गया।

1989

- भारतीय जीवन बीमा निगम एक वित्तीय समूह में बदल गया।
- एल.आई.सी.हाउसिंग फाइनेंस अस्तित्व में आया।
- एल.आई.सी.म्यूचुअल फंड 20 अप्रैल को ट्रस्ट के रूप में गठित।
- संयुक्त उद्यम एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी(सी) बहरीन का उद्घाटन।

1993

- केंद्रीय कार्यालय में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित। 17 जुलाई को 17 शाखा कार्यालयों में प्रेंट एंड एप्लीकेशन पैकेज प्रस्तुत किया गया।

1994

- निगम ध्वज और निगम गीत प्रस्तुत किए गए।

1995

- ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना (आरजीएलआईएस) 15 अगस्त को प्रारम्भ की गई।

1996

- जीवन सुरक्षा पेंशन योजना एलआईसी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री एच डी देवेगौड़ा द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई।

1997

- एलआईसी ने 7 नवंबर को नागरिक चार्टर अपनाया।
- एलआईसी के पहले मेट्रो एरिया नेटवर्क (MAN) का उद्घाटन 22 नवंबर को माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा मुंबई में किया गया।

1998

- पहले आईवीआरएस का उद्घाटन 21 अगस्त को मुंबई में किया गया।
- देश भर में 150 टच स्क्रीन आधारित सूचना कियोस्क स्थापित किए गए जिससे ग्राहक पॉलिसियों, नई योजनाओं, बोनस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

1999

- एल आई सी इंटरनेशनल बीएससी(सी) बहरीन ने 28 सितंबर से कतर में अपने परिचालन का विस्तार किया।

2000

- 1 जनवरी को 'रणनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया' पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सलाह देने के लिए वित्तीय सेवाओं पर प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सलाहकार मैसर्स बूज एलन एंड हैमिल्टन को नियुक्त किया गया।
- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएन) का उद्घाटन 2 सितंबर को हुआ।
- सूचना के तेजी से प्रसार के लिए एलआईसी ने अपनी वेबसाइट www.licindia.in और इंटरनेट साइट 'जीवन संचार' लॉन्च की।

2001

- पहली यूनिट लिंकड बीमा योजना (यूलिप) 'बीमा प्लस' 12 फरवरी को शुरू की गई।
- भारतीय जीवन बीमा निगम ने 6 जून को कॉर्पोरेशन बैंक के साथ अपने पहले रणनीतिक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए।
- 30 जून को शुरू की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना।
- इंटरनेट के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा 12 सितंबर को शुरू की गई।
- शिक्षण सहयोग योजना का उद्घाटन 31 दिसंबर को किया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड ने 3 दिसंबर को नेपाल में एलआईसी और विशाल समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में उद्घाटन किया।

2002

- एलआईसी के पहले सूचना केंद्र का मुंबई में उद्घाटन किया गया। देश भर में 8 स्थानों पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। नंबर 1251 (यूनिफाइड एक्सेस) के माध्यम से सुलभ आईवीआरएस को 12 अप्रैल को कॉल सेंटर्स के साथ एकीकृत किया गया था।
- कॉर्पोरेट संदेश सेवा समाधान, लागू किया गया।
- यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव था, जो अधिक मजबूत और सुविधा संपन्न था।
- बैंकएश्योरेंस के माध्यम से व्यापार शुरू हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक के साथ रणनीतिक गठजोड़।

2003

- एलआईसी (लंका) लिमिटेड का उद्घाटन 1 मार्च को एलआईसी और श्रीलंका के बार्टलेट समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ।
- बीमा स्कूल की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
- पुणे मंडल के अंतर्गत राजगुरुनगर 8 मार्च को पहली महिला बीमा ग्राम बनी।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 14 जुलाई को शुरू की गई।
- 20 दिसंबर को कॉर्पोरेशन बैंक के सहयोग से एटीएम के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम की पहली प्रीमियम भुगतान सुविधा का उद्घाटन किया गया।

2004

- ईसीएस और कियोस्क के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू।
- एसएमएस सेवा पहल शुरू की गई।
- सऊदी अरब में 20 दिसंबर को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। (एसआईसीसीआई)
- विद्यानेट (एजेंटों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल) प्रारम्भ किया गया।

2005

- भारतीय जीवन बीमा निगम के पहले सैटेलाइट संपर्क कार्यालय (जिसे बाद में सैटेलाइट कार्यालय का नाम दिया गया) का उद्घाटन 2 सितंबर को राजेंद्र नगर, नई दिल्ली (दिल्ली म.का. -1), उत्तर क्षेत्र में हुआ।
- भारतीय जीवन बीमा निगम और इंडसइंड बैंक ने अक्टूबर में बैंक के खाताधारकों को पहली सामूहिक बीमा योजना प्रदान करने के लिए गठजोड़ किया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम के वेब पोर्टल का उद्घाटन 15 नवंबर को किया गया।
- एलआईसी की स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी, जश्न जिंदगी का 4 फरवरी से 10 फरवरी तक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए), मुंबई में लगाई गई।
- उद्यम दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) का शुभारंभ।
- आने वाले वर्षों में सभी ई-बिजनेस पहलों को संभालने के लिए एंटरप्राइज पोर्टल सॉल्यूशंस का शुभारंभ।
- कॉर्पोरेट सक्रिय डेटा वेयरहाउस का शुभारंभ।

2006

- विले पार्ले में एलआईसी के डाटा सेंटर का उद्घाटन।
- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्थापना।
- भारतीय जीवन बीमा निगम की स्वर्ण जयंती पॉलिसी बीमा गोल्ड प्रारम्भ की गई।

2007

- एलआईसी एचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एलआईसी एचएफएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 31 अक्टूबर को शामिल हुई।

2008

- एलआईसी कार्ड सेवाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
- सीएलआईए चैनल शुरू हुआ।
- एलआईसी पेंशन फंड का शुभारंभ।
- एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एएमसी) को 14 फरवरी को शामिल किया गया था।

2009

- प्रीमियम भुगतान के वैकल्पिक चैनल शुरू किए गए।
- सम्बंध नवीनीकरण, सहायता डेस्क, विशेष सी.आर.ई., सहायता पुस्तिका जैसी नई ग्रा.सं.प्र. पहल शुरू हुई।
- एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड 'एलआईसी कार्ड' प्रारम्भ किया।

2010

- ऑनलाइन पेपरलेस बीमांकन प्रस्ताव की स्थिति के लिए एसएमएस पूछताछ सेवा।

2011

- एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) शुरू की गई।

2012

- जीवन अक्षय तख - एलआईसी की पहली पॉलिसी ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई।
- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी LIC (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड शामिल की गई।

2013

- ऑपरेशनल डेटास्टोर तथा ग्राहक एवं मर्चेन्ट पोर्टल प्रारम्भ।
- दूरस्थ अंकेक्षण का शुभारंभ।
- मा.सं.वि.स/ सं. वि. के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज़ प्रणाली का शुभारंभ।
- कर्मचारी सूचना प्रबंधन का स्वचालन।

2014

- एजेंटों के लिए क्लब गैलेक्सी पेश किया गया।

2015

- तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, (पीएम जेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ।
- एल आई सी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड का संयुक्त उद्यम एलआईसी शुरू हुआ।

2016

- आईआरडीए के विनियमों के अनुरूप एलआईसी की ई-सेवाओं को 1 फरवरी को शुरू किया गया।
- उन पॉलिसीधारकों के लिए एकमुश्त हीरक जयंती विशेष प्रत्यावर्ती बोनस की घोषणा की गई, जिनकी पॉलिसियां 01.09.2016 को चालू थीं।

2017

- उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) अवधारणा शुरू।
- 29 करोड़ ग्राहकों के पॉलिसी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हुआ।
- एसएमएस आधारित ग्राहक हेल्पलाइन शुरू।
- वॉलेट, भीम, यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम भुगतान प्रारम्भ।

2018

- भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षण केंद्र (एमडीसी, जेडटीसी) और के.का. सं.वि. / मा.सं. वि. को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र और बीआईएस मान्यता स्वीकृत।
- एजेंटों के लिए एलआईसी मोबाइल ऐप लॉन्च।

2019

- आईडीबीआई बैंक अधिग्रहण।
- एजेंट भर्ती ऐप लॉन्च किया गया।
- केंद्रीय कार्यालय में "सहायक कंपनियाँ" विभाग गठित।

2020

- नवव्यवसाय का डिजिटल एप्लिकेशन आनंदा 19 नवंबर को लॉन्च किया गया जो आत्म निर्भर एजेंट के लिए एक संक्षिप्त नाम है जो एजेंट की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करता है।
- हिंदी चैटबॉट 'एलआईसी मित्र' लॉन्च किया गया।

2021

- आनंदा (का) मोबाइल ऐप का शुभारंभ - 24 अगस्त
- भारतीय जीवन बीमा निगम ने डाक विभाग, भारत सरकार से प्रिंट टू पोस्ट समाधान के लिए एक करार किया - 27 सितंबर
- जमा संग्रह प्रबंधन केंद्र 5 जनवरी को शुरू किया गया।
- बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देना बैंक भवन का अधिग्रहण।

2022

- पहली भारतीय एंबेडेड वैल्यू रिपोर्ट - 31.03.2022, प्रस्तुत की गई
- निगम के शेयर 17.05.2022 को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हुए
- निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक - 27.09.2022 को आयोजित हुई

2023

- प्रोजेक्ट डाइव लॉन्च (डिजिटल इन्वेंशन और वैल्यू एन्हांसमेंट)

2024

- बैंक एश्योरेंस के लिए एलआईसी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ टाय अप किया।
- एलआईसी ने भुवनेश्वर में उत्कृष्टता परीक्षण केंद्र (टीसीओई) की घोषणा की
- माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया गया
- एलआईसी ने पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन (डीमैट) के लिए CMSREP के साथ अंगीकरण किया, जो उद्योग जगत में एक प्रमुख उपलब्धि है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक का संदेश



श्री आर दुरैस्वामि

मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, एक ऐसा वर्ष जिसने वास्तव में हमारे लोगों की ताकत, हमारे उद्देश्य और हमारे मूल्यों को सामने लाया। साथ मिलकर हमने सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करके एक मांग वाले आर्थिक और विनियामक वातावरण को नेविगेट किया: उन लोगों को वास्तविक मूल्य प्रदान करना जो हम पर भरोसा करते हैं। हमने अपनी रणनीतियों को तेज किया, जहाँ ज़रूरी था वहाँ नवाचार को अपनाया और अपनी मूल शक्तियों पर टिके रहे। मुझे सबसे ज़्यादा गर्व इस बात पर है कि हम एक टीम के रूप में अपने सभी हितधारकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यह वर्ष केवल प्रदर्शन के बारे में नहीं था - यह उद्देश्य के साथ प्रगति के बारे में था।

भू-राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता

मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों, रूस-यूक्रेन संघर्ष और अभूतपूर्व मौद्रिक कसावट के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों और अप्रत्याशित जलवायु झटकों की पृष्ठभूमि में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने के लिए नीतिगत दरों को बरकरार रखा है। आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 और 2026 दोनों में वैश्विक विकास 3.3% पर रहने का अनुमान है।

जब हम भारतीय संदर्भ में आते हैं, तो MoSPI (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा फरवरी 2025 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत वैश्विक साधियों के बीच देखी गई सुस्त वृद्धि के मुकाबले निकट अवधि में मजबूत आर्थिक विकास गति के स्पष्ट संकेत दे रहा है। सामान्य मानसून की उम्मीद के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के आंकड़ों के आधार पर, आरबीआई ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग

एजेंसियों ने भी इस वर्ष की शुरुआत में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, जो उपभोक्ता मांग में मजबूत वृद्धि और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि के कारण है।

इन सभी कारकों का निकट भविष्य में भारतीय बीमा उद्योग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

भारतीय जीवन बीमा बाजार - अप्रयुक्त क्षमता

भारत का विस्तृत भूगोल और विविध जनसंख्या जीवन बीमा उद्योग के लिए सबसे आशाजनक विकास सीमाओं में से एक प्रदान करती है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कम बीमाकृत या बिना बीमाकृत है, इसलिए बाजार काफ़ी अप्रयुक्त है। प्रगतिशील विनियामक सुधारों, अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश, बढ़ती आय के स्तर और बीमा जागरूकता और समावेशन को बढ़ाने के लिए लक्षित पहलों का संयोजन इस क्षेत्र के लिए शक्तिशाली अनुकूल हवाएँ पैदा कर रहा है। ये कारक सामूहिक रूप से न केवल क्षमता - बल्कि अनिवार्यता - का संकेत देते हैं कि जीवन बीमा सभी सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में एक आवश्यक वित्तीय उपकरण बन सकता है। भारत में जीवन बीमा का भविष्य न केवल उज्ज्वल है, बल्कि यह परिवर्तनकारी भी है।

हितधारकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

ग्राहकों पर अटूट ध्यान

देश के घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (डी-एसआईआई) के रूप में, हम बाजार की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए बहुआयामी रणनीतियों को अपनाना जारी रखते हैं। हम दक्षता, ग्राहक अनुभव और परिचालन चपलता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने में प्रतिबद्ध हैं। हमारा डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू एन्हांसमेंट (DIVE) प्रोजेक्ट ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने के लिए भविष्य के लिए तैयार होने की दिशा में सही दिशा में है। हमने

अपना अत्याधुनिक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी (MarTech) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो DIVE प्रोजेक्ट में पहला बड़ा मील का पत्थर है। MarTech प्लेटफॉर्म एक बुद्धिमान, बहु-चैनल जुड़ाव क्षमता पेश करता है, जो हमें हाइपर-पर्सनलाइज़्ड, हमेशा चालू रहने वाले अभियान चलाने में सक्षम बनाता है जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है और व्यवसाय विकास को बढ़ावा देता है।

हम ग्राहक के दृष्टिकोण से समझते हैं कि डिजिटलीकरण सुविधा, गति और पारदर्शिता प्रदान करता है, जिससे कभी भी, कहीं भी सेवाओं तक पहुँचना आसान हो जाता है। यह ग्राहक यात्रा के दौरान विश्वास और संतुष्टि को बढ़ाते हुए अधिक व्यक्तिगत और सहज अनुभव भी सक्षम बनाता है। पारंपरिक कार्यालयों के हमारे व्यापक नेटवर्क के अलावा, ग्राहक ग्राहक पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, चैट-बॉट और व्हाट्सएप सहित डिजिटल प्लेटफॉर्मों के एक व्यापक सूट के माध्यम से आसानी से हमारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। 'डिजिटल परिवर्तन' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा शुरू की है।

देश के कुछ हिस्सों में देखे गए कठिन समय में, हमने केरल राज्य में वायनाड त्रासदी, पहलगाम आतंकी हमला, एयर इंडिया विमान दुर्घटना और अन्य दुःखद घटनाओं के पॉलिसीधारकों के परिवारों के लिए अपनी दावा निपटान प्रक्रिया में छूट देने का बीड़ा उठाया है। हम अपने पॉलिसीधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और कठिन समय के दौरान प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेंगे और वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावा निपटान में तेजी लाएंगे।

डिजिटल रूप से सशक्त बिक्री बल को बढ़ावा देना

आनंदा (आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन), जो कागज रहित ग्राहक ऑन-बोर्डिंग में एक गेम चेंजर है, ने इस वर्ष के दौरान अधिक गति प्राप्त की है और हम अपने एजेंटों को डिजिटल अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते हैं। वर्ष के दौरान हमने 2,94,000 से अधिक एजेंटों द्वारा शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 14,74,000 से अधिक पॉलिसियाँ पूरी की हैं, जो डिजिटल रूप से पूरी की गई पॉलिसियों की हिस्सेदारी में वृद्धि को दर्शाता है, जो पिछले वर्ष के 5.85% की तुलना में 8.49% है। जीवन समर्थ, एक व्यापक पहल जिसका उद्देश्य हमारे एजेंट कार्यबल को सशक्त बनाना, तेजी से बदलते बाजार में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है, भी सही दिशा में है।

अपनी एजेंसी की बिक्री टीम को सशक्त बनाने और पॉलिसीधारकों को 24 x 7 आधार पर डिजिटल रूप से निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों के साथ, हमने अपने एजेंटों के माध्यम से 'वन मैन ऑफिस' (OMO) ऑनलाइन सेवा शुरू की है। यह हमारे फील्ड फोर्स को उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करता है, उनकी दक्षता और

उत्पादकता को मजबूत करता है और हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करता है।

महिला सशक्तिकरण

विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 09.12.2024 को हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना शुरू की है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह विशेष एजेंसी योजना (महिला कैरियर एजेंट) महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी पहलों के पूरक के रूप में कार्य करेगी और सभी के लिए बीमा के उद्देश्य का समर्थन करेगी। हमारी बीमा सखियों को जीवन बीमा का संदेश फैलाकर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और साथ ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। आप सभी को यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 1,48,888 बीमा सखियों का नामांकन किया गया।

उत्कृष्टता का निर्णायक क्षण

मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे सामूहिक प्रयासों ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम ने '24 घंटे में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचने' के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब हासिल किया है। 20.01.2025 को, कुल 4,52,839 एजेंटों ने पूरे भारत में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियाँ सफलतापूर्वक पूरी कीं और जारी कीं। इस शानदार प्रयास ने 24 घंटे की अवधि में जीवन बीमा उद्योग में एजेंट उत्पादकता के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि हमारी टीम जो करती है, उसमें कितना गहरा विश्वास करती है - और इसे हासिल करने के लिए हम कितनी मजबूती से एक साथ खड़े हैं।

व्यावसायिक प्रदर्शन और रणनीति

यह बहुत गर्व की बात है कि वर्ष के दौरान व्यक्तिगत व्यवसाय से हमारी नव व्यवसाय प्रीमियम आय ने हमारे संगठन के इतिहास में ₹ 62,495 करोड़ के उच्चतम स्तर को छुआ है। मुझे यह स्वीकार करते हुए वास्तव में गर्व और आभार महसूस होता है कि यह सफलता हमारे हितधारकों के सामूहिक प्रयास, विश्वास और साझेदारी का परिणाम है।

निरंतर विकास और उन्नति

यहाँ हम इस वर्ष अपने व्यवसाय और वित्तीय यात्रा के असाधारण क्षणों पर करीब से नज़र डालते हैं - जो प्रगति, नवाचार और मजबूत परिणामों से चिह्नित हैं।

- ✓ पॉलिसियों की संख्या और प्रीमियम के आधार पर बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 65.83% और 57.05% रही।
- ✓ कुल प्रीमियम आय ₹ 4,88,148 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.75% अधिक है।

- ✓ समूह बीमा व्यवसाय से एकत्रित प्रीमियम ₹ 1,69,112 करोड़ और व्यक्तिगत व्यवसाय से ₹ 3,19,036 करोड़ रहा, जो 5.02% अधिक है।
- ✓ कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) 6.45% बढ़कर ₹ 54,52,297 करोड़ हो गया।
- ✓ सॉल्वेंसी मार्जिन 1.98 से सुधरकर 2.11 हो गया।
- ✓ भारतीय एम्बेडेड मूल्य (IEV) 31.03.2024 को ₹ 7,27,344 करोड़ से बढ़कर 31.03.2025 को ₹ 7,76,876 करोड़ हो गया, जो 6.81% की वृद्धि है।
- ✓ व्यक्तिगत श्रेणी के तहत वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (APE) में गैर-भागीदारी व्यवसाय का हिस्सा वर्ष 2023 के दौरान 8.89% से बढ़कर 27.69% और 2024 में 18.32% हो गया।
- ✓ हमने अपने नए व्यवसाय के शुद्ध मूल्य (VNB) में भी वृद्धि दर्ज की है जो पिछले वर्ष के ₹ 9,583 करोड़ की तुलना में ₹ 10,011 करोड़ है।
- ✓ शुद्ध VNB मार्जिन भी 16.8% से बढ़कर 17.6% हो गया।
- ✓ वित्तीय वर्ष के लिए हमारा लाभ 18.37% की वृद्धि के साथ ₹ 48151.17 करोड़ हो गया।
- ✓ संयोगवश, हमारे मजबूत प्रदर्शन ने हमें चौथी तिमाही के दौरान 19,012.79 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ के मामले में अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से आगे रखा।

उत्पाद पोर्टफोलियो-रणनीति

बीमा उद्योग नियामक IRDAI ने वर्ष के दौरान क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और ग्राहक-केंद्रितता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई सुधार किए हैं। सरेंडर वैल्यू के लिए नए मानदंड प्रमुख पहलों में से एक थे, जिसके कारण हमें अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को फिर से संरचित करने की आवश्यकता हुई। 30 सितंबर, 2024 को 19 नए उत्पादों के लॉन्च से हमारी त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई और जो 1 अक्टूबर 2024 को बिक्री के लिए उपलब्ध थे। वर्ष के अंत तक, हमारे उत्पाद बास्केट में अकेले व्यक्तिगत श्रेणी के तहत 33 उत्पाद शामिल हैं, जिनमें से 21 उत्पाद नॉन-पार सेगमेंट के अंतर्गत हैं। हमारा दृष्टिकोण प्रत्येक ग्राहक खंड की अनूठी जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने पर केंद्रित है। हमारे ग्राहक हमारी उत्पाद टोकरी से अपनी बीमा आवश्यकता का समाधान पा सकेंगे, चाहे वह संपूर्ण जीवन, बंदोबस्ती, मनी-बैक हो, टर्म इंश्योरेंस, एन्युटी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस या कुछ संयोजनों के साथ। इसके अलावा, हमारे पास 12 ग्रुप उत्पाद और 6 राइडर्स भी हैं। इसलिए, हमारे पूरे पोर्टफोलियो में वर्ष के अंत तक 51 उत्पाद शामिल हैं।

पिछले एक साल में, हमने अपने प्रयासों को स्पष्ट इरादे के साथ नॉन-पार श्रेणी के तहत कारोबार की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में केंद्रित किया, इसे हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ अधिक निकटता से जोड़ा। यह बदलाव न केवल रणनीतिक सोच को दर्शाता है, बल्कि सार्थक बदलाव लाने के लिए टीम की सामूहिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ग्राहकों और हमारे फील्ड फोर्स से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नए नॉन-पार उत्पादों के साथ हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत करके इसे समर्थन दिया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत श्रेणी में नॉन-पार का हमारा हिस्सा पिछले वर्ष के 18.32% से बढ़कर 27.69% तक पहुंच गया है।

सम्मान एवं पुरस्कार

बाजार ने पहले बताए गए इन सभी प्रयासों का शानदार स्वागत किया है। वित्तीय वर्ष ने हमें कई उपलब्धियाँ प्रदान कीं, जिनमें से कुछ नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

- ✓ 1st LIC सबसे तेजी से बढ़ने वाले भारतीय ब्रांड के रूप में उभरा है, जिसने उल्लेखनीय 36% की वृद्धि हासिल की है
 - o ब्रांड फाइनेंस 2025
- ✓ 1st ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड
 - o रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, सितंबर 2024
- ✓ 1st सबसे पसंदीदा ब्रांड 2024-25 (चौथा संस्करण) मार्क्समेन डेली द्वारा इंडिया टुडे के सहयोग से
 - o मार्क्समेन डेली और इंडिया टुडे
- ✓ 1st भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक 2025-26
 - o 5th संस्करण भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड, इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड
- ✓ 2nd फॉर्च्यून 500 इंडिया -2024 कुल राजस्व के आधार पर (पिछले साल तीसरा रैंक)।
 - o फॉर्च्यून इंडिया
- ✓ 3rd दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2025
 - o ब्रांड फाइनेंस- बीमा 100 -2025
- ✓ 4th शीर्ष 15 भारतीय ब्रांड
 - o ब्रांड फाइनेंस 2025
- ✓ 9th भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियाँ
 - o बिजनेस टुडे (BT500)

- ✓ 10th कैंटर ब्रैंडज़- सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड 2024
 - o कैंटर ब्रैंडज़ 2024
- ✓ 12th दुनिया के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड (पिछले साल 2023-24 की रैंकिंग 18 के मुकाबले)
 - o ब्रांड फाइनेंस- बीमा 100 -2025
- ✓ 177th शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड (पिछले साल 2023-24-222 रैंक, चालू वर्ष - 2024-25)
 - o ब्रांड फाइनेंस 2025

ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन)

हम अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) सिद्धांतों के प्रति समर्पित होना। हमारे प्रयास इस विश्वास से निर्देशित होते रहते हैं कि दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए स्थायी और जिम्मेदार प्रथाएँ आवश्यक हैं। ESG को अपनी मुख्य रणनीति में शामिल करके, हमारा लक्ष्य सभी हितधारकों के लिए सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना है, जबकि एक अधिक समावेशी और लचीले भविष्य में योगदान करना है। एक जिम्मेदार और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध संगठन के रूप में, हमने अपने व्यवसाय और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में स्थिरता को अपनाने और योगदान देने की अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) ढांचा तैयार किया है।

हमारे “प्लांट ए लाइफ (पीएलए)” पहल के माध्यम से, पौधों के वितरण और रोपण के लिए संगठन के सभी स्तरों पर हमारे सामूहिक प्रयासों ने पूरे देश में हमारे व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाया और पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण पर प्रभाव डाला।

हमारा डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण अधिक दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा देकर ईएसजी उद्देश्यों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है। हमारे लेन-देन की मात्रा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलने से संचालन में

महत्वपूर्ण दक्षता और परिवर्तनकारी प्रभाव मिला है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ANANDA डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म की उन्नति, प्रोजेक्ट DIVE और प्रोजेक्ट HRMS (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) जैसी पहलों द्वारा पूरक, हमारी ESG प्रतिबद्धताओं की दिशा में मापनीय प्रगति को बढ़ावा देगी - समावेशन को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जिम्मेदार शासन को मजबूत करना।

भावी योजना

जबकि बीमा उद्योग तकनीकी प्रगति से प्रेरित प्रतीत होता है, यह भी महसूस किया जाता है कि बीमा उद्योग के मूलभूत पहलू - वहनीयता, पहुँच और विश्वास - किसी भी उपभोक्ता के लिए अपनी ज़रूरत और लक्ष्यों के अनुरूप सही उत्पाद और सही बीमाकर्ता चुनने के लिए आवश्यक कारक बने रहेंगे।

प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, हम इन अपेक्षाओं से मेल खाने वाले अभिनव और ग्राहक केंद्रित उत्पादों के साथ अपने उत्पाद बास्केट को मजबूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखने का इरादा रखते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पहुँच और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए हमारा निरंतर प्रयास एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार है जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के साथ सहजता से सरेखित हो।

मैं अपने सभी बोर्ड सदस्यों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और व्यावहारिक योगदान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने सभी हितधारकों के प्रति उनके अटूट समर्थन और हम पर रखे गए विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।



हार्दिक शुभकामनाएं

श्री आर दुरैस्वामि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल



श्री आर दुरैस्वामि
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
प्रबंध निदेशक

श्री आर दुरैस्वामि (दुरैस्वामि रामचंद्रन) ने 14 जुलाई, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह निगम के प्रबंध निदेशक थे।

वे 17वें बैच के प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी हैं, जिनके पास संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में 39 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में, श्री आर दुरैस्वामि ने बैंकाशयोरेंस, समूह व्यवसाय, ग्राहक संबंध, वित्त, अनुपालन कार्यों आदि के द्वारा विपणन का नेतृत्व किया। उन्होंने संगठन में विभिन्न नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया है, जैसे कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर विकास), प्रादेशिक प्रबंधक (विपणन/मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में प्रादेशिक प्रबंधक (पेंशन एवं समूह योजनाएँ), कोट्टायम मंडल में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और चेन्नई-1, तंजावुर और पुणे मंडल में विपणन प्रबंधक।

उन्होंने प्रमुख (सूचना प्रौद्योगिकी) एवं कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पदों पे रहते हुए एलआईसी के व्यक्तिगत व्यवसाय के आईटी अवसंरचना और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया। प्रादेशिक प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में समूह बीमा विपणन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हासिल किया।

राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में अनुसंधान सहयोगी के रूप में उन्होंने सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियम, उत्पाद विकास और बीमा प्रबंधन एवं चार्टर्ड वित्तीय नियोजन में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सामग्री विकास पर कई परियोजनाओं पर काम किया है।

श्री दुरैस्वामि मद्रै कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक हैं, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य हैं तथा भारतीय एकचुअरीज संस्थान के छात्र सदस्य हैं।



डॉ. प्रशांत कुमार गोयल
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, आईएएस, त्रिपुरा कैडर (2007 बैच) वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे वित्तीय समावेशन (एफआई) और बीमा से संबंधित कार्य करते हैं। वित्तीय सेवा विभाग में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और डिजिटल भुगतान सहित विभिन्न विषयों पर कार्य किया है।

डॉ. गोयल केनरा बैंक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. गोयल भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अंशकालिक सदस्य, बीमा लोकपाल परिषद के सदस्य और भारतीय बीमांकिक संस्थान परिषद के सदस्य भी हैं।

डॉ. गोयल ने पंजाब विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में शिक्षा तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभागों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है।



श्री सतपाल भानु
प्रबंध निदेशक

निगम के प्रबंध निदेशक, श्री सतपाल भानु, जीवन बीमा उद्योग में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध और व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने देश भर में विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न पदों और क्षमताओं में कार्य किया है।

प्रबंध निदेशक बनने से पहले, वह मध्य क्षेत्र, भोपाल में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने सबसे बड़े मंडलों में से एक, बैंगलोर-1 और शिमला मंडल में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। वे क्षेत्रीय कार्यालय में प्रादेशिक प्रबंधक के रूप में सूक्ष्म बीमा अनुभाग का नेतृत्व किया और प्रादेशिक प्रबंधक (निगमित संचार), प्रादेशिक प्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी के मार्केटिंग अनुभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है और वे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में अतिरिक्त निदेशक भी रहे हैं।

श्री सतपाल भानु ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।



श्री दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक

श्री दिनेश पंत, 1 जून 2025 से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले, वह नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) रह चुके हैं। वह भारतीय एकचुअरीज संस्थान और ब्रिटेन के एकचुअरीज संस्थान एवं संकाय के फेलो सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास इंजीनियरिंग और कानून की डिग्री के साथ-साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी है।

2017 में नियुक्त बीमांकक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, श्री पंत ने एलआईसी में उत्पाद बीमांकक और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए बीमांकक के रूप में लगभग पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समग्र उत्पाद और एकचुरियल रणनीति का नेतृत्व किया और उन्हें निगम के व्यावसायिक ढाँचे के साथ संरेखित किया।

उल्लेखनीय रूप से, वे उन कुछ एलआईसी अधिकारियों में से हैं जिन्होंने भारत में प्रमुख शाखाओं में मार्केटिंग कार्यों और एक प्रतिष्ठित विदेशी जीवन बीमा संचालन का सफल नेतृत्व करने के बाद एकचुरियल कार्यों के विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पहले, 2002 में आईआईएम-अहमदाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, वे एलआईसी की निवेश अनुसंधान टीम में शामिल हुए और अंततः निगम के महत्वपूर्ण ट्रेजरी डेस्क का नेतृत्व करने से पहले, ऋण, इक्विटी, पुनर्गठन, उद्यम निधि और परियोजना वित्त सहित विभिन्न निवेश कार्यों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया।

नियुक्त बीमांकक के रूप में, श्री पंत एलआईसी की प्रमुख प्रबंधन टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 2022 में एलआईसी के मेगा आईपीओ की सफल योजना और लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आईपीओ के बाद एलआईसी को लाभदायक और सतत विकास की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सभी हितधारकों के लिए मूल्य का सृजन हुआ है।

अपने करियर के शुरुआती दौर में, उन्हें केन्या स्थित केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक (जीवन) के रूप में जीवन प्रचालन का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने पाँच वर्षों से अधिक समय तक इस समग्र बीमा कंपनी के जीवन बीमा व्यवसाय के विपणन और समग्र संचालन की देखरेख की। 1989 में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल होने के बाद से, उन्हें अधिकांश परिचालन क्षेत्रों का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ, इसके बाद राजस्थान और दिल्ली में एलआईसी की कुछ सबसे प्रतिष्ठित शाखाओं का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने अपने बैच के सबसे युवा सहायक शाखा प्रबंधक (बिफ्री) के रूप में एक छोटा कार्यकाल भी संभाला। इसके बाद, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय में निवेश अनुसंधान प्रकोष्ठ में शामिल होने से पहले प्रबंधक (नव व्यवसाय एवं बीमांकिक) और कानूनी का कार्यभार संभाला।

श्री पंत 2017 से एलआईसी के बोर्ड में स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य रहे हैं और निवेश समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और लाभ-समिति जैसी कई उप-समितियों में कार्यरत रहे हैं। वे उत्पादों, मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं एवं रणनीतियों सहित प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों पर शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को सलाह देते हैं।

शिक्षा के एक उत्साही समर्थक, श्री पंत ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी सहित विभिन्न संस्थानों में अतिथि संकाय सदस्य के रूप में शिक्षा जगत में योगदान दिया है। उन्होंने बीमा क्षेत्र के पेशेवर निकायों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री भी तैयार की है। इसके अलावा, उन्होंने व्यावसायिक निकायों और नियामकों की विभिन्न समितियों में कार्य किया है, जिनमें एफ आय सी सी आय (फिक्की) की स्वास्थ्य समितियाँ और पीएफआरडीए की पेंशन सलाहकार समिति शामिल हैं। उन्होंने आईआरडीएआई द्वारा गठित कई समितियों और उप-समितियों की अध्यक्षता की है और उनके सदस्य भी रहे हैं, जो उत्पाद विनियमन, सूचकांक-लिंकड उत्पाद, निवेश और जोखिम-आधारित पूँजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। बीमा और वित्त के प्रमुख और विशिष्ट क्षेत्रों में 35 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ, श्री दिनेश पंत उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बने हुए हैं।



श्री रत्नाकर पटनायक
प्रबंध निदेशक

श्री रत्नाकर पटनायक ने भारतीय जीवन बीमा निगम में वर्ष 1990 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से अपना करियर शुरू किया। पारंपरिक विपणन क्षेत्र में अपने 22 वर्षों के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने निगम में विभिन्न नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया, जैसे इंदौर और जमशेदपुर मंडलों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी), पूर्व क्षेत्र के प्रादेशिक प्रबंधक (मुख्य जीवन बीमा सलाहकार)। उन्होंने प्रमुख (निवेश - फ्रंट ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (निवेश - फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी (केएमपी) के पदों पर भी कार्य किया है।

भौतिकी (ऑनर्स) में स्नातक और लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर के अलावा, वह भारतीय बीमा संस्थान के फेलो और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा धारक भी हैं।



डॉ. रंजन शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. रंजन शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से कला में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 2011 में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है।
डॉ. शर्मा, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर हैं और 1990 से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं।
डॉ. शर्मा को शिक्षा और निगमित शासन के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है।



श्री विनोद कुमार वर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्री विनोद कुमार वर्मा ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और वे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के व्यवसाय से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और वह व्यवसाय, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखते हैं।



प्रो. अनिल कुमार
स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर अनिल कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) के वाणिज्य विभाग में वित्त और कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रोफेसर हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन के सीईओ के रूप में भी कार्य करते हैं।
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी), डीएसई और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र, उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पीएचडी की है और 37 वर्षों से अधिक का शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुभव रखते हैं। प्रो. कुमार ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 31 वर्षों से अधिक समय तक अध्यापन किया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं सीएसआर पर दस से अधिक पुस्तकें और अनेक शोध पत्र लिखे हैं। प्रो. कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, कॉर्पोरेट नेताओं और निदेशक मंडल के लिए विभिन्न कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं।



श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल ने पंजाब विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। श्रीमती दुग्गल पंजाब कैडर (1981 बैच) की सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले, श्रीमती दुग्गल ने अन्य पदों और क्षेत्रों के अलावा, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव और भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया है।

श्रीमती दुग्गल ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।



श्री महालिंगम जी
स्वतंत्र निदेशक

श्री महालिंगम जी (गुरुमूर्ति महालिंगम) का वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) में चार दशकों का पेशेवर करियर रहा है। उन्होंने RBI में वित्तीय बाजार विकास, विनियमन और संचालन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ऋण प्रबंधन और बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण सहित विविध भूमिकाएँ निभाई हैं। वे विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेपों के मुख्य डीलर और कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) के साथ-साथ देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन और रुपया तरलता नीति एवं संचालन के प्रभारी भी रहे हैं। अपनी उपरोक्त जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, उन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोपीय ऋण संकट (2011-2012) के साथ-साथ टेपर ट्रैडिंग (2013-2016) के दौरान आरबीआई की नियामक नीतियों के निर्माण और बाजार संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वे विदेशी मुद्रा नीतियों और मौद्रिक नीति कार्यान्वयन को आकार देने में निकटता से शामिल थे।

सेबी के पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य के रूप में, जिसमें कार्यकारी जिम्मेदारियाँ भी शामिल थीं, उन्हें म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, सूचीबद्ध कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, कॉर्पोरेट प्रशासन पहलुओं, स्टॉक और डेरिवेटिव बाजारों, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार आदि के विनियमन का व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के उल्लंघन से संबंधित जाँच और प्रवर्तन कार्रवाइयों के संचालन का पर्यवेक्षण किया है। वे बाजार संबंधी अपराधों से जुड़े 500 से ज्यादा मामलों में अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी रहे हैं। आरबीआई और सेबी में, वे विदेशी मुद्रा बाजार, वित्तीय बेंचमार्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार आदि के क्षेत्र की महत्वपूर्ण समितियों से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे द्वितीयक बाजारों के साथ-साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पर सेबी सलाहकार समितियों के अध्यक्ष हैं।

श्री महालिंगम ने आईआईटी कानपुर से सांख्यिकी और परिचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक में एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने ब्रिटेन के बर्मिंघम बिज़नेस स्कूल से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त में एमबीए भी किया है।



श्री राज कमल
स्वतंत्र निदेशक

श्री राज कमल एक कुशल नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास वित्तीय सेवाओं और तकनीकी रूप से सक्षम व्यवसायों में व्यवसाय संचालन, निवेश, सिविल सेवा और रणनीति परामर्श का लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपना करियर एक आईएएस अधिकारी के रूप में शुरू किया, जहाँ उन्होंने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सहित कई भूमिकाएँ निभाईं। सिविल सेवा के बाद, उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी के साथ साझेदारी की और पेयू (एक प्रोसेस कंपनी) में निवेश के वैश्विक प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। वह वर्तमान में ट्रांस-फाई आईएन सी (एक सीमा-पार भुगतान केंद्रित कंपनी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वह ट्राइडेंट लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं।



डॉ. वी.एस. पार्थसारथी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी के पास 37 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें उन्होंने व्यवसायों, कार्यों, संगठनात्मक परिवर्तनों और 125 से अधिक विलय एवं अधिग्रहण (एम एंड ए) लेनदेन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।

वह आईसीएआई, भारत और आईसीएईडब्ल्यू, यूके से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम (2011) के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की है।

वह कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में हैं। वह एडुटेक सूचीबद्ध कंपनी एनआईआईटी एमटीएस और पेन्नार इंडस्ट्रीज में स्वतंत्र निदेशक हैं। वह क्लाउडनाइन हॉस्पिटल्स, कार देखो, ग्रीनसेल मोबिलिटी जैसी यूनिकॉर्न+ आईपीओ की राह पर चल रही कंपनियों के बोर्ड में हैं। वह स्टार्टअप्स को कोचिंग और मार्गदर्शन भी देते हैं।

डॉ. पार्थसारथी ने मोदी जेराक्स के साथ अपना करियर शुरू किया और कई पदों और स्थानों पर कार्य करते हुए एसोसिएट डायरेक्टर के पद तक पहुँचे। महिंद्रा समूह में, जहाँ उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक सेवा की, उनकी अंतिम भूमिका मोबिलिटी सेवा क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में थी। इससे पहले, वे सात वर्षों तक समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और समूह के मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) रहे। इसके अतिरिक्त, वे महिंद्रा समूह के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं और कई सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में भी रहे हैं।

वे ड्युथ- (स्व-नियोजित महिला संघ) की शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रोपकारी गतिविधियाँ संचालित करते हैं और इसकी दो कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक हैं। वे कंप्यूटर शिक्षा के साथ बाल कंप्यूटर साक्षरता पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने (मार्गदर्शकों के साथ) एमए पर 'द एनाटॉमी ऑफ एमए' नामक एक पुस्तक लिखी है।

उन्हें अपने उन्नत और उखड़ पदों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, साथ ही बिजनेस वर्ल्ड - यस बैंक हॉल ऑफ फेम पुरस्कार; खच- कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ उन्नत पुरस्कार; वझपे द्वारा भारत के डिजिटल आइकन पुरस्कार; और लगातार चार वर्षों तक पुरस्कार जीतने के बाद सीआईओ द्वारा सीआईओ 100 - हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है।



श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार
स्वतंत्र निदेशक

श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार (एम. पी. विजय कुमार) एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। वह वर्तमान में नैस्टैक में सूचीबद्ध कंपनी सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। श्री विजय कुमार वर्तमान में अन्य इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और व्हील्स इंडिया लिमिटेड, उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध कंपनी, ओएनजीसी पेट्रो एंडिशंस लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं और गैर-सूचीबद्ध कंपनी, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। श्री विजय कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के आजीवन फेलो हैं, 2021 से अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (IASB) की IFRS व्याख्या समिति के सदस्य हैं और 6 वर्षों (2019-2024) के लिए IFRS फाउंडेशन की IFRS सलाहकार परिषद के सदस्य थे।

इससे पहले, उन्होंने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में निवेश बैंकिंग प्रमुख और सचिव के रूप में 7 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है और 8 वर्षों से अधिक समय तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अभ्यासरत रहे हैं। उन्हें व्यावसायिक अभ्यास के साथ-साथ उद्योग में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के लेखा मानक बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के पदेन सदस्य और IFRS सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. प्रस्तावना

भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 के अनुसार 31.03.2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी 68वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

2. वैश्विक आर्थिक वातावरण

वित्त वर्ष 2025 दुनिया भर में चुनावों की लहर की तरह रहा, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय नेतृत्व परिवर्तन हुए। राजनीतिक बदलावों से उत्पन्न अनिश्चितता के साथ, विशेष रूप से मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा दिया। वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में, अमेरिकी प्रशासन ने कई देशों से आयात पर शुल्क वृद्धि की एक श्रृंखला की घोषणा की। हालाँकि इन शुल्कों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पूर्ण प्रभाव अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन समग्र प्रभाव नकारात्मक रहने की उम्मीद है।

इन चुनौतियों के बीच, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट शुरू हो गई, जिससे केंद्रीय बैंकों को आर्थिक मंदी के संकेत स्पष्ट होने के बाद विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयास में ब्याज दरों को कम करने के लिए प्रेरित किया। आईएमएफ की 04 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास 2025 में 2.8 प्रतिशत और 2026 में 3 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है। व्यापार तनावों में तेजी से वृद्धि और नीति अनिश्चितता के अत्यधिक उच्च स्तर का वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। महामारी के बाद, निर्णायक और सशक्त मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया ने आर्थिक गतिविधि की अपेक्षाकृत कम लागत पर मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों के करीब ला दिया। केंद्रीय बैंकों के लिए प्राथमिकता अपने अधिदेशों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति के रुख को ठीक करना और अधिक कठिन व्यापार-बंदों वाले वातावरण में मूल्य और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति में जनवरी में की गई अपेक्षा से थोड़ी धीमी गति से गिरावट आने की उम्मीद है, जो 2025 में 4.3 प्रतिशत और 2026 में 3.6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए उल्लेखनीय वृद्धि और 2025 में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मामूली गिरावट होगी।

3. भारत में व्यापक आर्थिक वातावरण

हमारा व्यवसाय, वित्तीय स्वास्थ्य, परिचालन परिणाम और नकदी प्रवाह भारत में व्यापक आर्थिक स्थितियों से काफी प्रभावित होते हैं, जहाँ हम अपना अधिकांश व्यवसाय संचालित करते हैं और अपनी अधिकांश आय यहीं से अर्जित करते हैं। हालाँकि हमारा व्यवसाय समग्र अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से जीवन बीमा क्षेत्र में बढ़ते उपभोक्ता विश्वास से लाभान्वित होता है, भारत में प्रतिकूल व्यापक आर्थिक स्थितियाँ हमारे उत्पादों की माँग को कम कर सकती हैं, पॉलिसी सरेंडर और निकासी की संख्या बढ़ा सकती हैं, हमारी निवेश गतिविधियों से प्राप्त रिटर्न को कम कर सकती हैं और अन्यथा हमारे परिचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

भारत में बढ़ते लेकिन कम पहुंच वाले जीवन बीमा उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख समष्टि आर्थिक कारकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर और अनुकूल जनसांख्यिकी, शहरीकरण, समग्र आर्थिक विकास दर, घरेलू आय वृद्धि दर और वित्तीय बचत के प्रति उपभोक्ता का नजरिया शामिल हैं।

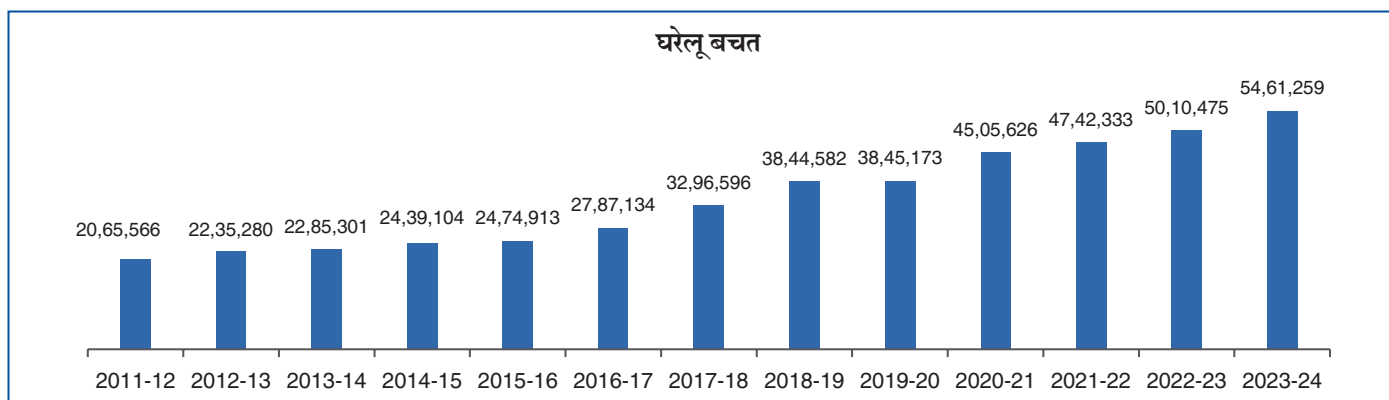
ये कारक अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में बीमा उत्पादों में निवेशित घरेलू बचत के अनुपात को प्रभावित करते हैं, जिनमें अचल संपत्ति और सोना जैसी भौतिक संपत्तियाँ से लेकर बैंक जमा, भविष्य निधि और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय बचत साधन शामिल हैं। समष्टि आर्थिक परिस्थितियाँ विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश के मिश्रण को भी प्रभावित करती हैं।

व्यापक परिवेश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यय और मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के रुझान शामिल हैं।

(i) **जीडीपी विकास दर:** सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बीमा क्षेत्र को सीधे प्रभावित करती है। उच्च जीडीपी वृद्धि के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था बीमा उत्पादों की माँग को बढ़ाती है। इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के खिलाफ, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित, लचीली बनी रही। हालाँकि 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 6.5 प्रतिशत तक कम हो गई, भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। व्यय पक्ष पर उपभोग माँग और शुद्ध निर्यात में सुधार और आपूर्ति पक्ष पर सेवा क्षेत्र में उछाल और कृषि उत्पादन में सुधार से आर्थिक गतिविधि को बल मिला। आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.5% बढ़ने का अनुमान है।

- (ii) **रोजगार:** अप्रैल 2025 के लिए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा दिखाता है कि भारत की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली वृद्धि के साथ 5.1% थी। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 55.6% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 58.0% और शहरी क्षेत्रों में 50.7% थी। डब्ल्यूपीआर (कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात) समग्र रूप से 52.8% था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 55.4% और शहरी क्षेत्रों में 47.4% था। अप्रैल, 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में करंट विकली स्टेटस (सीडब्ल्यूएस) में बेरोजगारी दर (यूआर) 5.1% थी। देश स्तर पर 5.0% महिला यूआर की तुलना में पुरुष यूआर 5.2% पर थोड़ा अधिक था। अप्रैल, 2025 के दौरान शहरी क्षेत्रों में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 47.4% था, जबकि देश स्तर पर समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 52.8% देखा गया।
- (iii) **डिस्पोजेबल आय:** डिस्पोजेबल आय से तात्पर्य आयकर कटौती के बाद व्यक्तियों या परिवारों के पास खर्च और बचत के लिए धनराशि से है। यह वित्तीय कल्याण का एक प्रमुख संकेतक है और उपभोग पैटर्न, बचत व्यवहार और समग्र आर्थिक माँग को सीधे प्रभावित करता है। डिस्पोजेबल आय में वृद्धि से आमतौर पर उपभोक्ता खर्च बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।
- (iv) **घरेलू बचत:** किसी देश में घरेलू बचत का स्तर निवेश के लिए धन की उपलब्धता को प्रभावित करता है। अधिक बचत से बीमा पॉलिसियों में निवेश बढ़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, भारतीय घरेलू क्षेत्र में घरेलू बचत में वित्त वर्ष 2024 में उल्लेखनीय 9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2023 में दर्ज 6% की वृद्धि से बेहतर है।

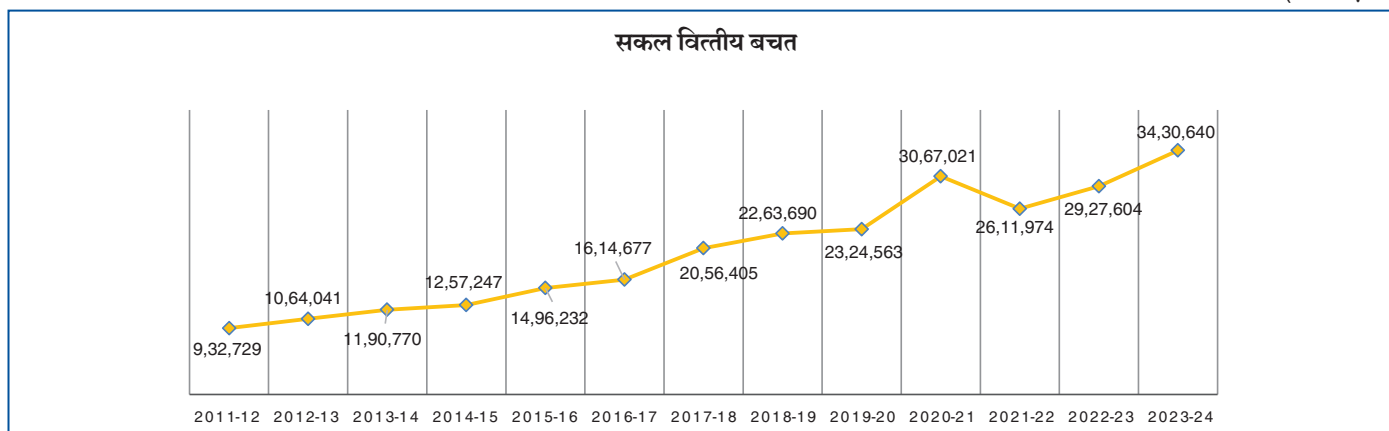
(₹ करोड़ में)



Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)

- (v) **घरेलू वित्तीय बचत:** परिवारों की वित्तीय सेहत बीमा खरीदने की उनकी क्षमता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब परिवारों के पास अतिरिक्त बचत होती है, तो वे जीवन बीमा में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं। वित्त वर्ष 2024 में, भारत में घरेलू वित्तीय बचत में मामूली सुधार देखा गया, कुल घरेलू बचत में सकल वित्तीय बचत का हिस्सा पिछले वर्ष के 58.43% से बढ़कर 62.8% हो गया। 2024 में, भारत में लोगों की वित्तीय बचत में जीवन बीमा का योगदान 16.97% था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीमा उत्पाद ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं।

(₹ करोड़ में)



Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)

- (vi) **मुद्रास्फीति:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर अपेक्षाकृत मध्यम बनी हुई है। 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2024 और 2025 के लिए क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगले पाँच वर्षों में, वैश्विक वृद्धि दर औसतन लगभग 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से मामूली है। हालाँकि समग्र वैश्विक परिदृश्य स्थिर बना हुआ है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर अलग-अलग है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति, वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में कम हुई है। यह गिरावट मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी के कारण हुई है, जो वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) के बीच 0.9 प्रतिशत अंकों की गिरावट के साथ दर्ज की गई। कोर मुद्रास्फीति में यह तीव्र गिरावट मुख्यतः कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति के कारण हुई, जो कोर वस्तुओं की मुद्रास्फीति से कम थी। ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में कमी ने भी हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी लाने में योगदान दिया है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव कम हुआ है। सामान्य तौर पर, खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट का श्रेय इनपुट कीमतों में कमी को दिया जा सकता है, जैसा कि थोक मूल्य मुद्रास्फीति में परिलक्षित होता है, जो वित्त वर्ष 2024 में अपस्फीतिकारी क्षेत्र (-0.7 प्रतिशत) में थी और वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में कम रही।

वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की CPI मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान है, जो मौसमी कारकों के कारण तीसरी तिमाही में चरम पर होगी, जिसके बाद चौथी तिमाही में इसमें कमी आएगी। यह दृष्टिकोण मुद्रास्फीति के प्रबंधन और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- (vii) **व्यापार और विदेशी मुद्रा:** भारत का व्यापारिक निर्यात 2024-25 में मामूली रूप से 0.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले इसमें 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी। दूसरी ओर, इस अवधि के दौरान व्यापारिक आयात में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले इसमें 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। परिणामस्वरूप, भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा 2024-25 के दौरान बढ़कर 282.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 241.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। बहरहाल, मजबूत सेवा निर्यात और आवक प्रेषणों में निरंतर प्रवाह ने भारत के चालू खाते के घाटे को अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 1.1 प्रतिशत) के टिकाऊ स्तर के भीतर बनाए रखने में मदद की।

शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 2024-25 के दौरान अंतर्वाह 0.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था, और एफपीआई ने 2024-25 के दौरान 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अंतर्वाह दर्ज किया (एक वर्ष पहले 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था)।

- (viii) **नियामकीय परिवर्तन:** भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने प्रबंधन व्यय, पॉलिसीधारकों के हित की सुरक्षा, उत्पाद लचीलापन, ग्रामीण दायित्व, कॉर्पोरेट प्रशासन, पूंजी संरचना और बीमा कंपनियों के पंजीकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए मास्टर सर्कुलर्स/रेग्युलेशन्स जारी किये हैं। ये कदम उद्योग के विकास, व्यापक बीमा पहुँच और आसान व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर IRDAI के निरंतर ध्यान को दर्शाते हैं।

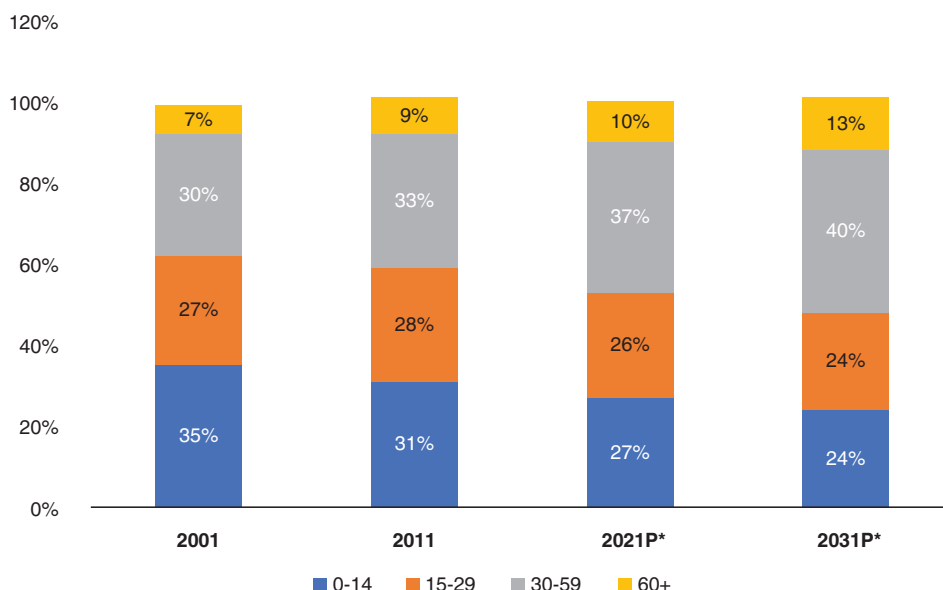
4. भारत में जीवन बीमा उद्योग पर दृष्टिकोण

भारतीय बीमा उद्योग 2025 में मजबूत अर्थव्यवस्था, सहायक सरकारी नीतियों और वित्तीय सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण मजबूत वृद्धि की ओर अग्रसर है। जहाँ एक ओर समग्र उद्योग के बढ़ने की उम्मीद है, वहीं भारतीय जीवन बीमा बाज़ार एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार बनने की उम्मीद है। एलियांज़ ग्लोबल इंश्योरेंस के अनुसार, अगले दशक में भारतीय जीवन बीमा बाज़ार के 10.5% वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत 5% से काफी ज़्यादा है।

5. बीमा उद्योग के लिए अवसर

- (i) **भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है:** 2025 तक, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा, जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.46 अरब होगी। 2031 तक विश्व की जनसंख्या 0.76% की वार्षिक वृद्धि के साथ 8.634 अरब तक पहुँचने का अनुमान है।
- (ii) **अनुकूल जनसांख्यिकी:** वर्ष 2020 तक, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। कैलेंडर वर्ष 2031 तक लगभग 87% भारतीय अभी भी 60 वर्ष से कम आयु के होंगे। क्रिसिल रिपोर्ट का अनुमान है कि उनमें से 64% की आयु 15 से 59 वर्ष के बीच होगी।

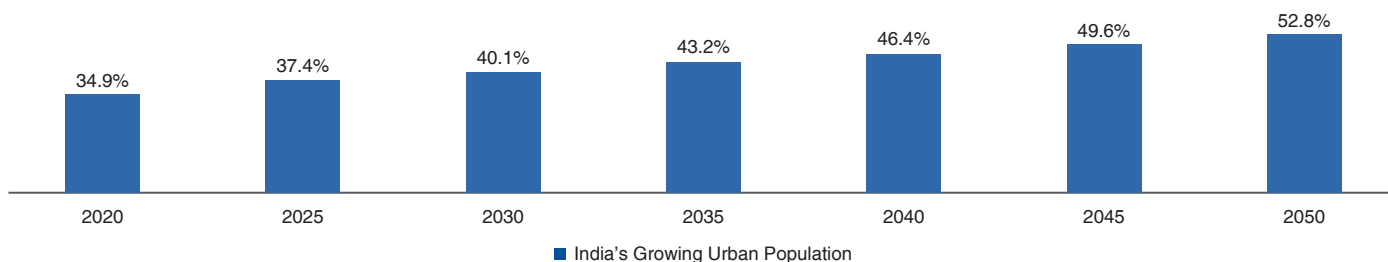
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश



Source: CRISIL Research report for LIC, Note: P: *Projected

नोट: पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुल योग में नहीं जुड़ सकते हैं

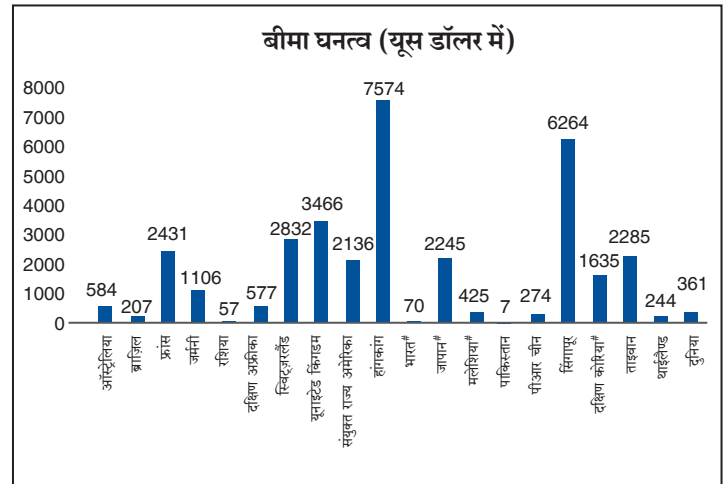
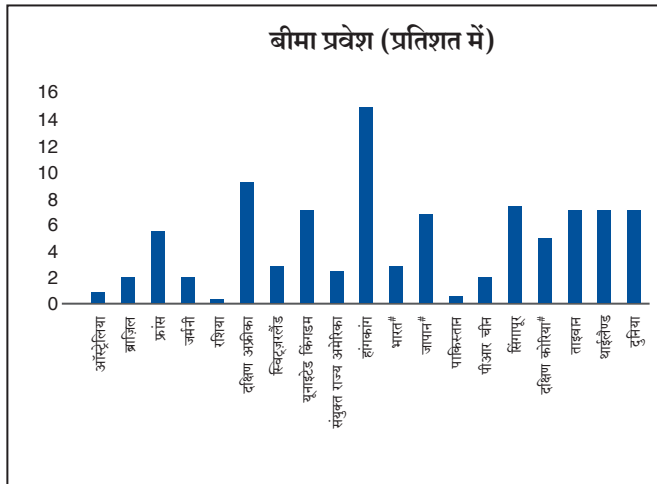
- (iii) **शहरीकरण:** दुनिया भर में शहरीकरण बढ़ा है और भारत में भी यही रुझान देखा गया है। वर्तमान में, लगभग 35% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और विश्व शहरीकरण संभावनाएँ 2018 के अनुसार, 2050 तक इसके 52.8% तक बढ़ने का अनुमान है। भारत का शहरीकरण सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है क्योंकि यह बुनियादी ढाँचे के विकास में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार सृजन, आधुनिक उपभोक्ता सेवाओं के विकास और बचत जुटाने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। शहरीकरण में वृद्धि से जीवन शैली में सुधार हुआ है और बचत और निवेश के माध्यम से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ी है।



Source: United Nations World Urbanisation Prospects, 2018

- (iv) **भारत में जीवन बीमा प्रवेश और बीमा घनत्व:** बीमा पहुँच और घनत्व, अन्य मानदंडों के अलावा, दो ऐसे मानदंड हैं जिनका उपयोग अक्सर किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। जहाँ बीमा पहुँच को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, वहीं बीमा घनत्व की गणना प्रीमियम और जनसंख्या (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के अनुपात के रूप में की जाती है।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में जीवन बीमा में मज़बूत वृद्धि के बावजूद, बीमा पहुँच और बीमा घनत्व जैसे संकेतक संकेत देते हैं कि दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और जापान जैसे उन्नत एशिया प्रशांत देशों की तुलना में भारत में अभी भी बीमा की कमी है।



Source: IRDAI Annual Report 2023-24. वर्ष 2023 के लिए बीमा प्रवेश और घनत्व।

डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है, अन्य डेटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है।

नोट - बीमा घनत्व को कुल जनसंख्या के प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में मापा जाता है और बीमा प्रवेश को सकल घरेलू उत्पाद के प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

6. व्यावसायिक प्रदर्शन

ए. नव व्यवसाय

(i) व्यक्तिगत नव व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने व्यक्तिगत नव व्यवसाय के तहत, ₹ 62,495 करोड़ की नई व्यवसाय प्रीमियम आय के साथ 1,77,82,975 पॉलिसियाँ खरीदी हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मिलेनियल ग्राहकों को 75.81 लाख व्यक्तिगत पॉलिसियाँ बेची गईं। कुल बेची गई व्यक्तिगत पॉलिसियों की संख्या में मिलेनियल ग्राहकों को बेची गई व्यक्तिगत पॉलिसियों का प्रतिशत 42.63% है।

(ii) व्यक्तिगत नव व्यवसाय बीमित राशि

व्यक्तिगत नव व्यवसाय बीमित राशि एक निश्चित अवधि में लिखे गए व्यक्तिगत नव व्यवसाय पर मृत्यु दर और रुग्णता जोखिमों के लिए हमारे द्वारा बीमित कुल राशि को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने ₹ 5,88,604 करोड़ की कुल नव व्यवसाय बीमा राशि का कारोबार किया।

(iii) ग्रामीण चुनौतियाँ

जीवन बीमा के संदेश को ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों तक ले जाने के लिए निरंतर और सचेत प्रयास किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों से नव व्यवसाय में लगातार वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से व्यक्तिगत नव व्यवसाय प्रीमियम ₹ 32,753.96 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 52.41% है।

(iv) व्यक्तिगत अभिकर्ता और पीओएसपी-एलआई (पारंपरिक/जुड़े हुए) चैनल

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पारंपरिक चैनल ने कुल ₹ 58,576.17 करोड़ का नव व्यवसाय प्रीमियम और 173.59 लाख पॉलिसियाँ प्राप्त कीं। निगम के प्रदर्शन में चैनल की हिस्सेदारी पॉलिसियों में 97.62% और नव व्यवसाय प्रीमियम में 93.73% रही।

(v) बैंकाश्योरेंस और बैकल्पिक चैनल (B&AC):

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बी एंड एसी चैनल ने ₹ 3496 करोड़ की प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय (FYPI) अर्जित करते हुये अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 58% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। कापॉरेशन के प्रथम वर्षीय नवव्यवसाय प्रीमियम में बी एंड एसी की सहभागिता 3.83% से बढ़कर 5.60% हो गयी है।

वर्ष के दौरान हमने नए पार्टनर के रूप में 10 बैंक, 10 अन्य कॉर्पोरेट एजेन्ट्स, 51 ब्रोकर एवं 60 आईएमएफ को अपने साथ जोड़ा है। चैनल में अब तक कुल 95 बैंक, 88 अन्य कॉर्पोरेट एजेन्ट्स, 301 ब्रोकर एवं 162 आईएमएफ पार्टनर के रूप में जुड़ चुके हैं।

वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में बैंक तथा अन्य वैकल्पिक चैनल दोनों ने ही प्रभावशाली वृद्धि दर्शायी है। जहाँ बैंको ने 57.10% की वृद्धि दर्शाते हुये ₹ 2577 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 1640 करोड़) की प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित की है वहीं अन्य वैकल्पिक चैनल ने 60.43% की वृद्धि दर के साथ ₹ 919 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 573 करोड़) की प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित की है।

(vi) सूक्ष्म बीमा

वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 354.81 करोड़ के NBP के साथ 8.99 लाख पॉलिसियाँ बेची गईं।

(vii) डिजिटल मार्केटिंग

डिजिटल मार्केटिंग चैनल ने 1 जून 2021 से अपना परिचालन शुरू कर दिया है। इस चैनल का उद्देश्य एक डिजिटल रूप से स्मार्ट और तकनीक-संचालित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। प्रस्ताव भरने, पॉलिसी से पहले मेडिकल शेड्यूलिंग, अंडरराइटिंग, भुगतान प्रणाली और पॉलिसी की पूर्णता सहित ग्राहक की पूरी ऑन-बोर्डिंग प्रणाली ऑनलाइन और कागज़ रहित है। इसका उद्देश्य तकनीक-प्रेमी युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप, ग्राहक को एक सहज खरीदारी अनुभव प्रदान करना था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, चैनल ने निम्नलिखित नए व्यवसाय अर्जित किए:

विवरण	पॉलिसियों की संख्या	प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ में)
ऑनलाइन व्यवसाय	5,004	60.98
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) निधि व्यवसाय	3,744	271.33

वर्तमान में, चैनल ऑनलाइन खरीदारी के लिए 18 उत्पाद प्रदान करता है। 18 उत्पादों में से 4 सुरक्षा के लिए, 4 वार्षिकी के लिए, 4 यूलिप के लिए और 6 बचत के लिए हैं।

(viii) पेंशन एवं समूह योजनाएँ – नया व्यवसाय प्रीमियम

वर्ष 2024-25 के दौरान, पेंशन एवं समूह योजनाएँ (पीएंडजीएस) ने 32,268 योजनाएँ पूरी कीं, जिनमें 4,61,63,553 लोगों को कवर करते हुए ₹ 1,64,262 करोड़ की नई व्यवसाय प्रीमियम आय (एनबीपीआई) प्राप्त हुई।

(ix) एलआईसी की महिला करियर एजेंट योजना (एलआईसी की बीमा सखी)

एलआईसी ने 09.12.2024 को महिला करियर एजेंट योजना (एलआईसी की बीमा सखी) शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और अपनी सुविधा और समय के अनुसार काम करने का लाभ प्रदान करना है। यह 3 साल के लिए एक स्टाइपेंडरी एजेंसी योजना है जिसमें पहले वर्ष ₹ 7,000 प्रतिमाह, दूसरे वर्ष ₹ 6,000 प्रतिमाह और तीसरे वर्ष ₹ 5,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड कमीशन भुगतान के अतिरिक्त दिए जाएंगे। तीन साल बाद एजेंट काम करना जारी रखेंगे और नियमों के अनुसार कमीशन और अन्य लाभ अर्जित करेंगे। 31.03.2025 तक, कुल 1,48,888 बीमा सखियों की भर्ती की गई और उन्होंने 4,71,120 पॉलिसियों का नया व्यवसाय पूरा किया, जिसमें ₹ 604.57 करोड़ का एफपीआई और ₹ 62.36 करोड़ का स्टाइपेंडरी दिया गया। पॉलिसियों के लिए कुल व्यवसाय में बीमा सखियों का व्यवसाय % हिस्सा 2.65% और कुल प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (FYPI) के लिए 1.02% था।

बी. अभिकर्ता

(i) एजेंसी की संख्या

31.03.2025 को हमारे अभिकर्ताओं की कुल संख्या 14,86,851 है, जबकि 31.03.2024 को 14,14,743 थी, जो 5.10% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 3,37,365 अभिकर्ताओं की भर्ती की गई, जिनमें से 2,59,239 अभिकर्ता 18-40 वर्ष आयु वर्ग के हैं।

(ii) अभिकर्ता क्लब की सदस्यता

उच्च और लगातार प्रदर्शन करने वाले अभिकर्ताओं को प्रेरित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए, विभिन्न क्लबों का गठन किया गया है। क्लबों की सदस्यता संख्या का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विभिन्न अभिकर्ता क्लब के सदस्य

क्लब का नाम	सदस्यता वर्ष 2024-25
एलीट	48
कॉर्पोरेट	424
गैलेक्सी	1,950
अध्यक्ष	44,500
क्षेत्रीय प्रबंधक	34,932
मंडल प्रबंधक	49,883
शाखा प्रबंधक	33,344
प्रतिष्ठित अभिकर्ता क्लब	13,066
कुल	1,78,147

(iii) कैरियर एजेंट योजना

निगम के पास एजेंसी संख्या को पेशेवर बनाने के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शहरी कैरियर एजेंटों और ग्रामीण कैरियर एजेंटों के लिए एक योजना है। उन्हें अपने कैरियर की शुरुआत में भत्ता दिया जाता है ताकि वे पेशे में स्थिर हो सकें। 31 मार्च 2025 तक 913 शहरी कैरियर एजेंट और 46,706 ग्रामीण कैरियर एजेंट हैं।

सभी विकास अधिकारियों को भत्ता देने वाले एजेंटों की भर्ती करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2010 में सिटी कैरियर एजेंट योजना शुरू की गई थी। 31 मार्च 2025 तक 12,694 सिटी कैरियर एजेंट हैं।

(iv) वरिष्ठ व्यावसायिक सहयोगी (SBA)

उच्च प्रदर्शन करने वाले विकास अधिकारियों को मान्यता देने और उन्हें कुछ वित्तीय एवं गैर-वित्तीय कार्यों में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2009 में एसबीए योजना शुरू की गई थी।

(v) LIC सहयोगी योजना (LICA)

LICA योजना 01.04.2016 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य एक अभिनव वितरण चैनल शुरू करना और सेवानिवृत्त विकास अधिकारियों और वरिष्ठ व्यावसायिक सहयोगियों की मूल्यवान विपणन प्रतिभा को उनकी लागत के आधार पर लाभप्रद रूप से पुनर्नियोजन करके वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना था।

(vi) मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (CLIA)

LIC ने एजेंसी और नए व्यवसाय में वृद्धि के लिए मौजूदा उच्च प्रदर्शन करने वाले एजेंटों की क्षमताओं का उपयोग करके बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से 12.04.2008 को मुख्य जीवन बीमा सलाहकार योजना 2008 शुरू की थी।

(vii) 2024-25 के दौरान एसबीए, एलआईसीए और सीएलआईए के माध्यम से प्राप्त नया व्यवसाय

विवरण	पॉलिसियों की संख्या	प्रथम वर्ष का प्रीमियम आय (₹ करोड़ में)
वरिष्ठ व्यावसायिक सहयोगी	40,46,331	13,280.46
LIC सहयोगी योजना	10,87,981	4100.64
मुख्य जीवन बीमा सलाहकार	30,68,266	10,218.89

7. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (स्टैंडअलोन)

ए. आय विवरण विश्लेषण

(i) राजस्व खाता (पॉलिसीधारक खाता)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निगम के राजस्व खाते का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण के साथ इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
शुद्ध प्रीमियम आय	4,88,148	4,75,070	2.75
निवेश से आय (शुद्ध)	3,92,623	3,63,944	7.88
अन्य आय	663	14,648	(95.47)
शेयरधारकों के खाते से योगदान - अतिरिक्त ईओएम के कारण	2,642	13	
कुल (ए)	8,84,076	8,53,675	3.56
शुद्ध कमीशन	25,309	25,959	(2.50)
परिचालन व्यय	35,415	48,122	(26.41)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (बड़े खाते में डाले गए खराब ऋणों सहित)	(1,546)	(1,011)	52.92
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान और संदिग्ध ऋण और बाँड के लिए प्रावधान	(627)	(1,908)	(67.15)
लिंक्ड शुल्कों पर माल एवं सेवा कर	223	134	66.42
करों के लिए प्रावधान	7,773	5,825	33.44
भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)	4,16,355	3,88,809	7.08
एक्चुरियल देयता में परिवर्तन	3,53,334	3,53,036	0.08
कुल (बी)	8,36,236	8,18,966	2.11
अधिशेष/घाटा (ए-बी)	47,840	34,709	37.83
शेयरधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर-तकनीकी लेखा)	2,255	2,598	(13.20)
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	50,095	37,307	34.28
विनियोजन			
क. शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरित	49,507	40,022	23.70
ख. भविष्य के विनियोजन के लिए निधि	588	(2,715)	121.66

क. प्रीमियम आय

निम्न तालिका में दर्शाई गई अवधि के लिए खंड स्तर पर प्रीमियम आय का सारांश दिया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24					वृद्धि %
	पार	गैर-पार	लिंक्ड	सीआरएसी*	कुल	पार	गैर-पार	लिंक्ड	सीआरएसी	कुल	
प्रथम वर्ष प्रीमियम	25,660	4,975	1,720	-	32,355	29,072	2,791	748	-	32,611	(0.78)
एकल प्रीमियम	3,567	15,861	10,712	-	30,140	4,485	16,921	3,699	-	25,105	20.06
कुल एनबीपी	29,227	20,836	12,432	-	62,495	33,557	19,712	4,447	-	57,716	8.28
नवीनीकरण प्रीमियम	2,48,967	4,135	3,438	1	2,56,541	2,42,033	1,940	2,078	1	2,46,052	4.26
कुल प्रीमियम (व्यक्तिगत)	2,78,194	24,971	15,870	1	3,19,036	2,75,590	21,652	6,525	1	3,03,768	5.03
पीएंडजीएस प्रीमियम	-	1,69,112	-	-	1,69,112	-	1,71,300	2	-	1,71,302	(1.28)
कुल प्रीमियम	2,78,194	1,94,083	15,870	1	4,88,148	2,75,590	1,92,952	6,527	1	4,75,070	2.75

(*कैपिटल रिडेम्पशन ऑण्ड अँयुटी सरटन)

कुल प्रीमियम वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 4,75,070 करोड़ से 2.75% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 4,88,148 करोड़ हो गया। व्यक्तिगत व्यवसाय के यूनिट-लिंकड सेगमेंट ने भी वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 6,527 करोड़ से 143.14% की मजबूत वृद्धि दिखाई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 15,870 करोड़ हो गई।

- ख. निवेश आय:** इसमें एलआईसी द्वारा किए गए निवेश से ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ शामिल हैं। शुद्ध निवेश आय वित्त वर्ष 2023-24 में 3,63,944 करोड़ से 7.88% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 3,92,623 करोड़ हो गई। वर्ष 2024-25 के लिए एस्टेट पोर्टफोलियो से किराये की आय ₹ 630 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की किराये की आय से 12.72% अधिक है।
- ग. अन्य आय:** अन्य आय वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 14,648 करोड़ से 95.48% घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 663 करोड़ हो गई जो कि आयकर वापसी और उस पर ब्याज की वापसी के कारण था।
- घ. राजस्व विश्लेषण:** कुल राजस्व आय वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 8,53,675 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 8,84,076 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से प्रीमियम आय, निवेश आय में वृद्धि और खर्चों में कमी के कारण है।
- ड. कमीशन व्यय:** निम्न तालिका कमीशन व्यय का तुलनात्मक सारांश दिखाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
प्रथम वर्ष कमीशन	9,986.84	11,081.17	(9.88)
एकल कमीशन	760.47	783.33	(2.92)
कुल	10,747.31	11,864.50	(9.41)
नवीनीकरण कमीशन	14,561.45	14,094.62	3.31
कुल कमीशन	25,308.76	25,959.12	(2.51)

वित्त वर्ष 2024-25 में कुल कमीशन 2.51% से घटकर ₹ 25,308.76 करोड़ हो गया है जो वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 25,959.12 करोड़ था।

- च. बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय:** निम्न तालिका परिचालन व्यय का तुलनात्मक सारांश दिखाती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ	26,896	39,584	(32.05)
प्रबंधन को अन्य व्यय	8,519	8,538	(0.22)
कुल	35,415	48,122	(26.41)

कुल परिचालन व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 48,122 करोड़ से 26.41% की कमी के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 35,415 करोड़ हो गया।

- छ. देय लाभ:** इसमें मृत्यु लाभ, परिपक्वता लाभ, वार्षिकी भुगतान, समर्पण, निकासी, अंतरिम बोनस भुगतान और बीमाधारकों के लिए अन्य दावे शामिल हैं।

भुगतान किये गये लाभों का सारांश निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
मृत्यु दावा	24,420	22,625	7.93
परिपक्वता दावा	2,37,313	2,08,136	14.02
वार्षिकियां	22,098	20,107	9.90
अभ्यर्पण आदि			

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
गैर सम्बद्ध (व्यक्तिगत)	42,426	40,198	5.54
सम्बद्ध (व्यक्तिगत)	3,308	2,393	38.24
पी एंड जीएस(अभ्यर्पण)	2,885	2,604	10.79
कुल अभ्यर्पण	48,619	45,195	7.58
पी एंड जीएस (निकासी)	82,287	88,631	(7.16)
अन्य दावा लागत(अदावा राशि पर ब्याज) और अन्य	(1,458)	1,255	
अन्तरिम बोनस का भुगतान	3,076	2,860	7.55
कुल भुगतान किये गये लाभ	4,16,355	3,88,809	7.08

कुल भुगतान लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 3,88,809 करोड़ से 7.08% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 4,16,355 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से परिपक्वता और समर्पण दावों में वृद्धि के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 2,08,136 करोड़ और ₹ 45,195 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः ₹ 2,37,313 करोड़ और ₹ 48,619 करोड़ हो गए।

(ii) लाभ और हानि खाता (शेयरधारक खाता)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के लाभ-हानि खाते का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण सहित निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
पॉलिसीधारकों के खाते से स्थानांतरण	49,507	40,022	23.70
शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय			
क. निवेश आय	5,992	3,695	62.17
ख. अन्य आय	-	-	
बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा अन्य व्यय	642	246	160.98
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान	4,467.79	13	
पॉलिसीधारकों के लिए हस्तांतरीत राशि	2,255	2,598	(13.20)
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान (बढ़े खाते में डालने सहित)	-	-	
निवेशों और अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(18)	72	(125.00)
कर से पहले लाभ	48,151	40,787	18.05
कर के लिए प्रावधान	-	111	
कर के बाद और असाधारण मदों से पहले लाभ	48,151	40,676	18.38
असाधारण मदें (कर व्यय के बाद शुद्ध)	-	-	
कर और असाधारण मदों के बाद लाभ	48,151	40,676	18.38

कर पश्चात लाभ:

- 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹ 48,151 करोड़ है, जबकि 31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹ 40,676 करोड़ था।

बी. वित्तीय सैपशॉट – बैलेंस शीट: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम की बैलेंस शीट का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण के साथ इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधि:			
शेयर पूंजी	6,325	6,325	0
आरक्षित और अधिशेष	1,20,096	75,740	58.56

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वृद्धि %
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	(233)	(127)	
पॉलिसीधारकों की निधि:			
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	6,47,540	6,92,682	(6.52)
हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व	11	0	
पॉलिसी देयताएं	47,35,580	43,95,325	7.74
बंद पॉलिसियों के लिए निधि			
(i) प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बंद	791	394	100.76
(ii) अन्य	14	14	0
बीमा रिजर्व	15,670	15,594	0.49
संबद्ध देनदारियों के लिए प्रावधान	47,533	34,876	36.29
उप-योग	54,47,139	51,38,885	6.00
भविष्य के विनियोजन के लिए निधि	1,828	1,215	50.45
कुल	55,75,155	5,222,038	6.76
निधियों का उपयोग			
निवेश-शेयरधारक	1,04,026	63,744	63.19
निवेश-पॉलिसीधारक	51,36,279	48,76,512	5.33
लिंकड देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्तियां	48,312	35,258	37.02
ऋण	1,27,480	1,20,258	6.01
स्थायी संपत्तियां	4,461	4,057	9.96
शुद्ध चालू संपत्तियां	1,54,597	1,22,209	26.50
कुल	55,75,155	52,22,038	6.76

- क) **रिजर्व और अधिशेष:** रिजर्व और अधिशेष (शेयरधारकों का कोष) 31 मार्च, 2024 तक ₹ 75,740 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को ₹ 1,20,096 करोड़ हो गया। 58.56% की वृद्धि मुख्यतः कर पश्चात लाभ में वृद्धि के कारण हुई है।
- ख) **उचित मूल्य परिवर्तन खाता:** उचित मूल्य परिवर्तन खाता (पॉलिसीधारकों का कोष) 31 मार्च, 2024 को ₹ 6,92,682 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2025 को ₹ 6,47,540 करोड़ हो गया। 6.52% की कमी मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयर कीमतों में मार्क-टू-मार्केट मूवमेंट के कारण हुई है।
- ग) **पॉलिसी देयताएं:** पॉलिसी देनदारियाँ 31 मार्च, 2024 को ₹ 43,95,325 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को ₹ 47,35,580 करोड़ हो गईं। पॉलिसीधारकों की देनदारियाँ व्यवसाय प्रोफाइल और प्रत्येक समय पर भविष्य की मृत्यु/रुग्णता, ब्याज, व्यय आदि के बारे में की गई धारणाओं पर निर्भर करती हैं। व्यवसाय प्रोफाइल में परिवर्तन पॉलिसियों के बंद होने और नए व्यवसाय में प्रवेश करने तथा मौजूदा पॉलिसियों की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के कारण होता है।
- घ) **संबद्ध देनदारियों के लिए प्रावधान:** संबद्ध देनदारियों (पॉलिसीधारकों के फंड) के लिए प्रावधान 31 मार्च, 2024 को ₹ 34,876 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ 47,533 करोड़ हो गया। पॉलिसीधारकों की संबद्ध देनदारियाँ संबद्ध व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को परिलक्षित करती हैं और इसे मूल्यांकन तिथि को नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसीधारकों के क्रेडिट में उपलब्ध इकाइयों के मूल्य के रूप में माना गया है।
- ड) **निवेश:** निगम अपनी परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर, कॉरपोरेट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी आदि जैसे निवेशों में रखती हैं। तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 31 मार्च, 2025 को निवेश का सारांश इस प्रकार है:

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निवेश		
क) शेयरधारकों का	1,04,026	63,744
ख) पॉलिसीधारकों का	51,36,279	48,76,512

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
लिंक्ड देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्तियाँ	48,312	35,258
कुल निवेश	52,88,617	49,75,514

कुल निवेश 31 मार्च, 2024 को ₹ 49,75,514 करोड़ से ₹ 3,13,103 करोड़ की बढ़त के साथ 31 मार्च 2025 को ₹ 52,88,617 करोड़ हो गया। 31 मार्च, 2025 तक कुल इक्विटी निवेश पोर्टफोलियो ₹ 13,43,109 करोड़ और अन्य ₹ 39,45,508 करोड़ का था। निवेशों के विस्तृत श्रेणीवार विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8, 8ए और 8बी देखें। पॉलिसीधारकों के निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि प्रीमियम और निवेश आय में वृद्धि के कारण हुई है, जिसकी भरपाई परिचालन व्यय और दावों के कारण हुए शुद्ध व्यय से होती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निवेश पर प्रतिफल (शेयरधारकों के फंड पर) बिना अवास्तविक लाभ के 6.93% है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निवेश पर प्रतिफल (पॉलिसीधारकों के फंड पर) बिना अवास्तविक लाभ के 8.65% है।

- च) **अचल संपत्तियाँ:** अचल संपत्तियाँ (मूल्यहास के बाद) 31 मार्च, 2024 को ₹ 4,057 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ 4,461 करोड़ हो गई हैं।
- छ) **शुद्ध चालू संपत्तियाँ:** शुद्ध चालू संपत्तियाँ 31 मार्च, 2024 को ₹ 1,22,209 करोड़ से 26.50% बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ 1,54,597 करोड़ हो गई हैं।

सी. नकदी प्रवाह विवरण

निम्नलिखित तालिका में, निर्दिष्ट अवधि के लिए नकदी प्रवाह का सारांश दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	(6,180)	28,911
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	37,514	(28,129)
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	(3,794)	(4,427)
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	62,324	34,712

(i) परिचालन गतिविधियाँ

परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2025 में (₹ 6180 करोड़) है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह ₹ 28,911 करोड़ था, जो मुख्य रूप से भुगतान किए गए पॉलिसी लाभों और बकाया भुगतान में वृद्धि के कारण है।

(ii) निवेश गतिविधियाँ

निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2025 में ₹ 37,514 करोड़ है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह (28,129 करोड़) था। इसका मुख्य कारण निवेश की बिक्री में वित्त वर्ष 2024 के ₹ 2,55,319 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹ 3,04,015 करोड़ हो जाना तथा प्राप्त किराया/ब्याज/लाभांश में वित्त वर्ष 2024 के ₹ 2,91,778 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹ 3,13,556 करोड़ हो जाना है, जिसकी भरपाई आंशिक रूप से निवेश की खरीद आदि से हो जाती है।

(iii) वित्तीय गतिविधियाँ

वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2025 में (₹ 3,794 करोड़) है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह (₹ 4,427 करोड़) था, जो मुख्य रूप से भुगतान किए गए ब्याज/लाभांश में वृद्धि के कारण है।

डी. लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण:

कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों अनुसूची 15अ के पृष्ठ क्रमांक 416 से 430 देखें।

ई. खंड-वार प्रदर्शन:

खंड-वार प्रदर्शन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

8. प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

निम्नलिखित प्रमुख पैरामीटर हैं जिनके आधार पर निगम के प्रदर्शन को मापा जा सकता है।

- (i) **बाजार हिस्सेदारी:** भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय जीवन बीमा बाजार में एक प्रमुख स्थान रखा है। अपने व्यापक नेटवर्क और छह दशकों से अधिक की मौजूदगी के साथ, LIC ने पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है, यानी 31 मार्च 2025 तक देश में कुल जीवन बीमा कारोबार का 57.05% हिस्सा प्रथम वर्ष प्रीमियम आय के हिसाब से है। व्यक्तिगत प्रथम वर्ष प्रीमियम आय के मामले में, LIC की बाजार हिस्सेदारी 37.46 है। FYPI में P&GS की बाजार हिस्सेदारी 71.19% है। जबकि पॉलिसियों में, LIC की कुल बाजार हिस्सेदारी 65.83% है। यह महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी एलआईसी की व्यापक पहुंच, ब्रांड पहचान और भारतीय उपभोक्ताओं के बीच इसके भरोसे को रेखांकित करती है।

जबकि एलआईसी को निजी बीमा कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका बाजार प्रभुत्व लचीला बना हुआ है, जिसे इसके बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, मजबूत वितरण नेटवर्क और सरकारी समर्थन से समर्थन प्राप्त है। हालांकि, चल रहे बाजार की गतिशीलता और नियामक परिवर्तन समय के साथ एलआईसी के बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए निरंतर रणनीतिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

- (ii) **उत्पाद मिश्रण:** एलआईसी विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले जीवन बीमा उत्पादों का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। इसके उत्पाद मिश्रण में पारंपरिक बंदोबस्ती योजनाएँ, संपूर्ण जीवन योजना, टर्म बीमा योजनाएँ, पेंशन योजनाएँ, यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएँ (यूएलआईपी), स्वास्थ्य बीमा और माइक्रोइंश्योरेंस उत्पाद शामिल हैं। पारंपरिक योजनाएँ, जैसे कि संपूर्ण जीवन और मनी-बैक योजनाएँ एलआईसी के उत्पाद पेशकशों की आधारशिला रही हैं, जो पॉलिसीधारकों को दीर्घकालिक बचत और सुरक्षा लाभ प्रदान करती हैं।

हाल के वर्षों में, एलआईसी ने बाजार की बदलती माँगों के अनुरूप नए उत्पाद भी पेश किए हैं, जैसे कि निवेश विकल्पों के साथ यूनिट-लिंक्ड योजनाएँ और व्यापक कवरेज के साथ संपूर्ण जीवन बीमा योजनाएँ। यह संतुलित उत्पाद मिश्रण LIC को व्यापक ग्राहक आधार को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है, जिसमें बुनियादी जीवन कवरेज चाहने वाले व्यक्तियों से लेकर निवेश-लिंक्ड बीमा समाधानों में रुचि रखने वाले लोग शामिल हैं।

प्रभावी विपणन रणनीतियों के साथ-साथ निरंतर उत्पाद नवाचार, LIC को अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और बाजार के रुझानों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है।

- (iii) **वितरण मिश्रण:** LIC का व्यापक वितरण नेटवर्क इसकी प्रमुख शक्तियों में से एक है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पहुँच और ग्राहक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी अभिकर्ताओं, बैंकाशोरेंस भागीदारी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को शामिल करते हुए एक बहु-चैनल वितरण ढाँचे के माध्यम से काम करती है।

LIC के अभिकर्ताओं का व्यापक नेटवर्क, जिसे अक्सर बीमा सलाहकार कहा जाता है, ग्राहकों तक पहुँचने, उन्हें बीमा उत्पादों के बारे में शिक्षित करने और पॉलिसी की बिक्री और सर्विसिंग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्रणी बैंकों, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों और IMF के साथ बैंकाशोरेंस गठजोड़ LIC की वितरण पहुँच का और विस्तार करता है, जिससे यह भागीदार संगठनों के मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ उठाने में सक्षम होता है।

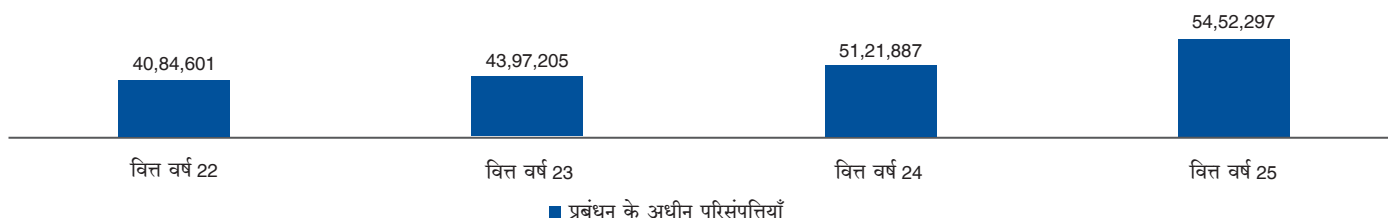
पारंपरिक चैनलों के अलावा, LIC ने ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और वितरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटलीकरण को अपनाया है। कंपनी पॉलिसी खरीद, प्रीमियम भुगतान, दावा प्रसंस्करण और ग्राहक सेवा के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान करती है, जो तकनीक-प्रेमी उपभोक्ताओं और मिलेनियल्स को सेवा प्रदान करती है।

विविध वितरण मिश्रण का लाभ उठाकर, LIC अपने ग्राहक खंडों की बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है, जबकि व्यापक बाजार में पैठ और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करती है।

- (iv) **प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ (एयूएम):** निगम का समेकित एयूएम 31 मार्च 2024 को ₹ 51,21,887 करोड़ से 6.45% बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ 54,52,297 करोड़ हो गया।

प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



(v) प्रबंधन व्यय का अनुपात

निगम परिचालन व्यय में कमी लाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कुल प्रबंधन व्यय अनुपात वित्त वर्ष 2024 के 15.57% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 12.42% हो गया है।

(vi) कमीशन अनुपात

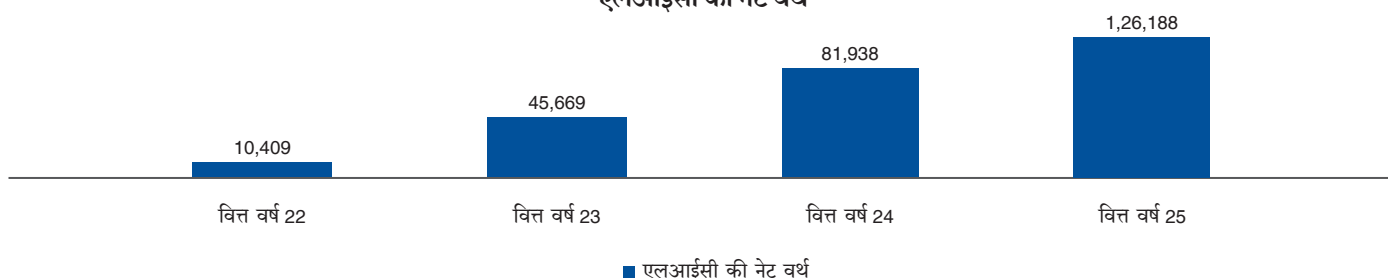
निगम कमीशन अनुपात वित्त वर्ष 2024 में 5.46% से आंशिक रूप से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 5.18% हो गया।

- (vii) **लाभप्रदता:** कर के बाद लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2024 में ₹ 40,676 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹ 48,151 करोड़ हो गया, जो मुख्य रूप से गैर सहभागी वाले खंड से अधिशेष में वृद्धि के कारण हुआ (गैर सहभागी खाते से शेयरधारकों के खाते में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन पर अभिवृद्धि से संबंधित राशि का हस्तांतरण)। कृपया स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 15 (ए) की नोट संख्या 24 देखें।

- (viii) **नेट वर्थ:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, नेट वर्थ 31 मार्च 2024 को ₹ 81,938 करोड़ से 54% बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ 1,26,188 करोड़ हो गया है। एलआईसी की नेट वर्थ में लगातार वृद्धि हो रही है। नेट वर्थ में यह वृद्धि बढ़े हुए रिजर्व के कारण है।

(₹ करोड़ में)

एलआईसी की नेट वर्थ



लाभप्रदता और नेट वर्थ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता के प्रमुख संकेतक हैं।

- (ix) **प्रति शेयर आय (ईपीएस)** ईपीएस प्रति शेयर के आधार पर कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है। बेसिक एवं डाइल्यूटेड ईपीएस 31 मार्च 2024 को ₹ 64.31 से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ 76.13 हो गया है।
- (x) **सॉल्वेंसी:** सॉल्वेंसी अनुपात भारतीय बीमा कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता का एक नियामक उपाय है और इसकी गणना बीमाकर्ता के उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन को उसके आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन से विभाजित करके की जाती है, प्रत्येक की गणना IRDAI दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। IRDAI द्वारा न्यूनतम सॉल्वेंसी अनुपात 1.50 निर्धारित किया गया है। कॉर्पोरेशन का सॉल्वेंसी अनुपात (भारत व्यवसाय के भीतर) 31 मार्च 2024 को 1.98 से बढ़कर 31 मार्च 2025 को 2.11 हो गया है।
- (xi) **पेर्सिसटेंसी:** पेर्सिसटेंसी अनुपात किए गए व्यवसाय के प्रतिशत को मापता है जो एक निश्चित अवधि के बाद भी चालू रहता है और प्रीमियम का भुगतान करता है। हमारे परिचालन के परिणामों के लिए उच्च स्तर की निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागू पॉलिसियों का एक बड़ा ब्लॉक हमें नियमित प्रीमियम के रूप में नियमित राजस्व प्रदान करता है।

व्यक्तिगत उत्पाद	13वां महीना	25वां महीना	37वां महीना	49वां महीना	61वां महीना
पॉलिसियों की संख्या के आधार पर					
वित्त वर्ष 2024 (% में)	66.99	57.47	52.50	53.23	48.59
वित्त वर्ष 2025 (% में)	64.12	59.32	52.66	48.79	50.31
प्रीमियम के आधार पर					
वित्त वर्ष 2024 (% में)	77.66	71.00	65.47	66.31	60.88
वित्त वर्ष 2025 (% में)	74.84	70.99	66.11	61.51	63.12

(xii) **वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (एपीई):** वित्त वर्ष 2025 में निगम का कुल APE ₹ 56,828 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024 में यह ₹ 56,970 करोड़ था। व्यक्तिगत Non PAR APE वित्त वर्ष 2024 के लिए 7041 से 50.28% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 10581 हो गया है।

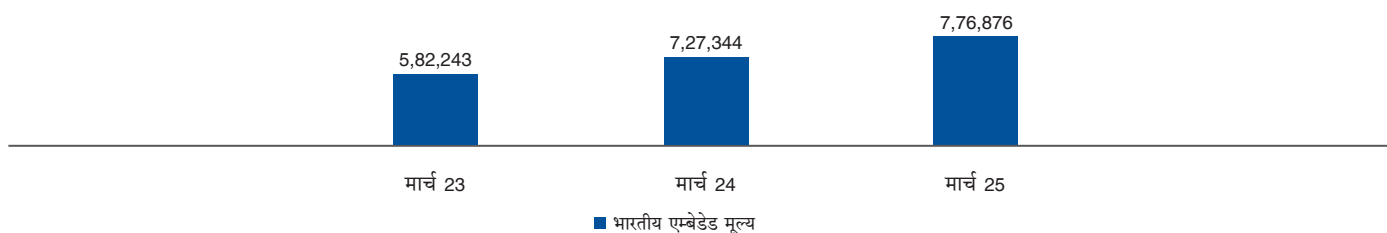
(xiii) **नए व्यवसाय का मूल्य और (वीओएनबी) और वीओएनबी मार्जिन:** वीओएनबी लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है क्योंकि यह किसी भी अवधि के दौरान नई नीतियां लिखने की गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को दर्शाता है। वीओएनबी मार्जिन प्रासंगिक अवधि के लिए वीएनबी और एपीई का अनुपात है और प्रतिशत के संदर्भ में नए व्यवसाय की अपेक्षित लाभप्रदता का एक उपाय है।

वित्त वर्ष 2025 के लिए निगम का वीओएनबी और वीओएनबी मार्जिन क्रमशः ₹ 10,011 करोड़ और 17.6% था जबकि वित्त वर्ष 2024 के लिए यह क्रमशः ₹ 9,583 करोड़ और 16.8% था।

(xiv) **भारतीय एम्बेडेड मूल्य (आईईवी):** आईईवी वित्त वर्ष 2024 में ₹ 7,27,344 करोड़ से 6.81% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹ 7,76,876 करोड़ हो गया।

(₹ करोड़ में)

भारतीय एम्बेडेड मूल्य



9. सॉफ्टवेयर विकास

एलआईसी ने अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत किया है, जिसमें नेटवर्क बैकविड्युथ, हार्डवेयर और सुरक्षा प्रणालियों जैसे नेक्स्ट जनरेशन फ़ायरवॉल, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट समाधानों को शामिल किया गया है, ताकि एक मजबूत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निरंतर मूल्यांकन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कार्य नियामकीय मानकों के अनुरूप हों। प्राइवेट क्लाउड्स और एसेट मैनेजमेंट टूल्स के उपयोग से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव हुआ है।

कोर बीमा एप्लिकेशन **e-FEAP Next** का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे पेपरलेस वर्कफ़्लो, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, रियल-टाइम डेटा इंटीग्रेशन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को समर्थन मिला है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है।

ANANDA प्लेटफ़ॉर्म में सुधार के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा मिला है, जिसमें केवाईसी, डिजिटल सहमति और भुगतान प्रक्रियाओं को सहज बनाया गया है।

डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जहाँ 77% से अधिक रिन्युअल प्रीमियम्स ओमनीचैनल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से एकत्र किए गए, जिसे प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रदाताओं के साथ साझेदारी द्वारा समर्थित किया गया।

एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (EDMS) व्यापक दस्तावेज़ संग्रहण और एलआईसी की विभिन्न प्रणालियों के साथ एकीकरण में सहायक है।

कस्टमर पोर्टल और एलआईसी डिजिटल ऐप में बायोमेट्रिक लॉगिन, मास्कड डेटा और सेल्फ-सर्विस फ़ीचर्स जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं की सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। **मर्चेन्ट** और **एजेंट पोर्टलों** को डिजिटल लेनदेन, सुरक्षा और संचालन में सुविधा के लिए अपग्रेड किया गया है, जिनमें क्यूआर कोड आधारित संग्रहण और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

एआई-संचालित चैटबॉट्स जैसे एलआईसी मित्र 2.0 बहुभाषी ग्राहक सहायता प्रदान करते हैं, जबकि **PRAGATI** और **PRATIDHI** जैसे ऐप्स बिक्री एवं विपणन टीमों को रीयल-टाइम इनसाइट्स और प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

कुल मिलाकर, ये पहलकदमियाँ एलआईसी के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करती हैं, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाती हैं और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देती हैं।

मुख्य पहलकदमियाँ:

1. मुख्य व्यावसायिक एप्लीकेशन:
2. एलआईसी ग्राहक पोर्टल और एलआईसी डिजिटल मोबाइल ऐप
3. सरकारी प्लेटफॉर्मों के साथ निर्बाध एकीकरण
4. एआई/एमएल, व्हाट्सअप व्यवसाय और संचार समाधान
5. निर्बाध ग्राहक ऑन-बोर्डिंग
6. भुगतान/प्राप्तियों का आधुनिकीकरण
7. डिजिटल परिवर्तन

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 44 से 45 तक देखें।

10. मानव संसाधन:

क) कर्मचारी संख्या:

31.03.2025 को निगम के कर्मचारियों की संख्या 91,606 है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में यह 98,661 थी।

ख) महिला सशक्तिकरण:

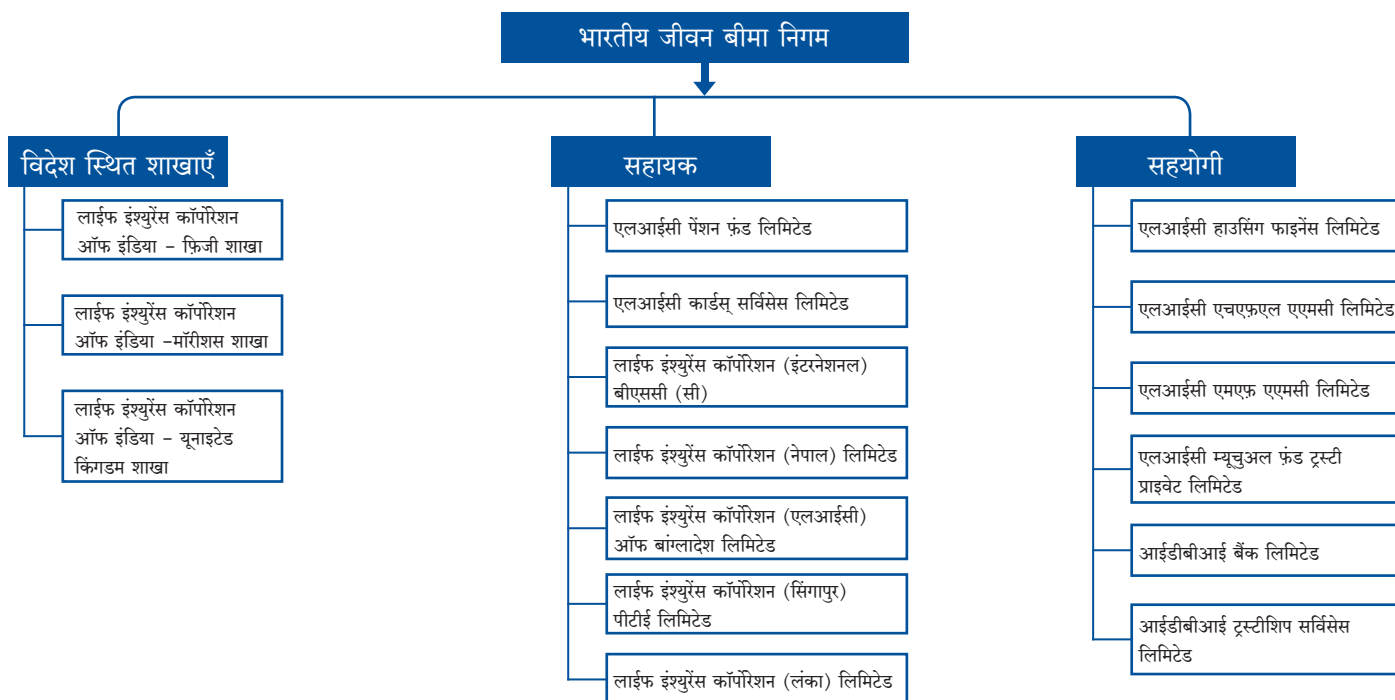
कार्यस्थल पर 23.87% महिला कर्मचारी विभिन्न संवर्गों में कार्यरत हैं। हमारे केंद्रीय कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विभागीय कार्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु आंतरिक शिकायत समितियाँ हैं और ये सभी समितियाँ प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

निगम कमजोर वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ पूर्व सैनिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

11. एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन

एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2006 में एलआईसी की सामुदायिक विकास पहलों को औपचारिक रूप देने के लिए की गई थी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा का विकास, चिकित्सा सहायता और सामान्य जनोपयोगी अन्य वस्तुओं का विकास है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया बोर्ड रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 51 पर बिंदू संख्या 14 का संदर्भ लें।

12. एलआईसीआई समूह संरचना



13. भारतीय सहायक कंपनियों, सहयोगियों और शेयर धारकों का प्रदर्शन

भारतीय जीवन बीमा निगम की भारत में निम्नलिखित सहायक और सहयोगी कंपनियां कार्यरत हैं:

क) एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहयोगी-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 45.24%)

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई थी। कंपनी व्यक्तियों को दीर्घकालिक आवास वित्त और बिल्डरों व डेवलपर्स को वित्त प्रदान करती है। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में है और देश भर में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय, 23 बैंक ऑफिस, 307 मार्केटिंग कार्यालय और 1 ग्राहक सेवा केंद्र तथा दुबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय है। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कंपनी को क्रिसिल और केयर द्वारा 'AAA STABLE' रेटिंग दी गई है।

31.03.2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति ₹ 3,13,927 करोड़ है। वर्ष 2024-25 के लिए ऋण वितरण ₹ 64,022 करोड़ है। 31.03.2025 तक बकाया ऋण पोर्टफोलियो ₹ 3,07,732 करोड़ है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 28,056.22 करोड़ है और 31.03.2025 तक कर पश्चात लाभ ₹ 5429.02 करोड़ है।

ख) एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (सहयोगी-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 5.38%)

एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी। एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, निवेश प्रबंधक के रूप में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)/वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) का प्रबंधन करती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 19.45 करोड़ और कर पश्चात लाभ ₹ 8.72 करोड़ है।

ग) एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (सहयोगी-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 44.61%)

एलआईसी म्यूचुअल फंड ("म्यूचुअल फंड") की स्थापना 20.04.1989 को एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी, जिसमें एलआईसी ऑफ इंडिया प्रायोजक के रूप में, एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्टी के रूप में और एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड का निवेश प्रबंधक के रूप में है। 193 निवेशक सेवा केंद्रों, 44 क्षेत्रीय कार्यालयों और 242 बिक्री टीम सदस्यों के नेटवर्क के साथ, एलआईसी म्यूचुअल फंड देश भर में लगभग 220 स्थानों पर मौजूद है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने दो नए फंड लॉन्च किए - 'एलआईसीएमएफ मैनुफैक्चरिंग फंड' और 'एलआईसीएमएफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड'। 31 मार्च 2025 तक, एलआईसी म्यूचुअल फंड 41 योजनाओं का प्रबंधन कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान,

एएमसी ने सभी लाइव योजनाओं से ₹ 1,59,521 करोड़ की सकल बिक्री जुटाई है। 31.03.2025 को निवेशकों की कुल संख्या 8,24,834 थी। 2024-25 की अंतिम तिमाही के लिए प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति (एयूएम) ₹ 36,476 करोड़ थी और यह उद्योग में एयूएम के मामले में 23वें स्थान पर थी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 106.29 करोड़ है और 31.03.2025 तक कर पश्चात लाभ ₹ 8.53 करोड़ है।

घ) एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (सहयोगी-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 49.00%)

एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, नियुक्त ट्रस्टी (कॉर्पोरेट इकाई) है और एलआईसी म्यूचुअल फंड की प्रत्ययी जिम्मेदारी संभालती है। यह एलआईसी म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करती है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय ₹ 0.53 करोड़ है और 31.03.2025 तक कर पश्चात लाभ ₹ 0.22 करोड़ है।

ड) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड (एलआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड की स्थापना 2007 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई थी और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में है। यह एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त धनराशि के प्रबंधन के लिए एक फंड मैनेजर के रूप में कार्य करता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने एनपीएस के विपणन हेतु पीओपी लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, जिससे ग्राहक आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्हें नए यूनिफाइड पेंशन फंड के प्रबंधन की भी मंजूरी मिल गई है, जिससे कंपनी का एयूएम और मजबूत होगा।

31 मार्च 2025 तक प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) ₹ 3,82,441 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 157.49 करोड़ है और 31.03.2025 तक कर पश्चात लाभ ₹ 63.29 करोड़ है।

च) एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसी सीएसएल) की स्थापना 11 नवंबर 2008 को हुई थी। कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली में और देश भर में विभिन्न स्थानों पर इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एलआईसी सीएसएल कार्ड्स वितरण के व्यवसाय में है और कंपनी - एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ साझेदारी में को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के विपणन और वितरण तथा एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ साझेदारी में को-ब्रांडेड गिफ्ट कार्ड्स के विपणन और वितरण का व्यवसाय करती है। कंपनी ने एलआईसी के कर्मचारियों को मील कार्ड जारी करने के लिए मेसर्स प्लूक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ एक अनुबंध भी किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बेचे गए कार्डों की कुल संख्या 70,648 है और 31.03.2025 तक बकाया कार्डों की संख्या 6,28,650 है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 30.90 करोड़ है और 31.03.2025 तक कर पश्चात लाभ ₹ 5.44 करोड़ है।

छ) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (सहयोगी-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 49.24%)

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को जनवरी 2019 में एक सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहित किया गया। यह बैंक दिसंबर 2020 में एलआईसी की सहयोगी कंपनी बन गया। मुंबई में मुख्यालय वाले इस बैंक की पूरे भारत में 2,100 से अधिक शाखाएँ और 3,100 से अधिक एटीएम हैं। आईडीबीआई बैंक एक पूर्ण-सेवा वाला सार्वभौमिक बैंक है। यह बैंक, एलआईसी का सबसे बड़ा बैंकएशयोरेंस भागीदार है।

31.03.2025 तक जमा राशि ₹ 3,10,293 करोड़ और अग्रिम राशि ₹ 2,18,399 करोड़ है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 33,826 करोड़ और 31.03.2025 तक कर पश्चात लाभ ₹ 7,515 करोड़ है।

ज) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (सहयोगी-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 29.84%)

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल) की स्थापना अगस्त 2000 में हुई थी और इसे 2001 में सेबी के साथ पंजीकृत किया गया था। आईटीएसएल कॉर्पोरेट्स को ट्रस्टीशिप सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 101.67 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभ ₹ 56.60 करोड़ है।

14. विदेशी परिचालन

क) विदेशी शाखाएँ:

निगम फिजी (सुवा और लौटोका), मॉरीशस (पोर्ट लुइस और क्रात्रे बोर्न्स) और यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से सीधे संचालित होता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, विदेशी शाखाओं ने कुल मिलाकर ₹ 91.98 करोड़ की नई व्यावसायिक प्रीमियम आय के साथ 9,423 पॉलिसियाँ जारी कीं।

ख) विदेशी सहायक कंपनियाँ:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की एक सहायक कंपनी है, जो विशाल समूह के साथ साझेदारी में सार्वजनिक शेयरधारिता रखती है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2001 को हुई थी। यह एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसके शेयरों का कारोबार नेपाल स्टॉक एक्सचेंज में होता है। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शेयरधारिता 55% है। कंपनी ने 15.07.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 157.5 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ 65,509 पॉलिसी बेचीं।

निम्नलिखित संस्थाओं का वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष है:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी):

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी) की स्थापना बहरीन साम्राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता 99.66% है। इसका संचालन 23 जुलाई 1989 को हुआ। शुरुआत में इसने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया और बाद में खाड़ी देशों के स्थानीय आबादी को जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी करना शुरू किया। कंपनी चार खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों - बहरीन साम्राज्य, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (दुबई और अबू धाबी) और कतार में कार्यरत है। कंपनी ने 31.12.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 252.87 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ 1,239 पॉलिसियाँ बेचीं।

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की एक सहायक कंपनी है, जिसने बार्टलेट ट्रांसकैपिटल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है और इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की हिस्सेदारी 93.75% है। कंपनी ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 10.77 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ 2,623 पॉलिसी बेचीं।

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है, जो स्ट्रैटेजिक इक्विटी मैनेजमेंट लिमिटेड और म्यूचुअल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी में है और 14.12.2015 को बांग्लादेश के कंपनी अधिनियम (अधिनियम XVIII) 1994 के अंतर्गत निगमित हुई। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता 83.33% है। कंपनी ने 31.12.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 3.75 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ 2,927 पॉलिसियाँ बेचीं।

ग) विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना 30 अप्रैल, 2012 को सिंगापुर में हुई थी। कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 61.5 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ 172 पॉलिसियाँ बेचीं।

घ) शाखा कार्यालय गिफ्ट सिटी:

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में एक कार्यालय खोलने के लिए सभी नियामक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं। इसके वित्त वर्ष 2025-26 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

15. उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

जीवन बीमा निगम के पास अपने व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन ढाँचा है। यह ढाँचा निगम के सामने आने वाले सभी जोखिमों पर विचार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद हों।

संगठनात्मक संरचना

प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा शासित यह विभाग बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करता है, जो बोर्ड द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के लिए नीतियों का प्रस्ताव करती है।

जोखिम प्रबंधन ढाँचा:

जोखिम प्रबंधन समिति की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड वार्षिक आधार पर निगम की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम क्षमता विवरण, एएलएम नीति और व्यवसाय निरंतरता योजना को मंजूरी देता है। जोखिमों के प्रबंधन के लिए तीन रक्षा पंक्तियाँ हैं – रक्षा पंक्ति 1 – जोखिम के स्वामी विभाग, क्षेत्र, प्रभाग और शाखाएँ, रक्षा पंक्ति 2 में जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिमों की समीक्षा करता है और रक्षा पंक्ति 3 में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्मिकों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता का लेखा-परीक्षण करता है।

प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरण:

ईआरएम मॉड्यूल:

एक उद्यम जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल का उपयोग गुणात्मक और मात्रात्मक जोखिमों का आकलन करने के लिए किया जाता है और परिणामी रिपोर्टों पर कमिटी ऑफ़ एक्सिक्युटिव ऑन रिस्क मैनेजमेंट (CERM) और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ़ द बोर्ड (RMCB) में चर्चा की जाती है।

प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरण हैं: जोखिम क्षमता विवरण, जोखिम रजिस्टर, घटना प्रबंधन ढाँचा (धोखाधड़ी निगरानी), प्रमुख जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक। इन उपकरणों का उपयोग रक्षा की तीनों पंक्तियों द्वारा किया जाता है और प्रबंधन द्वारा जोखिमों को कम करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं।

प्रमुख जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक:

निगम के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों की गंभीरता/प्रभाव का विश्लेषण करके निगम के लिए प्रमुख जोखिमों की पहचान की जाती है। प्रमुख जोखिम संकेतकों का मूल्यांकन हर तिमाही में किया जाता है। प्रमुख जोखिम और संबंधित प्रमुख जोखिम संकेतकों को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।

व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस):

निगम ने व्यावसायिक निरंतरता के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना बनाई है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और तकनीकी व्यवधानों आदि जैसी घटनाओं से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को सुनिश्चित करने हेतु इस निरंतरता योजना को औपचारिक रूप दिया गया है। निगम के पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (बीएसआई) द्वारा प्रमाणित बीसीएमएस आईएसओ 222301 प्रमाणन है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत विभिन्न जोखिमों के लिए शमन रणनीतियाँ:

निगम विभिन्न जोखिमों का सामना करता है, जिन्हें चार प्रमुख जोखिमों में वर्गीकृत किया गया है: रणनीतिक, वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम। उद्यम जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान की गई है और इन जोखिमों से निपटने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ लागू की गई हैं ताकि न केवल पॉलिसीधारकों के धन की सुरक्षा हो, बल्कि उनकी उचित अपेक्षाएँ भी पूरी हों।

निगम के पास भौतिक जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने के लिए एक सुस्थापित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढाँचा है। उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढाँचा निगम की रणनीति और व्यावसायिक निर्णयों को निगम की जोखिम क्षमता के अनुरूप बनाता है।

16. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

निगम ने वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, परिचालन और रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर समय पर प्रतिक्रिया, नीतियों, प्रक्रियाओं, कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं में लेखा परीक्षा, निरीक्षण और सतर्कता के माध्यम से एक मजबूत और व्यापक आंतरिक नियंत्रण तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण

की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में स्वतंत्र और उचित आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा एक आंतरिक लेखा परीक्षा टीम और सह-स्रोत लेखा परीक्षक (एक बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म) द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा नियोजन गतिविधि निगम के सभी कार्यालयों में निगम की व्यावसायिक प्रक्रिया और लेनदेन की कवरेज सुनिश्चित करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और रिपोर्ट भी करता है।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत निरीक्षण नीति में यह प्रावधान है कि भारत में निगम के प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण की प्रक्रिया प्रणालीगत खामियों के विरुद्ध एक पूर्व-निवारक उपाय है।

धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के माध्यम से निवारक सतर्कता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमारे संगठन की खरीद प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को लागू किया जा रहा है। भंडार खरीद और भवन निर्माण अनुबंधों के संबंध में, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीवीसी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने में सक्रिय और निवारक सतर्कता उपाय किए गए और केंद्रीय कार्यालय के संबंधित नियंत्रण विभागों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव दिए गए।

भौतिक जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए निगम के पास एक अच्छी तरह से स्थापित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है। ईआरएम ढांचा निगम की रणनीति और व्यावसायिक निर्णयों को निगम की जोखिम क्षमता के साथ संरेखित करता है।

17. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2024-25 में, निगम के केंद्रीय कार्यालय को भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के उल्लेखनीय कार्यान्वयन हेतु आशीर्वाद साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में सम्मानित किया गया है।

वर्ष 2024-25 में, निगम के केंद्रीय कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई उपक्रम द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सम्मानित किया गया।

निगम के 67 कार्यालयों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

18. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

भारत के नागरिकों तक सूचना की सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, निगम में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) की नियुक्ति की है। एलआईसी में 130 सीपीआईओ और 130 अपीलीय प्राधिकारी हैं।

एलआईसी की वेबसाइट <https://licindia.in/web/guest/rti-center> पर सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण अखिल भारतीय स्तर में उपलब्ध है।

सीआईसी ने लगातार चार वर्षों तक आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ब) के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए एलआईसी की वेबसाइट (www.licindia.in) के पारदर्शिता ऑडिट में 100% रेटिंग के साथ एलआईसी को ग्रेड ए संगठन के रूप में मान्यता दी है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 8084 आरटीआई आवेदन, 1211 अपील और 181 सीआईसी सुनवाई मामलों पर सुनवाई की गई है।

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशक मंडल (बोर्ड) को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम या एलआईसीआई या एलआईसी) की 68वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

आपका निगम मज़बूत शोधक सीमांत और महत्वपूर्ण निवेश के साथ लगातार मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन प्रदान कर रहा है, एवं वित्तीय सुरक्षा, साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत के आर्थिक विकास में योगदान करता है। निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमाकर्ता है, जो लाखों पॉलिसीधारकों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विविध जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके अपनी वित्तीय स्थिरता और व्यापक पहुँच के लिए प्रसिद्ध है।

1. वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के लिए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24	संवृद्धि (%)
नया व्यवसाय प्रीमियम (पुनर्बीमा का शुद्ध)			
प्रथम वर्ष का प्रीमियम	36,997.52	39,007.99	(5.15)
एकल प्रीमियम	1,89,760.11	1,83,633.45	3.34
नवीकरण प्रीमियम	2,61,390.54	2,52,428.14	3.55
कुल प्रीमियम	4,88,148.17	4,75,069.58	2.75
निवेश और अन्य आय	3,95,927.98	3,78,605.26	4.58
कुल आय	8,84,076.15	8,53,674.84	3.56
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	48,151.17	40,676.00	18.38

अन्य प्रमुख मानदंड :

विवरण	2024-25	2023-24	संवृद्धि (%)
निगम के वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (एपीई) (₹ करोड़ में)	56,828.00	56,970.00	(0.25)
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	54,52,296.67	51,21,886.90	6.45
एम्बेडेड मूल्य (₹ करोड़ में)	7,76,876.00	7,27,344.00	6.81
*शोधक सीमांत	2.11	1.98	-

*शोधक सीमांत की गणना, वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर विचार करने से पहले की गयी है।

आपका निगम वित्त वर्ष 2024-25 में निरंतर प्रदर्शन और विकास का साक्षी बना है। निगम के कुछ अन्य प्रमुख मानदंड इस प्रकार हैं:

- सकल एनपीए वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 10,697.53 करोड़ से 21.08% घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 8442.89 करोड़ हो गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल एवं द्रवित ईपीएस ₹ 76.13 है, जबकी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 64.31 था।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुद्ध प्रतिधारण अनुपात 99.86% है।

2. लाभांश और आरक्षित निधियां:

आपके निगम के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के 632,49,97,701 इक्विटी शेयरों पर ₹ 12/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 7589.99 करोड़ का नकद बहिर्गमन शामिल होगा, जो 15.76% के लाभांश भुगतान अनुपात में रूपांतरित होता है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम या लिस्टिंग विनियम) के विनियमन 43ए के संदर्भ में, निगम ने एक लाभांश वितरण नीति (लाभांश नीति) तैयार की है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। निगम की लाभांश नीति निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और जिसका लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने ₹ 44,356.17 करोड़ का लाभ अपने भंडार में जोड़ा है। मार्च 31, 2025 तक निगम ने ₹ 1,20,067.43 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

3. पूंजी और शेयरधारिता:

निगम ने इस वर्ष के दौरान कोई नए इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 25,000 करोड़ है जो ₹ 10/- प्रत्येक के 2,500 करोड़ शेयरों में विभाजित है और 31 मार्च, 2025 तक निगम की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 632,49,977,010 है, जिसमें प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य के 632,49,97,701 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

4. उत्पाद:

आपका निगम विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने कुल छह (6) नए बीमा उत्पाद पेश किए। जो की निम्नलिखित है:

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	श्रेणी
1	एलआईसी युवा टर्म	व्यक्तिगत
2	एलआईसी डिजी टर्म	व्यक्तिगत
3	एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ	व्यक्तिगत
4	एलआईसी डिजी क्रेडिट लाइफ	व्यक्तिगत
5	एलआईसी सिंगल प्रीमियम ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान	समूह
6	एलआईसी स्मार्ट पेंशन	व्यक्तिगत और समूह

नए उत्पादों को प्रस्तुत करने के अलावा, निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बत्तीस (32) मौजूदा व्यक्तिगत उत्पादों के संशोधित संस्करण पेश किए हैं। ये संशोधन उत्पाद सुविधाओं को बढ़ाने, ग्राहक मूल्य प्रस्तावों में सुधार करने और बाजार की उभरती जरूरतों और नियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए किए गए हैं। संशोधित उत्पाद निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	संशोधित उत्पादों की संख्या
1	एंडोमेंट बीमा योजनाएं	08
2	संपूर्ण जीवन बीमा योजनाएं	02
3	पेंशन योजनाएं	04
4	टर्म एश्योरेंस योजनाएं	07
5	मनी बैक बीमा योजनाएं	06
6	यूनिट लिंकड बीमा योजनाएं	04
7	माइक्रो बीमा योजनाएं	01

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, निगम के पास बिक्री के लिए निम्नलिखित उत्पाद उपलब्ध है:

उत्पाद प्रकार	उत्पादों की संख्या
व्यक्तिगत उत्पाद	32
समूह उत्पाद	12
व्यक्तिगत और समूह उत्पाद	01

उत्पाद प्रकार	उत्पादों की संख्या
व्यक्तिगत राइडर्स	05
समूह राइडर	01
कुल उत्पाद	51

5. निरंतरता:

उच्च निरंतरता, ग्राहकों को मजबूत निष्ठा की ओर ले जाती है और एलआईसी हमेशा विभिन्न ग्राहक संपर्क / निष्ठा कार्यक्रमों द्वारा निरंतरता में सुधार करने के लिए काम कर रही है, ग्राहकों को बीमा की आवश्यकता और पॉलिसियों को प्रचलित रखने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करती है।

प्रीमियम और पॉलिसियों की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत नियमित प्रीमियम व्यवसाय के लिए निरंतरता निम्नानुसार है:

प्रीमियम के आधार पर:

- 2024-25 के लिए 13वें महीने की निरंतरता, 2023-24 के 78% की तुलना में 75% है , जो 3% की गिरावट का संकेत देती है।
- 61वें महीने की निरंतरता 2024-25 में बढ़कर 63% हो गई, जो 2023-24 में 61% थी, यह 2% की वृद्धि को दर्शाती है।

पॉलिसियों की संख्या के आधार पर:

- 13वें महीने की निरंतरता, 2023-24 के 67% से घटकर 2024-25 में 64% हो गई, जो 3% की गिरावट है।
- 61वें महीने की निरंतरता में सुधार हुआ, जोकि 2023-24 के 49% से बढ़कर 2024-25 में 50% हो गया है।

6. अन्वेषण, रणनीति और योजना:

निगम को सूचित और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए, अन्वेषण और रणनीति टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष के दौरान, टीम ने उद्योग के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताओं और नियामक विकास का व्यापक विश्लेषण किया जिससे व्यावसायिक वातावरण पर उनके प्रभाव का आकलन करा जा सके। इन अवलोकन से बाजार की क्षमता के मूल्यांकन, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रतिकूल मापदंड निर्धारण और व्यापार विकास के पूर्वानुमान करने में मदद हुई, जिससे दीर्घकालिक रणनीतिक योजना बनाने में समर्थन मिला है।

रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत, निगम की व्यावसायिक योजना को निगम की आवश्यकताओं के साथ-साथ उद्योग की प्रवृत्तियों के अवलोकन, विनियामक वातावरण और ग्राहक की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर विकसित किया जाता है। यह योजना अन्वेषण टीम एवं बीमांकन और विपणन विभागों के संयुक्त प्रयास से तैयार की जा रही है। व्यावसायिक योजना की निरंतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित है, जो निगम के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ इसके निरंतर सरेखण को सुनिश्चित करती है।

प्रभावशाली और उत्तरदायी संचालन के समर्थन में, अन्वेषण और रणनीति टीम निरंतर आधार पर सभी हितधारकों को व्यावसायिक अनुमानों को प्रस्तुत करने की गतिविधियों में संलग्न रहती है जो निगम को विभिन्न स्तरों पर वित्त वर्ष के दौरान समय पर सुधार करने में सक्षम बनाती है।

इसके अलावा, अन्वेषण और रणनीति टीम ने विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यवसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को समेकित करने के लिए उत्तरदायी है। बीआरएसआर, निगम की पहल और प्रदर्शन का पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मापदंडों के माध्यम से आकलन करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।

ज्ञान साझा करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, अन्वेषण और रणनीति टीम ने एक केंद्रीकृत डेटा भंडार भी बनाया हुआ है और एक त्रैमासिक ई-पत्रिका, 'एनवोस्कैन' प्रकाशित करती है, जो पूरे संगठन में डेटा-संचालित कार्य में निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए मूल्यवान अवलोकन प्रदान करती है।

7. ग्राहक संबंध प्रबंधन:

(क) पॉलिसी सेवा:

जीवन बीमा पॉलिसी की मूल्य शृंखला में पॉलिसी सेवा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एलआईसी सक्रिय रूप से अपने पॉलिसीधारकों को सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करने में जुटा हुआ है।

देश के कोने-कोने में शाखाओं और सैटेलाइट कार्यालयों की उपस्थिति से, ग्राहकों को शाखाओं में व्यक्तिगत सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं। सेवा की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अभिकर्ताओं और अन्य बाज़ार मध्यस्थ जगह-जगह पर व्याप्त हैं।

ग्राहक, एलआईसी डिजिटल अप या www.licindia.in पर ग्राहक पोर्टल के माध्यम से एलआईसी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान की आसानी के लिए, एलआईसी ने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और ई-वॉलेट जैसे कई विकल्प प्रदान किए हैं। ग्राहक ऑटो डेबिट, ई-एनएसीएच (e-NACH) और यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (यूपीएमएस) का विकल्प भी चुन सकते हैं। उपरोक्त के अलावा, भारत कनेक्ट इकोसिस्टम के तहत परिचालन इकाइयों के रूप में एनपीसीआई, भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) के भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग करके थर्ड पार्टी अप्स और बैंकों के माध्यम से प्रीमियम डिजिटल रूप से देय है।

पॉलिसीधारक, एलआईसी के शाखा कार्यालयों और सैटेलाइट कार्यालयों में प्रीमियम का भुगतान नकद, चेक और कार्ड स्वाइपिंग मशीन (चुनिन्दा शाखा कार्यालयों) द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नकद या चेक के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के लिए उपलब्ध अन्य ऑफ़लाइन चैनल, योग्य अभिकर्ताओं, विकास अधिकारियों और वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगियों (एसबीए) द्वारा संचालित प्रीमियम संग्रह केंद्र हैं। आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनिन बैंक, सुविधा इन्फोसर्व, एमपी ऑनलाइन और एपीटी ऑनलाइन जैसी अन्य संस्थाएँ भी एलआईसी प्रीमियम स्वीकार करती हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर भी प्रीमियम का नकद भुगतान किया जा सकता है।

एलआईसी का एक केंद्रीकृत 24x7 कॉल सेंटर है जो 022-68276827 पर उपलब्ध है। कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा आठ क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु में प्रदान की जाती है।

एलआईसी की सेवा से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध है, ग्राहक मोबाइल नंबर 9222492224 पर एलआईसीहेल्प पॉलिसी नंबर प्रारूप में एसएमएस भेज सकते हैं और ग्राहक क्षेत्र से एलआईसी अधिकारी, ग्राहक से संपर्क करता है और किसी भी सेवा आवश्यकता के लिए ग्राहक को सहायता प्रदान करता है। ग्राहक संपर्क नंबर 8976862090 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी एलआईसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

ग्राहक प्रमाणीकरण और धोखाधड़ी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, एलआईसी ने विभिन्न रिपॉजिटरी के साथ एकीकरण किया है। यह टर्नअराउंड समय को कम करने में मदद करती है और प्रभावी सेवा प्रदान करती है। ग्राहक, निगम द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से डिजिटल जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं।

एलआईसी ने अपने पंजीकृत ग्राहकों के लिए एक आसान प्रतिक्रिया और शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया है। ग्राहक शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज और ट्रैक कर सकता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की शिकायत प्रबंधन प्रणाली, 'बीमा भरोसा' के तहत पंजीकृत शिकायतों को भी एलआईसी की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ समन्वयित किया गया है। ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के पास शाखा, मंडल, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर एक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) है। जीआरओ के नाम एलआईसी की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं। संबंधित जीआरओ अपने कार्यालयों में सभी सोमवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच, बिना पूर्व नियुक्ति के और पूर्व नियुक्ति के साथ अन्य कार्य दिवसों पर व्यक्तिगत बातचीत के लिए उपलब्ध रहते हैं।

एलआईसी की देश भर में 2048 शाखा कार्यालयों और 1584 सैटेलाइट कार्यालयों के साथ व्यापक भौतिक उपस्थिति है। इसके अलावा, एलआईसी ने 'एनीव्हेयर सर्विसेज' जैसी पहल की है जहां ग्राहक एलआईसी की किसी भी शाखा में आकर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एलआईसी के ग्राहक क्षेत्र सभी ग्राहक प्रस्तावों के लिए एक एकल बिंदु संपर्क हैं। एलआईसी के पूरे भारत में 74 ग्राहक क्षेत्र हैं जो सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कार्यरत हैं।

एलआईसी लगातार बेहतर ग्राहक जुड़ाव और सभी स्पर्श बिंदुओं पर अपने पॉलिसीधारकों को बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने का प्रयास करती है।

(ख) दावा संबंधित प्रदर्शन:

ग्राहक बनाए रखने में, दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने में और निगम की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में, प्रभावी ग्राहक सेवा मदद करती है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, आपका निगम विश्वास बढ़ाने और पॉलिसीधारकों को निगम के साथ अपने सफ़र में सहयोग का एहसास दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आपका निगम पॉलिसीधारकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखता है, उन्हें विवरणों को अद्यतन करने और उनके प्रश्नों और चिंताओं को सहानुभूति और व्यावसायिकता एवं व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से संबोधित करता है ताकि निगम द्वारा निर्बाध और उत्तरदायी सेवा प्रदान की जा सके।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने ₹ 2,69,243.59 करोड़ (व्यक्तिगत, सूक्ष्म बीमा और पेंशन और समूह योजनाओं सहित) की राशि के 229.31 लाख दावों का निपटान किया है। सभी भुगतान डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किए गए हैं, यानी एनईएफटी के माध्यम से 100% भुगतान किए गए हैं।

निगम के पॉलिसीधारकों को भुगतान किए गए लाभों का सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में पृष्ठ संख्या 27 एवं 28 पर प्रदान किया गया है।

8. सूचना प्रौद्योगिकी:

निगम ने रणनीतिक रूप से अपना डिजिटल परिवर्तन शुरू किया है, जिससे निगम, पारंपरिक प्रणालियों और मैनुअल प्रक्रियाओं से हटकर उन्नत, शुरू से अंत तक डिजिटल समाधानों में स्थानांतरित हो गया है। एलआईसी को डिजिटल रूप से संचालित, भविष्य के लिए तैयार संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए नीचे सूचीबद्ध तकनीकी पहलों की एक श्रृंखला को कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को सहज, स्केलेबल और अज़ाईल डिजिटल-प्रथम संचालन को सक्षम करके ग्राहकों, शेयरधारकों और सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क. मुख्य व्यवसाय एप्लीकेशन:

eFEAP, निगम का स्वयं रूप से विकसित किया गया मुख्य बीमा समाधान है, जिसके माध्यम से निगम अपने सभी कार्यालयों में सम्पूर्ण पॉलिसी जीवनचक्र के दौरान – नए व्यवसाय चरण से लेकर ग्राहक संबंध प्रबंधन कार्यों तक और दावा निपटान प्रक्रिया तक, गतिविधियों का प्रबंधन करने की अनुमति करता है।

ख. एलआईसी ग्राहक पोर्टल और 'एलआईसी डिजिटल' मोबाइल ऐप:

सरल और सुविधाजनक स्व-सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए, ग्राहक पोर्टल और एलआईसी डिजिटल मोबाइल ऐप विभिन्न प्रकार के स्वयं-सेवा विकल्पों के साथ एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं। जिसमें पॉलिसी और प्रस्ताव की छवि देखना, प्रीमियम और कृण ब्याज भुगतान करना और कृण पुनः भुगतान प्रबंध करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से पते में परिवर्तन, भुगतान विधि परिवर्तन, यूलिप फंड स्विच, ई-एनएसीएच, और पैन एवं एनईएफटी डेटा के ऑनलाइन पंजीकरण जैसे सेवा अनुरोधों का समर्थन करते हैं और विभिन्न ग्राहक सेवा अनुरोधों को प्रस्तुत करने और पूरा करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इन ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से सेवाओं के लिए 2.60 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके चेहरे की पहचान और जीवंतता के सत्यापन के लिए जीवन साक्ष्य, वार्षिकधारक और पेंशनर के लिए मोबाइल ऐप को एलआईसी डिजिटल मोबाइल ऐप के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे वार्षिकधारक और पेंशनर अपने घर से आसानी से ऑनलाइन अपने अस्तित्व प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं।

ग. सरकारी प्लेटफार्मों के साथ निर्बाध एकीकरण:

उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर करने के लिए, पॉलिसी प्रशासन प्लेटफार्मों को आधार, पैन, उमंग और डिजिलॉकर जैसे सरकार-सक्षम सार्वजनिक सेवा प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण निर्बाध पैन/आधार सत्यापन, सी-केवाईसी, ई-केवाईसी और ई-साइन फंक्शनलिटी को सक्षम बनाता है, जो बीमा खातों को प्रबंधित करने के लिए एक सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के तरीका प्रदान करता है।

घ. एआई/एमएल, व्हाट्सएप व्यवसाय और संचार समाधान:

- एलआईसी मित्र (निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध) – यह चैटबॉट एआई/एमएल-संचालित है और इसमें एलआईसी उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के बारे में व्यापक ज्ञान है, साथ ही यह ग्राहकों को त्वरित और सटीक सहायता भी प्रदान करता है।
- ग्राहक पारस्परिक क्रिया/सहभागिता को और अधिक बढ़ावा देने तथा सेवा वितरण को सरल एवं कारगर बनाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस समाधान को शामिल किया गया है।

- हमने उत्पादकता बढ़ाने के लिए संचार प्रणाली भी स्थापित की हैं जैसे समर्पित वीसी समाधान, एसएमएस और ईमेल प्रणाली जोकि आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बीच सहयोग प्रदान करती है।

ड. निर्बाध ग्राहक ऑन-बोर्डिंग:

एलआईसी ने एक नया डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म यानी आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन (आनंदा) आरंभ किया है जो स्मार्ट समाधान के साथ बेहतर यूजर इंटरफेस / यूजर अनुभव (यूआई / यूएक्स) ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाता है। यह प्लेटफॉर्म ई-केवाईसी, सी-केवाईसी डेटा और ग्राहक आईडी का उपयोग करते हुए प्री-फिल्ड प्रपत्रों और साथ ही साथ रियल-टाईम बैंक खाता सत्यापन के साथ एकीकृत है, जो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

च. भुगतान/प्राप्तियों का आधुनिकीकरण:

ई-नाच/एनईएफटी एक कुशल, कागज रहित समाधान प्रदान करता है जिसके द्वारा एलआईसी के ग्राहक अपने बैंक खातों से स्वचालित प्रीमियम कटौतियों और दावा भुगतान संबंधी आदेशपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकृत कर सकते हैं। यह भुगतान लेनदेन को सरल बनाने और तेज करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को अंकित करता है।

छ. डिजिटल परिवर्तन:

व्यापक DIVE (डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एन्हांसमेंट) पहल डिजिटल परिवर्तन के लिए कई रणनीतिक स्तंभों को शामिल करेगी। सेल्स स्टैक, बिक्री मध्यस्थों के लिए मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म पर एक आभासी कार्यालय प्रदान करेगा, नए व्यवसाय और नवीनीकरण, ग्राहक सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों की सुविधा प्रदान करेगा। कस्टमर स्टैक ग्राहकों के बीमा और सर्विसिंग की जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। यह पहल डिजिटल मार्केटिंग (D2C), एजेंट (A2C), और बैकशोरिंग एवं वैकल्पिक चैनल (B&AC) के माध्यम से एक सहज एंड-टू-एंड ग्राहक ऑन-बोर्डिंग अनुभव सुनिश्चित करेगी।

डीआईवीई पहल निम्न पर केंद्रित है:

- नवाचार को चलाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाना।
- बाजार की बढ़ती मांगों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए परिचालन चपलता बढ़ाना।
- अधिक मापनीयता और प्रदर्शन के लिए पारंपरिक प्रणालियों को रि-इंजीनियरिंग करना।
- बेहतर सेवा वितरण के लिए 360-डिग्री ग्राहक दृश्य एवं ग्राहक जुड़ाव के लिए अति-वैयक्तिकृत संचार प्रदान करना।
- संगठन के सभी स्तरों पर डेटा-संचालित कार्यों में निर्णय लेने को सक्षम करना।

डिजिटल नवाचार के प्रति एलआईसी प्रतिबद्ध है जिससे निगम अपने हितधारकों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे डिजिटल इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, एलआईसी ग्राहकों, अभिकर्ताओं और कर्मचारियों को सहज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल समाधानों के माध्यम से सशक्त बनाने के अपने मिशन में दृढ़ है, जो भविष्य के लिए तैयार, डिजिटल रूप से सशक्त बीमा क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

9. मानव संसाधन:

31 मार्च, 2025 तक, निगम में कुल 91,606 कर्मचारी हैं जिनमें 21,866 महिला कर्मचारी (कुल कर्मचारियों का 23.86%) शामिल हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

व्यक्तियों	पुरुष	महिला	कुल
प्रथम श्रेणी	22,223	6,909	29,132
द्वितीय श्रेणी	18,650	1,977	20,627
तृतीय श्रेणी	28,082	12,682	40,764
चतुर्थ श्रेणी	785	298	1,083
कुल	69,740	21,866	91,606

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:

निगम लैंगिक समानता और सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्य वातावरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निगम ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उनके आर्थिक और व्यावसायिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है।

महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने संगठन के सभी स्तरों पर मूल्यवान योगदान दिया है, जो निगम के निरंतर विकास और सफलता में एक अभिन्न भूमिका निभा रहे हैं। एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए, निगम ने पीड़ित को सभी उचित सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

ये समितियाँ अधिनियम के सांविधिक ढांचे के अनुरूप कार्य करते हुए, शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्र और निष्पक्ष निवारण सुनिश्चित करती हैं। शिकायत निवारण के अलावा, समितियाँ कर्मचारियों को शिक्षित करने और कार्यस्थल में गरिमा, आपसी सम्मान और समावेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियमित जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। 31 मार्च, 2025 तक शिकायतों का सारांश इस प्रकार है:

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	02
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	09
कुल शिकायतों की संख्या	11
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	09
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	02*

*इस रिपोर्ट की तारीख तक, दोनों लंबित शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

10. आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण ढांचा:

आंतरिक लेखापरीक्षा

निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की देखरेख केंद्रीय कार्यालय, मुंबई (कें.का) में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। देश भर में (13) तरह लेखापरीक्षा केंद्र हैं जो केंद्रीय कार्यालय की देखरेख और निगरानी में लेखापरीक्षा करते हैं। इस निरीक्षण के अलावा, केंद्रीय कार्यालय लेखापरीक्षा विभाग केंद्रीय कार्यालय के भीतर ही विभिन्न विभागों की लेखापरीक्षा भी करता है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में व्यावसायिकता और निष्पक्षता बेहतर करने के लिए, निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 से एक संशोधित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण शुरू किया है, जिसके तहत एक तिहाई मंडल कार्यालयों और उनके संबंधित शाखा कार्यालयों सहित पेंशन एवं समूह स्कीम इकाइयों का सालाना चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा। यह प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024-25 में जारी रही, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी मंडल कार्यालयों और उनके संबंधित शाखा कार्यालयों सहित पेंशन एवं समूह स्कीम इकाइयों का हर तीन साल की अवधि में कम से कम एक बार, (सीए) फर्मों द्वारा अंकेक्षण किया गया है।

विभिन्न इकाइयों में लेखापरीक्षा को, विभाग-विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्नावली का उपयोग करके आयोजित किया जाता है, जिन्हें नवीनतम परिपत्रों, नीतिगत परिवर्तनों और परिचालन विकास को शामिल करके प्रति वर्ष अद्यतन किया जाता है। इन प्रश्नावली में प्रत्येक संगठनात्मक स्तर, यानी शाखा, मंडल, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) से संबंधित नियंत्रण करने के प्रश्न भी शामिल हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नियमित रूप से केंद्रीय कार्यालय में संबंधित कार्यात्मक प्रमुखों के साथ साझा किया जाता है, जो परिचालन इकाइयों को सुधारात्मक निर्देश जारी करते हैं और जहां भी आवश्यक हो, प्रणालीगत नियंत्रण संवर्द्धन को लागू करते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में, निगम ने आयोजित किया:

- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) लेखापरीक्षा, और
- सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा

इन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और तत्पश्चात् समीक्षा एवं मार्गदर्शन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसके अतिरिक्त, निगम के धोखाधड़ी निगरानी ढांचे के अनुसार, ₹ 1 करोड़ (एक करोड़ रुपए) से अधिक की राशि वाले सभी धोखाधड़ी के मामलों को केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी समिति और जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यपालको की समिति के माध्यम से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को सूचित की जाती है।

आंतरिक निरीक्षण

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरीक्षण नीति है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि सैटेलाइट कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय सहित भारत के प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण, निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।

यह निरीक्षण प्रक्रिया प्रणालीगत खामियों की पहचान, रिपोर्ट और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, और संगठन के सभी स्तरों पर परिचालन दक्षता, अनुपालन और जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सभी कार्यालयों का निरीक्षण 07 मार्च, 2025 तक सफलतापूर्वक पूरा किया गया और 68.58% शाखा कार्यालयों और 99.11% मंडल कार्यालयों को उत्कृष्ट दर्जे से सम्मानित किया गया है।

व्यक्तिगत कार्यालय मूल्यांकन के अलावा, निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहचानी गई सामान्य अनियमितताओं को समेकित किया गया और केंद्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुखों के साथ साझा किया गया है। जो प्रणालीगत सुधार को सुगम बनाने तथा निगम भर में निवारक उपायों के कार्यान्वित को सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

निगम अपने कार्यालयों के विशाल नेटवर्क में पारदर्शिता, शासन मानकों और सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपनी निरीक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को मजबूत करना जारी रखे हुए है।

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक संरचित प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और हितधारकों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए रूपांकित किया गया है। निगम के आंतरिक नियंत्रण ढांचे में नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विस्तार से, निगम की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है, (2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि लेनदेन को अनुमति एवं आवश्यक रूप में वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार, दर्ज किया जाता है, और यह भी आश्वासन करता है कि निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) निगम की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

12. पुरस्कार एवं मान्यताएं:

निगम को वर्ष 2024-25 के दौरान मोबाइल अभियान, अभिनव उत्पाद, सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल, ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमत पर बीमा समावेशन, ग्रामीण विस्तार, ई-व्यवसाय, दावा निपटान, बीमा प्रवेश, डिजिटल परिवर्तन, ग्राहक सेवा, कॉर्पोरेट संचार, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन सम्मानों से हमारी उत्कृष्टता, नवाचार और हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार और मान्यताएं इस प्रकार हैं:

पुरस्कार एवं मान्यताएं

- 🏆 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शीर्षक - आपके निगम ने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जीवन बीमा पॉलिसियों बेचने (20 जनवरी, 2025 को बेची गई) के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब अर्जित किया है, जो निगम के समर्पित एजेंसी नेटवर्क के अपूर्व प्रदर्शन को मान्यता देता है।
- 🏆 वीव द्वारा वर्ष 2024 का ग्रेट इंडियन बीएफएसआई मोबाइल अभियान पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- 🏆 सबसे प्रभावशाली अभियान के लिए सम्मान रोल से सक्सेस एट क्वोअरावर्स: अनलॉकिंग नॉलेज फॉर इंपेक्ट में सम्मानित किया गया है।
- 🏆 बैंकिंग फ्रंटियर द्वारा फिनोविटी कॉन्क्लेव अवार्ड्स 2024 का 13वां संस्करण में इनोवेटिव प्रोडक्ट-जीवन उत्सव के लिए सम्मानित किया गया है।

- 🏆 टीम मार्क्समैन डेली द्वारा 2024-25 में सबसे पसंदीदा कार्यस्थल: एलआईसी को टीम मार्क्समैन डेली द्वारा सबसे पसंदीदा कार्यस्थल 2024-25 के रूप में मान्यता दी गई है।
- 🏆 सीएमओ एशिया द्वारा बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन स्टार पुरस्कार में निम्न तीन श्रेणियों में सम्मानित किया गया है;
 - ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमत पर बीमा समावेशन
 - ई-बिजनेस लीडर - बड़ी श्रेणी
 - दावा सेवा में उत्कृष्टता
- 🏆 एसोचेम के 16वें वैश्विक बीमा समिट और पुरस्कार में दो श्रेणी में सम्मानित किया गया है:
 - सबसे प्रभावी बीमा पैठ
 - ग्रामीण विस्तार में सर्वोत्तम अभ्यास
- 🏆 सीएमओ एशिया द्वारा बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में तीन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:
 - डिजिटल परिवर्तन
 - ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार
 - वर्ष की बीमा कंपनी (जीवन)
- 🏆 कंटेंट मार्केटिंग में सर्वश्रेष्ठ के लिए ब्रांड स्टोरीज़ अवाड्स द्वारा 'बेस्ट यूज ऑफ़ क्वोअरा' की श्रेणी के तहत कंटेंट मार्केटिंग में सर्वश्रेष्ठ के लिए ब्रांड स्टोरीज़ अवाड में पुरस्कार जीता है।
- 🏆 ET NOW इंड्योरेंस समिट का 11वां संस्करण में वर्ष 2024 के लिए जीवन बीमाकर्ता-बड़ी श्रेणी में स्मार्ट बीमाकर्ता के लिए सम्मानित किया गया है।
- 🏆 एलआईसी को ग्रीनटेक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस समिट, अवाड्स और एक्सपो 2024 में कॉर्पोरेट संचार में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई है।
- 🏆 नवभारत बीएफएसआई कॉन्क्लेव और अवाड्स-2024 में दो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो क्लेम सेटलमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्टता के लिए है।
- 🏆 बैंकिंग फ्रंटियर द्वारा चौथा इंड्योरनेक्स्ट और इंड्योरटेक कॉन्क्लेव और बीमा कंपनियों (लाइफ) के पुरस्कार में 'सर्वश्रेष्ठ जीवन बीमा कंपनी' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ब्रांड रैंकिंग:

क्र.सं.	रैंकिंग	विवरण	स्रोत
1	1 st	एलआईसी सबसे तेजी से बढ़ते भारतीय ब्रांड के रूप में उभरा है, और 36% उल्लेखनीय की वृद्धि हासिल की है।	ब्रांड फाइनेंस 2025
2	1 st	विश्वसनीय ब्रांड पुरस्कार	रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, सितंबर 2024
3	1 st	मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स 2024-25 (चौथा संस्करण) मार्क्समैन डेली द्वारा इंडिया टुडे के सहयोग से	मार्क्समैन डेली और इंडिया टुडे
4	1 st	2025-26 में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक (इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ 5वां संस्करण भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड 2025-26)	इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड
5	2 nd	फॉर्च्यून 500 इंडिया -2024 कुल राजस्व के आधार पर (पिछले वर्ष के मुकाबले तीसरी रैंक)	फॉर्च्यून इंडिया

क्र.सं.	रैंकिंग	विवरण	स्रोत
6	3 rd	दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली बीमा ब्रांड 2025	ब्रांड फाइनेंस- इंडियोरेंस 100 -2025
7	4 th	शीर्ष 15 भारतीय ब्रांड	ब्रांड फाइनेंस 2025
8	9 th	भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियां	बिजनेस टुडे (बीटी 500)
9	10 th	कांतार ब्रांड्स - मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2024	कांतार ब्रांड्स 2024
10	12 th	दुनिया के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड (पिछले वर्ष 2023-24 रैंकिंग 18 के मुकाबले)	ब्रांड फाइनेंस- इंडियोरेंस 100 -2025
11	177 th	शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड (पिछले वर्ष 2023-24 के मुकाबले - 222 रैंक)	ब्रांड फाइनेंस 2025

13. सहायक और सहयोगी कंपनियां:

31 मार्च, 2025 तक, निगम की तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, चार सहायक कंपनियां और छह सहयोगी कंपनिया है। निगम की कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं है।

इस वर्ष के दौरान कोई भी संस्था निगम की सहायक या सहयोगी नहीं बनी और नाहिं बंद हुई। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगियों के कारोबार के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का स्वरूप	व्यावसायिक गतिविधि	एलआईसी द्वारा धारित शेयरों का%
1	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसी सीएसएल)	¹ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसी सीएसएल, चैनल पार्टनर बैंकों (आईडीबीआई बैंक; एक्सिस बैंक; आई.डी.एफ.सी फ्रस्ट बैंक) के क्रेडिट कार्डों का पालिसीधारकों, कर्मचारियों और निगम के अधिकर्ताओं तथा सामान्य जनता को विपणन और वितरण करता है। उन्होंने गिफ्ट कार्ड जारी करने के लिए एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ सह-ब्रांडिंग की है। कंपनी ने एलआईसी के कर्मचारियों को भोजन (मील) के लिए सह-ब्रांडिंग कार्ड्स जारी करने के लिए मैसर्स प्लक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और बैंकों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है।	100%
2	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड (एलआईसी पीएफएल)	¹ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसी पीएफएल पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित पेंशन फंड योजनाओं के लिए पेंशन फंड का कारोबार करती है।	100%
3	लाइफ इन्शुरेंस कारपोरेशन (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड (एलआईसी सिंगापुर)	² पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसी सिंगापुर जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	100%
4	लाइफ इन्शुरेंस कारपोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी) (एलआईसी बहरीन)	³ सहायक	एलआईसी बहरीन, बहरीन और जीसीसी देशों में जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	99.66%
5	लाइफ इन्शुरेंस कारपोरेशन (लंका) लिमिटेड (एलआईसी लंका)	³ सहायक	एलआईसी लंका जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	93.75%

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का स्वरूप	व्यावसायिक गतिविधि	एलआईसी द्वारा धारित शेयरों का%
6	लाइफ इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड (एलआईसी नेपाल)	³ सहायक	एलआईसी नेपाल जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	55%
7	लाइफ इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ बांग्लादेश (एलआईसी बांग्लादेश)	³ सहायक	एलआईसी बांग्लादेश अन्य के अलावा, जीवन और पूरक स्वास्थ्य कवरेज के साथ, व्यक्तिगत और समूह योजनाओं के तहत दुर्घटना लाभ और पेंशन बीमा व्यवसाय प्रदान करके जीवन बीमा सेवाओं और सभी प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति व्यवसाय में कार्यरत है।	83.33%
8	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (एलआईसीएमएफ ट्रस्टी)	⁴ सहयोगी	एलआईसीएमएफ ट्रस्टी एलआईसी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्यरत है।	49%
9	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट)	⁴ सहयोगी	एलआईसीएमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड की योजनाओं के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।	44.61%
10	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल)	⁴ सहयोगी	एलआईसीएचएफएल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, कंपनी या निगम, सोसाइटी या एसोसिएशन और विशेष रूप से, भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसिधारकों को आवासीय उद्देश्यों के लिए घर या फ्लैट का निर्माण या खरीदने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है, और किराए खरीद या आस्थगित भुगतान या अन्य समान आधार के माध्यम से बेचे जाने वाले आवासीय उद्देश्य के लिए घरों या फ्लैटों के निर्माण के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्त भी प्रदान करती है।	45.24%
11	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल एएमसी)	⁴ सहयोगी	एलआईसीएचएफएल एएमसी, निवेश प्रबंधक के रूप में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)/वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) का प्रबंधन करती है।	5.38%
12	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक)	⁴ सहयोगी	आईडीबीआई बैंक भारत के भीतर और बाहर, सभी रूपों के बैंकिंग व्यवसाय के कार्य में कार्यरत है।	49.24%
13	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल)	⁴ सहयोगी	आईटीएसएल कॉर्पोरेट्स को ट्रस्टीशिप सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। आईटीएसएल सूचीबद्ध शेयरों के बदले ऋण के लिए गिरवी शेयरों की निगरानी की सेवाएं एवं एस्क्रो और सुविधा एजेंसी सेवाओं को भी प्रदान करता है।	29.84%

¹भारतीय पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनियां; ²विदेशी पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी; ³विदेशी सहायक कंपनियां और ⁴भारतीय सहयोगी कंपनियां निगम फिजी (सुवा और लौटोका), मॉरीशस (पोर्ट लुइस) और यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से सीधे संचालन करता है। यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) स्थित, निगम की शाखा ने 21 जून, 2024 से नई पॉलिसियों की बिक्री बंद कर दी है।

निधियों का विभाजन:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 और धारा 28 के संशोधित प्रावधान जो 30 जून, 2021 को लागू हुए। धारा 24 में निगम को भागीदारी वाले और गैर- भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग निधि बनाए रखने का प्रावधान है। धारा 28, जो इन निधियों के रखरखाव के लिए लागू होती है, अधिशेष के आवंटन को निम्नानुसार रेखांकित करती है:

1. **भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों की निधि:** भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के लिए अधिशेष का 90% या उच्च प्रतिशत आवंटित या आरक्षित किया जाएगा, शेष अधिशेष सदस्यों के पास जाएगा; और
2. **गैर- भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों की निधि:** अधिशेष का 100% सदस्यों के लिए आवंटित या आरक्षित किया जाता है।

उपरोक्त प्रावधान भारत में निगम की निधियों के लिए प्रभावी बनाया गया था। हालांकि, तीन विदेशी शाखाओं (फिजी, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम) में, एक ही पॉलिसीधारक निधि रखी जा रही है, और पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के बीच अधिशेष वितरण 95: 5 अनुपात पर तय किया गया है। निगम ने अपने विदेशी परिचालनों के लिए इन प्रावधानों के संबंध में भारत सरकार से छूट या अनुदेश देने की मांग की है, क्योंकि ये शाखाएं स्थानीय कानूनों द्वारा शासित होती हैं।

उपरोक्त के अनुरूप, यूके, मॉरीशस और फिजी में निगम की विदेशी शाखाएं निम्नलिखित ढांचे के तहत काम करना जारी रखेंगी:

अ. एकल पॉलिसीधारक निधि, और

आ. पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के बीच अधिशेष वितरण 95:5 के रूप में

गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित निगम के शाखा कार्यालय को आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस शाखा का संचालन वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होने वाला है।

सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, निगम के बोर्ड ने भारत के भीतर और भारत के बाहर सहायक कंपनियों की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए एक नीति अनुमोदित की है। इन नीतियों को निगम की वेबसाइट पर अभिगम किया जा सकता है, और इन नीतियों का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है।

निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के बारे में विवरण वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

14. एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (एलआईसी जीजेएफ):

एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (एलआईसी जीजेएफ), जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, वर्ष 2006 में एलआईसी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। एलआईसी जीजेएफ वह संसाधन है जिसके माध्यम से एलआईसी सामुदायिक विकास गतिविधियों का संचालन करती है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत चैरिटी आयुक्त के साथ पंजीकृत है।

एलआईसी जीजेएफ का उद्देश्य गरीबी या संकट में सहायता, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा सहायता और सामान्य जनता उपयोगिता की किसी भी अन्य वस्तु की उन्नति है। एलआईसी जीजेएफ बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से पूंजी-उन्मुख परियोजनाओं का समर्थन करती है, जिसमें क्लास रूम, अस्पताल वार्ड, चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस, स्कूल बस, सौर पैनल आदि का निर्माण शामिल है।

एलआईसी जीजेएफ द्वारा किए गए कुछ लगातार योगदान जैसे की कैंसर से प्रभावित बच्चों के उपचार, गरीब रोगियों / बच्चों के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, बाल चिकित्सा, हृदय शल्य चिकित्सा, और कर्णावत प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, अन्य गतिविधियों के अलावा, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में प्रतिष्ठित धर्मार्थ/सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए सहायता प्रदान की गई, जो ज्यादातर कैंसर के इलाज के लिए थे। 31 मार्च, 2025 तक, एलआईसी जीजेएफ ने देश भर में 926 परियोजनाओं के तहत ₹ 283 करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

एलआईसी जीजेएफ, एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना भी चलाता है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 2024-25 में, छात्रवृत्ति के माध्यम से 10,006 छात्रों को ₹ 11.40 करोड़ वितरित किए गए। योजना की शुरुआत से अब तक कुल 30,835 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और छात्रवृत्ति के रूप में कुल ₹ 80.62 करोड़ वितरित किए गए हैं।

अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

15. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति (केएमपी):

इस रिपोर्ट की तारीख तक, निगम के निदेशक मंडल में तेरह (13) निदेशक शामिल हैं, अर्थात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक; एक (1) सरकारी नामित निदेशक; तीन (3) प्रबंध निदेशक; एक (1) महिला निदेशक सहित आठ (8) स्वतंत्र निदेशक।

निदेशक मंडल की संरचना एलआईसी अधिनियम, 1956 के अनुरूप कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के संतुलित मिश्रण को दर्शाती है, जो इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सूचीबद्धता विनियमों और आईआरडीआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) के साथ पठित है।

निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और निदेशक मंडल विविधता के लिए नीति (निदेशकों की नीति) जो निदेशक मंडल के नियुक्ति मानदंड, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और मूल्यांकन तंत्र की रूपरेखा तैयार करती है, वह निगम की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। इस नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है।

क. निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

➤ निदेशकों की नियुक्ति/पदनाम में परिवर्तन:

- (1) **डॉ. प्रशांत कुमार गोयल (डीआईएन: 08652921):** भारत सरकार ने 17 अप्रैल, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. प्रशांत कुमार गोयल को डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। निगम के निदेशक मंडल ने इसे संज्ञान में लिया।

निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में डॉ. प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति के लिए आवश्यक संकल्प के साथ-साथ उनके संक्षिप्त विवरण को सदस्यों की औपचारिक मंजूरी के लिए चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में शामिल किया गया है।

- (2) **श्री दिनेश पंत (डीआईएन: 11134993):** भारत सरकार ने 14 मई, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री दिनेश पंत को 01 जून, 2025 को या उसके बाद कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 मई, 2027) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री दिनेश पंत ने 01 जून, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। निगम के निदेशक मंडल ने इसे संज्ञान में लिया।

निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दिनेश पंत की नियुक्ति के लिए आवश्यक संकल्प और उनके संक्षिप्त विवरण को सदस्यों के औपचारिक अनुमोदन के लिए चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में शामिल किया गया है।

- (3) **श्री रत्नाकर पटनायक (डीआईएन: 10283908):** भारत सरकार ने 14 मई, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री रत्नाकर पटनायक को 01 जून, 2025 को या उसके बाद कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 मार्च, 2028) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री रत्नाकर पटनायक ने 01 जून, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। निगम के निदेशक मंडल ने इसे संज्ञान में लिया।

निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रत्नाकर पटनायक की नियुक्ति के लिए आवश्यक संकल्प और उनके संक्षिप्त विवरण को सदस्यों के औपचारिक अनुमोदन के लिए चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में शामिल किया गया है।

- (4) **श्री आर दुरैस्वामि (डीआईएन: 10358884):** भारत सरकार ने 14 जुलाई, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री आर दुरैस्वामि को निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए 14 जुलाई, 2025 से या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात् 28 अगस्त, 2028) तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। श्री आर दुरैस्वामि ने 14 जुलाई, 2025 को निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। निगम के बोर्ड ने इस पर संज्ञान में लिया है।

निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आर दुरैस्वामि की नियुक्ति के लिए आवश्यक संकल्प और उनके संक्षिप्त विवरण को सदस्यों के औपचारिक अनुमोदन के लिए चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में शामिल किया गया है।

➤ **निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति:**

- (1) **डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला (डीआईएन: 03609968):** भारत सरकार ने 17 अप्रैल, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. प्रशांत कुमार गोयल को तत्काल प्रभाव से डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला के स्थान पर निगम का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है।
- (2) **श्री जगन्नाथ एम (डीआईएन: 10090437):** श्री जगन्नाथ एम 13 मार्च, 2023 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 31 मई, 2025 को सेवानिवृत्ति के पश्चात निगम से प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
- (3) **श्री तबलेश पांडे (डीआईएन: 10119561):** श्री तबलेश पांडे 13 मार्च, 2023 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 31 मई, 2025 को सेवानिवृत्ति के पश्चात निगम से प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
- (4) **श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन: 08058830):** श्री सिद्धार्थ मोहंती 28 अप्रैल, 2023 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अपना कार्यकाल पूरा होने पर, 07 जून, 2025 से निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।

निदेशक मंडल श्री सिद्धार्थ मोहंती, डॉ मारुति प्रसाद तन्निराला, श्री जगन्नाथ एम और श्री तबलेश पांडे की, उनके कार्यकाल के दौरान किए गए बहुमूल्य योगदान तथा निगम को किए गए मार्गदर्शन की प्रशंसा और सराहना करता है।

मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव (फर्म का पंजीकरण संख्या P1996MH007500) का प्रमाण पत्र पुष्टि करता है कि निगम के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ख. स्वतंत्र निदेशक:

आपके निगम को सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें यह पुष्टि की गई है कि वे जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(3) के अंतर्गत और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित यथा निर्धारित 'स्वतंत्रता के मानदंडों' को पूरा करते हैं।

निदेशक मंडल की यह राय है कि सभी स्वतंत्र निदेशक जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(3) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के साथ पठित तथा सेबी सूचीकरण विनियमों के लागू उपबंध के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी स्थिति से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की संरचना, निगमित शासन (कॉर्पोरेट शासन/कॉर्पोरेट प्रशासन) रिपोर्ट में दी गई है जिसे अलग से प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति (केएमपी) और परिवर्तन, यदि कोई हो

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत जारी परिपत्र और सूचीबद्धता विनियम के साथ, निगम के निम्नलिखित वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी 31 मार्च, 2025 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पदों पर थे:

क्र.सं.	केएमपी का नाम	पदनाम
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक
3	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक
4	श्री सत पाल भानू	प्रबंध निदेशक
5	श्री आर दुरैस्वामि	प्रबंध निदेशक
6	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी

क्र.सं.	केएमपी का नाम	पदनाम
7	श्री सुधाकर रवीन्द्रनाथ	कार्यकारी निदेशक (विपणन) और मुख्य विपणन अधिकारी
8	श्री दिनेश पंत	कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) और नियुक्त बीमांकिक
9	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट गवर्नेंस / जीजेएफ / विनियामक अनुपालन) और मुख्य अनुपालन अधिकारी
10	श्री रत्नाकर पटनायक	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी
11	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	मुख्य जोखिम अधिकारी
12	श्रीमती बेला पॉल	मुख्य प्रभारी (बोर्ड और सचिवीय)
13	श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

इस रिपोर्ट की तारीख तक, निगम के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पदों में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है:

क्र.सं.	केएमपी का नाम	पदनाम	परिवर्तन के कारण
1	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	14 जुलाई, 2025 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर, 14 जुलाई, 2025 से प्रबंध निदेशक के पद से प्रभावी रूप से पदमुक्त हुए हैं।
2	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	07 जून, 2025 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
3	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	01 जून, 2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर 01 जून, 2025 से नियुक्त बीमांकिक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकन), (केएमपी) के पद से प्रभावी रूप से पदमुक्त हुए हैं।
4	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	01 जून, 2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर 01 जून, 2025 से कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी (केएमपी) के पद पर से प्रभावी रूप से पदमुक्त हुए हैं।
5	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	31 मई, 2025 को सेवानिवृत्ति के बाद प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
6	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	31 मई, 2025 को सेवानिवृत्ति के बाद प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
7	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	नियुक्त बीमांकिक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकन)	02 जून, 2025 से नियुक्त बीमांकिक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) के रूप में नियुक्त हुए हैं।
8	श्री रामकृष्णन चंदर	मुख्य निवेश अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस)	05 जून 2025 से मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं।
9	श्रीमती बेल्ला पॉल	मुख्य प्रभारी (बोर्ड एवं सचिवीय)	06 मई, 2025 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुख्य प्रभारी (बोर्ड एवं सचिवीय) के पद से पदमुक्त हुई हैं।
10	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	मुख्य जोखिम अधिकारी	19 मार्च, 2025 से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं।

क्र.सं.	केएमपी का नाम	पदनाम	परिवर्तन के कारण
11	श्री पांडियन कुमारसेन	कार्यकारी निदेशक (लेखापरीक्षा) और मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक	31 दिसम्बर 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकारी निदेशक (लेखापरीक्षा) और मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
12	श्री एस सुंदर कृष्णन	मुख्य जोखिम अधिकारी	25 सितंबर, 2024 से पदत्याग करने के बाद, मुख्य जोखिम अधिकारी के पद से पदमुक्त हुए हैं।
13	श्री सुधाकर रवीन्द्रनाथ	कार्यकारी निदेशक (विपणन) और मुख्य विपणन अधिकारी	11 जुलाई, 2025 से मुख्य विपणन अधिकारी का पद केएमपी नहीं रहा।

बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन:

एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, और आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के तहत जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित, बोर्ड ने अपना वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन किया, जिसमें बोर्ड को समग्र रूप से, और बोर्ड की समितियां, व्यक्तिगत निदेशकों और अध्यक्ष को सम्मिलित किया है।

स्वतंत्र निदेशकों ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन, बोर्ड के समग्र कामकाज और अध्यक्ष की प्रभावशीलता की समीक्षा की। उन्होंने निगम के प्रबंधन और बोर्ड के बीच साझा की गई जानकारी की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन किया।

प्रदर्शन मूल्यांकन को आईओएस-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से सुगम बनाया गया, जिसे विशेष रूप से बोर्ड, बोर्ड की समितियों, व्यक्तिगत निदेशकों और अध्यक्ष की प्रभावशीलता का आकलन करने के उद्देश्य से संरचित प्रश्नावली प्रसारित करने के लिए विकसित किया गया है। प्रश्नावली को सेबी और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी अनुशंसित व्यापक मूल्यांकन मापदंडों के मार्गदर्शन नोट्स के आधार पर तैयार किया गया है।

बोर्ड का मूल्यांकन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूर्ति, रणनीतिक निरीक्षण, निर्णय लेने की गुणवत्ता और शासन मानकों के पालन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित करता है। व्यक्तिगत निदेशकों का मूल्यांकन बैठकों में उनकी भागीदारी के स्तर, योगदान की गुणवत्ता, रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता और निगम के मूल्यों और शासन ढांचे को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर किया गया है। समितियों के मूल्यांकन में उनकी संरचना, भूमिकाओं की स्पष्टता, स्वतंत्रता और बोर्ड के कामकाज का समर्थन करने में समग्र प्रभावशीलता पर विचार किया। अध्यक्ष के मूल्यांकन में सभी निदेशकों पर लागू सामान्य मानदंड के अलावा विशिष्ट पहलुओं जैसे नेतृत्व क्षमता, प्रभावी बोर्ड चर्चाओं की सुविधा और निदेशकों द्वारा उठाए गए मामलों का समय पर समाधान शामिल किया है।

‘उपयुक्त और उचित’ मानदंड:

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के साथ पठित जारी परिपत्र के अनुसार, बीमाकर्ता के निदेशकों को आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित ‘उपयुक्त और उचित’ मानदंडों को पूरा करना होगा। तदनुसार, निगम के सभी निदेशकों ने आईआरडीएआई द्वारा जारी उपयुक्त विनियम के तहत निर्धारित उपयुक्त एवं उचित मानदंडों/मानक के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक और अधिकारी देयता बीमा:

सूचीकरण विनियमों के विनियमन 25(10) के अनुसार, निगम ने अपने सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्यों के लिए बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित मात्रा एवं जोखिमों के लिए निदेशक और अधिकारी देयता बीमा लिया है।

उत्तराधिकार योजना:

उत्तराधिकार योजना पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन और निगम के अन्य प्रमुख अधिकारियों के उत्तराधिकार योजना से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। एनआरसी बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की भी सिफारिश करती है।

बोर्ड और बोर्ड की समितियों की बैठकें, उपस्थिति और विभिन्न समितियों का गठन:

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और बोर्ड की समितियों की बैठकों के साथ निदेशकों की उपस्थिति और विभिन्न समितियों की संरचना का ब्यौरा कारपोरेट शासन (निगमित शासन) रिपोर्ट में दिया गया है, जिसे अलग से प्रस्तुत किया गया है और इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

पारिश्रमिक नीति:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19बी के प्रावधानों के अनुसरण में, बोर्ड ने बोर्ड की एनआरसी द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक नीति को मंजूरी दे दी है। नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित जानकारी निगमित शासन रिपोर्ट में प्रकट की गई है, जिसे अलग से प्रस्तुत किया जाता है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सचिवीय मानक:

आपका निगम भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन करने के लिए बाध्य है।

16. निगमित शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस):

निगम अपने हितधारकों को सफलता की दिशा में आवश्यक भागीदारों के रूप में देखता है और उन्हें दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्वीकार करते हुए कि मजबूत निगमित शासन हितधारक विश्वास की नींव है, निगम अपने सभी स्तरों पर अपनी जिम्मेदारियों को लगन से पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक संचालन लगातार शासन, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के साथ सरेखित हो।

उत्तरदायित्व और निरंतर हितधारक सहभागिता को बेहतर करने के लिए, निगम अच्छी तरह से स्थापित कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन करता है, जो मानक संचालन प्रक्रियाओं और कार्य-विशिष्ट नियमावली द्वारा समर्थित है जिससे दिन-प्रतिदिन के संचालन का मार्गदर्शन होता है और संगठन की स्थिरता को सुदृढ़ करते हैं।

निगम की विभिन्न समर्पित बोर्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से शासन को और सुदृढ़ किया जाता है, जो कार्यनीतिक निरीक्षण प्रदान करती हैं, शेयरधारक हितों की रक्षा करती हैं, ब्रांड इक्विटी को बढ़ाती हैं और एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा देती हैं।

इन व्यापक उपायों के माध्यम से, निगम विश्वास बनाए रखने, सतत विकास का समर्थन करने और एक जिम्मेदार, स्थिति-स्थापक और दूरदर्शी उद्यम के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (निगमित शासन रिपोर्ट):

सूचीकरण विनियमों के अनुपालन में, निगम के निगमित शासन ढांचे पर एक रिपोर्ट, निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट के अनुलग्नक ड के रूप में संलग्न है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

17. संबंधित पक्ष लेनदेन:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है। संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण समय-समय पर अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है। वित्तीय विवरणों के नोट्स में लागू लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित उपयुक्त प्रकटीकरण किया गया है।

सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक में, निगम के सदस्यों ने वित्त वर्ष 2024-25 में और अगली एजीएम की तारीख तक निगम द्वारा दर्ज किए जाने वाले भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी दी है।

निदेशक मंडल ने जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और सूचीकरण विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में संबंधित पक्षकार लेनदेनों के निपटान के लिए संबंधित पक्षकार लेनदेनों की भौतिकता पर एक नीति तैयार की है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेने देने से निपटने की अद्यतन नीति निगम की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है।

संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण, लागू लेखा मानकों और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23 (9) की आवश्यकताओं के अनुसार दर समाप्त छमाही 30 सितंबर, 2024 और 31 मार्च, 2025 में, निगम द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रस्तुत किया गया है और साथ ही निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

18. IND AS के कार्यान्वयन हेतु:

निगम ने भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक अंतर विश्लेषण पूरा कर लिया है, और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, निगम संक्रमण के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के लिए Ind AS के अनुसार वित्तीय विवरणों का प्रपत्र तैयार करने में लगातार प्रगति कर रहा है।

लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को Ind AS कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति और विकास पर नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है, और नए लेखा ढांचे के साथ प्रणाली, प्रक्रिया और नीतियों को संरेखित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

19. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए के संदर्भ में निवेश का विवरण:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक निगम के निवेश का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 331 में किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में किए गए निवेश का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 332 में किया गया है।

20. समेकित वित्तीय विवरण:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 बी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुसार, निगम ने अपने समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किए हैं, जिसमें निगम के सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी शामिल हैं। सीएफएस को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के प्रावधानों और उसके बाद जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में तैयार किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एस 21 (AS 21): समेकित वित्तीय विवरण और एस 23 (AS 23): सीएफएस में सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन, इन लागू लेखा मानकों का भी सीएफएस पालन करता है, सीएफएस वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

21. प्रबंधन रिपोर्ट:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसूची II - वित्तीय कार्य के प्रावधानों के अनुसार, प्रबंधन रिपोर्ट को अलग से संलग्न किया है और यह वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग बनता है।

22. सांविधिक लेखापरीक्षक:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, निगम ने उचित सिफारिशों और अनुमोदन के बाद वित्त वर्ष 2025 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 333 पर उपलब्ध है।

23. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

सदस्यों को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (उसके अनुलग्नक सहित) में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है, इसलिए एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी(1)(एफ) के तहत कोई और टिप्पणी नहीं मांगी गई है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी की पहचान नहीं की गई है।

24. सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 24ए के अनुसरण में, निगम ने मैसर्स मेहता और मेहता, कंपनी सचिवों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निगम के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया है। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए निगम के सचिवीय लेखापरीक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट निगमित शासन रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 'घ' के रूप में संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

- (घ) उन्होंने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सतत व्यवसाय के आधार पर लेखा तैयार किया है;
- (ङ) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (एच) के तहत निर्दिष्ट सतर्कता प्रशासन केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीक्षण के अधीन निगम परिचालन है और इसके अतिरिक्त उन्होंने निगम द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और
- (च) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

32. सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

निगम व्यावसायिकता और अखंडता के उच्चतम मानकों द्वारा निर्देशित निष्पक्ष, पारदर्शी, नैतिक तरीके से अपने मामलों का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम ने ऐसी एक प्रबल संस्कृति विकसित की है जो हितधारकों को अनैतिक और अनुचित प्रथाओं, कदाचार, या कानूनी और नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों पर प्रतिशोध, भेदभाव या उत्पीड़न के डर के बिना आपत्ति जताने के लिए प्रेरित / प्रोत्साहित करती है।

- सतर्कता से संबंधित रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए, निगम ने ‘सतर्कता शिकायत द्वार’ नामक एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किया है, जिसे ग्राहक सेवा टैब के अंतर्गत www.licindia.in पर से देखा जा सकता है। सतर्कता संबंधी सभी शिकायतों को पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत और ट्रैक किया जा सकता है।
- एलआईसी के पास निदेशकों और कर्मचारियों या वास्तविक मामलों को दर्ज करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा के लिए एक सुस्थापित सतर्कता तंत्र है। इसमें धोखाधड़ियों की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने तथा व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक नीति (व्हिसल ब्लोअर नीति) है। यह कर्मचारियों और विभिन्न हितधारकों को नैतिक मानदंडों, कानूनी या नियामक प्रावधानों, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी आदि के समझौता/उल्लंघन से जुड़े किसी भी मुद्दे को प्रतिशोध, भेदभाव, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के डर के बिना अपने ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी व्हिसल ब्लोअर शिकायतों और मामलों की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है, जो मौजूदा तंत्र के कार्यकरण और प्रभावकारिता की निगरानी भी करती है।
- अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता बेहतर करने के लिए, एलआईसी ने यूडीआईटी मॉड्यूल (प्रौद्योगिक एकीकरण के माध्यम से उन्नत अनुशासनात्मक कार्यप्रवाह) विकसित और कार्यान्वित किया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य अनुशासनात्मक और सतर्कता मामलों के निपटान के समय को कम करना है। निगम परिचालन संबंधी क्षमता में और सुधार करने के लिए एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) के साथ यूडीआईटी मॉड्यूल को एकीकृत करने की प्रक्रिया में भी है।
- समीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति की पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

व्हिसल ब्लोअर नीति निगम की वेबसाइट पर प्रस्तुत की गयी है। इस नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

33. बोर्ड की नीतियां:

एलआईसी अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों के तहत निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई नीतियों का विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

34. निवेशक संबंध:

निगम ग्राहकों और हितधारकों के साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है। पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी हितधारकों के पास निगम के प्रदर्शन और भविष्य की क्षमता का सही आकलन करने के लिए पूर्ण समय पर जानकारी प्राप्त हो। इसके समर्थन करने के लिए, निगम नियमित रूप से अपने परिचालन, वित्तीय और प्रमुख पहलों पर अद्यतन प्रसारित करता है। निगम की आधिकारिक वेबसाइट (www.licindia.in), सूचना के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करती है, जो हितधारकों को उनकी सुविधानुसार संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक आसान पहुंच प्रदान करती है। वेबसाइट में निगम की रणनीति, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन के साथ-साथ नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति में विस्तृत जानकारी दी जाती है। वित्तीय परिणाम तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं और वर्तमान और पिछले दोनों वर्षों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रत्येक परिणाम की घोषणा के बाद, निवेशक संबंध टीम सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर अपलोड की गई निवेशक प्रस्तुतियों, प्रतिलेखों और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ आय कॉल आयोजित करती है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य प्रमुख प्रतिभूति फर्मों द्वारा आयोजित विभिन्न इक्विटी सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो निवेशक समुदाय के साथ खुले संवाद के लिए निगम की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करते हैं।

35. अभिस्वीकृति और प्रशंसा:

निदेशक अपने कार्यालयों का दौरा करने वाली माननीय संसदीय समितियों, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग और बीमा), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के प्रति विभिन्न मुद्दों पर उनके सक्रिय समर्थन, सलाह और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

निदेशक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य सरकारी और नियामक संस्थान के निरंतर सहयोग, समर्थन और सलाह के लिए, उनके आभारी हैं।

निदेशक इस अवसर पर मूल्यवान पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के प्रति उनके निरंतर विश्वास और संरक्षण के लिए अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक समय-समय पर लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

अंत में, निदेशक सभी कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं और ब्रोकरों, बैंकाश्योरेंस पार्टनर्स, मध्यवर्ती संस्थाएँ, पुनर्बीमाकर्ताओं, बैंक और रजिस्ट्रार के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। उनके समर्पण, व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता ने निगम को बीमा उद्योग में नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(आर दुरैस्वामि)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 10358884)

(सत पाल भानू)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:10482731)

(एम. पी. विजय कुमार)
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 05170323)

दिनांक: 22 जुलाई, 2025

स्थान: मुंबई

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के वेबलिनक

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, संशोधित रूप से, सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कुछ नीतियों के सूत्रीकरण को अनिवार्य करता है। निगम के निदेशक मंडल द्वारा नीतियों की समीक्षा की जाती है और नियामक परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct> पर उपलब्ध हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों का विवरण इस प्रकार है:

नीति का नाम	वेब लिंक
निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता	https://licindia.in/documents/20121/46602/Code-of-conduct-for-Directors-and-senior-mgmt.pdf/f4d9e8f8-66fe-5394-e2df-b8fe22dc028e?t=1665744390714
लाभांश वितरण नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy_08082024_.pdf/5c95bc55-cced-bb3b-39fd-155afa13ea2f?t=1724744503358
घटनाओं/सूचना की भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण पर नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/materiality-policy+%283%29.pdf/48b3cb82-c51d-125c-b4a1-7c7affa8957b?t=1723463580763
भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत में)	https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy+for+determining+Material+Subsidiaries+in+India.pdf/c03fec33-f69c-01aa-0ba2-1aaa4666b6ac?t=1732621252965
भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत के बाहर)	https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised+Policy+for+determining+Material+Subsidiaries+%28Outside+India%29+for+uploading+on+website.pdf/c8987f08-f74f-89fa-ffc8-6acbe6d713fe?t=1739440656689
एलआईसी की निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता, वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता और रिसाव और यूपीएसआई की नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/LIC-Code-as-per-SEBI PIT -Regulations-2015.pdf/4ee158ab-f1d7-cf1c-50f0-a7081f98d3cf?t=1668408620699
संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256
जीवन बीमा निगम के दस्तावेजों के संरक्षण पर नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/Preservation-of-Records.pdf/480de9df-24ee-f6a5-963a-fe039d002aa4?t=1668408679890
निगम की अधिशेष वितरण नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/Surplus+Distribution+Policy.pdf/2f71b570-4eb6-43ac-c2d7-549730a0765b?t=1725868067255
व्हिसल ब्लोअर नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy+--+July+2024+%281%29.pdf/747aee51-4ff5-fb58-2c2a-ee7849695357?t=1723013250304
अभिलेखीय नीति	https://licindia.in/documents/20121/46602/Archival_Policy-%281%29.pdf/f5e40682-4323-35af-b47d-9d41cef35639?t=1668407560823

निगमित शासन रिपोर्ट

1. निगमित शासन पर निगम का दर्शन

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी ऑफ़ इंडिया या एलआईसी या एलआईसीआई या निगम) निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। निगम अपने सभी कार्यों में नैतिकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जोर देता है, जो कि विश्वास को बढ़ावा देता है, हितधारकों के भरोसे में वृद्धि करता है, और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करता है और व्यवसाय को सफलता पूर्वक चलाने में मदद करता है। निगम उत्कृष्टता और अखंडता की संस्कृति बनाने के लिए जिम्मेदार निर्णय लेने, प्रभावी निरीक्षण और जवाबदेही को बढ़ावा देता है जो शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करता है।

निगम जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956 या एलआईसी अधिनियम), इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 (आईआरडीएआई सीजी विनियम), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम” या “सूचीबद्धता विनियम”) और अन्य लागू प्रावधान, (यदि कोई), के अनुसार शासन और अनुपालन दायित्वों का पालन करता है। निगम ने नीतियों का एक सुपरिभाषित समूह और एक शासन ढांचा स्थापित किया है जो निगमित शासन प्रथाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है और ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख नीतियां शामिल हैं:

- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता
- एलआईसी की निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता, वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति, अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता और यूपीएसआई के रिसाव पर नीति
- उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति
- व्हिसल ब्लोअर नीति
- पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा पर नीति
- संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति (भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन शामिल है)
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत के भीतर और भारत के बाहर)
- दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नीति
- लाभांश वितरण नीति
- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के भौतिक, वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन के प्रकटीकरण लिए नीति
- निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और निदेशक मंडल विविधता के लिए नीति (निदेशकों की नीति)
- भौतिकता के निर्धारण और घटनाओं/सूचना के प्रकटीकरण के लिए नीति
- अधिशेष वितरण नीति

2. निदेशक मंडल

क) निदेशक मंडल की संरचना

निगम के निदेशक मंडल का गठन जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। निगम के निदेशक मंडल में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी सरकारी नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) शामिल हैं।

निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार है:

- पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पांच वर्ष तक की अवधि के लिए की जाती है जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट कर सकती है और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।

- ii) सरकार द्वारा नामित निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- iii) स्वतंत्र निदेशकों को चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह चार साल की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या 18 निदेशकों से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2025 को निदेशक मंडल में 14 निदेशक शामिल हैं, जिनमें (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक; (ii) एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक; (iii) चार (4) प्रबंध निदेशक; (iv) एक (1) महिला निदेशक सहित आठ (8) स्वतंत्र निदेशक।

31 मार्च, 2025 को निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	श्रेणी	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	31 मार्च, 2025 को कार्यकाल (वर्षों में)
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	कार्यकारी निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक*	02-02-2021	4.16
2	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	गैर-कार्यकारी निदेशक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	28-06-2023	1.76
3	श्री जगन्नाथ एम	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक	13-03-2023	2.05
4	श्री तबलेश पांडे	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक	01-04-2023	2.00
5	श्री सतपाल भानू	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक	20-07-2023	1.70
6	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक	01-09-2023	1.58
7	डॉ. रंजन शर्मा	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-10-2021	3.42
8	श्री विनोद कुमार वर्मा	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-10-2021	3.42
9	प्रो. अनिल कुमार	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	20-01-2022	3.19
10	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-01-2022	3.17
11	श्री महालिंगम जी	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-01-2022	3.17
12	श्री राज कमल	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-01-2022	3.17
13	डॉ. वी एस पार्थसारथी	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-01-2022	3.17
14	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-01-2022	3.17

* भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दिनांक 29.06.2024 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर कार्यरत एवं दिनांक 30.06.2024 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः पदनामित किया गया।

ख) निगम के वर्तमान निदेशक (22 जुलाई, 2025 को)

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	पदनाम
श्री आर दुरैस्वामि*	बीएससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
डॉ. प्रशांत कुमार गोयल**	एमबीबीएस	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सतपाल भानू***	बीए (ऑनर्स) इतिहास	प्रबंध निदेशक

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	पदनाम
श्री दिनेश पंत****	बीटेक, एलएलबी, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्युअरीज ऑफ़ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ़ एक्युअरीज, यूके के फेलो सदस्य, एमबीए	प्रबंध निदेशक
श्री रत्नाकर पटनायक****	बीएससी (ऑनर्स) फिजिक्स, पीजी (लोक प्रशासन), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा	प्रबंध निदेशक
डॉ. रंजन शर्मा	एम.ए., पीएच.डी.	स्वतंत्र निदेशक
श्री विनोद कुमार वर्मा	बी.ए.	स्वतंत्र निदेशक
प्रो. अनिल कुमार	बी.कॉम. (ऑनर्स), एम. कॉम., पीएच.डी.	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	एम.ए.	स्वतंत्र निदेशक
श्री महालिंगम जी	एम.एससी. (स्टेट), एमबीए	स्वतंत्र निदेशक
श्री राज कमल	बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), व्यवसाय प्रबंधन में पीजी प्रोग्राम	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. वी एस पार्थसारथी	सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एएमपी के पूर्व छात्र, पीएच.डी.	स्वतंत्र निदेशक
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	बी कॉम, एफसीए, एफसीएमए और एफसीएस	स्वतंत्र निदेशक

*भारत सरकार की 14 जुलाई 2025 की अधिसूचना के अनुसार 14 जुलाई, 2025 को निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

**भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल 2025 के अनुसार डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला के स्थान पर 17 अप्रैल 2025 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

***श्री सिद्धार्थ मोहंती द्वारा 7 जून, 2025 को सीईओ एवं एमडी के रूप में कार्यकाल पूरा करने पर भारत सरकार ने दिनांक 7 जून, 2025 के अपने संचार के माध्यम से निगम के सीईओ एवं एमडी के पद की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां और कार्य दिनांक 8 जून, 2025 से निगम के प्रबंध निदेशक श्री सतपाल भानू को अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा, तीन महीने की अवधि के लिए या नियमित पदाधिकारी द्वारा पद का प्रभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो तक सौंपे गए।

****भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 मई 2025 के अनुसार श्री जगन्नाथ एम और श्री तबलेश पांडे की सेवानिवृत्ति पर उनके स्थान पर 1 जून 2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

ग) निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल की कुल तेरह (13) बैठकें आयोजित की गईं। इनमें से ग्यारह (11) बैठकें मुंबई में स्थित केंद्रीय कार्यालय में, एक दिल्ली में, और एक चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठकों की कार्यसूची के कागजात और अन्य सहायक दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। तथापि, निदेशक मंडल की बैठक में आपात प्रस्ताव रखे जाते हैं और निदेशक मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन तथा अन्य निदेशकों की सहमति से उन पर विचार किया जाता है। निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान किया जाता है। सुविज्ञ निर्णय लेने की सुविधा के लिए, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक से पहले निदेशकों को कार्यसूची के लिए कार्यकारी सारांश प्रदान किए जाते हैं। निदेशक मंडल नियमित रूप से निगम के तिमाही प्रदर्शन और वित्तीय परिणामों के साथ-साथ प्रमुख नीतियों और अन्य रणनीतिक मामलों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, सहायक तथा सहयोगी कंपनियों के निष्पादन की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है।

निदेशक मंडल को व्यापक निरीक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लागू नियमों, विनियमों और कानूनों के तहत निर्धारित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाती है। निगम की हरित पहल के समर्थन में, कागजरहित बैठकें आयोजित की जाती हैं। कार्यसूची और अन्य सहायक दस्तावेज एक सुरक्षित डिजिटल मंच पर प्रसारित किए जाते हैं, जो निदेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुलभ होते हैं। बैठकों

का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है और निदेशकों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए परिचालित किया जाता है। निदेशक मंडल के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों द्वारा अनुमोदन के बाद, कार्यवृत्त के अंश कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ साझा किए जाते हैं। निर्णयों और निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	दिनांक	निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	06-04-2024	15	15
2	25-04-2024	15	15
3	27-05-2024	15	15
4	21-06-2024	14	13
5	15-07-2024	14	14
6	08-08-2024	14	13
7	08-10-2024	14	13
8	23-10-2024	14	13
9	08-11-2024	14	13
10	08-12-2024	14	14
11	13-01-2025	14	14
12	07-02-2025	14	14
13	17-03-2025	14	12

घ) वित्तीय वर्ष 2024- 2025 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति													वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थिति
	06-04-2024	25-04-2024	27-05-2024	21-06-2024	15-07-2024	08-08-2024	08-10-2024	23-10-2024	08-11-2024	08-12-2024	13-01-2025	07-02-2025	17-03-2025	22-08-2024
श्री सिद्धार्थ मोहंती	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
श्री जगन्नाथ एम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री तबलेश पांडे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री सतपाल भानू	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. रंजन शर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विनोद कुमार वर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रो. अनिल कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री महालिंगम जी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
श्री राज कमल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. वी एस पार्थसारथी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति													वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थिति
	06-04-2024	25-04-2024	27-05-2024	21-06-2024	15-07-2024	08-08-2024	08-10-2024	23-10-2024	08-11-2024	08-12-2024	13-01-2025	07-02-2025	17-03-2025	22-08-2024
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव नौटियाल*	✓	✓	✓	इस्तीफे के कारण 31.05.2024 को दिन की समाप्ति के पश्चात स्वतंत्र निदेशक पद से समाप्ति										
% में उपस्थिति	100	100	100	92.86	100	92.86	92.86	92.86	92.86	100	100	100	85.71	85.71

*श्री संजीव नौटियाल ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप निगम के स्वतंत्र निदेशक पद से 31.05.2024 को दिन की समाप्ति के पश्चात इस्तीफा दिया। इसके अलावा उनके इस्तीफे का कोई अन्य कारण नहीं था।

ड) निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति एवं उनके निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2025 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)
पूर्णकालिक निदेशक					
श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन - 08058830)	13/13	- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नामित निदेशक एवं अध्यक्ष - लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड- नामित निदेशक - आईटीसी लिमिटेड -नामित निदेशक	3	1	-
श्री जगन्नाथ एम (डीआईएन- 10090437)	13/13	- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नामित निदेशक - बीएसई लिमिटेड - गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक - ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड- गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक	3	2	1

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2025 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)
श्री तबलेश पांडे (डीआईएन -10119561)	12/13	आईटीसी होटल्स लिमिटेड - नामित निदेशक	1	3	1
श्री सतपाल भानू (डीआईएन -10482731)	13/13	- महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड- गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक - आईडीबीई बैंक लिमिटेड-नामित निदेशक	2	-	-
श्री दुर्गेश्वराम रामचंद्रन (डीआईएन -10358884)	13/13	-	-	1	-
गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)					
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला (डीआईएन - 03609968)	10/13	- भारतीय साधारण बीमा निगम - नामित निदेशक - बैंक ऑफ बड़ौदा- नामित निदेशक	2	-	-
गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)					
डॉ. रंजन शर्मा (डीआईएन -09573799)	13/13	-	-	-	-
श्री चिनोद कुमार वर्मा (डीआईएन -09309031)	13/13	-	-	-	-
प्रो. अनिल कुमार (डीआईएन - 09477565)	13/13	-	-	-	-
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल (डीआईएन -05264033)	12/13	जिलेट इंडिया लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक एवं निदेशक मंडल के अध्यक्ष	1	2	1

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2025 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)
श्री महालिंगम जी (डीआईएन - 09660723)	12/13	- सिटी यूनिजन बैंक लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक एवं निदेशक मंडल के अध्यक्ष - केयर रेटिंग्स लिमिटेड गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक - सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	3	3	0
श्री राज कमल (डीआईएन - 07653591)	13/13	ट्राइडेंट लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	1	1	-
डॉ. वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन - 00125299)	12/13	- एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक - पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड - गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	2	5	4
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार (डीआईएन - 05170323)	13/13	- हेरिटेज फूड्स लिमिटेड - गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक - व्हील्स इंडिया लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	2	2	1

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इकिटी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2025 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2025 को)
श्री संजीव नौटियाल (डीआईएन - 08075972) (31.05.2024 तक)	03/03	-	-	-	-

* सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसरण में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेशको द्वारा धारित सदस्यता में पब्लिक लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं लेकिन इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, विदेशी कंपनियां, उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध कंपनियां और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां शामिल नहीं हैं। निदेशक मंडल समितियों और अध्यक्षता की सीमा निर्धारण के उद्देश्य से, लेखा परीक्षा समिति और हितधारको की संबंध समिति की अध्यक्षता या सदस्यता को लिया गया है।

च) निदेशक मंडल के विचारार्थ विषय:

- 1) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे सभी कार्य और चीजें करना जो निगम द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।
- 2) वार्षिक परिचालन योजनाओं एवं बजट और कोई भी अद्यतन को मंजूरी देना।
- 3) पूंजी बजट और किसी भी अद्यतन को मंजूरी देना।
- 4) निगम और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक खंडों के तिमाही परिणामों को मंजूरी देना।
- 5) निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियों (लागू संविधि के अनुसार) और निदेशक मंडल की अन्य समितियों (आवश्यकता अनुसार) का गठन करना।
- 6) निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा करना।
- 7) मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या हटाने एवं निदेशक मंडल के स्तर के ठीक नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की जानकारी।
- 8) लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निगम के आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।
- 9) ऐसे संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी देना जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में या आर्म-लेंथ आधार पर नहीं हैं।
- 10) शेयरधारकों की आम बैठक, एजीएम या पोस्टल बैलट बुलाना।
- 11) निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देना।
- 12) अंतिम लाभांश की सिफारिश करना और/या अंतरिम लाभांश घोषित करना।
- 13) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ विनियमों को मंजूरी देना।
- 14) निगम पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा करना।
- 15) निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करना।
- 16) निगम के नियंत्रण कार्यों पर निगरानी रखना।
- 17) निगम की विभिन्न नीतियों को मंजूरी देना।
- 18) कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, की जानकारी लेना।
- 19) घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी भौतिक प्रवाह या प्रदूषण की समस्याएं की जानकारी लेना।

- 20) निगम के लिए और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी भौतिक चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त गैर-भुगतान।
- 21) कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल है, जो निगम के आचरण पर आलोचना कर सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका निगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- 22) किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- 23) ऐसे सौदे जिनमें ख्याति, ब्रांड इक्विटी अथवा बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल हो।
- 24) महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- 25) ऐसे निवेशों, सहायक कंपनियों एवं परिसंपत्तियों की बिक्री जो भौतिक प्रकृति की हों तथा जो कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में न हों।
- 26) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का तिमाही ब्यौरा और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन के जोखिमों, यदि महत्वपूर्ण हो, को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम की समीक्षा करना।
- 27) किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का गैर-अनुपालन जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

छ) अन्य कंपनियों में निदेशक:

- निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक नहीं है।
- निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक (किसी भी वैकल्पिक निर्देशकत्व सहित) के रूप में कार्य नहीं करता है अथवा यदि निदेशक किसी भारतीय सूचीबद्ध संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत है, तब वह तीन इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों से अधिक में एक स्वतंत्र निदेशक (किसी भी वैकल्पिक निर्देशकत्व सहित) के रूप में कार्य नहीं करता है।
- इसके अतिरिक्त, निगम का कोई भी निदेशक उन सभी भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में दस से अधिक समितियों का सदस्य अथवा पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। निदेशक मंडल समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से, लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता या सदस्यता पर विचार किया जाता है।
- निगम के निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है।

ज) आचार संहिता:

निदेशक मंडल द्वारा निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट पर भी प्रचालित किया गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, निगम के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और वर्ष के दौरान उनके द्वारा किसी भी भौतिक वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन, की सूचना नहीं दी गई थी, जिसका निगम के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक “क” के रूप में संलग्न है।

झ) सत्यनिष्ठा संधि:

अनुबंध देने में पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, निगम ने 05.09.2015 से प्रभावी सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाया है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित माल की खरीद के लिए नियमावली और परामर्श सेवाओं के नियमावली के अनुसार, सत्यनिष्ठा समझौता एक निर्दिष्ट मूल्य सीमा से ऊपर के अनुबंधों पर लागू होता है, जिसे निगम के खरीद व्यय के 80-90% (मूल्य के अनुसार) को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सत्यनिष्ठा समझौते को निविदा दस्तावेजों में एकीकृत किया गया है, और केवल उन विक्रेताओं या बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है जो इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत

होते हैं। वर्तमान में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा नामित दो स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षक (आईईएम) अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी लागू निविदाओं में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। सत्यनिष्ठा समझौता अखिल भारतीय स्तर पर अभियांत्रिकी विभाग के लिए ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के निविदा मूल्य के लिए और केंद्रीय कार्यालय में अन्य सभी विभागों के लिए 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए लागू होता है। क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों के लिए, सभी विभागों (अभियांत्रिकी विभाग को छोड़कर) के लिए ₹ 10 लाख और उससे अधिक मूल्य की निविदाएं सत्यनिष्ठा समझौते के दायरे में आएंगी।

सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने वर्ष के दौरान आईईएम के साथ कुल छह बैठकें कीं:

- सीईओ एवं एमडी के साथ दो संरचित बैठकें; और
- आईईएम के साथ चार नियमित बैठकें (एकल आईईएम के साथ एक बैठक और दोनों आईईएम के साथ तीन बैठकें शामिल हैं)।

इन बैठकों के दौरान कुल 63 निविदाओं की समीक्षा की गई और चार शिकायतें प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2025 को, कोई लंबित शिकायत नहीं है, जो पारदर्शिता के प्रति निगम की प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा संधि ढांचे के तहत मुद्दों के समय पर समाधान को दर्शाती है।

ज) निगम में गैर-कार्यकारी निदेशकों की शेयरधारिता: शून्य

ट) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचायक कार्यक्रम: स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नेतृत्व कार्यक्रम आदि जैसे प्रमुख समकालीन विषयों पर संरचित प्रेरण कार्यक्रमों और चल रहे प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से निगम में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ बीमा उद्योग की प्रकृति से परिचित कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए दो परिचित कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों को निगम के व्यापार, उद्योग की गतिशीलता, नियामक वातावरण और शासन ढांचे की उनकी समझ को बढ़ाने के लिए रूपांकित किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम के बारे में जानकारी एलआईसी की वेबसाइट <https://licindia.in/documents/d/guest/familiarisation-program-upto-march-2025-for-website> पर उपलब्ध है।

ठ) निदेशक मंडल की विशेषज्ञता/कौशल/निपुणता/क्षमता का क्षेत्र:

निदेशक मंडल में समृद्ध पेशेवर अनुभव वाले योग्य सदस्य शामिल हैं जिनके पास निगम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता है जो निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	विशिष्टीकरण का क्षेत्र / कौशल / कार्यक्षेत्र / क्षमता					
			शासन	विपणन	व्यवसाय प्रबंधन	लेखा और वित्त	बीमा	जोखिम प्रबंधन
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	एमए, एलएलबी, पीजीसीबीएम, भारतीय बीमा संस्थान के लाइसेंसधारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	बीई (सिविल), पीजीडीएम, एलएलबी, एम फिल, पीएच.डी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	श्री जगन्नाथ एम	बी.कॉम, सीए (इंटर), पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल पीजी डिप्लोमा इन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडिया	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	श्री तबलेश पांडे	बीटेक (कृषि इंजीनियरिंग), इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓

क्रमांक	निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	विशिष्टीकरण का क्षेत्र / कौशल / कार्यक्षेत्र / क्षमता					
			शासन	विपणन	व्यवसाय प्रबंधन	लेखा और वित्त	बीमा	जोखिम प्रबंधन
5	श्री सतपाल भानू	बीए (ऑनर्स) इतिहास	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	बीएससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	डॉ. रंजन शर्मा	एम.ए., पीएच.डी.	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	श्री विनोद कुमार वर्मा	बी.ए.	✓	✓	✓	-	✓	-
9	प्रो. अनिल कुमार	बी.कॉम (ऑनर्स), एम.कॉम, पीएच.डी.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	एम.ए.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	श्री महालिंगम जी	एम. एससी. (स्टेट), एमबीए	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	श्री राज कमल	बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी प्रोग्राम	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	डॉ. वी एस पार्थसारथी	सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एएमपी के पूर्व छात्र, पीएच.डी.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	बी.कॉम., एफसीए, एफसीएमए और एफसीएस	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ड) **स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (3) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वह ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या उचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के बारे में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तैयार किए गए मानदंडों को भी पूरा करते हैं। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

ढ) **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग ई के साथ पठित विनियमन 25 (3), (4) और विनियम 27 के संदर्भ में, वर्ष 2024-25 के दौरान निगम के स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें आयोजित की गईं। बैठक की कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल, अध्यक्ष, गैर-स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की त्वरित समीक्षा और प्रबंधन से निदेशक मंडल को सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता शामिल थी।

वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित निगम के स्वतंत्र निदेशकों की दो (2) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

स्वतंत्र निदेशक का नाम	08-12-2024	17-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. रंजन शर्मा	✓	✓	2	2
श्री विनोद कुमार वर्मा	✓	✓	2	2
प्रो. अनिल कुमार	✓	✓	2	2

स्वतंत्र निदेशक का नाम	08-12-2024	17-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	✓	✓	2	2
श्री महालिंगम जी	✓	✓	2	2
श्री राज कमल	✓	✓	2	2
डॉ. वी एस पार्थसारथी	✓	✗	2	1
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	✓	✓	2	2
उपस्थिति (प्रतिशत में)	100	87.50		

3. निदेशक मंडल की समितियां

निगम की 13 निदेशक मंडल स्तरीय समितियां हैं, जैसे कार्यकारी समिति, निवेश समिति, लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, पॉलिसीधारक, संरक्षण, शिकायत निवारण एवं दावा निगरानी समिति (जिसे पहले पॉलिसीधारकों संरक्षण समिति के रूप में जाना जाता था), लाभ सहित समिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव के लिए समिति, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) रणनीति समिति, भवन सलाहकार समिति, इरादतन चूककर्ताओं (विलफुल डिफाल्टर) की समीक्षा के लिए समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति।

क. कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 (1) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

i. कार्यकारी समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य
5	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
6	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
7	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
8	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
9	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
10	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. कार्यकारी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में विनिर्दिष्ट नियम 12, 18, 39, 40 और 86 के उपबंधों के अनुसार और तदनुसार कृत्यों का निष्पादन करना;
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के अनुसार क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों और समकक्ष संवर्गों में अधिकारियों की नियुक्ति करना, कार्यकारी समिति नियुक्ति प्राधिकारी है।
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में विनिर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में।

- (इ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों और समकक्ष संवर्गों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (एफ) से (जे) के तहत प्रमुख दंड लगाना।
 - (ई) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (ए) से (ई) के तहत मामूली दंड के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्ग और समकक्ष संवर्गों के अधिकारियों से प्राप्त अपीलों पर विचार करने के लिए, कार्यकारी समिति अपीलीय प्राधिकारी है।
 - (उ) उप क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/मंडल प्रबंधक और समकक्ष संवर्गों के संवर्ग में अधिकारियों से प्राप्त अपीलों पर विचार करने के लिए, कार्यकारी समिति भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (एफ) से (जे) के तहत प्रमुख दंड के लिए अपीलीय प्राधिकारी है।
 - (ऊ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के नियम 86 के उपबंध के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के किसी उपबंध में छूट देना।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार और तदनुसार कार्यों को निष्पादित करना;
 - अ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 2 (एफ) के अनुसार, कार्यकारी समिति नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्रावधानों के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर और समकक्ष संवर्गों के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
 - आ) नियम 48 (1) के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनभोगियों) से निगम को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली और/या पेंशन या उसके किसी हिस्से को रोकने/वापस लेने के लिए कोई अंतिम आदेश पारित करने से पहले कार्यकारी समिति से परामर्श किया जाएगा।
 3. वित्तीय/परिचालन मामलों (एफपीएसओ के माध्यम से) के संबंध में निगम में विभिन्न प्राधिकरणों के कार्यों और शक्तियों को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेश जारी करना।
 4. एफपीएसओ के अनुसार कार्यकारी समिति के पास मौजूद वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना।
 5. कर्मचारी लाभ से संबंधित मामले, जो भारत सरकार को भेजे जाने हैं की, निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
 6. अंतर्राष्ट्रीय संचालन (आईओ) से संबंधित मामलों (रणनीतिक मुद्दों) को निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए रखने से पहले समीक्षा करना।
 7. तिमाही आधार पर निगम की किरायेदारी के समय पर नवीकरण पर निगरानी रखना, शर्तों को बाजार में प्रचलित दरों के बराबर लाना।
 8. त्रैमासिक आधार पर निगम की संपत्तियों के विकास के लिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।
 9. त्रैमासिक आधार पर निगम द्वारा बैंकों में रखे गए चालू खातों की आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ: IRDAI/F&A/CIR/MISC/262/10/2021 दिनांक 5 अक्टूबर 2021 के अनुसार समीक्षा करना।
 10. एजेंसी परिवर्तन परियोजना की प्रगति की परियोजना के पूरा होने तक समय-समय पर समीक्षा करना।
 11. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर वरिष्ठ प्रबंधन/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) की नियुक्ति/निष्कासन करना।
 12. निगम की संविदात्मक आधार पर निश्चित अवधि की नियुक्ति पर नीति के अनुसार निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करना ।
 13. अधिनियम, नियमों, विनियमों में संशोधन से प्राप्त शक्तियाँ, यदि कोई हो, का प्रयोग करना, और निदेशक मंडल द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य करना।

- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान कार्यकारी समिति की कुल (9) बैठकें आयोजित की गईं और इनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	06-04-2024	16-05-2024	21-06-2024	15-07-2024	07-10-2024	07-12-2024	13-01-2025	20-01-2025	07-02-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	7
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
डॉ. रंजन शर्मा*	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓					5	5
प्रो. अनिल कुमार**	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य						✓	✓	✓	✓	4	4
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	8
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	9	7
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	80	90	100	90	90	100	100	100		

*08.10.2024 से सदस्यता समाप्त

**08.10.2024 से सदस्य के रूप में शामिल

ख. निवेश समिति (आईसी)

निवेश समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 ए के प्रावधानों के साथ साथ आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

i. निवेश समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
5	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
6	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
8	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य: नियुक्त बीमांकक तथा वित्त, जोखिम, निवेश और विधि से संबंधित कार्यों का नेतृत्व करने वाले निगम के अधिकारी

ii. निवेश समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. निगम की निधियों के निवेश से संबंधित मामलों में निर्णय लेना।
2. किए गए निवेश के प्रदर्शन की तिमाही आधार पर समीक्षा करना।
3. निवेश समिति को प्रस्तुत रिपोर्टिंग मर्दों पर ध्यान देना।
4. निवेश नीति (आईपी) की समीक्षा करना और निदेशक मंडल को सिफारिश करना और निवेश संचालन के लिए परिचालन प्रारूप तैयार करना। निवेश नीति की ऐसी समीक्षा अर्धवार्षिक आधार पर या तब किए गए कम अंतराल पर की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि निवेश करते समय एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 43 (2) के तहत सरकार की अधिसूचना द्वारा एलआईसी पर लागू किए गए नियामक मानदंड और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए का पालन किया जाता है।
5. निगम के मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को उसके निवेश कार्यों के संबंध में वार्षिक आधार पर और समय-समय पर किसी आवश्यकता आधारित संशोधन का अनुमोदन करना। एसओपी के प्रावधानों की समय-समय पर आर्थिक परिदृश्य, नियामक प्रावधानों और अन्य कारकों के आधार पर समीक्षा करना और बदलाव के लिए अनुमोदन करना।
6. विभिन्न निवेश कार्यों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
7. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति का कार्यान्वयन करना।
8. क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम के आकलन के लिए, समिति के सदस्यों को केवल क्रेडिट रेटिंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए। समिति को स्वतंत्र रूप से अपने निवेश निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित निवेश निर्णय लेने में आंतरिक उचित परिश्रम प्रक्रिया द्वारा समर्थन एक इनपुट है।
9. समिति निवेश संचालन की निरंतर और निरंतर निगरानी के लिए आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षा तंत्र के अलावा उसके द्वारा निर्धारित नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार करेगी।
10. समिति निवेश पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर (इसकी सुरक्षा और सुदृढ़ता के संबंध में) निदेशक मंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
11. समिति निवेश की गैर-निष्पादित संपत्तियों का तिमाही अवधि में विश्लेषण और समीक्षा करेगी।

iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान निवेश समिति की कुल पंद्रह (15) बैठकें हुईं और इनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	16-04-2024	17-05-2024	31-05-2024	21-06-2024	22-07-2024	26-08-2024	23-09-2024	11-10-2024	31-10-2024
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजया कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	87.50	100	87.50	87.50	100	87.50	75	87.50

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	05-11-2024	29-11-2024	27-12-2024	24-01-2025	28-02-2025	17-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	12
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✗	✓	✓	✓	✓	15	13
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✗	✓	15	11
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✗	✓	✓	15	14
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	87.50	100	87.50	87.50	100		

वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित निवेश समिति की पंद्रह (15) बैठकों में विशेष आमंत्रित व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

विशेष आमंत्रित का नाम	पदनाम	16-04-2024	17-05-2024	31-05-2024	21-06-2024	22-07-2024	26-08-2024	23-09-2024	11-10-2024	31-10-2024	05-11-2024	29-11-2024	27-12-2024	24-01-2025	28-02-2025	17-03-2025
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	×	✓	✓	×	×
श्री राजेश अलावादी	कार्यकारी निदेशक (विधि)	✓	✓	✓	×	×	✓	×	✓	×	×	✓	×	✓	✓	×
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	✓	×	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
श्री जगत सिंह टोलिया*	कार्यकारी निदेशक (निवेश मिड ऑफिस)	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×							
श्री रत्नाकर पटनायक	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री शेषा गिरिधर कुप्पोली	कार्यकारी निदेशक (निवेश बैंक ऑफिस)	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती बिंदु पॉल	अपर कार्यकारी निदेशक (निवेश मिड ऑफिस)	×	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
श्री एस सुंदर कृष्णन**	मुख्य जोखिम अधिकारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×								

*कार्यकारी निदेशक (निवेश मिड ऑफिस) के पद से 14.10.2024 से अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता बनने पर समाप्ति।

**मुख्य जोखिम अधिकारी के पद से उनके इस्तीफे पर 25.09.2024 से समाप्ति

ग लेखापरीक्षा समिति (एसी)

लेखापरीक्षा समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19सी के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, जिसे आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024(लागू सीमा तक) और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 18 के साथ पढ़ा गया है।

i. लेखापरीक्षा समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
विशेष आमंत्रित:			
1	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	-
2	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	-

ii. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. अधिनियम/विनियमों के तहत अनुमत समग्र प्रबंधन लागतों पर निगरानी, यानी खर्चों का विश्लेषण करना, लागत अनुकूलन के क्षेत्रों की पहचान करना, खर्चों को अनुमेय सीमा के भीतर लाने के उपायों को लागू करने के लिए अत्यधिक खर्च के क्षेत्रों को संबोधित करना।
3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक, निष्पादन और कार्य की निगरानी के लिए सिफारिश (सांविधिक/समवर्ती/सचिवीय/फॉरेंसिक/प्रणाली लेखा परीक्षा सहित)।
4. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति, यदि अधिनियम/नियमों/विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो।
5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष संदर्भ में:
 - अ. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 सी (2) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने वाले मामलों को शामिल करना आवश्यक है।
 - आ. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसी के कारण।
 - इ. प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
 - ई. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
 - उ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
 - ऊ. किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण।
 - ऋ. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।
6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
7. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो किसी सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करती है, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
8. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता।
9. आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ: IRD-I/F-/CIR/MISC/262/10/2021 दिनांक 5 अक्टूबर 2021 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निगम द्वारा कई चालू खाते रखने की आवश्यकता की वार्षिक समीक्षा करना।
10. संबंधित पक्षों के साथ निगम के लेन-देन का पूर्व अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन।
11. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच; यदि कोई हो।
12. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।
13. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
14. प्रबंधन, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
15. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है।

16. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करें और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।
17. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करें जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करें।
18. लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श, लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में तथा चिंता के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के बाद चर्चा करना।
19. शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की समीक्षा।
20. सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।
21. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति।
22. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को करना।
23. होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति आकार के 10%, जो भी कम हो, के ऋण और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करना, जिसमें इस प्रावधान के लागू होने की तारीख को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं।
24. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारक पर विलय, डिमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के तर्क, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करें और टिप्पणी करें।
25. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का विश्लेषण।
26. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरिया / प्रबंधन पत्र।
27. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
28. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
29. विचलन का विवरण:
 - अ. सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियमन 32 (1) के संदर्भ में निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन (ओं) का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो, स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रस्तुत किया गया।
 - आ. सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियमन 32 (7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।
30. अनुपालन के स्तर और किसी भी संबंधित जोखिम पर चर्चा करने और किसी भी महत्वपूर्ण अनुपालन उल्लंघनों पर बोर्ड को निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए अनुपालन समिति के रूप में कार्य करना।
31. मतदान तंत्र पर निगरानी रखना और प्रबंधन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।
32. समय-समय पर विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत किसी अन्य भूमिका को पूरा करने के लिए।

- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कुल दस (10) बैठकें हुईं और इनमें सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	24-04-2024	27-05-2024	20-06-2024	07-08-2024	08-08-2024	05-09-2024	29-10-2024	08-11-2024	12-01-2025	07-02-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	10	6
श्री जगन्नाथ एम*	प्रबंध निदेशक	सदस्य							✓	✓	✓	✓	4	4
श्री दुरैस्वामि रामचन्द्रन**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓					6	6
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	10	9
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	83.33	83.33	100	83.33	100	83.33	83.33	100		
विशेष आमंत्रित:														
श्री सतपाल भानू***	प्रबंध निदेशक		✓	✓	✓	✓	✓	✓					6	6
श्री दुरैस्वामि रामचन्द्रन**	प्रबंध निदेशक								✓	✓	✓	✓	4	4
श्री सुनील अग्रवाल^	मुख्य वित्तीय अधिकारी								✓	✓	✓	✓	4	4

* 08.10.2024 से सदस्य के रूप में शामिल;

** 07.10.2024 तक सदस्य एवं उसके उपरांत विशेष आमंत्रित

*** 07.10.2024 तक विशेष आमंत्रित;

^ 08.10.2024 से विशेष आमंत्रित

घ. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024(लागू सीमा तक) और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 21 के अनुरूप किया गया है।

i. जोखिम प्रबंधन समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य
5	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7	श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य
8	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य
9	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव*	मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य

*19.03.2025 से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त

ii. जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित निगम द्वारा झेले जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।
 - पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
 - कारोबार निरंतरता योजना।
- यह सुनिश्चित करना कि निगम के संचालन से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखभाल करना।
- उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करके, जोखिम प्रबंधन नीति की वार्षिक रूप से आवधिक समीक्षा करना।
- निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित करना।
- मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और मानदेय की शर्तों की समीक्षा।
- जोखिम प्रबंधन समिति अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार करेगी, ऐसे मामलों में जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होता है।
- जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा।
- धोखाधड़ी रोधी नीति, धन शोधन रोधी नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, जोखिम की क्षमता विवरण आदि की समीक्षा और अनुमोदन के लिए उपरोक्त नीतियों की निदेशक मंडल को अनुशंसा करना।

10. जोखिम सहने की सीमा निर्धारित करना और जोखिम एक्सपोजर से जुड़ी लागत और लाभों का आकलन करना।
 11. समग्र नीतिगत उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए निगम के जोखिम-प्रतिफल प्रदर्शन की समीक्षा करना।
 12. बाजार में जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा और विचार करें और संबंधित कार्यों की सलाह देना।
 13. विशेष विश्लेषण और गुणवत्ता समीक्षा करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन में निदेशक मंडल की सहायता करना।
 14. बीमा जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, कानूनी जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, आदि सहित जोखिम की सभी श्रेणियों के लिए निगम के जोखिम रूपरेखा पर एक समग्र दृष्टिकोण बनाए रखना।
 15. निगमित रणनीति, विलय और अधिग्रहण और संबंधित मामलों जैसे रणनीतिक और परिचालन मामलों के संबंध में जोखिम प्रबंधन निर्णयों के संबंध में निदेशक मंडल को सूझाव देना।
 16. जोखिम एक्सपोजर पर विवरण और एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए की गई कार्रवाई; समीक्षा, निगरानी और चुनौती, निगम द्वारा लिए गए जोखिम संबंधित सूचना की निदेशक मंडल को प्रस्तुति (जहां आवश्यक हो)।
 17. नियमित आधार पर निगम की शोधन क्षमता की स्थिति की समीक्षा करना।
 18. व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की निगरानी और समीक्षा करना।
 19. धोखाधड़ी के प्रभावी निवारण, रोकथाम, पता लगाने और शमन के लिए धोखाधड़ी-रोधी नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
 20. बीमा धोखाधड़ी निगरानी फ्रेमवर्क आईआरडीए/एसडीडी/एमआईएससी/सीआईआर/009/01/2013 दिनांक 21/01/2013 पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करना।
 21. निगम की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति के अनुसार परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) से संबंधित मामलों की निगरानी करना।
 22. जोखिम प्रबंधन समिति को बीमाकर्ता द्वारा की गई आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के बारे में समय-समय पर अवगत कराया जाएगा और इस बात की पुष्टि भी की जाएगी कि वे शर्तों का अनुपालन करते हैं और साथ ही आंतरिक नीति उनके सामने रखी जाती है।
- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की कुल पांच (5) बैठकें हुईं और इनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	22-05-2024	28-08-2024	16-12-2024	24-01-2025	07-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य			✓	✓	×	3	2
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	×	✓	✓	5	4

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	22-05-2024	28-08-2024	16-12-2024	24-01-2025	07-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. वी एस पार्थसारथी**	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	x	✓				2	1
श्री संजीव नौटियाल***	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓					1	1
श्री एस सुंदर कृष्णन	मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य	✓	✓				2	2
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल*	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य			✓	✓	✓	3	3
श्री राज कमल*	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य			✓	x	✓	3	2
श्री दिनेश पंत*	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य			✓	x	✓	3	2
श्री सुनील अग्रवाल*	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य			✓	✓	✓	3	3
उपस्थिति (प्रतिशत में)			83.33	100	87.50	75	87.50		

* 08.10.2024 से सदस्य के रूप में शामिल

**08.10.2024 से सदस्यता समाप्त

***31.05.2024 को इस्तीफे से निदेशक पद से समाप्ति

^25.09.2024 से मुख्य जोखिम अधिकारी के पद से उनके इस्तीफे पर समाप्ति

ड पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण एवं दावा निगरानी समिति (जिसे पूर्व में पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के रूप में जाना जाता था)

आईआरडीआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024(लागू सीमा तक) के अनुसार, पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का नाम बदल दिया गया है और 08 अक्टूबर, 2024 को पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण एवं दावा निगरानी समिति (पीपीजीआर एवं सीएम समिति) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

i. पीपीजीआर एवं सीएम समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्रीमती रीमा नानावटी	विशेषज्ञ	सदस्य

ii. पीपीजीआर एवं सीएम समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. ग्राहक के साथ उचित व्यवहार करने के लिए पालिसी एवं दावा सेवा मानकों के लिए समय-सीमा सहित मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना।
2. मध्यस्थों द्वारा गलत बिक्री सहित पालिसीधारकों की शिकायतों और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र की समीक्षा करना।
3. बीमा लोकपाल/उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए अधिनिर्वयों की समीक्षा।
4. ग्राहक शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण करना और बाजार के आचरण के मुद्दों की पहचान करना।
5. प्रणालीगत मुद्दों, यदि कोई हो, को सुधारने के बारे में प्रबंधन को उचित रूप से सलाह देना।
6. बीमा लोकपाल/उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए सभी अधिनिर्वयों की कारण सहित समीक्षा करना, जो तीन (3) महीने से अधिक समय तक लागू नहीं हुए हैं, और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बोर्ड को रिपोर्ट करना।
7. उपायों की समीक्षा करना और समय-समय पर ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के लिए उचित कदम उठाना।
8. विनियामक ढांचे में यथा निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की समीक्षा करना।
9. पालिसीधारकों को भौतिक जानकारी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सुनिश्चित करें। ये प्रकटीकरण बिक्री के समय और आवधिक अंतरालों पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
10. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवधिक अंतराल पर शिकायतों का विवरण प्रदान करना।
11. पालिसीधारकों को बीमा लोकपाल का विवरण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना।
12. बकाया दावों की उम्र के साथ बकाया दावों की स्थिति सहित दावा रिपोर्ट की समीक्षा।
13. कारणों के विश्लेषण के साथ अस्वीकृत दावों की समीक्षा करना।
14. अन्य ग्राहक लाभ भुगतानों जैसे आत्मसमर्पण, ऋण, आंशिक आहरण अनुरोध आदि के निपटान की स्थिति की समीक्षा करें।
15. पालिसीधारकों की दावा न की गई राशियों की समीक्षा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।
16. निगम के व्यवसाय के स्थान को उसी शहर, कस्बे या गांव के भीतर स्थानांतरित करने और उसके बाद पहले के व्यवसाय के स्थान को बंद करने से संबंधित मामले।
17. छोटे कार्यालयों को सेटलाइट कार्यालयों में अपग्रेड करने के परिणामस्वरूप बंद करने को मंजूरी देना।
18. एक ही शहर, कस्बे या गाँव के भीतर व्यवसाय के किसी भी स्थान के स्थानांतरण के लिए अग्रिम स्वीकृति।

iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान पीपीजीआर और सीएम समिति की कुल चार (4) बैठकें आयोजित की गईं और इनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	20-06-2024	23-09-2024	20-12-2024	07-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री संजीव नौटियाल*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष					0	0
डॉ. रंजन शर्मा**	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष			✓	✓	2	2
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	20-06-2024	23-09-2024	20-12-2024	07-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य	×	✓	×	✓	4	2
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल [^]	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
डॉ. स्नेहलता देशमुख***	विशेषज्ञ	सदस्य	×				1	0
श्रीमती रीमा नानावटी****	विशेषज्ञ	सदस्य			✓	✓	2	2
उपस्थिति (प्रतिशत में)			60	100	83.33	100		

*31.05.2024 को इस्तीफे पर निदेशक पद से समाप्ति

**08.10.2024 से सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल

***29.07.2024 को दुर्भाग्यपूर्ण निधन के कारण सदस्यता समाप्त

****17.12.2024 से सदस्य के रूप में शामिल

[^]श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल, स्वतंत्र निदेशक, ने 20.06.2024 और 23.09.2024 को आयोजित समिति की बैठकों की अध्यक्षता की।

च लाभ सहित समिति (डब्ल्यूपीसी)

लाभ सहित समिति (डब्ल्यूपीसी) का गठन आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) और उसके तहत जारी परिपत्र के अनुरूप किया गया है।

i. डब्ल्यूपीसी में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य
4	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य
5	श्री साई श्रीनिवास धुलिपाला	स्वतंत्र बीमांकक	सदस्य

ii. डब्ल्यूपीसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- परिसंपत्ति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और आधार की उपयुक्तता
- बोनस अर्जित करने की क्षमता एवं उसकी गणना
- बोनस दरों एवं उसके आधार का यथोचित संवेदनशीलता विश्लेषण
- पॉलिसीधारकों की उचित अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाता है, इस पर एक संक्षिप्त नोट
- विशेष समर्पण मूल्य में कोई परिवर्तन
- भविष्य के विनियोग के लिए फंड का उपचार (एफएफए)
- लाभ के साथ फंड और इसकी उपयुक्तता के लिए डेबिट किए गए खर्च

- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान लाभ सहित समिति डब्ल्यूपीसी की एक (1) बैठक आयोजित की गई थी और इनमे सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	22-05-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	1	1
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य	✓	1	1
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य	✓	1	1
श्री साई श्रीनिवास धुलिपाला	स्वतंत्र बीमांकक	सदस्य	✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100		

छ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति का गठन वित्त मंत्रालय के दिनांक 03.04.2012 के पत्र संख्या 16.11.2012-बीओ-1 के अनुसार किया गया है।

- i. पीएसबी में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य

- ii. पीएसबी में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- पीएसबी में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 03.04.2012 के पत्र के अनुसार दिए गए अपने जनादेश को पूरा करेगी, अर्थात्, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारक निदेशक के लिए चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों की स्कैनिंग और चयन।

- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान पीएसबी में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति की कुल (4) बैठक आयोजित की गई और इनमे सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	13-05-2024	04-07-2024	15-07-2024	*24-07-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	×	4	3
श्री जगन्नाथ एम*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	100	66.67		

*श्री जगन्नाथ एम, प्रबंध निदेशक ने 24 जुलाई 2024 को आयोजित समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

ज सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

निगम के निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति का गठन किया गया है।

i. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	प्रोफेसर (डॉ) ओम दमानी	सलाहकार	सदस्य

ii. आईटी रणनीति समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- एलआईसी में आईटी के लिए एक दृष्टि, दर्शन, सिद्धांत और रणनीतिक लक्ष्य विकसित करना।
- ऐसी नीतियां स्थापित करें जो दीर्घकालिक आईटी रणनीति पर कार्यकारी निर्णयों के लिए रूपरेखा के रूप में काम करेंगी - जिसमें जीवन-चक्र लागत विश्लेषण, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, सुरक्षा पहुंच आदि शामिल हैं।
- आईटी से संबंधित मामलों में निदेशक मंडल को तकनीकी सलाह प्रदान करना मेज पर लाया गया।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और इसकी दिशा का पूरक है।
- संसाधन और जनशक्ति योजना यह सुनिश्चित करती है कि आईटी निवेश जोखिम और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं।
- आईटी जोखिम के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और आईटी के कुल वित्त पोषण की देखरेख करना।
- सभी अनुमोदित रणनीतिक पहलों की स्थिति की निगरानी करना, विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय सीमा वाले, और महत्वपूर्ण उठाये गए कदमों को समय पर पूरा करने के लिए बाधा को दूर करने में सहायता करना।
- समग्र आईटी प्रदर्शन माप और व्यापार के लिए आईटी के गठन की समीक्षा करना।
- सूचना सुरक्षा संचालन समिति द्वारा गतिविधियों की समीक्षा जो पहले जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जा रही थी।
- परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन को मंजूरी।

iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की कुल छह (6) बैठकें हुईं और इनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	22-05-2024	11-07-2024	01-08-2024	03-10-2024	07-12-2024	06-02-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री जगन्नाथ एम*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	x	✓			4	3
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	22-05-2024	11-07-2024	01-08-2024	03-10-2024	07-12-2024	06-02-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री दुरैस्वामि रामचन्द्रन**	प्रबंध निदेशक	सदस्य					✓	×	2	1
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
डॉ. वी एस पार्थसारथी***	स्वतंत्र निर्देशक	सदस्य					✓	×	2	1
प्रो. (डॉ.) ओम दमानी	सलाहकार	सदस्य	×	✓	✓	✓	×	✓	6	4
उपस्थिति (प्रतिशत में)			80	100	80	100	83.33	66.67		
विशेष आमंत्रित: -										
श्री दुरैस्वामि रामचन्द्रन**	प्रबंध निदेशक	-	✓	✓	✓	✓			4	4

*08.10.2024 से सदस्यता समाप्त

**07.10.2024 तक विशेष आमंत्रित एवं 08.10.2024 से सदस्य के रूप में शामिल

***08.10.2024 से सदस्य के रूप में शामिल

झ भवन सलाहकार समिति (बीएसी)

भवन सलाहकार समिति का गठन निदेशक मंडल के निर्देशानुसार किया गया है।

i. भवन सलाहकार समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	श्री सुशील कुमार दुबे	बाहरी सदस्य	सदस्य
5	श्री मनु अमिताभ	बाहरी सदस्य	सदस्य
	विशेष आमंत्रित:		
1	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	-

ii. भवन सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- संपत्तियों की खरीद और बिक्री के प्रस्तावों की जांच करना, खाली भूमि को पट्टे पर देना, संपत्तियों का पुनर्विकास और भवनों का निर्माण और रखरखाव और अन्य सभी मामले जो इसके लिए आकस्मिक हैं और इसे प्रस्तुत किए गए किसी भी अन्य मामले।
- समय-समय पर अनुमोदित निगम के वित्तीय शक्तियों के स्थायी आदेश के प्रावधानों के अनुसार मूल्य के ऐसे सभी प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

- iii. भवन सलाहकार समिति की एक (1) बैठक वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित की गई थी और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	04-11-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	1	1
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	1	1
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री सुशील कुमार दुबे	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	1	1
श्री मनु अमिताभ	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100		
विशेष आमंत्रित:					
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक		x	1	0

ज इरादतन चूककर्ताओं (विलफुल डिफॉल्टरों) की समीक्षा के लिए समिति

इरादतन चूककर्ताओं (विलफुल डिफॉल्टरों) की समीक्षा के लिए समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01/07/2014 और 01/07/2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार किया गया है।

- i. विलफुल डिफॉल्टरों की समीक्षा के लिए समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

- ii. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के आंतरिक विलफुल चूककर्ता समिति के आदेशों/निर्णयों की समीक्षा करना;
2. समय-समय पर विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत किसी अन्य भूमिका को पूरा करने के लिए।

- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति की कोई बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी।

ट हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

हितधारक संबंध समिति का गठन सेबी सूचीबद्धता, विनियम, 2015 के विनियमन 20 के अनुसार किया गया है।

- i. हितधारक संबंध समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

- ii. हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
1. शेयरों के हस्तांतरण/पारेषण, वाषक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
 2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
 3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में निगम द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
 4. निगम के शेयरधारकों द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।
- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान हितधारक संबंध समिति की कुल तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं और इनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	24-04-2024	07-08-2024	12-01-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. रंजन शर्मा*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓		2	2
श्री विनोद कुमार वर्मा**	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष			✓	1	1
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	3	3
प्रो. अनिल कुमार*	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓		2	2
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	×	✓	3	2
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार*	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓		2	2
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	80	100		

* 08.10.2024 से सदस्यता समाप्त

** 08.10.2024 से सदस्य और अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया

- iv. श्री अंशुल कुमार सिंह कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं।

- v. निवेशकों की शिकायतों का विवरण:

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान निवेशकों (स्टॉक एक्सचेंजों सहित) से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुईं। सेबी स्कोर):

1 अप्रैल, 2024 तक लंबित शिकायतें	24
1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	1671
1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1694
31 मार्च, 2025 तक लंबित शिकायतें	1

ठ नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19बी, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 19 और आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) के अनुसार किया गया है।

i. नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करना।
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति निदेशक मंडल में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर स्वतंत्र निदेशक के लिए अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति यह कर सकती है:
 - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना।
 - पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से उम्मीदवारों पर विचार करें, विविधता के संबंध में; और
 - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।
- निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करना।
- शेयरधारक निदेशक के चुनाव की प्रक्रिया में, एलआईसी ऑफ इंडिया (शेयरधारकों के निदेशक) विनियम 2023 और निगमित शासन पर आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक आवेदकों की घोषणाओं की जांच करने के लिए संदर्भ: IRDAI/F&I/CIR/MISC/82/5/2024 दिनांक 22 मई 2024।
- उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं या जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन / प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) में नियुक्त किया जा सकता है, निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना;
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।
- निदेशक मंडल विविधता पर एक नीति तैयार करना।
- स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाना या जारी रखना है या नहीं।
- एलआईसी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ई) या (एफ) या (जी) के तहत नामित या नियुक्त निदेशक को बैठक शुल्क के रूप में देय राशि से संबंधित निदेशक मंडल को एक नीति की सिफारिश करें, ऐसी फीस के अधीन जो ऐसी सीमा से अधिक नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किसी कंपनी के निदेशक को देय बैठक शुल्क के संबंध में लागू हो सकती है।
- वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी मान देय (किसी भी रूप में) निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति को, सिफारिश करना तथा।
- ऐसे अन्य कार्यों को करना जो निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं या LIC अधिनियम या सेबी सूचीबद्धता विनियम या आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के तहत विनिर्दिष्ट/प्रदान किए जा सकते हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा।

- iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कुल चार (4) बैठकें हुईं और इनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	06-04-2024	21-06-2024	06-02-2025	17-03-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	4	4
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	✓	✗	✓	✗	4	2
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	83.33	100	83.33		

- iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड:

निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड निर्धारित किए हैं एवं निदेशकों की नीति में इसका उल्लेख किया गया है। निदेशकों की नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उक्त नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है।

ड पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति

निदेशक मंडल द्वारा 23 सितंबर, 2024 को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति का गठन किया गया है।

- i. ईएसजी समिति में 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	डॉ. अमित बंसीवाल	बाहरी सदस्य	सदस्य
6	प्रो. विद्याधर वी. गेडाम	बाहरी सदस्य	सदस्य
	विशेष आमंत्रित:		
1	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सीजी / जीजेएफ / आरसी) और मुख्य अनुपालन अधिकारी	-
2	सुश्री रोसलीन कुरियन	कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान/रणनीति/कॉर्पोरेट योजना/नई परियोजना)	-
3	श्री बलिराम बापूराव जाधव	कार्यकारी निदेशक (अभियांत्रिकी)	-
4	श्री शुभाशीष दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक (कार्यालय सेवा/मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)	-

ii. ईएसजी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मंडल को निगम की ईएसजी नीति की सिफारिश करें और आवश्यकता पड़ने पर नीति की समीक्षा करें।
2. ईएसजी लक्ष्यों, लक्ष्यों और रणनीति को मंजूरी देना और उनकी पुष्टि करना और हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए ईएसजी पहलों सहित उनके प्रदर्शन की निगरानी करना।
3. निगम को सलाह देना और निगम की ईएसजी से संबंधित नीतियों, रणनीतियों और गतिविधियों पर इस तरह से निगरानी रखना जो व्यवसाय के संचालन के साथ पर्यावरणीय, सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है।
4. निगम के संचालनों के आकार, प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए जलवायु जोखिम प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करें।
5. निगम की ईएसजी गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करें।
6. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) या नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य किसी भी ईएसजी संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा और नोटिंग।
7. एलआईसी के स्वर्ण जयंती फाउंडेशन ट्रस्ट की गतिविधियों पर छमाही आधार पर रिपोर्ट की समीक्षा करना।
8. समय-समय पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित कोई अन्य ईएसजी संबंधित गतिविधियां।

iii. वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित ईएसजी समिति की एक (1) बैठक हुई और इसमें सदस्यों और विशेष आमंत्रितों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	12-02-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	1	1
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	1	1
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	1	1
डॉ. अमित बंसीवाल	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	1	1
प्रो. विद्याधर वी. गेडाम	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100		
विशेष आमंत्रित:-					
श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सीजी / जीजेएफ / आरसी) और मुख्य अनुपालन अधिकारी	-	✓	1	1
सुश्री रोसलीन कुरियन	कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान/रणनीति/ कॉर्पोरेट योजना/नई परियोजना)	-	✓	1	1
श्री बलिराम बापूराव जाधव	कार्यकारी निदेशक (अभियांत्रिकी)	-	✓	1	1
श्री शुभाशीष दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक (कार्यालय सेवा/मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)	-	✓	1	1

4. निदेशकों का पारिश्रमिक:

क) वर्ष 2024-2025 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अन्य लाभ और अनुलाभ	निगम का पेंशन में अनुदान	कुल पारिश्रमिक
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	41.96	39.33	18.13	2.70	102.11
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	46.52	36.27	10.33	3.51	96.62
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	47.61	36.27	14.07	3.59	101.54
श्री सतपाल भानु	प्रबंध निदेशक	49.20	25.56	12.46	3.98	91.21
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	48.43	21.58	13.98	4.16	88.15

नोट:

1. निगम के पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मापदंडों के अनुसार प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देय हैं।
2. वर्ष के दौरान निगम द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए गए हैं।
3. पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्य कार्यकारी (सेवा के निश्चित नियम और शर्तें) नियम, 1998 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के निश्चित नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम, 1988, यथासंशोधित के प्रावधानों द्वारा विनियमित की जाती हैं।

ख) निदेशकों की नीति के अनुसरण में, सरकार द्वारा नामित निदेशक निगम से कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क अथवा अन्य मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं है जबकि निगम के स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल की प्रति बैठक ₹ 80,000/- और समितियों की प्रति बैठक ₹ 60,000/- की बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा, ठहरने और परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

उपर्युक्त के अलावा, निगम और इसके किसी गैर-कार्यकारी निदेशक के बीच कोई अन्य आर्थिक संबंध अथवा व्यावसायिक लेन-देन नहीं हुआ है।

वर्ष 2024-2025 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

बैठक का नाम	डॉ. रंजन शर्मा	श्री विनोद कुमार वर्मा	प्रो. अनिल कुमार	श्रीमती अंजुली चिब दुगल	श्री महालिंगम जी	श्री राज कमल	डॉ. वी एस पार्थसारथी	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	श्री संजीव नौटियाल	कुल योग
निदेशक मंडल	10.40	10.40	10.40	9.60	9.60	10.40	9.60	10.40	2.40	83.20
कार्यकारी समिति	3.00	-	2.40	4.80	4.20	-	5.40	-	-	19.80
लेखापरीक्षा समिति	6.00	-	5.40	-	-	-	6.00	6.00	-	23.40
भवन सलाहकार समिति	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60
पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ESG) समिति	-	-	0.60	-	-	-	0.60	-	-	1.20

बैठक का नाम	डॉ. रंजन शर्मा	श्री विनोद कुमार वर्मा	प्रो. अनिल कुमार	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	श्री महालिंगम जी	श्री राज कमल	डॉ. वी एस पार्थसारथी	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	श्री संजीव नौटियाल	कुल योग
निवेश समिति	-	-	-	-	9.00	8.40	-	9.00	-	26.40
स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.60	1.20	-	9.00
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	-	-	-	-	-	3.60	0.60	3.60	-	7.80
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	2.40	2.40	2.40	-	2.40	-	-	-	-	9.60
पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण एवं दावा निगरानी समिति और पॉलिसीधारको संरक्षण समिति	1.20	2.40	-	2.40	-	-	-	-	-	6.00
जोखिम प्रबंधन समिति	-	-	-	1.80	3.00	1.20	0.60	-	0.60	7.20
हितधारक संबंध समिति	1.20	0.60	1.20	1.20	-	-	-	1.20	-	5.40
लाभ सहित समिति	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	0.60
कुल शुल्क	26.00	17.00	23.60	21.00	29.40	25.40	23.40	31.40	3.00	200.20

5. सामान्य शेयरधारक जानकारी

(क) निगम की जानकारी का आशुचित्र:

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	संस्थापन की तिथि	भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत हुई है।
2	केंद्रीय कार्यालय का पता	भारतीय जीवन बीमा निगम 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021
3	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
4	आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या	512
5	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025
6	आगामी चौथी वार्षिक सामान्य बैठक (दिन, तिथि, समय और स्थान)	मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को 11:30 बजे (भारतीय समयानुसार) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
7	लाभांश भुगतान तिथि	अंतिम लाभांश, यदि अनुमोदित किया जाता है, तो सितंबर 24, 2025 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा।
8	स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता	निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बीएसई लिमिटेड (BSE) में सूचीबद्ध हैं। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का पता नीचे दिया गया है: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड: एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. बीएसई लिमिटेड: फिरोज जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001
9	सूचीबद्धता फीस का भुगतान	निगम ने NSE और BSE को संबंधित अवधि के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया है।
10	आईएसआईएन (इक्विटी)	INE0J1Y01017
11	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट	निगम के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। सभी शेयरों के हस्तांतरण और संबंधित संचालन आरटीए द्वारा किए जाते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032. ईमेल पता: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com टोल फ्री नं.: 1800-309-4001 व्हाट्सएप नंबर: (91) 910 009 4099 KPRISM तक पहुँचने के लिए QR कोड: 

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण												
12	शेयर हस्तांतरण प्रणाली	समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 40(1) के अनुसरण में, शेयरों का हस्तांतरण, संचरण और स्थानांतरण केवल अभौतिकीकृत रूप में ही प्रभावी होगा। हालांकि, निवेशकों को भौतिक रूप से शेयर रखने से रोक नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी होल्डिंग को अभौतिकीकृत रूप में बदलने पर विचार करें। जनवरी 25, 2022 के सेबी परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों शेयरधारकों से किसी भी सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए केवल अभौतिकीकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करेंगी, जैसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, पृष्ठांकन, संचरण, स्थानांतरण आदि। सेवा अनुरोध को संसाधित करने के बाद, शेयरधारकों को पुष्टिकरण पत्र जारी किया जाएगा जो 120 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके भीतर शेयरधारक उन शेयरों को अभौतिकीकृत करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी से अनुरोध करेगा। यदि शेयरधारक 120 दिनों के भीतर अभौतिकीकरण का अनुरोध प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो कॉर्पोरेशन उन शेयरों को कॉर्पोरेशन द्वारा रखे गए सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में जमा करेगा। शेयरधारक द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर इन शेयरों को सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते से स्थानांतरित करने का दावा कर सकते हैं।												
13	शेयरों और तरलता का डिमटेरियलाइजेशन	निगम के इक्विटी शेयरों का नियमित रूप से एनएसई और बीएसई पर अभौतिकीकृत रूप में कारोबार किया जाता है। 31 मार्च, 2025 को, निगम के दो इक्विटी शेयरों के अलावा सभी इक्विटी शेयर अभौतिकीकृत रूप में रखे गए हैं। 31 मार्च, 2025 को निगम के इक्विटी शेयर रखने के तरीके का विवरण नीचे दिया गया है: <table border="1"> <thead> <tr> <th>इक्विटी शेयरों का विवरण</th><th>संख्या</th><th>कुल का %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे हुए</td><td>6,32,49,97,699</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td>भौतिक रूप में रखे हुए</td><td>02</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>6,32,49,97,701</td><td>100.00</td></tr> </tbody> </table>	इक्विटी शेयरों का विवरण	संख्या	कुल का %	डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे हुए	6,32,49,97,699	100.00	भौतिक रूप में रखे हुए	02	0.00	कुल	6,32,49,97,701	100.00
इक्विटी शेयरों का विवरण	संख्या	कुल का %												
डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे हुए	6,32,49,97,699	100.00												
भौतिक रूप में रखे हुए	02	0.00												
कुल	6,32,49,97,701	100.00												
14	बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव	निगम के द्वारा ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं।												
15	कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां	निगम के लिए लागू नहीं है क्योंकि निगम न तो कोई वस्तु व्यवसाय करता है और न ही विदेशी मुद्राओं के लिए कोई जोखिम है जिसके लिए किसी भी हेजिंग रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।												

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
16	संयंत्र का स्थान	चूंकि निगम, जीवन बीमा के व्यवसाय में है, इसलिए संयंत्र के स्थान के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
17	पत्राचार के लिए पता	वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रश्नों के लिए: श्री सुनील अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, तीसरी मंजिल, वेस्ट विंग, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र ईमेल पता: cfo@licindia.com दूरभाष संख्या: 022-22028086 वेबसाइट: www.licindia.in संस्थागत निवेशकों के प्रश्नों/पत्राचार के लिए: श्री संजय आर. बजाज प्रमुख (निवेशक संबंध), भारतीय जीवन बीमा निगम, तीसरी मंजिल, वेस्ट विंग, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र ईमेल पता: investorrelations@licindia.com दूरभाष संख्या: 022 - 2284 2404 वेबसाइट: www.licindia.in शेयर/लाभांश/सचिवीय अनुपालन से संबंधित प्रश्नों के लिए: श्री अंशुल कुमार सिंह कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम, 7वीं मंजिल, ईस्ट विंग, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र ईमेल पता: investors@licindia.com दूरभाष संख्या: 022-2202 2079 वेबसाइट: www.licindia.in
18	ऐसी इकाई के सभी क्रेडिट रेटिंग या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी भी योजना या प्रस्ताव, जिसमें धन जुटाना शामिल है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, के लिए संगत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची।	लागू नहीं

(ख) निगम का शेयरधारिता विवरण:

(i) इक्विटी शेयरधारिता का वितरण: 31 मार्च, 2025 को निगम की इक्विटी शेयरधारिता का श्रेणीवार वितरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	श्रेणी (शेयर)	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1	1-5000	2384559	99.1281	82580224	1.3056
2	5001- 10000	12006	0.4991	8878625	0.1404
3	10001- 20000	4948	0.2057	7060829	0.1116
4	20001- 30000	1555	0.0646	3853158	0.0609
5	30001- 40000	592	0.0246	2094209	0.0331
6	40001- 50000	530	0.022	2445823	0.0387
7	50001- 100000	668	0.0278	4884253	0.0772
8	100001 और ऊपर	675	0.0281	6213200580	98.2325
	कुल	24,05,533	100	6,32,49,97,701	100

(ii) शेयरधारिता स्वरूप: 31 मार्च, 2025 को निगम का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रमांक	शेयरधारको की श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	6103622781	96.5
2	निवासी व्यक्ति	112944863	1.7857
3	म्युचुअल फंड	71704863	1.1337
4	निकाय कॉर्पोरेट	13345743	0.211
5	विदेशी पोर्टफोलियो - निगम	6205128	0.0981
6	योग्य संस्थागत खरीदार	5475681	0.0866
7	एचयूएफ	3449563	0.0545
8	बैंकों	3445097	0.0545
9	अनिवासी भारतीय	3039803	0.0481
10	अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय	1223955	0.0194
11	ट्रस्ट	237340	0.0038
12	वैकल्पिक निवेश कोष	143411	0.0023
13	एनबीएफसी	117354	0.0019
14	भारतीय वित्तीय संस्थान	25109	0.0004
15	समाशोधन सदस्य	16729	0.0003
16	निदेशक और उनके रिश्तेदार	281	0.0000
	कुल	6,32,49,97,701	100

(ग) आम बैठकें/डाक मतपत्र:

i. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों और विशेष प्रस्तावों का विवरण:

सामान्य बैठक	वित्तीय वर्ष	सामान्य बैठक कार्यक्रम-स्थल	सामान्य बैठक की तारीख	बैठक का समय	विशेष प्रस्ताव पारित
पहली	2021-22	बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधन के माध्यम से आयोजित की गई थी	सितम्बर 27, 2022	14:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रंजन शर्मा की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो. अनिल कुमार की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री महालिंगम जी की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राज कमल की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री बी एस पार्थसारथी की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीव नौटियाल की नियुक्ति
दूसरी	2022-23	बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधन के माध्यम से आयोजित की गई थी	अगस्त 22, 2023	11:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	कोई नहीं
तीसरी	2023-24	बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधन	अगस्त 22, 2024	11:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	कोई नहीं

ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आयोजित असाधारण आम बैठकों और उनमें पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान निगम के सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

iii. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से किए गए व्यवसाय का विवरण:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

iv. क्या डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव है:

निदेशक मंडल की रिपोर्ट की तारीख के अनुसार, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अवैतनिक/ अस्वामिक लाभांश और अस्वामिक डीमेट उचंत खाते में इक्विटी शेयर:

(i) अस्वामिक लाभांश और संबंधित शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरण:

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28सी(5) में यह प्रावधान है कि भुगतान न किए गए लाभांश खाते में भुगतान के लिए देय तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावी और भुगतान न की गई राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28सी(6) के अनुसार, वे सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है, निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम पर हस्तांतरित किए जाएंगे।

आईईपीएफ में अंतरण की नियत तारीख के साथ दावा न किए गए लाभांश से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	लाभांश का प्रकार	प्रति शेयर लाभांश (₹)	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तारीख
2021-22	अंतिम	₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर	सितम्बर 27, 2022	अक्टूबर 26, 2029
2022-23	अंतिम	₹ 3.00 प्रति इक्विटी शेयर	अगस्त 22, 2023	सितंबर 20, 2030
2023-24	अंतरिम	₹ 4.00 प्रति इक्विटी शेयर	फरवरी 08, 2024	मार्च 08, 2031
	अंतिम	₹ 6.00 प्रति इक्विटी शेयर	अगस्त 22, 2024	सितंबर 20, 2031

उन सदस्यों की सूची जिनके लाभांश भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश खाते में पड़े हैं, निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://licindia.in/unclaimed-dividend-detail>

(ii) अस्वामिक डीमेट उचंत खाता:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग एफ के साथ पठित विनियमन 34(3) के संदर्भ में, निगम के पास 31 मार्च, 2025 को डीमेट उचंत अकाउंट या अस्वामिक डीमेट सस्पेंस अकाउंट में निगम के कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं।

(ङ) संचार के साधन:

सूचना का प्रभावी संचार कॉर्पोरेट प्रशासन का एक अनिवार्य घटक है। यह सभी हितधारकों को सूचना, विचार, राय और योजनाओं को साझा करने की एक प्रक्रिया है जो प्रबंधन-शेयरधारक संबंधों को बढ़ावा देती है। आपके निगम का मानना है कि सभी हितधारकों को अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वे इसकी भविष्य की क्षमता का सही आकलन कर सकें। तदनुसार, निगम नियमित आधार पर अपने प्रचालनों और पहलों के बारे में सूचना का प्रसार करता है। निगम की वेबसाइट, अर्थात्, www.licindia.in अपने सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता सुविधा के रूप में कार्य करती है, जिससे उन्हें अपनी सुविधानुसार जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह निगम की रणनीति, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन प्रदर्शन और नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

निगम के निवेशक संबंध कर्मी विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हैं और विश्लेषकों और निवेशकों दोनों को जानकारी प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सभी जानकारी जो निगम के शेयर मूल्य पर एक सामग्री असर डाल सकती है, नियामक आवश्यकताओं के अनुसार जारी की जाती है। यह सूचना समय-समय पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भी भेजी जाती है। अन्य जानकारी जैसे प्रेस विज्ञप्ति, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण और विश्लेषक / निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां आदि नियमित रूप से निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। सूचीबद्धता विनियमों के तहत वित्तीय और अन्य जानकारी और आवश्यक/निर्धारित विभिन्न अनुपालन एनएसई और बीएसई के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं और उनकी संबंधित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं और साथ ही निगम की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाते हैं।

i. **त्रैमासिक परिणाम:**

निगम के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम अंग्रेजी में अग्रणी राष्ट्रीय व्यापार समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड और मराठी समाचार पत्र नवशक्ति में प्रकाशित किए जाते हैं। उपरोक्त के अलावा, परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी संस्करण) में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

ii. **वेबसाइट:**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 के संदर्भ में, निगम की वेबसाइट अर्थात् www.licindia.in में एक समर्पित अनुभाग “निवेशक संबंध” शामिल है जो विभिन्न हितधारकों के हित की जानकारी प्रदर्शित करता है।

iii. **प्रेस विज्ञप्ति:**

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती हैं, और उन्हें निगम की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाता है।

iv. **संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों के लिए प्रस्तुति:**

एलआईसी प्रत्येक तिमाही परिणाम घोषणा के बाद प्रेस मीट और निवेशक / विश्लेषक कॉल आयोजित करता है, जो सभी शेयरधारकों और आम जनता के लिए सुलभ है। निगम अपनी वार्षिक आम बैठक भी आयोजित करता है, जो सभी शेयरधारकों के लिए सुलभ है। इन घटनाओं का ब्यौरा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित किया जाता है और वेबसाइट पर अद्यतन किया जाता है। एलआईसी विभिन्न विश्लेषकों द्वारा व्यवस्थित निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेता है जहां प्रबंधन/निगम के प्रतिनिधि निवेशकों के साथ आमने-सामने या समूह बैठकों में बातचीत करते हैं। ऐसी भागीदारी का ब्यौरा स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रसारित किया जाता है और साथ ही निगम की वेबसाइट पर भी अद्यतन किया जाता है।

6. **वरिष्ठ प्रबंधन**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट के अनुलग्नक ‘ख’ में प्रस्तुत किया गया है।

7. **अन्य प्रकटीकरण**

- क) **संबंधित पक्ष लेनदेन:** संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- ख) **पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर निगम द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निगम पर लगाए गए जुर्माने, सख्ती का विवरण:** पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में निगम द्वारा गैर-अनुपालन या स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निगम पर लगाए गए जुर्माने और/या सख्ती का कोई दृष्टांत सामने नहीं आया है।
- ग) **सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:** सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति के संबंध में विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- घ) **अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण:** निगम ने सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) (एबी) से 46(2) (आई) में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं और निगमित शासन से संबंधित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं (संभव सीमा तक) का भी अनुपालन किया है, जो निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवेकाधीन आवश्यकताएं	दर्जा
1	एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दे सकता है	लागू नहीं

क्रमांक	विवेकाधीन आवश्यकताएं	दर्जा
2	पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को भेजी जाए	तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रसारित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और समय पर प्रकटीकरण के सिद्धांतों को कायम रखती है, यह सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को अच्छी तरह से सूचित किया जाए।
3	सूचीबद्ध इकाई असंशोधित अंकेक्षण राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है	निगम के लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय के साथ एक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी की है।
4	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्वतंत्र पद सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष - (ए) एक गैर-कार्यकारी निदेशक हो; और (बी) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित रिश्तेदार शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं होना चाहिए	एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2)(ए)(iii) के अनुसार, 3 साल की प्रारंभिक अवधि के बाद, यानी 29 जून, 2024 के बाद, निदेशक मंडल के अध्यक्ष को, केंद्र सरकार द्वारा नामित या नामित किए जाने वाले गैर-कार्यकारी निदेशकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और 30 जून, 2024 से पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया। तदनुसार, श्री सिद्धार्थ मोहंती, निगम के तत्कालीन पूर्णकालिक अध्यक्ष को 30 जून, 2024 से निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः पदनामित किया गया।
5	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है	प्रमुख आंतरिक लेखा परीक्षक निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट करता है।

- ड) **कमोडिटी प्राइस जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण:** निगम पर लागू नहीं होता है क्योंकि निगम न तो कोई कमोडिटी व्यवसाय करता है और न ही विदेशी मुद्राओं के लिए कोई एक्सपोजर है जिसके लिए किसी भी हेजिंग गतिविधियों की आवश्यकता हो।
- च) **विनियम 32(7क) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अधिमानी आबंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थानों के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण:** वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने अधिमानी आबंटन अथवा अर्हताप्राप्त संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है।
- छ) **कंपनी सचिव द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक मंडल/कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा निरहिंत किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:** सेबी सूचीबद्धता विनियमों के संदर्भ में, मैसर्स मेहता और मेहता, कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि निगम के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी”), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (“एमसीए”) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक “च” के रूप में संलग्न है।
- ज) **जहां निदेशक मंडल ने इसकी किसी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो कि संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्यतः अपेक्षित है, तो उसका खुलासा उसके कारणों सहित किया जाना चाहिए:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल समितियों द्वारा निदेशक मंडल को की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद स्वीकार कर लिया गया था।

- झ) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है – सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण अनुसूची 3 और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां में दिया गया है।
- ञ) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का विवरण: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण से संबंधित विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- ट) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 'फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, का प्रकटीकरण: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, किसी भी फर्म/कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया जिसमें निदेशक रुचि रखते थे।
- ठ) सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख सहित: निगम ने सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16 के संदर्भ में महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का निर्धारण करने के लिए एक नीति तैयार की है और इस नीति के अनुसार 31 मार्च, 2025 को, निगम की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनी (भारत के भीतर और भारत के बाहर) निर्धारित करने के लिए नीतियां निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उक्त नीतियों का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है।
- ड) सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 30ए के अनुसार शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, सूचीबद्ध इकाई या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या सूचीबद्ध इकाई के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ किए गए समझौते, अकेले या संयुक्त रूप से, जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिसका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या सूचीबद्ध इकाई पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई दायित्व बनाना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है।
- ढ) निगमित शासन रिपोर्ट में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड सी के उप पैरा (2) से (10) के तहत वर्णित किसी भी आवश्यकता की गैर-अनुपालना: निगम ने लागू सीमा तक सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित निगमित शासन रिपोर्ट की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

अनुलग्नक 'क'

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं),
विनियम, 2015 की अनुसूची V के अनुसार घोषणा

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि निगम के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान “निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता” के अनुपालन की पुष्टि की है।

(आर. दुरैस्वामि)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22 जुलाई, 2025

31 मार्च 2025 को वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ("व. प्र. का.") का विवरण

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का नाम	पदनाम
श्री आर्य लाहिड़ी	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता
श्रीमती अंजुबाला पुरुषोत्तम	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
श्री राजीव सचदेव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी काड्स सर्विसेज लिमिटेड
श्री सलिल विश्वनाथ	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन विकास/ओडी)
श्री श्रवण कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
श्री रवि कुमार झा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड
श्री वेंकटरमणन गोपाल	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
श्रीमती गीता प्रभाकरन	कार्यकारी निदेशक (सहायक)
श्री डी पी पटनायक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (ग)
श्री हेमंत बुच	कार्यकारी निदेशक (विपणन-बैंकाशयोरेंस और वैकल्पिक चैनल)
श्रीमती सीमा श्रीधर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी एचएफएल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
श्री पान सिंह नेगी	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
श्री प्रफुल्ल जयपुरिया	महासचिव (भारतीय बीमा संस्थान), मुंबई
श्री राजेश अलावादी	कार्यकारी निदेशक (विधि)
श्री अनिर्बान सरकार	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)
श्री महताबुजमान	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद
श्री आदित्य गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (निगमित संप्रेषण)
श्री अशोक के आर	कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक/प्रशासन/आईटी कार्यान्वयन)
श्री जगत सिंह टोलिया	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
श्री बलिराम बापूराव जाधव	कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग)
श्री कुलदीप टिक्कू	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
श्रीमती मीनू सरकार	कार्यकारी निदेशक (पेंशन और समूह योजना / सूचना प्रौद्योगिकी / ग्राहक संबंध प्रबंधन)
श्रीमती प्रतिभा सिंह	कार्यकारी निदेशक (संपर्क)
श्री वरंदनी घनशाम देवमल	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पुणे
श्री सुभाष चंदर	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आगरा
श्री इंद्रनील रॉय	संकाय सदस्य, राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे
श्रीमती ऋचा कपूर	मुख्य परिचालन अधिकारी, एलआईसी काड्स सर्विसेज लिमिटेड
श्री जतिन्दर पाल सिंह बजाज	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
श्री राजेश कुमार	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम
श्री त्रिभुवन अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
सुश्री रोसलीन कुरियन	कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान/रणनीति/कॉर्पोरेट योजना/नई परियोजना)

वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों का नाम	पदनाम
श्री पंकज गोपाल	मुख्य कार्यकारी, एलआईसी एचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
श्री प्रताप चन्द्र पैकरे	कार्यकारी निदेशक (मुख्य जीवन बीमा सलाहकार)
श्री शेषा गिरिधर कुप्पोली	कार्यकारी निदेशक (निवेश बैंक ऑफिस) / पेंशन और समूह योजना)
श्री कोठंडरमन मुरलीधर	कार्यकारी निदेशक (डिजिटल विपणन)
श्रीमती शांता वर्की	कार्यकारी निदेशक (निरीक्षण)

वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्धन

वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों का नाम	31 मार्च, 2025 को पदनाम	व. प्र. का. के रूप में प्रवेश की तिथि
श्री वेंकट रमण चिलका	कार्यकारी निदेशक (ग्राहक संबंध प्रबंधन / पॉलिसी सेवा)	10 अप्रैल 2024
श्री शुभाशीष दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक (कार्यालय सेवा/मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)	16 अप्रैल 2024
श्री सुधांशु शेखर	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी/डिजिटल परिवर्तन)	10 अप्रैल 2024
श्रीमती बिचित्र महापात्रा	कार्यकारी निदेशक (सूचना का अधिकार)	10 अप्रैल 2024
श्रीमती शोभा सुलोचना	कार्यकारी निदेशक (नया व्यवसाय और पुनर्बीमा/स्वास्थ्य बीमा)	10 अप्रैल 2024
श्री चन्द्र नरसिम्हन	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई	22 अप्रैल 2024
श्रीमती भार्गवी गणेश	कार्यकारी निदेशक (उद्यम जोखिम प्रबंधन)	15 अप्रैल 2024
श्री अतनु सेनगुप्ता	निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई	12 अप्रैल 2024
श्री सनोज कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	12 अप्रैल 2024
श्रीमती मीता खरे	कार्यकारी निदेशक (संपदा)	10 अप्रैल 2024
श्री रामकृष्णन चंद्र	कार्यकारी निदेशक (सामरिक व्यापार इकाई-अंतर्राष्ट्रीय संचालन)	18 अप्रैल 2024
श्री कौशिक कुमार घोषाल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड	16 अप्रैल 2024
श्री धर्म पाल	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	16 अप्रैल 2024
श्री अनुपम जिंदल	अपर निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता	22 अप्रैल 2024
श्रीमती वंदना सिन्हा	कार्यकारी निदेशक (ग्राहक संबंध प्रबंधन / दावे/ वार्षिकी)	10 अप्रैल 2024
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	उत्पाद बीमांकक	10 अप्रैल 2024
श्री पुनीत कुमार सिंघल	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	15 अप्रैल 2024
श्रीमती बिंदु पॉल	कार्यकारी निदेशक (निवेश-मध्य कार्यालय)	10 अप्रैल 2024
श्री प्रदीप प्रभाकर केलकर	मुख्य प्रभारी (लेखा परीक्षा)	03 जनवरी 2025

वर्ष 2024-25 के दौरान निकासी

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का नाम	बाहर निकलने के समय पदनाम	निकासी का कारण	निकासी की तिथि
श्री रघुपाल सिंह	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	31 अगस्त 2024
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई 2024
श्री लकुंडी कृष्णशमसुंदर	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई 2024
श्री कमल कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई 2024
श्री प्रमोद रंजन मिश्रा	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	31 मई 2024
श्री अश्विनी घई	निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई	सेवा-निवृत्ति	30 अप्रैल 2024
श्री एम सी चतुर्वेदी	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	31 अक्टूबर 2024
श्री जगन्नाथन चक्रपाणि	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई 2024
श्रीमती उमा राव	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद	सेवा-निवृत्ति	30 जून 2024
श्री सत्यव्रत नायक	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	30 नवंबर 2024
श्री उदय कुमार नवानी	कार्यकारी निदेशक (समन्वय), क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पुणे	सेवा-निवृत्ति	31 मई 2024
श्रीमती आराधना दुग्गल	कार्यकारी निदेशक (नया व्यवसाय और पुनर्बीमा)	सेवा-निवृत्ति	31 दिसम्बर 2024
श्री एल.सी. मीणा	निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई	सेवा-निवृत्ति	31 अक्टूबर 2024
श्री रजनीकांत रायभरम	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	31 जनवरी 2025
श्री प्रवीण कुमार	कार्यकारी निदेशक (समन्वय), दिल्ली	सेवा-निवृत्ति	30 जून 2024
सुश्री रचना खरे	कार्यकारी निदेशक (ग्राहक संबंध प्रबंधन / पॉलिसी सेवा)	सेवा-निवृत्ति	30 नवंबर 2024
श्री अजय कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	30 दिसंबर 2024
श्रीमती मंजू बग्गा	कार्यकारी निदेशक (पेंशन और समूह योजनाएं)	सेवा-निवृत्ति	28 फरवरी 2025
श्री सोमा नंदन सत्पथी	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	31 अक्टूबर 2024
श्री बघराई माझी	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	सेवा-निवृत्ति	31 मार्च 2025
श्रीमती अरुणा सेठ	कार्यकारी निदेशक (कार्यालय सेवा/संपदा)	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई 2024

नोट: सभी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में उचित स्थान पर दिया गया है।



(बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर (आईआरडीएआई) IRDAI मास्टर परिपत्र, 2024/वित्त वर्ष 2024-25)

"कॉर्पोरेट गवर्नेंस मास्टर सर्कुलर के अनुपालन का प्रमाण-पत्र"

मैं, **कृष्ण कुमार. एस.** एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि **भारतीय जीवन बीमा निगम** ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस) विनियम, 2024 और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों का अनुपालन किया है।

इस प्रमाण-पत्र में कोई भी तथ्य छिपाया या गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर : **कृष्ण कुमार**

नाम : **कृष्ण कुमार. एस.**

पदनाम : कार्यकारी निदेशक (सीजी/जीजेएफ़/आरसी) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

केंद्रीय कार्यालय, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.

दूरभाष : 66598000

Central Office, "Yogakshema," Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.

Tel. : 66598000

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018
TEL : +91-22-6611 9696 • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015 के विनियमन 24 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियों (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय जीवन बीमा निगम
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई 400021

- (i) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ('एलआईसी अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), और उसके तहत बनाए गए नियम- **निगम पर लागू सीमा तक**;
- (iii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iv) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-विधियां;
- (v) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम : **निगम पर लागू सीमा तक**;
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश -
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2018- **समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं**;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2021 - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं**;
 - कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के पंजीयक) विनियम, 1993 - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं**;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता) विनियम, 2021 - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं**;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसखरीद) विनियम, 2018 - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं**;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं**;
 - सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015.
- (vii) बीमा अधिनियम, 1938 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम (जिस हद तक यह एलआईसी अधिनियम के अनुरूप हैं)
- (viii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम और दिशानिर्देश, (जिस हद तक वे एलआईसी अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं)

(ix) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियम

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- निगम के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन लागू अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था।
- बोर्ड की बैठकों/समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पट विस्तृत नोट बैठक से सात दिन पहले भेजे जाते थे। बैठक से पहले कार्यसूची मद्दों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।
- बोर्ड और समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिए गए, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्य वृत्त में दर्ज है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निगम के आकार और संचालन के अनुरूप निगम में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निगम में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएँ/कार्रवाईयाँ हुईं जिनका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निगम के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा।

- निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड में प्रति शेयर 10 रुपये के नाममात्र मूल्य पर इक्विटी पूंजी के रूप में 500 मिलियन श्रीलंकाई रुपये (वर्तमान में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर लगभग 14 करोड़ रुपये) की पूंजी निवेश को मंजूरी दी, जो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएल) और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से अनुमोदन के अधीन है।
- निगम ने 22 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में 10 रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 6 रुपये (केवल छह रुपये) का अंतिम लाभांश घोषित किया। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 10/- प्रत्येक (पूर्णतः चुकता) इक्विटी पूंजी।
- निदेशक मंडल ने 13 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, भारतीय जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड में प्रति शेयर 10/- श्रीलंकाई रुपये के नाममात्र मूल्य पर इक्विटी पूंजी के रूप में 2000 मिलियन श्रीलंकाई रुपये (वर्तमान में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर लगभग 58.50 करोड़ रुपये) की इक्विटी पूंजी के निवेश को मंजूरी दी। यह भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से अनुमोदन के अधीन है।

मेहता और मेहता के लिए,

कंपनी सचिव

(ICSI अद्वितीय कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

हिस्सेदार

एफसीएस नंबर: 5782

सीपी नंबर: 2486

पीआर नंबर: 3686/2023

यूडीआईएन: F005782G000726381

स्थान: मुंबई

दिनांक: 11-07-2025

नोट: यह रिपोर्ट हमारे सम संख्या दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018
TEL : +91-22-6611 9696. • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय जीवन बीमा निगम
योगक्षेम, नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400021

इस पत्र के साथ हमारी सम तिथि की रिपोर्ट पढ़ी जाए।

- 1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव निगम के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना।
- 2) हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- 3) हमने निगम के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- 4) जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रपत्र MR-3 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत निगम द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजातों, प्रपत्रों, रिपोर्टों और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच उक्त विनियमों के अंतर्गत निगम द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष दाखिल किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के निष्पादन और समयबद्धता की जाँच तक सीमित थी।
- 7) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।

मेहता और मेहता के लिए,

कंपनी सचिव

(ICSI अद्वितीय कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

हिस्सेदार

एफसीएस नंबर: 5782

सीपी नंबर: 2486

पीआर नंबर. 3686/2023

यूडीआईएन: F005782G000726381

स्थान: मुंबई

दिनांक: 11-07-2025

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018

TEL : +91-22-6611 9696 • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

निगमित शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
योगक्षेम,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015 (इसके बाद सूचीबद्धता विनियम के रूप में संदर्भित), कि विनियम 17 से 27, विनियमन 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) और की अनुसूची त के पैरा सी, डी और ई, के तहत हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है, और हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो सचिवीय लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में, और हमारी जानकारी और प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी परीक्षा और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने सूचीबद्धता विनियम के तहत निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे बताते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाण पत्र को जारी करने का उद्देश्य सूचीबद्धता विनियम के अनुपालन का है और ये

किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।

मेहता और मेहता के लिए,

कंपनी सचिव

(ICSI अद्वितीय कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

हिस्सेदार

एफसीएस नंबर: 5782

सीपी नंबर: 2486

पीआर नंबर: 3686/2023

यूडीआईएन: F005782G000428952

स्थान: मुंबई

दिनांक: 24-05-2025

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018
TEL : +91-22-6611 9696. • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार

सेवा में,
भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य
योगक्षेम
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021

हमने भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका केंद्रीय कार्यालय योगक्षेम, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (जिसे आगे निगम कहा जाएगा), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जो निगम द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जो कि सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और निगम और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए निगम के निदेशक मण्डल में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	नियुक्ति की निगम की दिनांक
1	सिद्धार्थ मोहंती	08058830	02-02-2021
2	मारुति प्रसाद तंगिराला	03609968	28-06-2023
3	जगन्नाथ एम	10090437	13-03-2023
4	तबलेश पांडे	10119561	01-04-2023
5	सतपाल भानू	10482731	20-07-2023
6	दुरैस्वामि रामचंद्रन	10358884	01-09-2023
7	रंजन शर्मा	09573799	29-10-2021
8	विनोद कुमार वर्मा	09309031	29-10-2021
9	अनिल कुमार	09477565	20-01-2022
10	अंजुली चिब दुग्गल	05264033	29-01-2022
11	महालिंगम जी	09660723	29-01-2022
12	राज कमल	07653591	29-01-2022
13	वी एस पार्थसारथी	00125299	29-01-2022
14	मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	05170323	29-01-2022

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

मेहता और मेहता के लिए,

कंपनी सचिव

(ICSI अद्वितीय कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

हिस्सेदार

एफसीएस नंबर: 5782

सीपी नंबर: 2486

पीआर नंबर. 3686/2023

यूडीआईएन: F005782G000428985

स्थान: मुंबई

दिनांक: 24-05-2025

व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण:

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण:

1. सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)–
 - लागू नहीं
 - आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या - 512
2. सूचीबद्ध इकाई का नाम–
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा निगम अधिनियम - 1956 के तहत गठित)
3. निगमन का वर्ष–
 - 1956
4. पंजीकृत कार्यालय का पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
5. कॉर्पोरेट पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
6. ई-मेल
 - निगमित नियोजन: ed_rns@licindia.com
7. दूरभाष
 - 022-22022615
8. वेबसाइट
 - www.licindia.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है
 - वित्तीय वर्ष 2024-25
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं
 - एनएसई(नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) और बीएसई लिमिटेड
11. चुकता पूंजी:
 - ₹ 6324.99 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक ₹ 10 के कुल 6,32,49,97,701 शेयर हैं।
12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) –
 - सुश्री रोसलिन कुरियन/ 022-22022615 / ed_rns@licindia.com
13. रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एक स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया)।
 - इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
14. आश्वासन प्रदाता का नाम: चोकशी और चोकसी एलएलपी
15. प्राप्त आश्वासन का प्रकार:
 - व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के लिए आश्वासन। आश्वासन प्रदाता द्वारा जारी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक '1' के रूप में संलग्न है।

II. उत्पाद/सेवाएं

16 व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का%
1.	बीमा सेवाएं पेंशन और स्वास्थ्य (सहित)	जीवन बीमा	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया
1.	जीवन बीमा	65110	100%

III. संचालन:

18. उन स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या संस्था के संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	5,004	5,004
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	*नीचे विवरण देखें	125

* कुल कार्यालयों की संख्या (अंतराष्ट्रीय):

क्र. स.	इकाई	कॉर्पोरेट	शाखा कार्यालय
1	एलआईसी फ़िजी		1
2	एलआईसी मॉरीशस		1
3	एलआईसी यू.के.		1
4	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन*	1	5
5	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	1	76
6	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	1	25
7	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	1	11
8	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	1	0
		5	120
कुल :			125
गिफ्ट सिटी शाखा का संचालन वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होगा			

*एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन कंपनी जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (दुबई और अबू धाबी) में काम करती है;

19. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)	36 (भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश)
अंतराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	11

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हम विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की एक विस्तृत विविधता को पूरा करते हैं। जनसांख्यिकी, जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर, ग्राहकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- नियमित आय वाले व्यक्ति जीवन कवर, कर लाभ, बचत आदि की तलाश में हैं और जो एंडोमेंट, मनी बैक और टर्म प्लान पसंद करते हैं

- ii) स्व-नियोजित व्यवसाय के मालिक जो जोखिम कवर के साथ धन सृजन में रुचि रखते हैं, यूलिप और पेंशन योजनाओं के लिए प्राथमिकता के साथ लचीले प्रीमियम विकल्पों की तलाश करते हैं।
- iii) नाबालिग, छात्र और युवा पेशेवर: वे ज्यादातर टर्म या सरल एंडोमेंट प्लान द्वारा कवर किए जाते हैं और कम प्रीमियम की तलाश करते हैं
- iv) वरिष्ठ नागरिक: वे पेंशन योजनाओं की ओर देखते हैं और गारंटीकृत आय और दीर्घकालिक सुरक्षा चाहते हैं
- v) समूह ग्राहक: उनमें कॉर्पोरेट ग्राहक, सरकारी संगठन, संघ, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। ग्रुप टर्म लाइफ, ग्रेच्युटी, सुपरएनुएशन, लीव एनकैशमेंट आदि मांगी जाने वाली योजनाओं के प्रकार हैं।
- vi) एनआरआई ग्राहक: वे भारत में पारिवारिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा लेते हैं, दीर्घकालिक बचत या टर्म प्लान पसंद करते हैं और हमें एक सुरक्षित और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में देखते हैं।
- vii) ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के ग्राहक: हमने पीएमजेजेबीवाई आदि जैसे सरकारी जनादेश के तहत उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें कम आय वाले समूहों के लिए किफायती बीमा दिया जाता है और किसानों, मजदूरों आदि के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।
- viii) उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति: वे एक अलग समूह हैं और बड़े कवरेज के साथ यूलिप, धन योजना या पेंशन योजनाओं जैसे निवेश उन्मुख योजनाओं की तलाश करते हैं।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगजन सहित):

कर्मचारियों					
विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
स्थायी (घ)	91606	69740	76.13	21866	23.87
स्थायी के अलावा अन्य (च)	14	13	92.85	1	7.15
कुल कर्मचारी (घ + च)	91620	69753	76.13	21867	23.87
श्रमिक					
विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
स्थायी (छ)	लागू नहीं				
स्थायी (च) के अलावा अन्य					
कुल कर्मचारी (छ + च)					

ख. दिव्यांगजन कर्मचारी और कर्मी

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिलाएं	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
दिव्यांगजन कर्मचारी						
1.	स्थायी (ऊ)	884	715	80.88	169	19.12
2.	स्थायी (ए) के अलावा अन्य	0	0	0	0	0
3.	कुल अलग-अलग विकलांग कर्मचारी (ऊ + ए)	884	715	80.88	169	19.12
दिव्यांगजन कर्मचारी						
4.	स्थायी (छ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी (ज) के अलावा					
6.	कुल विकलांग कर्मचारी (छ + ज)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	संख्या व महिलाओं का प्रतिशत	
		संख्या(ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	14	1	7.14
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)*	13	1	7.69

* केएमपी में पांच पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर: (पिछले 3 वर्षों के रुझानों का खुलासा करें)

	स्थायी कर्मचारियों के लिए टर्नओवर दर								
	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54	5.97	3.97	5.50

नोट :

अ. निगम में कर्मचारियों का कोई वर्ग श्रमिक नहीं कहा जाता है।

आ. टर्नओवर दरों में सुपर एनुएशन नंबर भी शामिल हैं।

V. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम का नाम कॉलम 'ए'	इंगित करें कि होल्डिंग/ सहायक/एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम - में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
अंतरराष्ट्रीय				
1	एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
2	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी)	सहायक	99.66%	नहीं
3	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	सहायक	55%	नहीं
4	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	सहायक	93.75%	नहीं
5	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	83.33%	नहीं
राष्ट्रीय				
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
2	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
3	आईडीबीआई बैंक लि.	सहयोगी	49.24	नहीं
4	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	49.00	नहीं
5	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	45.24	नहीं
6	एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	44.61	नहीं
7	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	29.84	नहीं
8	एलआईसी एचएफएल एएमसी लिमिटेड	सहयोगी	5.38	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)

➤ नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर लागू नहीं।

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना एलआईसी अधिनियम 1956 द्वारा की गई थी, जिसे भारत में जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार, एलआईसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों द्वारा शासित कंपनी नहीं है। एलआईसी अधिनियम, 1956 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद भी निगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के दायरे से बाहर है।

तथापि, एलआईसी स्वेच्छा से विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाप कर रही है। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर के साथ पंजीकृत एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एलआईसी के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान वर्ष 2006 में गठित किया गया था। प्रतिष्ठान का उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा राहत और आम जनता उपयोगिता की किसी अन्य परियोजना की उन्नति है।

(ii) टर्नओवर (₹ में) - 488848.92 करोड़

(iii) नेट वर्थ (₹ में) - 126187.74 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एन जी आर बी सी) के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2024-25			वित्त-वर्ष 2023-24		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
शेयरधारक	हां, कॉर्पोरेशन ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शेयरधारक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और प्रश्नों को हल करने में सहायता के लिए निगम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है। निगम के पास एक निर्दिष्ट ई-मेल आईडी (investors@licindia.com) है और शेयरधारकों के लिए एक पोर्टल भी है ताकि वे शिकायतें दर्ज कर सकें। निवेशक सहायता के लिए लिंक: https://licindia.in/investors-support	1671	1	31.3.25 को लंबित एकमात्र प्रश्न 01.04.25 को हल किया गया था	2278	24	वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में लंबित 24 शिकायतों का समाधान 02.04.2025 तक कर दिया गया।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2024-25			वित्त-वर्ष 2023-24		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
कर्मचारियों	हां, निगम ने शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली विकसित की है। इस उद्देश्य के लिए इंटरनेट पर ई-समाधान नामक एक पोर्टल जहां शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है जिसे कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाता है।	369	12	शून्य	518	29	वित्त वर्ष 2024-25 में सभी 29 का समाधान कर दिया गया
ग्राहकों	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	74,290	शून्य		81,202	शून्य	
समुदायों	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
मूल्य श्रृंखला साझीदार	हां, मूल्य श्रृंखला भागीदार अपनी शिकायत, यदि कोई हो, निकटतम कार्यालय में तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं।	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अन्य-मंत्रालय	ईमेल के माध्यम से मंत्रालय का अनुपालन	168	1	अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया में है	102	2	वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों को हल किया गया

26. संस्थाके महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	नियामक और अनुपालन वातावरण	जोखिम और अवसर	विनियामक अनुपालन एलआईसी की कार्य नीति का एक अभिन्न अंग है। किसी भी लागू कानून का समय पर पालन न करने पर संभावित कानूनी कार्रवाई, प्रतिष्ठा को नुकसान या यहां तक कि	एलआईसी के पास विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है जो विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करती है।	पहचाने गए जोखिमों को संबोधित न करने के वित्तीय निहितार्थों में ग्राहक शिकायतों का समाधान करते समय विनियामकों या अन्य कानूनी मंचों से उत्पन्न दंड शामिल हो सकते हैं।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
			वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। एलआईसी, एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने का प्रयास करती है। निर्धारित मानकों को अपनाकर हम मानते हैं कि हम अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी हितधारकों को प्रभावित करने वाले हमारे सभी नियम और विनियम कानूनी और विनियामक ढांचे के भीतर हों। एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में, हम आरटीआई दिशानिर्देशों से भी बंधे हैं जो जांच की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करते हैं।		नकारात्मक ग्राहक भावनाओं के कारण नए व्यवसाय के मोर्चे पर भी नुकसान हो सकता है। विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हो सकती है, जिससे हमारी ग्राहक निष्ठा बढ़ेगी और बदले में हमारे ग्राहकों की निरंतरता और नए ग्राहकों की आमद बढ़ सकती है।
2	मानव पूंजी विकास	जोखिम और अवसर	अवसर: ज्ञान उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, हमारी मानव पूंजी ताकत और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का एक प्रमुख स्रोत है। निरंतर अप-स्किलिंग हमें अपनी नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करने और उद्योग के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। जोखिम: वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और तेजी से बदलती विपणन स्थितियों में, प्रमुख प्रतिभाओं को बनाए रखना एक चुनौती है।	एलआईसी लगभग एक लाख कर्मचारियों के साथ एक विशाल ट्रांस-नेशनल संगठन है। आकार और भौगोलिक प्रसार के साथ-साथ कर्मियों की नीतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन में निरंतर ऊर्ध्वाधर और पार्श्व आंदोलन होता है। इन सभी कारकों के लिए आवश्यक है कि संगठन के भीतर कौशल विकास और ज्ञान आधार को बढ़ाने की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। महामारी की स्थिति ने संगठन को डिजिटल मोड के माध्यम से स्व-शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।	उच्च कर्मचारी टर्नओवर से उत्पादकता में कमी, काम पर रखने की लागत में वृद्धि और सामान्य रूप से कम कर्मचारी मनोबल के साथ-साथ दक्षता में कमी हो सकती है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
				इसने भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया है और हमारे इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध है। वर्तमान फोकस नए कार्य अनुभव के हिस्से के रूप में संचार और सहयोग को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसके अलावा, स्व-शिक्षण/स्व-कौशल के उद्देश्य से, कर्मचारियों के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, 'एलआईसी ज्ञानपीठ' शुरू की गई थी।	
3	जलवायु परिवर्तन - जोखिम और लचीलापन	जोखिम	- जलवायु परिवर्तन का सामान्य रूप से जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर जीवन का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है और अब देखी जा रही परिवर्तन की कठोर गति से अभ्यस्त नहीं है। इससे प्राकृतिक आपदाओं, वायरस और बैक्टीरिया आदि के रूप में नए जोखिमों का विकास हो सकता है जो रुग्णता के साथ-साथ मृत्यु दर को भी प्रभावित करेगा। - बीमा उद्योग मृत्यु दर और रुग्णता की धारणाओं में भिन्नता की उम्मीद कर सकता है, जिसमें किसी भी नकारात्मक भिन्नता के परिणामस्वरूप उच्च दावा आउटगो के संदर्भ में परिणाम हो सकते हैं।	उसी का दृष्टिकोण आने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने के तरीकों और साधनों को ढूंढना और संगठन के लिए अपने व्यवसाय और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना है। जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में, हम लगातार दुर्लभ संसाधनों की खपत को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस तरह कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर आबादी को संसाधनों का वितरण करते हैं।	- इस तरह के परिवर्तनों की उच्च आवृत्ति और गंभीरता से दावों के साथ-साथ जनशक्ति के प्रति भी खर्च में वृद्धि होगी। - बीमाकर्ताओं को मृत्यु दर, रुग्णता आदि को नियंत्रित करने वाली अपनी तालिकाओं को बदलने और बदलते परिदृश्य को पूरा करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है। - जीवन बीमा कंपनियों के लिए पुनर्बीमा लागत बढ़ सकती है। - ऐसे जोखिमों के संपर्क में आने वाले उद्योगों में निवेश से उसी के वित्तीय प्रभाव से बचने के लिए रणनीति में बदलाव होगा।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
4	सूचना सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित	जोखिम	हमारे पास व्यक्तिगत जानकारी तक परिणामी पहुंच के साथ जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या सबसे अधिक है। डिजिटल पहुंच और एकत्रित जानकारी के साथ एक विशाल दर से बढ़ रहा है, सूचना रिसाव का खतरा समवर्ती रूप से बढ़ जाता है। साइबर सुरक्षा को डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और स्थायी व्यावसायिक अभ्यास को सक्षम करने की आवश्यकता है। डेटा सुरक्षा के लिए हमारे पास एक मजबूत नीति है। हमारे पास किसी भी रिसाव की निगरानी और डेटा सुरक्षा बनाए रखने के लिए इनबिल्ट टीमें और प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार डेटा उल्लंघनों की निगरानी वेबसाइट, उपकरणों और अन्य डोमेन के लिए निरंतर और वास्तविक समय के आधार पर की जाती है।	हम मानते हैं कि डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है और ग्राहक गोपनीयता पवित्र है। डेटा हानि, उल्लंघन या बेहिसाब पहुंच का कोई भी उदाहरण ग्राहक के विश्वास को प्रभावित कर सकता है जिससे ग्राहक का संघर्षण हो सकता है और इस प्रकार वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित होता है। उसी से निकलने वाले परिणामी नकारात्मक प्रचार कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसे पूरे समय संरक्षित करने की आवश्यकता है।	वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान हानिकारक हो सकता है और इसे रोकने की आवश्यकता है।
5	जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता	जोखिम	हमारे पास विभिन्न परिदृश्यों को पूरा करने के लिए एक मजबूत व्यवसाय निरंतरता योजना है। यह किसी भी अप्रत्याशित घटना या चुनौतियों के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए है। इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करना, कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करना और साथ ही पुनर्प्राप्ति समय को कम करना है।	निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना है, जिसमें सभी विभागों से उनकी संबंधित कार्य योजनाओं के बारे में इनपुट शामिल हैं। जोखिम रजिस्टर बनाए रखे जाते हैं और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है ताकि मजबूत जोखिम प्रबंधन को सक्षम बनाया जा सके।	नकारात्मक

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
				किसी भी बड़ी या छोटी घटना के मामले में, संभावित या वास्तविक प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए कार्यान्वयन के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई प्रक्रियाएं परिभाषित की जाती हैं। व्यवसाय निरंतरता योजना के लिए ISO 22301 प्रमाणन प्राप्त हुआ है	

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण सवाल	सि. 1	सि. 2	सि. 3	सि. 4	सि. 5	सि. 6	सि. 7	सि. 8	सि. 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी इकाई की पॉलिसी/पॉलिसी प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्व कवर करती हैं (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	ना	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . निगम की कुछ पॉलिसियां केवल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं एवं निगम की इंटरनेट साइट पर उपलब्ध हैं।								
2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हाँ/नहीं)	हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदार सुरक्षा और स्वस्थ पर्यावरण, बाल श्रम और जबरन श्रम के निषेध, गैर-भेदभाव, रोजगार की स्थिति, मजदूरी के प्रावधान और काम के घंटों से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अनुबंधात्मक रूप से बाध्य हैं।								
4. आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे वन प्रबंधन परिषद, निष्पक्ष व्यापार, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA8000, OHSAS, ISO, BIS) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	सिद्धांत 4 के तहत, एलआईसी ने प्राप्त किया है:ईआरएम के लिए आईएसओ 31000 बीसीपी के लिए आईएसओ 22301								
5. विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ सेट, यदि कोई हो	अ. हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं आ. हम जल संरक्षण, ऊर्जा उपयोग को कम करने और अपने कार्बन फुटप्रिंट के साथ-साथ जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।								

	इ. हम एक समान अवसर नियोजित हैं जो किसी भी आधार पर कोई भेदभाव सुनिश्चित नहीं करते हैं। ई. देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें उचित लागत पर मृत्यु के खिलाफ पर्याप्त वित्तीय कवर प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जीवन बीमा का प्रसार करना। उ. बीमा से जुड़ी बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर बचत को अधिकतम करना। ऊ. धन के निवेश में, अपने पॉलिसीधारकों के लिए प्राथमिक दायित्व, जिसका पैसा विश्वास में रखता है, समग्र रूप से समुदाय के हित की दृष्टि खोए बिना; राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आकर्षक लाभ की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए निवेशकों तथा समग्र रूप से समुदाय के सर्वोत्तम लाभ के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा। ऋ. अत्यंत मितव्ययिता के साथ और पूर्ण अहसास के साथ व्यापार का संचालन करें कि पैसा पॉलिसीधारकों का है। ए. अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं में बीमित जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। ऐ. बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में उत्पन्न होने वाली समुदाय की विभिन्न जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा करें। ओ. शिष्टाचार के साथ कुशल सेवा प्रदान करके बीमित जनता के हितों को आगे बढ़ाने में निगम में काम करने वाले सभी लोगों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता में शामिल करना। औ. निगम के सभी एजेंटों और कर्मचारियों के बीच कॉर्पोरेट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम से भागीदारी, गर्व और नौकरी की संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देना।
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के खिलाफ इकाई का प्रदर्शन, साथ ही कारणों के साथ-साथ यदि वे पूरे नहीं होते हैं।	अ. हमने क्रमशः 24,420 करोड़ और 2.37 लाख करोड़ के व्यय के साथ 8,48,123 मृत्यु दावों और 2,16,69,980 परिपक्वता दावों का निपटान किया है, इस प्रकार आश्रित परिवारों, लेनदारों, भागीदारों और प्रमुख पुरुषों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। आ. हम 31.03.2025 तक पीएमजेबीवाई के तहत 3,13,80,682 जीवन कवर किया हैं और समाज के कमजोर वर्गों को पूरा करने के लिए अन्य सूक्ष्म बीमा उत्पादों को डिजाइन करते हैं। इ. वंशानुगत कमीशन का भुगतान 40,000 से अधिक एजेंटों के आश्रितों को किया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र थे। ई. ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवर को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और 31.03.2025 तक 1,48,888 महिलाओं को बीमा सखियों के रूप में नियुक्त किया है। उ. हमारा नया जयपुर कार्यालय IGBC और कुशल प्रकाश व्यवस्था (LED), HVAC, डेलाइट ऑप्टिमाइज़ेशन और कम उत्सर्जन सामग्री के साथ LEED- प्रमाणित भवन है।

शासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7. व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)	व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के बारे में बोर्ड की समग्र जिम्मेदारी है और निगम के ईएसजी मुद्दों की पहचान और प्रबंधन करना है
8. के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति	श्री सिद्धार्थ मोहंती सीईओ & एमडी डिन:08058830 (दिनांक 31.03.2025 को)
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।)	हाँ। बोर्ड ने एक ईएसजी समिति का गठन किया है और बाहरी विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया है। बोर्ड के पास निगम के प्रशासन और स्थिरता प्रथाओं की समग्र जिम्मेदारी है। बोर्ड ने अपने ईएसजी मिशन के अक्षर और भावना दोनों का प्रयोग करते हुए एक मजबूत सुसंगत तंत्र स्थापित करने के लिए बाहरी मार्गदर्शन लाया है। डेलोइट द्वारा एक शोध रिपोर्ट तैयार की गई। निरंतर सुधार के लिए आने वाले वर्ष के लिए कड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड ने एक आंतरिक ईएसजी समिति का भी गठन किया है। समिति ईएसजी लक्ष्यों, लक्ष्यों, रणनीति को मंजूरी देती है और पुष्टि करती है, हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए ईएसजी पहलों सहित प्रदर्शन की निगरानी करती है और समय-समय पर निगम की ईएसजी गतिविधियों की समीक्षा करती है।
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण	
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	बोर्ड / बोर्ड की समिति / कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने उन नीतियों को अनुमोदित किया है जो ऊपर बताई गई हैं जैसा कि वर्तमान नियमों द्वारा आवश्यक है।
बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी	अंतर-विभागीय रूप से की गई समीक्षा
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	अर्धवार्षिक
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	कंपनी सभी लागू नियमों का अनुपालन करती है।
11. क्या इकाई ने बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	निगम की सभी नीतियों का आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है अर्थात् सभी सिद्धांत नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो बताए जाने वाले कारण:

सवाल	सि. 1	सि. 2	सि. 3	सि. 4	सि. 5	सि. 6	सि. 7	सि. 8	सि. 9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को सामग्री नहीं मानती है (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	नहीं	-	-
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों (हां/नहीं) पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-

सवाल	सि. 1	सि. 2	सि. 3	सि. 4	सि. 5	सि. 6	सि. 7	सि. 8	सि. 9
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में, एलआईसी एक उच्च विनियमित वातावरण में काम करती है। इसके अलावा, निगम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। निगम नियमित रूप से उक्त नियामक प्राधिकरणों द्वारा गठित विभिन्न मंचों और समितियों में भी भाग लेता है। हालांकि इस सिद्धांत के लिए कोई विशेष नीति नहीं बताई गई है, लेकिन स्टाफ रेगुलेशन, 1960 उन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और निदेशकों को नियंत्रित करता है, जिन्हें उच्च पेशेवर और नैतिक मानकों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। निगम, व्यापार निकायों और संघों के माध्यम से, अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बीमा क्षेत्र के संबंध में कई सुझाव देता है।

खंड सी: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण:

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई सूचना को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
निदेशक मंडल	*3	ईएसजी लीडरशिप प्रोग्राम@आईआईसीए में निदेशकों का प्रमाणन	57.14%
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	8	1) नामांकित निदेशकों के लिए मास्टरक्लास 2) प्रभावी बोर्डों और भविष्य के लिए तैयार पर शासन नेतृत्व कार्यक्रम निर्देशकों 3) 41वीं भारत फैलोशिप संगोष्ठी 4) IFRS-17 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 5) एक्चुअरीज का 24 वां वैश्विक सम्मेलन 6) बिजनेस क्लास ऑफ एक्सीलेंस (विदेशी प्रशिक्षण) 7) कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 8) प्रधान अधिकारियों के लिए एएमएल/सीएफटी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	42.85%

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
निदेशक मंडल एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय के अलावा अन्य कर्मचारी	4076	कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के लिए व्यापक विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए जैसे: सार्वजनिक खरीद, आरटीआई अधिनियम, जीईएम, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, निवारक सतर्कता और फॉरेंसिक, नैतिकता और शासन, बीसीपी, उद्यम जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना, विकास और मानसिकता प्रबंधन, रणनीतिक नेतृत्व, ग्राहक सेवा संवेदीकरण, आईआरडीएआई विनियम, नियामक अनुपालन प्रबंधन, केवाईसी/एएमएल/सीएफटी, आरक्षण और कल्याण मामले, पॉश, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ईएसजी, जीएसटी में मुकदमेबाजी प्रबंधन, सेवानिवृत्त अधिकारी, एनएसई के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, आईएफआरएस -17, एलआईसी अधिनियम, एलआईसी उत्पाद, सोशल मीडिया, व्यापार शिष्टाचार, टेलीफोन और ईमेल शिष्टाचार।	83.75%

*दो कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया तथा एक कार्यक्रम में सभी प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यकलाप आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों और बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किए जाते हैं।

इन-हाउस प्रशिक्षण:

एलआईसी के पास अच्छी तरह से सुसज्जित इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क है। सभी केंद्र छात्रावास आवास, कक्षाओं, सभागारों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, एलसीडी सुविधाओं, मनोरंजन और खेल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एलआईसी के इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हैं:

- प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी): निगम का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान।
- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (जेडटीसी): एलआईसी के आठ क्षेत्रों में से प्रत्येक में स्थित एक।
- कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) / कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (सीटीसी): 113. प्रत्येक डिवीजन में एक

बाहरी प्रशिक्षण:

अभिनव दृष्टिकोण प्रदान करने, विशेष उद्योग ज्ञान प्राप्त करने और वैश्विक मानव संसाधन प्रथाओं के साथ सरेखित करने के लिए, एलआईसी अपने अधिकारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेने के लिए नामित करता है। ये राष्ट्रीय बीमा अकादमी एनआईए (पुणे), भारतीय प्रबंधन संस्थान - आईआईएम, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस - आईएसबी (हैदराबाद), निदेशक संस्थान - आईओडी (मुंबई), इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट - आईआरएम (मुंबई), इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया - आईएआई (मुंबई), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया - एएससीआई (हैदराबाद), नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी - एनएलएसआईयू (बेंगलुरु) जैसे प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कॉलेज ऑफ इंडियोरेंस - सीओआई (मुंबई), नेशनल एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट - एनएचआरडी (नई दिल्ली), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स - आईआईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट - आईएसटीएम (नई दिल्ली), लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी, एफआईएमएमडीए (मुंबई और कई अन्य)।

एमडीसी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इन-हाउस आयोजित विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 1,15,911 है। एनआईए सहित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 6,406 थी। इस प्रकार 1,22,317 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से कुछ ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर और भूमिकाओं के परिवर्तन पर कई प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, फायर ड्रिल के लिए कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या 65,794 थी और 10,921 कर्मचारियों को अन्य मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रकार 91,606 कर्मचारियों में से कुल 76,715 कर्मचारी शामिल थे।

लघु अवधि के वेबिनार:

बड़ी संख्या में कर्मचारियों और फील्ड फोर्स को कवर करने के लिए, बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों और हमारे इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से अल्पकालिक वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। इन वेबिनार में पॉश, विकलांग व्यक्तियों से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने, नए उत्पाद, एनबी अंडरराइटिंग, सीआरएम शिकायत निवारण, ग्रोथ ओरिएंटेड इंसेंटिव बोनस (जीओआईबी) योजना, एलआईसी प्रोफाइल, आनंदा, यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान, डिजिटल पहल, कर्मचारी लाभ, नई योजनाएं और परिवर्तन, मिलियन डॉलर राउंड टेबल (एमडीआरटी) के लिए रोड मैप सहित कई विषयों को शामिल किया गया। व्यापार दृढ़ता और पुनरुद्धार, दावा पुनर्निवेश, आदि।

एलआईसी ज्ञानपीठ-सेल्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल:

- एलआईसी ज्ञानपीठ एक सेल्फ-लर्निंग और सेल्फ-स्किलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह मानकीकृत सामग्री प्रदान करता है जो भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे इंटरनेट/इंटरनेट वेब ब्राउज़र के माध्यम से कर्मचारियों को कभी भी, कहीं भी प्रशिक्षण सुलभ हो जाता है।
- एलआईसी ज्ञानपीठ, विशेष रूप से विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोर्टल को बढ़ाने और अपडेट करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक, पोर्टल में 17 मुख्य मॉड्यूल, 6,616 MCQ के साथ 142 उप-मॉड्यूल शामिल हैं।
- 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को कर्मचारियों से भारी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें लगभग 77,233 (85.79%) कर्मचारियों ने कुल 20,43,124 एलआईसी ज्ञानपीठ प्रमाणपत्र अर्जित किए हैं।
- ज्ञानपीठ मॉड्यूल के तहत जारी किए गए मुख्य मॉड्यूल प्रमाणपत्रों की संख्या 2,38,165 थी और जिन उप मॉड्यूलों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, उनकी संख्या 18,04,959 थी, इस प्रकार कुल मिलाकर कुल 20,43,124 प्रमाण पत्र जारी किए गए।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग फीस/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में

(नोट: इकाई सेबी के विनियमन 30 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण दायित्वों) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार प्रकटीकरण करेगी:

वित्तीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)
जुर्माना/जुर्माना	शून्य	जीएसटी	0.03 करोड़	व्यावसायिक कर, आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी पर सरकार/न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया	नहीं
निपटारा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)	
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

नोट: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम को जीएसटी अधिकारियों से 35 आदेश प्राप्त हुए हैं, 19 आदेशों के विरुद्ध जीएसटी अपील की प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है। 11 अपीलों का दाखिल होना, 2 आदेशों का भुगतान और आदेश में सुधार के लिए 3 आवेदन दाखिल करना प्रक्रियाधीन है। सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 30 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जीएसटी आदेशों का विवरण दाखिल किया गया है।

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
शून्य	शून्य

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्त विरोधी नीति है ? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्त विरोधी नीति है ? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।
हो, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

निगम की रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है। इसमें व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी भी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) नियमावली, 1960 के नियम 32 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को मामूली मूल्य से अधिक के उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। रिश्त विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->

5. उन निदेशकों/केएमपी / कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्त/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निर्देशकों	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारियों	1	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निर्देशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/शास्तियों/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई नहीं (शून्य)

एकमात्र पंजीकृत मामले में कार्यवाही चल रही है।

8. देय खातों के दिन: (देय खाते *365)/खरीदे गए माल/सेवाओं की लागत):

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
देय खातों के दिनों की संख्या	12.12	11.85

9. व्यापार का खुलापन:

निम्नलिखित प्रारूप में, संबंधित पार्टियों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश के साथ-साथ व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पार्टियों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें:

द्वितीयक बाजार में स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं जो निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए मंच प्रदान करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केवल दलालों के माध्यम से सुलभ हैं और प्रतिभूतियों का व्यापार केवल स्टॉक एक्सचेंजों तक ही सीमित है। इसलिए एलआईसी केवल दलालों के माध्यम से द्वितीयक बाजार व्यापार करता है। विवरण इस प्रकार है-

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25	पिछला वित्त वर्ष 2023-24 [®]
खरीद का संकेन्द्रण	अ. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक दलालों से खरीद	16.64% द्वितीयक बाजार व्यापार	14.86% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	142	143
	इ. दलालों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक दलालों से खरीद	9.87%	9.13%
बिक्री का संकेन्द्रण	अ. कुल बिक्री के % के रूप में दलालों को बिक्री	12.96% द्वितीयक बाजार व्यापार	15.67% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जिनके माध्यम से बिक्री की जाती है	142	143
	इ. दलालों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 दलालों को बिक्री	9.54%	9.52%
आरपीटी का हिस्सा	अ. खरीद (संबंधित पार्टियों के साथ खरीद/कुल खरीद)*	1.54%	2.00%
	आ. बिक्री (संबंधित करने के लिए बिक्री पार्टियों/कुल बिक्री)**	1.89%	0.18%
	इ. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ई. निवेश (संबंधित पार्टियों में निवेश/किए गए कुल निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं

[®]पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

*RPT - इसमें सभी प्रकार की खरीदारी और आवेदन राशि शामिल है

**RPT - इसमें सभी प्रकार की बिक्री, मोचन और रिफंड शामिल हैं

नेतृत्व संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

कुल प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
2135 सत्र	विपणन चैनलों द्वारा मूल्य श्रृंखला भागीदारों (निर्दिष्ट व्यक्तियों) का प्रशिक्षण उत्पाद प्रशिक्षण, भारत में जीवन बीमा बाजार, संभावित और भविष्य के अवसर, जरूरतों की पहचान-जीवन बीमा क्यों? बैंक उत्पादों और बीमा उत्पादों और बीमा पॉलिसियों बनाम बैंक एफडी की स्थिति। इसके अतिरिक्त, मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।	9.9%**
41 सत्र	स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता अभियान, फायर ड्रिल, वृक्षारोपण, वैधानिक अनुपालन, स्वच्छता जागरूकता, स्वच्छता शपथ, पीओएसएच, अग्नि और सुरक्षा जागरूकता, पीएफ, ईएसआई, प्राकृतिक चिकित्सा, सफाई और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और एहतियात, यौन उत्पीड़न और भेदभाव / उपचार।	49.75

**वर्ष 2024-25 के दौरान, 35 बैंकों, 42 अन्य कॉर्पोरेट एजेंटों, 115 दलालों और 86 आईएमएफ ने केवल व्यवसाय में योगदान दिया

- क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

- हां, प्रक्रियाएं चल रही हैं। निदेशकों से हितों के प्रकटन के साथ-साथ निदेशकों की स्वतंत्रता की घोषणा नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है और बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है। हितों के टकराव से बचने के लिए, निदेशक किसी भी एजेंडा मद (मदों) में भागीदारी से खुद को अलग कर लेते हैं, जहां भी उन्हें रुचि दिखाई जाती है और एक बैठक में चर्चा की जा रही है।

सिद्धांत 2: व्यवसाय को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

- संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत

आर एंड डी मुख्य रूप से उत्पाद विकास, निगरानी, संशोधन, समापन के साथ-साथ इसके पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पर जोर देने के साथ नए संस्करणों को पेश करने पर केंद्रित है। ग्राहक अनुभव और संतुष्टि वह आधार बना हुआ है जिस पर बोर्ड भर में कागज के उपयोग को कम करने सहित इस पहलू में पहल की जाती है।

पुराने ऊर्जा अक्षम उपकरणों जैसे एसी, लाइट बल्ब, लिफ्ट आदि को आधुनिक ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलने, नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए सौर उपकरणों की स्थापना, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन आदि पर पूंजीगत व्यय किया जाता है। इसका प्रभाव बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, सूर्य के प्रकाश जैसे पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों के उपयोग और पानी के संरक्षण में महसूस किया जाता है।

2. क. क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएं हैं? – (हां/नहीं)

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

➤ हाँ।

बीमा उद्योग के एक हिस्से के रूप में, हमारे संचालन मुख्य रूप से डिजिटल समाधानों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। हालांकि हमारी प्रक्रियाएं सीधे पारंपरिक विनिर्माण को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, हम दिशानिर्देशों और प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं जो प्रौद्योगिकी से संबंधित इनपुट के नैतिक और टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं। हमारे संचालन की प्रकृति को देखते हुए, टिकाऊ सोर्सिंग और पहचान प्रतिशत के पारंपरिक उपाय सीधे लागू नहीं होते हैं। हालांकि, हम स्थिरता बढ़ाने के लिए व्यापक संगठनात्मक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

जबकि हमारे संचालन विनिर्माण से भिन्न हैं, हम उन दिशानिर्देशों और प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं जो प्रौद्योगिकी से संबंधित संसाधनों के नैतिक और टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं। हमारे पास निगम के लिए एक खरीद नीति है जो सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, प्रतिस्पर्धा में सुधार करती है, प्रतिभागियों के बीच इकिटी सुनिश्चित करती है और 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करती है। सभी अधिप्राप्तियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके संसाधित किया जाता है, केवल भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है।

3. उपयोगिता के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट

चूंकि निगम बीमा व्यवसाय में है, इसलिए पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करने की सीमित गुंजाइश है। हालांकि, हमारे कार्यालयों को ई-कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सर्वर, कम्प्यूटर, कार्ट्रिज, रिबन प्राथमिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है, जो निराकरण करने के बाद सभी स्थानों से हार्डवेयर ई-अपशिष्ट उठाते हैं। री-साइक्लिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। ई-अपशिष्ट और विद्युत अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए, सुरक्षित निपटान संग्रह बॉक्स एलआईसी प्रधान कार्यालय परिसर में रखे गए हैं। हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, बायबैक के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिए जाते हैं। बदले में, विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर उठाता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से एक निर्धारित प्रमाण पत्र लिया जाता है।

निगम ने अपने कार्यालयों में कागज के उपयोग को कम करने के लिए संचालन के डिजिटलीकरण द्वारा नई पहल की है, इस प्रकार कागज के उपयोग को कम किया है। एकल उपयोग प्लास्टिक फोल्डर/बोतलों के उपयोग को कम करना, प्लास्टिक फोल्डर को पेपर फोल्डर से बदलना, मिट्टी के बर्तनों के साथ पौधों के लिए प्लास्टिक के बर्तन, कुछ कार्यालयों में पेपर पेन की आपूर्ति, एक बार रिफिल समाप्त हो जाने के बाद, इन कलमों को रिवर्स में बीज के साथ लगाया जा सकता है, पौधों को उगाने के लिए लगाया जा सकता है। कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए स्टेनलेस स्टील कॉफी / चाय मग द्वारा डिस्पोजेबल कप को बदलना।

4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

पारंपरिक अर्थों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हमारे लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारी गतिविधियां भौतिक वस्तुओं के उत्पादन से सीधे जुड़ी नहीं हैं।

हालांकि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सरेखण सुनिश्चित करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित ई-कचरा निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधित किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

सेवा उद्योग में होने के कारण, सामान्य बोलचाल की भाषा में जीवन चक्र मूल्यांकन जीवन बीमा अनुबंधों पर लागू नहीं होता है। हालांकि, उत्पाद विकास के दृष्टिकोण से, आवधिक मूल्यांकन या मूल्यांकन एक आदर्श है। शुरू की गई प्रत्येक योजना में मृत्यु दर, रुग्णता, ब्याज दरों, प्रशासनिक लागतों आदि जैसे विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में कतिपय अनुमान लगाए गए हैं। समय बीतने के दौरान, जब कभी यह महसूस किया जाता है कि उसमें लगाई गई धारणाएं और क्षेत्र से निकलने वाले वास्तविक परिणाम विभिन्न परिदृश्यों में प्रदान की गई सीमाओं से अधिक भिन्न हो रहे हैं, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। यह एक छोर पर योजना को नियंत्रित करने वाले मापदंडों में बदलाव का रूप ले सकता है और दूसरे छोर पर योजना को वापस ले सकता है और यदि आवश्यक हो तो संशोधित योजना के साथ आ सकता है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

व्यवसाय की प्रकृति के साथ-साथ नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है, इससे कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता या जोखिम विकसित नहीं होता है।

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली सामग्री लागू नहीं होती है क्योंकि जीवन बीमा एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते ऐसी प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेता है।

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाया गया:

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कर्मचारी										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (च)	% (च/क)	संख्या (छ)	% (छ/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	69740	69740	100	69740	100			69740	100	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	21866	21866	100	21866	100	21866	100			लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	91606	91606	100	91606	100	21866	100	69740	100	लागू नहीं	लागू नहीं

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कर्मचारी										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (च)	% (च/क)	संख्या (छ)	% (छ/क)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	13	3	23.08	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
कुल	14	3	21.43	0	0	1	100	0	0	0	0

ख. श्रमिकों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कार्यकर्ता										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिवस देखभाल सुविधा	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (च)	% (च/क)	संख्या (छ)	% (छ/क)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

नोट: निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य) की भलाई के उपायों पर खर्च:

	वित्तीय वर्ष 2024-2025	वित्तीय वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर खर्च की गई लागत	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ:- 0.001934% (ii) मेडीक्लेम:-0.0931228% (iii) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.000156% (iv) निवारक स्वास्थ्य जांच:- 0.002841%	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ:- 0.0008% (ii) मेडीक्लेम:-0.03421% (iii) समूह बीमा:-0.00574% (iv) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.00012% (v) निवारक स्वास्थ्य जांच- 0.0007%

इन आंकड़ों में 18% जीएसटी शामिल नहीं है।

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)
पीएफ(*)	100% – सभी पात्र कर्मचारी कवर किए गए हैं	संगठन में श्रमिकों की कोई श्रेणी नहीं	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम नंबर 1 है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।	69.44%	संगठन में श्रमिकों की कोई श्रेणी नहीं	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम नंबर 1 है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।
एनपीएस	100% – सभी पात्र कर्मचारी कवर किए गए हैं		हाँ	**		हाँ
उपदान	100%		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।	100%		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।
ईएसआई	लागू नहीं		लागू नहीं			
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें (#)	100%		सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।	100%	-	सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।

(*) 01.04.2010 को और उसके बाद निगम की सेवाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होते हैं और एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम संख्या 1 के तहत कवर नहीं होते हैं।

(**) 2023-24 में 30.56% कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आए।

(#) निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न लाभों के हकदार हैं, जिनमें विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण, समूह बीमा योजना, समूह चिकित्सा दावा योजना, समूह बचत संबद्ध बीमा योजना का संचय, पेंशन लाभ शामिल हैं जिन्होंने इसे चुना है।

3. कार्य स्थलों की सुगमता

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को नए और मौजूदा कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान करने की सलाह दी गई है। और अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान किया जाएगा जिसे नए और मौजूदा कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।

निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे कि रैंप, रेलिंग, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधों आदि के साथ संशोधित किया है। हमारे पास विशेष रूप से डिजाइन किए गए वॉशरूम हैं (पहुंच योग्य दरवाजे, ग्रैब रेलिंग आदि के साथ) जो कि दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। हमारे पास दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे कई कार्यालयों में रैंप, ग्रैब रेलिंग आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मार्ग, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान किए गए हैं।

4. क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक समान अवसर नीति अपनाई है। यह विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। समान अवसर नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

लिंक: <https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. अभिभावकीय अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों की कार्य वापसी दर व प्रतिधारण दर :

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कार्यकर्ता	
	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

नोट: निगम में “श्रमिक” के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, हमारे पास एक कर्मचारी शिकायत निवारण पोर्टल है जिसे ई-समाधान कहा जाता है। शिकायतें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑन-लाइन अग्रेषित की जाती हैं। अगले उच्च अधिकारी के पास अपील करने का प्रावधान है। शिकायत समाधान का समय 90 दिन है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए केन्द्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां भी हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	हाँ। स्थायी कर्मचारियों के लिए सभी तंत्र स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य के लिए भी उपलब्ध हैं।

नोट: निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों)/यूनियनों में कर्मचारियों/श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ श्रमिकों की, जो संघों या संघ का हिस्सा हैं	%(घ/ग) लागू नहीं
	क	ख	% (ख/क)	ग	घ	%(घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	91,606	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	लागू नहीं	98,661	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	
- पुरुष	69,740			75,411		
- महिला	21,866			23,250		
कुल स्थायी श्रमिक	लागू नहीं					
- पुरुष						
- महिला						

नोट: निगम में 'श्रमिक' के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25					पिछला वित्त वर्ष 2023-24				
	कुल (क)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		पर निपुणता उन्नयन		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (च)	% (च/घ)	संख्या (छ)	%(छ/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	69,740	*	*	46,081	66.07%	75,411	*	*	66,362	88.00%
महिला	21,866	*	*	15,196	69.50%	23,250	*	*	21,012	90.37%
कुल	91,606	*	*	61,277	66.89%	98,661	*	*	87,374	88.55%

** श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

*यह सुनिश्चित किया जाता है कि 'योग और स्वास्थ्य' सत्र हमारे सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एलआईसी प्रधान कार्यालय में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। कर्मचारी सगाई कार्यक्रम (ईईपी), डेढ़ दिन के लिए, सभी 113 डिवीजनों द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने 33% कर्मचारियों (27342) को लक्षित किया, जिसमें रिकॉर्ड क्लर्क से लेकर देश भर के सभी कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। 'स्वास्थ्य और कल्याण' पर सत्र ईईपी का एक हिस्सा था। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाना और संगठन के विजन और लक्ष्यों के साथ सशक्तिकरण, जुड़ाव, प्रोत्साहन और सरेखण की भावना को बढ़ावा देना है।

9. कर्मचारियों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	कर्मचारियों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण					
	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25			पिछला वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारियों						
पुरुष	69,740	69,740	100	75,411	75,411	100
महिला	21,866	21,866	100	23,250	23,250	100
कुल	91,606	91,606	100	98,661	98,661	100

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

- अ. क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली क्या है?
- कर्मचारियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगम के कड़े दिशा-निर्देश हैं। इसमें अग्नि सुरक्षा के लिए नीति, अग्नि सुरक्षा के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें अग्निशमन उपकरण, अग्नि शमन ड्रिल, हमारे सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियों का गठन, विद्युत और अग्नि सुरक्षा पैरामीटरों की आवधिक जांच आदि से संबंधित नियम शामिल हैं। साथ ही, प्रमुख विभागों तक सीमित पहुंच का कार्य शुरू किया गया है। हमारे पास सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों पर एसओपी हैं, जिसमें किसी भी घटना के मामले में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा परिभाषित भूमिकाओं का पालन किया जाना है। अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि कर्मचारी तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया दें और प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ हो। कर्मचारियों को समूह बीमा, समूह अवधि बीमा और 24 घंटे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारियों को ग्रुप मेडिकलेम स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है जहां कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपने और अपने परिवारों के लिए अतिरिक्त कवर लेने के विकल्प के साथ अस्पताल में भर्ती करने के लिए कवर किया जाता है। निवारक स्वास्थ्य जांच योजना और उच्च लागत उपचार के मामले में चिकित्सा व्यय की अनुग्रह प्रतिपूर्ति की योजना भी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ हैं।
- आ. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?
- लागू नहीं है क्योंकि हम एक वित्तीय सेवा इकाई हैं।
- इ. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (वाई/एन)
- लागू नहीं
- ई. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच है? (वाई/एन)
- हाँ। सभी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं। कंपनी के पास अच्छी तरह से परिभाषित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल नीतियां हैं। समूह सावधि बीमा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। स्वास्थ्य जांच, योग, नेत्र जांच, अस्थि घनत्व आदि जैसी पहल और विशेषज्ञों द्वारा स्वस्थ और खुशहाल जीवन शैली को शिक्षित और सक्षम करने के लिए बातचीत की जाती है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्न स्वरूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
विगत समय चोट लगने की आवृत्ति दर (इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट) (एलटीआईआर) (प्रति दस लाख- व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
मरने वालों की संख्या	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कार्यालय परिसर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और चौकीदार नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। निगम के संवेदनशील विभागों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं, नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है और निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। निगम का प्रत्येक कर्मचारी मासिक परिवेश सर्वेक्षण में अपनी रेटिंग देता है, जहां कार्यालयों में सफाई के विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। सफाई और रिकॉर्ड रखरखाव को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल डीओ और मॉडल बीओ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नियमित कीट नियंत्रण सेवाएं, कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, स्क्रेप का निपटान, खाली स्थानों की पहचान और उचित उपयोग, पौधे लगाना, वर्षा जल संचयन, विकलांगों के लिए रैंप और रेलिंग की स्थापना, सौर पैनल लगाना आदि सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए की जा रही हैं। आज की तारीख में हमारे अधिकांश कार्यालय एलईडी लाइटिंग का उपयोग कर रहे हैं।

हमने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रचलित नीति के बारे में जागरूक किया है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया है।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	हमारे सभी कार्यालयों का निरीक्षण हर साल हमारी निरीक्षण टीमों द्वारा किया जाता है
काम करने की स्थिति	

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

संरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए बैगेज स्कैनर मशीनें और अग्निशामक यंत्र लगाए जाते हैं और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और सुरक्षा गार्ड।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज देती है।

कर्मचारी: हाँ। निगम कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवारों को सहायता के रूप में निम्नानुसार लाभ प्रदान करता है:

1. समूह बीमा -2004 यदि चुना गया हो
2. समूह आवधिक बीमा जिसका भुगतान नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाता है। यह विशेष रूप से पेंशन के कम्यूटेशन के नुकसान से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, अगर कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक निगम की सेवाओं में बना रहता है।
3. समूह बचत लिंकड बीमा का जोखिम और बचत भाग
4. 24 घंटे ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर यदि कर्मचारी की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी।
5. ग्रेच्युटी का भुगतान तब भी किया जाता है जब कर्मचारी ने कंपनी के साथ पांच साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं की हो। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की गणना एलआईसी ऑफ इंडिया (स्टाफ) नियम, 1960 और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार भी की जाती है और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को उच्चतर भुगतान किया जाता है। पीएल नकदीकरण के बदले एकमुश्त
6. यदि लागू हो तो अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाता है।
7. पारिवारिक पेंशन यथा लागू
8. भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान
9. निधि के लिए निगम अंशदान (पीएफ ऑप्टीज़ के लिए)

मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा आयु पात्र बच्चे को अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाता है।

निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है

2. संस्था द्वारा किए गए उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा धानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा की गई है।

निगम यह सुनिश्चित करता है कि निगम के प्रेषण के भीतर लेनदेन पर लागू करों की कटौती की जाती है और मौजूदा नियमों के अनुसार जमा की जाती है। आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में इस गतिविधि की समीक्षा की जाती है। निगम अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों से अपेक्षा करता है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही के व्यावसायिक जिम्मेदारी, सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखेंगे। यह चैनल भागीदारों के साथ निष्पादित सेवा स्तर समझौते का भी हिस्सा है।

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताना, जिन्हें कार्य संबंधी उच्च परिणाम वाली चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

श्रेणी	कुल संख्या प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या		नहीं। उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कर्मचारियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं) हाँ।

सभी कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने प्रबंधकीय, कार्यात्मक और व्यवहार कौशल में उत्कृष्टता के लिए निगम के साथ अपने कैरियर के दौरान निरंतर सीखने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मंच प्रदान किए गए हैं। इस तरह के निरंतर प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। निगम का एक स्व-शिक्षण, स्व-मूल्यांकन पोर्टल 'ज्ञानपीठ' भी है जो निगम के विभिन्न कार्यों, नियमों / विनियमों को कवर करने वाली सामग्री प्रदान करता है। वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन को निदेशक संस्थान, मुंबई के माध्यम से आयोजित 'नामित निदेशकों के लिए मास्टर क्लास' का अनुभव है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने मूलभूत ज्ञान को ताज़ा करने और कंपनी के भीतर गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स

(आईआईसीए) द्वारा प्रस्तावित ई-लर्निंग पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने वित्त और स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में मदद मिल सके।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

संविदा/करार में सरकार/अन्य सांविधिक एजेंसियों द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप शर्तें निर्धारित की जाती हैं और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	संविदा/करार में सरकार/अन्य सांविधिक एजेंसियों द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप शर्तें निर्धारित की जाती हैं और यह निहित है कि वे औसत से अधिक कार्य दशाओं के साथ लागू सांविधिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्धतियों का अनुपालन कर रहे हैं।
काम करने की स्थिति	यह सुनिश्चित किया जाता है कि कामगार क्षतिपूर्ति नीति मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा ली जाए। इसके अलावा सुरक्षा हेलमेट, बॉडी हार्नेस, सुरक्षा जूते और अन्य सुरक्षा मानदंडों के प्रावधान के लिए भी सुनिश्चित किया जाता है। उचित वॉशरूम, पोटैबल पानी आदि प्रदान करके साइट की स्वच्छता की स्थिति बनाए रखना।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के (वैल्यू चैन पार्टनर) स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हालांकि, वित्तीय नियोजन समाधान जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, गंभीर बीमारियों के साथ-साथ मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाइफ कवर के साथ, विभिन्न बीमा उत्पाद परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और व्यक्तियों को परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ग्राहकों में स्व-नियोजित व्यक्तियों के साथ-साथ वेतनभोगी व्यक्ति और उनके आश्रित, प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति आदि शामिल हैं। हमारे जीवन बीमा उत्पाद कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के खिलाफ परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मृत्यु, दुर्घटना, गंभीर बीमारी आदि के मामले में लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। यह बचत, निवेश और बच्चे की शिक्षा, विवाह आदि के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का एक उपकरण भी है। हम संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए जीवन कवर के अलावा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह बीमा उत्पाद भी प्रदान करते हैं।

जीवन बीमा के हमारे व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, हमारे जोखिम और अवसर मानव पूंजी, जिम्मेदार निवेश, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, वित्त तक पहुंच, उभरते जोखिम और शासन के आसपास घूमते हैं। तदनुसार, हमारे प्रमुख हितधारकों को आंतरिक हितधारकों और बाहरी हितधारकों के रूप में पहचाना जा सकता है। आंतरिक हितधारक हमारे कर्मचारी और एजेंट हैं जबकि बाहरी हितधारक वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवसाय में योगदान करते हैं। हमारे कुछ प्रमुख बाहरी हितधारक हैं: निवेशक और शेयरधारक, ग्राहक (पॉलिसीधारक), सरकार और नियामक निकाय, व्यापार भागीदार (सीए / ब्रोकर / आईएमएफ / सीएससी), वितरण चैनल।

2. आपकी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए वाले समूह के रूप में पहचाना गया है	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पच्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा।
निवेशक और शेयरधारक	नहीं	आवश्यकता के अनुसार: ईमेल, वार्षिक सामान्य बैठक, त्रैमासिक परिणाम, स्टॉक पर फाइलिंग एक्सचेंज, प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया इंटरैक्शन, समाचार पत्रों के लिए साक्षात्कार	त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परिणाम और वार्षिक आम बैठक। कॉर्पोरेट की फाइलिंग स्टॉक एक्सचेंजों के साथ घोषणाएं।	निगम की रणनीति पर अद्यतन प्रदान करना, विभिन्न नियामक तंत्रों के माध्यम से शिकायतों का निवारण।
कर्मचारियों	नहीं	सीधा संपर्क, ई-मेल, कर्मचारी वेबसाइट, एसएमएस, कॉल, नोटिस बोर्ड	नियमित रूप से	सूचना साझा करना, और प्रश्नों को संबोधित करना। विभाग में कार्य प्रगति पर नियमित जुड़ाव
ग्राहकों पॉलिसीधारक जिनकी पॉलिसी भुगतान के लिए देय है जैसे कि उत्तरजीविता लाभ, परिपक्वता लाभ, आदि, या मृत्यु दावों के मामले में लाभार्थी	नहीं	सूचना पत्र, एसएमएस, एलआईसी डिजिटल ऐप, व्हाट्सएप एसबी और परिपक्वता मामलों के मामले में संदेश और ईमेल। बकाया दावों और एनईएफटी अद्यतन के लिए विज्ञापन।	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	नए ग्राहकों को प्राप्त करने और मौजूदा लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए; उन्हें देय दावे और होने की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने के लिए दावों के प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए प्रस्तुत किया गया
व्यापार भागीदार (सीए/ब्रोकर/आईएमएफ/सीएससी)	नहीं	ईमेल, एसएमएस, मीटिंग और वेबसाइट के माध्यम से	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा व्यवसाय की सेवा और आगे विस्तार की गुंजाइश
सरकार और नियामक निकाय	नहीं	ईमेल, व्यक्तिगत मीटिंग्स, कॉल, वीडियो कॉल	जब और जब आवश्यक हो	नियामक अनुपालन, निरीक्षण और शिकायत मामलों में
वितरण चैनल: प्रीमियम पॉइंट, एजेंट, सीएलआईएस, सीओएस, डीएसए, सीएलआईए /	नहीं	संचार के कई चैनल - भौतिक और डिजिटल	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा पॉलिसीधारक को सेवाएं प्रदान करना और नए व्यवसाय की खरीद करना
समुदाय	नहीं	समाचार पत्र, विज्ञापन, आदि	नियमित आधार पर	बीमा जागरूकता

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।

बोर्ड और इसकी समितियों को हितधारकों की प्रतिक्रिया सहित विविध विषयों पर समय-समय पर अपडेट प्राप्त होते हैं। सरकार और विनियामक निकायों के साथ जुड़ने के लिए, बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल का उपयोग किया जाता है। निगम विनियामक निकायों से परामर्श पत्रों का निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जवाब देता है। बोर्ड में अलग-अलग समितियाँ हैं और प्रत्येक समिति की एक परिभाषित भूमिका और चार्टर है। हम सर्वेक्षण, एसएमएस, कॉल सेंटर, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों, नई पहलों, सेवाओं और उत्पादों के बारे में ग्राहकों से जुड़ते हैं। सर्वेक्षणों और फीडबैक से ग्राहक विश्लेषण का उपयोग अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। निगम अपने कर्मचारियों को महत्व देता है और पर्यावरणीय प्रभाव और अन्य मामलों को कम करने के लिए शिकायतों, चिंताओं और विचारों को संबोधित करने पर सक्रिय रूप से उनका इनपुट मांगता है।

निगम की निवेशक संबंध टीम निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के साथ जुड़ती है। विश्लेषकों की रिपोर्ट के प्रमुख संकेतक और निवेशकों की बैठक से फीडबैक निगम के बोर्ड को रखे जाते हैं। शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतें और प्रश्न और समाधान की स्थिति बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के साथ-साथ निगम के बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। बोर्ड की ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) समिति निगम की

ईएसजी गतिविधियों की समीक्षा करती है। शेयरधारकों द्वारा आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर उठाए गए प्रश्नों को, यदि कोई हो, चर्चा के लिए रखा जाता है। बोर्ड की पॉलिसीधारक सुरक्षा, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति पॉलिसीधारकों के हितों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करती है।

2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों (हां/नहीं) की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।

हाँ, शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों और प्रश्नों तथा समाधान की स्थिति को बोर्ड की स्टैकहोल्डर्स की संबंध समिति के समक्ष रखा जाता है जिसकी प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होती है। इसे प्रत्येक तिमाही में निगम के बोर्ड के समक्ष भी रखा जाता है। आथक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें चर्चा के लिए रखा जाता है।

निगम ने लंबे समय से उन ग्राहकों से प्रतिक्रिया के महत्व और उपयोगिता को समझा है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। पॉलिसी धारक परिषदें ऊपर मंडल स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक हैं। इनमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों जैसे पेशेवरों और इसी तरह के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य लोगों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आइडिया बॉक्स में योगदान के रूप में सभी कर्मचारियों से प्रतिक्रिया मांगी जाती है, जिसके लिए चयनित और कार्यान्वित किए गए सर्वोत्तम विचारों के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाते हैं। यह स्तरित दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर बारीकियों से संबंधित मामलों को उच्च स्तरों पर मैक्रो मुद्दों तक हमारे ध्यान में लाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद और सर्विसिंग पहलुओं में सूचित परिवर्तन होते हैं।

3. कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों के साथ सहभागिता के मामलों और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा प्रदान करना।

कमजोर/सीमांत हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए, निगम ने पहुंच और वित्तीय समावेशन में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है:

अनुकूलित उत्पाद प्रसाद: कम आय वाले व्यक्तियों, ग्रामीण आबादी और अन्य अयोग्य समूहों के लिए बीमा उत्पाद विकसित किए गए हैं। इन उत्पादों को समझने और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत सुविधाओं के साथ किफायती प्रीमियम की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे माइक्रो-इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्लान उपलब्ध हैं। साप्ताहिक भुगतान पद्धति सहित सुविधाजनक भुगतान विधियां उपलब्ध हैं। माइक्रो-बीमा पॉलिसीधारकों को एनजीओ और बंधे एजेंटों के माध्यम से सेवित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी-संचालित आउटरीच: मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार किया जहां पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचा सीमित है। निगम के मोबाइल एप्लिकेशन सूचना और नीति सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हितधारक अपनी नीतियों को दूरस्थ रूप से प्रबंधित कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: हम गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ भागीदारी करते हैं जो सीधे हाशिए के समूहों के साथ काम करते हैं। यह हमें विश्वसनीय स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से कमजोर/हाशिए वाले हितधारक तक पहुंचने में मदद करता है, बेहतर जुड़ाव और विश्वास-निर्माण सुनिश्चित करता है।

शिकायत निवारण: निगम ने पॉलिसीधारकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें हाशिए के हितधारक भी शामिल हैं ताकि वे चिंताओं को दूर कर सकें।

चैनल पार्टनर्स के लिए प्रशिक्षण: कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग फील्ड फोर्स चैनल पार्टनर्स को कमजोर ग्राहकों के साथ जुड़ने और उनकी सेवा करने के तरीके पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि फ्रंट-लाइन स्टाफ इन हितधारकों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुसज्जित है।

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और इकाई की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			विगत वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारियों						
स्थायी	91,606	33,371	36.43%	98,661	23,545	23.86%
स्थायी के अलावा अन्य	14	0	0	6	0	0
कुल कर्मचारी	91,620	33,371	36.42%	98,667	23,545	23.86%
श्रमिक**						
स्थायी	शून्य					
स्थायी के अलावा अन्य						
कुल कार्यकर्ता						

**निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
	वर्तमान वित्तीय वर्ष					विगत वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)		संख्या (च)	%(च/घ)	संख्या (छ)	%(छ/)
कर्मचारियों										
स्थायी	91,606	0	0	91,606	100	98,661	0	0	98,661	100
पुरुष	69,740	0	0	69,740	100	75,411	0	0	75,411	100
महिला	21,866	0	0	21,866	100	23,250	0	0	23,250	100
स्थायी के अलावा अन्य	14	0	0	14	100	6	0	0	6	100
पुरुष	13	0	0	13	100	5	0	0	5	100
महिला	1	0	0	1	100	1	0	0	1	100
श्रमिक**										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अलावा अन्य										
पुरुष										
महिला										

**निगम में “श्रमिक” के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

अ. माध्यिका पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	5	96,62,416.46	0	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)*	7	49,58,139	1	46,13,856
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	69746	20,53,509.18	21866	22,32,574.94

*पारिश्रमिक के विवरण में केवल निगम के सीईओ और एमडी तथा प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता ('बोर्ड नीति') पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निगम के स्वतंत्र निदेशक बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि सरकारी नामित निदेशक कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

आ. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	24.48%	24.19%

4. क्या आपके पास मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)

हाँ। कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) मानव संसाधन प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और प्रबंधन कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मानवाधिकार प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे की देखरेख और समाधान करेगा।

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

निगम के पास शिकायत के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली है। शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा इंटरनेट साइट पर ई-समाधान नामक पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकता है। इन्हें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से अगले उच्च अधिकारी को अपील करने का भी प्रावधान है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार, विभाग ने अनुकूल कार्यक्षेत्र बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। निगम के सभी कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। निगम की महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों के बराबर हैं।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25			पिछला वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	9	2(\$)	शून्य	14	2(*)	
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	वेतन संरचना में समानता					
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(*) दोनों शिकायतें वित्तीय वर्ष 2024-2025 में बंद कर दी गई हैं

(\$) दोनों शिकायतें चालू वित्त वर्ष 2025-2026 में बंद कर दी गई हैं

7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत कुल शिकायतें दर्ज की गईं	9	14
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में POSH पर शिकायतें	0.041%	0.060%
पॉश पर शिकायतों को बरकरार रखी गईं	2	शून्य

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र

निगम ने शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र सहित एक विस्तृत सूचना प्रदाता प्रक्रिया निर्धारित की है। व्हिसल ब्लोअर नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्हिसल ब्लोअर और/या संरक्षित प्रकटीकरण संसाधित करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित नहीं किया जाता है। व्हिसल ब्लोअर निम्नलिखित संरक्षण का हकदार है:

- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्हिसल ब्लोअर जिसने इस नीति के तहत प्रकटीकरण किया है, किसी भी कार्यवाही की शुरुआत से या अन्यथा केवल इस आधार पर पीड़ित नहीं है कि ऐसे शिकायतकर्ता ने इस नीति के तहत जांच में प्रकटीकरण किया था या सहायता प्रदान की थी।
- जहां कहीं भी सूचना प्रदाता ने उत्पीड़न/उत्पीड़न का आरोप लगाया है, सतर्कता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि पहचान ज्ञात हो जाती है तो उसे बार-बार स्थानान्तरण आदि के माध्यम से उत्पीड़ित/पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि कोई सूचना प्रदाता सुरक्षा चाहता है और यह सूचित करता है कि उसका जीवन खतरे में है तो सतर्कता अधिकारी मामले की जांच करेगा और सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने के लिए अध्यक्ष को अपनी सिफारिश भेजेगा।
- व्हिसलब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी जब तक कि न्यायालय/अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य के लिए वारंट न हो। इसके अतिरिक्त, जांच लंबित रहने के दौरान, निगम पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित कर सकता है या तीन महीने की अवधि तक की छुट्टी या कोई अन्य ऐसी राहत दे सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी को पीड़ित महिला के कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट करने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोका जा सकता है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

- हाँ, जहाँ भी आवश्यक हो

10. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
मजबूर/अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

निगम तालिका में उल्लिखित विषयों पर सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है।

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. मानव अधिकारों की शिकायतों/शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

निगम का मानना है कि उसने अपने सभी व्यवहारों में मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखा है। यह इसके मानवाधिकार वक्तव्य के अनुरूप है। निगम नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को आचार संहिता के बारे में सुग्राही बनाता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे किसी भी नीति या प्रक्रिया में किसी भी उल्लंघन/उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत को उठाएं, या किसी भी कार्य की रिपोर्ट करें जो निगम की आचार संहिता या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति, रिश्तित विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति, धन शोधन विरोधी नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, धोखाधड़ी-रोधी नीति, सूचना और साइबर सुरक्षा नीति या कार्यस्थल पर कर्मचारी आचरण को नियंत्रित करने वाली कोई अन्य नीति जिसे समय-समय पर परिभाषित किया जा सकता है या कोई अन्य वैधानिक या नियामक कानून जो लागू हो सकता है।

2. किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण।

निगम की शासन प्रक्रिया के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय अलग-अलग सक्षम आगंतुकों के लिए सुलभ है?

- निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को यह सलाह दी गई है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान किए जाएंगे। इसे नए और मौजूदा कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।
- निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे रैंप, रेल, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधकों आदि के साथ संशोधित किया है ताकि इसे अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जा सके। विकलांग व्यक्तियों को सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के लिए प्रावधान किया गया है ताकि वे प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। इसी तरह की सुविधाएं हमारे शेष कार्यालयों में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शामिल की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर पाथवे एप्रोच, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान करके कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
बाल श्रम	शून्य
बलात् श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- नहीं, लागू नहीं।

हम अपने मूल्य-श्रृंखला भागीदारों के साथ अपने नए और मौजूदा अनुबंधों में प्रासंगिक मैट्रिक्स को शामिल करते हैं।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

Parameter	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क)		
कुल ईंधन खपत (ख)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) सौर	18307 GJ	30596 GJ
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	18307 GJ	30596 GJ
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ)	422858 GJ	329308 GJ
कुल ईंधन खपत (च)	390283 GJ	394649 GJ
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (छ)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ + च + छ)	813141 GJ	723957 GJ
खपत की गई कुल ऊर्जा (क + ख + ग + घ + च + छ)	831448 GJ	754553 GJ
टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	1.70	0.85
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/प्रचालनों से राजस्व)	3.5139 KJ/USD PPP	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता		
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	9.07 GJ /सामान्य ज्ञान /प्रति कर्मचारी	

*पीपीपी रूपांतरण दर 20.66 के रूप में ली गई है जो आईएमएफ की वेबसाइट के अनुसार है- अप्रैल 2025

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं

2. क्या निगम के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

नहीं, हमारे पास ऐसी कोई साइट या सुविधाएं नहीं हैं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

निगम का पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग के लिए प्रतिबंधित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए, हमारे प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी), बोरीवली में, एक वर्षा जल संचयन इकाई वर्षा जल संग्रहण स्थापित है। यह इकाई पास के बोर से जुड़ी है अच्छी तरह से देय जिससे बोरवेल का पुनर्भरण किया जाता है और बोरवेल के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	19571	में 2023-24 मूल्यांकन नहीं किया गया
(ii) भूजल	680535	
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	559024	
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत पानी	0	

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
(v) अन्य	8311	
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	1267441	
पानी की कुल खपत (किलोलीटर में)	1267441	35506901.984
कारोबार के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत/संचालन से राजस्व) (किलो लीटर/आईएनआर करोड़)	2.59	0.0000041
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/संचालन से राजस्व)	0.0054 एल/यूएसडी पीपीपी	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पानी की तीव्रता		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	13.83 केएल /प्रति कर्मचारी	

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है?

नहीं

4. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल के लिए		
- कोई इलाज नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल के लिए		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)(i + ii + iii + iv + v)		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

नहीं

5. क्या निगम ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें

➤ लागू नहीं

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
NOx		लागू नहीं	लागू नहीं
Sox			
पार्टिकुलेट मैटर (PM)			
लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

लागू नहीं

7. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

प्राचल	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल दायरा 1 उत्सर्जन (जीएचजी का(सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी एस एफ 6, एन एफ 3, में विभाजन, (यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	27,014	13,108
कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजन, SF ₆ , NF ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	84,102	67,250
कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन /		0.23	0.09
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन /		0.0004696 किग्रा/USD	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		1.21 एमटी/कर्मचारी	

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

निगम डेस्कटॉप के लिए बिजली बचत समाधान की खरीद के लिए प्रक्रिया में है।

ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं और ईएसजी पहलों के निर्माण के एक हिस्से के रूप में हमने 212 स्थानों पर सौर पीवी पैनल स्थापित किए हैं, कुल 8110 किलोवाट क्षमता जिसके परिणामस्वरूप 21566.50 टन कार्बन की कमी आई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 4068.11 टन हुआ है, 31 मार्च 2025 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी।

इसके अलावा, हमारे विपणन और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच दिन-प्रतिदिन के उपयोग के लिए ईवीएस की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के एक हिस्से के रूप में, इस वित्तीय वर्ष में देश भर में 18 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा, ईवी कारों का उपयोग संगठन में लोकप्रिय हो रहा है।

9. निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	920	4081
ई - अपशिष्ट (बी)	940	116
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (इ)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना द्वारा ब्रेक-अप, क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा) - कागज, स्क्रैप धातु, आदि	512	
कुल (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	2372	4201
टर्नओवर का प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता (कुल अपशिष्ट उत्पन्न/संचालन से राजस्व)	0.005	0.005
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल अपशिष्ट उत्पत्ति/प्रचालनों से राजस्व)	0.0000100 किग्रा/USD PPP	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0.03 एमटी/प्रति कर्मचारी	
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से बरामद कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन	-	-
कुल	-	-
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भूमि भरना	-	-
(iii) अन्य निपटान संचालन	-	-
कुल	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

नहीं, लागू नहीं

10 आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

हम अपशिष्ट प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि हमारे संचालन में मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास, प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं, हम जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं।

हमारे कार्यालयों में एकल प्रयुक्त प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। फॉर्म, प्रमाण पत्र आदि की सॉफ्ट कॉपी जारी की जा रही है। बेहतर सर्विसिंग और समय अंतराल को कम करने के लिए पेंशन दस्तावेजों को स्कैन किया गया है। सभी कर्मचारियों द्वारा कागज लेखन सामग्री का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है।

हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, उन्हें बायबैक समझौते के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिया जाता है। बदले में विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर का निर्माण करता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र लिया जाता है।

हमारे अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में शामिल हैं:

ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचा: हम संसाधन खपत को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन: हमने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित पुनर्चक्रण और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए एक व्यापक ई-कचरा प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया है।

पेपरलेस पहल: हम पेपरलेस प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं और अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन में भौतिक सामग्रियों पर निर्भरता को कम करने के लिए नई पहल करते हैं।

- 11 यदि निगम के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव-विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उनके आसपास संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

लागू नहीं

- 12 चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं

- 13 क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (वाई/एन)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें:

क्रम स.	उन कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई बोर्ड या अदालतों द्वारा	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निगम लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करता है।				

नेतृत्व संकेतक

1. जल-संकट वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलो-लीटर में): शून्य
जल-संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- क्षेत्र का नाम - लागू नहीं
- संचालन की प्रकृति - लागू नहीं
- निम्नलिखित प्रारूप में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन:- लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल दायरा 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में ब्रेकअप, यदि उपलब्ध हो)		लागू नहीं	लागू नहीं

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल दायरा 3 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

- उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव-विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं क्योंकि हमारा कोई भी कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं है

- यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उसी का विवरण और ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:

ऐसी यूनिटों में जल दक्ष जुड़नारों, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्ष विद्युत जुड़नारों, पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेट का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है। हमने वित्त वर्ष 2024-25 में 22 भवनों के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त किया है और 19 भवनों के लिए यह प्रक्रिया में है।

- क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण वेब-लिंक में 100 शब्दों दें।

हां, निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना है। व्यापार-रुकावट जोखिम परिचालन जोखिम का एक अभिन्न अंग है। निगम को कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है जो मामूली से लेकर विनाशकारी तक हो सकती हैं जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। निगम ने व्यवसाय निरंतरता के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति (बीसीपी) की है जिसमें व्यवसाय निरंतरता ढांचे को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए समग्र दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। बीसीपी ढांचा मौजूद है, और आपदा की स्थिति (ओं) पर प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश/दिशानिर्देश प्रदान करता है और इसमें मानव जीवन की सुरक्षा और न्यूनतम डाउन टाइम के उपाय भी शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और तकनीकी व्यवधानों जैसी घटनाओं का जवाब देने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रदान करने के लिए निरंतरता योजना को औपचारिक रूप दिया गया है। एलआईसी को बीसीपी के लिए आईएसओ 22301 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, आपातकालीन परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक आपदा रिकवरी साइट स्थापित की गई है। व्यापार निरंतरता अभ्यास महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए नियमित आधार पर किया जाता है और व्यापार-रुकावट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए भी।

- इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करना। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति जीवन बीमा है।

- मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

शून्य

- कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या खरीदे गए हैं:

अ. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

ब. शीर्ष दस मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा। (बिक्री के मूल्य के संदर्भ में क्रमशः खरीद और)

शून्य

सिद्धांत 7: सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो
आवश्यक संकेतक

1. अ. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

निगम का 15 से अधिक व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबंध है

ब. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) संस्था का सदस्य / संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसायटी (आईएसटीडी)	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क (एनएचआरडी)	राष्ट्रीय
3	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)	राष्ट्रीय
4	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद (एएससीआई)	राष्ट्रीय
5	अखिल भारतीय प्रबंधन परिसंघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
6	भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)	राष्ट्रीय
7	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
8	बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई)	राष्ट्रीय
9	मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट सोसाइटी, गुडगांव	राष्ट्रीय
10	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना।

किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया

नेतृत्व संकेतक

1. निगम द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

एलआईसी ने खुद को पसंद के बीमाकर्ता के रूप में स्थापित किया है और उदारीकरण के 25 वर्षों के बाद भी अपनी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखना जारी रखा है, जिसमें प्रमुख व्यवसाय मिश्रण मुख्य रूप से एजेंसी बल के माध्यम से भाग लेने वाले व्यवसाय से आता है। इसके अलावा, एलआईसी ने जीवन बीमा के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता का लाभ उठाया है और ग्राहकों के भौतिक से डिजिटल यानी 'फिजिटल' मोड में प्रवास के साथ डिजिटल जुड़ाव और सेवाओं की डिजिटलीकृत डिलीवरी का पीछा कर रहा है। एजेंसी बल को डिजिटल टूल और एनालिटिक्स के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करके बायोनिज एजेंटों की एक रणनीतिक तैनाती अपने रास्ते पर है।

हम पॉलिसी धारक और बड़े पैमाने पर बीमा उद्योग के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा परिषद के माध्यम से नियामक को विभिन्न एक्सपोजर ड्राफ्ट, नियमों में प्रस्तावित संशोधन आदि पर इनपुट/विचार/सुझाव प्रदान करते हैं।

हम हर साल पूरे भारत में बीमा जागरूकता अभियान (आईएसी) आयोजित करते हैं। आईएसी के तहत हमने पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जो हमारी उपलब्धियों, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो और पॉलिसीधारकों को दी गई विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डालते हैं। हम टीवी विज्ञापनों के साथ-साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, लोगों से एनिमेटेड वीडियो के साथ-साथ अपने पहले वेतन के साथ बीमा खरीदने का आग्रह करते हैं, पूरे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार / संगीत और सामान्य मनोरंजन चैनलों पर बीमा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। क्रिएटिव विभिन्न आईएसी के लिए तैयार किए जाते हैं जैसे, अपने केवाईसी को अपडेट करना और एनईएफटी विवरण जमा करना, नीतियों का पुनरुद्धार, नई योजनाएं / उत्पाद। बीमा के बारे में प्रासंगिक संदेश पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है।

बीमा जागरूकता बढ़ाने और बीमा पैठ बढ़ाने के लिए IRDAI द्वारा असम, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रोजेक्ट लीड के रूप में LIC को नामित किया गया है। हम नई पहलों के पुनरीक्षण के लिए जीवन परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों का भी हिस्सा हैं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण (एसआईए)।

एलआईसी-स्वर्ण जयंती फाउंडेशन (जीजेएफ) ने प्रभाव अध्ययन करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को नियुक्त नहीं किया है। हालांकि, फाउंडेशन द्वारा की गई पहल के प्रभाव का आकलन करने के लिए फाउंडेशन हर साल एक आंतरिक प्रभाव अध्ययन करता है। क्षेत्रीय निरीक्षण दल द्वारा जीजेएफ परियोजनाओं का निरीक्षण यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि जीजेएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजना का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे वित्तपोषित किया गया है और इससे आथक रूप से कमजोर वर्गों के लाभाथियों को लाभ होता है।

गोल्डन जुबली फाउंडेशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में बहुत काम किया जाता है। हम शिक्षा में कई परियोजनाएं शुरू करते हैं जैसे समाज के वंचित और वंचित वर्गों के लगभग 30,835 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। हम बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वंचित जनता के लिए अस्पताल एम्बुलेंस, डायलिसिस मशीन, अस्पताल वार्डों की स्थापना आदि प्रदान करने जैसी अवसरचक्रात्मक सहायता प्रदान करते हैं।

2. आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना (आर एंड आर) के बारे में जानकारी प्रदान करें (परियोजनाओं):

शून्य

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।

फाउंडेशन द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने और विद्वानों के चयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। इसमें तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है जिसमें डिवीजन, जोन और केंद्रीय कार्यालय शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि फाउंडेशन की गतिविधियों के माध्यम से देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभान्वित किया जाए। फाउंडेशन (अखिल भारत) की धर्मार्थ गतिविधियों के सभी विवरण हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध हैं। कोई शिकायत नहीं है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट):

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी बीमा व्यवसाय में है।

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें

स्थल	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2024-23
ग्रामीण	0.69%	0.57%
अर्ध शहरी	31.21%	27.49%
शहरी	36.71%	33.76%
महानगर	31.38%	38.18%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

सामाजिक प्रभाव आकलन में कोई नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी।

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी इकाई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

फाउंडेशन की सामुदायिक विकास गतिविधियां पूरे देश में फैली हुई हैं। भारत सरकार द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के लिए विशिष्ट, फाउंडेशन ने 48 परियोजनाओं के साथ 30 जिलों को कवर किया है। इन परियोजनाओं में स्कूल भवन का निर्माण, कौशल विकास केंद्र का निर्माण, जनजातीय लड़कियों के लिए बहुउद्देशीय हॉल, कमरे और शौचालय ब्लॉक, पैथोलॉजी इकाइयों का निर्माण, डे केयर सेंटर का निर्माण,

महिला सशक्तिकरण परियोजनाएं, स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए वाहन, एम्बुलेंस, रोगियों के परिवहन के लिए मोबाइल मेडिकल वैन, भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन वितरण वाहन आदि शामिल हैं।

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)

नहीं, हमारे पास अधिमान्य खरीद नीति नहीं है। हालांकि, हम हाशिए या कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री और सेवाओं की खरीद के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

(ख) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एमएसई) के तहत पंजीकृत विक्रेताओं को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर और एमएसएमई के तहत पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी खरीद प्रथाएं सभी विक्रेताओं के लिए समान अवसर को प्राथमिकता देती हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से अधिमान्य खरीद के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों का समर्थन करते हैं।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का कितना प्रतिशत है?

	वर्तमान वित्त वर्ष 24-25			पिछला वित्त वर्ष 23-24		
	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%
एमएसई विक्रेताओं से खरीद	1253.94	3029.63	41.38	175.22	265.96	65.88
एमएसई के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विक्रेता	230.28	3029.63	7.60	2.80	-	1.05

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

लागू नहीं है क्योंकि हम आविष्कारों, या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले किसी भी कलात्मक कार्यों के व्यवसाय में नहीं हैं, जिसके लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) मालिकों को आईपी कानूनों के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। हालांकि, हमारे इन-हाउस विकसित अनुप्रयोग हमारे संचालन की आंतरिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करते हैं और हम व्यापक उद्योग और समुदाय के साथ ज्ञान साझा करने और सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्यवाहियों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

एलआईसी जीजेएफ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परियोजनाओं का समर्थन करता है जो देश भर में इसके उद्देश्यों - गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु से जुड़ी हैं। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लाभार्थी हैं:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: फाउंडेशन शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में योगदान देता है जैसे कि निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच डिजिटल कौशल विकसित करने के लिए कौशल केंद्र का निर्माण, छात्रावास, स्कूल भवन, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्कूल बस, विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा उपकरण और ऑडियो-विजुअल उपकरण, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए, एलआईसी जीजेएफ द्वारा गोद लिए गए गांव गोविंदपुर में 100% साक्षरता के लिए साक्षरता अभियान। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 30835 योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 80.62 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित योग्य छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति जारी की जाती है। बीमा स्कूल स्कूली बच्चों और अभिभावकों के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाने की एक पहल है।

अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती:

फाउंडेशन ने चिकित्सा उपकरण, आईसीयू एम्बुलेंस, मेडिकल वैन, अस्पतालों का निर्माण, कैंसर रोगियों के लिए उपचार, हृदय शल्य चिकित्सा, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सर्जरी और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी प्रदान करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों के माध्यम से गरीब रोगियों की पहचान की जाती है और उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है।

कोविड राहत: फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड, महाराष्ट्र सरकार कोविड राहत कोष, टाटा मेमोरियल अस्पताल कोविड राहत कोष आदि में योगदान देकर कोविड-19 राहत उपायों के लिए धन दिया है।

प्राकृतिक आपदा के प्रति राहत: फाउंडेशन ने चेन्नई बाढ़, केरल बाढ़, चक्रवात फानी और ओडिशा के चक्रवात प्रवण आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मयूरभंज जिले के उदाला में बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय के निर्माण के दौरान सहायता प्रदान की है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि: भारतीय रक्षा बल के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान दिया गया है। इस निधि की स्थापना केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं के कल्याण और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए की गई है।

जलवायु कार्रवाई: फाउंडेशन ने स्कूल छात्रावास भवन, वृद्धाश्रम और विद्युत शवदाह गृह में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में योगदान दिया है। सौर पैनल के उपयोग से बिजली बिल की लागत कम हुई है।

स्वच्छ जल और स्वच्छता: कन्याकुमारी के हरि तीर्थम में जल निकायों के जीर्णोद्धार और समुदायों के लिए ताजे पानी की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए योगदान। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार के आगंतुकों को स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर वेंडिंग मशीन प्रदान करना।

कोल्हापुर की मलिन बस्तियों में 'एक घर एक शौचालय योजना' के तहत शौचालय निर्माण में योगदान। देश भर के 113 स्कूलों में 169 शौचालयों के निर्माण के लिए वित्त पोषित, विभिन्न स्कूलों में शौचालय ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एलआईसी के गोद लिए गए गांव गोविंदपुर में दो सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में योगदान, ताकि गांव को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। बद्रीधाम में ई-शौचालय के निर्माण में योगदान और गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए स्वच्छ गंगा कोष के लिए वित्त पोषित। 'स्वस्थ भारत' पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 4,682 चिकित्सा शिविर और 5,893 सफाई गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

आर्ट गैलरी का संरक्षण और सुरक्षा: फाउंडेशन ने ओडिशा के रायगढ़ जिले के तीन लांजिया सौरा गाँवों में सौरा पेंटिंग और कलाकारों की कला को संरक्षित, संरक्षित, प्रचारित और विकसित करने के लिए एक आदिवासी कला गैलरी के निर्माण को वित्त पोषित किया है। बच्चों के लिए भोजन और रसोई के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए खाद्य वितरण वाहन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की गई।

भूमि पर जीवन: कानपुर चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के परिवहन और बचाव के लिए एम्बुलेंस की खरीद, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, गुड़गांव के गोपालपुर खेड़ा गांव में लाइफ टाइम एनिमल अभयारण्य में सौर संयंत्र की स्थापना, जो पशु बचाव और पुनर्वास के लिए आश्रय गृह है, में योगदान।

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 24182 लाभार्थियों के साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों के तहत 87 परियोजनाएं पूरी की गईं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 3033 विद्वानों को छात्रवृत्ति वितरित की गई	27215	100%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें

ग्राहक संबंध और ग्राहक सेवा की भावना हमारी शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है, जिसमें सभी स्पर्श बिंदुओं पर ग्राहक उन्मुख कर्मियों को रखने पर जोर दिया गया है। मानवीय हस्तक्षेपों को कम करने और शिकायतों को कम करने के लिए आईटी समर्थ सहायता प्रणाली प्रचालित की गई है। निगम के पास एक ग्राहक अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्राहक पोर्टल पर पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत दर्ज कर सकता है और हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध 'एलआईसी की ई-सेवाओं' के माध्यम से अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकता है। IRDAI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली-बीमा भरोसा के तहत पंजीकृत शिकायतें LIC की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ समन्वयित हैं। ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के शाखा/मंडलीय/आंचलिक/केन्द्रीय कार्यालय स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी हैं। उनके नाम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संबंधित जीआरओ अपने कार्यालयों में ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सभी सोमवार को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी शिकायतें डाक, ई-मेल आदि के माध्यम से संबंधित सर्विसिंग कार्यालयों/जीआरओ को भी भेज सकते हैं।

पूरे भारत में सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक कुल 74 ग्राहक क्षेत्र संचालित होते हैं जो 'गुणवत्ता अनुभव' पर विशेष जोर देने के साथ ग्राहक की सभी सर्विसिंग आवश्यकताओं के समाधान के लिए 'वन-स्टॉप सेंटर' के रूप में काम करते हैं।

एलआईसी के पास एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर सेवा 24 * 7 उपलब्ध है। नंबर 022-68276827 है जिसमें एक व्यापक आईवीआरएस मेनू के साथ-साथ विशिष्ट प्रश्नों और सूचनाओं के लिए कॉल सेंटर के कार्यकारी के साथ बात करने और शिकायत के लिए सीसीएस (कॉल सेंटर सर्विसेज) टिकट बढ़ाने का विकल्प है। ये सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

हमारे पास LICHELP नामक एक एसएमएस पहल है, जहां पॉलिसीधारकों को 9222492224 पर एक एसएमएस LICHELPPOLICYNO भेजने की आवश्यकता है। एसएमएस प्राप्त होने पर, ग्राहक क्षेत्र का एक अधिकारी पॉलिसी की सर्विसिंग शाखा में मैप किया जाता है, ग्राहक से उसकी शिकायत या अनुरोध के समाधान के लिए संपर्क करता है। हम पॉलिसी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से अपडेट करते हैं।

अस्वीकृत मृत्यु दावों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर 'दावा समीक्षा समितियां' स्थापित की जाती हैं। समिति में एलआईसी के दो या अधिक वरिष्ठ अधिकारी और जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के एक माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं।

एलआईसी के पास भारत सरकार के दो ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तहत भूमिका-आधारित पहुंच है, 1) सीपीजीआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) और 2) एनसीएच (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) - इनग्राम मॉड्यूल (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) पॉलिसीधारकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपलब्ध है, जिनका सीधे जवाब दिया जाता है।

2. उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, जिनके बारे में जानकारी होती है:

लागू नहीं

3. लिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-2025		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 23-24		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	54636	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यापार व्यवहार*	0	0	लागू नहीं	2984*	0	लागू नहीं
अन्य	19654	0	लागू नहीं	78531	0	लागू नहीं

में 2023-24 वित्त वर्ष* में, 2984 शिकायतें 'अनुचित व्यापार व्यवहार' श्रेणी के अंतर्गत दर्शाई गईं। आगे के विश्लेषण और जांच में पाया गया कि अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित कोई शिकायत नहीं है।

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:

शून्य

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम के पास डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर नीतियां और प्रक्रियाएं हैं। नीतियों का पूरा सेट सभी कर्मचारियों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना / की गई कार्रवाई।

निगम को साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता से संबंधित कोई मुद्दा या शिकायत नहीं मिली है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

अ) डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या

डेटा उल्लंघन के कोई ज्ञात उदाहरण नहीं हैं

आ) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य

इ) प्रभाव, यदि, कोई हो, डेटा उल्लंघनों का

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन यानी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने, शिक्षित करने और हमारे ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

उत्पाद और सेवाओं की जानकारी हमारी वेबसाइट (www.licindia.in) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम सक्रिय रूप से विभिन्न स्थानीय रास्ते, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करता है ताकि हमारे ग्राहकों को शिक्षित किया जा सके और उनसे जुड़े रह सकें

- ❖ मोबाइल ऐप: एलआईसी डिजिटल
- ❖ फेस बुक: LICIndiaForever
- ❖ यूट्यूब: LICIndiaForever
- ❖ इंस्टाग्राम: LICIndiaForever
- ❖ लिंकडइन: LICIndiaForever
- ❖ एक्स (ट्विटर) हैंडल: LICIndiaForever
- ❖ व्हाट्सएप: 8976862090
- ❖ कॉल सेंटर: 022- 6827 6827

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बीमा एक अमूर्त उत्पाद है इसलिए सामान्य उपयोग और सुरक्षा मानदंड इस पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, जोखिम कवर की निरंतरता के लिए, प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। पॉलिसीधारकों को एसएमएस भेजे जाते हैं जो उन्हें भुगतान के लिए देय प्रीमियम के बारे में सूचित करते हैं, जहां मोबाइल नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में पंजीकृत है। जहां पॉलिसी रिकॉर्ड में कोई मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, हम पॉलिसीधारकों को डाक द्वारा प्रीमियम देय सूचना भेज रहे हैं, ताकि पॉलिसियों को लागू रखा जा सके और ग्राहक पॉलिसी के तहत बीमा लाभों का आनंद ले सकें। ग्राहकों को धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएमएस भेजे जाते हैं। किसी भी ऑनलाइन लेनदेन के लिए हमारे लिंक पर आने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

व्हाट्सएप पर एलआईसी की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं जहां पॉलिसीधारक अपने प्रीमियम बकाया को जान सकते हैं, ऋण और ऋण चुकौती कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम भुगतान प्रमाण पत्र, यूनिप यूनिट स्टेटमेंट आदि प्राप्त कर सकते हैं।

सक्रिय ग्राहकों को नकली कॉलों और केवाईसी जमा करने की झूठी कॉलों के बारे में शिक्षित करने के लिए आवधिक पत्र भेजे जाते हैं। इसके अलावा नकली कॉल अस्वीकरण हमारे ग्राहक संचार का हिस्सा है। हम इन-हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो समय-समय पर ग्राहकों को विभिन्न ग्राहक सेवाएं प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट दिए जाते हैं।

हम दावों के निपटान के लिए आवश्यकताओं के बारे में सूचित करते हुए क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। हम नियमित रूप से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज आदि पर अपने विज्ञापन प्रदर्शित करके ग्राहकों को सूचित और शिक्षित भी कर रहे हैं।

3. आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

पॉलिसीधारकों को उनके द्वारा अनुरोधित सेवाओं के बारे में एसएमएस के माध्यम से अपडेट रखा जाता है। नए कागजातों में प्राकृतिक आपदा के मामले में विज्ञापन दिया गया है, जो ग्राहकों को दावे की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है ताकि दावे की त्वरित और परेशानी मुक्त प्रोसेसिंग हो सके।

सेवा में व्यवधान / बंद होने के किसी भी जोखिम के मामले में मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ हमारे पास एक व्यवसाय निरंतरता योजना है।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई या इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?

लागू नहीं है क्योंकि हम बीमा व्यवसाय (अमूर्त उत्पाद) में हैं। हालांकि, बीमा उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध है।

कार्य के समग्र अनुभव पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, ग्राहक बैठकों और भुगतान प्राधिकारियों के दौरो के माध्यम से प्रतिक्रिया मांगी जाती है जहां अधिक संख्या में ग्राहक उपलब्ध होते हैं। हम अपने उत्पादों/सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में सर्वेक्षण भी करते हैं।

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

To,
The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Central Office, "Yogakshema",
Jeevan Bima Marg,
Mumbai – 400 021.

To the Board of Directors of Life Insurance Corporation of India

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 16.05.2025 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 17.05.2025 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2025 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in **Annexure 1** to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), and the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct Issued by Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework").

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.



CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants

Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.



CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, Golden Jubilee Foundation (GJF) team, etc., and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2025.
- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.
- Obtained representations from the Corporation's Management.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.

We have not performed any procedures with respect to prior periods information.



Page 3 of 5

Chokshi & Chokshi LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAC-8909

Regd. Office: 15/17, Raghavji 'B' Bldg., Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai-400036

Tel.: +91-22-2383 6900 ; Fax : +91-22-2383 6901 ; Web: www.chokshiandchokshi.com

E-mail: contact@chokshiandchokshi.in

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2025 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

Restriction on use or distribution

Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants
FRN - 101872W/W100045



Dharmista Shah
Partner
M. No. 108845

UDIN: 25108845BMFXSN9867

Place: Mumbai
Date: 03.07.2025

CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

Annexure-1

BRSR Core attributes - Reasonable assurance for FY 2024-25

Sustainability Information where reasonable assurance is carried out	Cross Reference to BRSR 2024-25
Number of days of accounts payable	Under Principle 1 Question 8 of Essential Indicators
Open-ness of business	Under Principle 1 Question 9 of Essential Indicators
Spending on measures towards well-being of employees	Under Principle 3 Question 1(c) of Essential Indicators
Details of safety related incidents for employees	Under Principle 3 Question 11 of Essential Indicators
Gross wages paid to female as % of wages paid	Under Principle 5 Question 3(b) of Essential Indicators
Complaints on POSH	Under Principle 5 Question 7 of Essential Indicators
Energy footprint	Under Principle 6 Question 1 of Essential Indicators
Water footprint	Under Principle 6 Question 3 of Essential Indicators
Water Discharge by destination and levels of Treatment	Under Principle 6 Question 4 of Essential Indicators
Green-house gas (GHG) footprint	Under Principle 6 Question 7 of Essential Indicators
Waste Management	Under Principle 6 Question 9 of Essential Indicators
Input Material sourced	Under Principle 8 Question 4 of Essential Indicators
Job Creation in smaller towns	Under Principle 8 Question 5 of Essential Indicators
Instances involving loss/breach of data of customers	Under Principle 9 Question 7 of Essential Indicators



LIC - THE JOURNEY

1956

- LIC established by Nationalization of 245 Private Companies on 1st September.
- Foreign Branches in Fiji and Mauritius started.

1957

- First Master Policy for a Group Insurance Scheme was issued by the Mumbai Office of LIC
- First Group Superannuation Policy was issued.
- 'Yogakshema' Corporate Magazine started as a quarterly magazine in May.
- Salary Savings Scheme mode launched enabling employees to take LIC Policy.

1958

- LIC's First Investment Policy placed on the table of Parliament on 25th August.
- First Bima Gram- Talni Purna Village in Amravati Distt declared.

1960

- Officer's Training College founded at Nagpur on 16th May.
- Foreign Branch in UK started

1961

- The First Batch of Direct Recruit Officers joined the Corporation.

1963

- LIC adopted the Change over from Calendar Year to Financial Year working.
- 'Yogakshema', an architectural landmark, Corporate Office of LIC inaugurated by Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 26th December.
- First Computers were installed – one each in Mumbai and Kolkata Offices.

1967

- IBM 1401/1410 Computer installed at Mumbai. EDP Department started functioning.

1969

- Officer's Training College shifted from Nagpur to Borivali, Mumbai.

1970

- Commemorative Stamp and Post Card issued through Indian Posts and Telegraphs depicting Indian Life Insurance. 1870-1970. (A Century of Life Insurance in India).

1971

- The concept of Agents' Clubs was introduced in 1971.

1972

- The first Career Agents' Branches were set up in 1972.
- LIC of India(Agents) Regulations were formulated.
- The Reorganisation Policy was implemented from the period 1971 to 1978. Prof. Ishwar Dayal, a Management Consultant engaged to restructure the operations where Branches became the primary servicing centres equipped to dispose off 80% of all work originated there.
- Career Agency Scheme comes into existence.
- Four Levels of Agents' Clubs – Chairman's, Zonal Manager's, Divisional Manager's and Branch Manager's Clubs formed to professionalise Agency Force.

1978

- Joint Venture Kenindia Assurance Co. Limited started
- Scheme of Incentive Bonus to Development Officers came into existence.

1979

- Rural Career Agency Scheme and Urban Career Agency Scheme came into existence separately.

1980

- Direct Recruitment of Development Officers began.
- The National Insurance Academy(NIA) sponsored jointly with GIC and its subsidiaries, was founded.

1981

- Jana Raksha Policy launched to cater to the rural masses.
- Installation of Microprocessors was first initiated in October.
- Recruitment under sports quota started.

1982

- ECIL-2958 Mainframe computer installed at Mumbai

1987

- Landless Agricultural Labourers' Group Insurance (LALGI) was introduced in August.

1988

- Human Resource Development (HRD) policy was introduced.
- A Social Security Fund with a corpus of ₹ 100 crore was set up by Govt. Of India covering weaker sections of society.

1989

- LIC turns into a financial conglomerate
- LIC Housing Finance came into existence
- LIC Mutual Fund constituted as a Trust on 20th April
- Joint Venture LIC International BSC(c) Bahrain inaugurated

1993

- Software Development Centre established at Corporate Office. Front End Applications Package introduced on 17th July in 17 BOs.

1994

- The Corporate Flag and the Corporate Anthem (Nigam Geet) were introduced.

1995

- The Rural Group Life Insurance Scheme (RGLIS) was launched on 15th August.

1996

- Jeevan Suraksha Pension Plan dedicated to the nation by the then Prime Minister Shri H D DeveGowda on the occasion of LIC's 40th anniversary.

1997

- LIC adopted Citizens' Charter on 7th November.
- LIC's first Metro Area Network(MAN) inaugurated in Mumbai by Shri P. Chidambaram, Hon'ble Finance Minister on 22nd November.

1998

- First IVRS inaugurated in Mumbai on 21st August.
- 150 Touch Screen based Information Kiosks were set up across the country enabling Customers to get information about policies, new plans, bonus etc.

1999

- LIC International BSC(C) Bahrain extended its operations to Qatar with effect from 28th September.

2000

- LIC engages M/s Booz Allen & Hamilton, the renowned international consultants on financial services to advise LIC on 'Process of Strategic Transformation' on 1st January.
- Wide Area Network (WAN) inaugurated on 2nd September.
- For faster dissemination of information LIC launched its website www.licindia.in and intranet Site 'Jeevan Sanchar'.

2001

- The First Unit Linked Insurance Plan(ULIP) 'Bima Plus' launched on 12th February.
- LIC signs its first strategic alliance with Corporation Bank on 6th June.
- Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana launched on 30th June.
- Premium payment facility through internet introduced on 12th September.
- Shikshan Sahyog Yojana inaugurated on 31st December.
- LIC (Nepal) Ltd. inaugurated as a joint venture between LIC and Vishal Group in Nepal on 3rd December.

2002

- LIC's first Info Centre inaugurated in Mumbai. Call Centres Set up at 8 locations across the Country.
- Corporate Messaging Solution implemented.
- Shift from Unix operating System to Linux, an open source Operating System, which was more robust and feature rich.
- Business through Bancassurance started. Strategic Tie-up with Corporation Bank.

2003

- LIC (Lanka) Ltd inaugurated as a Joint Venture between LIC and Bartleet Group of Sri Lanka on 1st March.
- Bima School concept introduced.
- Rajgurunagar under Pune Division became the first Women Bima Gram on 8th March.
- Varishtha Pension Bima Yojana launched on 14th July.
- LIC's first ever Premium Payment Facility through ATM inaugurated in collaboration with Corporation Bank on 20th December.

2004

- Premium Payment through ECS and Kiosk started.
- SMS Service initiative launched.
- MOU signed for establishing a Joint Stock company in Saudi Arabia on 20th December. (SICCI)
- Vidyanet (an Online training Portal for Agents) launched.

2005

- LIC's First Satellite Sampark Office (later renamed as Satellite Office) inaugurated in Rajendra Nagar, New Delhi (Delhi DO-1), NZ on 2nd September.
- LIC and IndusInd Bank tie up for providing the first ever group insurance scheme to Account Holders of the Bank in October.
- LIC's Web Portal Inaugurated on 15th November.
- LIC's Golden Jubilee Exhibition, Jashn Zindagi Ka put up at National Centre for Performing Arts(NCPA), Mumbai from 4th Feb to 10th Feb.
- Launch of Enterprise Document Management System (EDMS) .
- Launch of Enterprise Portal Solutions to handle all e-business initiatives in years to come.
- Launch of Corporate Active Data Warehouse.

2006

- Inauguration of LIC's Data Centre at Ville Parle.
- LIC's Golden Jubilee Foundation established.
- LIC's Golden Jubilee Policy Bima Gold Launched.

2007

- LIC HFL Financial Services Ltd, wholly owned subsidiary of LIC HFL incorporated on 31st October

2008

- LIC Cards Services Ltd. incorporated as a wholly owned subsidiary of LIC
- Chief Life Insurance Advisor (CLIA) Channel started.
- Launch of LIC Pension Fund Ltd.
- LIC HFL Asset Management Company Ltd. (AMC) was incorporated on 14th February

2009

- Alternate Channels of premium payment started.
- New CRM initiatives like Relationship Renewal program, Help Desk, Exclusive CRE, Help Book started.
- LIC launched Credit Card 'LIC Card'.

2010

- On-line paperless underwriting, SMS Enquiry Service for proposal status

2011

- Integrated Complaint Management System (ICMS) launched.

2012

- Jeevan Akshay VI-first policy of LIC to be made available for online sale.
- Wholly owned subsidiary LIC (Singapore) Pte Ltd. incorporated

2013

- 'Launch of Operational Data Store, Customer & Merchant Portal
- Launch of Remote Audit.
- Launch of the Results Framework Document System for HRD/OD
- Automation of Employee Information Management.

2014

- Club Galaxy introduced for Agents

2015

- Launch of three social security schemes Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana(APY).
- Joint Venture LIC of Bangladesh Ltd started

2016

- LIC's eServices, compliant to IRDA regulations was launched on 1st February.
- One time Diamond Jubilee Special Reversionary bonus announced for policyholders whose policies were in force as on 01.09.2016.

2017

- Enterprise Risk Management (ERM) Concept launched
- Digitization of policy records for 29 Crore customers completed
- SMS based customer helpline started
- Premium payment through wallets, BHIM, UPI enabled.

2018

- LIC Training Centres (MDC, ZTCs) and CO OD/HRD awarded ISO9001:2015 Certificate and BIS accreditation approved
- LIC mobile app launched for Agents

2019

- IDBI bank acquisition.
- Agent recruitment app launched.
- Subsidiaries Department formed at Central Office

2020

- ANANDA - an acronym for Atma Nirbhar Agent NB Digital Application launched on 19th November which provides for Life Insurance Policy through a Paperless module with the help of Agent.
- Hindi Chatbot 'LIC Mitra' launched.

2021

- Launch of ANANDA Mobile App - 24th August
- LIC and The Department of Posts, GOI entered into an agreement for Print to Post Solutions - 27th September
- Deposit Collection Management Centre launched on 5th January.
- Dena Bank Building in Bandra Kurla Complex acquired.

2022

- First Indian Embedded Value Report as on 31.03.2022 presented
- Corporation's Shares Listed on Indian Stock Exchanges on 17.05.2022
- First Annual General Meeting of the Corporation held on 27.09.2022

2023

- Project DIVE Launched (Digital Innovation and Value Enhancement)

2024

- LIC ties up with IDFC FIRST Bank Ltd for BANCASSURANCE
- LIC announces Testing Centre of Excellence (TCoE) in Bhubaneswar
- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modiji launches LIC's BIMA SAKHI Yojana at Panipat
- LIC entered into agreement with CAMSREP for electronic issuance of policies (demat) being a major industry milestone.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER & MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE



Shri R Doraiswamy

It gives me great pleasure to present the annual report of Life Insurance Corporation of India for the financial year 2024–25, a year that truly brought out the strength of our people, our purpose, and our values. Together we navigated a demanding economic and regulatory environment by staying focused on what matters most: delivering real value to those who trust us. We sharpened our strategies, embraced innovation where it mattered, and remained grounded in our core strengths. What makes me most proud is that we, as a team remained committed to our responsibility to all our stakeholders. This year wasn't just about performance — it was about progress with purpose.

Geopolitical and economic dynamics

The global economy has displayed a remarkable resilience despite escalating geopolitical risks in the Middle East, Russia-Ukraine conflict and unprecedented monetary tightening. Against the backdrop of volatile global financial markets and unexpected climate setbacks, major central banks in advanced economies (AEs) have kept policy rates on hold to ensure the aligning of inflation with targets. As per IMF (International Monetary Fund) January 2025 report, global growth is projected to stay at 3.3 % both in 2025 and 2026.

When we come to the Indian context, going by the latest statistics released by MoSPI (Ministry of Statistics and Program Implementation) in February 2025, India is showing clear signs of strong economic growth momentum in the near-term as against the sluggish growth seen amongst global peers. Based on the figures of strong growth in manufacturing and servicing sector combined with the expectation of a normal monsoon, RBI has recently projected the real GDP growth for FY 2025-2026 as 6.7 per cent. International rating agencies like Asian Development Bank (ADB) have also raised India's GDP growth forecast for FY 2025-26 to 6.8 per cent earlier this year, driven by robust growth in consumer demand and an increase in public and private sector investment.

All these factors are expected to have a positive impact on the Indian Insurance Industry as well in the near future.

Indian Life Insurance Market – Untapped potential

India's expansive geography and diverse population offers one of the most promising growth frontiers for the life insurance industry. With a large segment of the population still underinsured or uninsured, the market remains significantly untapped. The combination of progressive regulatory reforms, a favorable demographic dividend, rising income levels, and targeted initiatives to enhance insurance awareness and inclusion is creating powerful tailwinds for the sector. These factors collectively signal not just potential — but inevitability — for life insurance to become an essential financial tool across all socio-economic segments. The future of life insurance in India is not only bright, it is transformative.

Our commitment to stakeholders

Unwavering customer focus

As a Domestic Systemically Important Insurer (D-SIIs) of the country, we continue to adopt multi-pronged strategies to leverage the market potential. We remain committed in adopting technology to enhance efficiency, customer experience, and operational agility. Our Digital Innovation and Value Enhancement (DIVE) project is in the right direction to enhance the customer experience and be future ready for adopting the next-generation technology platforms. We have launched our cutting-edge Marketing Technology (MarTech) platform, marking the first major milestone in project DIVE. The MarTech platform introduces an intelligent, multi-channel engagement capability, enabling us to run hyper-personalized, always-on campaigns that enhance customer experience and drive business growth.

We understand from the customer's perspective that digitization offers convenience, speed, and transparency, making it easier to access services anytime, anywhere. It also enables a more

personalized and seamless experience, enhancing trust and satisfaction throughout the customer journey. In addition to our extensive network of traditional offices, customers can conveniently access our services through a comprehensive suite of digital platforms, including the customer portal, mobile application, chat-bots, and WhatsApp. In line with our commitment towards 'Digital Transformation', we have launched the facility of Premium payment through WhatsApp bot for our customers.

In difficult times as witnessed in some parts of the country, we have taken it upon ourselves to give relaxation/s in our claim settlement procedure for the families of policy holders of the Wayanad tragedy in the state of Kerala, the Pahalgam terror attack, the Air India plane crash and other tragic incidents. We reiterate our commitment to our policyholders and will always be in the forefront supporting those affected during difficult times and will expedite claim settlement/s to provide financial relief.

Fostering a digitally empowered sales force

ANANDA (Atma Nirbhar Agents New Business Digital Application), a game changer in paper less customer on-boarding, has gained more traction during the year and we consistently encourage our agents for digital adoption. During the year we have completed 14,74,000 plus policies through this platform, initiated by 2,94,000 plus agents, which showcases a growth in share of policies completed digitally, which is 8.49% compared to 5.85% in the previous year. Jeevan Samarth, a comprehensive initiative aimed at empowering our Agent workforce, enhancing their capabilities meeting the needs of customers in a rapidly changing market is also in the right direction.

In continuation with the sustained efforts to empower our agency sales force and ensure seamless services to policyholders digitally, on a 24 x 7 basis, we have launched the 'One Man Office' (OMO) online service through our Agents. This aids our field force in their day to day operations, strengthens their efficiency and productivity and ensures better services to our customers.

Women Empowerment

As a step towards the goal of Vikshit Bharat, the Hon'ble Prime Minister of India has launched LIC's Bima Sakhi Yojana at Panipat, Haryana on 09.12.2024. This special agency scheme (Mahila Career Agent) exclusively for women will act as a supplement to various government initiatives for women empowerment and support the objective of Insurance for all. Our Bima Sakhi's will get an opportunity to provide social security to families by spreading the message of life insurance and at the same time becoming self-reliant. It is a matter of great pride to

share with you all that a total of 1,48,888 Bima Sakhi's were enrolled as at the end of the financial year.

Defining moment of excellence

I take immense pride in sharing with you that our collective efforts have translated into a remarkable feat by which Life Insurance Corporation of India achieved GUINNESS WORLD RECORDS title for the 'MOST LIFE INSURANCE POLICIES SOLD IN 24 HOURS'. On 20.01.2025, a total of 4,52,839 agents successfully completed and issued an astounding 5,88,107 life insurance policies across India. This monumental effort established a new global benchmark for agent productivity in the life insurance industry within a 24-hour period. It was a clear testament to how deeply our team believes in what we do — and how strongly we stand together to achieve it.

Business Performance and Strategy

It is a matter of great pride that during the year our New Business Premium Income from Individual business has touched an all-time high of Rs. 62,495 Crores, in the history of our organization. I feel truly proud and grateful to recognize that this success is a result of the collective effort, trust, and partnership of our stakeholders.

Sustained growth and advancement

Here we take a closer look at the standout moments of our business and financial journey this year—marked by progress, innovation, and strong results.

- ✓ Market share by number of policies and premium stood at 65.83% and 57.05% respectively.
- ✓ Total premium income was Rs.4,88,148 Crores with an increase of 2.75% over the previous year.
- ✓ Premium collected from Group Insurance business was Rs.1,69,112 Crores and from Individual Business was Rs. 3,19,036 Crores, an increase of 5.02%.
- ✓ Total AUM increased by 6.45% to Rs.54,52,297 Crores
- ✓ Solvency margin improved to 2.11 from 1.98.
- ✓ Indian Embedded Value (IEV) grew from Rs.7,27,344 Crores as at 31.03.2024 to 7,76,876 crores as at 31.03.2025, which is a 6.81% increase.
- ✓ Share of non-participating business in Annualized Premium Equivalent (APE) under individual category increased to 27.69% from 8.89% during the year 2023 and 18.32% in 2024.
- ✓ We have also registered a growth in our Net Value of New Business (VNB) which stands at Rs. 10,011 Crores compared to Rs. 9,583 Crores the previous year.

- ✓ Net VNB margin also increased to 17.6% from 16.8%.
- ✓ Our Profit for the FY increased to 48,151.17 crores with a growth of 18.37%.

Incidentally, our robust performance placed us ahead of all other Public Sector organizations during the fourth quarter in terms of Profit After Tax of 19,012.79 crores.

Product Portfolio – Strategy

Insurance industry regulator IRDAI has taken up many reforms during the year aiming at enhancing the sector's efficiency, transparency, and customer-centricity. New norms for surrender values was one of the major initiatives which necessitated us to re-align our product portfolio. Our ability to respond swiftly was clearly demonstrated by the launch of 19 revamped products on 30th September, 2024 and which were available for sale on 1st October 2024. As at the end of the year, our product basket contains 33 products under individual category alone of which 21 products are under Non-Par segment. Our approach is centered on understanding and fulfilling the unique needs of each customer segment we serve. Our customers will be able to find a solution to their insurance need from our product basket, be it Whole life, Endowment, Money-back, Term Insurance, Annuity, Unit Linked insurance or with some combinations. In addition, we also have 12 Group products and 6 riders. Hence, our whole portfolio consists of 51 products as at the end of the year.

Over the past year, we focused our efforts with clear intent towards increasing the share of business under Non-Par category, aligning it more closely with our long-term objectives. This shift reflects not just strategic thinking, but the collective commitment of the team to drive meaningful change. This was supported by strengthening our product portfolio with new Non-Par products based on feedback obtained from customers and our field force. As a result of these efforts, our share of Non-Par in individual category has reached 27.69% from 18.32% in the previous year.

Accolades

The market has given a resounding reception to all these efforts mentioned earlier. The financial year provided us with many feathers in our cap, some of which are encapsulated below:

- ✓ 1st LIC has emerged as the fastest-growing Indian brand, achieving a remarkable 36% growth
 - o **Brand Finance 2025**
- ✓ 1st Trusted Brand Award
 - o **Reader's Digest Trusted Brand, Sept 2024**
- ✓ 1st Most Preferred Brands 2024-25 (4th Edition) by Marksmen Daily in association with India Today
 - o **Marksmen Daily & India Today**

- ✓ 1st One of the Most Trusted Brands of India 2025-26
 - o **5th Edition Most Trusted Brands of India, India Today and Business Standard**
- ✓ 2nd Fortune 500 India -2024 Based on Total Revenue (Last Year 3rd Rank)
 - o **Fortune India**
- ✓ 3rd World's Top 10 Strongest Insurance Brands 2025
 - o **Brand Finance- Insurance 100 -2025**
- ✓ 4th Top 15 Indian Brands
 - o **Brand Finance 2025**
- ✓ 9th India's Most Valuable Companies
 - o **Business Today (BT500)**
- ✓ 10th Kantar Brandz- Most Valuable Indian Brands 2024
 - o **Kantar Brandz 2024**
- ✓ 12th World's Top 100 Most Valuable Insurance Brand (as against Last Year 2023-24 Ranking 18)
 - o **Brand Finance- Insurance 100 -2025**
- ✓ 177th Top 500 most valuable Global Brands (Last year 2023-24-222 Rank, current year - 2024-25)
 - o **Brand Finance 2025**

ESG (Environmental, Social, and Governance)

We remain steadfast in our commitment to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Our efforts continue to be guided by the belief that sustainable and responsible practices are essential for long-term value creation. By embedding ESG into our core strategy, we aim to drive positive impact for all stakeholders while contributing to a more inclusive and resilient future. As a responsible and socially committed organization, we have prepared an Environmental, Social and Governance (ESG) framework as a part of our journey to embrace and contribute towards sustainability in various aspects of our business and day to day activities.

Our collective efforts spanning across all layers of the organization, through our "Plant A Life(PAL)" initiative, for distribution and planting of saplings leveraged our wide network throughout the nation and has made an impact on environmental awareness and conservation.

Our digital-first approach significantly advances ESG objectives by promoting greater efficiency, transparency, and sustainability. The transition of our transaction volumes to digital platforms has delivered significant efficiencies and transformative impact across operations. We strongly believe that the advancement of the ANANDA digital onboarding platform, complemented

by initiatives like Project DIVE and Project HRMS (Human Resource Management System), will drive measurable progress toward our ESG commitments—fostering inclusion, reducing environmental impact, and reinforcing responsible governance across the ecosystem.

Road ahead

Whilst the insurance industry appears to be driven by technological advances, it is also felt that the fundamental aspects of insurance industry — Affordability, Accessibility and Trust — will remain the essential factors for any consumer to choose the right product and the right insurer suiting their need and goals.

As a commitment to progress, we intend to continue our efforts in strengthening our product basket with innovative and customer centric products that match these expectations. Our consistent

pursuit to enhance accessibility and service delivery through state-of-the-art technologies is poised to foster an environment that aligns seamlessly with evolving customer expectations.

I would like to express my sincere gratitude to all our Board members for their valuable guidance and insightful contributions. I also extend my heartfelt gratitude to all our stakeholders for their unwavering support and the trust they continue to place in us.



Warm Regards

Shri R Doraiswamy

Chief Executive Officer and Managing Director



BOARD OF DIRECTORS



SHRI R DORAISWAMY
Chief Executive Officer and
Managing Director

Shri R Doraiswamy (Doraiswamy Ramchandran) took over charge as CEO & MD of Life Insurance Corporation of India on July 14, 2025. Prior to taking charge as CEO & MD, he was the Managing Director of the Corporation.

He is a Direct Recruit Officer of 17th Batch with more than 39 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics. As Managing Director, Shri R. Doraiswamy headed Marketing through Bancassurance, Group Business, Customer relations, Finance, Compliance functions, et al. He has held various leadership positions within the Organization as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai-I, Thanjavur and Pune divisions.

He had spearheaded the modernization of IT infrastructure and Business Applications of LIC's Individual Business as Chief & Executive Director. He achieved tremendous growth and productivity improvement in the areas of Group Insurance Marketing in Southern Zone, during his stint as Regional Manager.

As Research Associate at National Insurance Academy, Pune he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management & Chartered Financial Planning.

Shri Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India.



DR. PARSHANT KUMAR GOYAL
Government Nominee Director

Dr. Parshant Kumar Goyal, IAS Tripura Cadre (Batch of 2007) presently on Central Deputation and working as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, dealing with Financial Inclusion (FI) and Insurance. During his tenure in the Department of Financial Services as Director he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC), Regional Rural Banks (RRBs) & Digital Payments.

Dr. Goyal is the Government Nominee Director on the Board of Canara Bank, New India Assurance Co. Ltd. and National Insurance Academy (NIA). Dr. Goyal is also a Part Time Member of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Member of the Council of Insurance Ombudsman and Member of the Council of Institute of Actuaries of India.

Dr. Goyal has done MBBS from Punjab University. He has a rich experience of working in Education and Industry & Commerce Departments in States of Punjab & Tripura.



SHRI SAT PAL BHANOO
Managing Director

Shri Sat Pal Bhanoo, Managing Director of the Corporation, brings with him more than three decades of rich and vast experience in life insurance Industry. He has worked across the length and breadth of the country in various streams, in varied capacities and positions.

Prior to becoming the Managing Director he was heading Central Zone, Bhopal, as a Zonal Manager. He has headed one of the biggest Divisions, Bangalore 1 as well as Shimla Division as Sr. Divisional Manager. He has been in the Zonal Office as Regional Manager, heading Micro Insurance Vertical and also as Regional Manager (Corporate Communications), Regional Manager (Personnel & Industrial Relations). He has headed the Marketing Vertical of Senior Business Associate as Chief and has also Additional Director at Zonal Training Centre, Bhopal.

Shri Sat Pal Bhanoo holds a Bachelor's Degree in History (Honors) from Himachal Pradesh University, Shimla.

**SHRI DINESH PANT**

Managing Director

Shri Dinesh Pant has been the Appointed Actuary and Executive Director (Actuarial) of the Life Insurance Corporation of India (LIC) prior to assuming the role of Managing Director, effective 1st June 2025. He is a Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK. Additionally, he holds degrees in Engineering and Law, along with a Master's in Business Administration.

Before his appointment as Appointed Actuary in 2017, Shri Pant gained nearly five years of experience as the Product Actuary and Actuary for International Operations at LIC. During this period, he led the overall product and actuarial strategy, aligning them with the Corporation's business framework.

Notably, he is among the few LIC officers who transitioned into the specialized field of actuarial functions after a successful tenure leading marketing operations at prominent branches in India and a reputed overseas life insurance operation. Earlier, after training by IIM-Ahmedabad in 2002, he joined LIC's Investment Research team, gaining extensive exposure across various Investment Operations, including debt, equity, restructuring, venture funds, and project finance, before finally leading the important Treasury Desk of the Corporation.

As Appointed Actuary, Shri Pant was part of the LIC's Key Management team and played a pivotal role in the successful planning and launch of LIC's mega IPO in 2022. He has been instrumental in steering LIC towards profitable and sustainable growth post-IPO, creating value for all stakeholders.

Earlier in his career, he had the distinction of heading the Life operations at Kenindia Assurance Company Ltd., Kenya, as the General Manager (Life), overseeing the marketing and overall operations of the life insurance business of this composite insurance company, for over five years. Since joining LIC in 1989 as a direct recruit officer, he had an extensive exposure in most of the operational areas followed by a short stint as one of the youngest Assistant Branch Manager (Sales) from his batch before being promoted to lead some of the most distinguished branches of LIC of India in Rajasthan and Delhi. He subsequently took over the role of Manager (New Business & Actuarial) and Legal before joining the Investment Research Cell at the Central Office.

Shri Pant has been a permanent special invitee to the Board of LIC since 2017 and has served on several sub-committees, such as the Investment Committee, Risk Management Committee, and With-Profit Committee. He advises top management and the Board on key functional areas, including products, valuation, and risk management practices and strategies.

A passionate advocate for education, Shri Pant has contributed to academia as a visiting faculty member at various institutes, including the National Insurance Academy. He has also developed course materials for insurance professional bodies. Furthermore, he has served on various committees of professional bodies and regulators, including the Health Committees of FICCI and the Pension Advisory Committee of PFRDA. He has chaired and been a member of numerous committees and sub-committees formed by IRDAI, focusing on areas such as product regulations, index-linked products, investments, and risk-based capital. With over 35 years of rich experience in key and specialized areas of insurance and finance, Shri Dinesh Pant continues to be a significant contributor to the industry.

**SHRI RATNAKAR PATNAIK**

Managing Director

Shri Ratnakar Patnaik started his career in Life Insurance Corporation of India in the year 1990 as Assistant Administrative Officer. During his long stint of 22 years in conventional marketing, he served the Corporation in various leadership positions such as Senior Divisional Manager (in-Charge) of Indore and Jamshedpur Divisions, Regional Manager (Chief Life Insurance Advisor), Eastern Zone. He has also served as Chief (Investment - Front Office), Executive Director (Investment - Front Office) & Chief Investment Officer (KMP).

A graduate in Physics (Honours) and a post graduate in Public Administration, he is also a Fellow of Insurance Institute of India and a Diploma holder in Health Insurance.



DR. RANJAN SHARMA

Independent Director

Dr. Ranjan Sharma holds a Master's degree in Arts from University of Allahabad, Uttar Pradesh. He has also pursued his Doctorate in Philosophy (Geography) from Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University in 2011.

Dr. Sharma, Professor of Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, Uttar Pradesh has been associated with the Institution since 1990.

Dr. Sharma has an experience of around 35 years in the field of academics and Corporate Governance.



SHRI VINOD KUMAR VERMA

Independent Director

Shri Vinod Kumar Verma holds a Bachelor's degree in Arts from Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh and is deeply involved in Business of Electronics Goods and has experience and knowledge in the fields of business, sales and marketing.



PROF. ANIL KUMAR

Independent Director

Prof. Anil Kumar is a Professor of Finance & Corporate Governance in the Department of Commerce, Delhi School of Economics (DSE), University of Delhi, and also serves as CEO of the University of Delhi Foundation.

An alumnus of Shri Ram College of Commerce (SRCC), DSE, and Harvard Business School, he holds a Ph.D. in Corporate Governance and brings over 37 years of academic and professional experience. Prof. Kumar has taught at Shri Ram College of Commerce for more than 31 years and has authored over ten books and numerous research papers in Corporate Governance and CSR. Prof. Kumar has presented several research papers at international forums and conducted various executive training programmes for senior government officials, corporate leaders, and Board of directors.

**SMT. ANJULY CHIB DUGGAL**

Independent Director

Smt. Anjuly Chib Duggal holds a MA degree in Arts from Punjab University. Smt. Duggal is a retired Indian Administrative Service officer from the Punjab cadre (batch of 1981). Previously, Smt Duggal has worked, amongst other positions and areas, as Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and as Secretary in the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

Smt. Duggal has also served as a Director on the Boards of Reserve Bank of India and State Bank of India.

**SHRI MAHALINGAM G**

Independent Director

Shri Mahalingam G (Gurumoorthy Mahalingam) has a professional career of four decades spanning across the financial sector regulators, Reserve Bank of India (RBI) and Securities & Exchange Board of India (SEBI). He has taken on varied roles in RBI encompassing financial market development, regulation and operations, foreign exchange reserves management, debt management and regulation and supervision of banks. He was the Chief Dealer and Executive Director (In-charge) of forex market interventions as well as management of forex reserves of the country and rupee liquidity policy and operations. In fulfilling his above responsibilities, he was instrumental in formulating regulatory policies and conduct of market operations of RBI during the global financial crisis, European debt crisis (2011-12) as well as the taper tantrum (2013-2016). He was closely involved in giving shape to foreign exchange policies and monetary policy implementation.

In his role as a Whole-time Board Member of SEBI, which carried Executive responsibilities as well, he has had a wide experience regulating Mutual Funds, Stock exchanges, Listed companies, foreign portfolio investors, corporate governance aspects, stock and derivatives markets, corporate bond market, amongst others. He has supervised the conduct of investigations and enforcement actions in regard to violations of securities laws and regulations. He was a quasi-judicial authority for a little over 500 cases involving market misdemeanors. In RBI and SEBI, he was associated with important committees in the area of forex markets, financial benchmarks, corporate bond markets, etc. He is currently chairing the SEBI Advisory Committees on Secondary Markets as well as Corporate bond market.

Shri Mahalingam began his career as a commercial banker with the State Bank of India after finishing his Masters in Statistics and Operations Research from IIT Kanpur. He is also an MBA in International Banking and Finance from the Birmingham Business School in the UK.

**SHRI RAJ KAMAL**

Independent Director

Shri Raj Kamal is an accomplished leader with nearly 30 years of track record of operating business, investing, civil service and strategy consulting across financial services and tech-enabled businesses. He started his career as an IAS officer where he played multiple roles including that of Collector & District Magistrate. Post the Civil services, he partnered with McKinsey & Company and also served as Global Head of investments at PayU (a Prosus company). He is currently Chief Executive Officer of Trans-Fi Inc (a company focused on cross-border payments). He is also on the Board of Trident Limited.



DR. V.S. PARTHASARATHY

Independent Director

Dr. V S Parthasarathy has over 37+ years of rich experience wherein he has successfully led businesses, functions, organization transformations and over 125 Merger & Acquisition (M&A) transactions.

He is a Chartered Accountant from ICAI, India and ICAEW, UK and an alumnus of Harvard Business School's Advance Management Programme (2011). He recently completed his PhD from Mumbai university.

He is on the board of several listed and unlisted companies. He is an Independent Director on NIIT MTS a Edutech Listed company and Pennar Industries. He is on the Boards of companies on path to being unicorn+ IPO like Cloudnine Hospitals, Car Dekho, Greencell Mobility, to mention a few. He also coaches and mentors Startups.

Dr. Parthasarathy started his career with Modi Xerox and rose to a position of Associate Director, serving across multiple positions and locations. In Mahindra Group, where he served more than two decades, his last role was as the President of Mobility Services Sector. Prior to that, he was the Group Chief Financial Officer (CFO) & Group Chief Information Officer (CIO) for seven years. Additionally, he has served as a member of the Mahindra Group Executive Board and been on the board of several listed companies.

He carries out several philanthropic activities for women's empowerment through education, employment and entrepreneurship initiatives of SEWA (Self Employed Women's Association) and is an Independent Director on two of its companies. He also works with the Computer Sikhsha on child computer literacy. Recently, he authored (with guides) a Book on M&A titled 'The Anatomy of M&A'.

He has received Lifetime Achievement Awards for his CFO and CIO roles, as also the Business World - Yes Bank Hall of Fame Award; Best CFO of India Award by IMA Corporate Excellence Awards; Digital Icon of India Award by HPE; and CIO 100 – Hall of Fame by CIO after winning the awards for four consecutive years.



**SHRI MUTHU RAJU PARAVASA
RAJU VIJAY KUMAR**

Independent Director

Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar (M. P. Vijay Kumar) is a Chartered Accountant, Cost Accountant and Company Secretary. He is presently Executive Director and Group Chief Financial Officer of Sify Technologies Limited, a company listed at Nasdaq. Shri Vijay Kumar is presently an Independent Director on the Boards of, amongst other Equity listed companies, Heritage Foods Limited and Wheels India Limited, High value debt listed company, ONGC Petro Additions Limited and is Chairman of unlisted company, Geojit Investments Limited. Shri Vijay Kumar is a lifetime fellow of the Institute of Directors, a member of the IFRS Interpretation Committee of International Accounting Standards Board (IASB) since 2021 and was a member of IFRS Advisory council of the IFRS Foundation for 6 years (2019-2024).

He has earlier worked as Head of Investment banking and Secretary of Sundaram Finance Limited for over 7 years and was a Chartered Accountant in practice for over 8 years. He has experience of more than 32 years in professional practice as well as industry and was Chairman, Accounting Standards Board of Institute of Chartered Accountants of India, also an Ex Officio member of National Financial Reporting Authority (NFRA) and Member of IFRS Advisory Council.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. PREAMBLE

The Life Insurance Corporation of India has pleasure in presenting its 68th Annual Report as per section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, Insurance Regulatory Development Authority of India (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and Regulation 34 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for the Financial Year ending 31.03.2025.

2. GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT

FY2025 was characterized by a wave of elections across the globe, leading to notable leadership changes in major economies, including the United States and several other countries. Adding to the uncertainty stemming from political transitions, ongoing geopolitical tensions particularly in the Middle East and the continued Russia-Ukraine conflict further contributed to global instability. In the early months of CY2025, the U.S. administration announced a series of tariff increases on imports from multiple countries. While the full impact of these tariffs on the global economy remains unclear, the overall effect is expected to be negative.

Amid these challenges, inflation rates in major economies began to decline, prompting central banks to reduce interest rates in an effort to stimulate growth as signs of economic slowdown became evident. As per IMF 04th April 2025 report, Global growth is projected to drop to 2.8 percent in 2025 and 3 percent in 2026. The swift escalation of trade tensions and extremely high levels of policy uncertainty are expected to have a significant impact on global economic activity. After the pandemic, the decisive and forceful monetary policy response brought inflation down to near central bank targets at relatively little cost to economic activity. The priority for central banks remains fine-tuning monetary policy stances to achieve their mandates and ensure price and financial stability in an environment with even more difficult trade-offs. Global headline inflation is expected to decline at a pace that is slightly slower than what was expected in January, reaching 4.3 percent in 2025 and 3.6 percent in 2026, with notable upward revisions for advanced economies and slight downward revisions for emerging market and developing economies in 2025.

3. MACRO - ECONOMIC ENVIRONMENT IN INDIA

Our business, financial health, results of operations and cash flows are significantly affected by macroeconomic conditions in India, where we conduct vast majority of business and generate substantially all of our income. While our business tends to benefit from increased consumer confidence in the overall economy and the life insurance sector in particular, adverse macroeconomic conditions in India may reduce demand for our products, increase the number of policy surrenders and withdrawals, reduce the returns from our investment activities and otherwise adversely affect our results of operations.

Key macroeconomic factors affecting the performance of the growing but under penetrated life insurance industry in India include India's population growth trajectory and favourable demographics, urbanisation, overall economic growth rates, household income growth rate and consumer attitudes towards financial savings.

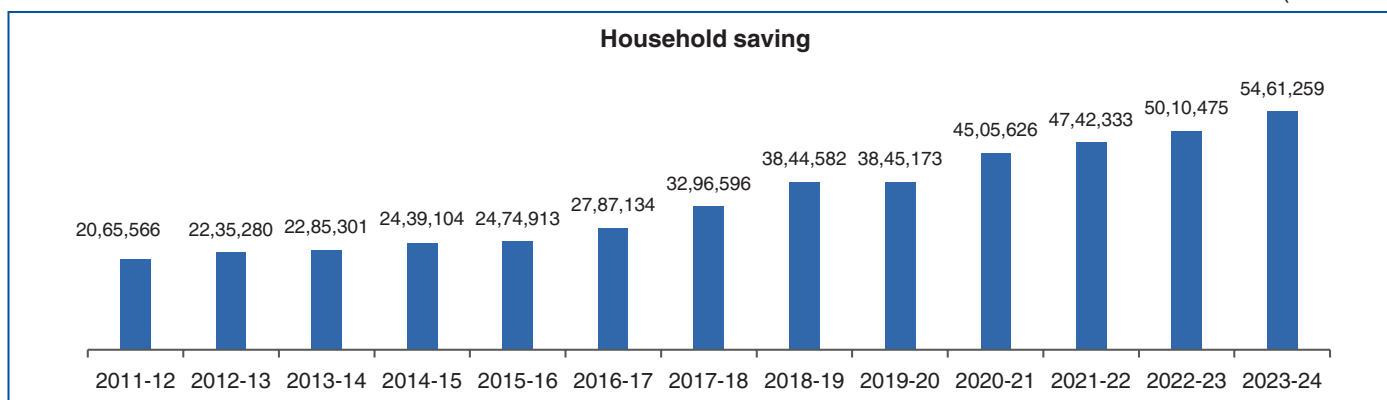
These factors affect the proportion of household savings invested in insurance products relative to other competing products ranging from physical assets such as real estates and gold, to financial saving instruments, such as bank deposits, provident and mutual funds. Macroeconomic conditions also affect the mix of investments across various asset classes.

The macro environment includes trends in the Gross Domestic Product (GDP), inflation, employment, spending and monetary and fiscal policy.

- (i) **GDP Growth Rate:** The rate of growth of Gross Domestic Product (GDP) directly impacts the insurance sector. A robust economy with higher GDP growth tends to drive demand for insurance products. Against this challenging global economic landscape, the Indian economy remained resilient, supported by robust macroeconomic fundamentals and proactive policy measures. Although real gross domestic product (GDP) growth moderated to 6.5 per cent in 2024-25, India remained the fastest growing large economy. Economic activity was bolstered by an improvement in consumption demand and net exports on the expenditure side and buoyant services sector and recovery in agricultural production on the supply side. According to RBI, India's GDP is projected to grow by 6.5% in FY2026.

- (ii) **Employment:** The latest Periodic Labour Force Survey (PLFS) data for April 2025 shows that India's unemployment rate stood at 5.1%, with a slight increase in rural areas. The Labour Force Participation Rate (LFPR) was 55.6%, with rural areas having a higher LFPR of 58.0% and urban areas at 50.7%. The WPR (the proportion of workers in the total population) was 52.8% overall. In rural areas, it was 55.4% and in urban areas, it was 47.4%. Unemployment Rate (UR) in Current Weekly Status (CWS) among persons of age 15 years and above was 5.1% in April, 2025. The male UR was a touch higher at 5.2% compared to the female UR of 5.0% at the country level. Worker Population Ratio (WPR) in CWS in rural areas among persons of age 15 years and above was 55.4%. WPR in urban areas among persons of the same age group was 47.4% with the overall WPR at the country level observed as 52.8% during April, 2025.
- (iii) **Disposable Income:** Disposable income refers to the amount of money individuals or households have for spending and saving after income taxes have been deducted. It is a key indicator of financial well-being and directly influences consumption patterns, savings behavior, and overall economic demand. Increases in disposable income typically leading to higher consumer spending, which can drive economic growth.
- (iv) **Household Savings:** The level of domestic household savings in a country affects the availability of funds for investment. Higher savings can lead to increased investments in insurance policies. According to data published for the fiscal year 2023–24, domestic savings within the Indian household sector witnessed a notable 9 percent increase in FY2024, an improvement over the 6% growth recorded in FY2023.

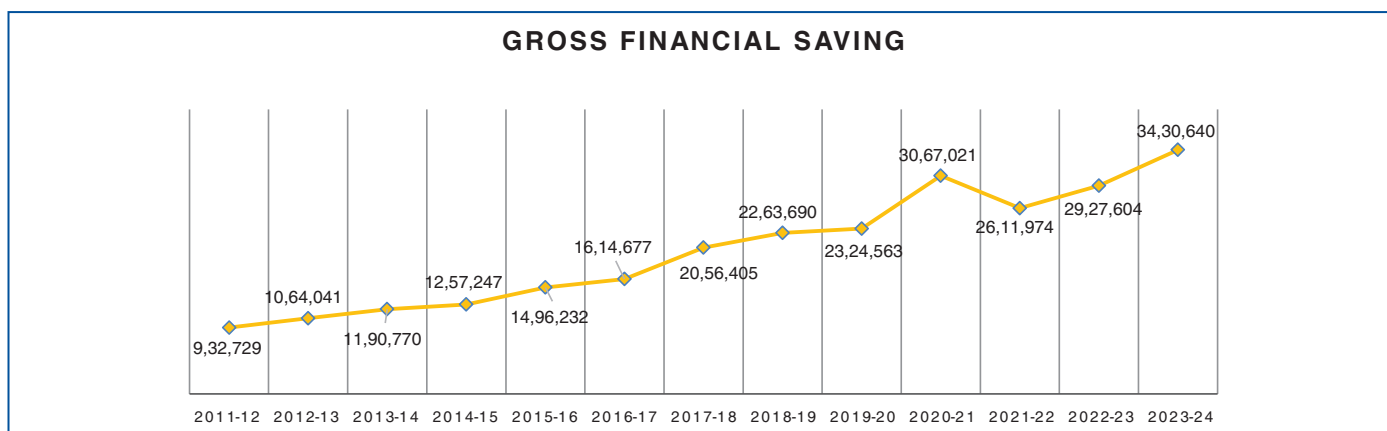
(₹ In crore)



Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)

- (v) **Household Financial Savings:** The financial well-being of households plays a crucial role in shaping their capacity to purchase insurance. When households have surplus savings, they are more likely to invest in life insurance. In FY 2024, India witnessed a modest recovery in household financial savings, gross financial savings as a share of total household savings rose to 62.8%, up from 58.43% the previous year. In 2024, life insurance made up 16.97% of people's financial savings in India. This was due to insurance products offering greater value to customers.

(₹ In crore)



Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)

- (vi) **Inflation:** According to International Monetary Fund (IMF), global economic growth has remained fairly moderate. The global economy grew by 3.3 per cent in 2023. The International Monetary Fund (IMF) has projected growth of 3.2 per cent and 3.3 per cent for 2024 and 2025, respectively. Over the next five years, global growth is expected to average around 3.2 per cent, which is modest by historical standards. While the overall global outlook remains steady, growth varies across different regions.

India's headline inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), has moderated in FY25 (April-December) compared to FY24. This decline is primarily due to a significant decrease in core inflation, which dropped by 0.9 percentage points between FY24 and FY25 (April-December). The sharp decline in core inflation was largely driven by core services inflation, which was lower than core goods inflation. A decrease in fuel price inflation has also contributed to the moderation in headline inflation, alleviating pressure on household budgets. In general, the decline in retail inflation can be attributed to a reduction in input prices, as reflected in wholesale price inflation, which was in the deflationary zone (-0.7 per cent) in FY24 and remained low in FY25 (April-December).

India's CPI inflation for FY25 is projected to be 4.8%, with a peak in Q3 due to seasonal factors, followed by a moderation in Q4. This outlook reflects a balanced approach to managing inflation and supporting economic growth.

- (vii) **Trade and Forex:** India's merchandise exports grew marginally by 0.1 per cent in 2024-25 as against a contraction of 3.1 per cent a year ago. On the other hand, merchandise imports grew by 6.2 per cent during this period as against a contraction of 5.3 per cent a year ago. Consequently, India's merchandise trade deficit widened to US\$ 282.8 billion during 2024-25 from US\$ 241.1 billion a year ago. Nonetheless, strong services exports and a steady flow in inward remittances cushioned India's Current Account Deficit (CAD) to remain within sustainable level at 1.3 per cent of GDP during April-December 2024 (1.1 per cent a year ago).

Net foreign direct investment (FDI) inflows stood at US\$ 0.4 billion during 2024-25, lower than US\$ 10.1 billion a year ago, and FPI recorded net inflows of US\$ 1.7 billion during 2024-25 (US\$ 41.6 billion a year ago).

- (viii) **Regulatory Changes:** The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has issued Regulations/ master circulars covering various areas like management expenses, protection of policyholders' interest, product flexibility, social sector rural obligations, corporate governance, Registration and Capital Structure of Insurers.

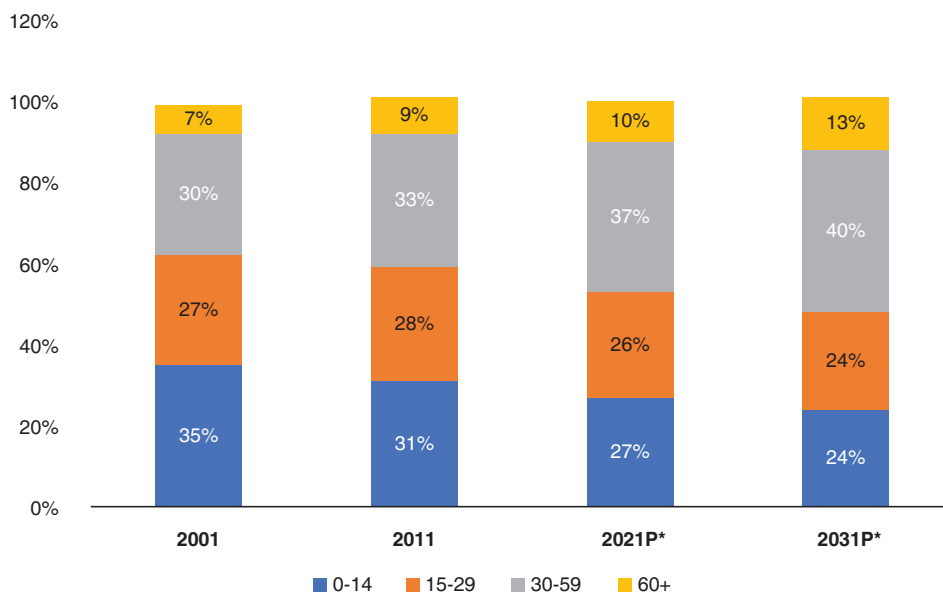
4. OUTLOOK ON THE LIFE INSURANCE INDUSTRY IN INDIA

The Indian insurance industry is poised for strong growth in 2025, driven by a robust economy, supportive government policies, and increasing awareness of financial protection. While the overall industry is expected to grow, the Indian life insurance market is expected to become the second-largest in Asia. The Indian life insurance market is projected to grow at 10.5% annually over the next decade, significantly higher than the global average of 5%, according to Allianz Global Insurance.

5. OPPORTUNITIES FOR INSURANCE INDUSTRY

- (i) **India has world's largest population:** As of 2025, India is the most populous country in the world, with an estimated population of approximately **1.46 billion people**. The world population is projected to reach 8.634 billion by 2031, with a yearly increase of 0.76%.
- (ii) **Favourable demographics:** As of year 2020, India has one of the largest young populations in the world, with a median age of 28 years. About 87% of Indians will still be below the age of 60 by calendar 2031. CRISIL Report forecasts that 64% of them will be between 15 and 59 years.

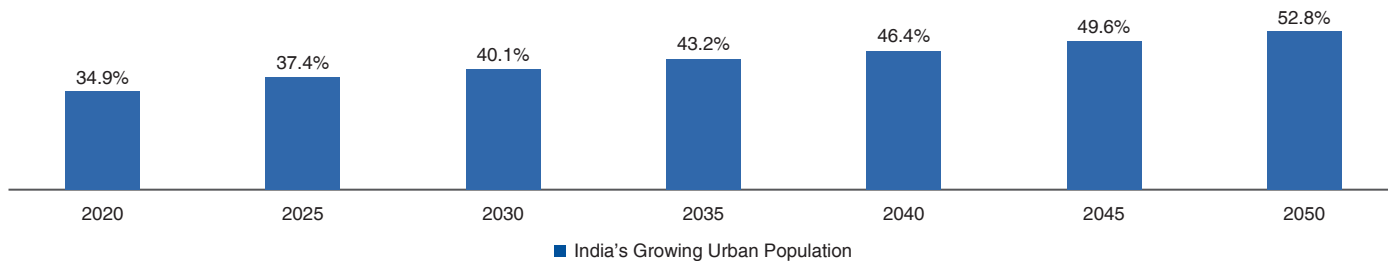
India's Demographic Dividend



Source: CRISIL Research report for LIC, Note: P: *Projected

Note: Figures may not add up to total due to rounding off

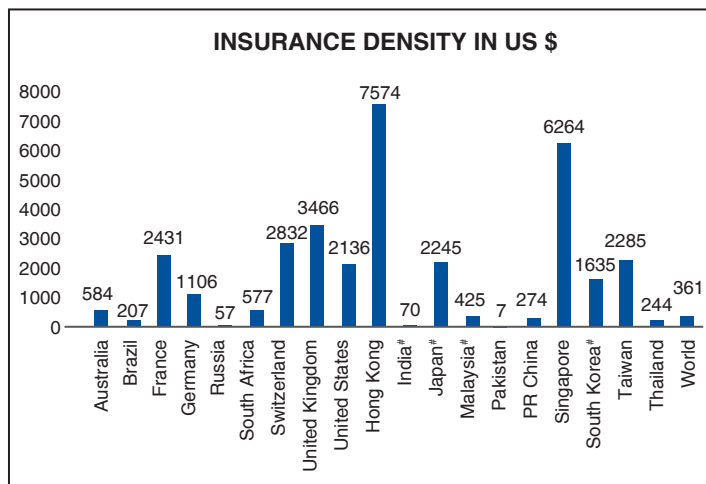
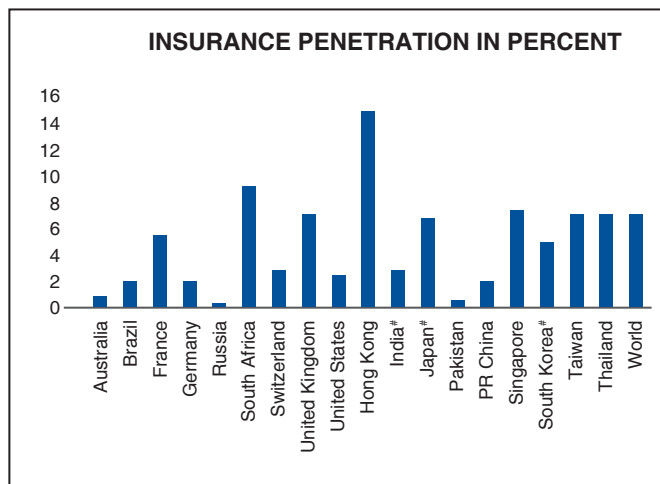
- (iii) **Urbanisation:** Urbanisation across the world has increased and similar trend has been observed in India, currently, close to 35% of the population live in urban areas and this is estimated to increase to 52.8% by 2050 as per World Urbanisation Prospects 2018. Urbanisation of India is one of the most important drive as it will drive substantial investments in infrastructure development, which, in turn, is expected to lead to job creation, development of modern consumer services and increased ability to mobilise savings. An increase in urbanisation has led to improvement in the style of living and awareness to secure financial stability through saving and investments.



Source: United Nations World Urbanisation Prospects, 2018

- (iv) **Low Life Insurance Penetration and insurance density in India:** Insurance penetration and density are two metrics, among others, often used to assess the level of development of insurance sector in a country. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance premiums to GDP, insurance density is calculated as the ratio of premium to population (per capita premium).

Despite the strong growth in life insurance in India over the years, indicators such as insurance penetration and insurance density indicate that India is still under-insured as compared to Advance Asia Pacific countries such as South Korea, Taiwan, Singapore and Japan etc.



Source: IRDAI Annual Report 2023-24-Insurance Penetration and density for the year 2023.

Data relates to F.Y., other data relates to calendar year.

P.S. : Insurance density is measured as ratio of premium (in US Dollar) to total population and Insurance penetration is measured as ratio of premium to GDP.

6. BUSINESS PERFORMANCE

A. New Business

(i) Individual New Business

During the financial year 2024-25, the Corporation under Individual New Business, has procured 1,77,82,975 Policies with a New Business Premium Income of ₹ 62,495 crore.

During the financial year 2024-25, 75.81 lakhs individual policies sold to millennial customers. The percentage of individual policies sold to millennial customers to total number of individual policies sold is 42.63%.

(ii) Individual New Business Sum Assured

Individual new business sum assured represents the total sum insured by us for mortality and morbidity risks on the Individual new business written in a given period. During the financial year 2024-25, the Corporation sold total New Business Sum Assured of ₹ 5,88,604 crore.

(iii) Rural Thrust

Sustained and conscious efforts are made to carry the message of Life Insurance to the rural areas, especially the backward and remote areas. As a result, there has been steady growth of New Business from these areas. The Individual New Business Premium from rural areas amounts to ₹ 32,753.96 crore representing 52.41% completed during the Financial Year 2024-25.

(iv) Individual Agent and POSP-LI (Conventional /Tied) Channel

During the Financial Year 2024-25, conventional channel garnered total ₹ 58,576.17 crore new business premium and 173.59 lakh policies. Share of the channel in Corporation's performance stood at 97.62% in policies and 93.73% in New Business Premium.

(v) Bancassurance and Alternate Channels (B&AC)

During the Financial Year 2024-25, B&AC channel has shown its best ever performance 3,496 Crs of FYPI, thereby registering an impressive growth of 58%.

The share of First year Premium Income to the Corporation's Business has increased from 3.83% to 5.60%.

During the year we have added to our partnership 10 Banks, 10 (Other) Corporate Agents, 51 Brokers and 60 IMFs.

The total Partnership Universe for the channel now stands at 95 banks, 88 (Other) Corporate agents, 301 Brokers and 162 IMFs.

Both Banks and Other Alternate Channels showed impressive growth in terms of Premium procurement over previous fiscal; Banks ₹ 2577 Crs. (₹ 1640 Crs.) showing growth of 57.10%, Other Alternate channels ₹ 919 Crs. (₹ 573 Crs.) showing growth of 60.43%. (Figures in brackets indicate Last Year Performance).

(vi) Micro Insurance

In the Financial year 2024-25, 8.99 lakh policies with NBP of ₹ 354.81 crore were sold.

(vii) Digital Marketing

The Digital Marketing Channel commenced its operations w.e.f. 1st June, 2021. The channel was envisaged to provide a digitally smart and technology driven platform requiring minimum human intervention. The entire system of onboarding of the customers right from proposal filling, pre-policy medical scheduling, Underwriting, payment mechanism and completion of the policy is online and paperless. The aim is to provide a seamless end-to-end buying experience to the customer, in tune with expectation of tech-savvy millennial.

During Financial Year 2024-25, the channel procured the following New Business:

Particulars	Number of Policies	First Premium Income (₹ in Cr)
Online Business	5,004	60.98
National Pension System (NPS) Fund Business	3,744	271.33

At present the channel offers 18 products for online purchase. Out of 18 products 4 are for Protection, 4 for Annuity, 4 for ULIP and 6 for savings.

(viii) Pension and Group Schemes New Business Premium

During the year 2024-25, the P&GS vertical completed 32,268 Schemes covering 4,61,63,553 lives with New Business Premium Income (NBPI) of ₹ 1,64,262 crore.

(ix) LIC's Mahila Career Agent Scheme (LIC's Bima Sakhi)

LIC had launched Mahila Career Agent Scheme (LIC's Bima Sakhi) on 09.12.2024. The scheme aims to provide employment opportunities to women and provides them financial independence and the advantage of working as per their convenience and time. This is a stipendiary agency scheme for 3 years with monthly stipend of ₹ 7000/- in First Year, ₹ 6000/- in Second Year and ₹ 5000/- in Third Year in addition to the commission payments. After 3 years, the agent will continue to work and earn commission and other benefits as per the rules. As at 31.03.2025, total 1,48,888 Bima Sakhis were recruited and they completed New Business of 4,71,120 policies with FPI of ₹ 604.57 Crores and stipend of ₹ 62.36 Crores was paid .Bima Sakhis Business % Share to Total Business for NOP was 2.65% and for FYPI was 1.02%.

B. AGENTS

(i) Agency Strength

The total number of Agents on our Roll is 14,86,851 as at 31.03.2025 as against 14,14,743 as on 31.03.2024, registering growth of 5.10%. During the Financial Year 2024-25, total 3,37,365 agents were recruited out of which 2,59,239 agents were in the age group of 18-40 years.

(ii) Agents' Club Membership

In order to motivate and recognize high and consistent performers amongst the agency force, various Clubs have been formed. The details of membership strength of the Clubs are furnished in the Table below:

MEMBERS OF VARIOUS AGENTS' CLUB

Name of Club	Membership Year 2024-25
Elite	48
Corporate	424
Galaxy	1,950
Chairman	44,500
Zonal Manager	34,932
Divisional Manager	49,883
Branch Manager	33,344
Distinguished Agents Club	13,066
Total	1,78,147

(iii) Career Agents Scheme

The Corporation has a scheme for Urban Career Agents and Rural Career Agents to promote the cause of professionalizing the Agency force. They are given stipends at the start of their career to enable them to settle down in the profession. As on 31st March 2025 there are 913 Urban Career Agents and 46,706 Rural Career Agents.

City Career Agents Scheme was introduced in 2010 to provide all Development Officers an opportunity to recruit stipendiary Agents. As on 31st March 2025 there are 12,694 City Career Agents.

(iv) Senior Business Associates

The SBA Scheme was introduced in the year 2009 to recognize high performing Development Officers and to empower them with certain financial and non-financial functions.

(v) LIC Associates Scheme

The LICA scheme was introduced from 01.04.2016 with an objective to introduce an innovative distribution channel and strengthening the distribution system by gainfully redeploying the valuable marketing talent of retired Development Officers and Senior Business Associates depending on their cost.

(vi) Chief Life Insurance Advisor

LIC introduced the Chief Life Insurance Advisor Scheme 2008 on 12.04.2008 with the objective of increasing the market presence by utilizing the capabilities of existing high performing agents for growth in Agency and New Business.

(vii) New Business Procured through SBAs, LICAs & CLIAs During 2024-25

Particulars	Number of Policies	First Year Premium Income (₹ in Cr)
SBA	40,46,331	13,280.46
LICA	10,87,981	4100.64
CLIA	30,68,266	10,218.89

7. ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

A. Income Statement Analysis

(i) Revenue Account (Policyholders Account)

The summary of Revenue Account of the Corporation for Financial year 2024-25 along with comparative analysis is as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
Net Premium Income	4,88,148	4,75,070	2.75
Income from Investments (Net)	3,92,623	3,63,944	7.88
Other Income	663	14,648	(95.47)
Contribution from Shareholders' A/c - Towards Excess EOM	2,642	13	
Total (A)	8,84,076	8,53,675	3.56
Net Commission	25,309	25,959	(2.50)
Operating Expenses	35,415	48,122	(26.41)
Provisions for doubtful debts (including bad debts written off)	(1,546)	(1,011)	52.92
Provisions for diminution in value of investments and Provision for doubtful Debt and Bonds	(627)	(1,908)	(67.15)
Goods & Service tax on linked charges	223	134	66.42
Provision for taxes	7,773	5,825	33.44
Benefits Paid (Net)	4,16,355	3,88,809	7.08
Change in actuarial liability	3,53,334	3,53,036	0.08
Total (B)	8,36,236	8,18,966	2.11
Surplus/Deficit (A-B)	47,840	34,709	37.83
Amount transferred from Shareholder's Account (Non Technical Account)	2,255	2,598	(13.20)
Amount available for appropriation	50,095	37,307	34.28
Appropriations			
a. Transferred to Shareholders A/c	49,507	40,022	23.70
b. Funds for Future Appropriations	588	(2,715)	121.66

a. Premium Income

The following table sets forth summary of premium income at segment level for the period indicated

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2024-25					Financial Year 2023-24					Growth %
	PAR	Non-Par	Linked	CRAC*	Total	PAR	Non-Par	Linked	CRAC	Total	
FY Premium	25,660	4,975	1,720	-	32,355	29,072	2,791	748	-	32,611	(0.78)
Single Premium	3,567	15,861	10,712	-	30,140	4,485	16,921	3,699	-	25,105	20.06
Total NBP	29,227	20,836	12,432	-	62,495	33,557	19,712	4,447	-	57,716	8.28
Renewal Premium	2,48,967	4,135	3,438	1	2,56,541	2,42,033	1,940	2,078	1	2,46,052	4.26
Total Premium (Individual)	2,78,194	24,971	15,870	1	3,19,036	2,75,590	21,652	6,525	1	3,03,768	5.03
P&GS Premium		-	1,69,112	-	1,69,112	-	1,71,300	2	-	1,71,302	(1.28)
Total Premium	2,78,194	1,94,083	15,870	1	4,88,148	2,75,590	1,92,952	6,527	1	4,75,070	2.75

(*CRAC-Capital Redemption & Annuity Certain)

Total premium increased by 2.75% from ₹ 4,75,070 crore in FY 2023-24 to ₹ 4,88,148 crore in FY 2024-25. Unit-Linked segment of Individual business had shown a strong growth by 143.14% from ₹ 6,527 crore in FY 2023-24 to ₹ 15,870 crore in FY 2024-25.

- b. **Investment Income:** Net Investment income increased by 7.88% from ₹ 3,63,944 crore in FY 2023-24 to ₹ 3,92,623 crore in FY 2024-25 which includes interest, dividends, and capital gains from investments made by LIC. The rental income from the Estate portfolio for the year 2024-25 is ₹ 630 crore, which is an increase of 12.72% over the rental income for the last year.
- c. **Other Income:** Other income decreased by 95.48% from ₹ 14,648 crore in FY 2023-24 to ₹ 663 crore in FY 2024-25, due to refund of income tax and interest thereon in FY 2023-24.
- d. **Revenue Analysis:** Total Revenue Income increased from ₹ 8,53,675 crore in FY 2023-24 to ₹ 8,84,076 crore in FY 2024-25 primarily on account of an increase in premium income, investment income and reduction in expenses.
- e. **Commission expenses:** The following table shows the comparative summary of commission expenses:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
First year commission	9,986.84	11,081.17	(9.88)
Single commission	760.47	783.33	(2.92)
Total	10,747.31	11,864.50	(9.41)
Renewal commission	14,561.45	14,094.62	3.31
Total Commission	25,308.76	25,959.12	(2.51)

Total commission decreased marginally by 2.51% from ₹ 25,959.12 crore in FY 2023-24 to ₹ 25,308.76 crore in FY 2024-25.

- f. **Operating Expenses related to insurance business:** The following table shows the comparative summary of operating expenses:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
Salaries and other benefits to employees	26,896	39,584	(32.05)
Other Expenses to Management	8,519	8,538	(0.22)
Total	35,415	48,122	(26.41)

Total operating expenses decreased by 26.41% from ₹ 48,122 crore in FY 2023-24 to ₹ 35,415 crore in FY 2024-25.

- g. **Benefits Paid:** This includes death benefits, maturity benefits, annuity payments, surrender, withdrawal, interim bonus paid and other claims to the Policyholders.

A summary of benefits paid is as under

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
Claims by Death	24,420	22,625	7.93
Claims by Maturity	2,37,313	2,08,136	14.02
Annuities	22,098	20,107	9.90
Surrenders etc			
Non linked (Indl)	42,426	40,198	5.54
Linked (Indl.)	3,308	2,393	38.24
P &GS(surrender)	2,885	2,604	10.79
Total Surrender	48,619	45,195	7.58
P&GS (Withdrawal)	82,287	88,631	(7.16)

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
Other Claim Cost (interest on unclaimed amounts) and others	(1,458)	1,255	
Interim Bonus Paid	3,076	2,860	7.55
Total Benefits Paid	4,16,355	3,88,809	7.08

Total benefits paid increased by 7.08% from ₹ 3,88,809 crore in FY 2023-24 to ₹ 4,16,355 crore in FY 2024-25. The increase was primarily on account of an increase in maturity and surrender claims from ₹ 2,08,136 crore and ₹ 45,195 crore in FY 2023-24 to ₹ 2,37,313 crore and ₹ 48,619 crore in FY 2024-25 respectively.

(ii) Profit and Loss Account (Shareholders Account)

The summary of Profit and Loss Account of the Corporation for Financial year 2024-25 along with comparative analysis is as follows: (₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
Transfer from Policyholders' Account	49,507	40,022	23.70
Total income under Shareholders' Account			
a. Investment Income	5,992	3,695	62.17
b. Other income	-	-	
Expenses other than those related to insurance business	642	246	160.98
Contribution to Policyholders' A/c	4,467.79	13	
Amount transferred to Policyholders' A/c	2,255	2,598	(13.20)
Provisions for doubtful debts (including write off)	-	-	
Provisions for diminution in value of investments & Others	(18)	72	(125.00)
Profit before tax	48,151	40,787	18.05
Provisions for tax	-	111	
Profit after tax and before Extraordinary Items	48,151	40,676	18.38
Extraordinary Items (Net of tax expenses)	-	-	
Profit after tax and Extraordinary Items	48,151	40,676	18.38

Profit After Tax:

- Profit after Tax (PAT) for the year ended 31st March, 2025 is ₹ 48,151 crore as compared to ₹ 40,676 crore for the year ended 31st March, 2024.

B. Financial Snapshot - Balance Sheet: The summary of Balance Sheet of the Corporation for Financial year 2024-25 along with comparative analysis is as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
SOURCES OF FUNDS			
SHAREHOLDERS' FUNDS:			
Share Capital	6,325	6,325	0
Reserves and Surplus	1,20,096	75,740	58.56
Fair Value Change Account	(233)	(127)	
POLICYHOLDERS' FUNDS:			
Fair Value Change Account	6,47,540	6,92,682	(6.52)
Hedge Fluctuation Reserve	11	0	

Particulars	Financial Year 2024-25	Financial Year 2023-24	Growth %
Policy Liabilities	47,35,580	43,95,325	7.74
Funds for Discontinued Policies			
(i) Discontinued on Account of non-payment of premiums	791	394	100.76
(ii) Others	14	14	0
Insurance Reserves	15,670	15,594	0.49
Provision for Linked Liabilities	47,533	34,876	36.29
Sub-Total	54,47,139	51,38,885	6.00
Fund for Future Appropriations	1,828	1,215	50.45
TOTAL	55,75,155	5,222,038	6.76
APPLICATION OF FUNDS			
Investment-Shareholders'	1,04,026	63,744	63.19
Investments-Policyholders'	51,36,279	48,76,512	5.33
Assets held to cover Linked Liabilities	48,312	35,258	37.02
Loans	1,27,480	1,20,258	6.01
Fixed Assets	4,461	4,057	9.96
NET CURRENT ASSETS	1,54,597	1,22,209	26.50
TOTAL	55,75,155	52,22,038	6.76

- i) **Reserve and Surplus:** Reserve and Surplus (Shareholders' fund) as at 31st March, 2025 increased to ₹ 1,20,096 crore from ₹ 75,740 crore as at 31st March, 2024. The increase of 58.56% is primarily due to increase in profit after tax.
- ii) **Fair Value Change Account:** Fair Value Change Account (Policyholders' fund) decreased from ₹ 6,92,682 crore as at 31st March, 2024 to ₹ 6,47,540 crore as at 31st March, 2025. The decrease of 6.52% is primarily due to mark to market movement in share prices during the current financial year.
- iii) **Policy Liabilities:** Policy liabilities increased from ₹ 43,95,325 crore as at 31st March, 2024 to ₹ 47,35,580 crore as at 31st March, 2025. Policyholders' liability depends upon the business profile and assumptions made about future mortality/morbidity, interest, expenses etc., at each point of time. The change in business profile happens due to policies exiting and policies entering mainly due to new business and existing policies getting closure to maturity.
- iv) **Provision for Linked Liabilities:** Provision for linked liabilities (Policyholders' fund) increased from ₹ 34,876 crore as at 31st March, 2024 to ₹ 47,533 crore as at 31st March, 2025. The Policyholders Linked Liabilities represents the unit liability in respect of Linked business and has been considered as the value of the units standing to the credit of the policyholders, using the Net Assets Value (NAV) as on valuation date.
- v) **Investments:** The Corporation holds a significant portion of their assets in investments such as government securities, debentures, corporate bonds, mutual funds, equities etc. The summary of investments as at 31st March, 2025 along with comparative figures are as follows:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Investments		
a. Shareholders'	1,04,026	63,744
b. Policyholders'	51,36,279	48,76,512
Assets held to cover linked liabilities	48,312	35,258
Total Investments	52,88,617	49,75,514

Total investment grew by ₹ 3,13,103 crore from ₹ 49,75,514 crore as at 31st March, 2024 to ₹ 52,88,617 crore as at 31st March, 2025. Total Equity Investment portfolio constitute ₹ 13,43,109 crore and others ₹ 39,45,508 crore as at 31st March, 2025. For detailed category wise breakup of investments, refer Schedule 8, 8A and 8B of Financial Statements. Increase in policyholders' investment portfolio is attributable to increase in premium and investment income offset by net outgo due to operating expenses and claims.

The yield on investments (on shareholders' fund) for the financial year 2024-25, without unrealised gains is 6.93% and yield on investments (on Policyholders' fund) for the financial year 2024-25, without unrealised gains is 8.65%.

- vi) **Fixed Assets:** Fixed Assets (net of depreciation) have increased from ₹ 4,057 crore as at 31st March, 2024 to ₹ 4,461 crore as at 31st March, 2025.
- vii) **Net Current Assets:** Net Current Assets have increased by 26.50% from ₹ 1,22,209 crore as at 31st March, 2024 to ₹ 1,54,597 crore as at 31st March, 2025.

C. Cash flow statement

The following table set forth, for the period indicated, a summary of the cash flows:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Net cash generated from/(used in) operating Activities	(6,180)	28,911
Net cash generated from/(used in) investing Activities	37,514	(28,129)
Net cash generated from/(used in) financing Activities	(3,794)	(4,427)
Cash and cash equivalent at the end of period	62,324	34,712

(i) Operating Activities

Net cash flow from operating activities is (₹ 6180 crore) in FY2025 as against ₹ 28,911 crore in FY2024 primarily on account of increase in policy benefits payments and arrears payment.

(ii) Investing Activities

Net cash flow generated from investing activities is ₹ 37,514 crore in FY2025 as against (₹ 28,129 crore) in FY2024 primarily on account of an increase in sale of investment from ₹ 2,55,319 crore in FY2024 to ₹ 3,04,015 crore in FY2025 and increase in rent/interest/dividend received from ₹ 2,91,778 crore in FY2024 to ₹ 3,13,556 crore in FY2025 offset in part by purchase of investments etc.

(iii) Financing Activities

Net cash flow from financing activities is (₹ 3,794 crore) in FY2025 as against (₹ 4427 crore) in FY2024 primarily on account of an increase in interest/dividends paid.

D. Disclosure of Accounting Policies

Please refer Schedule 15A of Standalone Financial Statements in this Annual Report from Page No. 417 to 431.

E. Segment-wise Performance

Segment-wise Performance is available in the Financial Statements, which forms a part of this Annual Report.

8. KEY PERFORMANCE INDICATORS

Following are the key parameters on which performance of the Corporation can be measured

- (i) **Market Share:** Life Insurance Corporation (LIC) of India has historically held a dominant position in the Indian life insurance market. With its extensive network and over six decades long presence, LIC has maintained a substantial market share, i.e. 57.05% of the total life insurance business in the country as at 31st March 2025 by Total First Year Premium Income. In term of Individual First Year Premium Income, LIC market share is 37.46 per cent. P&GS Market Share in FYPI is 71.19 per cent. While in policies LIC overall market share is 65.83 per cent. This significant market share underscores LIC's widespread reach, brand recognition and the trust it commands among Indian consumers.

While LIC faces increasing competition from private insurers, its market dominance remains resilient, supported by its wide range of insurance products, strong distribution network and government backing. However, ongoing market dynamics and regulatory changes may influence LIC's market share over time, necessitating continuous strategic adaptation to maintain its competitive edge.

(ii) **Product Mix:** LIC offers a diverse portfolio of life insurance products catering to varied customer needs and preferences. Its product mix includes traditional endowment plans, whole life plan, term insurance plans, pension plans, unit-linked insurance plans (ULIPs) and micro insurance products. Traditional plans, such as whole life and money back plans have been the cornerstone of LIC's product offerings, providing long-term savings and protection benefits to policyholders. In recent years, LIC has also introduced innovative products tailored to evolving market demands, such as unit-linked plans with investment options and whole life insurance plans with comprehensive coverage. This balanced product mix allows LIC to appeal to a broad customer base, ranging from individuals seeking basic life coverage to those interested in investment-linked insurance solutions. Continuous product innovation, coupled with effective marketing strategies, enables LIC to maintain its leadership position and adapt to changing consumer preferences and market trends.

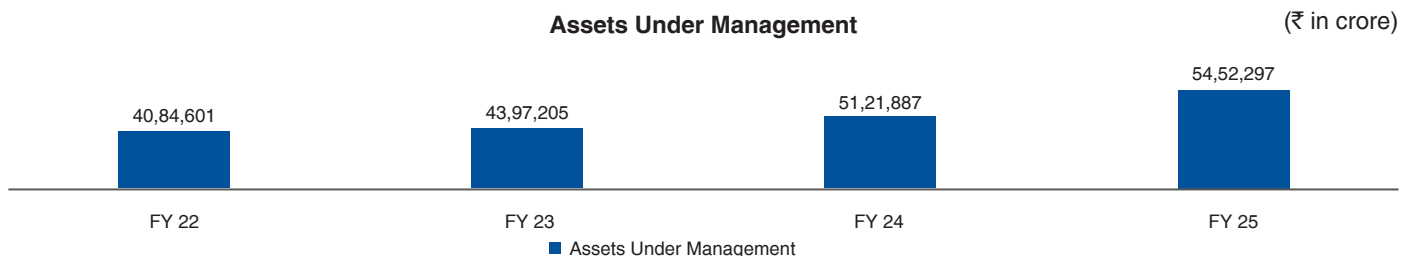
(iii) **Distribution Mix:** LIC's extensive distribution network is one of its key strengths, facilitating widespread accessibility and customer outreach across urban and rural areas in India. The company operates through a multi-channel distribution framework encompassing agents, bancassurance partnerships and digital platforms.

LIC's extensive network of agents, often referred to as insurance advisors, plays a pivotal role in reaching out to customers, educating them about insurance products, and facilitating policy sales and servicing. Bancassurance tie-ups with leading banks, Corporate Agents, Brokers and IMF's further expand LIC's distribution reach, enabling it to leverage the existing customer base of partner organizations.

In addition to traditional channels, LIC has embraced digitalization to enhance customer engagement and streamline distribution processes. The company offers online platforms and mobile applications for policy purchase, premium payments, claims processing, and customer service, catering to tech-savvy consumers and millennials.

By leveraging a diverse distribution mix, LIC effectively addresses the varying needs and preferences of its customer segments while ensuring widespread market penetration and customer satisfaction.

(iv) **Assets Under Management (AUM):** The Corporation's consolidated AUM increased by 6.45% from ₹ 51,21,887 crore as at 31st March 2024 to ₹ 54,52,297 crore as on 31st March 2025.



(v) **Expenses of Management Ratio**

The Corporation continuously focuses on reduction in operating expenses. Total Expenses of Management Ratio decreased from 15.57% in FY 2024 to 12.42% in FY 2025.

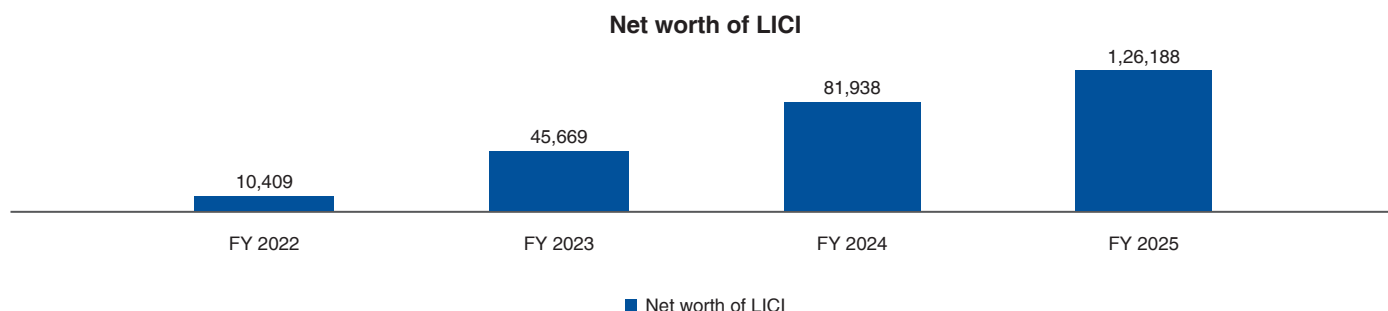
(vi) **Commission Ratio**

The Corporation Commission Ratio marginally decreased from 5.46% in FY 2024 to 5.18% in FY 2025.

(vii) **Profitability:** Profit after tax (PAT) increased from ₹ 40,676 crore in FY 2024 to ₹ 48,151 crore in FY 2025 primarily due to increase in surplus from non-participating segment (transfer of amount pertaining to the accretion on the available solvency margin from non-participating account to Shareholders account). Please refer Note No. 24 of Schedule 15 (A) of Significant Accounting Policies forming part of Standalone Financial Statement.

(viii) **Net Worth:** During the Financial Year 2024-25, the net worth has increased by 54% from ₹ 81,938 crore as at 31st March, 2024 to ₹ 1,26,188 crore as at 31st March, 2025. The net worth of LIC is consistently increasing. The increase in net worth is on account of increased reserves.

(₹ in crore)



Profitability and net worth are key indicators of the financial health and stability of Life Insurance Corporation (LIC) of India.

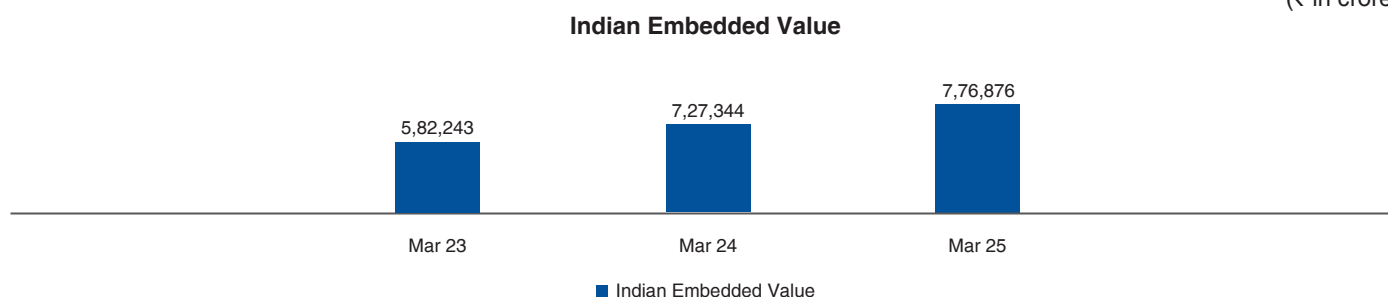
- (ix) **Earnings Per Share (EPS)** EPS reflects the company's profitability on a per-share basis. Basic and diluted EPS has increased from ₹ 64.31 as at 31st March, 2024 to ₹ 76.13 as at 31st March, 2025.
- (x) **Solvency:** Solvency ratio is a regulatory measure of capital adequacy for Indian Insurance companies and is calculated by dividing an insurer's available solvency margin by its required solvency margin, each as calculated in accordance with IRDAI guidelines. The minimum Solvency Ratio required to be maintained is the control limit of 1.50 as set by the IRDAI. The Corporation Solvency Ratio (within India business) increased from 1.98 as at 31st March, 2024 to 2.11 as at 31st March, 2025.
- (xi) **Persistency:** Persistency Ratio measures the percentage of the issued business that remains in force and premium paying after a certain period of time. Maintaining a high level of persistency is important for our results of operations, as a large block of in-force policies provides us with regular revenue in the form of regular premiums.

Individual Products	13 th Month	25 th Month	37 th Month	49 th Month	61 th Month
On number of policies basis					
FY 2024 (in %)	66.99	57.47	52.50	53.23	48.59
FY 2025 (in %)	64.12	59.32	52.66	48.79	50.31
On premium basis					
FY 2024 (in %)	77.66	71.00	65.47	66.31	60.88
FY 2025 (in %)	74.84	70.99	66.11	61.51	63.12

- (xii) **Annualized Premium Equivalent (APE):** The Corporation total APE in FY 2025 was 56,828 Crore. This was 56,970 Crore in FY 2024. Individual Non PAR APE has increased by 50.28% from 7041 in FY 2024 to 10581 in FY 2025.
- (xiii) **Value of New Business (VoNB) and VoNB Margin:** VoNB is an important metric of profitability as it reflects the additional value generated through the activity of writing new policies during any given period. VoNB margin is the ratio of VNB to APE for the relevant period and is a measure of expected profitability of new business in percentage terms.
- For FY 2025, the Corporation's VoNB and VoNB margins were 10,011 crore and 17.6% respectively as against 9,583 crore and 16.8% respectively of FY 2024.

- (xiv) **Indian Embedded Value (IEV):** IEV increased by 6.81% from 7,27,344 crore in FY 2024 to 7,76,876 crore in FY 2025.

(₹ in crore)



9. SOFTWARE DEVELOPMENT

LIC has upgraded its IT infrastructure with enhanced network bandwidth, hardware, and security systems including Next Generation Firewalls, Multi-Factor Authentication, and Advanced Persistent Threat solutions to ensure robust cyber defense. Continuous assessments ensure compliance with regulatory standards, while private clouds and asset management tools optimize resource use.

The e-FEAP Next core insurance application was modernized to support paperless workflows, automated testing, real-time data integration, and robotic process automation, improving operational efficiency.

Online sales were boosted by the ANANDA platform enhancements, enabling streamlined KYC, digital consent, and seamless payment processes.

Digital payments surged with over 77% of renewal premiums collected through omnichannel platforms, supported by partnerships with major digital payment providers.

Enterprise Document Management System (EDMS) supports extensive document archival and integration with multiple LIC systems.

The Customer Portal and LIC Digital App enhanced security with biometric login, masked data, and self-service features, increasing user engagement significantly. Merchant and agent portals were upgraded for improved digital transactions, security, and operational ease, including QR code-based collections and grievance redressal.

AI-powered chatbots like LIC Mitra 2.0 provide multilingual customer support, while apps like PRAGATI and PRATIDHI assist sales and marketing teams with real-time insights and training resources.

Overall, these initiatives strengthen LIC's digital ecosystem, improve customer experience, and boost operational efficiency.

Major initiatives undertaken:

1. Core Business Application
2. LIC Customer Portal and "LIC Digital" Mobile App
3. Seamless Integration with Government Platforms
4. AI/ML, WhatsApp Business and Communication Solutions
5. Seamless Customer On-boarding
6. Modernizing Payment/Receipts
7. Digital Transformation

For detailed information on these initiatives, please refer Page No. 206 to 208 of Annual Report.

10. HUMAN RESOURCES:

a) Staff Strength

The number of employees of the Corporation as on 31.03.2025 is 91,606 as against 98,661 at the end of the previous financial year.

b) Empowerment of Women

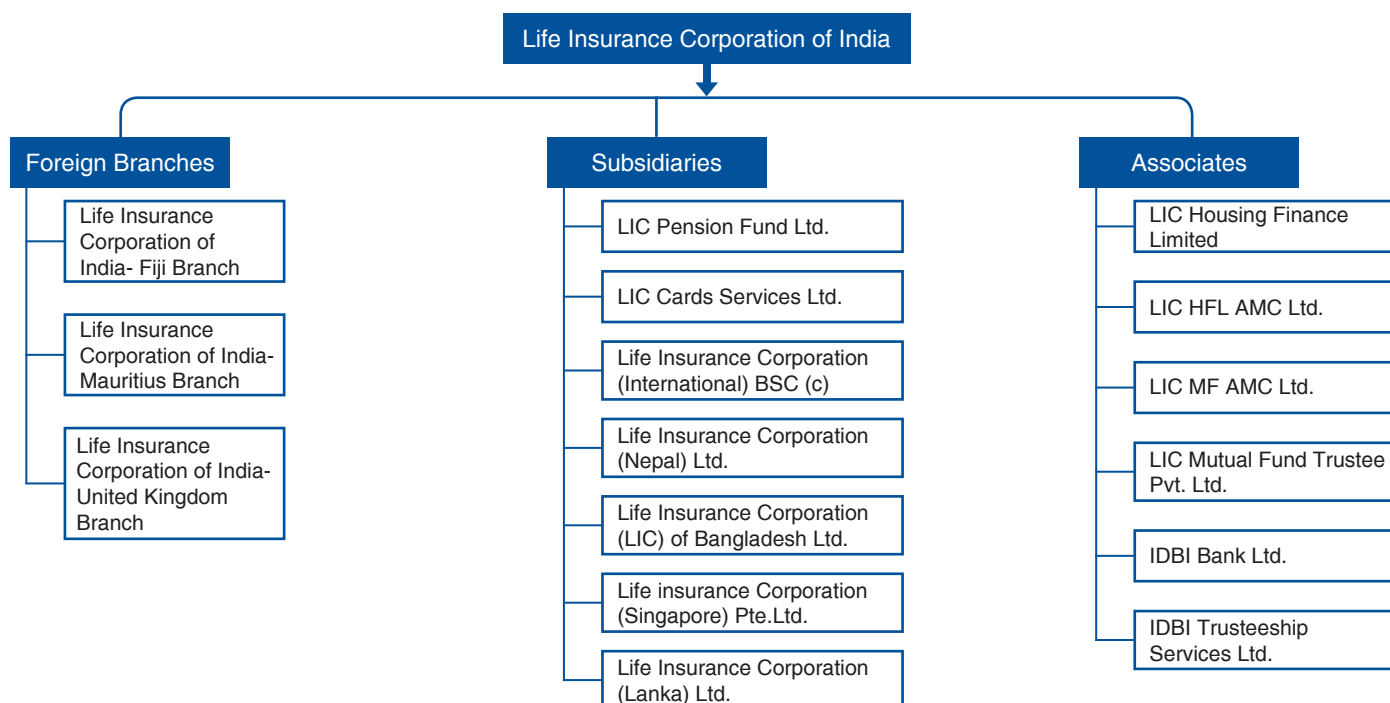
23.87% of the workplace consist of women employees in different cadres. Our Central Office and all Zonal Offices and Divisional Offices have Internal Complaints Committee to deal with the complaints regarding sexual harassment at workplace and all such committees are functioning effectively.

The Corporation is mindful of its responsibilities towards the weaker sections and adheres to all government Guidelines on reservation to Scheduled Caste/Scheduled Tribes and Other Backward Classes, persons with disabilities as well as Ex-Servicemen, Economically Weaker Sections.

11. LIC GOLDEN JUBILEE FOUNDATION

LIC Golden Jubilee Foundation was established in the year 2006, to give a formal shape to LIC's Community Development initiatives. The objective of the foundation are relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other object of General Public Utility. For further detailed information, please refer Point No.14 of Board's Report on Page No. 213.

12. LIC GROUP STRUCTURE



13. PERFORMANCE OF INDIAN SUBSIDIARIES, ASSOCIATES & EQUITY PARTICIPATION

Life Insurance Corporation of India has the following Subsidiaries and Associate Companies operating in India:

A. LIC HOUSING FINANCE LIMITED (Associate- LIC's stake: 45.24%)

LIC Housing Finance Ltd. was incorporated in 1989. The Company provides long term housing finance to individuals and finance to builders and developers. It has its Corporate Office in Mumbai and 9 Regional Offices, 23 Back Offices, 307 Marketing Offices and 1 Customer Service Point in the country and a representative office in Dubai. The Company's shares are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. The Company is rated 'AAA Stable' by CRISIL & CARE.

Total Assets of the Company is ₹ 3,13,927 crore as at 31.03.2025. Loan disbursement for the year 2024-25 is ₹ 64,022 crore. Outstanding loan portfolio as at 31.03.2025 is ₹ 3,07,732 crore. Total Income for FY 2024-25 is ₹ 28,056.22 crore and PAT as at 31.03.2025 is ₹ 5429.02 crore.

B. LICHL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (Associate-LIC's stake: 5.38%)

LICHL Asset Management Company Limited was incorporated in 2008. LICHL Asset Management Co Ltd manages Alternative Investment Fund (AIF) / Venture Capital Fund (VCF) as Investment Manager.

Total income for FY 2024-25 is ₹ 19.45 crore and PAT is ₹ 8.72 crore.

C. LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED (Associate-LIC's stake: 44.61%)

LIC Mutual Fund (the "Mutual Fund") has been constituted as a trust on 20.04.1989, with LIC of India as the Sponsor, LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd. as the Trustee and LIC Mutual Fund Asset Management Ltd as the Investment Manager to LIC Mutual Fund. With a network of 193 Investor service centers, 44 Area Offices and 242 Sales Team members, LIC MF is present in around 220 locations spread over length and breadth of the country.

In FY 2024-25, the Company launched two new funds - 'LICMF Manufacturing Fund' and 'LICMF Multi Asset Allocation Fund'. As of 31st March 2025, LIC Mutual Fund has been managing 41 schemes. During the year 2024-25, the AMC has mobilized gross sales of ₹ 1,59,521 crore from all live schemes. The total number of investors on 31.03.2025 stood at 8,24,834. The average Assets under Management (AAUM) was ₹ 36,476 crore for the last quarter of 2024-25 and it ranked 23rd in terms of AAUM in the Industry. Total income for FY 2024-25 was ₹ 106.29 crore and PAT as at 31.03.2025 was ₹ 8.53 crore.

D. LIC MUTUAL FUND TRUSTEE PRIVATE LIMITED (Associate–LIC's stake: 49.00%)

LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd. is the Appointed Trustee (corporate entity) and holds the fiduciary responsibility of LIC Mutual Fund. It functions as the Trustee Company to LIC Mutual Fund.

Total income for the year ended 31.03.2025 is ₹ 0.53 crore and PAT as at 31.03.2025 is ₹ 0.22 crore.

E. LIC PENSION FUND LIMITED (Wholly owned subsidiary of LIC)

LIC Pension Fund Limited was incorporated in 2007 under the Companies Act, 1956 by Life Insurance Corporation of India, and has its Corporate Office in Mumbai. It acts as a Fund Manager for managing the funds received from NPS Trust.

In FY 2024-25, the Company obtained POP license for marketing NPS, which will help in increasing the subscriber base. They have also got approval for managing the new Unified Pension Fund, which will further strength the AUM of the Company.

The total Assets under Management (AUM) was ₹ 3,82,441 crore as on 31st March 2025. Total income for FY 2024-25 is ₹ 157.49 crore and PAT as at 31.03.2025 is ₹ 63.29 crore.

F. LIC CARDS SERVICES LIMITED (Wholly owned subsidiary of LIC)

LIC Cards Services Ltd., (LIC CSL) was incorporated on 11th November 2008. The Company has its Corporate Office in Delhi and 13 Area Offices in different locations across the country. LIC CSL is in the business of Marketing and Distribution of Co-branded Credit Cards in partnership with Axis Bank, IDFC First Bank, and IDBI Bank and Co-branded Gift Cards in partnership with Axis Bank and IDBI Bank. The Company has also entered into an Agreement with M/s Pluxee India Private Limited (formerly Sodexo SVC India Private Limited) for issuing Meal Cards to employees of LIC.

Total Number of cards sold for the FY 2024-25 is 70,648 and No. of Outstanding cards as on 31.03.2025 is 6,28,650. Total income for FY 2024-25 is ₹ 30.90 crore and PAT as at 31.03.2025 is ₹ 5.44 crore.

G. IDBI BANK LIMITED (Associate–LIC's stake: 49.24%)

Acquired as a Subsidiary in January 2019, the Bank became our Associate Company in December 2020. Headquartered in Mumbai, the Bank has a pan-India presence of over 2,100 branches and 3,100 ATMs. IDBI Bank is a full-service universal bank. The Bank is the largest Bancassurance partner of LIC.

Deposits as at 31.03.2025 is ₹ 3,10,293 crore and Advances is ₹ 2,18,399 crore. Total income for FY 2024-25 is ₹ 33,826 crore and PAT as at 31.03.2025 is ₹ 7,515 crore.

H. IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED (Associate–LIC's stake: 29.84%)

IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) was incorporated in August 2000 and was registered with SEBI in 2001. ITSL provides a wide spectrum of trusteeship services to Corporates.

Total income for FY 2024-25 is ₹ 101.67 crore and Profit for FY 2024-25 is ₹ 56.60 crore.

14. OVERSEAS OPERATIONS

a) Overseas Branches:

The Corporation directly operates through its branch offices in Fiji (Suva and Lautoka), Mauritius (Port Louis and Quatre Bornes) and United Kingdom (Watford). During the year 2024-25, the Overseas Branches put together issued 9,423 policies with a New Business Premium Income of ₹ 91.98Cr.

b) Overseas Subsidiaries:

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.:

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Vishal Group alongwith public share holding and was established on 1st of Sep 2001. It is a listed Company whose shares are traded on the Nepal Stock Exchange. Share holding of LIC of India in the Company is 55%. The Company sold 65,509 policies during Financial Year as on 15.07.2024 with a First Premium Income of ₹ 157.5 Cr.

The following entities have Calendar Year as their Financial Year:

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c):

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) was established in Kingdom of Bahrain as a subsidiary of Life Insurance Corporation of India. Share holding of LIC of India in the Company is 99.66%. The operations commenced on 23rd of July 1989 and initially catered to the life insurance needs of Non-Resident Indians (NRIs) and later extended to the local population in the Gulf by issuing life insurance policies in US Dollars. The Company operates in 4 GCC countries of Kingdom of Bahrain, Kuwait, UAE (Dubai & Abu Dhabi), and Qatar. The Company sold 1,239 policies during Financial Year ending 31.12.2024 with a First Premium Income of ₹ 252.87 Cr.

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.:

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Bartleet Transcapital Ltd. and was established on 7th of Oct. 2002. Share holding of LIC of India in the Company is 93.75%. The Company sold 2,623 policies during Financial Year ending on 31.12.2024 with a First Premium Income of ₹ 10.77 Cr.

Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.:

Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Strategic Equity Management Ltd. and Mutual Trust Bank Ltd. and is incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 of Bangladesh on 14.12.2015. Share holding of LIC of India in the Company is 83.33% The Company sold 2,927 policies during the Financial Year ending 31.12.2024 with a First Premium Income of ₹ 3.75 Cr.

c) Foreign Wholly Owned Subsidiary:

Life Insurance Corporation(Singapore) Pte. Ltd.:

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd., a Wholly Owned Subsidiary was incorporated on 30th of April, 2012 in Singapore. The Company sold 172 policies during the Financial Year ending 31.12.2024 with a First Premium Income of ₹ 61.5 Cr.

d) Branch Office at Gift City:

Received all regulatory permissions to open an office at GIFT City, Gandhinagar. It is expected to commence operations in the FY 2025-26.

15. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

Life Insurance Corporation has a robust Enterprise Risk Management framework to conduct its business in an orderly fashion. The framework considers all the risks faced by the Corporation and ensures that there are adequate systems, processes and trained personnel in place.

Organisation Structure

The department governed by Managing Director, Executive Director and Chief Risk Officer reports to Risk Management Committee of the Board, which proposes policies to be reviewed and approved by the Board.

Risk Governance Frame Work:

Based upon the recommendations of the Risk Management Committee the Board approves the Enterprise Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis. There are three lines of defence to manage the risks – Line of Defence 1 - the Departments, Zones, Divisions and Branches who own the Risks, the Risk Management Department in Line of Defence 2 to review the risks and audit in Line of Defence 3 to audit the effectiveness and reliability of risk management systems, policies, processes and Personnel.

Key Risk Management Tools:

ERM Module:

An enterprise risk management module is used to assess qualitative and quantitative risks and the resultant reports are discussed in the Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Risk Management Committee of the Board (RMCB).

Key Risk Management tools are Risk Appetite Statements, Risk Registers, Incident Management Framework (fraud monitoring), Top Risks and Key Risk Indicators. The tools are used by the three lines of defence and decisions are taken by the management to mitigate the risks.

Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation are identified by analysing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The assessment of Key Risk Indicators is completed every quarter. The Top Risks and associated Key Risk Indicators are updated on an annual basis.

Business Continuity Management System (BCMS):

The Corporation has Board approved policy for business continuity. The continuity plan has been formalized to provide measures to be taken to respond to events such as natural disasters, pandemic and technical disruptions etc. The Corporation has BCMS ISO 22301 Certification, certified by British Standards Institute (BSI).

The mitigation strategies for various risks as under Enterprise Risk Management framework:

The Corporation is exposed to various risks which are categorized into 4 major risk namely Strategic, Financial, Operational and Reputational Risks. The enterprise risks are systematically identified and systems & procedures have been implemented to address these risks so that not only the policyholders' funds are protected but also their reasonable expectations are met.

The Corporation has a well-established Enterprise Risk Management (ERM) framework in place to actively manage material risks. The ERM framework aligns the Corporation's strategy and business decisions with risk appetite of the Corporation.

16. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY

The Corporation has institutionalised a robust and comprehensive internal control mechanism through Audit, Inspection and Vigilance across key processes to ensure reliability of financial reporting, timely feedback on achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedures, laws and regulations. The internal audit function provides independent and reasonable assurance about the adequacy and operating effectiveness of internal controls to the Board and Audit Committee. Internal Audits are conducted by an in-house Internal Audit team and by the co-sourced auditor (external Chartered Accountant Firms). The internal audit planning activity ensures coverage of the Corporation business process and transactions across all offices of the Corporation. The internal audit function also tests and reports on adequacy and operating effectiveness of internal financial controls.

The Inspection Policy approved by the Board stipulates that every office of the Corporation in India shall be inspected at least once a year by Officers of Inspection Department. The exercise of Inspection is a pre-emptive measure against systemic lapses.

More focus is on preventive Vigilance through dissemination of information in areas susceptible to fraud.

As per guidelines of CVC, Integrity Pact (IP) is being implemented in procurement processes of our organisation. As regards Stores Purchase and Building Contracts, it is being ensured that CVC guidelines are strictly followed.

Proactive and Preventive Vigilance measures were taken in identifying systemic issues and suggestions made for corrective action to the respective Controlling Departments of Central Office.

The Corporation has a well-established Enterprise Risk Management (ERM) framework in place to actively manage material risks. The ERM framework aligns the Corporation's strategy and business decisions with risk appetite of the Corporation.

17. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

In the year 2024-25 Central Office of the Corporation has been awarded as the best public sector undertaking by the Ashirvad Literary and Social Organisation for the remarkable implementation of the official language Hindi in the office of the Government of India.

In the year 2024-25, the Central Office of the Corporation was awarded for excellent official language implementation by the Town Official Language Implementation Committee Mumbai undertaking.

67 offices of the Corporation were honored with various official language awards by the Ministry of Home Affairs, Government of India.

There is a Hindi Version of Annual Report available in this volume itself.

18. RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005

To ensure easy access to information to citizens of India, officers are designated as Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) at various levels in the organization. LIC has 130 CPIOs and 130 Appellate Authorities.

The details of CPIOs and Appellate Authorities pan-India are available on LIC website at <https://licindia.in/web/guest/rti-center>.

CIC has accredited LIC as Grade "A" Organisation with 100% rating in the Transparency Audit of LIC's website (www.licindia.in) for disclosures under Section 4(1)(b) of the RTI Act, 2005 for four consecutive years.

During the financial year 2024-25, 8084 RTI applications, 1211 appeals and 181 CIC hearing cases have been attended.

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Board of Directors ("Board") is pleased to present the 68th Annual Report of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation" or "LIC" or "LIC"), together with the audited financial statements for the year ended March 31, 2025

Your Corporation consistently delivers strong financial performance with robust solvency margin and significant investments, playing vital role in promoting financial security, literacy and inclusion contributing to India's Economic Development. Corporation is the largest life insurer in India, renowned for its financial stability and extensive reach by offering a diverse range of Life Insurance Products and Services catering the needs of million of Policyholders.

1. Highlights of Financial Performance:

The highlights of the standalone financial performance of the Corporation for the financial year under review, are presented below:

(₹ in crore)

Particulars	2024-25	2023-24	Growth (%)
New business Premium (Net of Reinsurance)			
First Year Premium	36,997.52	39,007.99	(5.15)
Single Premium	1,89,760.11	1,83,633.45	3.34
Renewal Premium	2,61,390.54	2,52,428.14	3.55
Total Premium	4,88,148.17	4,75,069.58	2.75
Investment & Other income	3,95,927.98	3,78,605.26	4.58
Total Income	8,84,076.15	8,53,674.84	3.56
Profit after Tax (PAT)	48,151.17	40,676.00	18.38

Other Key Parameters:

Particulars	2024-25	2023-24	Growth (%)
Corporation's Annual Premium Equivalent (APE) (₹ in crore)	56,828.00	56,970.00	(0.25)
Assets under Management (₹ in crore)	54,52,296.67	51,21,886.90	6.45
Embedded Value (₹ in crore)	7,76,876.00	7,27,344.00	6.81
*Solvency Margin	2.11	1.98	-

*Solvency margin is calculated before considering the proposed final dividend for the FY

Your Corporation witnessed consistent performance and growth in FY 2024-25. Some of the other key parameters of the Corporation are as follows:

- Gross NPA has decreased by 21.08 % from ₹ 10,697.53 crore in FY 2023-24 to ₹ 8442.89 crore in FY 2024-25.
- Basic & Diluted EPS for the FY 2024-25 is ₹ 76.13 as against ₹ 64.31 FY 2023-24.
- Net retention ratio for the FY 2024-25 is 99.86%

2. Dividend and Reserves:

The Board of Directors of your Corporation has recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share on 632,49,97,701 equity shares of ₹ 10/- each, for FY 2024-25, subject to the approval by the members of the Corporation in the 4th Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 7589.99 crore which translates into a dividend pay-out ratio of 15.76%.

In terms of Regulation 43A of the of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" or "Listing Regulations"), the Corporation has formulated a Dividend Distribution Policy ("Dividend Policy"), which has been approved by the Board of Directors. The Dividend Policy of the Corporation is also available on the website of the Corporation and the link to the Dividend policy is provided in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.

The Corporation has carried forward a profit amounting to ₹ 44,356.17 crores during the FY2024-25 to the Reserves. The Corporation has accumulated profit of ₹ 1,20,067.43 crores as at March 31, 2025.

3. Capital and Shareholding:

The Corporation has not issued any fresh equity shares during the year. The Authorised Share Capital of the Corporation is ₹ 25,000 crore divided into 2,500 crore shares of ₹ 10/- each and the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Corporation as at March 31, 2025 is ₹ 63,249,977,010 comprising of 632,49,97,701 equity shares of the face value of ₹ 10/- each.

4. Products:

Your Corporation offers a wide variety of products, which fulfil the needs of different customer segments of the society. During the financial year 2024-25, the Corporation introduced a total of Six (6) new Insurance products. These include:

S. No.	Product Name	Category
1	LIC's Yuva Term	Individual
2	LIC's Digi Term	Individual
3	LIC's Yuva Credit Life	Individual
4	LIC's Digi Credit Life	Individual
5	LIC's Single Premium Group Micro Term Insurance Plan	Group
6	LIC's Smart Pension	Individual and Group

In addition to launching new products, the Corporation introduced modified versions of thirty-two (32) existing Individual Products during the financial year 2024-25. These modifications were undertaken to enhance product features, improve customer value propositions and align with evolving market needs and regulatory requirements. The modified products fall under the following categories:

S. No.	Category	No. of Modified Products
1	Endowment Insurance Plans	08
2	Whole Life Insurance Plans	02
3	Pension Plans	04
4	Term Assurance Plans	07
5	Money Back Insurance Plans	06
6	Unit Linked Insurance Plans	04
7	Micro Insurance Plan	01

As at the end of the financial year 2024-25, the Corporation had following products available for sale:

Product Type	No. of Products
Individual Products	32
Group Products	12
Individual and Group Products	1
Individual Riders	05
Group Rider	01
Total Offerings	51

5. Persistency:

High persistency leads to strong customer loyalty and LIC has always been working to improve the persistency by various customer contact/loyalty programs, educating the customers the need for insurance and also the need to keep the policies in force.

Persistency for Individual Regular Premium Business by premium and number of policies is as under:

By Premium:

- The 13th month persistency for 2024-25 stands at 75%, compared to 78% in 2023-24, indicating a slight decline of 3%.
- The 61st month persistency improved to 63% in 2024-25, up from 61% in 2023-24, reflecting a 2% increase.

By Number of Policies:

- The 13th month persistency decreased from 67% in 2023-24 to 64% in 2024-25, a drop of 3%.
- The 61st month persistency showed a modest improvement, rising from 49% in 2023-24 to 50% in 2024-25.

6. Research, Strategy and Planning:

Your Corporation's dedicated Research & Strategy team continues to play a pivotal role in driving informed and strategic decision-making across the Corporation. Over the year, the team has undertaken comprehensive analyses of industry trends, customer preferences, and regulatory developments, assessing their impact on the business environment. These insights have been instrumental in evaluating market potential, benchmarking against industry best practices, and forecasting business growth, thereby contributing meaningfully to long-term strategic planning.

As part of the strategic approach, the Corporation's Business Plan is being developed by factoring in the Corporation's needs along with insights into industry dynamics, regulatory environment, and evolving customer expectations. The plan is formulated through a collaborative effort between the research team and Actuarial and Marketing functions. A robust system is in place for the continuous monitoring and implementation of the Business Plan, ensuring its sustained alignment with the Corporation's strategic objectives.

In support of agile and responsive operations, the research team also engages in ongoing presentation of business projections to relevant stakeholders. This facilitates timely course corrections and strategic interventions at various levels throughout the financial year.

Additionally, your Corporation's research team is responsible for the consolidation of the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) on the basis of inputs provided by various user departments. The BRSR offers a structured framework to evaluate the Corporation's performance on Environmental, Social and Governance (ESG) parameters, reinforcing its commitment to sustainable and responsible business practices.

To promote knowledge sharing and transparency, the team also maintain a centralized data repository and publish a quarterly e-magazine, 'Envoscan', offering valuable insights to support data-driven decision-making across the organization.

7. Customer Relationship Management:

(A) Policy Servicing:

Servicing of policies is the most important characteristics in the value chain for life insurance policies. Your Corporation is actively engaged in providing the best customer experience to its Policyholders.

With the Branches and Satellite Offices presence through out the nook & corner of the Country, the customers are having access to in person services at the branches. The agents and other market intermediaries are spread over to make the ease of access to the service.

Customers can also access LIC services online through LIC Digital App or through Customer portal at www.licindia.in. For ease of online premium payments, LIC has provided a range of options like Net Banking, Credit Card, Debit Card, UPI and e-wallets. Customers can also opt for Auto Debit, e-NACH and Unified Presentment Management System (UPMS). In addition to the above, premium is payable digitally through Banks, Third Party Apps using payment platform of NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL) as operating units under Bharat Connect ecosystem.

The policyholders can remit the premium at LIC's Branch Offices and Satellite Offices through Cash, Cheque and using card swiping machine (in selected branches) at the cash counter. In addition to that the other offline channels available for premium payment in cash or cheque are Premium Collection Centers operated by eligible Agents, Development Officers and Senior Business Associates (SBAs). Other entities like IDBI Bank, Axis Bank, City Union Bank, Suvridha Infoserve, MP Online and APT Online also accept LIC premium. Premium can be paid in Cash at Common Service Centre (CSC).

LIC has a centralized 24x7 Call Center which is reachable at 022-68276827. Information through the call centre is provided in eight regional languages namely Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil and Telugu in addition to English and Hindi.

LIC's Service related information is also available through SMS, Customers can send SMS in the format LICHELP<POLICYNO> to mobile no. 9222492224 and an LIC official from the Customer Zone will get in touch with the customer and offers customer support for any service requirement. Customers can also avail LIC services through WhatsApp at contact No. 8976862090.

To ensure customer authentication and fraud prevention, LIC has integrated with various repositories. This helps in reducing the turnaround time and provides effective servicing. The Customer can experience digital engagement through the various initiatives taken up by LIC.

LIC has in place an easy feedback and complaint resolution mechanism for its registered customers. A customer can lodge and track complaints online. Complaints registered under Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI)'s Grievance Management System, 'Bima Bharosa' are also synced with LIC's Complaint Management System. The Corporation has a Grievance Redressal Officer (GRO) at Branch, Divisional, Zonal and Central Office levels to redress grievances of the customers. The names of GROs are readily available on LIC's website. The respective GROs are available at their offices for personal interaction on all Mondays between 2:30 PM and 4:30 PM, without prior appointment and on other working days with prior appointment.

LIC has a wide physical presence with 2048 Branch offices and 1584 Satellite offices across the country. Further, LIC has undertaken initiatives like 'Anywhere Services' where customers can walk-in and avail services at any branch of LIC.

LIC's Customer Zones are a single point contact for all customer resolutions. LIC has 74 Customer Zones operative across India which function from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

LIC constantly strives to better customer engagement and provide superior customer experience to its policyholders at all touch points.

(B) Claims Related Performance:

Effective Customer service helps to retain Clients, fosters long terms relationship and enhances the Corporation's reputation. By leveraging technology, your Corporation is continuously pursuing to enhance the trust and enable the policyholder feel supported in the journey with the Corporation. Your Corporation continuously engages in communication with the policyholders by the way of updating them the details and addressing the queries and concern with empathy and professionalism and personalized interaction to provide seamless and responsive service.

During the financial year 2024-25, the Corporation has settled 229.31 lakh claims amounting to ₹ 2,69,243.59 Crore (Including Individual, Micro Insurance and Pension & Group Schemes). All payments were made through digital mode i.e., 100% payment through NEFT.

The summary of benefits paid to the policyholders of the Corporation are provided in the Management Discussion and Analysis at page no. 191 to 192 of this Annual Report.

8. Information Technology:

Your Corporation has strategically launched its digital transformation, shifting from legacy systems and manual processes to advanced, end-to-end digital solutions. A series of technological initiatives, listed below, have been implemented to position LIC as a digitally-driven, future-ready organization. These efforts are designed to create value for customers, shareholders, and all stakeholders by enabling seamless, scalable, and agile digital-first operations.

i. Core Business Application:

eFEAP, the Corporation's indigenously developed core insurance solution, allows all its offices to manage activities throughout the entire policy lifecycle—from the New Business stage to CRM functions and all the way through to the Claim settlement process.

ii. LIC Customer Portal and 'LIC Digital' Mobile App:

To offer a smooth and convenient self-service experience, the Customer Portal and the LIC Digital Mobile App feature an intuitive interface with a variety of self-service options. These include viewing policy and proposal images, making premium and loan interest payments, and managing loan repayments. Additionally, the platforms support service requests like address changes, mode changes, ULIP fund switches, eNACH, and online registration of PAN and NEFT data and also facilitate the submission and fulfilment of various customer service requests. Over 2.60 crore users have registered for services through these online channels. Jeevan Saakshya, the mobile application for pensioners and annuitants has also been integrated with Mobile App for face recognition and existence verification using AI, allowing annuitants and pensioners to submit their existence certificates online and conveniently from the comfort of their homes.

iii. Seamless Integration with Government Platforms:

To enhance the user experience, the policy administration platforms have been integrated with government-enabled public service platforms like Aadhaar, PAN, UMANG, and Digilocker. This integration enables seamless PAN/Aadhaar validation, CKYC, e-KYC, and e-Sign functionalities, providing a secure and hassle-free way to manage insurance accounts.

iv. AI/ML, WhatsApp Business and Communication Solutions:

- LIC Mitra (available on website of the Corporation) - The Chatbot is AI/ML-powered and equipped with an extensive knowledge base encompassing a wide range of LIC products and services along with providing customers with prompt and accurate assistance.
- WhatsApp Business solution has been incorporated to further enhance customer interactions/engagement and streamline service delivery.
- Established Communication channels for productivity enhancement viz. dedicated VC Solution, SMS and email systems to provide collaboration among internal and external stakeholders.

v. Seamless Customer On-boarding:

LIC has introduced a new digital onboarding platform i.e., Atma Nirbhar Agent New business Digital Application (ANANDA) that enhances the customer journey with smarter solutions with an improved user interface/user experience (UI/UX). The platform is integrated with e-KYC, pre-filled forms using C-KYC data and customer ID, as well as real-time bank account verification, streamlining the onboarding process.

vi. Modernizing Payment / Receipts:

e-NACH / NEFT provides an efficient, paperless solution that enables LIC customers to electronically authorize mandates for automatic premium deductions from their bank accounts and also facilitating claim payments. This marks a significant advancement in simplifying and speeding up payment transactions.

vii. Digital Transformation:

The comprehensive DIVE (Digital Innovation and Value Enhancement) initiative will encompass several strategic pillars for Digital Transformation. The Sales Stack will be delivering a virtual office on mobile and web platforms for sales intermediaries, facilitating new business and renewal, customer services and administrative functions. The Customer Stack will be serving as a one-stop solution for insurance and servicing needs of the customers. This initiative will be ensuring a seamless end-to-end customer on-boarding journey through digital marketing (D2C), agent (A2C), and Bancassurance & Alternate Channels (B&AC).

The DIVE initiative focuses on:

- Adopting advanced technologies such as cloud computing, artificial intelligence, and data analytics to drive innovation.
- Enhancing operational agility to respond swiftly to evolving market demands.
- Re-engineering legacy systems for greater scalability and performance.

- Delivering a **360-degree customer view** for better service delivery as well as hyper-personalised communications for customer engagements.
- Enabling **data-driven decision-making** across all levels of the Corporation.

LIC's relentless pursuit of digital innovation underscores its commitment to providing world-class services to its stakeholders. As the digital ecosystem continues to evolve, LIC remains steadfast in its mission to empower customers, agents, and employees through seamless, secure, and user-friendly digital solutions, reinforcing its position as a **future-ready, digitally empowered** insurance leader.

9. Human Resource:

As on March 31, 2025, the Corporation has a total of 91,606 employees on roll which includes 21,866 female employees (constituting 23.86% of total employees). The details are as under:

Particulars	Male	Female	Total
CLASS-I	22,223	6,909	29,132
CLASS-II	18,650	1,977	20,627
CLASS-III	28,082	12,682	40,764
CLASS-IV	785	298	1,083
Total	69,740	21,866	91,606

Prevention of Sexual Harassment of women at the workplace:

The Corporation continues to demonstrate a strong commitment to gender equity and a safe, inclusive, and respectful work environment. In accordance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, the Corporation has implemented a range of initiatives aimed at improving the status of women and supporting their economic and professional empowerment.

Women officers and employees have made valuable contributions across all levels of the LIC, playing an integral role in the Corporation's sustained growth and success. To ensure a safe and respectful workplace, the Corporation has constituted Internal Complaint Committee at the Central Office, Zonal Offices and Divisional Offices for rendering all reasonable assistance to the aggrieved.

These committees operate in line with the statutory framework of the Act, ensuring the prompt and fair redressal of complaints, if any. In addition to grievance redressal, the Committees also organize regular awareness and sensitization programs to educate employees and promote a culture of dignity, mutual respect, and inclusion in the workplace. The summary of cases as at March 31, 2025 are as under:

Number of complaints pending at the beginning of the year	02
Number of complaints received during the year	09
Total Number of complaints	11
Number of complaints disposed during the year	09
Number of complaints pending at the end of the year	02*

**As on the date of this Report, both the pending complaints were closed*

10. Internal Audit and Inspection Framework:

Internal Audit:

The Corporation's Internal Audit function is overseen by the Internal Audit Department at the Central Office, Mumbai ("CO"). There are (13) thirteen Audit Centres across the country that carry out audits under the supervision and monitoring of the Central Office. In addition to this oversight, the CO Audit Department also arranges and conducts audit of various departments within the Central Office itself.

To enhance professionalism and objectivity in the auditing process, the Corporation introduced a revised audit approach from the FY 2022–23, under which one-third of the Divisional Offices and their corresponding Branch Offices, including P&GS units,

are audited by Chartered Accountant (“CA”) firms annually. This practice was continued in FY 2024–25, thereby ensuring that all Divisional Offices and all Branch Offices (including P&GS units) are audited by CA firms at least once in every three years.

Audit exercises across units are conducted using department-specific audit questionnaires, which are updated annually to incorporate the latest circulars, policy changes, and operational developments. These questionnaires also include checks related to Internal Financial Controls (“IFC”) for each organizational level, i.e., Branch, Division, Zone, and Central Office.

Key audit findings are regularly shared with the relevant functional heads at the Central Office, who, in turn, issue corrective instructions to operational units and implement systemic control enhancements wherever necessary.

In FY 2024–25, the Corporation conducted:

- Internal Financial Control (IFC) Audit, and
- Information System (IS) Audit

The findings from these audits were discussed with the Statutory Auditors and subsequently placed before the Audit Committee for review and guidance.

Additionally, under the Corporation’s Fraud Monitoring Framework, all fraud cases involving amounts exceeding ₹ 1 crore are reported to the Risk Management Committee of the Board (“RMCB”) through the Central Fraud Monitoring Committee and the Committee of Executives for Risk Management.

Internal Inspection:

The Corporation has in place a Board-approved Inspection Policy, which mandates that every office in India including Satellite Offices, Branch Offices, Divisional Offices, Zonal Offices, and the Central Office must be inspected at least once a year by officers from the Inspection Department.

This inspection process serves as a critical tool to identify, report, and rectify systemic lapses, and plays a key role in maintaining operational efficiency, compliance, and accountability across all levels of the Corporation.

During the year under review, inspections of all offices were successfully completed by March 07, 2025 and 68.58% of Branch Offices and 99.11% of Divisional Offices were awarded a performance rating of “Excellent”.

In addition to individual office assessments, common irregularities identified during the inspection process were consolidated and shared with the Heads of Departments at the Central Office. This was done to facilitate systemic improvements and ensure preventive measures are implemented across the Corporation.

The Corporation continues to strengthen its inspection and monitoring processes to uphold transparency, governance standards, and service quality across its vast network of offices.

11. Internal Financial Controls:

The Corporation’s internal financial control over financial reporting is a structured process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for stakeholders, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). The Corporation’s internal control framework includes a set of policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflects the transactions and dispositions of the assets of the Corporation, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Corporation, and (3) provides reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation’s assets that could have a material effect on the financial statements.

12. Awards & Recognitions:

The Corporation has received various awards and accolades during the year 2024-25 in the areas of Mobile Campaign, Innovative product, Most Preferred Workplace, Insurance Inclusion in Rural Areas at affordable price, Rural Expansion, e-Business, Claims settlement, Insurance Penetration, Digital Transformation, Customer Service, Corporate Communications, Women empowerment, etc. These accolades underscore our unwavering commitment to excellence, innovation, and strengthening stakeholder trust. Some of the key awards & recognitions received during the year:

Awards & Recognitions:

-  Guinness World Record™ title - Your Corporation has earned a Guinness World Record title for the “Most Life Insurance Policies sold in 24 hours” (sold on January 20, 2025), recognizes the extraordinary performance of the Corporation’s dedicated agency network.
-  The Great Indian BFSI Mobile Campaign Award of the year 2024 awarded by Veve
-  Awarded honor Roll for Most Impactful Campaign by **Success at Quoraverse: Unlocking knowledge for Impact**
-  Awarded at **13th Edition of Finnoviti Conclave Awards 2024 by Banking Frontier** for Innovative Product-JEEVAN UTSAV
-  **Most Preferred Workplace 2024-25 by Team Marksmen Daily:** LIC is recognized as “Most preferred workplace 2024-25” by Team Marksmen Daily
-  Awarded in categories at **the Golden Star Awards for Excellence in Banking, Financial Services & Insurance (BFSI) by CMO Asia:**
 - Insurance Inclusion in Rural Areas at Affordable Price
 - E-Business Leader – Large category
 - Excellence in Claims Service
-  Awarded in two categories at **ASSOCHAM 16th Global Insurance Summit & Awards:**
 - Most Effective Insurance Penetration
 - Best Practices in Rural Expansion
-  Awarded in three categories at **National Awards for Excellence in Banking, Financial Services & Insurance (BFSI) by CMO Asia:**
 - Digital Transformation
 - Customer Service Excellence Award
 - Insurance Company of the year (Life)
-  Awarded by **Brand Storyz Award for the Best in Content Marketing** for the Best in Content Marketing under category of ‘BEST USE OF QUORA’.
-  Recognised as Smart Insurer in the Life Insurer-Large Category for the year 2024 at **11th Edition of ET NOW Insurance Summit by ET NOW**
-  LIC recognized at **Greentech Corporate Communications & Public Relations Summit, Awards & Expo 2024** for Excellence in Corporate Communications
-  Awarded in two categories by **NavaBharat BFSI Conclave & Awards-2024**, i.e., Best Performance in Claims Settlement and Excellence in Women Empowerment
-  Recognised as Best Life Insurance Company at **4th InsureNext & InsureTech Conclave and Awards from Insurance Companies (Life) by Banking Frontier**

Brand Ranking:

S. No.	Ranking	Brief Details	Source
1	1 st	LIC has emerged as the fastest-growing Indian brand, achieving a remarkable 36% growth	Brand Finance 2025
2	1 st	Trusted Brand Award	Reader's Digest Trusted Brand, Sept 2024
3	1 st	Most Preferred Brands 2024-25 (4 th Edition) by Marksmen Daily in association with India Today	Marksmen Daily & India Today

S. No.	Ranking	Brief Details	Source
4	1 st	One of the Most Trusted Brands of India 2025-26 (5 th Edition Most Trusted Brands of India 2025-26 with India Today and Business Standard)	India Today and Business Standard
5	2 nd	Fortune 500 India -2024 Based on Total Revenue (Last Year 3 rd Rank)	Fortune India
6	3 rd	World's Top 10 Strongest Insurance Brands 2025	Brand Finance- Insurance 100 -2025
7	4 th	Top 15 Indian Brands	Brand Finance 2025
8	9 th	India's Most Valuable Companies	Business Today (Bt500)
9	10 th	Kantar Brandz- Most Valuable Indian Brands 2024	Kantar Brandz 2024
10	12 th	World's Top 100 Most Valuable Insurance Brand (as against Last Year 2023-24 Ranking 18)	Brand Finance- Insurance 100 -2025
11	177 th	Top 500 most valuable Global Brands (as against Last Year 2023-24 Ranking 222)	Brand Finance 2025

13. Subsidiary and Associate Companies:

As on March 31, 2025, the Corporation has three wholly owned subsidiary companies, four subsidiary companies and six associate companies. The Corporation does not have any material subsidiary.

There were no entities which became or ceased to be the Corporation's subsidiaries or associates during the year. The brief details about business of the wholly owned subsidiaries, subsidiaries and associates are as under:

S. No.	Name of the entity	Nature of entity	Business activity	% of shares held by the LIC
1	LIC Cards Services Limited ("LICCSL")	¹ Wholly owned subsidiary	LIC CSL markets and distributes Credit Cards of Channel Partner Banks (IDBI Bank; Axis Bank; IDFC First Bank) to the Policyholders, Employees and Agents of the Corporation and the general public. They have co-branded with Axis Bank and IDBI Bank for issue of gift cards. The Company has also entered into an Agreement with M/s Pluxee India Private Limited for issuing co-branded Meal Cards to employees of LIC and proposes to extend the similar arrangements to the other Public Sector Undertakings and Banks.	100%
2	LIC Pension Fund Limited ("LICPFL")	¹ Wholly owned subsidiary	LIC PFL carries on the business of Pension Fund for pension fund schemes as regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).	100%
3	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd. ("LIC Singapore")	² Wholly owned subsidiary	LIC Singapore is engaged in the business of life insurance.	100%
4	Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) ("LIC Bahrain")	³ Subsidiary	LIC Bahrain is engaged in the business of life insurance in Bahrain and GCC countries.	99.66%
5	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited ("LIC Lanka")	³ Subsidiary	LIC Lanka is engaged in the business of life insurance.	93.75%

S. No.	Name of the entity	Nature of entity	Business activity	% of shares held by the LIC
6	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. ("LIC Nepal")	³ Subsidiary	LIC Nepal is engaged in the business of life insurance.	55%
7	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Limited ("LIC Bangladesh")	³ Subsidiary	LIC Bangladesh is engaged in the business of, among other things, life insurance services by carrying out life and supplementary health coverage, providing accident benefit and pension insurance business under individual and group schemes and all kinds of guarantee and indemnity business.	83.33%
8	LIC Mutual Fund Trustee Private Limited ("LICMF Trustee")	⁴ Associate	LICMF Trustee functions as the Trustee Company to LIC Mutual Fund.	49%
9	LIC Mutual Fund Asset Management Limited ("LICMF Asset Management")	⁴ Associate	LICMF Asset Management acts as Investment Managers for schemes of LIC Mutual fund.	44.61%
10	LIC Housing Finance Limited ("LICHFL")	⁴ Associate	LICHFL is engaged in the business of providing long term finance to any person or persons, company or corporation, society or association and, in particular, to holders of policies issued by LIC of India, to construct or purchase a house or flat for residential purpose, and also provides long term finance to persons engaged in the business of construction of houses or flats for residential purpose to be sold by them by way of hire purchase or on deferred payment or other similar basis.	45.24%
11	LIC HFL Asset Management Company Limited ("LICHFL AMC")	⁴ Associate	LICHFL AMC manages Alternative Investment Fund (AIF) / Venture Capital Fund (VCF) as investment manager.	5.38%
12	IDBI Bank Limited ("IDBI Bank")	⁴ Associate	IDBI Bank is engaged in the business of banking in all forms within and outside India.	49.24%
13	IDBI Trusteeship Services Limited ("ITSL")	⁴ Associate	ITSL provides a wide spectrum of trusteeship services to corporates. ITSL also extends the monitoring facility of listed pledged shares for loan against shares, escrow and facilitate agency services.	29.84%

¹Indian wholly owned subsidiary companies; ²foreign wholly owned subsidiary company; ³foreign subsidiary companies and

⁴Indian associate companies

The Corporation also operates directly through its branch offices in Fiji (Suva and Lautoka), Mauritius (Port Louis) and United Kingdom (Watford). The LIC Branch situated in United Kingdom (Watford) has ceased to sale new policies, i.e., under run off mode, w.e.f., June 21, 2024.

Bifurcation of Funds:

The amended provisions of Section 24 and Section 28 of the LIC Act, 1956, came into force on June 30, 2021. Section 24 mandates the Corporation to maintain separate funds for participating and non-participating policyholders. Section 28, which comes into effect with the maintenance of these funds, outlines the allocation of surpluses as follows:

- i. **Participating Policyholders Fund:** 90% or a higher percentage of surplus to be allocated or reserved, for the participating policyholders, with the remaining surplus going to the members; and
- ii. **Non-Participating Policyholders Fund:** 100% of the surplus is allocated or reserved for the members.

The above provisions were made effective for the funds of the Corporation in India. However, in the three overseas branches (Fiji, Mauritius and United Kingdom), a single policyholders fund is maintained, and the surplus distribution between policyholders and shareholders is set at a 95:5 ratio. The Corporation has sought exemption or instructions from the Government of India regarding these provisions for its overseas operations, as these branches are governed by local laws.

In line with the above, the overseas branches of the Corporation in UK, Mauritius, and Fiji will continue to operate under following framework:

- a. a single policyholders fund, and
- b. surplus distribution between the policyholders and shareholders as 95:5

The Branch Office of the Corporation situated at International Financial Service Centre (IFSC) in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, has received the necessary regulatory approvals. The operations of this branch are set to commence in the FY 2025-26.

In accordance with the provisions of Listing Regulations, the Board of the Corporation has approved a policy for determining the materiality of subsidiaries, both within India and outside India. These policies can be accessed on the Corporation's website, and the link of these policies are available in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.

Details regarding financial position and performance of the Corporation's wholly owned subsidiaries, subsidiary companies and associate companies is available in the annual report.

14. LIC Golden Jubilee Foundation (LIC GJF):

LIC Golden Jubilee Foundation (LIC GJF), as the name suggests, was established to commemorate LIC's Golden Jubilee in the year 2006. The LIC GJF is the arm through which LIC undertakes community development activities and is registered with the Charity Commissioner under Bombay Public Trust Act 1950.

The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other object of General Public Utility. The LIC GJF supports capital-oriented projects aimed at infrastructural development, which include construction of class rooms, hospital wards, medical equipment, ambulances, school buses, solar panels etc., to name a few.

Some of the consistent contributions made by the Foundation are for the treatment of children affected with cancer, bone marrow transplant, pediatric heart surgeries, and cochlear implant surgeries for poor patients/children. In 2024-25, among other activities, assistance for procuring medical equipment was provided to reputed Charitable/Government run Hospitals in Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Hyderabad and Thiruvananthapuram, mostly for treatment of cancer. As at March 31, 2025, GJF has disbursed more than ₹ 283 Crores under 926 projects across the length and breadth of the country.

The Foundation also runs the LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme wherein Scholarships are awarded to meritorious students from economically weaker sections of the society, to provide them opportunities for higher education. In 2024-25, ₹ 11.40 Crores was disbursed to 10,006 students by way of scholarship. Since inception of the scheme, a total of 30,835 students have benefited and a total of ₹ 80.62 Crores has been disbursed as scholarship.

OTHER STATUTORY DISCLOSURES

15. Board of Directors and Key Managerial Personnel/Key Management Persons ("KMP"):

As on the date of this report, the Corporation's Board comprises of Thirteen (13) Directors viz., Chief Executive Officer & Managing Director; One (1) Government Nominee Director; Three (3) Managing Directors; Eight (8) Independent Directors including One (1) Woman Director.

The composition of the Board reflects a balanced mix of executive and non-executive directors, in line with the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Listing Regulations and IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable).

The Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity (Directors' Policy) which outlines the appointment criteria, roles, responsibilities, and evaluation mechanism of the Board is hosted on the website of the Corporation. A link to this policy is provided in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.

A) Changes in Board Composition:

➤ Appointment of Directors/Change in Designation:

- (i) **Dr. Parshant Kumar Goyal (DIN: 08652921):** The Government of India, vide their notification dated April 17, 2025, has appointed Dr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, in place of Dr. Maruthi Prasad Tangirala. The Board of the Corporation took note of the same.

The necessary resolution for appointment of Dr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Corporation along with his brief profile has been included in the notice of the 4th Annual General Meeting, for formal approval of the members.

- (ii) **Shri Dinesh Pant (DIN: 11134993):** The Government of India, vide their notification dated May 14, 2025, has appointed Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation with effect from the date of assumption of charge of office on or after 01.06.2025 and upto the date of his superannuation (i.e., 31.05.2027) or until further orders, whichever is earlier. Shri Dinesh Pant took charge as Managing Director of the Corporation on June 01, 2025. The Board of the Corporation took note of the same.

The necessary resolution for appointment of Shri Dinesh Pant as Managing Director of the Corporation along with his brief profile has been included in the notice of the 4th Annual General Meeting, for formal approval of the members.

- (iii) **Shri Ratnakar Patnaik (DIN: 10283908):** The Government of India, vide their notification dated May 14, 2025, has appointed Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation with effect from, the date of assumption of charge of office on or after 01.06.2025 and upto the date of his superannuation (i.e., 31.03.2028) or until further orders, whichever is earlier. Shri Ratnakar Patnaik took charge as Managing Director of the Corporation on June 01, 2025. The Board of the Corporation took note of the same.

The necessary resolution for appointment of Shri Ratnakar Patnaik as Managing Director of the Corporation along with his brief profile has been included in the notice of the 4th Annual General Meeting, for formal approval of the members.

- (iv) **Shri R Doraiswamy (DIN: 10358884):** The Government of India, vide their notification dated July 14, 2025, has appointed Shri R Doraiswamy as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation, for a period of three years w.e.f. July 14, 2025 and up to the date of his attaining the age of 62 years (i.e., August 28, 2028), or until further orders, whichever is earlier. Shri. R Doraiswamy took charge as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation on July 14, 2025. The Board of the Corporation took note of the same.

The necessary resolution for appointment of Shri R Doraiswamy as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation along with his brief profile has been included in the notice of the 4th Annual General Meeting, for formal approval of the members.

➤ Cessation of Directors:

- (i) **Dr. Maruthi Prasad Tangirala (DIN: 03609968):** The Government of India, vide their notification dated April 17, 2025, has appointed Dr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Corporation in place of Dr. Maruthi Prasad Tangirala with immediate effect.
- (ii) **Shri Jagannath M (DIN: 10090437):** Shri Jagannath M ceased to hold office as Managing Director of the Corporation, with effect from May 31, 2025, upon his superannuation, in terms of Government of India's Notification dated March 13, 2023.

- (iii) **Shri Tablesh Pandey (DIN: 10119561):** Shri Tablesh Pandey ceased to hold office as Managing Director of the Corporation, with effect from May 31, 2025, upon his superannuation, in terms of Government of India's Notification dated March 13, 2023.
- (iv) **Shri Siddhartha Mohanty (DIN: 08058830):** Shri Siddhartha Mohanty ceased to hold office as Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation, with effect from June 07, 2025, upon completion of his term, in terms of Government of India's Notification dated April 28, 2023.

The Board acknowledges the valuable contributions made by Shri Siddhartha Mohanty, Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Shri Jagannath M. and Shri Tablesh Pandey during their tenure and places its deep appreciation for their guidance to the Corporation.

The Certificate from M/s Mehta & Mehta, Company Secretaries (Firm's Registration No. P1996MH007500), confirms that none of the Directors of the Corporation are debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director on the Board by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") or any such other Statutory Authority.

B) Independent Directors:

Your Corporation has received declarations from all the Independent Directors confirming that they meet the 'Criteria of Independence' as laid down under Section 4(3) of the LIC Act, 1956 read with the rules and regulations made thereunder.

The Board is of the opinion that all the Independent Directors fulfill the conditions relating to their status as Independent Director as specified under Section 4(3) of the LIC Act, 1956 read with the rules and regulations made thereunder and applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and are independent of the management.

The composition of Board during FY 2024-25, is given in the Corporate Governance Report which is placed separately and forms part of the Annual Report.

C) Key Managerial Personnel/Key Management Persons ("KMP") and changes, if any

Pursuant to the provisions of IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 read with circular issued thereunder and Listing Regulations, the following senior management employees of the Corporation were holding positions of KMPs as on March 31, 2025:

S. No.	Name of KMP	Designation
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director
2	Shri Jagannath M	Managing Director
3	Shri Tablesh Pandey	Managing Director
4	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director
5	Shri R Doraiswamy	Managing Director
6	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer
7	Shri Sudhakar Ravindranath	Executive Director (Marketing) & Chief Marketing Officer
8	Shri Dinesh Pant	Executive Director (Actuarial) & Appointed Actuary
9	Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp.Gov./GJF/Reg.Comp.) & Chief Compliance Officer
10	Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer
11	Shri Shatmanyu Shrivastava	Chief Risk Officer
12	Smt. Bella Paul	Chief-In-charge (Board & Secretarial)
13	Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer

During the year and upto the date of this report, the Board of Directors of the Corporation, has approved the following changes in Key Managerial Personnel positions of the Corporation on the recommendation of Nomination & Remuneration Committee:

S. No.	Name of KMP	Designation	Reasons for changes
1	Shri R Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Appointed as Chief Executive Officer & Managing Director w.e.f. July 14, 2025. Ceased to hold position of Managing Director, upon his elevation as Chief Executive Officer & Managing Director w.e.f. July 14, 2025.
2	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Ceased to hold position of Chief Executive Officer and Managing Director, upon completion of his term, on June 07, 2025.
3	Shri Dinesh Pant	Managing Director	Appointed as Managing Director w.e.f. June 01, 2025. Ceased to hold position of Executive Director (Actuarial) & Appointed Actuary (KMP) upon his elevation as Managing Director w.e.f. June 01, 2025.
4	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Appointed as Managing Director w.e.f. June 01, 2025. Ceased to hold position of Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer (KMP) upon his elevation as Managing Director w.e.f. June 01, 2025.
5	Shri Jagannath M	Managing Director	Ceased to hold position of Managing Director, upon superannuation on May 31, 2025.
6	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Ceased to hold position of Managing Director, upon superannuation on May 31, 2025.
7	Shri Ajay Kumar Srivastava	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Appointed as Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial) w.e.f. June 02, 2025.
8	Shri Ramakrishnan Chander	Chief Investment Officer & Executive Director (Investment Front Office)	Appointed as Chief Investment Officer w.e.f. June 05, 2025.
9	Smt. Bella Paul	Chief-In-charge (Board & Secretarial)	Ceased to hold position of Chief-In-charge (Board & Secretarial) upon taking Voluntary retirement from the service on May 06, 2025.
10	Shri Shatmanyu Shrivastava	Chief Risk Officer	Appointed as Chief Risk Officer w.e.f. March 19, 2025.
11	Shri Pandiyan Kumaresan	Executive Director (Audit) & Chief Internal Auditor	Ceased to hold position of Executive Director (Audit) & Chief internal Auditor, upon this superannuation on December 31, 2024.
12	Shri S Sunder Krishnan	Chief Risk Officer	Ceased to hold position of Chief Risk Officer upon his resignation w.e.f. September 25, 2024.
13	Shri Sudhakar Ravindranath	Executive Director (Marketing) & Chief Marketing Officer	The position of Chief Marketing Officer ceased to be KMP w.e.f. July 11, 2025.

Performance Evaluation of the Board:

Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956, read with the rules and regulations made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, and the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 along with the applicable circulars issued thereunder, the Board conducted its annual performance evaluation, covering the Board as a whole, its Committees, individual Directors, and the Chairperson.

Independent Directors reviewed the performance of non-Independent Directors, the overall functioning of the Board, and the effectiveness of the Chairperson. They also assessed the quality, quantity, and timeliness of information shared between the Corporation's Management and the Board.

The performance evaluations were facilitated through an iOS-based application specifically developed to circulate structured questionnaires aimed at assessing the effectiveness of the Board, its Committees, individual Directors, and the Chairperson. The questionnaires were designed based on broad evaluation parameters recommended in the guidance notes issued by SEBI and the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

The evaluation of the Board focused on areas such as the fulfilment of roles and responsibilities, strategic oversight, quality of decision-making, and adherence to governance standards. Individual Directors were assessed on their level of engagement in meetings, quality of contributions, ability to provide strategic guidance, and their commitment to upholding the Corporation's values and governance framework. The evaluation of Committees considered their composition, clarity of roles, independence, and overall effectiveness in supporting the Board's functioning. In the case of the Chairperson, the evaluation included general criteria applicable to all Directors, in addition to specific aspects such as leadership abilities, the facilitation of effective Board discussions, and the timely resolution of matters raised by Directors.

'Fit and Proper' criteria:

In accordance with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 read with circular issued thereunder, Directors of insurer have to meet 'Fit and Proper' criteria prescribed by IRDAI. Accordingly, all the Directors of the Corporation have confirmed the compliance with 'fit and proper' criteria/norms, prescribed under the above-mentioned regulation issued by the IRDAI.

Directors & Officers Liability Insurance:

Pursuant to Regulation 25 (10) of the Listing Regulations the Corporation has taken D&O liability Insurance for all its Directors and Members of the Senior Management Team for such quantum and risks as determined by the Board.

Succession Planning:

In terms of the Board approved policy on succession planning, the NRC of the Board oversees matters related to succession planning of KMPs, Senior Management and other key executives of the Corporation. NRC also recommends the appointment of Independent Directors to fill vacancies on the Board.

Meetings of the Board and its Committees, attendance and constitution of various Committees:

The details of meetings of the Board and its Committees held during the year, including the attendance of Directors and the composition of various Committees, are provided in the Corporate Governance Report, which is presented separately and forms an integral part of this Annual Report.

Remuneration Policy:

Pursuant to the provisions of Section 19B of LIC Act, 1956, the Board has approved the remuneration policy as recommended by the NRC of the Board. The Policy is available on the Corporation's website, and the link to the policy is provided in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.

Further, details relating to the remuneration to the Directors including Whole-time Directors, are disclosed in the Corporate Governance report, which is presented separately and forms an integral part of this Annual report.

Secretarial Standards:

Your Corporation is obliged to comply with Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in terms of provisions contained under Life Insurance Corporation General Rules, 1956.

16. Corporate Governance:

Your Corporation views its stakeholders as essential partners in its journey toward success and remains deeply committed to delivering long-term value to them. Recognizing that robust corporate governance is the foundation of stakeholder trust, the Corporation diligently fulfills its responsibilities across all levels of the organization. It ensures that business operations consistently align with the highest standards of governance, transparency and ethical conduct.

To promote accountability and continuous stakeholders' engagement, the Corporation adheres to well-established corporate governance practices, supported by standard operating procedures and function-specific manuals that guide day-to-day operations and reinforce consistency of the organisation.

Governance is further strengthened through various dedicated Board level committees, which provide strategic oversight, safeguard shareholder interests, enhance brand equity, and foster a positive and productive working environment.

Through these comprehensive measures, the Corporation strives to uphold trust, support sustainable growth, and maintain its reputation as a responsible, resilient and forward-looking organisation.

Corporate Governance Report:

In compliance with Listing Regulations, a Report on the Corporate Governance framework of the Corporation, along with Certificate from Auditors regarding compliance of conditions of Corporate Governance is annexed as Annexure E to Corporate Governance Report which forms part of the Annual Report.

17. Related Party Transactions:

During the year, your Corporation has entered into transactions with the related parties in the ordinary course of business. The details of the transactions with related parties were placed before the Audit Committee from time to time for approval. Suitable disclosure as required under applicable Accounting Standards has been made in the notes to the Financial Statements.

Pursuant to Listing Regulations, in the 3rd Annual General meeting, the members of the Corporation have approved the material related party transactions to be entered into by the Corporation in the FY 2024-25 and upto the date of next AGM.

The Board of Directors have formulated a policy on materiality of Related Party Transactions and also on dealing with Related Party Transactions pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 and Listing Regulations. The updated Policy on dealing with RPTs as approved by the Board is uploaded on the Corporation's website and the link of policy is available in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.

The disclosure on Related Party Transactions, drawn in accordance with applicable accounting standards and as per the requirements of Regulation 23(9) of Listing Regulations for the half year ended September 30, 2024 and March 31, 2025 has been submitted to the Stock Exchanges by the Corporation and published on the Corporation's website.

18. IND AS Implementation:

The Corporation has completed a comprehensive Gap Analysis for implementation of Indian Accounting Standards (IND AS), and the report has been submitted to Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI").

In line with regulatory requirements, the Corporation is making steady progress in the preparation of IND AS compliant Proforma Financial Statements to ensure readiness for transition.

The Audit Committee and the Board of Directors are being regularly updated on the status and developments related to IND AS implementation, and necessary steps are being taken to align systems, process, and policies with the new accounting framework.

19. Particulars of Investment in Terms of Section 27A of Insurance Act, 1938:

Pursuant to the provisions of Section 27A of the Insurance Act, 1938, the Corporation's investments as at March 31, 2025, are mentioned at page no. 331 of the Annual Report and the investments made in the infrastructure and social sector for the financial year 2024-25 are mentioned at page no. 332 of the Annual Report.

20. Consolidated Financial Statements:

In accordance with Section 24B of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Corporation has prepared its Consolidated Financial Statements (CFS), which include the financials of its subsidiaries and associate companies. The CFS have been prepared in compliance with the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, and the relevant circulars issued thereafter. The CFS also adhere to the applicable Accounting Standards, i.e., AS 21: Consolidated Financial Statements and AS 23: Accounting for Investments in Associates in CFS issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The CFS forms an integral part of this Annual report.

21. Management Report:

Pursuant to the provisions of Schedule II - Financial Functions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the Management Report is placed separately and forms an integral part of this Annual Report.

22. Statutory Auditors:

Pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956, the Corporation has appointed the Statutory Auditors of the Corporation for the FY 2024-25 after due recommendations and approvals. The details of the Statutory Auditors are available at page no. 334 of the Annual Report.

23. Statutory Auditors' Report:

The Statutory Auditors' Report (including annexure thereof) to the Members does not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer hence do not call for any further comments u/s 24C(1)(f) of the LIC Act, 1956. There were no reportable frauds identified by the Statutory Auditors during the FY2024-25.

24. Secretarial Auditors' Report:

Pursuant to Regulation 24A of the Listing Regulations, the Corporation has appointed M/s Mehta & Mehta, Company Secretaries, as the Secretarial Auditor of the Corporation for FY 2024-25. The Auditor has not made any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer in his report for FY 2024-25. The detailed report on Secretarial Audit of the Corporation for FY 2024-25 is annexed as Annexure 'D' to Corporate Governance Report and forms an integral part of this Annual Report.

25. Certificate from Chief Compliance Officer in Terms IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024:

A Compliance Certificate, for complying with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024, submitted by the Chief Compliance Officer under the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations 2024, is annexed and forms part of the Corporate Governance Report as Annexure 'C' to this report.

26. Management Discussion and Analysis Report:

Management Discussion and Analysis (MD&A) Report for the year under review as stipulated under Regulation 34 of Listing Regulation, is presented in a separate section, which forms an integral part of this Annual Report.

27. Business Responsibility & Sustainability Report:

Pursuant to Regulation 34(2)(f) of listing regulation, mandates the inclusion of Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) as part of the Annual Report for Top 1000 listed entities based on market capitalization (calculated as on 31st March of every financial year) at BSE and NSE.

Accordingly, BRSR along with the report of Independent Assurance provider (i.e., Choksi and Choksi LLP), is placed separately and forms an integral part of this Annual Report.

28. Material Events, Changes and Commitments Affecting Financial Position of the Corporation:

There have been no material events, changes and commitments, affecting the financial position of the Corporation, which have occurred from the end of the financial year to which the Balance Sheet relates and the date of this report.

29. Significant and Material Orders Passed by Regulators or Courts or Tribunals Impacting the Going Concern Status and Operations of the Corporation:

During FY 2024-25, no significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the going concern status and operations of the Corporation.

A civil litigation matter along with connected issues, is currently sub-judice before the Honorable Supreme Court vide Writ Petition No. 366/2022. Although, the matter is non-quantifiable in financial terms, it has been deemed material and was accordingly disclosed in the Red Herring Prospectus dated April, 2022. As on date of this report, the matter remains pending and is yet to be heard by the Honorable Supreme Court of India.

30. IRDAI License:

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has renewed the annual registration of the Corporation to continue the Life Insurance Business for the FY 2025-26.

31. Directors' Responsibility Statement:

In terms of Section 24C (2) of LIC Act, 1956 and the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024, your Directors confirm that;

- (a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as on March 31, 2025 and of the profit of the Corporation for the year ended on that date;
- (c) they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, 1956 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) they have prepared the accounts for the current financial year ended March 31, 2025 on a going concern basis;
- (e) the vigilance administration referred under Section 8(1)(h) of the Central Vigilance Commission Act, 2003 is in operation in the Corporation under the superintendence of the Central Vigilance Commission and in addition they have laid down internal financial controls to be followed by the Corporation and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

32. Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy:

The Corporation is committed to conducting its affairs in a fair, transparent, ethical manner, guided by highest standards of professionalism and integrity. The Corporation has developed a strong culture that encourages stakeholders to raise concerns about unethical and unfair practices, misconduct, or violation of legal and regulatory provisions without fear of reprisal, discrimination, or victimization.

- To facilitate vigilance related reporting, Corporation has introduced an online complaint portal named "Satarkata Shikayat Dwar", accessible under the Customer Services tab at www.licindia.in. All vigilance related complaints can be registered and tracked through the portal.
- LIC has a well-established vigil mechanism for Directors and employees for adequate safeguard against victimization of Directors and employees or any other person who report genuine concerns. It has a policy for prevention, detection and investigation of frauds and protection of whistle blowers (The Whistle blower policy). It encourages employees and various stakeholders to bring to its notice any issue involving compromise/violation of ethical norms, legal or regulatory provisions, actual or suspected fraud etc without any fear of reprisal, discrimination, harassment or victimization of any kind. All whistle blower complaints and concerns are reviewed on quarterly basis by the Audit Committee of the Board, which also oversees the functioning and effectiveness of the mechanism.
- To enhance efficiency and transparency in disciplinary processes, LIC has developed and implemented the UDIT Module (Upgraded Disciplinary Workflow through Integration of Technology). This digital initiative aims to reduce turnaround time in disposal of disciplinary and vigilance cases. The Corporation is also in the process of integrating the UDIT module with HRMS (Human Resource Management System) to further improve operational efficiency.
- During the review period, no personnel was denied access to the Audit Committee.

The Whistle Blower Policy is hosted on the Corporation's website. The link to the policy is provided in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.

33. Board Policies:

The details of the policies approved and adopted by the Board of Directors of the Corporation as mandated under the LIC Act, 1956 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) regulations are annexed as Annexure I to this report.

34. Investor Relations:

The Corporation places the highest value on its relationships with customers and stakeholders. Committed to transparency, it strives to ensure that all stakeholders have access to complete and timely information to accurately assess the Corporation's performance and future potential. To support this, the Corporation regularly disseminates updates on its operations, financials and key initiatives. The Corporation's official website, (www.licindia.in) serves as a central hub of information, offering stakeholders easy access to a wide range of resources at their convenience. The site features detailed insights into the Corporation's strategy, financial and operational performance, as well as the latest press releases. Financial results are published quarterly and are made available on the website for both the current and previous years.

Following each results announcement, the Investor Relations team hosts earnings calls, with accompanying investor presentations, transcripts, and call recordings uploaded to the website for public access. Additionally, members of the senior management team actively participate in various equity conferences organized by leading securities firms, reinforcing the Corporation's commitment to open dialogue with the investor community.

35. Acknowledgements and Appreciations:

The Directors express their sincere thanks to the Hon'ble Parliamentary Committees which visited its offices, the Hon'ble Union Finance Minister, Hon'ble Union Minister of State for Finance (Expenditure, Banking and Insurance), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India (GOI), for their active support, advice and co-operation on various issues.

The Directors are deeply grateful to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI) and other government and regulatory agencies for their continued co-operation, support and advice.

The Directors would also like to take this opportunity to express their sincere gratitude to the valued Policyholders and Shareholders for their continued trust and patronage.

The Directors also express their gratitude for the advice, guidance and support received from time to time, from the Auditors, and Statutory Authorities.

Lastly, the Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees, Agents, Corporate Agents and Brokers, Bancassurance Partners, Distributors, Re-insurers, Bankers and the Registrars. Their dedication, professionalism, and commitment have been instrumental in enabling the Corporation to maintain its leadership position in the insurance industry.

For and on behalf of the Board of Directors

(R Doraiswamy)
Chief Executive Officer & Managing Director
(DIN: 10358884)

(Sat Pal Bhanoo)
Managing Director
(DIN:10482731)

(M. P. Vijay Kumar)
Independent Director
(DIN: 05170323)

Date: July 22, 2025

Place: Mumbai

Web-link of Board approved policies

The Life Insurance Corporation Act, 1956 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, mandates the formulation of certain policies for listed entities. The policies are reviewed by the Board of Directors of the Corporation and amended from time to time in accordance with regulatory changes. Accordingly, the Board approved policies are available on the Corporation's website at <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct> and the links of said Board approved policies are as follows:

Name of the Policy	Web Link
Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy	https://licindia.in/documents/20121/46602/Directors_Policy_updated_08082024_.pdf/992e9e6d-7cef-ce74-98dc-860ea732baa7?t=1724744504212
Code of conduct for Directors and Senior Management	https://licindia.in/documents/20121/46602/Code-of-conduct-for-Directors-and-senior-mgmt.pdf/f4d9e8f8-66fe-5394-e2df-b8fe22dc028e?t=1665744390714
Dividend Distribution Policy	https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy_08082024.pdf/5c95bc55-cced-bb3b-39fd-155afa13ea2f?t=1724744503358
Policy on determination of Materiality and Disclosure of Events/Information	https://licindia.in/documents/20121/46602/materiality-policy+%283%29.pdf/48b3cb82-c51d-125c-b4a1-7c7affa8957b?t=1723463580763
Policy for determining Material Subsidiaries (In India)	https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy+for+determining+Material+Subsidiaries+in+India.pdf/c03fec33-f69c-01aa-0ba2-1aaa4666b6ac?t=1732621252965
Policy for determining Material Subsidiaries (Outside India)	https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised+Policy+for+determining+Material+Subsidiaries+%28Outside+India%29+for+uploading+on+website.pdf/c8987f08-f74f-89fa-ffc8-6acbe6d713fe?t=1739440656689
LIC's Code of Fair Disclosure, Policy for Determination of Legitimate Purposes, Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Policy on Leakage and of UPSI	https://licindia.in/documents/20121/46602/LIC-Code-as-per-SEBI_PIT_Regulations-2015.pdf/4ee158ab-f1d7-cf1c-50f0-a7081f98d3cf?t=1668408620699
Policy on Related Party Transactions	https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256
Policy on Life Insurance Corporation's Preservation of Documents	https://licindia.in/documents/20121/46602/Preservation-of-Records.pdf/480de9df-24ee-f6a5-963a-fe039d002aa4?t=1668408679890
Surplus distribution policy of the Corporation	https://licindia.in/documents/20121/46602/Surplus+Distribution+Policy.pdf/2f71b570-4eb6-43ac-c2d7-549730a0765b?t=1725868067255
Whistle Blower Policy	https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy+-+July+2024+%281%29.pdf/747aee51-4ff5-fb58-2c2a-ee7849695357?t=1723013250304
Archival Policy	https://licindia.in/documents/20121/46602/Archival_Policy-%281%29.pdf/f5e40682-4323-35af-b47d-9d41cef35639?t=1668407560823

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. Corporation's Philosophy on Corporate Governance

Life Insurance Corporation of India ("LIC of India" or "LIC" or "LIC" or "the Corporation") is firmly committed to upholding the highest standards of corporate governance. The Corporation places strong emphasis on ethics, fairness, and transparency in all its operations, which foster trust, enhances stakeholder confidence, and maximizes long-term value for all stakeholders and to drive a successful business. Corporation promotes responsible decision making, effective oversight and accountability to create a culture of excellence and integrity that benefit the shareholders, employees, customers and the community at large.

The Corporation adheres to governance and compliance obligations in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956" or "LIC Act") read with rules and regulations made thereunder, Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 ("IRDAI CG Regulations"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" or "Listing Regulations") and other applicable provisions, if any. The Corporation has established a well-defined set of policies and a governance framework that ensures the effective implementation of corporate governance practices and the framework, *inter-alia*, includes following key policies:

- Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel
- LIC's Code of Fair Disclosure, Policy for Determination of Legitimate Purposes, Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Policy on Leakage of UPSI
- Enterprise Risk Management Policy
- Whistle Blower Policy
- Policy on Protection of Policyholders' Interests
- Policy on Related Party Transactions (includes Material RPT)
- Policy for determining Material Subsidiaries (within India and outside India)
- Policy for Preservation of Documents
- Dividend Distribution Policy
- Policy for Directors and Senior Management Personnel Disclosure of Material Commercial and Financial Transactions
- Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity (Directors' Policy)
- Policy for Determination of Materiality and Disclosure of Events/Information
- Surplus Distribution Policy

2. Board of Directors

a) Composition of Board of Directors

The Board of the Corporation is constituted in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder. The Board of the Corporation comprises of Executive (Whole-time) Directors, Non-Executive Government Nominee Director and Non-Executive Independent Directors (including one woman Director).

The tenure of the Directors appointed on the Board is as under:

- a) Whole – time Directors are appointed for a period upto five years as the Central Government may specify and are eligible for re-appointment.
- b) Government Nominee Director is nominated by the Central Government.
- c) Independent Directors are appointed for a term of four years and are eligible for re-appointment for one further term of four years.

In terms of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the total number of Directors on the Board of the Corporation shall not exceed 18 Directors.

As on 31st March, 2025, Board comprises of 14 Directors, which includes (i) Chief Executive Officer & Managing Director; (ii) one (1) Government Nominee Director; (iii) four (4) Managing Directors; (iv) eight (8) Independent Directors including one (1) Woman Director.

The composition of the Board as on 31st March, 2025 is given below:

Sl. No.	Name of the Director	Category	Designation	Date of Appointment	Tenure as on March 31, 2025 (in years)
1	Shri Siddhartha Mohanty	Executive Director	Chief Executive Officer and Managing Director*	02-02-2021	4.16
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Non-Executive Director	Government Nominee Director	28-06-2023	1.76
3	Shri Jagannath M	Executive Director	Managing Director	13-03-2023	2.05
4	Shri Tablesh Pandey	Executive Director	Managing Director	01-04-2023	2.00
5	Shri Sat Pal Bhanoo	Executive Director	Managing Director	20-07-2023	1.70
6	Shri Doraiswamy Ramchandran	Executive Director	Managing Director	01-09-2023	1.58
7	Dr. Ranjan Sharma	Non-Executive Director	Independent Director	29-10-2021	3.42
8	Shri Vinod Kumar Verma	Non-Executive Director	Independent Director	29-10-2021	3.42
9	Prof. Anil Kumar	Non-Executive Director	Independent Director	20-01-2022	3.19
10	Smt. Anjuly Chib Duggal	Non-Executive Director	Independent Director	29-01-2022	3.17
11	Shri Mahalingam G	Non-Executive Director	Independent Director	29-01-2022	3.17
12	Shri Raj Kamal	Non-Executive Director	Independent Director	29-01-2022	3.17
13	Dr. V S Parthasarathy	Non-Executive Director	Independent Director	29-01-2022	3.17
14	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Non-Executive Director	Independent Director	29-01-2022	3.17

* Whole-time Chairperson till 29th June, 2024 and thereafter re-designated as Chief Executive Officer and Managing Director of the Corporation, w.e.f., 30th June, 2024, in terms of Government of India notification dated 28th April, 2023.

b) Current Directors of the Corporation (As on 22 July, 2025)

Name of the Director	Educational Qualification	Designation
Shri R Doraiswamy*	B.Sc.(Maths), Fellow of Insurance Institute of India	Chief Executive Officer and Managing Director
Dr. Parshant Kumar Goyal**	MBBS	Government Nominee Director
Shri Sat Pal Bhanoo***	B.A. (Hons.) History	Managing Director
Shri Dinesh Pant****	B. Tech, LL. B, Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK, MBA	Managing Director
Shri Ratnakar Patnaik****	B.Sc.(Hons.) Physics, PG (Public Administration), Fellow of Insurance Institute of India and Diploma in Health Insurance	Managing Director

Name of the Director	Educational Qualification	Designation
Dr. Ranjan Sharma	M.A., Ph.D.	Independent Director
Shri Vinod Kumar Verma	B.A.	Independent Director
Prof. Anil Kumar	B. Com (Hons.), M. Com, Ph.D.	Independent Director
Smt. Anjuly Chib Duggal	M.A.	Independent Director
Shri Mahalingam G	M.Sc. (Stat), MBA	Independent Director
Shri Raj Kamal	B. Tech (Mech. Engg.), PG Program in Business Management	Independent Director
Dr. V S Parthasarathy	CA, Alumnus of Harvard Business School's AMP, Ph.D.	Independent Director
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	B. Com, FCA, FCMA & FCS	Independent Director

*Taken charge as Chief Executive Officer and Managing Director of the Corporation on 14th July, 2025 as per Government of India's notification dated 14th July, 2025

**Appointed as Government Nominee Director w.e.f. 17th April 2025 in place of Dr. Maruthi Prasad Tangirala as per Government of India's notification dated 17th April 2025

*** Government of India vide its communication dated 7th June, 2025 has entrusted financial and administrative powers and functions of the post of CEO & MD of the Corporation to Shri Sat Pal Bhanoo, Managing Director of the Corporation in addition to his own duties, for a period of three months or till further order w.e.f., 8th June, 2025 or till assumption of charge of the post by the regular incumbent, or until further orders, whichever is the earliest, upon completion of the term by Shri Siddhartha Mohanty as CEO & MD on 7th June, 2025.

****Taken charge as Managing Directors w.e.f. 1st June 2025 as per Government of India's notification dated 14th May 2025 in place of Shri Jagannath M and Shri Tablesh Pandey, upon their superannuation.

c) Board Meetings

During the financial year 2024-25, a total thirteen (13) Board meetings were convened. Of these, eleven (11) meetings were held at Central Office in Mumbai, one was held in Delhi, and one was held in Chennai. The agenda papers and other supporting documents of the meetings are circulated to the Directors in advance. However, emergent proposals are tabled at the Board Meeting and are considered with the approval of the Chairperson of the Board and consent of other Directors. The Directors are provided with the option to participate in the Meetings either in person or through Video Conferencing. To facilitate informed decision making, Executive Summaries for the agenda items are provided to the Directors ahead of each Board Meeting. The Board regularly reviews the Corporation's quarterly performance and financial results, as well as key policies and other strategic matters. In addition, the performance of Subsidiary and Associate Companies is reviewed at regular intervals.

The Board is provided with relevant information as stipulated under various applicable rules, regulations and laws, to ensure comprehensive oversight and compliance. In support of Corporation's green initiative, paperless meetings are conducted. Agenda papers and other supporting documents are uploaded on a secure digital platform, accessible electronically by the Directors. The Minutes of the meetings are prepared and circulated to the Directors for their comments, if any. Upon approval by the Chairperson of the Board and other Directors, the extracts of the minutes are shared with departments concerned for implementation. The Action taken Reports are submitted to the Board to ensure follow-through on decisions and directives.

Details of Board Meetings held during the financial year 2024-2025 are as under:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1	06-04-2024	15	15
2	25-04-2024	15	15

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
3	27-05-2024	15	15
4	21-06-2024	14	13
5	15-07-2024	14	14
6	08-08-2024	14	13
7	08-10-2024	14	13
8	23-10-2024	14	13
9	08-11-2024	14	13
10	08-12-2024	14	14
11	13-01-2025	14	14
12	07-02-2025	14	14
13	17-03-2025	14	12

d) **Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM) during the Financial Year 2024-2025**

Name of the Director	Attendance at Board Meetings														Attendance at the AGM held on
	06-04-2024	25-04-2024	27-05-2024	21-06-2024	15-07-2024	08-08-2024	08-10-2024	23-10-2024	08-11-2024	08-12-2024	13-01-2025	07-02-2025	17-03-2025	22-08-2024	
Shri Siddhartha Mohanty	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	
Shri Jagannath M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Shri Tablesh Pandey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Shri Sat Pal Bhanoo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Shri Doraiswamy Ramchandran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dr. Ranjan Sharma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Shri Vinod Kumar Verma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Prof. Anil Kumar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Smt. Anjuly Chib Duggal	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Shri Mahalingam G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Shri Raj Kamal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dr. V S Parthasarathy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Shri Sanjeev Nautiyal*	✓	✓	✓	Ceased w.e.f. the close of day on 31.05.2024, upon his resignation											
Attendance in %age	100	100	100	92.86	100	92.86	92.86	92.86	92.86	100	100	100	85.71	85.71	

* Shri Sanjeev Nautiyal ceased to hold the position of Independent Director on the Board of the Corporation w.e.f. the close of day on 31.05.2024, upon his resignation consequent to his appointment as MD & CEO, Ujjivan Small Finance Bank Ltd., and there was no other reason for his resignation.

e) Details of attendance of Directors at the Board Meetings and their Directorship as per the statement below:

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity Listed entities where the person is a Director and the category of Directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2025	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2025	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2025
Whole – Time Directors					
Shri Siddhartha Mohanty (DIN - 08058830)	13/13	- LIC Housing Finance Limited – Nominee Director & Chairman - Larsen & Toubro Limited- Nominee Director - ITC Limited -Nominee Director	3	1	-
Shri Jagannath M (DIN - 10090437)	13/13	- LIC Housing Finance Limited –Nominee Director - BSE Limited – Non-Executive Non-Independent Director - Grasim Industries Limited-Non-Executive Non-Independent Director	3	2	1
Shri Tablesh Pandey (DIN - 10119561)	12/13	ITC Hotels Limited – Nominee Director	1	3	1
Shri Sat Pal Bhanoo (DIN - 10482731)	13/13	- Mahindra & Mahindra Limited- Non-Executive Non-Independent Director - IDBI Bank Limited- Nominee Director	2	-	-
Shri Doraiswamy Ramchandran (DIN - 10358884)	13/13	-	-	1	-

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity Listed entities where the person is a Director and the category of Directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2025	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2025	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2025
Non-Executive Directors (Government Nominee)					
Dr. Maruthi Prasad Tangirala (DIN - 03609968)	10/13	- General Insurance Corporation of India –Nominee Director - Bank of Baroda- Nominee Director	2	-	-
Non-Executive Directors (Independent Director)					
Dr Ranjan Sharma (DIN - 09573799)	13/13	-	-	-	-
Shri Vinod Kumar Verma (DIN - 09309031)	13/13	-	-	-	-
Prof. Anil Kumar (DIN - 09477565)	13/13	-	-	-	-
Smt Anjuly Chib Duggal (DIN - 05264033)	12/13	Gillette India Limited- Non-Executive - Independent Director & Chairperson of the Board	1	2	1
Shri Mahalingam G (DIN - 09660723)	12/13	- City Union Bank Limited- Non-Executive - Independent Director & Chairperson of the Board - CARE Ratings Limited Non-Executive - Independent Director - Central Depository Services Limited Non-Executive - Independent Director	3	3	0

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity Listed entities where the person is a Director and the category of Directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2025	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2025	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2025
Shri Raj Kamal (DIN - 07653591)	13/13	Trident Limited- Non-Executive – Independent Director	1	1	-
Dr. V. S. Parthasarathy (DIN - 00125299)	12/13	- NIIT learning Systems Limited – Non-Executive- Independent Director - Pennar Industries Limited – Non-Executive - Independent Director	2	5	4
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar (DIN - 05170323)	13/13	- Heritage Foods Limited - Non-Executive - Independent Director - Wheels India Limited- Non-Executive - Independent Director	2	2	1
Shri Sanjeev Nautiyal (DIN - 08075972) (up to 31.05.2024)	03/03	-	-	-	-

* Pursuant to SEBI Listing Regulations, the Membership held by Directors, as mentioned above, include public limited companies but do not include the private limited companies, foreign companies, high value debt listed entities and companies registered under section 8 of the Companies Act, 2013. Positions held by Directors as Chairman and/or member of Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee are considered.

f) Terms of Reference of Board

- 1) To exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Corporation.
- 2) To approve Annual operating plans and budgets and any updates.
- 3) To approve Capital budgets and any updates.
- 4) To approve Quarterly results of the Corporation and its operating divisions or business segments.
- 5) To constitute mandatory Committees of the Board as required by applicable Statute and other Committees of the Board as it may deem fit.
- 6) To review the minutes of meetings of Audit Committee and other Committees of the Board.

- 7) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the level of Board of Directors, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- 8) To appoint on recommendation of the Audit Committee, Internal Auditor of the Corporation.
- 9) To approve Related Party Transactions which are not in the ordinary course of business or on arms-length basis.
- 10) To convene General Meeting(s) of Shareholders, AGM or Postal Ballot.
- 11) To approve the Annual Report of the Corporation.
- 12) To recommend final dividend and/or to declare interim dividend.
- 13) To approve Regulations with previous approval of Central Government.
- 14) To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Corporation.
- 15) To lay down a Code of Conduct for all members of the Board of Directors and Senior Management.
- 16) To have oversight over the control functions of the Corporation.
- 17) To approve various Policies of the Corporation.
- 18) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices, which are materially important.
- 19) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- 20) Any material default in financial obligations to and by the Corporation, or substantial non-payment for goods sold by the listed entity.
- 21) Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which, may have passed strictures on the conduct of the Corporation or taken an adverse view regarding another enterprise that may have negative implications on the Corporation.
- 22) Details of any joint venture or collaboration agreement.
- 23) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity or intellectual property.
- 24) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in Human Resources, Industrial Relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- 25) Sale of investments, subsidiaries, assets which are material in nature and not in normal course of business.
- 26) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- 27) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

g) Directorships in other Companies

- None of the Directors of the Corporation is a Director in more than seven listed entities.
- None of the Directors of the Corporation acts as an Independent Director (including any alternate directorships) in more than seven listed companies or three equity listed companies in case he/she serves as a Whole-Time Director in the Indian listed entity.
- Further, none of the Directors of the Corporation is a member of more than ten Committees or Chairperson of more than five Committees, across all the Indian Public Limited Companies in which he/she is a Director. For the purpose of determination of limit of the Board Committees, Chairmanship or Membership of Audit Committee & Stakeholders' Relationship Committee has been considered.
- The Directors of the Corporation do not have any relationships inter-se.

h) Code of Conduct

The Corporation has a Board approved Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel of the Corporation, which is circulated to all concerned and is also hosted on the website of the Corporation. For the

financial year ended March 31, 2025, all Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance with the provisions of the Code of conduct and no material financial or commercial transactions, which may have a potential conflict of interest with the Corporation, were reported by them during the year. A declaration duly signed by the CEO & MD is enclosed as **Annexure 'A'** to this report.

i) Integrity Pact:

To promote transparency and ethical practices in the award of contracts, the Corporation adopted the Integrity Pact effective from 05.09.2015. As per Board approved Manual for Procurement of Goods and Manual of Consultancy Services, the integrity pact applies to contracts above a specified threshold value, designed to cover 80-90% (by value) of the Corporation's procurement expenditure. The Integrity Pact has been integrated into tender documents, and only those vendors or bidders who agree to abide by its provisions are considered eligible to participate in the bidding process. Presently, two Independent External Monitors (IEMs), nominated by the Central Vigilance Commission (CVC), oversee the implementation of Integrity Pact across all applicable tenders to ensure compliance and accountability. The Integrity Pact becomes applicable for engineering department at pan-India level for the tender value of ₹ 10 crore and above and for all other departments at Central Office for tenders having value of ₹ 1 crore and above. For Zonal and Divisional Offices, tenders having value of ₹ 10 lakh and above for all Departments (excluding Engineering Department) shall come under the purview of the Integrity Pact.

In line with the guidelines issued by CVC, the Corporation held a total of six meetings with the IEMs during the year:

- Two structured meetings with the CEO & MD; and
- Four regular meetings with IEMs (comprising one meeting with single IEM and three meetings with both IEMs).

During these meetings, a total 63 tenders were reviewed and four complaints were received. As on March 31, 2025, there are no pending complaints, reflecting the Corporation's commitment to transparency and timely resolution of issues under the Integrity Pact framework.

j) Shareholding of Non-Executive Directors in the Corporation: Nil

- k) Familiarization programme for Independent Directors:** Independent Directors are familiarized with their roles, rights and responsibilities in the Corporation, as well as with the nature of insurance industry, through structured induction programmes and ongoing training sessions on key contemporary topics such as Environmental, Social & Governance (ESG) leadership Program, etc, from time to time. During the financial year 2024-25, the Corporation conducted two Familiarization Programme for its Independent Directors. These programmes are designed to enhance their understanding of the Corporation's business, industry dynamics, regulatory environment, and governance framework. The information regarding the Familiarization Programme for Independent Directors is available on LIC's website at <https://licindia.in/documents/d/guest/familiarisation-program-upto-march-2025-for-website>

l) Field of Specialization/Skills/Expertise/Competence of the Board of Directors:

The Board comprises of qualified members with rich professional experience who possess the relevant skills/ expertise/ competence to ensure the effective functioning of the Corporation which are as follows:

Sl. No.	Name of the Director	Educational Qualification	Field of Specialization/Skills/Expertise/Competence					
			Governance	Marketing	Business Management	Accountancy & Finance	Insurance	Risk Management
1	Shri Siddhartha Mohanty	M.A., LL.B, PGCBM, Licentiate of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	B.E.(Civil), PGDM, LL.B, M. Phil, Ph.D.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sl. No.	Name of the Director	Educational Qualification	Field of Specialization/Skills/Expertise/Competence					
			Governance	Marketing	Business Management	Accountancy & Finance	Insurance	Risk Management
3	Shri Jagannath M	B.Com, CA(Inter), PG Diploma in Marketing, International PG Diploma in Life Insurance, General Insurance & Risk Management, Associate Member of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Shri Tablesh Pandey	B. Tech (Agricultural Engineering), Associate Member of Institute of Actuaries of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Shri Sat Pal Bhanoo	B.A. (Hons.) History	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Shri Doraiswamy Ramchandran	B.Sc.(Maths), Fellow of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dr. Ranjan Sharma	M.A., Ph.D.	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	Shri Vinod Kumar Verma	B.A.	✓	✓	✓	-	✓	-
9	Prof. Anil Kumar	B.Com (Hons), M. Com, Ph.D.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Smt. Anjuly Chib Duggal	M.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Shri Mahalingam G	M.Sc. (Stat), MBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Shri Raj Kamal	B. Tech (Mech. Engg.), PG Program in Business Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Dr. V. S. Parthasarathy	CA, Alumnus of Harvard Business School's AMP, Ph.D.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	B.Com, FCA, FCMA & FCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- m) Declaration by Independent Directors:** Independent Directors, as per Section 4 (3) of the LIC Act, 1956 read with Section 149 (6) of the Companies Act, 2013, have confirmed that they are not aware of any circumstance or situation which exists or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties. They have also confirmed that they meet the criteria of independence and are independent of the Management and also satisfy the criteria framed by Nomination & Remuneration Committee regarding qualifications, positive attributes and independence. In the opinion of the Board, Independent Directors fulfill the prescribed mandatory conditions and are independent of the Management.
- n) Meeting of Independent Directors:** In terms of Regulation 25 (3), (4) and Regulation 27 read with part E of Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, two Meetings of Independent Directors of the Corporation were held during the year 2024-25. The agenda of the Meeting covered *inter-alia* the review of the performance of the Board, the Chairperson, the Non-Independent Directors and the quality, quantity and the timeliness of the flow of information to the Board from the Management.

The attendance at the two (2) meetings of the Independent Directors of the Corporation held during the year 2024-2025 is given below:

Name of the Independent Director	08-12-2024	17-03-2025	Total Meetings held during the year	Meetings attended during the year
Dr. Ranjan Sharma	✓	✓	2	2
Shri Vinod Kumar Verma	✓	✓	2	2
Prof. Anil Kumar	✓	✓	2	2
Smt. Anjuly Chib Duggal	✓	✓	2	2
Shri Mahalingam G	✓	✓	2	2
Shri Raj Kamal	✓	✓	2	2
Dr. V S Parthasarathy	✓	✗	2	1
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	✓	✓	2	2
Attendance in %age	100	87.50		

3. COMMITTEES OF THE BOARD

The Corporation has 13 Board level Committees, viz; Executive Committee, Investment Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, Policyholders' Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee (formerly known as Policyholders' Protection Committee), With – Profit Committee, Committee for Election of Shareholders' Directors in Public Sector Banks (PSBs), Information Technology (IT) Strategy Committee, Building Advisory Committee, Committee for Review of Wilful Defaulters, Stakeholders' Relationship Committee, Nomination & Remuneration Committee and Environment, Social and Governance (ESG) Committee.

A. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

The Executive Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19 (1) of the LIC Act, 1956.

i. The Executive Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member
3	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
4	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member
5	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
6	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
7	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
8	Smt Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member
9	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
10	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member

ii. The Terms of Reference of the Executive Committee is as under:

1. To execute the functions in accordance with provisions of Rule 12, 18, 39, 40 and 86 specified in the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 and accordingly;
 - (a) To appoint officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres, the Executive Committee being the Appointing Authority as per Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.

- (b) As Appointing Authority, to execute the functions specified in the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (c) To take disciplinary action against the officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres as Disciplinary Authority and impose major penalty under Rule 39 (1) (f) to (j) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (d) To consider the appeals received from the officers in the cadre of Zonal Manager and above and equivalent cadres, Executive Committee being the Appellate Authority, for minor penalties under Rule 39 (1)(a) to (e) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (e) To consider the appeals received from the officers in the cadre of Deputy Zonal Manager/Senior Divisional Manager/Divisional Manager and equivalent cadres, Executive Committee being the Appellate Authority for major penalties under Rule 39(1)(f) to (j) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (f) To relax any of the provisions of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 in accordance with provision of Rule 86 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
2. To execute the functions in accordance with provisions specified in the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995 and accordingly;
 - (a) As per Rule 2 (f) of LIC of India (Employees) Pension Rules, 1995, the Executive Committee is the Competent Authority for the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres for the provisions specified as per the Rules.
 - (b) As per Rule 48 (1), the Executive Committee shall be consulted before passing any final order for recovery of pecuniary loss caused to the Corporation from retired employees (Pensioners) and/or for withholding/withdrawal of pension or a part thereof.
3. To issue Standing Order governing the functions and powers of various authorities in the Corporation with regard to financial/operational matters (through FPSO).
4. To exercise the financial/administrative powers which are with the Executive Committee as per the FPSO.
5. To recommend to the Board, matters related to the Employee benefits being referred to the Govt. of India.
6. To review matters (Strategic Issues) related to International Operations (IO) before placing it to the Board for approval.
7. To exercise an oversight over the timely renewals of tenancies of the Corporation on a quarterly basis bringing the terms comparable to the rates prevailing in the market.
8. To review the progress of the projects for the development of properties of the Corporation on a quarterly basis.
9. To review the current accounts maintained in multiple banks by the Corporation on a quarterly basis for oversight on the progress made in optimizing the number of accounts, in accordance with the provisions laid in IRDAI circular ref: IRDAI/F&A/CIR/MISC/262/10/2021 dated 5th October 2021 stipulating review of the need for having multiple current accounts.
10. To periodically review the progress of Agency Transformation Project till the completion of the project.
11. Appointment/Removal of Senior Management/Key Management Persons (KMPs) on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee.
12. To exercise the powers specified as per Corporation's Policy on Fixed Term Engagement on Contractual Basis.
13. To exercise those powers, if any, deriving from amendments to Act, Rules, Regulations and those functions further assigned by the Board.

- iii. A total of (9) meetings of the Executive Committee were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	06-04-2024	16-05-2024	21-06-2024	15-07-2024	07-10-2024	07-12-2024	13-01-2025	20-01-2025	07-02-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	7
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Dr. Ranjan Sharma*	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓					5	5
Prof. Anil Kumar**	Independent Director	Member						✓	✓	✓	✓	4	4
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	8
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	9	7
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Attendance in %age			100	80	90	100	90	90	100	100	100		

*Ceased as Member w.e.f. 08.10.2024

**Inducted as Member w.e.f. 08.10.2024

B. INVESTMENT COMMITTEE (IC)

The Investment Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19A of the LIC Act, 1956 read with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable).

- i. The Investment Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
3	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
4	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
5	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
6	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
7	Shri Raj Kamal	Independent Director	Member
8	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member

Special Invitees: Appointed Actuary and Officers of the Corporation heading the functions dealing with finance, risk, investment and law.

ii. The Terms of Reference of the Investment Committee is as under:

- To take decisions in matters relating to the investment of the funds of the Corporation.
- To review the performance of Investment portfolio on quarterly basis.
- To take note of reporting items submitted to the Investment Committee
- To review and recommend to the Board, Investment Policy (IP) and lay down the operational framework for investment operations. Such review of the Investment Policy to be done on a half yearly basis or at such short intervals as may be decided. To ensure that regulatory norms and Section 27A of Insurance Act 1938 as made applicable to LIC by Govt. notification u/s 43(2) of LIC Act 1956 are adhered to while making investments.
- To approve the “Standard Operating Procedures” of the Corporation with respect to its investment functions on an annual basis and any need-based modification thereof from time to time. The provisions of SOP may be reviewed from time to time depending on economic scenario, regulatory provisions and other factors, and may be changed after approval of Investment Committee.
- To lay out guidelines for various investment functions.
- The Investment Policy, as approved by the Board, shall be implemented by the Investment Committee.
- For assessment of credit risk and market risk, the members of the Committee should not be influenced only by the credit rating. The committee should independently review their investment decisions and ensure that support by the internal due diligence process is an input in making appropriate investment decisions.
- The Committee shall formulate an effective reporting system to ensure compliance with the policy set out by it apart from Internal /Concurrent Audit mechanisms for a sustained and ongoing monitoring of Investment Operations.
- The Committee shall submit a report to the Board on the performance of the investment portfolio with regard to its safety and soundness.
- The Committee shall analyze and review non-performing assets of investments on a quarterly periodicity.

iii. A total of fifteen (15) meetings of the Investment Committee were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	16-04-2024	17-05-2024	31-05-2024	21-06-2024	22-07-2024	26-08-2024	23-09-2024	11-10-2024	31-10-2024
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	16-04-2024	17-05-2024	31-05-2024	21-06-2024	22-07-2024	26-08-2024	23-09-2024	11-10-2024	31-10-2024
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Raj Kamal	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attendance in %age			100	87.50	100	87.50	87.50	100	87.50	75	87.50

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	05-11-2024	29-11-2024	27-12-2024	24-01-2025	28-02-2025	17-03-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	12
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member	✓	✗	✓	✓	✓	✓	15	13
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✗	✓	15	11
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
Shri Raj Kamal	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✗	✓	✓	15	14
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	15
Attendance in %age			100	87.50	100	87.50	87.50	100		

The attendance of Special Invitees at the fifteen (15) meetings of the Investment Committee held during the year 2024-2025 is given below:

Name the Special Invitee	Designation	16-04-2024	17-05-2024	31-05-2024	21-06-2024	22-07-2024	26-08-2024	23-09-2024	11-10-2024	31-10-2024	05-11-2024	29-11-2024	27-12-2024	24-01-2025	28-02-2025	17-03-2025
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Shri Rajesh Ailawadi	Executive Director (Legal)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗

Name the Special Invitee	Designation	16-04-2024	17-05-2024	31-05-2024	21-06-2024	22-07-2024	26-08-2024	23-09-2024	11-10-2024	31-10-2024	05-11-2024	29-11-2024	27-12-2024	24-01-2025	28-02-2025	17-03-2025
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Shri Jagat Singh Tolia*	Executive Director (Investment Mid Office)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗							
Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Sessa Giridhar Kuppoli	Executive Director (Investment Back Office)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smt. Bindu Paul	Addl. Executive Director (Investment Mid Office)	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Shri S Sunder Krishnan**	Chief Risk Officer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗								

* Cessation from the post of Executive Director (Investment Mid Office) w.e.f. 14.10.2024 upon becoming Addl. Zonal Manager, Zonal Office, Kolkata.

**Cessation from the post of Chief Risk Officer w.e.f. 25.09.2024 upon his resignation

C. AUDIT COMMITTEE (AC)

The Audit Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19C of the LIC Act, 1956, read with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable) and Regulation 18 of SEBI Listing Regulations.

i. The Audit Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Chairperson
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member
3	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
4	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
5	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
6	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member
Special Invitee:			
1	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	-
2	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	-

ii. The Terms of Reference of the Audit Committee is as under:

- Oversight of financial reporting process and the disclosure of financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- Oversight on the overall management costs, as permissible under the Act / Regulations, i.e. to analyze expenses, to identify areas of cost optimization, address areas of excessive spending for implementing measures to bring expenses within permissible limits.
- Recommendation for appointment, remuneration, performance and oversight of the work of the auditors (including Statutory/Concurrent/Secretarial/Forensic/Systems Audit).

4. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors, if permissible under the Act / Rules / Regulations.
5. Reviewing the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - a) Matters required to be included in the Director's responsibility statement to be included in the Board's report in terms of Section 24C (2) of the LIC Act, 1956
 - b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - f) Disclosure of any related party transactions;
 - g) Modified opinion(s) in the draft audit report;
6. Reviewing the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
7. Reviewing the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilization of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter.
8. Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process.
9. To review annually the need for having multiple Current Accounts by the Corporation in accordance with the provisions laid in IRDAI circular ref/IRDAI/F&A/CIR/MISC/262/10/2021 dated 5th October 2021.
10. Prior approval or any subsequent modification of transactions of the Corporation with related parties.
11. Scrutiny of inter-corporate loans and investments, if any.
12. Valuation of undertakings or assets of the listed entity, wherever it is necessary.
13. Evaluation of internal financial controls and risk management systems.
14. Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems.
15. Review of adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit.
16. Discussion with Internal Auditors on any significant findings and follow up there on.
17. Review the findings of any internal investigations by the Internal Auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
18. Discussion with Statutory Auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
19. Review of the reasons for substantial defaults in the payment to the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.
20. Review the functioning of Vigil Mechanism.
21. Approval of appointment of Chief Financial Officer, Chief Internal Auditor and Chief Compliance Officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate.
22. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee.
23. Reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower, including existing loans / advances / investments as on the date of coming into force of this provision.

24. Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholder.
 25. Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
 26. Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
 27. Internal audit reports relating to internal control weaknesses; and
 28. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Internal Auditor shall be subject to review by the Audit Committee.
 29. Statement of deviations:
 - a) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of SEBI (LODR), 2015.
 - b) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/notice in terms of Regulation 32(7) of SEBI (LODR), 2015.
 30. Act as a “compliance” Committee to discuss the level of compliance and any associated risks and to monitor and report to the Board on any significant compliance breaches.
 31. To monitor oversight on voting mechanism and ensure effective oversight on the Stewardship activities.
 32. To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time to time.
- iii. A total of ten (10) meetings of the Audit Committee were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members & special invitees is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	24-04-2024	27-05-2024	20-06-2024	07-08-2024	08-08-2024	05-09-2024	29-10-2024	08-11-2024	12-01-2025	07-02-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10
Dr. Maruti Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	10	6
Shri Jagannath M*	Managing Director	Member							✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Doraiswamy Ramchandran**	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓					6	6
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	10	9
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10
Attendance in %age			100	100	83.33	83.33	100	83.33	100	83.33	83.33	100		
Special Invitees:														
Shri Sat Pal Bhanoo ***	Managing Director		✓	✓	✓	✓	✓	✓					6	6
Shri Doraiswamy Ramchandran**	Managing Director								✓	✓	✓	✓	4	4

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	24-04-2024	27-05-2024	20-06-2024	07-08-2024	08-08-2024	05-09-2024	29-10-2024	08-11-2024	12-01-2025	07-02-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Sunil Agrawal [^]	Chief Financial Officer								✓	✓	✓	✓	4	4

* Inducted as Member w.e.f. 08.10.2024;

** Member till 07.10.2024 and special invitee w.e.f. 08.10.2024

*** Special Invitee till 07.10.2024;

[^] Special Invitee w.e.f. 08.10.2024

D. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

The Risk Management Committee has been constituted in line with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable) and Regulation 21 of SEBI Listing Regulations.

i. The Risk Management Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Mahalingam G	Independent Director	Chairperson
2	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Member
3	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
4	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member
5	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member
6	Shri Raj Kamal	Independent Director	Member
7	Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member
8	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member
9	Shri Shatamanyu Shrivastava*	Chief Risk Officer	Member

*Appointed as Chief Risk Officer w.e.f. 19.03.2025

ii. The Terms of Reference of the Risk Management Committee is as under:

1. To formulate a detailed risk management policy which shall include:
 - a. A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the Corporation, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
 - b. Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.
 - c. Business continuity plan.
2. To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the operations of the Corporation.
3. To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems.
4. To periodically review the risk management policy, annually, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity.

5. To keep the Board of Directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken.
 6. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.
 7. The Risk Management Committee shall coordinate its activities with other committees, in instances where there is any overlap with activities of such committees, as per the framework laid down by the Board of Directors.
 8. Review of Risk Management framework
 9. Review of Anti-Fraud Policy, Anti Money Laundering Policy, Asset Liability Management Policy, Risk Appetite Statement etc. and recommendation of the above Policies to the Board for approval.
 10. Setting of the risk tolerance limits and assess the cost and benefits associated with risk exposure.
 11. Review of Corporation's risk-reward performance to align with overall policy objectives.
 12. Discuss and consider best practices in risk management in the market and advise the respective functions;
 13. Assist the Board in effective operation of the risk management system by performing specialized analysis and quality reviews.
 14. Maintain an aggregated view on the risk profile of the Corporation for all categories of risk including insurance risk, market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk, etc.
 15. Advise the Board with regard to risk management decisions in relation to strategic and operational matters such as corporate strategy, mergers and acquisitions and related matters.
 16. Report to the Board, details on the risk exposures and the actions taken to manage the exposures; review, monitor and challenge where necessary, risks undertaken by the Corporation.
 17. Review the solvency position of the Corporation on a regular basis.
 18. Monitor and review regular updates on business continuity.
 19. Monitor implementation of Anti-fraud policy for effective deterrence, prevention, detection and mitigation of frauds.
 20. Review compliance with the guidelines on Insurance Fraud Monitoring Framework IRDA/SDD/MISC/CIR/009/01/2013 dated 21/01/2013.
 21. Oversee matters related to Asset Liability Management (ALM) as per the Corporation's ALM Policy.
 22. The Risk Management Committee shall be periodically apprised about the Outsourcing arrangements entered into by the Corporation and also confirmation to the effect that they comply with the stipulations as well as the internal policy.
- iii. A total of five (5) meetings of the Risk Management Committee (RMC) were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	22-05-2024	28-08-2024	16-12-2024	24-01-2025	07-03-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Mahalingam G	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Shri Siddhartha Mohanty*	Chief Executive Officer & Managing Director	Member			✓	✓	×	3	2

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	22-05-2024	28-08-2024	16-12-2024	24-01-2025	07-03-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✗	✓	✓	5	4
Dr. V S Parthasarathy**	Independent Director	Member	✗	✓				2	1
Shri Sanjeev Nautiyal***	Independent Director	Member	✓					1	1
Shri S Sunder Krishnan^	Chief Risk Officer	Member	✓	✓				2	2
Smt. Anjuly Chib Duggal*	Independent Director	Member			✓	✓	✓	3	3
Shri Raj Kamal*	Independent Director	Member			✓	✗	✓	3	2
Shri Dinesh Pant*	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member			✓	✗	✓	3	2
Shri Sunil Agrawal*	Chief Financial Officer	Member			✓	✓	✓	3	3
Attendance in %age			83.33	100	87.50	75	87.50		

* Inducted as member w.e.f. 08.10.2024

**Ceased as member w.e.f. 08.10.2024

***Cessation from Directorship upon resignation on 31.05.2024

^Cessation from the post of Chief Risk Officer w.e.f. 25.09.2024 upon his resignation

E. POLICYHOLDER PROTECTION, GRIEVANCE REDRESSAL AND CLAIMS MONITORING COMMITTEE (FORMERLY KNOWN AS POLICYHOLDER PROTECTION COMMITTEE)

Pursuant to IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable), the Policyholder Protection Committee has been renamed and reconstituted on October 08, 2024, as Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee (PPGR&CM Committee).

i. The PPGR&CM Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Chairperson
2	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
3	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
4	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
5	Smt Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member
6	Smt. Reema Nanavaty	Expert	Member

- ii. The Terms of Reference of the PPGR&CM Committee is as under:
1. Adoption of standard operating procedures to treat the customer fairly including time-frames for policy and claims servicing parameters and monitoring implementation thereof.
 2. Review mechanism to address complaints and grievances of policyholders including mis-selling by intermediaries.
 3. Review of awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums.
 4. Analyze the root cause of customer complaints and identify market conduct issues.
 5. Advise the management appropriately about rectifying systemic issues, if any.
 6. Review all the awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums remaining unimplemented for more than three (3) months with reasons thereof and report the same to the Board for initiating remedial action, where necessary.
 7. Review the measures and take steps to reduce customer complaints at periodic intervals.
 8. Review compliance with the statutory requirements as laid down in the regulatory framework.
 9. Ensure adequacy of disclosure of “material information” to the policyholders. These disclosures shall comply with the requirements laid down by the Authority both at the point of sale and at periodic intervals.
 10. Provide details of grievances at periodic intervals in such formats as may be prescribed by the Authority.
 11. Ensure that details of Insurance Ombudsmen are provided to the policyholders.
 12. Review of Claims Report, including status of Outstanding Claims with ageing of outstanding claims.
 13. Reviewing Repudiated claims with analysis of reasons.
 14. Review status of settlement of other customer benefit payouts like Surrenders, Loans, Partial withdrawal requests etc.
 15. Review of unclaimed amounts of Policyholders, as required under the circulars and guidelines issued by the Authority.
 16. Matters relating to relocation of Place of Business of the Corporation within the same city, town or village and subsequent closure of earlier Place of Business.
 17. Approve closure of Mini offices consequent upon their upgradation to Satellite offices.
 18. Approval in advance for relocation of any place of business within the same city, town or village.
- iii. A total of four (4) meetings of the PPGR&CM Committee were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	20-06-2024	23-09-2024	20-12-2024	07-03-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Sanjeev Nautiyal*	Independent Director	Chairperson					0	0
Dr. Ranjan Sharma**	Independent Director	Chairperson			✓	✓	2	2
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member	×	✓	×	✓	4	2
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Smt Anjuly Chib Duggal^	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	20-06-2024	23-09-2024	20-12-2024	07-03-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Dr. Snehlata Deshmukh***	Expert	Member	x				1	0
Smt. Reema Nanavaty****	Expert	Member			✓	✓	2	2
Attendance in % age			60	100	83.33	100		

*Cessation from Directorship upon resignation on 31.05.2024

**Inducted as member and Chairperson w.e.f. 08.10.2024

*** Ceased as Member due to unfortunate demise on 29.07.2024

****Inducted as member w.e.f. 17.12.2024

^Smt. Anjuly Chib Duggal, Independent Director, chaired the Committee meetings held on 20.06.2024 and 23.09.2024.

F. WITH – PROFITS COMMITTEE [WPC]

The With – Profits Committee has been constituted in line with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable) and the circular issued thereunder.

i. The WPC comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Raj Kamal	Independent Director	Member
3	Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member
4	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member
5	Shri Sai Srinivas Dhulipala	Independent Actuary	Member

ii. The Terms of Reference of the WPC is as under:

1. Appropriateness of the methodology and basis used in calculation of asset share.
2. Bonus earning capacity including its calculation.
3. Sensitivity analysis of bonus rates and basis as appropriate.
4. A brief note on how Policyholders' Reasonable Expectations are met.
5. Any change in Special Surrender Value.
6. Treatment of Fund for Future Appropriation (FFA).
7. The expenses debited to the with-profits fund and its appropriateness.

iii. One (1) meeting of the with – Profits Committee (WPC) was held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	22-05-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	1	1
Shri Raj Kamal	Independent Director	Member	✓	1	1
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member	✓	1	1

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	22-05-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member	✓	1	1
Shri Sai Srinivas Dhulipala	Independent Actuary	Member	✓	1	1
Attendance in %age			100		

G. Committee for Election of Shareholders' Director in Public Sector Banks (PSBs)

The Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs has been constituted as per MOF Letter no 16.11.2012-BO-I dated 03.04.2012.

- i. The Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
3	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs is as under:

- The Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs shall fulfill its mandate as given in accordance with the Ministry of Finance (MOF) letter dated 03.04.2012 i.e., Scanning and selecting the candidates standing for election for Shareholder Director in Public Sector Banks.

- iii. A total of (4) meeting of Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	13-05-2024	04-07-2024	15-07-2024	*24-07-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓	✓	✗	4	3
Shri Jagannath M*	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Attendance in %age			100	100	100	66.67		

*Shri Jagannath M, Managing Director chaired the Committee meeting held on 24th July 2024.

H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

The ITSC has been constituted as per directives of Board of the Corporation.

- i. The ITSC comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Raj Kamal	Independent Director	Chairperson
2	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
3	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
4	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member
5	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member
6	Prof (Dr) Om Damani	Consultant	Member

ii. The Terms of Reference of the ITSC is as under:

1. Develop a vision, philosophy, principles and strategic goals for IT in LIC.
2. Establish policies that will serve as framework for executive decisions on long-term IT strategy – to include life-cycle cost analysis, roles, responsibilities, delegation of authority, security access etc.
3. Providing technical advisory to the Board in IT related matters brought to the table.
4. Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
5. Resource and manpower planning ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.
6. Evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risk and overseeing the aggregate funding of IT.
7. Monitoring the status of all approved strategic initiatives, especially those with critical deadlines, and assisting in removing obstacle to ensure timely completion of critical initiatives.
8. Reviewing overall IT performance measurement and constitution of IT to business.
9. Review of activities by Information Security Steering Committee which was earlier being done by Risk Management Committee.
10. Approval of Technical evaluation of projects.

iii. A total of six (6) meetings of the Information Technology Strategy Committee were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	22-05-2024	11-07-2024	01-08-2024	03-10-2024	07-12-2024	06-02-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Raj Kamal	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Shri Jagannath M*	Managing Director	Member	✓	✓	✗	✓			4	3
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Shri Doraiswamy Ramchandran**	Managing Director	Member					✓	✗	2	1
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Dr. V S Parthasarathy***	Independent Director	Member					✓	✗	2	1
Prof. (Dr.) Om Damani	Consultant	Member	✗	✓	✓	✓	✗	✓	6	4
Attendance in % age			80	100	80	100	83.33	66.67		

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	22-05-2024	11-07-2024	01-08-2024	03-10-2024	07-12-2024	06-02-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Special Invitee:-										
Shri Doraiswamy Ramchandran**	Managing Director		✓	✓	✓	✓			4	4

* ceased as member w.e.f. 08.10.2024

**Special Invitee up to 07.10.2024 and inducted as member w.e.f. 08.10.2024

*** inducted as member w.e.f. 08.10.2024

I. BUILDING ADVISORY COMMITTEE (BAC)

The Building Advisory Committee has been constituted as per directives of the Board.

i. The Building Advisory Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
3	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
4	Shri Sushil Kumar Dube	External Member	Member
5	Shri Manu Amitabh	External Member	Member
	Special Invitee:		
1	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	-

ii. The Terms of Reference of the Building Advisory Committee is as under:

- To scrutinize proposals for purchase and sale of properties, Leasing of vacant Land, Redevelopment of Properties and construction and maintenance of buildings and all other matters incidental thereto and any other matters submitted to it.
- To approve all such proposals submitted to it of value as per the provisions of the Financial Powers Standing Order of the Corporation as approved from time to time.

iii. One (1) meeting of the Building Advisory Committee was held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	04-11-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings Attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	1	1
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member	✓	1	1
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	1	1
Shri Sushil Kumar Dube	External Member	Member	✓	1	1
Shri Manu Amitabh	External Member	Member	✓	1	1
Attendance in %age			100		

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	04-11-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings Attended during the tenure
Special Invitee:					
Shri Tablesh Pandey	Managing Director		x	1	0

J. COMMITTEE FOR REVIEW OF WILFUL DEFAULTERS

The Committee for review of Wilful Defaulters has been constituted as per RBI Master Circular dated 01.07.2014 and 01.07.2015.

- i. The Committee for review of Wilful Defaulters comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
3	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Committee for review of Wilful Defaulters is as under:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders / decisions of classifying a borrower as Wilful defaulter;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time-to-time.

- iii. No meetings of Committee for review of Wilful Defaulters were required to be held during the year 2024-2025.

K. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted as per Regulation 20 of SEBI Listing Regulations.

- i. The Stakeholders Relationship Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Chairperson
2	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
3	Smt Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Stakeholders Relationship Committee is as under:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Corporation in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Corporation for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/ statutory notices by the shareholders of the Corporation.

- iii. A total of three (3) meetings of the Stakeholders Relationship Committee were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	24-04-2024	07-08-2024	12-01-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings Attended during the tenure
Dr. Ranjan Sharma*	Independent Director	Chairperson	✓	✓		2	2
Shri Vinod Kumar Verma**	Independent Director	Chairperson			✓	1	1
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member	✓	✓	✓	3	3
Prof. Anil Kumar*	Independent Director	Member	✓	✓		2	2
Smt Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member	✓	✗	✓	3	2
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar*	Independent Director	Member	✓	✓		2	2
Attendance in % age			100	80	100		

* Ceased as member w.e.f. 08.10.2024

** Inducted as member and Chairperson w.e.f. 08.10.2024

- iv. Shri Anshul Kumar Singh is the Company Secretary & Compliance Officer.

- v. Details of Investor Complaints:

During FY 2024-2025 following complaints were received from the investors (Including Stock Exchanges, SEBI SCORES):

Complaints pending as on April 1, 2024	24
Complaints received during the period from April 1, 2024 to March 31, 2025	1671
Complaints disposed of during the period from April 1, 2024 to March 31, 2025	1694
Complaints pending as on March 31, 2025	1

L. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

The Nomination & Remuneration Committee has been constituted as per Section 19B of the LIC Act, 1956, Regulation 19 of the SEBI Listing Regulations and IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable)

- i. The Nomination & Remuneration Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Chairperson
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member
3	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Member
4	Dr Ranjan Sharma	Independent Director	Member
5	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
6	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Nomination & Remuneration Committee is as under:
1. Formulating the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a Director and recommending to the Board a policy, relating to the remuneration of the Directors, key managerial personnel and other employees.
 2. For every appointment of an Independent Director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required for an Independent Director. The person recommended to the Board for appointment as an Independent Director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
 - i. use the services of external agencies, if required;
 - ii. consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
 - iii. consider the time commitments of the candidates.
 3. To recommend the appointment of an Independent Director to Board.
 4. In the process of election of Shareholder Director, to scrutinize the declarations of intending applicants in accordance with the provisions of LIC of India (Shareholders' Director) Regulations 2023 and IRDAI Master Circular on Corporate Governance Ref: IRDAI/F&I/CIR/MISC/ 82/5/2024 dated 22nd May 2024.
 5. Identifying persons who qualify to become Directors or who may be appointed in senior management / Key Management Persons (KMPs) in accordance with the criteria laid down, recommending to the Executive Committee of the Board/Board their appointment and removal.
 6. Formulating of criteria for evaluation of the performance of the Independent Directors and the Board.
 7. Devising a policy on Board diversity.
 8. Determining whether to extend or continue the term of appointment of the Independent Director, on the basis of the report of performance evaluation of Independent Directors.
 9. Recommend to the Board a policy relating to the sum payable as sitting fees to a Director nominated or appointed under clauses (e) or (f) or (g) of sub-section (2) of section 4 of the LIC Act, subject to such fees not exceeding such limit as may apply in respect of sitting fees payable to a Director of a company under the Companies Act, 2013.
 10. Recommend to the Executive Committee of the Board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management.
 11. Carrying out such other functions as may be specified by the Board from time to time or specified/provided under the LIC Act or the SEBI Listing Regulations or IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024, as amended or by any other regulatory authority.
- iii. A total of four (4) meetings of the Nomination & Remuneration Committee were held during the year 2024-2025 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	06-04-2024	21-06-2024	06-02-2025	17-03-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	4	4
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member	✓	✗	✓	✗	4	2
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	06-04-2024	21-06-2024	06-02-2025	17-03-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Attendance in %age			100	83.33	100	83.33		

iv. Performance evaluation criteria for Independent Directors

The Nomination & Remuneration Committee of the Board determined the performance evaluation criteria for Independent Directors and the same has been mentioned under the Directors' Policy. The Directors' policy is available on the website of the Corporation and the link of the said policy is provided in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.

M. ENVIRONMENT, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) COMMITTEE

The Environment, Social & Governance (ESG) Committee has been constituted by the Board on 23rd September, 2024.

i. The ESG Committee comprised of the following members as on 31st March, 2025:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Dr. V.S. Parthasarathy	Independent Director	Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
3	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
4	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
5	Dr. Amit Bansiwala	External Member	Member
6	Prof. Vidyadhar V. Gedam	External Member	Member
	Special Invitees:		
1	Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (CG/GJF/RC) & Chief Compliance Officer	-
2	Ms. Rosaline Kurien	Executive Director (Research/Strategy/CP/NPRJ)	-
3	Shri Baliram Bapurao Jadhav	Executive Director (Engineering)	-
4	Shri Subhashish Dasgupta	Executive Director (OS/HRMS)	-

ii. The Terms of Reference of the ESG Committee is as under:

1. Recommend the ESG Policy of the Corporation to the Board and review the policy as and when required.
2. Approve and ratify the ESG goals, targets and strategy and monitor performance thereof including the ESG initiatives to ensure long-term value creation for the stakeholders.
3. Advise the Corporation and have an oversight on ESG related policies, strategies and activities of the Corporation in a manner that integrates environmental, social and ethical principles with the conduct of business.
4. Recommend to the Board to establish a comprehensive Climate Risk Management framework to facilitate the climate risk management, keeping in view the size, nature and complexity of operations of the Corporation.
5. Periodically review the ESG activities of the Corporation.

6. Reviewing and noting of the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) or any ESG Related reports mandated by regulatory authorities.
 7. To review the report on the activities of LIC's Golden Jubilee Foundation Trust, on half yearly basis.
 8. Any other ESG related activities as stipulated by regulatory Authorities, from time to time.
- iii. One (1) meeting of the ESG Committee held during the year 2024-2025 and the attendance of the members and special invitees is given below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	12-02-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Dr. V.S. Parthasarathy	Independent Director	Chairperson	✓	1	1
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	1	1
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member	✓	1	1
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member	✓	1	1
Dr. Amit Bansawal	External Member	Member	✓	1	1
Prof. Vidyadhar V. Gedam	External Member	Member	✓	1	1
Attendance in % age			100		
Special Invitees: -					
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (CG/GJF/ RC) & Chief Compliance Officer	-	✓	1	1
Ms. Rosaline Kurien	Executive Director (Research/ Strategy/CP/NPRJ)	-	✓	1	1
Shri Baliram Bapurao Jadhav	Executive Director (Engineering)	-	✓	1	1
Shri Subhashish Dasgupta	Executive Director (OS/HRMS)	-	✓	1	1

4. REMUNERATION OF DIRECTORS:

- a) The remuneration paid to Whole-Time Directors during the year 2024-2025 is as under:

(₹ in lakhs)

Name of the Director	Designation	Salaries & Allowances	Performance Linked Incentive	Other Benefits & Perquisites	Pension	Total Remuneration
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	41.96	39.33	18.13	2.70	102.11
Shri Jagannath M	Managing Director	46.52	36.27	10.33	3.51	96.62
Shri Tables Pandey	Managing Director	47.61	36.27	14.07	3.59	101.54
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	49.20	25.56	12.46	3.98	91.21
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	48.43	21.58	13.98	4.16	88.15

Note:

1. Performance Linked Incentives are payable to the Whole-Time Directors of the Corporation as per the Government of India's guidelines and performance parameters approved by the Board on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee.
2. During the year no stock options were issued by the Corporation to Whole-Time Directors.

3. The terms of appointment of the Whole-Time Directors are regulated by the provisions of Life Insurance Corporation of India Chief Executive (Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1998, Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988 and the Life Insurance Corporation of India General Regulations, 1956 as amended.

- b) Pursuant to Director's Policy, the Government Nominee Director is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation from the Corporation whereas Independent Directors of the Corporation, are entitled to receive sitting fees of ₹ 80,000 per meeting of the Board and ₹ 60,000 per meeting of the Committees. In addition, the Government Nominee Director and Independent Directors, are entitled for reimbursement of travel, stay and transport expenses for attending the Board and its Committee meetings.

Apart from the above, there have been no other pecuniary relationship or business transaction between the Corporation and any of its Non-Executive Directors.

The details of sitting fees paid to Independent Directors during the year 2024-2025 are as follows:

(₹ in lakhs)

Name of Meeting	Dr. Ranjan Sharma	Shri Vinod Kumar Verma	Prof. Anil Kumar	Smt. Anjuly Chib Duggal	Shri Mahalingam G	Shri Raj Kamal	Dr. V S Parthasarathy	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Shri Sanjeev Nautiyal	Grand Total
Board	10.40	10.40	10.40	9.60	9.60	10.40	9.60	10.40	2.40	83.20
Executive Committee	3.00	-	2.40	4.80	4.20	-	5.40	-	-	19.80
Audit Committee	6.00	-	5.40	-	-	-	6.00	6.00	-	23.40
Building Advisory Committee	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60
Environment, Social & Governance (ESG) Committee	-	-	0.60	-	-	-	0.60	-	-	1.20
Investment Committee	-	-	-	-	9.00	8.40	-	9.00	-	26.40
Independent Directors Meeting	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.60	1.20	-	9.00
Information Technology Strategy Committee	-	-	-	-	-	3.60	0.60	3.60	-	7.80
Nomination & Remuneration Committee	2.40	2.40	2.40	-	2.40	-	-	-	-	9.60
Policyholders Protection, Grievance Redressal & Claims Monitoring Committee and Policyholders Protection Committee	1.20	2.40	-	2.40	-	-	-	-	-	6.00
Risk Management Committee	-	-	-	1.80	3.00	1.20	0.60	-	0.60	7.20
Stakeholders Relationship Committee	1.20	0.60	1.20	1.20	-	-	-	1.20	-	5.40
With Profits Committee	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	0.60
Grand Total	26.00	17.00	23.60	21.00	29.40	25.40	23.40	31.40	3.00	200.20

5. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

(A) Snapshot of Corporation's Information:

Sl. No.	Particulars	Brief Description
1	Date of Incorporation	Life Insurance Corporation of India was established on September 1, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956
2	Central Office Address	Life Insurance Corporation of India 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021
3	Corporate Identification Number (CIN)	Not Applicable
4	IRDAI Registration Number	512
5	Financial Year	April 1, 2024 to March 31, 2025
6	Forthcoming 4 th Annual General Meeting (Day, Date, Time & Venue)	Tuesday, August 26, 2025 at 1130 hrs (IST) Annual General Meeting ("AGM") will be held through video-conferencing (VC) or other audio -visual means (OAVM)
7	Dividend Payment Date	Final dividend, if approved, shall be paid on or before September 24, 2025
8	Listing on Stock Exchanges	The equity shares of the Corporation are listed at National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE). The address of respective Stock Exchanges is given below: National Stock Exchange of India Limited: Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. BSE Limited: Phiroze Jeejibhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.
9	Payment of listing fees	The Corporation has paid the annual listing fees for the relevant period to NSE and BSE
10	ISIN (Equity)	INE0J1Y01017
11	Registrar to an issue and share Transfer Agent:	The Corporation's Registrar and Transfer Agent is KFin Technologies Limited. All shares' transfers and related operations are conducted by RTA. KFin Technologies Limited Unit: Life Insurance Corporation of India, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. Email address: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Toll Free No.: 1800-309-4001 WhatsApp No.: (91) 910 009 4099 QR code to access KPRISM: 

Sl. No.	Particulars	Brief Description												
12	Share Transfer System	Pursuant to Regulation 40(1) of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, transfer, transmission and transposition of shares shall be effected only in dematerialized form. However, investors are not barred from holding shares in physical. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialised form. Pursuant to SEBI Circular dated January 25, 2022, the listed companies shall issue the securities in dematerialized form only, for processing any service requests from shareholders viz., issue of duplicate share certificates, endorsement, transmission, transposition, etc. After processing the service request, a letter of confirmation will be issued to the shareholders which shall be valid for a period of 120 days, within which the shareholder shall make a request to the Depository Participant for dematerializing those shares. If the shareholders fail to submit the dematerialisation request within 120 days, then the Corporation shall credit those shares in the Suspense Escrow Demat account held by the Corporation. Shareholders can claim these shares transferred to Suspense Escrow Demat account on submission of necessary documentation.												
13	Dematerialization of Shares & Liquidity	The Corporation's equity shares are regularly traded in dematerialised form on NSE and BSE. As at March 31, 2025, all equity shares of Corporation are held in dematerialised form except two equity shares. The details of mode of holding equity shares of the Corporation as on March 31, 2025 is given below: <table> <tr> <th>Particulars of Equity Shares</th><th>Number</th><th>% of Total</th></tr> <tr> <td>Held in electronic mode with Depositories</td><td>6,32,49,97,699</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td>Held in Physical mode</td><td>02</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>6,32,49,97,701</td><td>100.00</td></tr> </table>	Particulars of Equity Shares	Number	% of Total	Held in electronic mode with Depositories	6,32,49,97,699	100.00	Held in Physical mode	02	0.00	Total	6,32,49,97,701	100.00
Particulars of Equity Shares	Number	% of Total												
Held in electronic mode with Depositories	6,32,49,97,699	100.00												
Held in Physical mode	02	0.00												
Total	6,32,49,97,701	100.00												
14	Outstanding Global Depository receipts or American Depository Receipts or Warrants or any Convertible Instruments, conversion date and likely impact on Equity:	The Corporation has not issued any such securities.												
15	Commodity Price Risk or Foreign Exchange Risk and hedging activities	Not applicable to the Corporation as the Corporation neither undertakes any commodities business nor has any exposure to foreign currencies that may require implementing any hedging strategies.												
16	Plant Location	Since the Corporation is in the business of Life Insurance, the disclosure with regard to plant location is not applicable												

Sl. No.	Particulars	Brief Description
17	Address for Correspondence	For queries related to the Financial Statements: Shri Sunil Agrawal Chief Financial Officer, Life Insurance Corporation of India, 3rd Floor, West Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra Email address: cfo@licindia.com Tel No.: 022-22028086 Website: www.licindia.in For Institutional Investors' Queries/Correspondence: Shri Sanjay R. Bajaj Head (Investor Relations), Life Insurance Corporation of India, 3rd Floor, West Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra Email address: investorrelations@licindia.com Tel. Nos.: 022 – 22842404 Website: www.licindia.in For queries related to Shares/Dividend/Secretarial Compliances: Shri Anshul Kumar Singh Company Secretary & Compliance Officer Life Insurance Corporation of India, 7th Floor, East Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra Email address: investors@licindia.com Tel Nos.: 022-22022079 Website: www.licindia.in
18	List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad.	Not Applicable

(B) Shareholding Details of the Corporation:

- (i) **Distribution of Equity Shareholding: Category wise distribution of equity shareholding of the Corporation as at March 31, 2025 is as under:**

Sl. No.	Category (Shares)	Number of Shareholders	% to Total Shareholders	Number of Shares	% to Total Shares
1	1-5000	2384559	99.1281	82580224	1.3056
2	5001- 10000	12006	0.4991	8878625	0.1404
3	10001- 20000	4948	0.2057	7060829	0.1116
4	20001- 30000	1555	0.0646	3853158	0.0609
5	30001- 40000	592	0.0246	2094209	0.0331
6	40001- 50000	530	0.022	2445823	0.0387
7	50001- 100000	668	0.0278	4884253	0.0772
8	100001 & Above	675	0.0281	6213200580	98.2325
	Total	24,05,533	100	6,32,49,97,701	100

(ii) **Shareholding Pattern:** The shareholding pattern of the Corporation as at March 31, 2025 is as under:

Sl. No.	Description	Number of Equity Shares	% to Total Equity Shares
1	President of India	6103622781	96.5
2	Resident Individuals	112944863	1.7857
3	Mutual Funds	71704863	1.1337
4	Bodies Corporates	13345743	0.211
5	Foreign Portfolio - Corporation	6205128	0.0981
6	Qualified Institutional Buyers	5475681	0.0866
7	HUF	3449563	0.0545
8	Banks	3445097	0.0545
9	Non-Resident Indians	3039803	0.0481
10	Non-Resident Indian Non Repatriable	1223955	0.0194
11	Trusts	237340	0.0038
12	Alternative Investment Fund	143411	0.0023
13	NBFC	117354	0.0019
14	Indian Financial Institutions	25109	0.0004
15	Clearing Members	16729	0.0003
16	Directors and their relatives	281	0.0000
	Total	6,32,49,97,701	100

(C) **General Meetings / Postal Ballot:**

i. **Details of the past three Annual General Meetings, and Special Resolutions passed there at:**

AGM	Financial Year	AGM Venue	Date of AGM	Time of Meeting	Special Resolutions passed
1 st	2021-22	The Meeting was held through Video-conferencing/ Other Audio-Visual Means	September 27, 2022	1430 hrs (IST)	Appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director Appointment of Shri Vinod Kumar Verma as an Independent Director Appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director Appointment of Smt. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director Appointment of Shri Mahalingam G as an Independent Director Appointment of Shri Raj Kamal as an Independent Director Appointment of Shri V.S. Parthasarathy as an Independent Director Appointment of Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar as an Independent Director Appointment of Shri Sanjeev Nautiyal as an Independent Director

AGM	Financial Year	AGM Venue	Date of AGM	Time of Meeting	Special Resolutions passed
2 nd	2022-23	The Meeting was held through Video-conferencing/ Other Audio-Visual Means	August 22, 2023	1130 hrs (IST)	None
3 rd	2023-24	The Meeting was held through Video-conferencing/ Other Audio-Visual Means	August 22, 2024	1130 hrs (IST)	None

ii. Details of Extra-ordinary General Meetings held in previous three financial years, and special resolutions passed there at:

No extraordinary general meeting of the members of the Corporation was held during the financial year 2022-23, 2023-24 and 2024-25.

iii. Details of Business transacted through Postal Ballot for the FY 2024-25:

No resolution was passed through postal ballot during the FY 2024-25.

iv. Whether any special resolution is proposed to be transacted through postal ballot:

As on the date of Board's report, no special resolution is proposed to be transacted through postal ballot.

(D) Unclaimed/ Unpaid Dividend and Equity shares in Unclaimed Demat Suspense Account:

(i) Transfer of unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund:

Section 28C (5) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 provides that the amount remaining unclaimed and unpaid for a period of seven years from the date it becomes due for payment in Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 125 of the Companies Act, 2013.

In terms of Section 28C (6) of Life Insurance Corporation Act, 1956, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation in the name of the Investor Education and Protection Fund.

The details regarding unclaimed dividend along with the due date for transfer to IEPF are given below:

Financial Year	Type of Dividend	Dividend per Share (₹)	Date of Declaration	Due date of transfer to IEPF
2021-22	Final	₹ 1.50 per equity share	September 27, 2022	October 26, 2029
2022-23	Final	₹ 3.00 per equity share	August 22, 2023	September 20, 2030
2023-24	Interim	₹ 4.00 per equity share	February 08, 2024	March 08, 2031
	Final	₹ 6.00 per equity shares	August 22, 2024	September 20, 2031

The list of members whose dividend are lying in unpaid/unclaimed dividend account is available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/unclaimed-dividend-detail>

(ii) Unclaimed Demat Suspense Account:

In terms of Regulation 34(3) read with Part F of Schedule V of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation does not have its equity shares in the demat suspense account or unclaimed suspense account as on March 31, 2025.

(E) Means of Communication:

Effective communication of information is an essential component of Corporate Governance. It is a process of sharing information, ideas, thoughts, opinions and plans to all stakeholders which promotes management-shareholder relations. Your Corporation believes that all stakeholders should have access to complete information regarding its position to enable them to accurately assess its future potential. Accordingly, the Corporation disseminates information on its operations and initiatives on a regular basis. The Corporation's website, i.e., www.licindia.in serves as a key awareness facility for all its stakeholders, allowing them to access information at their convenience. It provides comprehensive information on the Corporation's strategy, financial performance, operational performance and the latest press releases.

The Corporation's investor relations personnel respond to specific queries and play a proactive role in disseminating information to both analysts and investors. All information which could have a material bearing on the Corporation's share price is released through as per regulatory requirements. The information is also disseminated to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) from time to time. Other information such as press releases, stock exchange disclosures & presentations made to analyst/investors etc. are regularly displayed on Corporation's website. The financial and other information and the various compliances as required / prescribed under the Listing Regulations are filed electronically with NSE and BSE and are also available on their respective websites as well as disseminated on the Corporation's website.

i. Quarterly Results:

The Corporation's Quarterly/Half-Yearly/Annual Financial results are published in Business Standard, the leading National Business Newspaper in English and Navshakti a Marathi newspaper. Apart from the above, the results are also published in Business Standard (Hindi edition).

ii. Website:

In terms of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation's website i.e., www.licindia.in contains a dedicated section "Investor Relations" which displays information of interest to various stakeholders.

iii. Press Releases:

Official press releases are submitted to Stock Exchanges, and the same are also disseminated on the website of the Corporation.

iv. Presentation to Institutional Investors / Analysts:

LIC holds press meet and investor / analyst calls after every quarterly results announcement, which is accessible to all the shareholders and general public. The Corporation also holds its Annual General Meeting, which is accessible to all the shareholders. The details of these events are disseminated to the stock exchanges and updated on the website. LIC also participates in various analyst arranged investor conferences where the Management / Corporation's representatives interact with investors in one-on-one or group meetings. The details of such participation are also disseminated to the stock exchanges as well as updated on the website of the Corporation.

6. Senior Management

The particulars of senior management including the changes during the Financial year 2024-25 are presented in **Annexure 'B'** of the Corporate Governance Report.

7. Other Disclosures

- a. **Related Party Transactions:** The details regarding related party transactions are provided in the Board's Report which is placed separately and forms part of Annual Report.
- b. **Details of non-compliance by the Corporation, penalties, strictures imposed on the Corporation by Stock Exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years:** There is no instance of non-compliance by the Corporation or penalty and/or stricture imposed on the Corporation by stock exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital market, during the last three years.
- c. **Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy:** The details regarding Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy are provided in the Board's Report which is placed separately and forms part of Annual Report.

- d. **Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements:** The Corporation has complied with all the mandatory requirements specified in the Regulations 17 to 27 and Regulation 46 (2) (ab) to 46 (2)(i) of the SEBI Listing Regulations and also the non-mandatory requirements pertaining to Corporate Governance stipulated therein to the extent possible as under:

Sl. No.	Discretionary Requirements	Status
1	A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties	Not Applicable
2	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders	Quarterly and half-yearly financial results are published in leading newspapers and are also disseminated to the Stock Exchanges immediately after approval by the Board of Directors. This practice upholds the principles of transparency and timely disclosure, ensuring that shareholders and other stakeholders are well-informed.
3	The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	Corporation's Auditor have issued an Audit Report with unmodified opinion on the Annual Audited Financial Results of the Corporation for the year ended March 31, 2025.
4	Separate post of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall – (a) be a Non-Executive Director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013	As per Section 4 (2) (a) (ii) of the LIC Act, 1956, after the initial period of 3 years, i.e., after 29 th June, 2024, the Chairperson of the Board will be appointed by Central Government amongst the Non-Executive Directors nominated or to be nominated by the Central Government and w.e.f. 30 th June, 2024 the position of the Whole-Time Chairperson was re-designated as Chief Executive officer and Managing Director. Accordingly, Shri Siddhartha Mohanty, then whole time Chairperson of the Corporation was re-designated as Chief Executive Officer and Managing Director of the Corporation w.e.f. from 30 th June, 2024.
5	The internal auditor may report directly to the audit committee	Internal Auditor reports directly to the Audit Committee of the Board.

- e. **Disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities:** Not applicable to the Corporation as the Corporation neither undertakes any commodities business nor has any exposure to foreign currencies that may require any hedging activities.
- f. **Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A):** During the financial year, the Corporation has not raised any funds through preferential allotment or Qualified Institutions Placement.
- g. **A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority:** In terms of SEBI Listing Regulations, M/s. Mehta & Mehta, Company Secretaries, has certified that none of the Directors of the Corporation has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director of the Corporation by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") or any such other Statutory Authority. A certificate issued by the Practicing Company Secretary is attached as **Annexure 'F'** of this report.

- h. **Where the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof:** During financial year 2024-25, all recommendations made by the Board committees to the Board of Directors, were accepted by the Board after due deliberations.
- i. **Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part –** Details relating to fees paid to the Statutory Auditors are given in Schedule 3 and related notes to the Financial Statements.
- j. **The details of prevention of sexual harassment of women at the workplace:** The details regarding prevention of sexual harassment of women at the workplace are provided in the Board's Report which is placed separately and forms part of Annual Report.
- k. **Disclosure by listed entity and its subsidiaries of 'Loans and advances in the nature of loans to firms/companies in which Directors are interested:** During financial year 2024-25, no loan or advance given to any firm/company in which Directors were interested.
- l. **Details of material subsidiaries of the listed entity; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries:** The Corporation has formulated a policy for determining material subsidiaries in terms of Regulation 16 of the SEBI Listing Regulations and as on March 31, 2025, there are no material subsidiaries of the Corporation.

The policies to determine material subsidiary (within India and outside India) is available on the website of the Corporation and the link to the said policies are provided in Annexure I at page no. 222 of this Annual Report.
- m. **Agreements entered into by the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, Directors, key managerial personnel, employees of the listed entity or of its holding, subsidiary or associate company, among themselves or with the listed entity or with a third party, solely or jointly, which, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or impose any restriction or create any liability upon the listed entity, as per Regulation 30A of SEBI Listing, Regulations, 2015 :** During the Financial Year 2024-25, Corporation has not entered into any such agreement(s).
- n. **Non-Compliance of any requirement of Corporate Governance Report of sub paras (2) to (10) of clause C of the schedule V of the SEBI Listing Regulations:** The Corporation has complied with all requirements of the Corporate Governance Report, as prescribed under the SEBI Listing Regulations, to the extent applicable.

Annexure 'A'

**Declaration pursuant to Schedule V of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015**

I hereby confirm that all Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance to the “Code of Conduct for Directors and Senior Management” during the financial year ended on March 31, 2025.

(R Doraiswamy)
Chief Executive Officer & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 22nd July, 2025

Particulars of Senior Management Personnel ("SMP") as on 31st March 2025

Name of Senior Management Personnel	Designation
Shri Arya Lahiri	Director, Zonal Training Centre, Kolkata
Smt. Anjubala Purshottam	Managing Director & Chief Executive Officer, LIC Pension Fund Limited
Shri Rajeev Sachdev	Chief Executive Officer, LIC Cards Services Limited
Shri Salil Vishwanath	Executive Director (Human Resources Development/OD)
Shri Shrawan Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Patna
Shri Ravi Kumar Jha	Chief Executive Officer, LIC Mutual Fund Assets Management Limited
Shri Venkataramanan Gopal	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Chennai
Smt. Geeta Prabhakaran	Executive Director (Subsidiaries)
Shri D P Pattanaik	Chief Executive Officer, Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)
Shri Hemant Buch	Executive Director (Marketing-Bancassurance & Alternate Channel)
Smt. Seema Sridhar	Chief Executive Officer, LIC HFL Assets Management Company Limited
Shri Pan Singh Negi	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kanpur
Shri Prafulla Jaipuria	Secretary General (Insurance Institute of India), Mumbai
Shri Rajesh Ailawadi	Executive Director (Legal)
Shri Anirban Sarkar	Executive Director (Personnel)
Shri Mahtabuzzaman	Director, Zonal Training Centre, Hyderabad
Shri Aditya Gupta	Executive Director (Corporate Communication)
Shri Ashok K R	Executive Director (Actuarial/Administration/IT Implementation)
Shri Jagat Singh Tolia	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kolkata
Shri Baliram Bapurao Jadhav	Executive Director (Engineering)
Shri Kuldeep Tickoo	Director, Zonal Training Centre, Bhopal
Smt. Meenu Sarkar	Executive Director (Pension & Group Scheme/Information Technology /Customer Relationship Management)
Smt. Pratibha Singh	Executive Director (Liaison)
Shri Verandani Ghansham Deomal	Director, Zonal Training Centre, Pune
Shri Subhash Chander	Director, Zonal Training Centre, Agra
Shri Indraneel Roy	Faculty Member, National Insurance Academy, Pune
Smt. Richaa Kapoor	Chief Operating Officer, LIC Cards Services Limited
Shri Jatindar Pal Singh Bajaj	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Delhi
Shri Rajesh Kumar	Director, Zonal Training Centre, Gurugram

Name of Senior Management Personnel	Designation
Shri Tribhuwan Adhikary	Chief Executive Officer, LIC Housing Finance Limited
Ms. Rosaline Kurien	Executive Director (Research/Strategy/Corporate Planning/New Project)
Shri Pankaj Gopal	Chief Executive, LIC HFL Financial Services Limited
Shri Pradeep Kumar Malhotra	Managing Director & Chief Executive Officer, IDBI Trusteeship Services Limited
Shri Pratap Chandra Paikray	Executive Director (Chief Life Insurance Advisor)
Shri Sesha Giridhar Kuppoli	Executive Director (Investment Back Office)/Pension & Group Scheme)
Shri Kothandaraman Murlidar	Executive Director (Digital Marketing)
Smt. Santha Varkey	Executive Director (Inspection)

Additions during the year 2024-25

Name of Senior Management Personnel	Designation as on 31.03.2025	Date of Entry as SMP
Shri Venkata Ramana Chilaka	Executive Director (Customer Relationship Management/Policy Servicing)	10 April 2024
Shri Shubhashish Dasgupta	Executive Director (Office Services/Human Resources Management System)	16 April 2024
Shri Sudhanshu Shekhar	Executive Director (Information Technology/Digital Transformation)	10 April 2024
Smt. Bichitra Mahapatra	Executive Director (Right to Information)	10 April 2024
Smt. Shobha Sulochana	Executive Director (New Business & Reinsurance /Health Insurance)	10 April 2024
Shri Chandra Narasimhan	Director, Zonal Training Centre, Chennai	22 April 2024
Smt. Bhargavi Ganesh	Executive Director (Enterprise Risk Management)	15 April 2024
Shri Atanu Sengupta	Director, Management Development Centre, Mumbai	12 April 2024
Shri Sanoj Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Mumbai	12 April 2024
Smt. Meeta Khare	Executive Director (Estates)	10 April 2024
Shri Ramakrishnan Chander	Executive Director (Strategic Business Unit-International Operation)	18 April 2024
Shri Kausik Kumar Ghoshal	Chief Executive Officer, LIC HFL Care Homes Limited	16 April 2024
Shri Dharam Pal	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Bhopal	16 April 2024
Shri Anupam Jindal	Additional Director, Zonal Training Centre, Kolkata	22 April 2024
Smt. Vandana Sinha	Executive Director (Customer Relationship Management/Claims)/Annuities)	10 April 2024
Shri Ajay Kumar Srivastava	Product Actuary	10 April 2024
Shri Puneet Kumar Singhal	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Hyderabad	15 April 2024
Smt. Bindu Paul	Executive Director (Investment-Mid Office)	10 April 2024
Shri Pradeep Prabhakar Kelkar	Chief In-Charge (Audit)	03 January 2025

Exit During the year 2024-25

Name of Senior Management Personnel	Designation at the time of exit	Reason of Exit	Date of Exit
Shri Raghupal Singh	Executive Director (Coordination)	Superannuation	31 August 2024
Shri Rajendra Prasad Gupta	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kanpur	Superannuation	31 July 2024
Shri Lakundi Krishnashamsunder	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Hyderabad	Superannuation	31 July 2024
Shri Kamal Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Mumbai	Superannuation	31 July 2024
Shri Pramoda Ranjan Mishra	Executive Director (Coordination)	Superannuation	31 May 2024
Shri Ashwani Ghai	Director, Management Development Centre, Mumbai	Superannuation	30 April 2024
Shri M C Chaturvedi	Executive Director (Coordination)	Superannuation	31 October 2024
Shri Jagannathan Chakrapani	Director, Zonal Training Centre, Chennai	Superannuation	31 July 2024
Smt. Uma Rao	Director, Zonal Training Centre, Hyderabad	Superannuation	30 June 2024
Shri Satyabrata Nayak	Executive Director (Coordination)	Superannuation	30 November 2024
Shri Uday Kumar Navani	Executive Director (Coordination), Zonal Training Centre, Pune	Superannuation	31 May 2024
Smt. Aradhana Duggal	Executive Director (New Business & Reinsurance)	Superannuation	31 December 2024
Shri L.C.Meena	Director, Management Development Centre, Mumbai	Superannuation	31 October 2024
Shri Rajnikanth Rayabharam	Executive Director (Coordination)	Superannuation	31 January 2025
Shri Praveen Kumar	Executive Director (Coordination), Delhi	Superannuation	30 June 2024
Ms. Rachna Khare	Executive Director (Customer Relationship Management/Policy Servicing)	Superannuation	30 November 2024
Shri Ajay Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kolkata	Voluntary Retirement	30 December 2024
Smt. Manju Bagga	Executive Director (Pension & Group Schemes)	Superannuation	28 February 2025
Shri Soma Nandan Satpathy	Executive Director (Coordination)	Superannuation	31 October 2024
Shri Baghrai Majhi	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Bhopal	Superannuation	31 March 2025
Smt. Aruna Seth	Executive Director (OS/Estates)	Superannuation	31 July 2024

Note: All the Key Managerial Persons (KMPs) falls under the definition of Senior Management Personnel, for which appropriate disclosures given in the Annual Report at appropriate place.



(IRDAI Master Circular on Corporate Governance for Insurers, 2024/F.Y. 2024-25)

“Certification for compliance of the Corporate Governance Master Circular”

I, **KRISHNA KUMAR. S**, hereby certify that **LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA** has complied with the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and the circulars issued there under.

Nothing has been concealed or suppressed.

Signature :

Full Name : KRISHNA KUMAR. S

Designation : Executive Director (CG/GJF/RC) & Chief Compliance Officer

केंद्रीय कार्यालय, “योगक्षेम”, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.
दूरभाष : 66598000

Central Office, “Yogakshema,” Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.
Tel. : 66598000

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018
TEL : +91-22-6611 9696 • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

[Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members,
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema, Nariman Point,
Mumbai 400021.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Life Insurance Corporation of India** (hereinafter called "the Corporation"). Secretarial audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct I statutory compliance and expressing our opinion thereon. Based on our verification of the Corporation's books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation and also the information provided by the Corporation, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Corporation has, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2025**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Corporation has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation for the financial year ended on **March 31, 2025**, according to the provisions of:

- (i) The Life Insurance Corporation Act, 1956 (LIC Act) and the Rules & Regulations made thereunder;
- (ii) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder; - **to the extent applicable to the Corporation;**
- (iii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iv) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (v) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; - **to the extent applicable to the Corporation;**
- (vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**Not applicable to the Corporation during the period under review**);
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (**Not applicable to the Corporation during the period under review**);
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (**Not applicable to the Corporation during the period of review**);
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (**Not applicable to the Corporation during the period of review**);
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (**Not applicable to the Corporation during the period of review**);

- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 **(Not applicable to the Corporation during the period of review);**
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (vii) The Insurance Act, 1938 and the Rules & Regulations made thereunder (to the extent the same are consistent with LIC Act)
- (viii) Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules, Regulations, Circulars and Guidelines made thereunder, (to the extent the same are consistent with the LIC Act, Rules & Regulations)
- (ix) Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules made thereunder;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards 1 and 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Corporation has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc mentioned above.

We further report that:

The Board of Directors of the Corporation is duly constituted with proper balance of the Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the LIC Act.

Adequate notices are given to all Directors to schedule the Board / Committee Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All the decisions at Board and Committee Meetings were carried out with the requisite majority as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or the Committee of the Board as the case may be.

We further report that there are adequate systems and processes in the Corporation commensurate with the size and operations of the Corporation to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the Corporation had the following specific events / actions having a major bearing on the Corporation's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

- a) The Board of Directors at their meeting held on April 25, 2024 approved the infusion of capital of LKR 500 million (approximately INR 14 Crores, based on the exchange rates prevailing currently) in the form of Equity Capital at nominal value of LKR 10/- per share in Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. subject to approval from Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Central Bank of Sri Lanka.
- b) The Corporation at its Annual General Meeting held on August 22, 2024 declared final dividend of ₹ 6 /- (Rupees Six Only) per Equity Share of ₹ 10/- each (fully paid-up) for the financial year ended March 31, 2024.
- c) The Board of Directors at their meeting held on January 13, 2025 approved the Infusion of equity capital of LKR 2000 million (approximately INR 58.50 Crores, based on the exchange rates prevailing currently) in the form of Equity Capital at nominal value of LKR 10- per share in Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. subject to approval from Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Central Bank of Sri Lanka.

**For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)**

**Sd/-
Atul Mehta
Partner
FCS: 5782
CP No.: 2486
PR No.: 3686/2023
UDIN: F005782G000726381
Place: Mumbai
Date: 11-07-2025**

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as 'ANNEXURE A' and forms an integral part of this report.

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018
TEL : +91-22-6611 9696 • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

ANNEXURE A OF SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members,
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema , Nariman Point,
Mumbai 400021

Our report of even date is to be read along with this letter.

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Corporation. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- 2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.
- 4) Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5) The compliance of the provisions of corporate laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6) As regard the books, papers, forms, reports and returns filed by the Corporation under the provisions referred in Secretarial Audit Report in Form MR-3, the adherence and compliance to the requirements of the said regulations is the responsibility of management. Our examination was limited to checking the execution and timeliness of the filing of various forms, reports, returns and documents that need to be filed by the Corporation with various authorities under the said regulations.
- 7) The secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Sd/-
Atul Mehta
Partner
FCS: 5782
CP No.: 2486
PR No.: 3686/2023
UDIN: F005782G000726381

Place: Mumbai
Date: 11-07-2025

Annexure 'E'

Mehta & Mehta**COMPANY SECRETARIES**

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018
TEL : +91-22-6611 9696. • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT**CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE**

To

The Members of**Life Insurance Corporation of India**

Yogakshema, Nariman Point,
Mumbai 400021

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred as "Corporation") for the financial year ended March 31, 2025 as prescribed under Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and paras C, D and E of Schedule V of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred as "Listing Regulations").

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Corporation for ensuring compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion, and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as prescribed under Listing Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with Listing Regulations and may not be suitable for any other purpose.

For Mehta & Mehta,**Company Secretaries****(ICSI Unique Code P1996MH007500)****Sd/-****Atul Mehta****Partner****FCS: 5782****CP No.: 2486****PR No.: 3686/2023****UDIN: F005782G000428952****Place: Mumbai****Date: 24-05-2025**

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

201-206, SHIV SMRITI, 2ND FLOOR, 49/A, DR. ANNIE BESANT ROAD, ABOVE CORPORATION BANK, WORLI, MUMBAI - 400 018

TEL : +91-22-6611 9696 • E-mail: dipti@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To
The Members of
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema, Nariman Point,
Mumbai 400021

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Life Insurance Corporation of India having Central Office at Yogakshema, Nariman Point, Mumbai – 400 021 (hereinafter referred to as 'the Corporation'), produced before us by the Corporation for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Corporation & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Corporation as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Directors	DIN	Date of appointment in Corporation
1	Siddhartha Mohanty	08058830	02-02-2021
2	Maruthi Prasad Tangirala	03609968	28-06-2023
3	Jagannath M	10090437	13-03-2023
4	Tablesh Pandey	10119561	01-04-2023
5	Sat Pal Bhanoo	10482731	20-07-2023
6	Doraiswamy Ramchandran	10358884	01-09-2023
7	Ranjan Sharma	09573799	29-10-2021
8	Vinod Kumar Verma	09309031	29-10-2021
9	Anil Kumar	09477565	20-01-2022
10	Anjuly Chib Duggal	05264033	29-01-2022
11	Mahalingam G	09660723	29-01-2022
12	Raj Kamal	07653591	29-01-2022

Sl. No.	Name of Directors	DIN	Date of appointment in Corporation
13	V S Parthasarathy	00125299	29-01-2022
14	Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	05170323	29-01-2022

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Corporation. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Sd/-
Atul Mehta
Partner
FCS: 5782
CP No.: 2486
PR No.: 3686/2023
UDIN: F005782G000428985

Place: Mumbai
Date: 24-05-2025

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES:

I. Details of the listed entity:

1. Corporate Identity Number(CIN) of the Listed Entity

- Not Applicable
- IRDAI Registration Number – 512

2. Name of the Listed Entity

- Life Insurance Corporation of India (Constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

3. Year of incorporation

- 1956

4. Registered office address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

5. Corporate address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

6. E-mail

- ed_rns@licindia.com

7. Telephone

- 022-22022615

8. Website

- www.licindia.in

9. Financial year for which reporting is being done

- Financial Year 2024-25

10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed

- NSE (National Stock Exchange of India Limited) and BSE Ltd.

11. Paid-up Capital:

- ₹ 6324.99 crores divided into Equity Shares totaling 6,32,49,97,701 of ₹ 10 each.

12. Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report-

- Ms Rosaline Kurien/ 022-22022615 / ed_rns@licindia.com

13. Reporting boundary – Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).

- The disclosures under this report are made on a standalone basis, unless otherwise specified.

14. Name of assurance provider:

- Chokshi & Chokshi LLP

15. Type of assurance obtained:

- Assurance for Business Responsibility and Sustainability Report. The report issued by assurance provider is annexed as Annexure '1' of this report.

II. Products/services**16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):**

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Insurance Services including Pension and Health	Life Insurance	100%

17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Life Insurance	65110	100%

III. Operations:**18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:**

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	5,004	5,004
International	NA	*See details below	125

* Total no. of Offices (International):

Sr. No.	Unit	Corporate	Branch Office
1	LIC Fiji		1
2	LIC Mauritius		1
3	LIC UK		1
4	Life Insurance Corporation (International) BSC (c)*	1	5
5	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	1	76
6	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited	1	25
7	Life Insurance Corporation of Bangladesh Limited	1	11
8	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.	1	0
		5	120
Total :		125	
Gift City Branch operations will commence in the FY 2025-26			

* LIC (International) BSC (c), Bahrain company operates in GCC (Gulf cooperation council) countries of Bahrain, Kuwait, Qatar and UAE (Dubai & Abu Dhabi)

19. Markets served by the entity:**a. Number of locations**

Locations	Number
National (No. of States/UT)	36 (28 states and 8 UTs in India)
International (No. of Countries)	11

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Nil

c. A brief on types of customers

Life Insurance is the primary business of the Corporation. We cater to a wide variety of customers across different segments. Based on various factors like demographics, needs, financial goals etc, the customers can be broadly categorized into the following groups:

- i. Individuals with regular income looking for life cover, tax benefits, savings, etc and who prefer endowment, money back and term plans.
- ii. Self-employed business owners who are interested in wealth creation with risk cover, seeking flexible premium options with a preference for ULIPs and pension plans.
- iii. Minors, students and young professionals: They are mostly covered by term or simple endowment plans and look for low premium.
- iv. Senior citizens: They look towards pension plans and seek guaranteed income and long term security.
- v. Group customers: They include Corporate clients, Government organisations, Associations, NGOs, etc. Group term life, gratuity, superannuation, leave encashment, etc are the types of schemes sought.
- vi. NRI Customers: They take life insurance for family security in India, prefer long term savings or term plans and see us as a secure and trusted brand.
- vii. Rural and social sector customers: We have focussed products under government mandates like PMJJBY, etc wherein affordable insurance is given for low income groups and tailored policies for farmers, labourers, etc.
- viii. High net worth individuals: A distinct group and seek investment oriented plans like ULIPs, wealth plans or pension schemes with large coverage.

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year 2024-25:

a. Employees and workers (including differently abled):

Employees					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (D)	91606	69740	76.13	21866	23.87
Other Than Permanent (E)	14	13	92.85	1	7.15
Total Employees (D+E)	91620	69753	76.13	21867	23.87
workers					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (F)	Not Applicable				
Other Than Permanent (G)					
Total Employees (F+G)					

b. Differently abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	884	715	80.88	169	19.12
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	Total differently abled employees (D + E)	884	715	80.88	169	19.12
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	Not Applicable				
5.	Other than permanent (G)					
6.	Total differently abled workers (F + G)					

21. Participation/ Inclusion/ Representation of women

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No.(B)	%(B/A)
Board of Directors	14	1	7.14
Key Management Personnel / Key Management Persons (KMP)*	13	1	7.69

*KMPs includes five Whole Time Directors

22. Turnover rate for permanent employees and workers: (Disclose trends for past 3 years)

Turnover rate for permanent employees									
	FY 2024-25			FY 2023-24			FY 2022-23		
	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL
Permanent Employees	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54	5.97	3.97	5.50

Note:

- There is no class of employees termed as "Workers" in the Corporation.
- The turnover rates include Superannuation numbers, as well.

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

23. Names of Holding/Subsidiary /Associate Companies/Joint Ventures

Sl. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint ventures Column 'A'	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
International				
1	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.	Subsidiary	100%	No
2	Life Insurance Corporation (International) BSC (c)	Subsidiary	99.66%	No
3	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	Subsidiary	55%	No
4	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited	Subsidiary	93.75%	No
5	Life Insurance Corporation of Bangladesh Limited	Subsidiary	83.33%	No

Sl. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint ventures Column 'A'	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
National				
1	LIC Pension Fund Limited	Subsidiary	100	No
2	LIC Cards Services Limited	Subsidiary	100	No
3	IDBI Bank Limited	Associate	49.24	No
4	LIC Mutual Fund Trustee Private Limited	Associate	49.00	No
5	LIC Housing Finance Limited	Associate	45.24	No
6	LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Associate	44.61	No
7	IDBI Trusteeship Services Limited	Associate	29.84	No
8	LIC HFL Asset Management Company Limited	Associate	5.38	No

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

- No. CSR is not applicable as per section 135 of Companies Act, 2013

Life Insurance Corporation of India was established by the LIC Act 1956, enacted by the Parliament to nationalize the life insurance industry in India. As such, LIC is not a company governed by the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013. The Corporation is outside the purview of CSR activities mandated under the Indian Companies Act, 2013 even after the recent amendments to the LIC Act, 1956.

However, LIC has been voluntarily carrying out various community development activities. LIC Golden Jubilee Foundation, a Charitable Trust registered with Charity Commissioner under the Bombay Public Trust Act, 1950, was formed in the year 2006, during the golden jubilee year of LIC. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other Project of general public utility.

(ii) Turnover (in ₹) - 488848.92 crores

(iii) Net Worth (in ₹) - 126187.74 crores

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/ Grievances on any of the Principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC):

Stake-holder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redressal policy)	FY 2024-25			FY 2023-24		
		Current Financial Year			Previous Financial Year		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Investors (other than share-holders)	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Share-holders	Yes, The Corporation has appointed KFin technologies Ltd. as Registrar and Share transfer Agent (RTA) of the Corporation to aid help to resolve grievances and queries pertaining to shareholder Services. The Corporation has a designated e-mail id (investors@licindia.com) and also a portal for shareholders to enable them to raise grievances. Link for investor support: https://licindia.in/investors-support	1671	1	The lone query pending as on 31.3.25 was resolved on 01.04.25	2278	24	The 24 complaints pending at the end of FY 2024-25 were resolved and disposed of by 02.04.25
Employees	Yes, the Corporation has developed an internal mechanism system for redressal of grievances. For this purpose a portal on the intranet called e-Samadhan where grievances can be registered by any employee which is forwarded to the Staff Grievance Officer.	369	12	NIL	518	29	In FY 2024-25 all 29 were resolved
Customers	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	74,290	NIL		81,202	NIL	
Communities	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Value Chain Partners	Yes. Value chain partners can report their grievances, if any, to the nearest office and through other digital modes.	NIL	NIL		NIL	NIL	
Others-Ministry	Compliance to Ministry through Emails	168	1	Follow up in process	102	2	In FY 2024-25 both were resolved

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Regulatory and Compliance environment	Risk and Opportunity	Regulatory compliance is an integral part of LIC's work ethics. Failure to adhere to any applicable laws in a timely manner can lead to potential legal action, reputational damage or even financial losses. LIC, being a listed company strives to be compliant to all the applicable laws and regulations. By adopting to standards as laid down we believe that we will be able to protect the interest of all our stakeholders. We ensure that all our rules and regulations affecting all our stakeholders are within the legal and regulatory frameworks. As a public sector institution, we are also bound by RTI guidelines which act as an additional layer of scrutiny.	LIC has a well-established system to ensure regulatory compliance which ensures adherence to various regulatory requirements	Financial implications of not addressing the risks identified can include penalties arising from regulators or other legal forums while addressing customer grievances. Losses can also arise from New Business front due to negative customer sentiments. Adherence to regulatory guidelines can enhance customer satisfaction there by increasing our customer loyalty which in turn can increase our persistency and inflow of new customers.
2	Human Capital Development	Risk and Opportunity	Opportunity: As a key player in a financial service industry, our human capital is a major source of strength and competitive advantage. Continuous up-skilling will enable us to strengthen our leadership position and combat all challenges facing the industry in a better way.	LIC is a mammoth trans-national Corporation with approximately one lakh employees. On account of the size and geographical spread as well as keeping with the personnel policies there is continuous vertical and lateral movement in the organisation. All these factors necessitate that there has to be a continuous process of skill development and upscaling the knowledge base within the organisation.	High employee turnover may lead to decrease in productivity, increase in hiring cost and low employee morale as well as efficiency, in general.

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
			Risk: In the current competitive scenario and rapidly changing marketing conditions, it is a challenge to retain key talent.	The pandemic situation necessitated and propelled the organisation to move towards self-learning through digital mode. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on our intranet. The current focus has been to make communication and collaboration easily available as part of the new work experience. Further, with the aim of self-learning/self-skilling, a Learning Management System, 'LIC Gyanpeeth' was introduced for employees.	
3	Climate change – Risk and Resilience	Risk	- Climate change has a significant effect on life in general. Evolution of life on earth has been a gradual process and not attuned to the drastic speed of change being witnessed now. This can lead to the development of new risks in the form of natural disasters, viruses, bacteria, etc., which will affect morbidity as well as mortality. - Insurance industry may expect variations in the assumptions of mortality and morbidity with any negative variation having consequences in terms of higher claim outgoes.	The approach to the same is to find ways and means to anticipate the changes that are coming and take corrective steps to reduce their business and environmental impact for the organisation. Towards mitigating climate change, we continuously focus on optimizing the consumption of scarce resources and thereby reducing the carbon foot print as well as distributing the resources to the populace at large.	- Higher frequency and severity of such changes will lead to increased expenses towards claims as well as manpower too. - Insurers may need to change their tables governing mortality, morbidity, etc and adapt to meet the changing scenario. - Reinsurance costs for life insurance companies may increase. - Investment in industries exposed to such risks will lead to change in strategy to avoid financial impact of the same.

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
4	Information security and data privacy related	Risk	We have the highest number of life insurance policies with the resultant access to personal information. With digital access and information gathered increasing at a humongous rate, the risk of information leakage increases concurrently. Cyber security needs to ensure data privacy and enable sustainable business practice. We have a robust policy for data security. We have inbuilt teams and processes for monitoring any leakage and maintaining data security. Monitoring of data breaches is thus done on a continuous and real time basis for the website, devices and other domains	We hold that data security is of paramount importance and customer privacy is sacrosanct. Any instances of data loss, breach or unaccounted access can affect customer confidence leading to customer attrition thus affecting financial performance. The resultant negative publicity emanating from the same can damage the Corporation's reputation which needs to be protected throughout.	Financial and reputational loss can be damaging and needs to be prevented.
5	Risk Management and Business Continuity	Risk	We have a robust Business Continuity Plan to meet different scenarios. This is to enable quick response in the case of the happening of any unforeseen event or challenges. Its purpose is to act as a shield to protect assets, smoothen and ensure least disruption as well as shorten the recovery time.	The Corporation has a Board approved Business Continuity Plan with inputs from all departments regarding their respective action plans. Risk Registers are maintained and reviewed periodically to enable robust risk management. In case of any major or minor incidents, well drawn out procedures are defined for implementation to mitigate or nullify the potential or actual impact. ISO 22301 certification has been received for the Business Continuity Plan	Negative

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . Some of the policies of the Corporation are offered to employees only and are available on the intranet site of the Corporation.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes /No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Our value chain partners are contractually obliged to comply with requirements pertaining to safety and healthy environment, prohibition of child labor and forced labor, non-discrimination, employment condition, provision of wages and working hours.								
4. Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Under Principle 4 , LIC has obtained: ISO 31000 for ERM ISO 22301 for BCP								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any	a. We are committed to incorporating ESG principles in our business activities. b. We are committed to conserving water, reducing energy use and reduce our carbon footprint as well as GHG emissions. c. We are an equal opportunity employer ensuring no discrimination on any grounds whatsoever. d. Spread life insurance widely and in particular to the rural areas and to the socially and economically backward classes with a view to reaching all insurable persons in the country and providing them adequate financial cover against death at a reasonable cost. e. Maximise mobilization of savings by making insurance linked savings adequately attractive. f. In investment of funds, the primary obligation to its policyholders, whose money it holds in trust, without losing sight of the interest of the community as a whole; funds to be deployed to the best advantage of the investors as well as the community as a whole, keeping in view national priorities and obligations of attractive return.								

	g. Conduct business with utmost economy and with the full realization that the moneys belong to the policyholders. h. Act as trustees of the insured public in their individual and collective capacities. i. Meet the various life insurance needs of the community that would arise in the changing social and economic environment. j. Involve all people working in the Corporation to the best of their capability in furthering the interests of the insured public by providing efficient service with courtesy. k. Promote amongst all agents and employees of the Corporation a sense of participation, pride and job satisfaction through discharge of their duties with dedication towards achievement of Corporate Objective.
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	a. We have settled 8,48,123 individual death claims and 2,16,69,980 individual maturity claims with an outgo of 24,420 crores INR and 2.37 lakh crores INR respectively thus providing financial security to dependent families, creditors, partners and key men in case of business insurance. b. We cover 3,13,80,682 lives under the PMJJBY as on 31.03.2025. We have designed other micro insurance products to cater to weaker segments of society. c. Hereditary commission is paid to dependents of over 40000+ agents who have expired and were eligible for renewal commission. d. To provide an impetus to insurance cover in the rural areas we have provided employment opportunities and appointed 1,48,888 ladies as Bima Sakhis as on 31.03.2025. e. Our new Jaipur Office is IGBC and LEED-certified building with efficient lighting (LED), HVAC, daylight optimization and low-emission materials.
Governance, leadership and oversight	
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)	The Board has overall responsibility regarding business responsibility report and to identify and manage ESG issues of the corporation
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy(ies)	Shri Siddhartha Mohanty CEO & MD DIN:08058830 (As on 31.03.2025)

9.	Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes. The Board has constituted an ESG Committee and has coopted external experts as well. The Board has overall responsibility of Corporation's Governance and Sustainability practices. The Board in exercise of both the letter and spirit of its ESG Mission has brought in external guidance to establish a robust cohesive mechanism. A research report by Deloitte was commissioned. Stringent targets have been set up for the coming year for continuous improvement. The Board has also constituted an internal ESG Committee. The Committee approves and ratifies ESG goals, targets, strategy, monitors performance including ESG initiatives to ensure long-term value creation for stakeholders and periodically reviews ESG activities of the Corporation.
10. Details of Review of NGRBCs by the Company		
	Performance against above policies and follow up action	The Board/ Committee of Board/ Senior Management of the Corporation have approved the policies that have been stated above as required by extant regulations.
	Indicate whether review was undertaken by Director/ Committee of the Board/ Any other Committee	Review done inter-departmentally
	Frequency (Annually/ Half-yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)	Half Yearly
	Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and rectification of any non-compliances	The Corporation complies with all applicable regulations.
11.	Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	All policies of the Corporation are evaluated internally

12. If answer to question (1) above is 'No' i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	No	-	-
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
Any other reason (please specify)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**As a listed entity, LIC operates in a highly regulated environment. Further, the Corporation upholds the highest standards of responsible business conduct as prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Corporation also regularly participates in various forums and committees constituted by said regulatory Authorities. While there is no specific policy outlined for this principle, the Staff Regulations, 1960, governs all employees, officers and Directors who are required to act in accordance with high professional and ethical standards. The Corporation, through trade bodies and associations, puts forth a number of suggestions with respect to the economy and the insurance sector in particular.

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE:

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as 'Essential' and 'Leadership'. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

PRINCIPLE 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programs on any of the Principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training and its Impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	*3	Directors' Certification in ESG Leadership Program @ IICA	57.14%
Key Managerial Personnel	8	1) Masterclass for Nominee Directors 2) Governance Leadership Program on Effective Boards & Future Ready Directors 3) 41 st India Fellowship Seminar 4) Training Program on IFRS-17 5) 24 th Global Conference of Actuaries 6) Business Class of Excellence (Foreign Training) 7) National convention of company secretaries 8) Training program on AML/CFT for Principal Officers	42.85%
Employees other than BoD and KMPs	4,076	Training Sessions were held for various groups of employees on wide-ranging topics like: Public Procurement, RTI Act, GeM, Cyber Hygiene and Security, Preventive Vigilance and Forensics, Ethics and Governance, BCP, Enterprise Risk Management, Leadership Development Program, Train the Trainers, Growth and mindset Management, Strategic Leadership, Customer Service Sensitization, IRDAI Regulations, Regulatory Compliance Management, KYC/ AML /CFT, Reservation & Welfare Matters, POSH, Health & Safety, ESG, Litigation Management in GST, Retiring Officials, Financial Literacy Program through NSE, IFRS-17, LIC Act, LIC Products, Social Media, Business Etiquettes, Telephone and Email Etiquettes.	83.75%

* Two (2) Programs were attended by Independent Directors and 1 Program was attended by All MDs.
Training Activities are carried out through In-House Training Centres and External Training Institutes.

In-house Training:

LIC has a network of well-equipped In-House Training Centres. All Centres are well equipped with hostel accommodations, classrooms, auditoriums, computer labs, LCD facilities, recreational and sports amenities. LIC's In-House Training Centres includes:

- Management Development Centre (MDC): The apex Training Institution of the Corporation.
- Zonal Training Centres (ZTCs): One located in each of LIC's eight Zones.
- Employee Training Centre (ETC)/Computer Training Centre (CTC): 113. One in each Division

External Training:

To offer innovative perspectives, acquire specialized industry knowledge and align with global HR practices, LIC nominates its officials to participate in a wide range of External Training Programs. These are conducted by renowned Institutions such as National Insurance Academy NIA (Pune), Indian Institutes of Management – IIMs, Indian School of Business – ISB (Hyderabad), Institute of Directors – IOD (Mumbai), Institute of Risk Management – IRM (Mumbai), Institute of Actuaries of India – IAI (Mumbai), Administrative Staff College of India – ASCI (Hyderabad), National Law School of India University – NLSIU (Bengaluru), College of Insurance – COI (Mumbai), National Academy of Human Resource Development – NAHRD (New Delhi), Indian Institute of Corporate Affairs – IICA, Institute of Secretariat Training and Management –ISTM (New Delhi), Life Transformation Academy, FIMMDA (Mumbai and many others).

The number of participants trained in various sessions conducted in-house by MDC and other training institutions number 1,15,911. The participants trained in external training institutes including NIA numbered 6,406. Thus 1,22,317 participants were trained with some having attended multiple training sessions on different subjects and on change of roles during the same period. Also during the financial year 2024-25, for fire drill the number of employees covered were 65,794 and 10,921 employees were trained on other modules. A total of 76,715 employees were thus covered out of 91,606 employees.

Short duration Webinars:

To cover large number of employees and field force, a series of short-duration Webinars were organized through External Training Institutes and also our In-House Training Centres. These webinars covered a range of topics, including POSH, Raising awareness and sensitizing employees on dealing with Persons with Disabilities, New Products, NB Underwriting, CRM Complaints Redressal, Growth Oriented Incentive Bonus (GOIB) Scheme, LIC Profile, Ananda, Unit Linked Insurance Plans, Digital Initiatives, Employee Benefits, New Plans and Changes, Road Map for Million Dollar Round Table (MDRT), Business Persistency & Revival, Claim Reinvestment, etc.

LIC Gyanpeeth–Self Learning Management System Module:

- LIC Gyanpeeth is a self-learning and self-skilling digital platform. It provides standardized content that eliminates the need for physical infrastructure and facilitators, making training accessible to employees anytime, anywhere, via intranet/ internet web browsers.
- LIC Gyanpeeth, is specifically designed to ensure uninterrupted training on various functional aspects. Continuous efforts are being made to enhance and update the portal. As on 31st March 2025, the portal contains 17 main modules, 142 sub-modules with 6,616 MCQs.
- 'LIC Gyanpeeth' has received an overwhelming response from employees, with approximately 77,233 (85.79%) employees earning a total of 20,43,124 LIC Gyanpeeth Certificates.
- Number of main module certificates issued under Gyanpeeth module was 2,38,165 and the number of sub modules for which certificates were issued numbered 18,04,959, together totaling 20,43,124 certificates being thus issued.

2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In ₹)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	NIL	Revenue authorities like IT, GST, etc	0.03 crore	Delay in filing returns of Professional Tax, IT Penalty awarded by Government/Court.	No
Settlement	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Compounding fee	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)	
Imprisonment	NIL	NIL	NIL	NIL	
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	

Note: During FY 2024-25, the Corporation has received 35 orders from GST authorities, filed appeal against 19 orders with GST Appellate Authority. Filing of 11 appeals, payment of 2 Orders and filing of 3 application for rectification of order are under process. Details of GST orders have been filed with stock exchanges under Regulation 30 of SEBI Listing Regulation.

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal /Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.-

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
NIL	NIL

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

The Corporation has an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy. It also has a Whistle Blower policy. Additionally, as per Rule 32 of LIC of India (Staff) Rules, 1960, no employee or any member of the family of the employee is allowed to accept gifts of more than a trifling value. The link for anti-bribery and anti-corruption policy is as under:

(<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->)

5. **Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

	FY 2024-25	FY 2023-24
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	1	NIL

6. **Details of complaints with regard to conflict of interest:**

	FY 2024-25		FY 2023-24	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	NA	Nil	NA
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	NA	Nil	NA

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines /penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Proceedings are underway in the lone case registered.

8. Days of accounts payable: ((Accounts payable*365)/Cost of goods/services procured):

	FY -2024-2025	FY -2023-2024
Number of days of accounts payable	12.12	11.85

9. **Openness of business:**

Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:

Secondary market comprises of stock exchanges which provide platform for purchases and sales of securities by investors. The trading platforms of stock exchanges are accessible only through brokers and trading of securities is confined only to stock exchanges. Hence LIC does secondary market trading through brokers only. Details are as follows.-

Parameter	Metrics	Current FY 2024-2025	Previous FY 2023-2024®
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading brokers as % of total purchases	16.64 % secondary market trading	14.86% secondary Market trading
	b. Number of brokers where purchases are made from	142	143

Parameter	Metrics	Current FY 2024-2025	Previous FY 2023-2024 [@]
	c. Purchases from top 10 trading brokers as % of total purchases from brokers	9.87%	9.13%
Concentration of Sales	a. Sales to brokers as % of total sales	12.96% secondary market trading	15.67% secondary Market trading
	b. Number of brokers thru whom sales are made	142	143
	c. Sales to top 10 brokers as % of Total sales to brokers	9.54%	9.52%
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases)*	1.54%	2.00%
	b. Sales (Sales to related parties/ Total Sales)**	1.89%	0.18%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties/ Total loans & advances)	NA	NA
	d. Investments (Investments in related parties/Total Investments made)	NA	NA

[@]Previous year's figure have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable.

*RPT - Includes all types of purchases and application money

** RPT - Includes all types of sales, redemptions and refunds

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programme
2135 Sessions	Training of value chain partners (specified persons) by Marketing Channels Product Training, Life Insurance Market in India, Potential and Future Opportunities, Identify Needs-Why life insurance? Positioning of Bank Products and Insurance Products and Insurance Policies Vs Bank FDS. Additionally as per requirements of value chain partners trainings are provided.	9.9%**
41 Sessions	Swachhata hi Seva, Swachhata Campaign, Fire drill, Plantation, Statutory Compliance, Swachhata Awareness, Swachhata Pledge, POSH, Fire & Safety Awareness, PF, ESI, Naturopathy, Cleaning & Sanitation, Health care and Precaution, Sexual harassment and Discrimination/Remedies.	49.75%

**During the year 2024-25, 35 Banks, 42 Other Corporate Agents, 115 Brokers and 86 IMFs only contributed to the Business

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? **(Yes/No)**
If yes, provide details of the same.

- Yes, Processes are in place. Disclosure of interest as well as declaration on Directors' independence is being regularly obtained from Directors and submitted to the Board. To avoid conflict of interests, Directors recuse themselves from participation in any Agenda Item(s) wherever they are deemed interested and is being discussed in a meeting.

PRINCIPLE 2 Business should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

R&D mainly focuses on product development, monitoring, modifying, closing as well as introducing newer versions with emphasis on its environmental and social impact too. Customer experience and satisfaction continue to be the bedrock on which initiatives in this aspect are worked out including diminishing the usage of paper across the Board.

Capital expenditure is incurred on replacing old energy inefficient appliances like ACs, light bulbs, lifts, etc with modern energy efficient equipment, Installation of solar equipment for leveraging renewable energy, Rain water harvesting to boost water conservation, etc. Its impact is felt in increased energy efficiency, harnessing recyclable resource like sunlight and conservation of water.

2. **a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**
b. If yes, what percentage of inputs was sourced sustainably?

- Yes.

As a part of the Insurance industry, our operations primarily revolve around digital solutions. While our procedures do not directly mirror those of traditional manufacturing, we try to follow guidelines and practices that promote ethical

and sustainable sourcing of technology-related inputs. Given the nature of our operations, traditional measures of sustainable sourcing and identifying percentage are not directly applicable. However, we actively participate in broader organisational initiatives to enhance sustainability.

While our operations differ from manufacturing, we strive to adopt guidelines and practices that promote ethical and sustainable sourcing of technology-related resources. We have a procurement policy for the corporation which complies with CVC guidelines, promoting transparency, improving competition, ensuring equity among participants and encouraging 'Make in India'. All procurements are processed through electronic mode by inviting tenders through online channels only eliminating the requirement of physical documents.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a)Plastics (including packaging) (b)E-waste (c)Hazardous waste and (d) other waste

As the Corporation is in the Business of Insurance, there is limited scope for using recycled material. Insurance products per se, are intangible. However, our offices are encouraged to recycle e-waste. Servers, computers, cartridges, ribbons are the primary e-waste generated which is disposed through authorized vendors, who pick up the hardware e-waste from all locations after dismantling/degaussing. Re-cycling certificates are also obtained. For collection and disposal of e-waste and electrical waste, safe disposal collection boxes are kept at various offices. The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all locations. A prescribed certificate is taken from the e-waste disposal vendor.

The Corporation has taken up new initiatives in order to minimize use of paper in our offices by digitizing of operations, thus reducing paper usage. Minimizing the use of single use plastic folders/bottles, replacing plastic folders with paper folders, plastic pots for plants with earthen pots, supply of paper pens in some offices, once the refill is over, these pens with seeds at the reverse, can be planted to grow plants. Replacing disposable cups by stainless steel coffee/tea mugs for employees in some offices.

4 Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes/No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Extended Producer Responsibility (EPR) in the traditional sense is not applicable to us, as our activities are not directly associated with the production of physical goods.

However, to ensure alignment with environmental sustainability, we collaborate with certified e-waste disposal partners to ensure that our electronic waste is managed in an environmentally friendly manner.

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

Being in the services industry, life cycle assessment as in general parlance is not applicable to life insurance contracts. However, from the angle of product development, periodic evaluation or valuation is a norm. Every plan introduced has certain projections made across various parameters like mortality, morbidity, interest rates, administrative costs, etc. During the course of time, whenever it is felt that the assumptions made therein and the actual results emanating from the field are having a variance beyond the ranges provided for in different scenarios, corrective action is initiated. It may take the form of changes in the parameters governing the same at one end to withdrawal of the plan at the other and coming forth with a revised one, if required.

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same

From the nature of the business as well as it being monitored on a regular basis, no significant social or environmental concerns or risks evolve from the same.

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Recycled or reused material is not applicable as life insurance being an intangible product does not partake in such processes.

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled and safely disposed:**

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

PRINCIPLE 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. **Details of measures for the well-being of employees:**

Category	% employees covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	%(C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	%(F/A)
Permanent employees											
Male	69740	69740	100	69740	100			69740	100	NIL	NIL
Female	21866	21866	100	21866	100	21866	100			NIL	NIL
Total	91606	91606	100	91606	100	21866	100	69740	100	NIL	NIL
Other than Permanent Employees											
Male	13	3	23.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
Total	14	3	21.43	0	0	1	100	0	0	0	0

b. **Details of measures for the well-being of workers:**

Category	% workers covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	%(C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	%(F/A)
Permanent Workers											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											
Other than Permanent Workers											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

- c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format –

	FY 2024-25	FY 2023-24
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the Corporation	(i) Group Personnel Accident Benefit – 0.001934% (ii) Mediclaim – 0.0931228% (iii) High Cost Protracted Treatment – 0.000156% (iv) Preventive Health Check-up – 0.002841%	(i) Group Personnel Accident Benefit – 0.0008% (ii) Mediclaim – 0.03421% (iii) Group Insurance – 0.00574% (iv) High Cost Protracted Treatment – 0.00012% (v) Preventive Health Check-up – 0.0007%

These figures are exclusive of 18% GST

2. Details of retirement benefits, for Current Financial Year and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF(*)/ Pension	100% - All eligible employees are covered	No category of worker/s in the organisation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund Rule No.1 and the same is managed by the Corporation.	69.44%	No category of worker/s in the organisation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund Rule No.1 and the same is managed by the Corporation.
NPS	100% - All eligible employees are covered		Yes	**		Yes
Gratuity	100%		The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.	100%		The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.
ESI	Not Applicable		Not Applicable			
Others – please Specify(#)	100%		All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.	100%	-	All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.

(*) Employees who are appointed in the services of the Corporation on and after 01.04.2010 are governed by National Pension System and are not covered under LIC of India Provident Fund Rules No. 1 and vice-versa.

(**) In 2023-24, 30.56% employees were covered under NPS.

(#) Employees / Officers retiring from the services of the Corporation are entitled to various post-retirement benefits which are inclusive of Encashment of Privilege leave, Group Insurance Scheme, Group Mediclaim Scheme, Accumulation of Group Savings Linked Insurance Scheme and Pension benefits as applicable.

3. Accessibility of work places:

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. All offices of the Corporation have been advised to make provisions for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities in new and existing offices.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails etc. to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes, The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the rules framed thereunder. It is committed towards the empowerment of persons with disabilities. The link for Equal Opportunity Policy is as under:

<https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent Employees		Permanent Worker	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	100%	Not Applicable	
Female	100%	100%		
Total	100%	100%		

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

Permanent Workers	Not Applicable
Other than permanent workers	Not Applicable
Permanent Employees	Yes. We have an Employee grievance redressal portal called e-Samadhan. Complaints are forwarded on-line to Staff Grievance Officer. There is provision for appeal to next higher authority. Complaint resolution time is 90 days. There are also Internal Complaints Committees at Central Office, Zonal Offices, Divisional Offices handling grievances pertaining to Sexual Harassment according to the provisions mentioned in The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
Other than Permanent Employees	Yes. All mechanisms for permanent employees are also available to other than permanent employees.

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

7. Membership of employees/workers in association(s)/Unions recognized by the listed entity:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total employees / workers in respective category	No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union	% (B / A)	Total employees/ workers in respective category	No. of employees / workers in respective category, who are part of associations or Union	% (D/C)
	(A)	(B)	% (B / A)	(C)	(D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	91,606	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA	98,661	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA
- Male	69,740		NA	75,411		NA
- Female	21,866		NA	23,250		NA
Total Permanent Workers	Not Applicable					
- Male						
- Female						

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2024-25					FY 2023-24				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)		No. (E)	%(E/D)	No. (F)	%(F/D)
Employees										
Male	69,740	*	*	46,081	66.07%	75,411	*	*	66,362	88.00%
Female	21,866	*	*	15,196	69.50%	23,250	*	*	21,012	90.37%
Total	91,606	*	*	61,277	66.89%	98,661	*	*	87,374	88.55%

**There is no class of Employees as “Workers”.

*It is ensured that ‘Yoga & Health’ Session are included in all our In-House Training Programmes. An Exclusive Yoga Session was organized at LIC Central Office to celebrate International Yoga Day. Employee Engagement Program (EEP), for a day and a half, was conducted by all 113 Divisions. This program targeted 33% of employees (27342), ranging from Record Clerks to Administrative Officers across all offices nationwide. Session on ‘Health & Wellness’ was a part of EEP. The Program aimed to enhance employees’ satisfaction and foster a sense of empowerment, engagement, encouragement, and alignment with the Organisation’s Vision and Goals.

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Details of performance and career development reviews of employees						
Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total (A)	No.(B)	% (B/A)	Total (C)	No.(D)	% (D/C)
Employees						
Male	69,740	69,740	100	75,411	75,411	100
Female	21,866	21,866	100	23,250	23,250	100
Total	91,606	91,606	100	98,661	98,661	100

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? **(Yes/ No)**. If yes, the coverage such system?

Yes. The Corporation has stringent guidelines to ensure the safety of employees and its property. This includes policy for fire safety, Standard operating procedures for fire safety, which covers rules pertaining to fire-fighting equipment, Fire drills, formation of fire safety committees in all our offices, periodical check on electric and fire safety parameters, etc., are conducted wherever required. Also, restrictive access to core Departments has been taken up. We have SOP's on security and fire safety measures with defined roles to be followed by each employee in case of any incidence. Drills are conducted regularly so that the employees respond swiftly and efficiently and have clear understanding of the procedures. Employees are covered under Group Insurance, Group term insurance and 24 Hours Group Personal Accident Policy. In addition to the above, the employees are covered under Group Medclaim Scheme where employees and their families are covered for hospitalization, with an option to take additional cover for themselves and their families. Preventive Health check-up scheme and scheme of ex-gratia reimbursement of Medical Expenses in case of High cost treatment are also other benefits for the employees.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Not applicable since we are a financial services entity.

- c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N) **Not applicable**

- d. Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and health care services? (Y/N)

Yes. All employees are covered under health insurance and accident policy. The Corporation has well-defined medical and healthcare policies. Group term insurance cover and Personal Accident insurance cover are applicable for all employees. Initiatives like health checkup, yoga, eye checkup, bone density, etc and talks by specialists to educate and enable healthier and happier lifestyle are held.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2024-25	FY 2023-24
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per 1 million-person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

Security Guards and Watchmen are appointed for the security of office premises and employees. Baggage scanners are installed at the entrances of various offices. CCTV cameras have been installed in offices in sensitive departments of the Corporation. Fire safety Committees are constituted in all the offices, training imparted on a regular basis and evacuation drills are conducted. Standard operating procedures for Fire Safety are laid down. Every employee of the Corporation gives their rating, in the Monthly Ambience Poll, where the ratings are based on various parameters of cleanliness in the offices. Model DO & Model BO competitions are floated to encourage cleanliness and record maintenance. Activities including regular pest control services, cleaning of office premises and surrounding areas, disposal of scrap, identification and proper use of vacant spaces, plantation of saplings, rain water harvesting, installation of ramps and railings for the differently abled, installation of solar panels, etc. are being done to ensure safe and hygienic work place. As on date most of our offices are using LED lighting.

We have sensitized all our employees about the prevalent policy against Sexual Harassment at the work place as well as the mechanism and the process is being followed for the redressal of complaints related to Sexual Harassment at work place.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Health & Safety	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Inspection of all our offices is done by our inspection teams every year
Working Conditions	

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

To address safety related incidents, installation of baggage scanner machines and fire extinguishers and training by Security Officers is provided for security guards.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N):-

Employees: Yes. The Corporation extends benefits in the form of support to families in the event of an employee’s death as under:

1. Group Insurance -2004 if opted
2. Group Term Insurance which is paid to nominee / legal heirs. This is especially provided to protect the loss of commutation of pension, had the employee continued in the services of the Corporation till the date of his superannuation.
3. Risk and Savings Portion of Group Savings Linked Insurance
4. 24 hours Group Personal Accident cover in case death of the employee occurs due to accident.
5. Gratuity is paid even if the employee had not completed five years of continuous service with the Corporation. In addition, gratuity is calculated as per LIC of India (Staff) Rules, 1960 and also as per Gratuity Act, 1972 and the higher is paid to the family members of the deceased employee. Lump sum in lieu of PL Encashment
6. Additional Gratuity is also paid if applicable.
7. Family Pension as applicable
8. Employees contribution towards Provident Fund
9. Corporation Contribution towards Provident Fund (for PF Optees)

An opportunity of employment is also extended to the spouse or age eligible child of the deceased employee on compassionate grounds.

Note: There is no class of employees as “Workers” in the corporation

2. **Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.**

The Corporation ensures that taxes as applicable to the transactions within the remit of the Corporation are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is reviewed as part of the internal and statutory audit. The Corporation expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability. This is also part of Service Level agreement executed with Channel Partners.

3. **Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2024-2025	FY 2023-2024	FY 2024-2025	FY 2023-2024
Employees	NIL	NIL	NIL	NIL
Workers	NA	NA	NA	NA

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)**

Yes. All employees have been provided with various training platforms for continual learning throughout their career with the Corporation for excelling in their Managerial, Functional and Behavioural Skills through In-House Training Centres and External Training Institutes. Such continual trainings help employees to upskill and enhance their work performance. The Corporation also has a self-learning, self-assessment portal 'Gyanpeeth' which provides content covering various functions, rules / regulations of the Corporation. Senior Level Management is exposed to 'Master Class for Nominee Directors' conducted through Institute of Directors, Mumbai. Additionally, they are encouraged to complete an e-learning course offered by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) to refresh their foundational knowledge, roles and responsibilities of the Directors/Board and to improve the effectiveness while representing the Corporation as a Nominee Director on the Board of other Companies. Special training programs are organised for retiring employees to help them manage their finances and health, post retirement.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government/other statutory agencies and implementation is being ensured.

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government /other statutory agencies and it is implicit that they are adhering to the applicable statutory health and safety practices with above average working conditions.
Working Conditions	It is ensured that workmen compensation policy is taken by the value chain partners. Also provision for safety helmet, Body Harness, Safety Shoes & other safety norms is ensured. Maintaining site hygienic conditions by providing proper washroom, portable water, etc., is enabled.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

Not applicable

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Life Insurance is the primary business of the Corporation. However financial planning solutions which are provided to individuals, provides the financial protection in case of exigencies like critical illnesses as well as Death. Along with the life cover, different insurance products cater to different needs of family and help individuals to secure family's financial future and achieve the long term financial goals.

Customers include individuals who are self-employed as well as salaried individuals and their dependents, key management persons, etc. Our life insurance products offers a protection to the family against untimely death of the bread winner, a protection cover for the loan taken in case of death, accident, critical illness, etc. It is also a tool for savings, investment and long term planning for child's education, marriage, etc. We also offer group insurance products to the organisations to cover the needs of managing gratuity, superannuation in addition to the life cover for their employees.

Based on the nature of our business of life insurance, our risks and opportunities revolve around Human Capital, responsible investing, Data Privacy & Security, access to Finance and Emerging Risks and Governance. Accordingly, our key stakeholders can be identified as Internal Stakeholders and External stakeholders. Internal stakeholders are our employees and agents whereas external stakeholders are those who contribute to our business directly or indirectly. Some of our key external stakeholders are: Investor and Shareholders, Customers (Policyholders), Government & Regulatory Bodies, Business Partners (CA/Broker/IMF/CSC) and Distribution Channels.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/Half yearly/ Quarterly/ Others- Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Investor and Shareholders	No	As per need: Emails, Annual General Meeting, Quarterly Results, Filings at Stock Exchanges, Press Releases, Media Interactions, Interviews for Newspapers	Quarterly and half yearly Results and Annual General Meeting. Filings of Corporate Announcements with the Stock Exchanges.	Providing the update on the Corporation's strategy, Redressal of grievances through various regulatory Mechanisms.
Employees	No	Direct contact, e-mail, Employee website, SMS, calls, Notice Board	Regularly	Information sharing, and addressing queries. Regular engagement on work progress in the department
Customers Policyholders whose policy is due for payment such as Survival Benefit, Maturity Benefit, etc, or beneficiaries in case of death claims	No	Intimation letters, SMS, LIC Digital app, WhatsApp Message & Emails in case of SB and maturity cases. Advertisement for Outstanding Claims and NEFT Updation.	Frequent or as and when required	To acquire new customers and provide services to existing ones; To intimate them about claim due and requirements to be submitted to enable processing of claims
Business Partners (CA/Broker/IMF/ CSC)	No	Email, SMS, meetings and through Website	Frequent or as and when required	Service existing business and scope for further expansion

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/Half yearly/ Quarterly/ Others- Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Government & Regulatory Bodies	No	Email, Personal Meetings, Calls, Video Calls	As and when required	For Regulatory Compliance, inspections and in Grievance matters
Distribution Channels: Premium Points, Agents, CLIAS, COs, DSAs, Supervised Agents under CLIA/Cos	No	Multiple Channel of communication -Physical and Digital	Frequent or as and when required	To provide the services to existing policyholder and procurement of new business
Community	No	Newspaper, Advertisements, etc	On regular basis	Insurance awareness

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

The Board and its Committees receive periodic updates on diverse topics, including stakeholder feedback. For engaging with government and regulatory bodies, meetings, conferences, forums, and emails are utilized. Corporation responds to consultation papers from regulatory bodies within specified timelines. The Board has different Committees and each committee has a defined role and charter. We engage with customers regarding complaints, new initiatives, services, and products through surveys, SMS, call centers, advertisements, and social media. Customer analytics from surveys and feedback are used to derive insights, to enhance service offerings. Corporation values its employees and actively seeks their input on addressing grievances, concerns and ideas for reducing environmental impact and other matters.

Team of Investor Relations of the Corporation engages with the investors and market analysts. Key indicators of Analysts' Reports and feedback from Investors meet are placed to the Board of the Corporation. Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board as well as placed before the Board of the Corporation. ESG (Environment, Social & Governance) Committee of the Board reviews the ESG activities of the Corporation. Queries, if any, raised by the shareholders on economic, environmental and social topics are placed for discussion. Policyholder Protection, Grievance Redressal & Claims Monitoring Committee of the Board monitor the activities related to interest of the policyholders.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes. Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board which meets as and when required or at least twice a year. It is then placed before the Board of the Corporation. Queries, if any, raised on economic, environmental and social topics are placed for discussion. The Corporation has for long understood the significance and utility of feedback from customers who form our most significant stakeholder. Feedback is sought from all employees in the form of contribution to idea box for which certificates and awards are given for the best ideas selected and implemented. This approach bring to our attention matters dealing with the minutiae at the grassroot level to macro issues at the higher levels resulting in informed changes in product and servicing aspects.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

To address the concerns of vulnerable/marginalized stakeholders, the Corporation has implemented several key initiatives aimed at improving access and financial inclusion:

Customized Product Offerings: Insurance products for low-income individuals, rural populations and other underserved groups have been developed. These products are designed to offer affordable premiums with simplified features to ensure ease of understanding and access. Specially designed plans are available for our micro-insurance policyholders. Convenient modes of payment, including weekly mode of payment is available. Micro-insurance policyholders are serviced through NGOs and tied-agents.

Technology-Driven Outreach: Utilizing mobile and digital platforms expands the reach to rural and remote areas where traditional banking infrastructure is limited. Corporation's mobile applications offer easy access to information and policy services, ensuring stakeholders can manage their policies remotely.

Collaboration with NGOs: We partner with non-governmental organisations (NGOs) that work directly with marginalized groups. This helps us reach vulnerable/marginalized stakeholder through trusted local networks, ensuring better engagement and trust-building.

Grievance Redressal: Corporation has established dedicated help lines and grievance redressal mechanisms for policyholders including marginalized stakeholder to voice concerns.

Training for Channel Partners: Corporation's Marketing Field force offers training to Channel Partners on how to engage with and serve vulnerable customers, ensuring that the front-line staff is equipped to address the unique challenges these stakeholders may face.

PRINCIPLE 5: Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total (A)	No. of employees/workers covered (B)	%(B / A)	Total (C)	No. of employees/workers covered (D)	%(D / C)
Employees						
Permanent	91,606	33,371	36.43%	98,661	23,545	23.86%
Other than permanent	14	0	0	6	0	0
Total Employees	91,620	33,371	36.42%	98,667	23,545	23.86%
Workers**						
Permanent	NIL					
Other than permanent						
Total Workers						

** There is no class of Employees as "Workers" in the Corporation

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following Format:

Category	FY 2024-25					FY 2023-24				
	Total (A)	Equal to minimum wage		More than Minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum wage		More than Minimum wage	
		No. (B)	% (B /A)	No.(C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Employees										
Permanent	91,606	NIL	NIL	91,606	100	98,661	NIL	NIL	98,661	100
Male	69,740	NIL	NIL	69,740	100	75,411	NIL	NIL	75,411	100
Female	21,866	NIL	NIL	21,866	100	23,250	NIL	NIL	23,250	100
Other than Permanent	14	NIL	NIL	14	100	6	NIL	NIL	6	100
Male	13	NIL	NIL	13	100	5	NIL	NIL	5	100
Female	1	NIL	NIL	1	100	1	NIL	NIL	1	100

Category	FY 2024-25				FY 2023-24					
	Total (A)	Equal to minimum wage		More than Minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum wage		More than Minimum wage	
		No. (B)	% (B / A)	No.(C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Workers**										
Permanent	Not Applicable									
Male										
Female										
Other than Permanent										
Male										
Female										

Not Applicable

** There is no class of Employees as "Workers" in the Corporation

3. Details of remuneration/salary/wages:

a. Median remuneration / wages:

FY 2024-25	Male		Female	
	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category
Board of Directors (BoD)*	5	96,62,416.46	0	NA
Key Managerial Personnel (KMP)*	7	49,58,139	1	46,13,856
Employees other than BoD and KMP	69746	20,53,509.18	21866	22,32,574.94

*Details of remuneration submitted include that of only CEO&MD and Managing Directors of the Corporation. Further, it is submitted that pursuant to the Board approved policy on Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity('Board Policy') the independent directors of the Corporation are eligible to receive sitting fees whereas Government Nominee Director is not eligible to receive any remuneration/sitting fees.

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Gross wages paid to females as % of total wages	24.48%	24.19%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes. Executive Director (Personnel) is responsible for the human resources administration and the management shall oversee and address any issue arising from any human rights impact related to employees.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Corporation has an internal mechanism system for redressal of grievance. Grievances can be registered by any employee on a portal on the intranet site called e-Samadhan. These will be forwarded online to the Staff Grievance Officer. There is also a provision for appeal to the next higher authority through the portal. In accordance with The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013, the department has initiated various steps to create a conducive workspace. An Internal Complaints Committee has been constituted in all the offices of the Corporation. The female employees of the Corporation are at par with the male employees.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	Current FY 2024-2025			Previous FY 2023-2024		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Sexual Harassment	9	2(\$)	NIL	14	2(*)	
Discrimination at workplace	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Child Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Forced Labour/Involuntary Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Wages	Equality in wage structure					
Other human rights related issues	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

(*)Both complaints were closed in Financial Year 2024-2025

(\$)Both complaints are closed in Current Financial Year 2025-2026

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	9	14
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.041%	0.060%
Complaints on POSH upheld	2	NIL

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

The Corporation has laid down a detailed Whistle Blower process, including mechanism to prevent adverse consequences to the complainant. The whistle blower is entitled for:

- The Corporation shall ensure that no whistle blower who has made a disclosure under this Policy is victimized by initiation of any proceedings or otherwise merely on the ground that such complainant had made a disclosure or rendered assistance in investigation under this Policy.
- Wherever the Whistleblower has alleged victimization/harassment, the Vigilance Officer ensures that if the identity becomes known eventually he/she should not be harassed/ victimized by way of frequent transfers, etc.
- In case a Whistleblower seeks protection and reports that his life is in danger, the Vigilance Officer will examine the matter and send his recommendation to the Chairperson to take up the matter with the Nodal Officers of respective States/UTs appointed by the Ministry of Home Affairs/State Governments for the purpose of providing security cover to the Whistleblowers.
- The identity of the Whistleblower shall be kept confidential unless warranted for evidence in the Court/Disciplinary Proceedings.

Additionally, during the pendency of the inquiry, the Corporation can transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace or grant leave up to a period of three months or any other such relief. Further, the respondent may be restrained from reporting on the work performance of the aggrieved woman or writing her confidential report.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, wherever applicable.

10. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	NIL
Forced/involuntary labour	NIL
Sexual harassment	NIL
Discrimination at workplace	NIL
Wages	NIL
Others—please specify	NIL

The Corporation is in compliance with all applicable laws on the subjects mentioned in the table.

11. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / Concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Nil, not applicable

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

The Corporation is of the belief that it has upheld the basic principles of human rights in all its dealings. This is in alignment with its Human Rights Statement. The Corporation regularly sensitizes its employees through various training programmes. Employees are encouraged to raise any grievance they may have regarding any breach/violation in any policy or process, or report any act which is in contravention of the rules and regulations governed by the Corporation including the Prevention of Sexual Harassment at the workplace policy, Anti bribery and Anti-Corruption Policy, Anti Money Laundering Policy, Whistle Blower Policy, Anti-Fraud Policy, Information and Cyber Security Policy or any other policy governing employee conduct at the workplace that may be defined from time to time or any other statutory or regulatory laws as may be in force.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

Internal audit is conducted for the governance process of the Corporation

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. All offices of the Corporation have been advised to make provisions for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities in new and existing offices.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails etc. to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

4. Details on assessment of value chain partners:

No such assessment is done

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	Nil
Discrimination at work place	Nil
Child labour	Nil
Forced labour/Involuntary labour	Nil
Wages	Nil
Others- please specify	Nil

5. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

No, not applicable.

We incorporate the relevant matrix in our new and existing contracts with our value-chain partners.

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
From Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (A)		
Total Fuel Consumption (B)		
Energy Consumption through other Sources (C) Solar	18307 GJ	30596 GJ
Total Energy Consumed from Renewable Sources (A+B+C)	18307 GJ	30596 GJ
From Non-Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (D)	422858 GJ	329308 GJ
Total Fuel Consumption (E)	390283 GJ	394649 GJ
Energy Consumption through other Sources (F)		
Total Energy Consumed from Non-Renewable Sources (D+E+F)	813141 GJ	723957 GJ
Total Energy Consumed (A+B+C+D+E+F)	831448 GJ	754553 GJ
Energy Intensity per Rupee of Turnover (Total Energy Consumed/Revenue from Operations) (GJ/INR crores)	1.70	0.85
Energy Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Energy Consumed/Revenue from Operations adjusted for PPP)	3.5139 KJ/USD PPP	
Energy Intensity in terms of physical output		
Energy Intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	9.07 GJ /per employee	

*PPP conversion rate is taken as 20.66 which is as per IMF website- April 2025

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide remedial action taken, if any.

No, we do not have any such sites or facilities

3. Details of disclosures related to water:

The organisation's water usage is restricted for human consumption only. Efforts have made to ensure that water is utilized judiciously. For e.g., at our Management Development Centre (MDC), Borivali, a rain water harvesting unit for collecting the rain water is installed. This unit is connected to the nearby bore well due to which the bore-well is recharged and quality of bore well water has improved significantly.

Details of water-usage are as follows:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	19571	Not assessed in 2023-24
(ii) Ground water	680535	
(iii) Third party water	559024	
(iv) Sea Water / Desalinated Water	0	
(v) Others	8311	
Total volume of water withdrawal (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	1267441	
Total volume of water Consumption (in Kilolitres)	1267441	35506901.984
Water Intensity per Rupee of Turnover (Total Water Consumption/Revenue from Operations) (Kilo Litres/INR Crores)	2.59	0.0000041
Water Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Water Consumption/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.0054 L/USD PPP	
Water Intensity in terms of physical output		
Water intensity <i>(optional)</i> – the relevant metric may be selected by the entity	13.83 kL /per employee	

Note: Indicate if any independent assessment/evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

No

4. Provide the following details related to water discharged :

Not Applicable

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(ii) To Ground Water	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
(iii) To Sea Water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(iv) Sent to Third Parties	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(v) Others	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
Total water discharged (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

No

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity

Not Applicable

Parameter	Please specify Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
NOx		Not Applicable	
Sox			
Particulate Matter (PM)			
Persistent Organic Pollutants (POP)			
Volatile Organic Compounds (VOC)			
Hazardous Air Pollutants (HAP)			
Others – Please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

7. Details of green house gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity:

Parameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Scope 1 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	27,014	13,108
Total Scope 2 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	84,102	67,250
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations) (MT/INR Crores)		0.23	0.09
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations adjusted for PPP)		0.0004696 KG/USD	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output			
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		1.21 mT/Employee	

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

The Corporation is in the process for procurement of a power saving solution for desktops.

As a part of Construction of Green Building projects and ESG initiatives we have installed solar PV panels at 212 locations, totaling 8110 KWp capacity resulting in 21566.50 tons of carbon reduction. For FY 2024-25, there has been 4068.11 tons, reduction in carbon emission as on 31st March 2025.

Purchase of EVs is being encouraged amongst our marketing and administrative staff. Further, as a part of environment conservation, over 18 lakh saplings have been planted across the country in financial year 2024-25.

9. Details related to waste management by the entity:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Waste Generated (in Metric Tonnes)		
Plastic Waste (A)	920	4081
e-Waste (B)	940	116
Bio-Medical Waste (C)		
Construction and Demolition Waste (D)		
Battery Waste (E)		
Radioactive Waste (F)		
Other Hazardous Waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-Hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition, by materials relevant to the sector) – Paper, Scrap Metal, etc	512	
Total (A + B + C + D + E + F + G + H)	2372	4201
Waste Intensity per Rupee of Turnover (Total Waste Generated/Revenue from Operations) (MT/INR Crores)	0.005	0.005
Waste Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Waste Generated/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.0000100 kg/USD PPP	
Waste Intensity in terms of physical output		
Waste intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	0.03 mT /per employee	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Recycled	-	-
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	-
Total	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Incineration	-	-
(ii) Land-filling	-	-
(iii) Other disposal Operations	-	-
Total	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, not applicable

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

We are committed to adopting sustainable practices in waste management. While our operations primarily involve software development, technology infrastructure, and digital services, we recognize the importance of responsible waste handling.

Soft copies of forms, certificates, etc., are being issued. Pension documents have been scanned for better servicing and for reducing time lag. Paper stationery is being used judiciously by all employees.

The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback agreement. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all the locations. A certificate is taken from the e-waste disposal vendor in the prescribed form.

Our waste management practices include:

- **Energy-Efficient Infrastructure:** We prioritize the use of energy-efficient infrastructure to minimize resource consumption.
- **Electronic Waste Management:** We have implemented a comprehensive e-waste management program, collaborating with certified disposal partners to ensure proper recycling and disposal of electronic waste.
- **Paperless Initiatives:** We encourage paperless practices and taken up new initiatives to reduce reliance on physical materials in our day-to-day operations.

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, bio-diversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details:

Not applicable

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Not applicable

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules there under (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances:

Sr. No.	Specify the law / regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control Boards or by courts	Corrective action taken, if any
Based on the nature of business the Corporation complies with applicable environmental norms.				

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water-stress (in kilo-litres):

NIL

For each facility/plant located in areas of water-stress, provide the following information:

- Name of the area - **Not applicable**
- Nature of operations - **Not applicable**
- Water withdrawal, consumption and discharge in the following format: **Not applicable**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Not Applicable

2. **Details of total Scope 3 emissions & its intensity:**

Parameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Scope 3 Emissions (Breakup of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	NA	NA
Total Scope 3 emission intensity per rupee of turnover		NA	NA
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, not applicable

3. **With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on bio-diversity in such areas along-with prevention and remediation activities.**

Not Applicable since none of our offices are located in ecologically sensitive areas

4. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge/waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives:**

Use of water efficient fixtures, Rain water Harvesting, energy efficient Electrical fixtures, environment friendly refrigerant in AC units is a continuous process. We have obtained Green building certification for 22 buildings in the FY 2024-25 and for 19 buildings it is in process.

5. **Does the entity have a business continuity and disaster management plan?**

Yes, the Corporation has Board approved Business Continuity Plan. Business-interruption risk forms an integral part of operational risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which may impact day-to-day operations. The Board approved policy for business continuity (BCP) provides overall guidelines to implement and manage the Business continuity framework. The BCP framework is in place, and provides instructions/guidelines to respond to disaster situation(s) and also includes measures for safety of human life and minimum down time. The continuity plan has been formalized to provide measures to be taken to respond to events such as natural disasters, pandemic and technical disruptions. **LIC has received ISO 22301 Certification for BCP.** A disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in an emergency scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes as also to manage business-interruption risks.

6. **Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?**

There has been no adverse impact on environment as nature of business is life insurance.

7. **Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.**

Nil

8. **How many Green Credits have been generated or procured:**

a. By the listed entity

b. By the top ten (in terms of value of purchase & Sales respectively) Value Chain Partners.

Nil

PRINCIPLE 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

The Corporation has Affiliations with more than 15 trade and industry chambers/ associations

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

Sr. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Society for Training & Development (ISTD)	National
2	National HRD Network (NHRD)	National
3	Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)	National
4	Administrative Staff College of India, Hyderabad (ASCI)	National
5	All India Management Association (AIMA)	National
6	Insurance Institute of India (III)	National
7	Confederation of India Industry (CII)	National
8	Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCCI)	National
9	Management Development Institute Society, Gurgaon	National
10	Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

No adverse orders passed by any Regulatory Authority

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

LIC has positioned itself as the insurer of choice and continues to sustain its leadership position after 25 years of liberalization with dominant business mix coming from the participating business sourced primarily through agency force. Further, LIC has capitalized on heightened awareness and is pursuing digital engagement and delivery of services with migration of the customers from physical to the digital i.e., 'phygital' mode. A strategic deploying of bionic agents by extending tech support in the form of digital tools and analytics to the agency force is on its way.

We offer inputs/ views/ suggestions on various Exposure Drafts, proposed amendments to Rules, etc to the Regulator through Life Insurance Council considering the best interest of the Policyholder and the Insurance Industry at large.

We conduct Insurance Awareness Campaigns (IAC) every year pan India. Under IAC we have published advertorials in the magazines highlighting our achievements, our product portfolio and various services tendered to the policyholders. We enhance awareness about our products through Print Advertisements in Newspapers and Magazines at the national and regional level on a pan India basis with TV commercials urging people to purchase insurance with their first salary along with animated video(s), highlighting the need of insurance on national and regional news/music and general entertainment channels across India. Creative(s) are prepared for various operational matters such as, updating KYC and submission of NEFT details, revival of the policies, new plans/products. Awareness is created through the social media, by posting relevant messages, about insurance.

LIC has been nominated by IRDAI as the project lead for the State/UTs of Assam, Orissa, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep for raising insurance awareness and increasing insurance penetration. We are also a part of various committees/ working groups formed by the Life Insurance Council for vetting of new initiatives.

PRINCIPLE 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

The LIC-Golden Jubilee Foundation (GJF) has not engaged any external agency for conducting impact study. However, the Foundation does an internal Impact study every year to assess the impact of the initiatives taken by the Foundation. Inspection of GJF projects is done by the Zonal Inspection team to assess that the project(s) funded by GJF are utilized for the purpose for which it has been funded and benefits beneficiaries from economically weaker sections.

Through the Golden Jubilee Foundation lot of work is done in the areas of education and health care across the country. We undertake many projects in education like providing scholarships to around 30,835 students from the deprived and under privileged sections of the society. We provide infrastructural support like providing hospital ambulances, dialysis machines, setting up of hospital wards, etc., for the under privileged masses to gain access to improved health care facilities.

2. Information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity:

Nil

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

The procedure followed by the Foundation in sanctioning projects and selection of scholars is very transparent. It involves three tier system involving Division, Zone and Central office. It is ensured that the economically weaker sections across the country are benefitted through the activities of the foundation. All details of the charitable activities of the Foundation (pan India) are available at our website www.licindia.in. There are no grievances.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

Not applicable, since the Corporation is in Insurance business.

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost

Location	FY 2024-25	FY 2023-24
Rural	0.69%	0.57%
Semi- Urban	31.21%	27.49%
Urban	36.71%	33.76%
Metropolitan	31.38%	38.18%

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

No negative social impact was identified in the Social Impact Assessment

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

The community development activities of the Foundation are spread across the country. Specific to the aspirational districts identified by the Government of India, the foundation has covered **30 districts with 48 projects**. The projects include construction of school building, construction of Skill development centre, multipurpose hall, rooms and toilet block

for tribal girls, construction of pathology units, construction of day care centre, women empowerment projects, vehicle for transportation of school children, ambulances, mobile medical vans for transportation of patients, food distribution vehicle for providing food, etc.

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)

No, we do not have a preferential procurement policy. However, we follow the government guidelines regarding procurement of materials and services from suppliers comprising marginalized or vulnerable groups.

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

Preference is given to registered vendors under Micro, Small Enterprises (MSE) on production of certificate and to SC/ST vendors registered under MSME. Our procurement practices prioritize equal opportunity for all vendors. Additionally, we adhere to government guidelines regarding preferential procurement from Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and local suppliers, thereby supporting local economies and businesses

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

	Current FY 24-25			Previous FY 23-24		
	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%
Procurement from MSE Vendors	1253.94	3029.63	41.38	175.22	265.96	65.88
SC/ST Vendors under MSE	230.28	3029.63	7.60	2.80	-	1.05

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

Not Applicable as we are not in the business of inventions, or any artistic works used in commerce, for which Intellectual property (IP) owners are granted certain exclusive right under IP laws. However our in-house developed applications contribute to the internal growth and competitiveness of our operations and we actively engage in knowledge sharing and collaboration with the broader industry and community.

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved

Not applicable

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

LIC GJF supports projects for the economically weaker sections of the society which are aligned with its objectives – relief or poverty or distress, education, medical relief or any other object of general public utility, across the country. The beneficiaries of projects funded by the LIC Golden Jubilee Foundation are:

Quality Education: The foundation contributes towards infrastructure for education such as construction of skill centre for developing digital skills amongst the people from lower income group, hostels, school building, computer labs, libraries, school bus, providing transportation facility to the disabled children, vocational training centre, occupational therapy tools and audio-visual equipment for specially abled children for their rehabilitation through therapy and vocational training programmes, literacy campaign in LIC GJFs adopted village Govindpur for 100% literacy. An amount of ₹ 80.62 Crores has been spent towards providing scholarships to around 30835 deserving students for pursuing higher education. Scholarship are released every year to deserving students belonging to the economically weaker sections. Bima School is an initiative to raise insurance awareness among school children and parents.

Good Health and well-being: The Foundation has funded projects providing medical equipment, ICU ambulance, medical vans, construction of hospitals, providing treatment for cancer patients, heart surgery, Bone marrow transplant surgery and cochlear implant surgery. Poor patients are also identified through medical camps arranged by the hospitals in far off rural areas and provided necessary treatment.

Covid Relief: The Foundation has given funds for Covid-19 relief measures by contributing towards PM Care fund, Government of Maharashtra Covid relief fund, Tata Memorial hospital Covid relief fund, etc.

Relief towards Natural Calamity: The Foundation has provided assistance during Chennai floods, Kerala floods, Cyclone Fani and construction of multipurpose Cyclone shelter at Udala in Mayurbhanj District for the people residing in the cyclone prone tribal areas of Odisha.

Armed Forces Flag Day Fund: Contribution to Armed Force Flag Day Fund for welfare of Ex- Servicemen of the Indian Defence Force established by Kendriya Sainik Board for welfare of the veterans, widows and rehabilitation of ex-servicemen has been made.

Climate Action: The Foundation has contributed towards installation of solar power plants at school hostel building, old age home and electric crematorium. The use of solar panel has reduced the cost of electricity bill.

Clean Water & Sanitation: Contribution for renovation of water bodies at Hari Thirtham, Kanyakumari and enabling availability of fresh water for communities. Providing water vending machines for clean drinking water to visitors of Badrinath, Kedarnath, Rishikesh and Haridwar.

Contribution towards construction of toilets under 'One Home One Toilet Scheme' in slums of Kolhapur. Funded for construction of 169 toilets in 113 schools across the country, toilet blocks in various school. Contribution towards construction of two community toilets at LIC's adopted village of Govindpur in Sonbhadra district of Uttar Pradesh to make the village free from open defecation. Contribution towards construction of E-Toilets at Badri Dhamand funded for Clean Ganga Fund to rejuvenate river Ganga and its ecosystem.

4,682 medical camps and 5,893 cleaning activities organized in Financial Year 2024-2025 under the 'Swastha Bharat' initiative

Preservation and protection of Art Gallery: The Foundation has funded the construction of a tribal art gallery to preserve, protect, propagate and develop Saura paintings and artists practiced in the three Lanjia Saura villages of Raygada district, Odisha.

Partnering with NGOs like Akshaya Patra foundation for food distribution vehicle to provide food for children and also for kitchen equipment.

Life on Land: Contribution towards purchase of Ambulance for transportation and rescue of wild animals in Kanpur Zoo, installation of solar power plant at Elephant Conservation and Care Centre at Mathura, Uttar Pradesh, installation of solar plant at Life time Animal sanctuary in Village Gopalpur Khera, Gurgaon which is shelter home for animal rescue and rehabilitation.

Sr. No.	CSR Project	No. of persons who benefitted from CSR Projects during FY 2024-25	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1	87 Projects were completed under community development activities with 24182 beneficiaries and scholarship disbursed to 3033 scholars belonging to economically weaker sections during the FY 2024-25	27215	100%

PRINCIPLE 9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback

The spirit of customer relations and customer care has been ingrained in our complaint redressal system with emphasis on placing customer oriented personnel at all touch points. IT enabled support system is operationalized to reduce manual interventions and minimize grievances. The Corporation has a customer friendly online system wherein a policyholder registered on the customer portal of LIC of India can register a complaint and track its status through 'LIC's e-services' available on our website www.licindia.in. The complaints registered under IRDAI's Grievance Management System-Bima Bharosa are synced with LIC's complaint management system. The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office levels to redress grievances of policyholders. Their names are available on our website. The respective GROs are available at their Offices for personal interviews with customers on all Mondays between 2.30 PM and 4.30 PM. Customers can meet the GROs on other days also with prior appointment. Customers may also send their grievances through post, e-mail, etc to the respective servicing offices / GROs.

A total of 74 Customer Zones are operative across India from 8.00 AM to 8.00 PM which works as 'one-stop Centre' for resolution of all servicing needs of a customer, with special emphasis on 'Quality Experience'.

LIC has a single Centralized Call Centre service available 24*7. The number is **022-68276827** with a comprehensive IVRS menu as well as an option to speak with a Call Centre executive for specific queries & information and raise CCS (Call Centre Services) Ticket for complaint. These services are available in Hindi, English and eight regional languages.

We have an SMS initiative called LICHELP, where policyholders need to send an SMS LICHELP<POLICYNO> on 9222492224. On receipt of an SMS, an official from the Customer Zone mapped to the servicing branch of the policy, contacts the customer for resolution of his complaint or request. We update the customers at each stage of the policy process through an SMS or an e-mail.

With an objective of attending grievances related to repudiated death claims, 'Claims Review Committees' are set up at the Zonal and Central Office levels. The committee consists of two or more senior officers of LIC and an Honorable Retired Judge of the District Court/High Court.

LIC has a role-based access under two online platforms of the Government of India viz. 1) CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) and 2) NCH (National Consumer Helpline) – INGRAM module (Integrated Grievance Redressal Mechanism) available to policyholders to lodge their grievances, which are responded to directly.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

Not Applicable

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2024-2025		Remarks	FY 2023-2024		Remarks
	Received during year	Pending Resolution at end of the year		Received during the year	Pending Resolution at end of the year	
Data Privacy	0	0	NA	0	0	NA
Advertising	0	0	NA	0	0	NA
Cyber-Security	0	0	NA	0	0	NA
Delivery of Essential Services	54636	0	NA	0	0	NA
Restrictive Trade Practices	0	0	NA	0	0	NA
Unfair Trade Practices*	0	0	NA	2984*	0	NA
Other	19654	0	NA	78531	0	NA

*In FY 2023-24, 2984 complaints were shown under category 'Unfair Trade Practices'. On further analysis and investigation it is found that Nil complaints pertain to Unfair Trade Practices.

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

Nil

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, The Corporation has policies and procedures on Data privacy and cyber security. The complete set of policies is available on the intranet for all employees.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

The Corporation has not received any issue or complaint related to cyber security and data privacy of customers.

7. Provide the following information relating to data breaches:

a) Number of instances of data breaches

There are no known instances of Data Breach

b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers

NIL

c) Impact, if, any, of the data breaches

Not applicable

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information related to all the products and services provided by the Corporation are available in the public domain i.e. our website, www.licindia.in. In addition, the Corporation actively uses print media, social media and digital platforms to disseminate information on its products and services, to educate and to stay connected with our customers.

Product and services related information is available on our website (www.licindia.in). In addition to this, the Corporation actively uses various local avenues, print media, social media and digital platforms to educate and to stay connected with our customers.

- ❖ Mobile App: 'LIC Digital'
- ❖ Facebook: LICIndiaForever
- ❖ YouTube: LICIndiaForever
- ❖ Instagram: LICIndiaForever
- ❖ LinkedIn: LICIndiaForever
- ❖ X (Twitter) handle: LICIndiaForever
- ❖ WhatsApp: 8976862090
- ❖ Call Centre: 022- 6827 6827

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Insurance is an intangible product so the normal usage and safety norms do not apply to it. However for continuance of risk cover, premiums must be paid on time. SMS are sent to the policyholders informing them about premium due for payment, wherever mobile number is registered in policy record. Where no mobile number is registered in policy records, we are sending premium due intimation to the policyholders by post, in order to keep policies in force and to enable the customer to enjoy the insurance benefits under the policy. SMS are sent to customers to be careful with fraudsters. Security measures are in place for customers visiting our links for any online transactions.

Services of LIC on WhatsApp is made available where Policyholders can know their premium dues, get Loan and Loan repayment quotation, Premium paid certificate/s, ULIP Unit statement/s, etc. Periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls and false calls for submission of KYC. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically. Alerts are conveyed on Social Media. We are publishing advertisement in regional, Hindi & English Newspapers informing about the requirements for settlement of claims. We are also informing and educating the customers by displaying our ads on social media such as Facebook, Instagram page, etc. regularly.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Policyholders are kept updated through SMS about the services requested by them. In case of natural calamity advertisement is given in the new papers, assisting customers with information on claim processing to enable faster and hassle free processing of the claim.

We have a Business Continuity Plan in place with Standard Operating Procedures in case of any risk of disruption/discontinuation of service.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole?

Not applicable as we are in Insurance Business (Intangible Products). However, information about insurance products and services is accessible on our website www.licindia.in.

To capture customer's feedback on the overall experience of the engagement, feedback is sought through customer meets and visits to Paying Authorities. We also conduct surveys regarding consumer satisfaction relating to our products/ services.

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
 Chartered Accountants

**INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE
 BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST
 MARCH 2025**

To,
 The Board of Directors
 Life Insurance Corporation of India
 Central Office, "Yogakshema",
 Jeevan Bima Marg,
 Mumbai – 400 021.

To the Board of Directors of Life Insurance Corporation of India

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 16.05.2025 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 17.05.2025 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2025 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in **Annexure 1** to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), and the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct Issued by Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework").

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.



CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.



Page 2 of 5

Chokshi & Chokshi LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAC-8909
Office: 15/17, Raghavji 'B' Bldg., Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai-400036
Tel.: +91-22-2383 6900 ; Fax : +91-22-2383 6901 ; Web: www.chokshiandchokshi.com
E-mail: contact@chokshiandchokshi.in

CHOKSHI & CHOKSHI LLP**Chartered Accountants**

- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, Golden Jubilee Foundation (GJF) team, etc., and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2025.
- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.
- Obtained representations from the Corporation's Management.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.

We have not performed any procedures with respect to prior periods information.



CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2025 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

Restriction on use or distribution

Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants
FRN - 101872W/W100045



Dharmista Shah
Partner
M. No. 108845
UDIN: 25108845BMFXSN9867

Place: Mumbai
Date: 03.07.2025

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants

Annexure-1

BRSR Core attributes - Reasonable assurance for FY 2024-25

Sustainability Information where reasonable assurance is carried out	Cross Reference to BRSR 2024-25
Number of days of accounts payable	Under Principle 1 Question 8 of Essential Indicators
Open-ness of business	Under Principle 1 Question 9 of Essential Indicators
Spending on measures towards well-being of employees	Under Principle 3 Question 1(c) of Essential Indicators
Details of safety related incidents for employees	Under Principle 3 Question 11 of Essential Indicators
Gross wages paid to female as % of wages paid	Under Principle 5 Question 3(b) of Essential Indicators
Complaints on POSH	Under Principle 5 Question 7 of Essential Indicators
Energy footprint	Under Principle 6 Question 1 of Essential Indicators
Water footprint	Under Principle 6 Question 3 of Essential Indicators
Water Discharge by destination and levels of Treatment	Under Principle 6 Question 4 of Essential Indicators
Green-house gas (GHG) footprint	Under Principle 6 Question 7 of Essential Indicators
Waste Management	Under Principle 6 Question 9 of Essential Indicators
Input Material sourced	Under Principle 8 Question 4 of Essential Indicators
Job Creation in smaller towns	Under Principle 8 Question 5 of Essential Indicators
Instances involving loss/breach of data of customers	Under Principle 9 Question 7 of Essential Indicators



31 मार्च, 2025 को समाप्त
वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

Financial Statements
For the year ended 31st March, 2025

विषय सूची | Table of Contents

वित्तीय विवरण Financial Statements

326	परिणामों का सारांश / Summarised Results
	स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) / Standalone:
336	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और प्रमाण पत्र Independent Auditors Report and Certificate
360	तुलन पत्र / Balance Sheet
366	राजस्व खाता Revenue Account
375	लाभ और हानि खाता Profit & Loss Account
381	नगद प्रवाह विवरण Cash Flow Statement
384	अनुसूची 1 से 15, 15ए, बी, सी Schedule 1 to 15, 15A, B, C महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणी Significant Accounting Policies and Notes (अनुलग्नक - 1 -खंडीय तुलन पत्र और राजस्व खाता) / (Annexure - 1 - Segmental balance sheet and Revenue Account)
594	प्रबंधन रिपोर्ट Management Report

समेकित Consolidated:

612	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट / Independent Auditors Report
634	तुलन पत्र / Balance Sheet
636	राजस्व खाता / Revenue Account
639	लाभ और हानि खाता / Profit & Loss Account
641	नगद प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement
644	अनुसूची 1 से 15, 15ए, बी, सी / Schedule 1 to 15, 15A, B, C महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणी / Significant Accounting Policies and Notes

परिणामों का सारांश / SUMMARISED RESULTS

वर्ष के दौरान नव व्यवसाय	New Business for the year	2024-25 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)	2023-24 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)
व्यक्तिगत बीमा	INDIVIDUAL ASSURANCE		
बीमा धन/एनसीओ/एम एस बी	Sum Assured / NCO / MSB		
क) बीमे	a) Assurances	5,52,463.08	6,10,662.44
ख) वार्षिकियाँ*	b) Annuities*	14,690.05	14,095.41
ग) पेंशन*	c) Pension*	0.00	0.00
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य***	d) Non Linked Health***	1,844.22	6,760.95
ङ) संबद्ध***	e) Linked Business***	35,757.24	12,850.79
पॉलिसियों की संख्या (लाख में)	No. of Policies (in lakh)		
क) बीमे	a) Assurances	164.34	197.45
ख) वार्षिकियाँ	b) Annuities	1.93	1.93
ग) पेंशन	c) Pension	0.00	0.00
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य	d) Non Linked Health	0.10	0.39
ङ) संबद्ध	e) Linked Business	11.55	4.27
समूह योजनाएँ	GROUP SCHEMES:		
बीमा धन (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Sum Assured (incl. Linked Business)	12,89,204.66	10,21,208.59
वार्षिकियों का भुगतान	Annuities in Payment	1,147.30	1,204.55
योजनाओं की संख्या	No. of Schemes:		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	32,163	37,185
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	105	147
जीवनों की संख्या (लाख में)	No. of lives (in lakhs)		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	454.48	406.55
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	7.16	7.63

एनसीओ- नोशनल कैश ऑप्शन, एपीए - प्रतिवर्ष वार्षिकियाँ, एम एस बी- प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ

*एनसीओ वैल्यू

*एपीए वैल्यू

***प्लान 901, 902, 903, 904 तथा 906 के लिए प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ । प्लान 905 के लिए स्वास्थ्य हितलाभ बीमा राशि ।

NCO-Notional Cash Option, APA - Annuity Per Annum, MSB-Major Surgical Benefit

* NCO Value

* APA Value

*** Major Surgical Benefit for plans 901, 902, 903, 904 and 906. Health Benefit Sum Assured for plan 905.

परिणामों का सारांश (जारी) / SUMMARISED RESULTS (Contd.)

चालू व्यवसाय वर्ष की समाप्ति पर	Business in Force at the end of the year	2024-25 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)	2023-24 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)
व्यक्तिगत बीमा	INDIVIDUAL INSURANCE		
बीमा धन एवं बोनस / एपीए / एम एस बी	Sum Assured & Bonus / APA / MSB		
क) बीमे	a) Assurances	73,09,745.05	70,67,857.70
ख) वार्षिकियाँ**	b) Annuities**	11,184.06	10,071.93
ग) पेंशन**	c) Pension**	2,314.46	2,264.18
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य***	d) Non Linked Health***	54,251.67	64,750.37
ड) संबद्ध***	e) Linked Business***	70,242.17	40,442.46
पॉलिसियों की संख्या (लाख में)	No. of Policies (in lakh)		
क) बीमे	a) Assurances	2,614.50	2,684.59
ख) वार्षिकियाँ	b) Annuities	27.51	26.23
ग) पेंशन	c) Pension	13.66	13.95
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य	d) Non Linked Health	4.64	5.89
ड) संबद्ध	e) Linked Business	29.90	21.38
चालू व्यवसाय वर्ष की समाप्ति पर	BUSINESS IN FORCE At the end of the year		
समूह योजनाएँ	GROUP SCHEMES:		
बीमा धन (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Sum Assured (incl. Linked Business)	26,75,485.52	20,69,648.67
वार्षिकियों का भुगतान	Annuities in Payment	15,033.59	13,576.63
योजनाओं की संख्या	No. of schemes:		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	1,54,443	1,59,046
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	22,137	22,170
जीवनों की संख्या (लाख में)	No. of lives (in lakhs)		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	829.13	738.96
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	91.60	109.09

एनसीओ- नोशनल कैश ऑप्शन, ए पी ए- प्रतिवर्ष वार्षिकियाँ, एम एस बी- प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ

* एनसीओ वैल्यू

** ए पी ए वैल्यू

*** प्लान 901, 902, 903, 904 तथा 906 के लिए प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ । प्लान 905 के लिए स्वास्थ्य हितलाभ बीमा राशि ।

NCO-Notional Cash Option, APA- Annuity Per Annum, MSB-Major Surgical Benefit

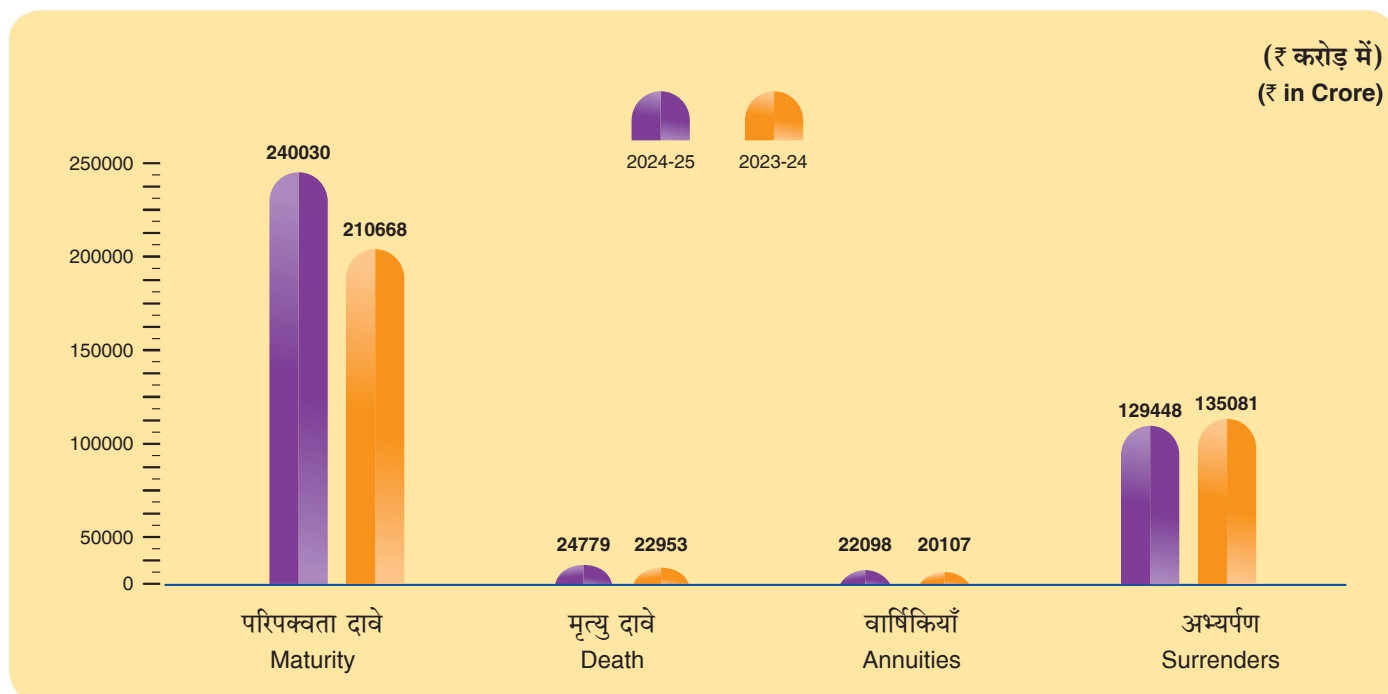
* NCO Value

** APA Value

*** Major Surgical Benefit for plans 901,902, 903, 904 and 906. Health Benefit Sum Assured for plan 905.

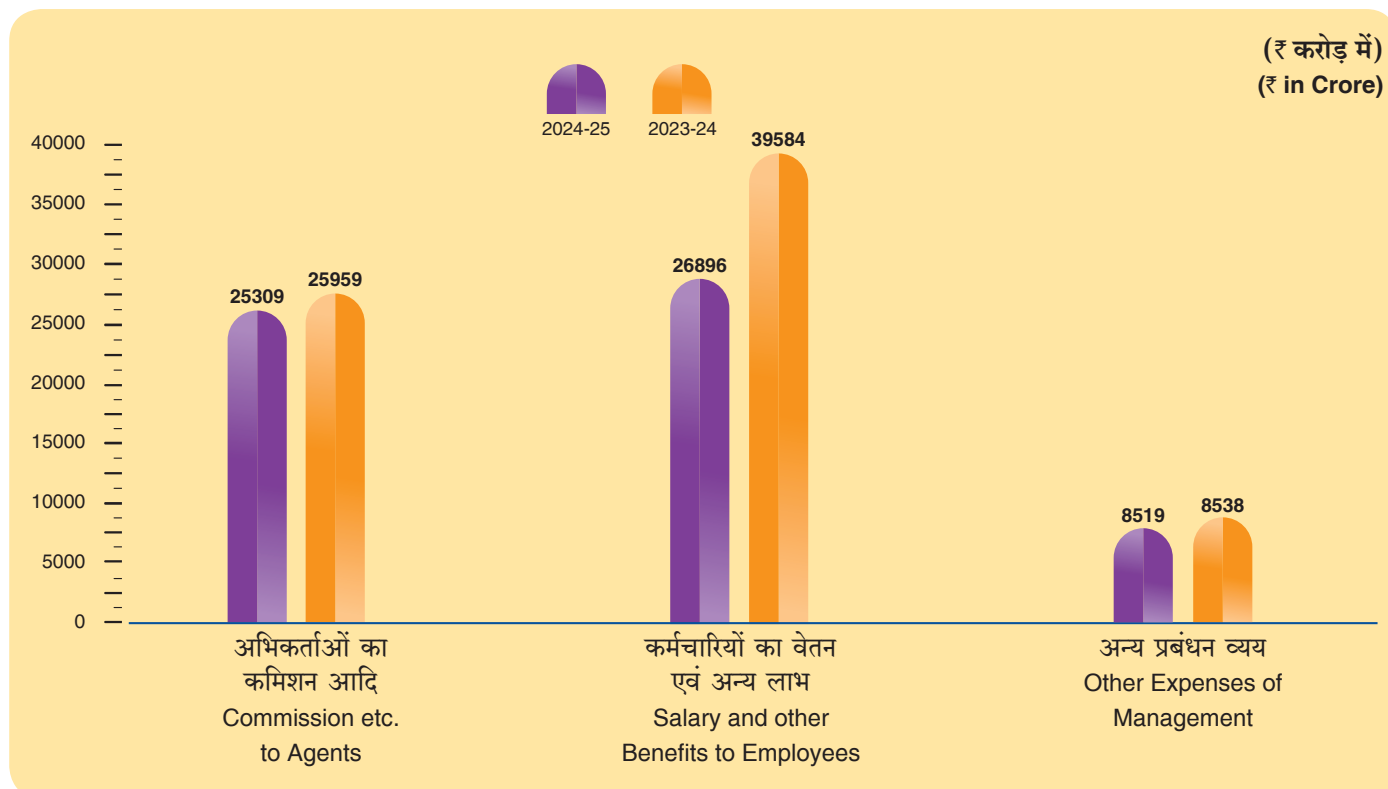
पॉलिसी भुगतानों का विवरण

Policy Payments

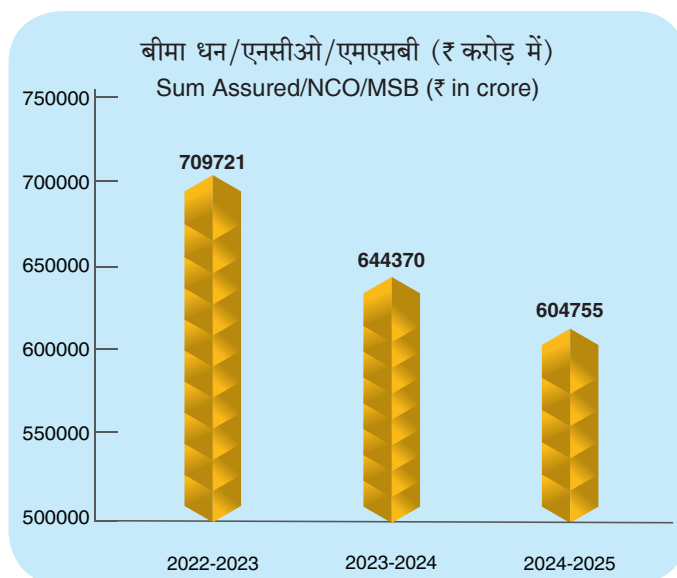
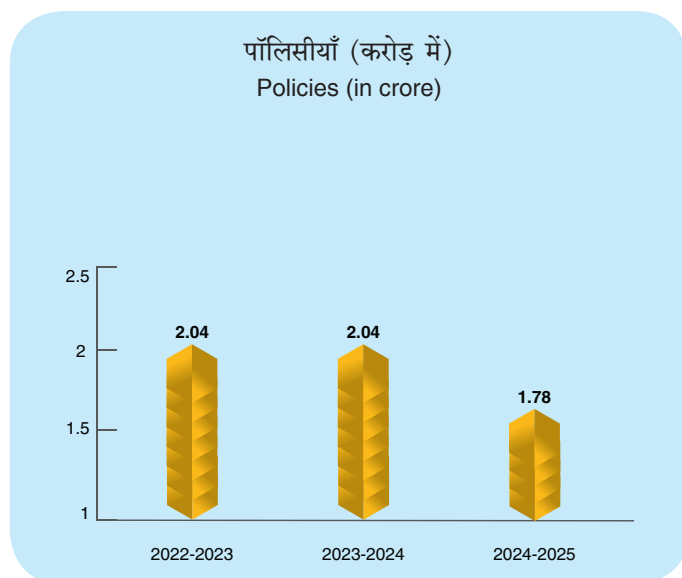


प्रबंधन व्यय का विवरण

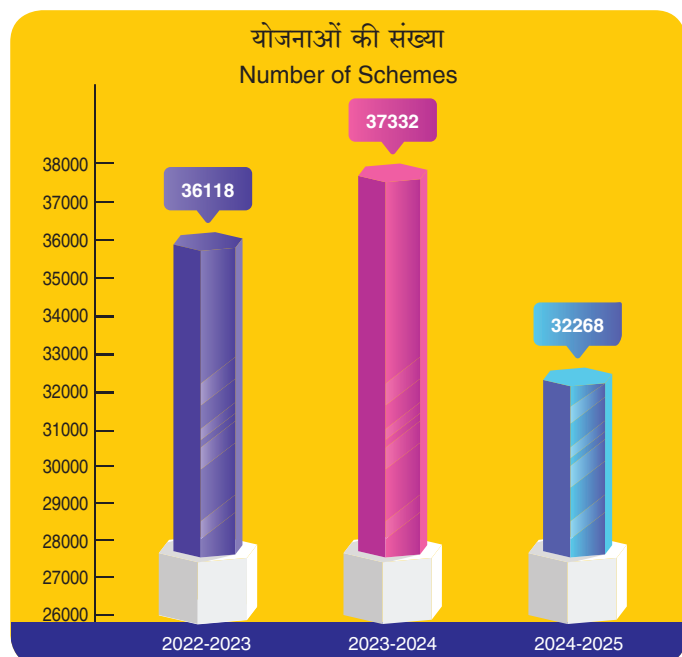
Management Expenses



व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत नव व्यवसाय 2022-23 से 2024-25
NEW BUSINESS FIGURE (INDIVIDUAL ASSURANCE)
 2022-23 TO 2024-25

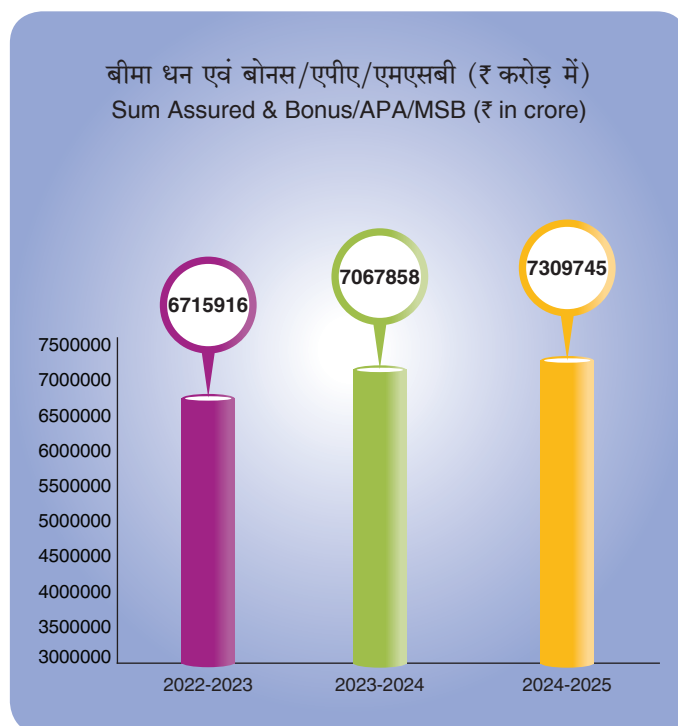
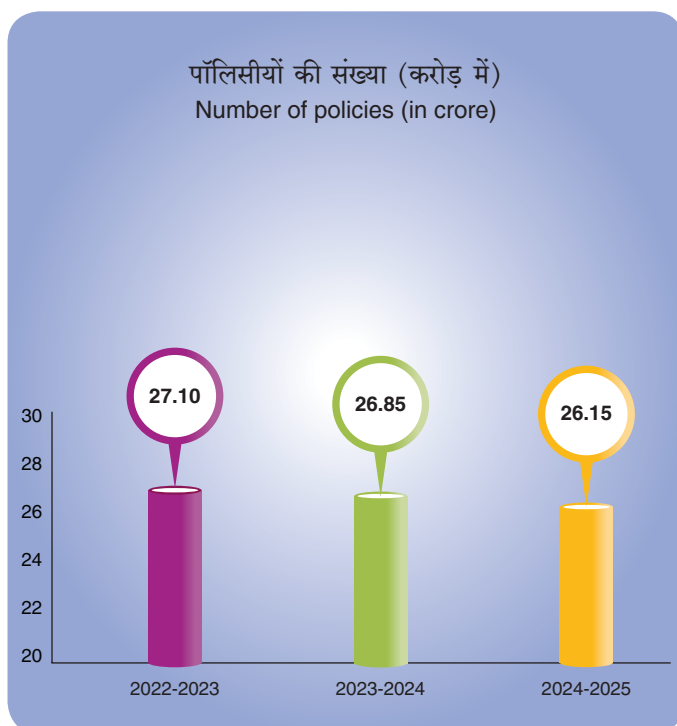


नव व्यवसाय समूह बीमा 2022-23 से 2024-25
NEW BUSINESS (GROUP INSURANCE)
 2022-23 TO 2024-25



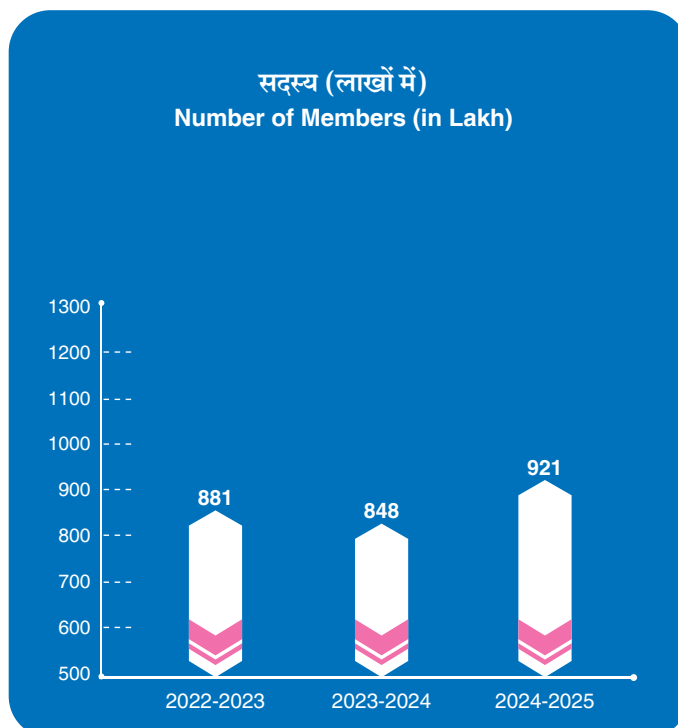
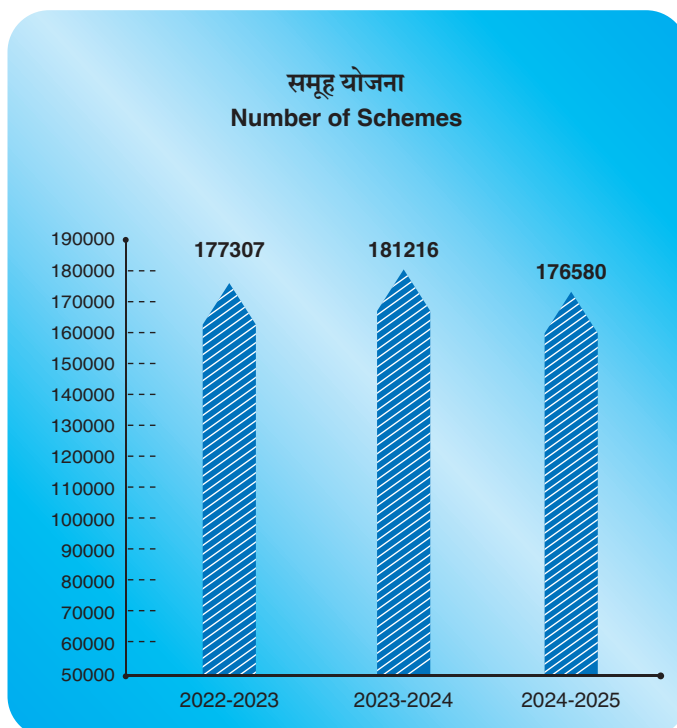
व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत कुल चालू व्यवसाय

TOTAL BUSINESS IN FORCE (INDIVIDUAL ASSURANCE)



चालू व्यवसाय (समूह)

BUSINESS IN FORCE (GROUP)



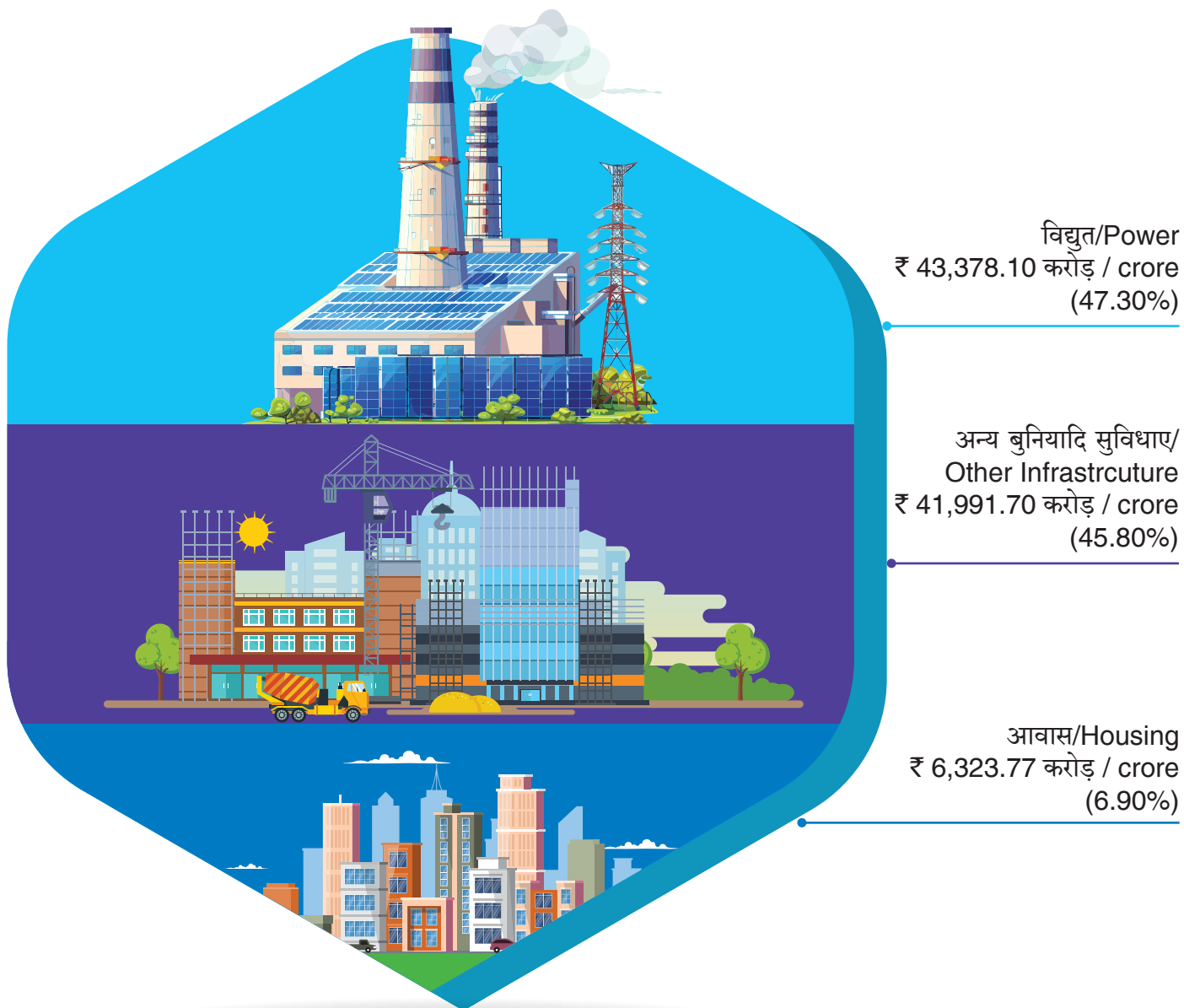
कुल निवेश: 2024-25
TOTAL INVESTMENTS
2024-25



- प्रतिभूतियाँ/Securities: ₹ 52,53,775.87 करोड़ / crore (96.36%)
- अन्य निवेश/Other Investments: ₹ 64,300.85 करोड़ / crore (1.18%)
- ऋण/Loan: ₹ 1,34,219.96 करोड़ / crore (2.46%)

बुनियादीढांचे ँवं सामाजिक क्षेत्रों में निवेश 2024-25

INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE AND SOCIAL SECTOR 2024-25



परिशिष्ट - II

31.03.2025 तक निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक

क्र.सं	फर्म का नाम	पता
I	निगम के लेखा परीक्षक	
1	मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी एफआरएन-101872डब्ल्यू / डब्ल्यू100045 सीएजी संख्या - बीओ 0150	15/17, राघव जी “बी” बिल्डिंग, राघव जी रोड, गोवालिया टैंक, ऑफ-केम्पस कॉर्नर, मुंबई 400 036, महाराष्ट्र
2	मैसर्स वी शंकर अय्यर एंड कंपनी एफआरएन- 109208 डब्ल्यू सीएजी संख्या - बीओ 0031	601, मंगल्या बिल्डिंग, ऑफ. मारोल मारोशी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059, महाराष्ट्र
II	क्षेत्रीय लेखा परीक्षक	
1	मेसर्स ए के सलामपुरिया एंड एसोसिएट्स एफआरएन- 004285 सी सीएजी संख्या- ई आर 0152	प्रथम तल, माइका सेल्स के ऊपर, चाणक्य सिनेमा के पास, प्रदर्शनी रोड, पटना - 800 001 (बिहार)
2	मैसर्स ए एस ए एंड एसोसिएट्स एल एल पी एफआरएन- 009571एन/एन500006 सीएजी संख्या - डी ई 1187	अरबिंदो टॉवर, 81/1, तीसरी मंजिल, एडचिनी, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली - 110 017
3	मैसर्स बी सी जैन एंड कंपनी एफआरएन- 001099 सी सीएजी संख्या - सी आर 0016	16/77ए, सिविल लाइन्स, कानपुर-208 001, उत्तर प्रदेश
4	मैसर्स बोरकर एंड मुजुमदार एफआरएन-101569 डब्ल्यू सीएजी संख्या-बी औ 0007	21/168, आनंद नगर, ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन,ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रूज़ पूर्व, मुंबई - 400 055, महाराष्ट्र
5	मैसर्स रामा के गुप्ता एंड कंपनी एफआरएन- 005005 सी सीएजी संख्या - सी आर 0649	201, ब्लॉक 3, ए, गणेश गैलेक्सी सिटी, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल - 462 022, मध्य प्रदेश
6	मैसर्स राममूर्ति (एन) एंड कंपनी. एफआरएन- 02899 एस सीएजी संख्या - एच वाई 0008	गुलशन मंजिल, 4-1-1229, बोगुलकुंटा, हैदराबाद - 500 001 तेलंगाना
7	मैसर्स आर सुब्रमण्यन एंड कंपनी एलएलपी एफआरएन- 004137 एस/ एस 200041 सीएजी संख्या - एम डि 0068	नया नंबर-6, पुराना नंबर 36, कृष्णास्वामी एवेन्यू, लूज़, मायलापोर, चेन्नई - 600 004
8	मैसर्स रे एंड रे एफआरएन- 301072 ई सीएजी संख्या - सी ए 0036	वेबेल भवन, ब्लॉक - ईपी और जीपी, बिधान नगर सेक्टर - V, साल्टलेक, कोलकाता-700 091, पश्चिम बंगाल

APPENDIX - II

Statutory Auditors of the Corporation as at 31.03.2025

S. No.	Name of the Audit firm	Address
I	Corporation's Auditors	
1	M/s Chokshi & Chokshi LLP FRN : 101872W/W100045 CAG NO: BO0150	15/17, Raghavji "B" Building, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai - 400 036, Maharashtra
2	M/s V. Sankar Aiyar & Co. FRN : 109208W CAG NO: BO0031	A-601, Mangalya Building, Off. Marol Maroshi Road, Andheri (E) , Mumbai – 400 059 Maharashtra
II	Zonal Auditors	
1	M/s A K Salampuriah & Associates FRN : 004285C CAG NO: ER0152	1 st Floor, Above Mica Sales, Near Chanakya Cinema, Exhibition Road, Patna - 800 001 (Bihar).
2	M/s ASA & Associates LLP FRN : 009571N/N500006 CAG NO:DE1187	Aurobindo Tower, 81/1, 3 rd Floor, Adchini, Aurobindo Marg, New Delhi - 110 017
3	M/s B C Jain & Co FRN : 001099C CAG NO: CR0016	16/77A, Civil Lines Kanpur- 208 001, Uttar Pradesh
4	M/s Borkar & Muzumdar FRN :101569W CAG NO: BO0007	21/168, Anand Nagar, Om Chs, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola,Santacruz East, Mumbai - 400 055, Maharashtra
5	M/s Rama K Gupta & Co FRN : 005005C CAG NO: CR0649	201, Block 3, A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal - 462 022, Madhya Pradesh
6	M/s Ramamoorthy (N) & Co. FRN : 02899S CAG NO: HY0008	Gulshan Manzil, 4-1-1229, Bogulkunta Hyderabad - 500 001, Telangana
7	M/s R Subramanian & Co LLP FRN : 004137S/S200041 CAG NO: MD0068	New No-6, Old No. 36, Krishnaswamy Avenue, Luz, Mylapore, Chennai - 600 004
8	M/S Ray & Ray FRN : 301072E CAG NO: CA0036	Webel Bhavan, Block - EP & GP, Bidhan Nagar Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700 091, West Bengal

31 मार्च, 2025 को समाप्त
वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

Standalone Financial Statements
For the year ended 31st March, 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय जीवन बीमा निगम

के सदस्यों के लिए

स्वचलित (स्टैंड अलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन राजस्व खाता (जिसे "पॉलिसीधारक खाता" या "तकनीकी खाता" भी कहा जाता है), स्टैंडअलोन लाभ और हानि खाता (जिसे "शेयरधारक खाता" या "गैर-तकनीकी खाता" भी कहा जाता है) स्टैंडअलोन प्राप्तियां और भुगतान खाता (जिसे "कैश फ्लो स्टेटमेंट" भी कहा जाता है) शामिल है और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का एक सारांश, जिसमें 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) के रिटर्न उनके संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए एवं एक शाखा (गिफ्ट सिटी, भारत) के लिए निगम के लेखा परीक्षकों में से एक लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट की गई रिटर्न शामिल हैं, जिसमें लेखापरीक्षित 8 क्षेत्रीय कार्यालय निगम द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 113 मंडल कार्यालय और पेंशन और समूह योजनाओं की 77 इकाइयाँ।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 ("एलआईसी अधिनियम"), संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, 1938 (बीमा अधिनियम), संशोधित के रूप में, बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 ("आईआरडीए अधिनियम"), (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 ("विनियम"), जिसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई आरडीए आई) द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र शामिल हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को लागू सीमा तक शामिल किया गया है, के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इस तरह से आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें, जैसा कि बीमा कंपनियों पर लागू होता है:
 - तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2025 तक निगम के मामलों की स्थिति;
 - राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल अधिशेष;
 - लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
 - प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

राय के लिए आधार

- हमने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों ("एसए") के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों, संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, संशोधित के रूप में; आईआरडीए अधिनियम; आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम और आदेश/परिपत्र के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रसंग पर जोर

- हम अनुसूची 15A(C) के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - नोट नं. 20 - जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में परिशोधित किया जा रहा है, जो प्रति तिमाही ₹ 464.02 करोड़ होगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। शेष ₹ 6,496.25 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Life Insurance Corporation of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), which comprise of the standalone balance sheet as at March 31, 2025, the standalone revenue account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), standalone profit and loss account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non - Technical Account") and the standalone receipts and payments account (also called as the "Cash Flow Statement") for the year ended March 31 2025, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices and 77 units of Pension & Group Schemes audited by the zonal/divisional auditors appointed by the Corporation and the returns of 3 foreign branches (Fiji, Mauritius, United Kingdom) audited by their respective local auditors and for 1 branch (GIFT City, India) audited by one of the Corporation auditors.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements are prepared, in accordance with the Life Insurance Corporation Act 1956 (the "LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), as amended, Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), (Actuarial Finance and Investment Functions of Insurers) Regulation, 2024, including orders/ directions/ circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), including the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable and in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:
 - i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2025;
 - ii. in the case of the Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
 - iii. in the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
 - iv. in the case of the Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the auditors' responsibilities for the audit of Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended; the IRDA Act; Regulations and orders / circulars issued by IRDAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matters

4. We invite attention to the following notes to the standalone financial statements under Schedule 15A(C):
 - a) Note No. 20, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crore pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 1,856.08 crore has been charged to Revenue Account over four quarters during the year ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 6,496.25 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.

- ख. नोट नं. 21, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित सममूल्य खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होकर, बराबर वार्षिक किस्तों (तीन से अधिक नहीं) में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान चार तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से ₹ 2,410.03 करोड़ की कुल राशि की भरपाई की गई है। ₹ 4,820.05 करोड़ की शेष राशि को वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी।
- ग. नोट नं. 22, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, सममूल्य खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन वर्षों से अधिक नहीं की अवधि के लिए शेयरधारकों के खाते में जमा की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान चार तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में कुल ₹ 1,825.68 करोड़ जमा किए गए हैं। शेष ₹ 3,651.42 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में जमा की जाएगी।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2025: ₹ 53,04,249.98 करोड़) (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8, 8ए, 8बी, 9 और 11 देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15ए(ए)6 देखें।) निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर-संबद्ध में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("IRDAI") द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 ("निवेश विनियम") और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होने चाहिए। साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं। गैर-सूचीबद्ध या सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है। इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है।	हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं: - निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा। - नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन - प्रतिभूतियों का मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है। - परीक्षण की गई हानि/प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार हैं। - गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धति और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतरिक नीतियों के साथ पुष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं। - निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की।

- b) Note No. 21, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 2,410.03 crore has been replenished from the Shareholders' account over four quarters during the year ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 4,820.05 crore shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.
- c) Note No. 22, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crore towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 1,825.68 crore has been charged to Shareholders' account over four quarters during the year ended, March 31, 2025. The balance amount of ₹ 3,651.42 crores shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
Classification and Valuation of Investments (31.03.2025: ₹ 53,04,249.98 crore) (Refer Schedule 8, 8A, 8B, 9 and 11 of the financial statements. Refer schedule 15A(A)6 to the financial statements for accounting policy.) The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation. As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation. Also, all investments should be valued as prescribed in the Investment Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments. The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate. Further, due to the reassessment of the investee company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Investment Regulations and/ or Corporation's internal policies.	We have carried out the following key audit procedures: - Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation/ impairment of investments. - Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Investment Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation. - Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Investment Regulations and Corporation's accounting policies. - Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Investment Regulations and Corporation's impairment policies. - In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Investment Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment. - For any changes in ratings of the investee company, we examined the Corporation's assessment with the Investment Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।	हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है। किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।
उचित अवधि में राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का राजस्व खाता देखें। वर्ष के दौरान, निगम ने ₹ 4,88,148.17 करोड़ के शुद्ध प्रीमियम राजस्व को मान्यता दी है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (बैलेंस शीटडेट पर कट-ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उद्योग की प्रकृति के कारण, राजस्व बैलेंस शीट की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया। - प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि राजस्व सही लेखा अवधि में अर्जित है या नहीं। - वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया ताकि पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था ताकि राजस्व का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके। - यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया। किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं निगम के पास विवादित मामलों सहित कई अनिश्चित कर स्थितियां हैं, जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निगम के पास पिछले कई वर्षों से कर अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर विवाद लंबित है। प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है। हमने मुकदमेबाजी और दावों को मुख्य लेखापरीक्षा विषय माना है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें प्रबंधन निर्णय की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है, जिसमें लेखांकन अनुमान भी शामिल है, जिसमें उच्च अनुमान अनिश्चितता शामिल है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - कर मुकदमों, अन्य मुकदमों और दावों के निर्धारण और आकलन के लिए प्रबंधन के आंतरिक निर्देशों, प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब-किताब और प्रकटीकरण किया। - निगम के कानूनी सलाहकार और इन-हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की। - कर प्रावधान का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं, विवादों के संभावित परिणाम, कानूनी मिसाल और इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में अन्य निर्णयों की समीक्षा की गई। - ऐसे विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों, उद्योग स्तर पर विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान तथा निगम के आंतरिक विशेषज्ञों/बाहरी कर सलाहकारों/वकीलों की राय पर भरोसा किया गया। किए गए कार्य के आधार पर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2025 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
Hence, the valuation of investments was considered to be one of the areas which required our significant attention and was one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the financial statements.	We have perused the available concurrent audit reports on investments. Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the investments were not properly classified or valued.
Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition Refer Revenue Account of the standalone financial statements. During the year, the Corporation has recognised net premium income of ₹ 4,88,148.17crore. We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the balance sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.	Our procedures included the following: - Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue. - Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period. - Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue. - Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit/ premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to balance sheet but revenue was not recognised. Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the revenue recognition is not accounted in the correct period.
Contingencies relating to certain matters pertaining to Direct & Indirect Tax The Corporation has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. The Corporation has disputes pending at various levels of tax authorities over the past several years. The management with the help of its expert, as needed, have made judgments relating to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We have considered Litigations and claims as Key Audit Matter because the estimates on which these amounts are based involve a significant degree of management judgment, including accounting estimates that involves high estimation uncertainty.	Our procedures included the following: - Understood Management's internal instructions, process and control for determining and estimating the tax litigations, other litigations and claims and its appropriate accounting and/or disclosure; - Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts; - Reviewed the management's underlying assumptions in estimating the tax provision, the possible outcome of the disputes, legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions. - Relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts/ External Tax Advisors/ lawyers of the Corporation in relation to such disputed tax positions Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Direct & Indirect Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2025 to be reasonable.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत कथन है, तो हम इस मामले को संबंधित प्रशासन को अवगत करवाएं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी है

7. निगम का निदेशक मंडल एलआईसी अधिनियम संशोधित, के प्रावधानों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और निगम का प्राप्ति और भुगतान खाता, जैसा कि संशोधित है, बीमा अधिनियम, संशोधित रूप में आईआरडीए अधिनियम के साथ पठित, इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम, आदेश/निर्देश और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 जिस सीमा तक आवश्यक और लागू हों में निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल है के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि वे बैलेंस शीट का सही और निष्पक्ष रूप दे सकें।

इस उत्तरदायित्व में संशोधित एलआईसी अधिनियम, संशोधित बीमा अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; आईआरडीए अधिनियम; निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए आई आरडीए आई द्वारा जारी किए गए विनियम और आदेश / परिपत्र; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आकलन प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निगम के निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for Standalone Financial Statements

7. The Corporation's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Standalone Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the balance sheet, the revenue account, the profit and loss account and the receipts and payments account of the Corporation, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended; IRDA Act; Regulations and orders / circulars issued by the IRDA for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Corporation's Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements.

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

9. एसए के अनुसार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:
 - i. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - ii. परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के प्रति समझ पैदा करें।
 - iii. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
 - iv. लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम निरंतर जारी रहना बंद कर सकता है।
 - v. प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
 - vi. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए मंडलों/शाखाओं/इकाइयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल मंडलों/शाखाओं/इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य मंडलों/शाखाओं/इकाइयों के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।
10. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में प्रत्येक वे महत्वपूर्ण कमियां भी आती शामिल हैं जिनका हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पता लगाते हैं।
11. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।
12. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

13. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2025 तक देयता मौजूद है, के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई/ प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्राधिकरण के साथ सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि

9. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - i. Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
 - ii. Obtain an understanding of the internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
 - iii. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - iv. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to Continue as a going concern.
 - v. Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 - vi. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the departments/ units of Central office to express an opinion on the standalone financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of departments/ units of Central office included in the standalone financial statements of which we are the independent auditors. For the zones/ divisions/ branches/ units included in the standalone financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.
10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.
11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

13. The actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2025 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"/ "Authority") and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation

लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाई जा सके जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता मौजूद है, जैसा कि निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों / सूचनाओं में निहित है।

14. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 4 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस, फिजी और गिफ्ट सिटी, भारत) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी ₹ 5,090.08 करोड़ की कुल संपत्ति, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष तक, ₹ 653.21 करोड़ का कुल राजस्व और शुद्ध लाभ ₹ 58.69 करोड़ दर्शाती है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन 3 विदेशी शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निगम के एक लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट की गई एक शाखा पर आधारित है।

15. हमने निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालयों (डीओ)(उनके अधीन शाखाओं सहित), पेंशन और समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) की 77 इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की मंडल/शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह संभागों/शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे संभागीय/शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में कुल संपत्ति और कुल राजस्व की जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती है क्योंकि मंडलों को प्रत्येक शाखा का केवल ट्रायल शेष प्राप्त होता है जिसे मंडल स्तर पर और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है।

16. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के आकड़ें शामिल हैं, जो निगम के संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित है, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म थी, जहां उन्होंने 27 मई, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

17. विनियमों के अनुसार, हमने विनियमों के भाग III के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए 27 मई, 2025 को एक अलग प्रमाण पत्र जारी किया है।

18. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2025 तक मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकिक ('नियुक्त बीमांकिक') का उत्तरदायित्व है। नियुक्त बीमांकिक ने देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और लागू जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के संबंध में विधिवत प्रमाणित किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2025 तक मौजूद है और उनकी राय में इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर देनदारियों के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाने के लिए और जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के लिए भरोसा किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन निगम के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।

19. इसके साथ-साथ, उपरोक्त पैराग्राफ 17 में संदर्भित प्रमाण पत्र में हमारी टिप्पणियों के लिए, जैसा कि आईआरडीए विनियमों के विनियम 3 के भाग III के तहत आवश्यक है और एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 25 बी की उप धारा (3) के तहत भी आवश्यक है, हम इसकी रिपोर्ट करते हैं कि;

- i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- iii. हमारी राय में मण्डल कार्यालयों और शाखाओं की उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है;
- iv. इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और विवरणियों के अनुरूप हैं।

of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the standalone financial statements/ information of the Corporation.

14. The audited financial statements/ information of the 4 foreign branches (United Kingdom, Mauritius, Fiji and GIFT City, India) included in the Standalone Financial Statements reflect total assets of ₹ 5,090.08 crores as at March 31, 2025 total revenue of ₹ 653.21 crores and net profit of ₹ 58.69 crores for the year ended March 31, 2025. Our opinion on the standalone financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these 3 foreign branches is based solely on report of such other auditors and for 1 branch audited by one of the corporation auditors.
15. The financial statements / information of 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices (DO) (including branches there under) and 77 units of Pension & Group Schemes (P&GS) included in the Standalone Financial Statements of the Corporation, have been audited by the zonal/ divisional auditors, whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of zones/ divisions / branches, is based solely on the report of such zonal/ divisional auditors.

The information of total assets and total revenue in respect of the branches are not separately compiled as the divisions receive only trial balances of each branch, which are consolidated at division level and thereafter at zonal level.

16. The Standalone Financial Statements includes figures for the year ended March 31, 2024, audited by the joint auditors of the Corporation, one of whom was a predecessor audit firm, where they had expressed an unmodified opinion on such standalone financial statements vide their report dated May 27, 2024.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on other legal and regulatory requirements.

17. As required by the Regulations, we have issued a separate certificate dated May 27, 2025 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Part III to the Regulations.
18. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2025 is the responsibility of the Corporation's appointed actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2025 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists in the financial statements of the Corporation.
19. Further, to our comments in the Certificate referred to in paragraph 17 above, as required under the Part III of Regulation 3 of IRDA Regulations and also as required under sub section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
 - i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
 - iii. In our opinion proper returns of zones/ divisional offices and branches have been received and found them adequate for the purpose of audit;
 - iv. The Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

- v. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, उस सीमा तक जहाँ तक आईआरडीए विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों और द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / इस संबंध में आईआरडीए परिपत्रों के साथ ये असंगत नहीं हैं।
- vii. एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 4ए के खंड (i) के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
- viii. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है;
- ix. निगम के पास वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय के लिए हमारी अलग रिपोर्ट अनुलग्नक ए के रूप में देखें।
- x. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - क) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है।
 - ख) निगम ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत 31 मार्च, 2025 तक डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान के लिए प्रावधान किया है।
 - ग) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
- घ) i. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में टिप्पणियों में प्रकट किए गए के अलावा, निगम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
- ii. प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, निगम द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, तथा यह सहमति है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, निगम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की कोई चीज प्रदान करेगा; तथा
- iii. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (घ)(i.) और (ii.) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।
- ड) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान निगम द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है। जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 15A (सी) नोट संख्या 30 में कहा गया है, निगम के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू है।

- v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDA in this behalf;
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDA Regulations and orders / directions / circulars issued by IRDA in this regard.
- vii. No directors are disqualified as per clause (i) of section 4A of the LIC Act (as amended).
- viii. There are no qualification or adverse remarks relating to maintenance of accounts and matters connected therewith;
- ix. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in “**Annexure A**”.
- x. With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements.
 - b) The Corporation has made provision as at March 31, 2025, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - c) There are no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation for the year ended March 31, 2025.
 - d)
 - i. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Corporation to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Corporation ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries to the financial statements);
 - ii. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Corporation from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Corporation shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
 - iii. Based on such audit procedures that we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (d) (i) and (ii) above contain any material misstatement.
 - e) The final dividend paid by the Corporation during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act 2013 to the extent it applies to payment of dividend. As stated in Schedule 15A(C) Note No. 30 to the Standalone financial statements, the Board of Directors of the Corporation have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act as applicable.

च) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, निगम ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है, सिवाय इसके कि:

- i) DB सर्वर सहित सभी eFeap सर्वर प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट (PAM) के अंतर्गत आते हैं। PAM सिस्टम में निष्पादित सभी कमांड के लॉग कैप्चर और रिकॉर्ड किए जाते हैं। हालाँकि, प्रदर्शन और स्थान संबंधी समस्याओं के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है, लेकिन eFeap के ट्रांजेक्शन स्तर के लॉग को संबंधित मॉड्यूल टेबल (इतिहास तालिका) से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही डेटाबेस ट्रांजेक्शन लॉग mySQLbinlog के रूप में उपलब्ध है।
- ii) ePGS के मामले में, प्रदर्शन और स्थान की कमी के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है। हालाँकि, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा संबंधित मॉड्यूल की हिस्ट्री टेबल में बनाए रखा जाता है। इसके अलावा ऑडिट डेटा को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लॉग, सर्वर लॉग, LB लॉग भी कैप्चर किए जाते हैं। ePGS के ट्रांजेक्शन लेवल लॉग संबंधित मॉड्यूल टेबल से प्राप्त किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और ऑडिट ट्रेल के रिकॉर्ड संरक्षण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार निगम द्वारा संरक्षित किया गया है।

20. निगम ने अधिनियम की धारा 197 और बीमा अधिनियम की धारा 34ए के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान किया है।

वी शंकर अय्यर एंड कं.

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए. एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 127055

UDIN: 25127055BMOCPC9743

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए. धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 108845

UDIN: 25108845BMFXSG4800

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 27, 2025

- f) Based on our examination which included test checks, the Corporation has used accounting softwares for maintaining its books of account, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same have operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except that:
- i) All eFeap servers including DB servers are under Privilege Access Management(PAM). In PAM system logs of all commands executed are captured and recorded. However, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space issues, but transaction level logs of eFeap can be derived from the relevant module tables (history tables). Also database transaction log is available as mySQLbinlog.
 - ii) In case of ePGS, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space constraints. However, data required for audit is maintained in the history table of the respective module. In addition to this the application log, server log, LB logs are also captured to augment the audit data. Tansaction level logs of ePGS can be derived from the relevant module tables.
- Further, during the course of our audit, we did not come across any instances of audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the Corporation as per the statutory requirements for record retention.

20. The Corporation has paid/ provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of Section 197 of the Act and Section 34A of the Insurance Act.

V. Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN: 109208W

Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
FRN: 101872W/W100045

CA L V Saptharishi
Partner
Membership No.: 127055
UDIN: 25127055BMOCPC9743

CA Dharmista Shah
Partner
Membership No.: 108845
UDIN: 25108845BMFXSG4800

Place: Mumbai
Date: May 27th, 2025

अनुलग्नक – ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों को आज दिनांक को भेजी गई हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 19(ix) में संदर्भित

एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25बी की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे निगम कहा जाएगा) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, हमने निगम के 31 मार्च, 2025 तक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम का प्रबंधन संस्थान (‘ICAI’) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें निगम की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शन नोट”) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्ति और व्यय केवल प्रबंधन और निगम के निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

Annexure A to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 19(ix) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Life Insurance Corporation of India of even date)

Report on the internal financial controls with reference to the aforesaid standalone Financial Statements under Clause (i) of sub-section (3) of Section 25(B) to the LIC Act, 1956 (as amended)

In conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred to as "the Corporation") as of and for the year ended March 31, 2025, we have audited the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Corporation as of March 31, 2025.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the LIC Act, 1956 (as amended).

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation internal financial controls with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation internal financial controls system with reference to standalone financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

The Corporation's internal financial control with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामले

एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25(बी) की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह निगम द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय/मंडलीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 8 क्षेत्रीय कार्यालयों, 113 मंडल कार्यालयों और पेंशन एवं समूह योजनाओं की 77 इकाइयों से संबंधित है, तथा 3 विदेशी शाखाओं (फिजी, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम) के लेखापरीक्षित रिटर्न उनके संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित, अन्य लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है, जो हमें भेजी गई हैं तथा 1 शाखा (गिफ्ट सिटी, भारत) के लिए निगम के एक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की गई है, तथा हमारे द्वारा आवश्यक समझे गए तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से निपटा गया है।

लागू जीवन पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों का प्रीमियम बंद कर दिया गया है, उनके लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, और हमारे द्वारा इस पर भरोसा किया गया है, जैसा कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अन्य मामले पैरा में उल्लेख किया गया है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय में मूल्यांकन पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन की सटीकता पर रिपोर्टिंग शामिल नहीं है।

वी शंकर अय्यर एंड कं.

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए. एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 127055

UDIN: 25127055BMOCPC9743

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 27, 2025

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए. धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 108845

UDIN: 25108845BMFXSG4800

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and to the best of our information & according to the explanations give to us, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial control with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as at March 31, 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matter

Our aforesaid report under Clause (i) of sub section (3) of Section 25(B) of the LIC Act 1956 (as amended) on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements in so far as it relates to 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices and 77 units of Pension & Group Schemes audited by the zonal/divisional auditors appointed by the Corporation, and audited returns of 3 foreign branches (Fiji, Mauritius, United Kingdom) audited by their respective local auditors, is based on the corresponding reports of the other auditors which has been sent to us and for 1 branch (GIFT City, India) audited by one of the Corporation auditors and has been properly dealt with in preparing this report in the manner considered necessary by us.

The actuarial valuation of liabilities for life policies in force and policies where premium is discontinued is required to be certified by the Appointed Actuary as per the regulations, and has been relied upon by us, as mentioned in "other matter" para of our audit report on the standalone financial statements for the year ended March 31, 2025. Accordingly, our opinion on the internal financial controls with reference to financial statements does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

V. Sankar Aiyar & Co.

Chartered Accountants

FRN: 109208W

CA L V Saptharishi

Partner

Membership No.: 127055

UDIN:25127055BMOCPC9743

Place: Mumbai

Dated: May 27th, 2025

Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants

FRN: 101872W/W100045

CA Dharmista Shah

Partner

Membership No.: 108845

UDIN:25108845BMFXSG4800

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 27 मई 2024 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के भाग अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 में संदर्भित)

भारतीय जीवन बीमा निगम

- 1 यह प्रमाण पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम”) के साथ हमारे अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है, जिसमें हमें बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम 2024, (“विनियम”) के भाग III के पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों एवं विनियमों का विनियमन 3 सहित के अनुपालन के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- 2 निम्नलिखित के पालन करने का उत्तरदायित्व निगम के सदस्य मंडल का है।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधान, बीमा अधिनियम, 1938 जैसा की बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 (“अधिनियम”) द्वारा संशोधित; बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (“विनियम”) और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (“आईआरडीएआई”) द्वारा जारी किए गए आदेश / परिपत्र जिसमें प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक, लागू सीमा तक, जिसमें खाते की पुस्तकों और प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इसमें उपरोक्त के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त डेटा एकत्र करना, एकत्र करना और मान्य करना और आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और निगरानी करना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

- 3 आवश्यकताओं के अनुसार, उचित आश्वासन होने तथा अपनी लेखापरीक्षा और पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर यह राय बनाने के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्या निगम ने विनियमों के विनियमन 3 के साथ अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसूची सी में शामिल मामलों का अनुपालन किया है।
- 4 हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की, जिस पर हमने 27 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट के अनुसार एक असंशोधित लेखापरीक्षा राय जारी की। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों एवं अन्य प्रयोजनीय लागू आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार आयोजित की गई थी। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते और इसे निष्पादित करते हुए इस बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त गलत विवरणों से मुक्त हैं। हमारी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किसी भी लेनदेन के संबंध में उन मामलों की जिसके किसी तीसरे पक्ष का संभावित हित हो सकता है, की पहचान करने के लिये नहीं हैं।
- 5 हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए जारी किए गए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार आयोजित की हैं। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम स्वतंत्र आधार पर और आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की अन्य नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें।
- 6 हमने गुणवत्ता नियंत्रण (“एसक्यूसी”) 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं की सहभागिताओं का अंकेक्षण और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

- 7 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बनाए गए खाते और अन्य अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप तथा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि:
 - क) हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से जुड़ी प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है, और हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट त्रुटियाँ या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं हैं;

Independent Auditor's Certificate

(Referred to in paragraph 16 under "Report on other Legal and Regulatory Requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated May 27, 2025)

To,

Life Insurance Corporation of India

1. This certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter with Life Insurance Corporation of India (the "Corporation"). This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Part III of Insurance Regulatory and Development Authority (Actuarial Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations 2024, (the "Regulations").

Management's Responsibility

2. The Corporation's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), Insurance Act, 1938 (as amended); the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999; the Insurance Regulatory and Development Authority (Actuarial Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations 2024 and orders/directions/circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority India ("IRDAI"), including the accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable which includes the preparation and maintenance of books of account and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Auditor's Responsibilities

3. Pursuant to the requirements of Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Corporation has complied with the matters contained in Paragraph 3 and 4 of Part III of the Regulations read with regulation 3 of the Regulations.
4. We audited financial statements of the Corporation as of and financial year ended March 31, 2025 on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 27, 2025. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'ICAI'). The Guidance Note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control ('SQC') 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related Services engagements.

Opinion

7. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by Life Insurance Corporation of India, for the year ended March 31, 2025, we certify that:
 - a) We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2025, and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the standalone financial statements.

- ख) निगम के अधिकारियों द्वारा बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तुत किए गए प्रबंधन अभ्यावेदन और अनुपालन प्रमाण पत्र के आधार पर, और बोर्ड द्वारा नोट किए जाने के आधार पर, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया जो हमें विश्वास दिलाए कि निगम ने आईआरडीए द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तें और नियम, का अनुपालन नहीं किया गया है
- ग) हमने, स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 15 ए के सी (18) के अतिरिक्त, मामले की आवश्यकताओं के अनुरूप, वास्तविक निरीक्षण द्वारा या कस्टोडियन और / या डिपॉजिट प्रतिभागियों द्वारा, प्राप्त प्रमाण पत्रों / पुष्टियों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक के निगम के ऋणों और निवेशों से संबंधित आवश्यक सीमा तक नकद शेष राशि और प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है।
- घ) निगम किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य नहीं करता है; तथा
- च) अंतिम व्यावसायिक दिवस पर प्राप्त आवेदनों के मामले में लागू एनएवी आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 के अनुसार दिए गए हैं
- छ) पॉलिसीधारकों की निधि का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम 1938, जो की बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा संशोधित हैं, का उल्लंघन करके निवेश नहीं किया गया है।

वी शंकर अय्यर एंड कं.

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए. एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 127055

UDIN: 25127055BMOCPE9290

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए. धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 108845

UDIN: 25108845BMFXSI2768

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 27, 2025

- b) Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Corporation charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Corporation has not complied with the terms and conditions of registration stipulated by IRDAI.
- c) We have verified the cash balances, to the extent considered necessary, and securities relating to the Corporation's loans and investments as at March 31, 2025, by actual inspection or on the basis of certificates/confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants the Corporation, as the case may be except as stated in Schedule 15A(C) Note no. 18 of the standalone financial statements.
- d) The Corporation does not act as a trustee of any trust, and
- e) The NAV applicable in case of applications received on the last business day are as indicated in IRDA (Investment) Regulations, 2016
- f) No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention to the provisions of the Insurance Act, 1938, relating to the application and investment of the Policyholders' Fund.

V. Sankar Aiyar & Co.

Chartered Accountants

FRN: 109208W

CA L V Saptharishi

Partner

Membership No.: 127055

UDIN: 25127055BMOCPE9290

Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants

FRN: 101872W/W100045

CA Dharmista Shah

Partner

Membership No.: 108845

UDIN: 25108845BMFXSI2768

Place: Mumbai

Dated: May 27th, 2025

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5	6,325.00	6,325.00
आंबटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	1,20,095.76	75,740.08
जमा / (नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(233.02)	(126.92)
उप-योग / Sub-Total		1,26,187.74	81,938.16
उधारी / BORROWINGS	7	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा / (नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		6,47,539.87	6,92,682.11
हेज उतर-चढ़ाव आरक्षितनिधि / HEDGE FLUCTUATION RESERVE		10.62	0.00
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		47,35,580.36	43,95,325.28
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
(क) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium		790.81	393.75
(ख) अन्य (ii) Others		13.98	14.11
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	15,669.67	15,594.06
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		47,533.10	34,876.09
उप-योग / Sub-Total		54,47,138.41	51,38,885.40
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS			
संबद्ध / Linked		55.05	30.01
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)		0.00	0.00
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)		1,773.36	1,184.71
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		55,75,154.56	52,22,038.28
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश / INVESTMENTS			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	1,04,025.81	63,743.97
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	51,36,278.80	48,76,512.40
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	48,311.99	35,257.82
ऋण / LOANS	9	1,27,479.90	1,20,258.28
अचल परिसम्पतियाँ / FIXED ASSETS	10	4,461.16	4,056.97
आस्थगित कर परिसम्पतियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)		0.00	0.00

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS			
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	62,300.45	34,521.05
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,40,986.14	1,51,182.25
उप-योग (क) / Sub-Total (A)		2,03,286.59	1,85,703.30
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	33,746.63	48,551.40
प्रावधान / PROVISIONS	14	14,943.06	14,943.06
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)		48,689.69	63,494.46
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		1,54,596.90	1,22,208.84
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		55,75,154.56	52,22,038.28

आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities 15 A (B) 1

महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ
Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 15A

उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।
Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 27.05.2025

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5 & 5A	6,325.00	6,325.00
आंबटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	1,20,043.70	75,746.71
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(235.43)	(141.81)
उप-योग / Sub-Total		1,26,133.27	81,929.90
उधारी / BORROWINGS	7	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		6,47,528.38	6,92,672.10
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षितनिधि / HEDGE FLUCTUATION RESERVE		10.62	0.00
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		47,31,262.52	43,91,176.04
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
(क) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium		790.81	393.75
(ख) अन्य / (ii) Others		13.98	14.11
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	14,951.91	14,946.48
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		47,460.59	34,800.51
उप-योग / Sub-Total		54,42,018.81	51,34,002.99
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS			
संबद्ध / Linked		55.05	30.01
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)		0.00	0.00
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)		1,773.36	1,184.71
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		55,69,980.49	52,17,147.61
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश / INVESTMENTS			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	1,02,467.69	62,363.81
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	51,31,426.88	48,71,872.80
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	48,239.48	35,182.24
ऋण / LOANS	9	1,27,288.94	1,20,073.49

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	10	4,441.64	4,035.64
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)		0.00	0.00
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS			
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	62,218.74	34,439.35
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,40,896.64	1,51,108.87
उप-योग (क) / Sub-Total (A)		2,03,115.38	1,85,548.22
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	32,056.46	46,985.53
प्रावधान / PROVISIONS	14	14,943.06	14,943.06
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)		46,999.52	61,928.59
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) / NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		1,56,115.86	1,23,619.63
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) / DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		55,69,980.49	52,17,147.61
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	15 A (B) 1		
महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ / Significant Accounting Policies & Notes to Accounts	15A		

उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2025

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयरधारकों की निधियाँ : / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	52.06	(6.63)
जमा / (नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		2.41	14.89
उप-योग / Sub-Total		54.47	8.26
उधार / BORROWINGS	7	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा / (नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		11.49	10.01
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / HEDGE FLUCTUATION RESERVE		0.00	0.00
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		4,317.84	4,149.24
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
(क) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00
(ख) अन्य (ii) Others		0.00	0.00
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	717.76	647.58
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		72.51	75.58
उप-योग / Sub-Total		5,119.60	4,882.41
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS			
संबद्ध / Linked		0.00	0.00
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)		0.00	0.00
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)		0.00	0.00
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		5,174.07	4,890.67
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश / INVESTMENTS			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	1,558.12	1,380.16
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	4,851.92	4,639.60
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	72.51	75.58
ऋण / LOANS	9	190.96	184.79

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	10	19.52	21.33
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)		0.00	0.00
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS			
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	81.71	81.70
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	89.50	73.38
उप-योग (क) / Sub-Total (A)		171.21	155.08
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	1,690.17	1,565.87
प्रावधान / PROVISIONS	14	0.00	0.00
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)		1,690.17	1,565.87
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) / NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		(1,518.96)	(1,410.79)
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		5,174.07	4,890.67
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	15 A (B) 1		

महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ
Significant Accounting Policies & Notes to Accounts

उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।
Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 27.05.2025

फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	4,88,848.92	4,75,751.92
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(700.75)	(682.34)
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		0.00	0.00
उप-योग / Sub total		4,88,148.17	4,75,069.58
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		3,15,828.51	2,96,321.99
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		77,392.33	67,010.48
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		692.86	(2,162.05)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		(189.48)	3,867.11
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments		(1,100.84)	(1,093.61)
अन्य आय / Other Income			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		70.65	7,704.63
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		591.86	6,943.73
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholder's A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,617.40	0.00
(ख) एम डी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/MTD/ Other KMPs		0.00	0.00
(ग) अन्य (c) Others		24.69	12.98
कुल (क) / TOTAL (A)		8,84,076.15	8,53,674.84
कमीशन / Commission	2	25,308.76	25,959.12
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	35,415.20	48,121.68

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		(1,545.79)	(1,011.48)
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		0.00	0.00
कर के लिए प्रावधान / Provisions for Tax		7,772.49	5,825.16
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		15.60	(1,940.84)
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds		(642.39)	32.88
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services Tax on ULIP Charges		223.34	134.38
कुल (ख) / TOTAL (B)		66,547.21	77,120.90
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	4,13,278.89	3,85,949.15
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		3,075.80	2,860.18
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies			
(क) सकल** / (a) Gross**		3,40,255.08	3,44,076.78
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)		0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		0.00	0.00
(घ) संबंध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities		12,657.01	8,716.85
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund		397.17	231.42
(च) भविष्य विनियोजन निधियों का अंतरण - संबंध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation- Link Business		25.04	11.02
कुल (ग) / TOTAL (C)		7,69,688.99	7,41,845.40
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग)		47,839.95	34,708.54
SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)			
अंशधारको के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		2,255.42	2,598.45
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि / AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		50,095.37	37,306.99
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		49,506.72	40,021.96
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		0.00	0.00
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष / Balance being Funds for Future Appropriations		588.65	(2,714.97)
कुल (घ) / TOTAL (D)		50,095.37	37,306.99

*निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राप्त लाभ दर्शाता है।

**बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

*Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा:

The Breakup of Total Surplus during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
(क) अंतरिम बोनस / (a) Interim Bonus	3,075.80	2,860.18
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन# (b) Allocation of Bonus to Policyholders#	56,331.10	53,090.60
(ग) राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts	47,839.95	34,708.54
(घ) कुल अधिशेष (क+ख+ग): / (d) Total Surplus [a+b+c]	1,07,246.85	90,659.32

इस राशि में यूके शाखा के सहभागी पॉलिसीधारकों को दिए गए अंतिम बोनस से संबंधित ₹ 26.76 करोड़ शामिल है, लेकिन यूके शाखा के वैधानिक मूल्यांकन में इसे अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

गत वर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाइल्ड फॉर्च्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, ग्रेच्युटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस, एलआईसी का सीप/निवेश प्लस, एल आई सी न्यू पेंशन प्लस और एल आई सी इन्डेक्स प्लस

The amount includes ₹ 26.76 crores pertaining to Final Bonus paid to UK branch participating policyholders but shown as surplus for UK branch in statutory valuation of the UK branch.

Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment plus, Samridhi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, Flexi Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2025

फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता

(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम	1	4,88,450.77	4,75,275.67
(a) Premium			
(ख) पुनर्बीमा अंतरण		(699.23)	(680.72)
(b) Reinsurance ceded			
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार		0.00	0.00
(c) Reinsurance accepted			
उप-योग / Sub total		4,87,751.54	4,74,594.95
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल		3,15,558.02	2,96,019.53
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross			
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ		77,364.89	66,988.18
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)		720.18	(2,140.45)
(c) (Loss on sale/redemption of investments)			
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*		(154.58)	3,913.24
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*			
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		(1,100.84)	(1,093.61)
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments			
अन्य आय / Other Income			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		70.65	7,704.75
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		591.38	6,942.63
अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान / Contribution from Shareholder's A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए		2,617.40	0.00
(a) Towards Excess Expenses of Management			
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य के एम पी के पारिश्रमिक के लिए		0.00	0.00
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs			
(ग) अन्य		0.00	0.00
(c) Others			
कुल (क) / TOTAL (A)		8,83,418.64	8,52,929.22
कमीशन / Commission	2	25,285.12	25,933.11
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	35,360.06	48,062.61
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		(1,546.21)	(1,011.52)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		0.00	0.00
कर के लिए प्रावधान / Provisions for Tax		7,755.67	5,816.11
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		15.60	(1,940.84)
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds		(642.39)	32.85
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services Tax on ULIP Charges		223.34	134.38
कुल (ख) / TOTAL (B)		66,451.19	77,026.70
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	4,12,892.10	3,85,454.77
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		3,074.04	2,858.41
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies			
(क) सकल** / (a) Gross**		3,40,086.48	3,43,931.01
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)		0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		0.00	0.00
(घ) संबंध देयताओं के प्रावधान में अंतरण / (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities		12,660.08	8,714.44
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण / (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund		397.17	231.42
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबंध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation- Link Business		25.04	11.02
कुल (ग) / TOTAL (C)		7,69,134.91	7,41,201.07
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) / SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		47,832.54	34,701.45
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		2,255.42	2,598.45
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		50,087.96	37,299.90
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		49,499.31	40,014.87
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		0.00	0.00
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष / Balance being Funds for Future Appropriations		588.65	(2,714.97)
कुल (घ) / TOTAL (D)		50,087.96	37,299.90

*निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माने गये प्राप्त लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

**बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

**Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा:
The Breakup of Total Surplus during the year:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
(क) अंतरिम बोनस (a) Interim Bonus	3,074.04	2,858.41
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन : (b) Allocation of Bonus to Policyholders	56,190.24	52,955.87
(ग) राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts	47,832.54	34,701.45
(घ) कुल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]	1,07,096.82	90,515.73

उपरोक्त अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।
गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहिकृत/ वर्गीकृत किया गया है।
टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाईल्ड फॉर्च्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, ग्रेच्युटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस, एलआईसी का सीप/निवेश प्लस, एल आईसी न्यू पेंशन प्लस और एल आईसी इंडेक्स प्लस।

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.
Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.
Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment plus, Samridhi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, Flexi Plus, New Endowment Plus, LIC's SIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date		निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board	
वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए For V Sankar Aiyar & Co (FRN: 109208W)	चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP (FRN:101872W/ W100045)	सिद्धार्थ मोहंती Siddhartha Mohanty	एम. पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक CEO & MD (DIN: 08058830)	अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति एवं स्वतंत्र निदेशक Chairperson of Audit Committee and Independent Director (DIN: 05170323)
एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार) L.V. Saptharishi (Partner) M.No. 127055	धर्मिष्ठा शाह (साझेदार) Dharmista Shah (Partner) M.No. 108845	आर. दुरैस्वामी प्रबंध निदेशक R. Doraiswamy Managing Director (DIN: 10358884)	दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary
		सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer	अंशुल कुमार सिंह कंपनी सचिव Anshul Kumar Singh Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 27.05.2025

फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम	1	398.15	476.25
(a) Premium			
(ख) पुनर्बीमा अंतरण		(1.52)	(1.62)
(b) Reinsurance ceded			
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार		0.00	0.00
(c) Reinsurance accepted			
उप-योग / Sub total		396.63	474.63
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल		270.49	302.46
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross			
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ		27.44	22.30
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)		(27.32)	(21.60)
(c) (Loss on sale/redemption of investments)			
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*		(34.90)	(46.13)
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*			
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		0.00	0.00
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments			
अन्य आय / Other Income			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		0.00	(0.12)
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		0.48	1.10
अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान / Contribution from Shareholder's A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए		0.00	0.00
(a) Towards Excess Expenses of Management			
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए		0.00	0.00
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs			
(ग) अन्य		24.69	12.98
(c) Others			
कुल (क) / TOTAL (A)		657.51	745.62
कमीशन / Commission	2	23.64	26.01
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	55.14	59.07

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		0.42	0.04
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		0.00	0.00
कर के लिए प्रावधान / Provisions for Tax		16.82	9.05
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		0.00	0.00
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds		0.00	0.03
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services Tax on ULIP Charges		0.00	0.00
कुल (ख) / TOTAL (B)		96.02	94.20
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	386.79	494.38
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		1.76	1.77
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies			
(क) सकल** / (a) Gross**		168.60	145.77
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)		0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		0.00	0.00
(घ) संबंध देयताओं के प्रावधान में अंतरण / (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities		(3.07)	2.41
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण / (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund		0.00	0.00
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय / (f) Transfer to Funds for future appropriation- Link Business		0.00	0.00
कुल (ग) / TOTAL (C)		554.08	644.33
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) / SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		7.41	7.09
अंशधारको के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		7.41	7.09
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		7.41	7.09
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		0.00	0.00
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष / Balance being Funds for Future Appropriations		0.00	0.00
कुल (घ) / TOTAL (D)		7.41	7.09

*निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माने गये प्राप्त लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

**बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा:

The Breakup of Total Surplus during the year:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
(क) अंतरिम बोनस (a) Interim Bonus	1.76	1.77
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन [#] (b) Allocation of Bonus to Policyholders [#]	140.86	134.73
(ग) राजस्व खाता में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts	7.41	7.09
(घ) कुल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]	150.03	143.59

* इस राशि में यूके शाखा के सहभागी पॉलिसीधारकों को दिए गए अंतिम बोनस से संबंधित ₹ 26.76 करोड़ शामिल है, लेकिन यूके शाखा के वैधानिक मूल्यांकन में इसे अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः सूहीकृत वर्गीकृत किया गया है।

[#] The amount includes ₹ 26.76 Crores pertaining to Final Bonus paid to UK branch participating policyholders but shown as surplus for UK branch in statutory valuation of the UK branch.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2025

फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा

कुल व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Shareholders' Account (Non-technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी लेखा) से अंतरित शेष: Amounts transferred from the Policyholders account (Technical Account)		49,506.72	40,021.96
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		5,649.96	3,564.77
(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		380.33	147.82
(ग) निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(9.07)	(5.83)
(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट (d) Amortisation of Premium/Discount on Investments		(29.51)	(12.13)
अन्य आय / Other Income		0.00	0.00
कुल (क) / TOTAL (A)		55,498.43	43,716.59
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the insurance business		642.21	246.28
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान Contribution to Policyholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		4,443.10	0.00
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/ Other KMPs		0.00	0.00
(ग) अन्य (c) Others		24.69	12.98
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज / Interest on subordinated debt		0.00	0.00
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च / Expenses towards CSR activities		0.00	0.00
दंड / Penalties		0.03	0.00
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad Debts Written Off		0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि / Amount Transferred to policy holder's account		2,255.42	2,598.45
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (Other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य में (शुद्ध) कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		(4.93)	1.57

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए		0.00	0.00
(b) Provision for doubtful debts			
(ग) अन्य / (c) Others		(13.26)	70.10
कुल (ख) / TOTAL (B)		7,347.26	2,929.38
कर पूर्व लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) before tax		48,151.17	40,787.21
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		0.00	111.42
कर पश्चात लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) after tax		48,151.17	40,675.79
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष		75,711.26	39,462.97
(a) Balance at the beginning of the period			
(ख) अंतरित लाभांश का भुगतान		0.00	2,530.00
(b) Interim dividend paid			
(ग) अंतिम लाभांश का भुगतान		3,795.00	1,897.50
(c) Final Dividend Paid			
(घ) आरक्षितनिधि / अन्य खाते में अंतरण		0.00	0.00
(d) Transfer to reserves/other accounts			
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ /		1,20,067.43	75,711.26
Profit carried forward to the Balance Sheet			
प्रतिशेयर उपार्जन- मूल / Earning per Share- Basics (₹)		76.13	64.31
प्रतिशेयर उपार्जन- न्यूनीकृत / Earning per Share- Diluted (₹)		76.13	64.31
शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Nominal Value of Share (₹)		10.00	10.00

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2025

फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा

भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Shareholders' Account (Non-technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी लेखा) से अंतरित शेष : Amounts transferred from the Policyholders account (Technical Account)		49,499.31	40,014.87
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		5,644.63	3,561.16
(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		362.17	144.17
(ग) निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		0.00	0.00
(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट (d) Amortisation of Premium/Discount on Investments		(29.51)	(12.13)
अन्य आय / Other Income		0.00	0.00
कुल (क) / TOTAL (A)		55,476.60	43,708.07
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the insurance business		639.33	245.87
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान / Contribution to Policyholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		4,443.10	0.00
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTG/ Other KMPs		0.00	0.00
(ग) अन्य (c) Others		64.92	0.00
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज / Interest on subordinated debt		0.00	0.00
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च / Expenses towards CSR activities		0.00	0.00
दंड / Penalties		0.03	0.00
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad Debts Written Off		0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि / Amount Transferred to policy holder's account		2,255.42	2,598.45
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (Other than taxation)			

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
(क) निवेश के मूल्य में (शुद्ध) कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		(4.93)	1.57
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए (b) Provision for doubtful debts		0.00	0.00
(ग) अन्य (c) Others		(13.26)	70.10
कुल (ख) / TOTAL (B)		7,384.61	2,915.99
कर पूर्व लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) before tax		48,091.99	40,792.08
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		0.00	111.42
कर पश्चात लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) after tax		48,091.99	40,680.66
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the period		75,718.68	39,465.52
(ख) अंतरित लाभांश का भुगतान (b) Interim dividend paid		0.00	2,530.00
(ग) अंतिम लाभांश का भुगतान (c) Final Dividend Paid		3,795.00	1,897.50
(घ) आरक्षितनिधि / अन्य खाते में अंतरण (d) Transfer to reserves/other accounts		0.00	0.00
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet		1,20,015.67	75,718.68

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तत्रयषि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2025

फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा

भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Shareholders' Account (Non-technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी लेखा) से अंतरित शेष : Amounts transferred from the Policyholders account (Technical Account)		7.41	7.09
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		5.33	3.61
(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		18.16	3.65
(ग) निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(9.07)	(5.83)
(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट (d) Amortisation of Premium/Discount on Investments		0.00	0.00
अन्य आय / Other Income		0.00	0.00
कुल (क) / TOTAL (A)		21.83	8.52
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the insurance business		2.88	0.41
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान Contribution to Policyholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		0.00	0.00
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTG/ Other KMPs		0.00	0.00
(ग) अन्य (c) Others		(40.23)	12.98
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज / Interest on subordinated debt		0.00	0.00
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च / Expenses towards CSR activities		0.00	0.00
दंड / Penalties		0.00	0.00
डुबत ऋणों का अपलेखन / Bad Debts Written Off		0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि / Amount Transferred to policy holder's account		0.00	0.00
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (Other than taxation)			

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
(क) निवेश के मूल्य में (शुद्ध) कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		0.00	0.00
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए (b) Provision for doubtful debts		0.00	0.00
(ग) अन्य (c) Others		0.00	0.00
कुल (ख) / TOTAL (B)		(37.35)	13.39
कर पूर्व लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) before tax		59.18	(4.87)
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		0.00	0.00
कर पश्चात लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) after tax		59.18	(4.87)
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the period		(7.42)	(2.55)
(ख) अंतरित लाभांश का भुगतान (b) Interim dividend paid		0.00	0.00
(ग) अंतिम लाभांश का भुगतान (c) Final Dividend Paid		0.00	0.00
(घ) आरक्षितनिधि / अन्य खाते में अंतरण (d) Transfer to reserves/other accounts		0.00	0.00
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet		51.76	(7.42)

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2025

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

स्टैंडअलोन प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च, 2025

STANDALONE RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 2025

31 मार्च, 2025 को कुल व्यवसाय से संबंधित नकद प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025 IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from the operating activities:		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हैं Premium received from policyholders, including advance receipts	4,89,818.37	4,75,797.74
अन्य प्राप्तियाँ Other receipts	651.38	6,955.77
पुनः बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन एवं दावों/लाभ से शुद्ध Payments to the re-insurers, net of commissions and claims/ Benefits	(44.65)	(140.26)
दावों/लाभों का भुगतान Payments of claims/benefits	(4,21,223.93)	(3,89,546.77)
कमीशन और दलाली का भुगतान Payments of commission and brokerage	(25,364.85)	(26,331.03)
अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of other operating expenses	(47,864.62)	(40,866.14)
जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans	(58.04)	(420.37)
आयकर भुगतान (शुद्ध) Income taxes paid (Net)	571.57	5,860.00
सेवाकर/जीसटी का भुगतान Service tax/ GST paid	(2,665.03)	(2,398.29)
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह Cash flows before extraordinary items	(6,179.81)	28,910.65
असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) Cash flow from extraordinary operations (give break-up)	0.00	0.00
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from operating activities	(6,179.81)	28,910.65

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
निवेशों गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from investing activities:		
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	(768.87)	(961.49)
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ Proceeds from sale of fixed assets	61.80	447.03
निवेशों की खरीद Purchases of investments	(5,64,437.29)	(5,74,560.62)
वितरित ऋण (पुनर्भुगतान के शुद्ध) Loans disbursed (Net of Repayments)	(5,675.82)	(3,684.37)
निवेशों की बिक्री Sales of investments	3,04,014.85	2,55,319.29
किराया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received	3,13,555.82	2,91,778.40
मुद्रा बाजार विलेख और तरल म्यूचुअल फंडों में निवेश (शुद्ध) Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (net)	(8,645.68)	3,959.11
निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(590.82)	(426.29)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net Cash flows from investing activities:	37,514.00	(28,128.94)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from financing activities:		
उधारी से प्राप्तियाँ Proceed from borrowing	0.00	0.00
उधारी का भुगतान Repayments of borrowing	0.00	0.00
ब्याज/लाभांश का भुगतान Interest/dividends paid	(3,794.28)	(4,427.20)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from financing activities	(3,794.28)	(4,427.20)
नकद और नकद के समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव (शुद्ध) Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net	72.26	(88.09)
नकद और नकद के समतुल्य में निवल वृद्धि Net increase in cash and cash equivalents:	27,612.17	(3,733.58)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year	34,711.53	38,445.11
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year	62,323.70	34,711.53
टिप्पणी: वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the year		
नकद और चेक हाथ में / Cash and cheques in hand	4,375.42	3,363.57
बैंक शेष / Bank Balances	35,385.43	21,593.17
सावधि जमा / Fixed Deposits	6,336.53	2,325.93
मुद्रा बाज़ार विलेख / Money Market Instruments	15,431.03	5,659.16
मार्ग प्रेषस्त धन और अन्य / Remittance in Transit and Others	795.28	1,769.70
कुल नकद और नकद समतुल्य / Total Cash and Cash Equivalents	62,323.70	34,711.53

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 27.05.2025

अनुसूची - 1
SCHEDULE - 1

प्रीमियम
PREMIUM

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
1 प्रथम वर्षीय प्रीमियम / First year Premiums	37,025.38	39,037.95
2 परवर्ती प्रीमियम / Renewal Premiums	2,62,063.43	2,53,080.52
3 एकल प्रीमियम और सीएजी / Single Premiums & CAG	1,89,760.11	1,83,633.45
कुल प्रीमियम / TOTAL PREMIUM	4,88,848.92	4,75,751.92
व्यवसाय से लिखित प्रीमियम आय / Premium Income from business written:		
1 भारत में / In India	4,88,450.77	4,75,275.67
2 भारत के बाहर / Outside India	398.15	476.25
कुल प्रीमियम / Total Premium	4,88,848.92	4,75,751.92

अनुसूची - 2
SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय
COMMISSION EXPENSES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
कमीशन / Commission		
प्रत्यक्ष - प्रथम वर्षीय प्रीमियम Direct - First year premiums	9,986.84	11,081.17
- परवर्ती प्रीमियम - Renewal premiums	14,561.46	14,094.62
- एकल प्रीमियम - Single premiums	760.46	783.33
सकल कमीशन / Gross Commission	25,308.76	25,959.12
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add : Commission on Re-insurance Accepted	0.00	0.00
घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	0.00	0.00
शुद्ध कमीशन / Net Commission	25,308.76	25,959.12
कुल कमीशन / Total Commission	25,308.76	25,959.12
लिखित व्यवसाय पर कमीशन (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर) / Commission (Excluding Reinsurance) business written:		
भारत में / In India	25,285.12	25,933.11
भारत के बाहर / Outside India	23.64	26.01
कुल कमीशन / Total Commission	25,308.76	25,959.12

अनुसूची – 2
SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय (जारी)
COMMISSION EXPENSES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
कमीशन का माध्यम वार अलग-अलग विवरण (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर): Channel wise break up of Commission (Excluding Reinsurance Commission):		
व्यक्तिगत एजेंट / Individual agents	24,968.55	25,622.83
कॉरपोरेट एजेंट-बैंक / एफआईआई / एचएफसी / Corporate Agents-Bank/FII/HFC	162.09	166.74
कॉरपोरेट एजेंट-अन्य / Corporate Agents-Others	22.61	25.49
ब्रोकर / Brokers	7.09	6.11
सूक्ष्म एजेंट / Micro Agents	87.53	65.28
प्रत्यक्ष व्यवसाय – ऑनलाइन / Direct Business-Online*	0.00	0.00
प्रत्यक्ष व्यवसाय – अन्य / Direct Business-Others	0.00	0.00
सामान्य सेवा केंद्र / Common Service Centre (CSC)	33.62	47.49
वेब एग्रीगेटर्स / Web Aggregators	0.00	0.00
आई.एम.एफ (बीमा विपणन फर्म) / IMF (Insurance Marketing Firm)	27.17	24.97
विक्री केन्द्र (पाइंट ऑफ सेल) प्रत्यक्ष पीओएसएलआई / Point of Sale (Direct) POSLI	0.10	0.21
अन्य / Others:	0.00	0.00
कुल / TOTAL	25,308.76	25,959.12

*कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन

*Commission on business procured through company website.

अनुसूची – 3
SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ / Employees' remuneration & welfare benefits	26,896.00	39,583.59
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय / Travel, conveyance and vehicle running expenses	475.86	367.11
3 प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	33.10	38.96
4 किराया, दरें एवं कर / Rents, rates & taxes	808.61	791.83
5 मरम्मत / Repairs	198.75	171.64

अनुसूची – 3
SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय (जारी)
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री / Printing & Stationery	215.03	218.11
7 संचार व्यय / Communication expenses	267.57	285.23
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार / Legal & professional charges	55.87	25.07
9 चिकित्सा शुल्क / Medical Fees	63.96	73.52
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor	13.09	19.82
(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of		
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0.00	0.00
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	0.00	0.00
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and	0.00	0.00
(ग) किसी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity	0.05	0.01
11 विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and publicity	551.78	553.50
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार / Interest & bank Charges	140.07	126.17
13 मूल्यहास / Depreciation	503.95	464.51
14 ब्रांड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार / Brand/Trade Mark usage fee/charges	0.00	0.00
15 व्यवसाय विकास और विक्रय व्यय संवर्धन व्यय / Business Development and Sales Promotion Expenses	56.27	0.00
16 पॉलिसियो पर स्टाम्प शुल्क / Stamp duty on policies	262.28	284.37
17 सूचना प्रौद्योगिकी व्यय / Information Technology Expenses	60.12	0.00
18 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) / Goods and Services Tax (GST)	2,065.24	2,190.61
19 अन्य / Others		
1 भत्ते / Allowances	1,740.00	1,942.99
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय / Expense on Investment Property	155.18	143.41
3 पावती स्टॉम्प / Receipt stamps	13.71	17.19
4 बिजली प्रभार / Electricity charges	221.18	223.76
5 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम / Cash in transit and other insurance premia	3.46	3.28

अनुसूची – 3
SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय (जारी)
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
6 विविध व्यय / Miscellaneous expenses	615.76	598.40
7 मुख्य कार्यालय व्यय / Head Office expenses	1.03	0.98
8 विनिमय / Exchange	(2.72)	(2.38)
कुल / TOTAL	35,415.20	48,121.68
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय / Operating Expenses Related to Insurance Business		
भारत में / In India	35,360.06	48,062.61
भारत के बाहर / Outside India	55.14	59.07
कुल परिचालन व्यय / TOTAL OPERATING EXPENSES	35,415.20	48,121.68

अनुसूची – 4
SCHEDULE - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध)
BENEFITS PAID (NET)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
1 बीमा दावें / Insurance Claims		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	24,985.20	23,101.19
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	1,81,977.66	1,52,788.51
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	22,097.56	20,106.73
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	55,335.05	55,347.91
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	93.99	82.49
(च) अभ्यर्पण (f) Surrenders	48,618.65	45,172.44
(छ) अन्य लाभ (g) Other benefits		
(i) आहरण (i) Withdrawal	82,286.62	88,630.88
(ii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई राशि पर ब्याज (ii) Other Claims Cost- Interest on Unclaimed Amount	(1,495.21)	1,236.62

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4

अदा कलरु गयर लरुभ (शुद्ध) (ऑररु)
BENEFITS PAID (NET) (Contd.)

(रु करोडु में)
(रु in Crore)

वलवरण Particulars	31 ऑरुऑ, 2025 ऑरु सऑऑऑ वरुष ऑरु लरुऑ FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025	31 ऑरुऑ, 2024 ऑरु सऑऑऑ वरुष ऑरु लरुऑ FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024
- अऑरु - Others	2.70	18.40
ऑरुदत्त लरुभ (सकल) / Benefits Paid (Gross)		
ऑरुत में / In India	4,13,515.43	3,85,990.79
ऑरुत ऑरु ऑरुऑरु / Outside India	386.79	494.38
2 (ऑरुनरुऑऑ में अंतऑरुत ररुशु): (Amount ceded in reinsurance):		
(ऑ) ऑृतुऑ ऑरुवें (a) Claims by Death	(565.66)	(476.58)
(ऑ) ऑरुऑऑऑ ऑरुवें (b) Claims by Maturity	0.00	0.00
(ऑ) वरुऑरुऑरुऑ/ऑरुऑऑ ऑरुऑऑऑ (c) Annuities/Pensions payment	0.00	0.00
(ऑ) आवऑरुऑ लरुभ (d) Periodical Benefit	0.00	0.00
(ऑ) सुवरुऑऑ (e) Health	(57.67)	(59.44)
(ऑ) अऑरु लरुभ (f) Other benefits	0.00	0.00
3 ऑरुनरुऑऑ में सुवीऑृत ररुशु: / Amount accepted in reinsurance:		
(ऑ) ऑृतुऑ ऑरुवें (a) Claims by Death	0.00	0.00
(ऑ) ऑरुऑऑऑ ऑरुवें (b) Claims by Maturity	0.00	0.00
(ऑ) वरुऑरुऑरुऑ/ऑरुऑऑ ऑरुऑऑऑ (c) Annuities/Pensions payment	0.00	0.00
(ऑ) आवऑरुऑ लरुभ (d) Periodical Benefit	0.00	0.00
(ऑ) सुवरुऑऑ (e) Health	0.00	0.00
(ऑ) अऑरु लरुभ (f) Other benefits	0.00	0.00
ऑल / TOTAL	4,13,278.89	3,85,949.15
ऑरुदत्त लरुभ (शुद्ध) / Benefits Paid (Net)		
1 ऑरुत में / In India	4,12,892.10	3,85,454.77
2 ऑरुत ऑरु ऑरुऑरु / Outside India	386.79	494.38
ऑल ऑरुदत्त लरुभ (शुद्ध) / Total Benefits paid (Net)	4,13,278.89	3,85,949.15

अनुसूची – 5
SCHEDULE - 5

अंश पूँजी
SHARE CAPITAL

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 अधिकृत पूँजी Authorised Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	25,000.00	25,000.00
2 निर्गमित पूँजी Issued Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
3 अभिदत्त पूँजी Subscribed Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
4 याचित पूँजी Called-up Capital	6,325.00	6,325.00
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each		
घटाएँ: अदत्त माँग Less: Calls unpaid	0.00	0.00
जोड़ें: जब्त अंश (मूल रूप से भुगतान की गई राशि) Add : Shares forfeited (amount originally paid up)	0.00	0.00
घटाएँ: वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back	0.00	0.00
घटाएँ: प्रारंभिक खर्च Less : Preliminary Expenses	0.00	0.00
जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्चों सहित । Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares.		
कुल / TOTAL	6,325.00	6,325.00

टिप्पणी:

- क) पूँजी के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण - निगम के पास पूँजी का केवल एक ही प्रकार है जैसे समता पूँजी
ख) बोनस शेयर जारी करने के कारण पूँजीकृत राशि - शून्य
ग) धारक कंपनी द्वारा धारित पूँजी - लागू नहीं

Notes:

- a) Particulars of the different classes of capital - The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Share Capital
b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares - Nil
c) Capital held by a holding company - N/A

अनुसूची – 5 अ
SCHEDULE - 5A

अंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)

PATTERN OF SHAREHOLDING
(As certified by the Management)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025		31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	
	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian	6103622781	96.50	6103622781	96.50
विदेशी / Foreign	0	0	0	0
निवेशक / Investors				
भारतीय / Indian	212121723	3.35	209287416	3.31
विदेशी / Foreign	9253197	0.15	12087504	0.19
अन्य / Others				
भारतीय / Indian	0	0	0	0
विदेशी / Foreign	0	0	0	0
कुल / Total	6324997701	100.00	6324997701	100.00

अनुसूची – 6
SCHEDULE - 6

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (शेयरधारकों के)

RESERVES AND SURPLUS (SHAREHOLDERS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	0.00	0.00
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	0.00	0.00
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve	0.00	0.00
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ General Reserves		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	29.42	29.42
जोड़ें : लाभ-हानि खाता से अग्रेषित Add: Transfer from Profit and Loss Account	0.00	0.00
घटाएँ : शेयरों की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back of shares	0.00	0.00
घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for issue of Bonus shares	0.00	0.00

अनुसूची – 6
SCHEDULE - 6

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (शेयरधारकों के) (जारी)
RESERVES AND SURPLUS (SHAREHOLDERS) (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अंतिम शेष Closing Balance	29.42	29.42
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	0.00	0.00
7 अन्य आरक्षित निधियाँ Other Reserves		
(i) विनिमय उतार चढ़ाव आरक्षित निधि (i) Exchange Fluctuation Reserve	(1.09)	(0.60)
8 लाभ-हानि खाते में लाभ का शेष Balance of profit in Profit and Loss Account	1,20,067.43	75,711.26
कुल / Total	1,20,095.76	75,740.08
भारत में / In India	1,20,043.70	75,746.71
भारत के बाहर / Outside India	52.06	(6.63)
कुल / Total	1,20,095.76	75,740.08

अनुसूची – 6अ
SCHEDULE - 6A

बीमा आरक्षित निधियाँ (पॉलिसीधारकों के)
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserve	0.00	0.00
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम / Share Premium	0.00	0.00
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	14,839.06	14,835.23
वर्ष के दौरान योग / Additions during the period	2.86	3.83
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the period	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing Balance	14,841.92	14,839.06
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ / General Reserves		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	0.77	0.77
घटाएँ : शेयरों की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back of shares	0.00	0.00
घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for issue of Bonus shares	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing Balance	0.77	0.77

अनुसूची - 6अ
SCHEDULE - 6A

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS) (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
6 आपातकालीन आरक्षित निधि / Catastrophe Reserve	0.00	0.00
7 अन्य आरक्षित निधियाँ / Other Reserves		
(i) विनिमय उतार चढ़ाव आरक्षित निधि		
(i) Exchange Fluctuation Reserve	826.98	754.23
8 लाभ-हानि खाते में लाभ का शेष / Balance of profit in Profit and Loss Account	0.00	0.00
कुल / Total	15,669.67	15,594.06
भारत में / In India	14,951.91	14,946.48
भारत के बाहर / Outside India	717.76	647.58
कुल / Total	15,669.67	15,594.06

अनुसूची - 7
SCHEDULE - 7

उधारी
BORROWINGS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 ऋण पत्र / बन्ध पत्र / Debentures/Bonds	0.00	0.00
2 बैंकों से / From Banks	0.00	0.00
3 वित्तीय संस्थानों से / From Financial Institutions	0.00	0.00
4 अन्य से / From Others	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00
भारत में / In India	0.00	0.00
भारत के बाहर / Outside India	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00

अनुसूची – 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	86,511.71	56,095.97
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश Other Investments		
(क) शेयर (a) Shares		
(कक) समता (aa) Equity	11,129.43	673.02
(खख) अधिमानि (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	0.00	0.00
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	128.28	15.92
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ: यू टी आई II पूँजी में प्रारंभिक अंशदान (e) Other Securities: Initial Contribution to UTI II Capital	0.01	0.01
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	1,484.60	1,390.67
(छ) निवेश संपत्तियाँ – संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	34.45	0.00
5 अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	5,050.86	4,149.61
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(530.52)	(548.71)
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	0.00	0.00

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश / Other Investments		
(क) शेयर (a) Shares		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	216.99	1,967.48
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	0.00	0.00
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	0.00	0.00
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	0.00	0.00
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	0.00	0.00
कुल / TOTAL	1,04,025.81	63,743.97
निवेश / INVESTMENTS		
1 भारत में / In India	1,02,467.69	62,363.81
2 भारत के बाहर / Outside India	1,558.12	1,380.16
कुल / TOTAL	1,04,025.81	63,743.97

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

टिप्पणी : सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश	NOTE: Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
जी.बी.नि. पेन्शन फंड लिमिटेड	LIC Pension Fund Ltd.	50.00	50.00
जी.बी.नि. कार्ड सर्विसेस लिमिटेड	LIC Cards Services Ltd.	1.00	1.00
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	IDBI BANK LTD.	24.74	24.74
	LIC MF Assets Management Co. LTD.	49.74	49.74
जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी.) बहरीन	Life Insurance Corporation (International) B.S.C (c), Bahrain	939.70	939.70
जी.बी.नि. (नेपाल) लिमिटेड	LIC (Nepal) Ltd.	93.07	12.40
जी.बी.नि. (लंका) लिमिटेड	LIC (Lanka) Ltd	60.03	45.98
सहकारी बीमा के लिए सऊदी भारतीय कंपनी	Saudi Indian Company For Cooperative Insurance	5.88	5.88
जी.बी.नि. (सिंगापुर) पी.टी.ई. लिमिटेड	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte Ltd.	216.67	216.67
जी.बी.नि. (बांग्लादेश) लिमिटेड	LIC (Bangladesh) Ltd.	43.78	43.78
कुल	TOTAL	1,484.61	1,389.89

टिप्पणी :

31.03.2025 को सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य

NOTE: Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments as at 31.03.2025

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घावधि निवेश / Long Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	92,661.00	62,140.04
बाजार मूल्य / Market Value*	95,003.80	62,015.51
अल्पावधि निवेश / Short Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	215.42	1,458.13
बाजार मूल्य / Market Value*	216.99	1,470.31

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

* पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *Book value less provision for diminution

अनुसूची - 8अ
SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	30,44,834.40	28,92,051.42
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	3,816.46	6,534.33
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	13,01,656.49	12,18,669.38
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	23,526.12	21,623.32
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	1,31,262.43	1,22,696.73
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:		
अन्य प्रतिभूतियाँ तथा बन्ध-पत्र Other Securities & Bonds	151.89	194.62
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	33,072.22	32,234.67
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	17,155.83	16,979.84
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	4,17,172.97	3,40,579.48
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	40,075.57	70,393.73
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(6,432.58)	(6,265.06)

निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,00,516.69	1,12,162.77
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	2,716.17	6,088.16
3 (क) शेयर (a) Shares		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	16,497.73	9,976.07
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	1,155.46	6,749.17
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	7,967.19	25,973.53
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	3,056.09	2,590.34
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(1,922.33)	(2,720.10)
कुल / TOTAL	51,36,278.80	48,76,512.40
निवेश / INVESTMENTS		
1 भारत में / In India	51,31,426.88	48,71,872.80
2 भारत के बाहर / Outside India	4,851.92	4,639.60
कुल / TOTAL	51,36,278.80	48,76,512.40

अनुसूची - 8अ
SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

टिप्पणी: सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश NOTE: 1. Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ए एम सी LIC Mutual Fund AMC Ltd.	4.94	4.94
जी.बी.नि. गृह वित्त लि. LIC Housing Finance Ltd	3,321.50	3,321.50
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड प्रारंभिक योगदान LIC Mutual Fund Initial Contribution	2.00	2.00
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ट्रस्टी कं. प्रा. लि. LIC Mutual Fund Trustee Co Pvt Ltd	0	0
जी.बी.नि. एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कं. लि. LIC HFL Asset Management Company Ltd	0.50	0.50
जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एसी.सी. (सी.) बहरीन Life Insurance Corporation (International) B.S.C (c), Bahrain	55.78	55.78
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड IDBI Bank Ltd.	28,849.64	28,849.64
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED	0.30	0.30
एचजीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड HGI Industries Ltd.	3.18	3.18
कटाखल लाला बाजार रेलवे कंपनी लिमिटेड Katakhal Lala Bazar Railway company Ltd.	0.02	0.02
मोदी स्पिनिंग एवं विविंग मील कंपनी लिमिटेड Modi SPG & WVG Mills Company Ltd.	0.87	0.87
इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेंसियल सर्विसेस Infrastructure Leasing & Financial Services	829.17	829.17
हनुमान टी कंपनी लिमिटेड Hanuman Tea Co. Ltd.	4.32	4.32
कुल / TOTAL	33,072.22	33,072.22

टिप्पणी: 31.03.2025 को सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों# और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य ।

NOTE: Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments as at 31.03.2025

अनुसूची - 8अ
SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घावधि निवेश Long Term investment		
पुस्तक मूल्य Book Value	35,00,881.78	32,85,578.10
बाजार मूल्य* Market Value*	36,92,436.93	33,91,580.46
अल्पावधि निवेश Short Term investment		
पुस्तक मूल्य Book Value	1,31,748.87	1,63,455.58
बाजार मूल्य* Market Value*	1,31,041.38	1,62,115.77

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

* पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *Book value less provision for diminution

अनुसूची - 8ब
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	12,925.77	10,815.26
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.05	0.05
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	30,322.69	20,397.31
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	0.00	0.00

अनुसूची - 8B
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	9.86	10.18
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	1,893.69	1,779.23
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	70.94	603.76
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	727.94	162.04
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	1,081.85	593.42
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	0.00	10.39
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	300.50
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	0.00	0.00

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	86.31	134.78
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	0.00	0.00
चालू सम्पत्तियाँ Current Assets		
6 रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash & Bank Balance		
रोकड़ Cash	0.00	187.87
बैंक में शेष Bank Balance:		
(क) जमा (a) Deposits		
(कक) अल्पावधि (aa) Short term	0.00	0.00
(खख) अन्य (bb) Others	0.00	0.00
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	23.25	2.61
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
7 अग्रिम Advances		
अन्य अग्रिम Other Advances	0.07	0.07
निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	255.31	230.77
कुल (क) - चालू सम्पत्तियाँ Total (A)- Current Assets	278.63	421.32
8 चालू दायित्व Current Liabilities		
विविध लेनदार Sundry Creditors	76.74	43.77
जीवन विभाग चालू खाता Life department current account	(991.00)	(73.35)
कुल (ख) चालू दायित्व Total (B)- Current Liabilities	(914.26)	(29.58)

अनुसूची - 8ब
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (क-ख) Net current assets (A-B)	1,192.89	450.90
कुल / TOTAL	48,311.99	35,257.82
निवेश / INVESTMENTS		
1 भारत में In India	48,239.48	35,182.24
2 भारत के बाहर Outside India	72.51	75.58
कुल* / TOTAL*	48,311.99	35,257.82

टिप्पणी: *बंद निधि से संबंधित ₹ 781.07 करोड़ सहित

NOTE: *Inclusive of ₹ 781.07 Crore pertaining to Discontinued Fund.

टिप्पणी: 31.03.2025 को सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य

NOTE: Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments as at 31.03.2025

(₹ करोड़)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घावधि निवेश Long Term investment		
पुस्तक मूल्य Book Value	12,854.49	11,133.22
बाजार मूल्य Market Value*	13,024.85	11,056.35
अल्पावधि निवेश Short Term investment		
पुस्तक मूल्य Book Value	2,009.24	1,311.04
बाजार मूल्य Market Value*	1,896.10	900.63

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

*पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *Book value less provision for diminution

अनुसूची – 9
SCHEDULE - 9

ऋण
LOANS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY - WISE CLASSIFICATION		
रक्षित / Secured:		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property		
(कक) भारत में (aa) In India	5,964.63	7,284.47
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	9.83	9.85
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.	0.00	0.00
(ग) पॉलिसियों पर ऋण (c) Loans against Policies	1,26,186.54	1,18,218.59
(घ) अन्य (d) Others :		
सरकार द्वारा गारंटीड Guaranteed by Government	1,023.38	1,470.68
गिरवी / Hypothecation	74.61	474.81
अनारक्षित ऋण / Unsecured Loans	960.96	972.17
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful debts	(6,740.05)	(8,172.29)
कुल / Total	1,27,479.90	1,20,258.28
2 उधारकर्तावार वर्गीकरण BORROWER - WISE CLASSIFICATION		
(क) केंद्र तथा राज्य सरकार (a) Central and State Governments	610.79	861.21
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	0.00	0.00
(ग) सहायक (c) Subsidiaries	0.00	0.00
(घ) कंपनियाँ (d) Companies	4,937.89	6,612.67
(ड) पॉलिसियों पर ऋण (e) Loans against policies	1,26,186.54	1,18,218.59
(च) अन्य (f) Others:		

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
बंधक संपत्ति Mortgage Property	244.33	262.25
महानगरपालिकाएँ Municipalities	1.31	1.62
राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators	312.40	457.94
राज्य सड़क परिवहन निगम State Road Transport Corporation	0.00	6.16
सहकारी औद्योगिक संपत्ति Co-operative Industrial Estates	5.40	10.57
सहकारी आवास संस्थाएँ Housing Co-op Societies	64.25	80.34
सिंचाई क्षेत्र Irrigation Sector	0.00	6.67
डब्ल्यू.एस.बी., एस.एफ.सी. पी.टी.आर. ओ.टी.एच., एल.डी.बी., आदि WSB, SFC, PTR, OTH, LDB Etc.*	1,857.04	1,912.54
व्यक्तिगत सुरक्षा पर ऋण Loans on Personal Security	0.00	0.01
(छ) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (g) Provision for bad and doubtful debts	(6,740.05)	(8,172.29)
कुल / Total	1,27,479.90	1,20,258.28
3 निष्पादनवार वर्गीकरण PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION		
(क) वर्गीकृत मानक ऋण (a) Loans classified as standard:		
(कक) भारत में (aa) In India	1,27,803.82	1,20,570.07
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	187.68	182.31
मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Standard Loans	(517.07)	(499.23)
(ख) गैर मानक ऋण (b) Non-standard loans:		
(कक) भारत में (aa) In India	6,218.62	7,669.82
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	9.83	8.37

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Non Standard Loans	(6,222.98)	(7,673.06)
कुल / Total	1,27,479.90	1,20,258.28
4 परिपक्वता - वार वर्गीकरण / MATURITY - WISE CLASSIFICATION		
(क) अल्पावधि (a) Short Term:		
(कक) भारत में (aa) In India	4,473.46	14,625.88
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	0.00	0.00
अल्पावधि के लिए प्रावधान / Provision for Short Term	(4,371.36)	(4,709.03)
(ख) दीर्घावधि (b) Long Term:		
(कक) भारत में (aa) In India	1,29,548.98	1,13,614.01
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	197.51	190.68
दीर्घावधि के लिए प्रावधान / Provision for Long Term	(2,368.69)	(3,463.26)
कुल / Total	1,27,479.90	1,20,258.28
1 भारत में / In India	1,27,288.94	1,20,073.49
2 भारत के बाहर / Outside India	190.96	184.79
कुल / Total	1,27,479.90	1,20,258.28

टिप्पणी / Note

* जल राज्य बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसटीएफ), पोर्ट ट्रस्ट (पीटीआर), अन्य *(ओटीएच), भूमि विकास बैंक (एलडीबी)
* WATER STATE BOARD (WSB), STATE FINANCIAL CORPORATION (STF), PORT TRUST (PTR), OTHERS (OTH), LAND DEVELOPMENT BANK (LDB)

गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान
Provisions against Non-performing Loans

(₹ करोड़)
(₹ in Crore)

गैर-निष्पादित ऋण / Non-Performing Loans	ऋण राशि Loan Amount	प्रावधान Provision
उप-मानक / Sub-standard	11.92	6.77
संदिग्ध / Doubtful	7.56	7.25
हानि / Loss	6,208.97	6,208.96
कुल / Total	6,228.45	6,222.98

अचल परिसंपत्तियाँ
FIXED ASSETS(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	लागत / सकल ब्लॉक Cost/Gross Block			मूल्य-ह्रास परिक्षोधन और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment				शुद्ध ब्लॉक Net Block		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम शेष Closing Balance	प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के लिए For the year	बिक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment	अंतिम शेष Closing Balance	31 मार्च, 2025 As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 As at March 31, 2024
ख्याति Goodwill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अमूर्त Intangibles	49.91	0.00	0.00	49.91	39.66	5.13*	0.00	44.79	5.12	10.25
भूमि-पूर्ण संपदा Land-Freehold	39.73	0.03	14.47	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	39.73
पट्टा-भूमि Land-Leasehold	92.33	2.12	0.23	94.22	12.10	1.14	0.01	13.23	80.99	80.23
भवन Buildings	3663.90	278.63	18.30	3,924.23	1,055.41	113.29	0.02	1,168.68	2,755.55	2,608.49
फर्नीचर एवं फिटिंग Furniture & Fittings	564.36	60.36	9.72	615.00	434.00	30.92	9.42	455.50	159.50	130.36
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर Information Technology Equipment	1904.34	516.67	72.47	2,348.54	1,644.33	173.80	71.36	1,746.77	601.77	260.01
वाहन Vehicles	1362.71	153.03	97.99	1,417.75	889.81	158.11	81.80	966.12	451.63	472.90
कार्यालय उपस्कर Office Equipment	70.92	1.51	2.45	69.98	62.74	2.00	2.44	62.30	7.68	8.18
अन्य: Others										
टेलिफोन Telephones	13.92	0.11	0.14	13.89	12.74	0.27	0.13	12.88	1.01	1.18
फैक्स/इपीएबीएक्स Fax/Epabx	2.21	0.02	0.20	2.03	2.21	0.00	0.20	2.01	0.02	0.00
मोबाइल फोन Mobile Phones	0.67	0.08	0.01	0.74	0.53	0.08	0.01	0.60	0.14	0.14

अचल परिसंपत्तियाँ (जारी)
FIXED ASSETS (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	लागत / सकल ब्लॉक Cost/Gross Block			मूल्य-ह्रास परीक्षण और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment				शुद्ध ब्लॉक Net Block		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम शेष Closing Balance	प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के लिए For the year	विक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment	अंतिम शेष Closing Balance	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
पुस्तकालय की पुस्तके Library books	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
विविध पूँजी उपस्कर Miscellaneous Capital Equipment	64.80	4.57	0.73	68.64	49.18	3.33	0.74	51.77	16.87	15.62
दृश्यश्राव्य तथा अन्य सम्बन्धित प्रचार उपस्कर Audio visual and other allied publicity equipment	89.15	6.79	1.16	94.78	76.57	4.83	1.10	80.30	14.48	12.58
इंजीनीयरिंग विभाग उपस्कर Engineering Dept. equipment	0.27	0.00	0.00	0.27	0.11	0.03	0.00	0.14	0.13	0.16
वोल्टेज स्टेबलाइजर तथा यू. पी. एस. Voltage stabilizers and UPS	166.34	9.11	5.71	169.74	151.66	8.52	5.70	154.48	15.26	14.68
क्रिए के भवनोपर जनरेटर, डी. जी. सेटस् Generators, DG sets in rented premises	2.27	0.00	0.02	2.25	2.03	0.12	0.02	2.13	0.12	0.24
विविध अचल परिसंपत्तियाँ Sundry Fixed Assets	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00
कुल / Total	8,088.13	1,040.54	223.60	8,905.07	4,433.38	509.08	172.95	4,769.51	4,135.56	3,654.75
कार्य प्रगति पर / Work in Progress	402.22	309.08	385.70	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	325.60	402.22
सकल कुल / Grand Total	8,490.35	1,349.62	609.30	9,230.67	4,433.38	509.08	172.95	4,769.51	4,461.16	4,056.97
पिछले साल का कुल As at March 31, 2024	7,975.87	961.51	447.03	8,490.35	4,156.25	469.64	192.51	4,433.38	4,056.97	-

टिप्पणी:- टीडीआर पर वर्ष के दौरान 5.13 करोड़ ₹. की क्षति से हानि को मान्यता दी गई जो वर्ष के लिए मूल्य-ह्रास में शामिल है।

Note:- Impairment loss of ₹ 5.13 crore on TDR recognised during the year including in Depreciation for the year.

अनुसूची - 11
SCHEDULE - 11

रोकड़ एवं बैंक में शेष
CASH AND BANK BALANCES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टॉम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	4,375.42	3,175.71
2 बैंक शेष Bank Balances:		
(क) जमा खाता (a) Deposit Accounts:		
(कक) अल्पावधि (तुलन पत्र की तारीख से 12 महिनों के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)	5,322.07	1,321.07
(खख) अन्य (bb) Others	1,014.47	1,004.85
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	35,362.18	21,590.56
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
3 मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
(क) बैंकों में (a) With Banks	0.00	0.00
(ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions	0.00	0.00
(ग) त्रिपक्षीय पुनर्खरीद विकल्प (टीआरईपीएस) (c) Tri-Party Repurchasing option (TREPS)	15,431.03	5,659.16
4 अन्य : मार्गस्त प्रेषस्त धन Others - Remittances in transit	795.28	1,769.70
कुल / Total	62,300.45	34,521.05
रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES		
1 भारत में / In India	62,218.74	34,439.35
2 भारत के बाहर / Outside India	81.71	81.70
कुल / Total	62,300.45	34,521.05

अनुसूची – 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ
ADVANCES AND OTHER ASSETS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अग्रिम / ADVANCES		
1 अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा Reserve deposits with ceding companies	0.00	0.00
2 निवेशो के लिए आवेदन राशि Application money for investments	0.00	0.00
3 पूर्व भुगतान / पूर्वदत्त खर्च Prepayments/Prepaid Expenditure	1,042.74	903.91
4 अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम Advances to Officer/Directors	0.00	0.00
5 अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर) Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	8,600.62	16,944.69
6 वस्तु और सेवा कर जमा / Goods & Service tax credit	1,149.77	793.95
7 अन्य / Others:		
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	1,161.73	1,055.43
अन्य को अग्रिम Advances to others	59.86	82.45
जमा Deposits	104.59	62.82
अन्य अग्रिम Other advances	1,105.23	1,257.33
विविध देनदार, अग्रिम तथा जमा के लिए प्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits	(90.00)	(103.77)
कुल (क) / TOTAL (A)	13,134.54	20,996.81
अन्य परिसम्पत्तियाँ OTHER ASSETS		
1 निवेशो पर बकाया / उपार्जित आय Income outstanding/accrued on investments	83,983.16	80,454.48
संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends	(9,021.94)	(11,684.80)

अनुसूची - 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ (जारी)
ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
2 बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	11,829.43	11,660.44
3 एजेंटों की शेष राशियाँ Agents' Balances	1,290.43	1,302.69
एजेंटों के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances	(0.33)	(0.37)
4 विदेशी एजेंसियों की शेष राशियाँ Foreign Agencies' Balances	0.00	0.00
एजेंटों के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances	0.00	0.00
5 बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशियाँ (पुनर्बीमा सहित) Due from other entities carrying on insurance business (Including Reinsurance)	159.91	34.47
6 सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होने वाली राशियाँ Due from subsidiaries/holding company	1.54	1.54
7 पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेश Investment held for Unclaimed Amount of Policyholders	7,165.37	17,914.98
8 पालिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज Interest on Investment held for Unclaimed Amount of Policyholders	0.00	0.00
9 अन्य / Others:		
i बकाया / उपार्जित ऋणों पर ब्याज Interest on loans outstanding/accrued	31,813.81	30,107.25
ii स्टॉक हाथ में Stock on hand	55.73	57.55
iii अन्य परिसंपत्तियाँ Other assets	561.23	337.21
iv (क) निवेश जिनका आबंटन बाकी है (a) Investments Pending Allotment	58.46	178.07
(ख) निवेश जिनका आबंटन बाकी है के लिए प्रावधान (b) Provision for Investments Pending Allotment	(58.46)	(178.07)
v (क) व्युत्पन्न सम्पत्तियाँ - वायदा दर करार (एफआरए) (a) Derivative Assets - FRA	13.26	0.00

अनुसूची – 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ (जारी)
ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(ख) ओटीसी मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (b) OTC Margin - FRA	0.00	0.00
(ग) प्राप्य मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (c) Margin Reveivable - FRA	0.00	0.00
(घ) सरकारी प्रतिभूतियों पर उपार्जित ब्याज – वायदा दर करार (एफआरए) (d) Interest accrued on Gsec. - FRA	0.00	0.00
कुल (ख) / TOTAL (B)	1,27,851.60	1,30,185.44
कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)	1,40,986.14	1,51,182.25
भारत में / In India	1,40,896.64	1,51,108.87
भारत के बाहर / Outside India	89.50	73.38
कुल / Total	1,40,986.14	1,51,182.25

अनुसूची – 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं
CURRENT LIABILITIES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 एजेंटों की शेष राशियाँ / Agents' Balances	0.00	0.00
2 अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि Balances due to other insurance companies	233.13	74.92
3 पुनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा Deposits held on re-insurance ceded	0.00	0.00
4 अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance	65.80	58.26
5 अनाबंटित प्रीमियम Unallocated premium	236.51	282.97
6 विविध लेनदार Sundry creditors	3,878.87	11,126.90
7 सहायक / नियंत्रक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	0.00	0.00

अनुसूची - 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
8 बकाया दावें Claims Outstanding	14,038.87	7,694.10
9 देय वार्षिकियाँ Annuities Due	1,208.45	1,049.52
10 अधिकारियों / निदेशको को देय Due to Officers/Directors	0.00	0.00
11 पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि Unclaimed Amount of policyholders	5,513.99	14,296.95
12 अस्वामिक राशि पर उपार्जित ब्याज Income accrued on Unclaimed amounts	1,651.39	3,618.03
13 ऋण पत्र/बंध पत्र पर देय ब्याज Interest payable on debentures/bonds	0.00	0.00
14 वस्तु एवं सेवा कर दायित्व Goods and Service tax Liabilities	1,828.98	1,849.61
15 अन्य Others:		
क कर्मचारी भविष्यनिधि तथा पेन्शननिधि के न्यास (ट्रस्ट) को देय राशियाँ a Amounts due to Trust of staff provident & pension fund	(85.78)	5,513.69
ख बकाया कमीशन b Outstanding Commission	1,559.83	1,615.93
ग प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियाँ c Premium and other deposits	2,314.10	1,136.76
घ अस्वामिक लाभांश d Unclaimed Dividend	1.18	0.46
ड (i) व्युत्पन्न देयताएँ - वायदा दर करार (एफआरए) e (i) Derivative Liabilities - FRA	4.19	0.00
(ii) ओटीसी मार्जिन - वायदा दर करार (एफआरए) (ii) OTC Margin - FRA	5.30	0.00
(iii) देय मार्जिन - वायदा दर करार (एफआरए) (iii) Margins Payable - FRA	0.00	0.00
च वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) f Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (161)	30.04	15.46

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
छ वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) g Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (828)	41.37	36.49
ज प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842) h Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842)	70.19	57.95
झ प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842 नया) i Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New)	7.69	(43.93)
ञ प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) j Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856)	160.56	94.10
ट सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता k Social Security Fund Current account	0.04	5.40
ठ छात्रवृत्ति निधि कॉन्ट्रा खाता l Scholarship Fund Contra Accounts	0.04	0.04
ड प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता m Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PMSYM) Current Account	(5.41)	(2.62)
ढ प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता n Pradhan Mantri Kisan Maan - Dhan Yojana (PMKMDY) Current account	(3.62)	(2.90)
ण प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता o Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) current account	(0.08)	(0.04)
त संबंध व्यवसाय चालू खाता p Linked Business Current a/c	991.00	73.35
कुल / Total	33,746.63	48,551.40
भारत में / In India	32,056.46	46,985.53
भारत के बाहर / Outside India	1,690.17	1,565.87
कुल / Total	33,746.63	48,551.40

अनुसूची - 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण

Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष Opening Balance as at 1 st April	17914.98	19,071.46
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to unclaimed amount	842.35	2,404.22
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (to be included only when the cheques are stale)	0.00	(0.39)
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	494.94	1,249.85
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि Less: Amount of claims paid during the year	11719.89	4,034.27
घटाएँ: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का शुद्ध) Less: Amount transferred to SCWF during the year (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	367.00	775.89
31 मार्च तक दावा न की गई राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount as at 31 st March	7165.38	17,914.98

अनुसूची - 14
SCHEDULE - 14

प्रावधान
PROVISIONS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes deducted at source)	0.00	0.00
2 कर्मचारियों के लाभों के लिए / For Employee Benefits	0.00	0.00
3 अन्य / Others:		
शोधक्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान Provision for reserve for solvency margin	14,943.06	14,943.06
कुल / Total	14,943.06	14,943.06
भारत में / In India	14,943.06	14,943.06
भारत के बाहर / Outside India	0.00	0.00
कुल / Total	14,943.06	14,943.06

अनुसूची – 15
SCHEDULE - 15

विविध व्यय
(जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किए गए हों)

MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(To the extent not written off or adjusted)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0.00	0.00
2 अन्य / Others	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00
भारत में / In India	0.00	0.00
भारत के बाहर / Outside India	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00

अनुसूची 15अ : स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले प्रकटीकरण

निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम ('निगम') 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ('शासी अधिनियम') के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है; यह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है और IRDAI अधिनियम, 1999 के यथा संशोधित प्रावधानों और अंतर्निहित विनियमनों के अधीन है, और जो शासी अधिनियम से असंगत नहीं है। निगम व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें व्यवसायों की सहभागी, गैर सहभागी और सम्बद्ध शामिल हैं। पोर्टफोलियो में विभिन्न बीमा और निवेश उत्पाद जैसे सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश, वार्षिकी, स्वास्थ्य, परिवर्तनीय व्यवसाय और पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) शामिल हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

(अ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं, निरंतरता और प्रोद्घवन के आधार पर तैयार किया गया है। निगम की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं (भारतीय जीएपी), जिसमें निम्न शामिल हैं; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (संशोधित) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड और दिशानिर्देश, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेशकार्यों पर मास्टर परिपत्र IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 ('मास्टर परिपत्र') और IRDAI द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्र बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान, यथा संशोधित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुपालन में, और उसमें किए गए संशोधनों और नियमों के अनुसार, लागू सीमा तक।

2. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुरूप है, जिसके लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार और परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की शेष राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख तक और उसके अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

3. राजस्व मान्यता:

प्रीमियम आय:-

- क) प्रीमियम को देय होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए अनुग्रह अवधि समाप्त नहीं हुई है और पिछली किश्तों का भुगतान किया गया है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, भुगतान की नियत तारीख को उस तारीख के रूप में लिया जाता है जब संबद्ध इकाइयां सृजित की जाती हैं।
- ख) संबद्ध निधि से होने वाली आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार, मृत्युदर शुल्क आदि शामिल हैं, को संबद्ध निधि से नियम और शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर मान्यता दी जाती है।
- ग) पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमा संधि की शर्तों या पुनर्बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

निवेश से आय:-

- घ) सभी सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों ऋण सहित, डिबेंचर और बांड, पास थ्रू प्रमाणपत्र, बंधक ऋण के संबंध में ब्याज आय को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

15A: DISCLOSURES FORMING PART OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Corporate Information

Life Insurance Corporation of India (“Corporation”) is a statutory corporation established on 1st September, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (‘Governing Act’) engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by the provisions of the governing Act; it is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (‘IRDAI’), Registration No. 512 dated 01.01.2001 and is subject to such provisions of IRDA Act, 1999 as amended and regulations there under which are not inconsistent with the governing Act. The Corporation offers a range of individual and group insurance solutions including participating, non-participating and unit linked business. The portfolio comprises of various insurance and investment products such as Protection, Pension, Savings, Investment, Annuity, Health, Variable and CRAC. The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17th May, 2022).

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Preparation:

The Financial Statements have been prepared under the historical cost convention, with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency and accrual basis, unless otherwise stated. The accounting and reporting policies of the Corporation conform to accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP), comprising regulatory norms and guidelines prescribed by the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 (“the Master Circular”) and other circulars issued by the IRDAI from time to time, provisions of the Insurance Act, 1938, as amended and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, and amendments and rules made thereto, to the extent applicable.

2. Use of Estimates:

The preparation of Financial Statements is in conformity with generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP), which requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the Financial Statements. The estimates and assumptions used in the accompanying Financial Statements are based upon management’s evaluation of the relevant facts and circumstances up to and as on the date of the Financial Statements. Actual results may differ from the estimates. Any revision to the accounting estimates is accounted for prospectively.

3. Revenue Recognition:

Premium Income:-

- a) Premium is recognized as income when due, for which grace period has not expired and the previous installments have been paid. In case of Linked Business, the due date for payment is taken as the date when the associated units are created.
- b) Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions and recognized when due.
- c) Premium ceded on re-insurance is accounted in accordance with the terms of the re-insurance treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

Investment Income:-

- d) Interest income in respect of all Government securities, debt securities including loans, debentures and bonds, Pass Through Certificate (PTC), mortgage loans is recognized in Revenue Account as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

- ड) द्वितीयक बाजार से सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में, खंडित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान/ प्राप्ति आधार पर प्राप्त किया जाता है।
- च) ब्याज, लाभांश, किराया आदि का सकल मूल्य (आयकर की कटौती से पहले) पर हिसाब लगाया जाता है।
- छ) ऋण, डिबेंचर और बांड के संबंध में, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना ऋण दस्तावेज़ / सूचना ज्ञापन या ऐसे अन्य दस्तावेज़ में उल्लिखित साधारण ब्याज की गणना की विधि के अनुसार की जाती है। सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बंधक ऋणों के संबंध में, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।
- ज) प्रतिभूतियों/इक्विटी/म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के वर्ष में ही राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।
- झ) उद्धृत इक्विटी शेयरों पर लाभांश जहां इसे प्राप्त करने का अधिकार 31 मार्च (यानी निवेशित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश) को या उससे पहले देय हो गया है, इसे बाद में प्राप्त आय के रूप में लिया जाता है। गैर-उद्धृत इक्विटी पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ञ) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज का हिसाब अर्जित के आधार पर किया जाता है।
- त) किराये की आय को अर्जित के आधार में मान्यता दी जाती है जब वह देय होता है और किराया / लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से अधिक के लिए बकाया है, को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। किराये पर अपफ्रंट प्रीमियम का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- थ) अधिमानी शेयरों/म्यूचुअल फंड पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- द) डिबेंचर/बांड की खरीद पर आवेदन राशि पर ब्याज को प्राप्ति के आधार पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ध) उद्यम पूंजी निवेश पर आय का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।
- न) जीरो कूपन बांड से होने वाली आय को अर्जित आधार पर लेखे में लिया जाता है।
- प) तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार एनपीए पर बकाया ब्याज, ब्याज सस्पेंस के रूप में मान्यता दी गई है।
- फ) मोचन/परिपक्वता पर प्रीमियम को मोचन/परिपक्वता पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ब) प्रस्तावित निवेशों के लिए प्रसंस्करण शुल्क, यदि कोई हो प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

4. अधिग्रहण लागतें:

अधिग्रहण लागत उस अवधि में दिखाई जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। अधिग्रहण लागत वह लागतें हैं जो अलग-अलग होती हैं और मुख्य रूप से नए और नवीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं।

5. भुगतान किया गया लाभ:

- क) भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां भी लागू हो, शामिल होते हैं।
- ख) दावे की मान्यता की तिथि पॉलिसी धारक द्वारा मृत्यु या समर्पण की सूचना प्राप्त होने की तिथि होगी। परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, वार्षिकी आदि के मामले में दावों की मान्यता की तिथि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
- ग) न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को प्रबंधन मूल्यांकन और विवेक के आधार पर आकस्मिक दायित्व माना जाता है।
- घ) उन अस्वीकृत दावों से संबंधित विवादित कानूनी मामलों के लिए प्रावधान किया गया है जहां एलआईसी द्वारा दायर अपील/रिट/संशोधन लंबित रहने तक एलआईसी के खिलाफ फोरम/कोर्ट द्वारा दी गई संपूर्ण राशि की सीमा तक लोअर फोरम/कोर्ट द्वारा निगम के खिलाफ निर्णय दिया जाता है।

6. निवेश:

क) असंबद्ध व्यवसाय

- क) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता पर धारित' माना जाता है और निम्नानुसार परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है:

- e) In respect of purchase or sale of Government and other approved securities from secondary market, interest for the broken period is paid / received on settlement basis.
- f) Interest, Dividend, Rent, etc. are accounted at gross value (before deduction of Income Tax)
- g) In respect of loans, debentures and bonds, accrued interest as at the date of the balance sheet is calculated as per method of calculation of simple interest mentioned in the loan document/information memorandum or such other document. In respect of Government and other approved securities and mortgage loans, accrued interest as at the date of balance sheet is calculated based on 360 days a year.
- h) Profit or Loss on sale of Securities/Equities/ Mutual Fund is recognised in Revenue Account in the year of sale.
- i) Dividend on quoted equity shares where right to receive the same has fallen due on or before 31st March (i.e. dividend declared by the investee company) is taken as income though received subsequently. Dividend on unquoted equity is taken as income only on receipt.
- j) Interest on Loan against Policies is accounted for on accrual basis.
- k) Rental income is recognized on accrual basis and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is not recognized as income. Upfront premium on rent is accounted on cash basis.
- l) Dividend on Preference shares/Mutual Fund is recognized as income only on receipt.
- m) Interest on application Money on purchase of debentures/bonds is accounted on receipt basis.
- n) Income on venture capital investment is accounted on receipt basis.
- o) Income from zero coupon bonds is accounted on accrual basis.
- p) Outstanding interest on NPA's as at balance sheet date is recognized as interest suspense.
- q) Premium on redemption/maturity of investments is recognized as income on redemption/maturity.
- r) Processing fee for proposed investments, if any is accounted on receipt basis.

4. Acquisition Costs:

Acquisition Cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

5. Benefits Paid:

- a) Benefits paid consist of the policy benefit amount and claims settlement costs, wherever applicable.
- b) The date of recognition of claim shall be the date of receipt of intimation of death or surrender by the policy holder. The date of recognition of claims in case of Maturity, Survival benefits, Annuity etc. shall be as per the terms and condition of the policies.
- c) Repudiated claims disputed before judicial authorities are treated as contingent liability based on management assessment and prudence.
- d) The provision is made for disputed legal cases pertaining to repudiated claims where decision is given against the Corporation by Lower Forum/Court to the extent of entire amount awarded by the Forum/Court against LIC, pending the Appeal/Writ/Revision filed by LIC.

6. Investments:

A] Non Linked Business

- a) Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and is carried at historical cost subject to amortization as follows:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियां, जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा। जहां अंकित मूल्य बही मूल्य से अधिक होता है, छूट को परिपक्वता पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ii) सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर, जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की बैलेंस अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले नहीं) परिशोधन से अधिक है तो परिशोधन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है लागत।
गैर-सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की शेष अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधन लागत कम करने के लिए प्रावधान कम किया जाता है।
सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को बुक वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन तिथि से 30 दिन पहले नहीं), बुक वैल्यू से अधिक है। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य कम है, तो इसका मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बही मूल्य पर किया जाता है।
असूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।
- ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का सक्रिय बाजारों में कारोबार होता है, जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इक्विटी प्रतिभूतियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- ग) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और कम कारोबार वाली इक्विटी प्रतिभूतियों को ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। इस तरह की कमी का आकलन और हिसाब निगम की हानि नीति के अनुसार किया जाता है। प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार ही कम कारोबार के रूप में माना जाएगा।
- घ) द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब निपटान के आधार पर किया जाता है।
- ङ) निवेश संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन राशि पर रखा जाता है और निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ले जाया जाता है। निवेश संपत्ति का हर तीन साल में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:-
 - (i) निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए पर विचार करते हुए रेंट कैपिटलाइजेशन विधि द्वारा किया जाता है।
 - (ii) बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
- च) म्युचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश का मूल्यांकन तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है और म्युचुअल फंड/ईटीएफ की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- छ) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश लागत पर किया जाता है।
- ज) वेंचर फंड/वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जहां एनएवी बुक वैल्यू से अधिक होता है। जहां कहीं भी एनएवी बुक वैल्यू से कम होती है, वहां अंतर को ह्रास के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- झ) मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स को बुक वैल्यू पर मापा जाता है।
- ञ) व्युत्पन्न:

बीमा अनुबंधों पर अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन की प्रतिरक्षा (हेजिंग) के लिए ब्याज दर व्युत्पन्न (आईआरडी) अनुबंध और जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में निवेश, नकदी प्रवाह का लेखा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट' और समय-समय पर संशोधित बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के निवेश के मास्टर परिपत्र के अनुसार किया जाता है।

निगम के पास ब्याज दर जोखिम प्रतिरक्षा (हेजिंग) नीति और प्रक्रिया दस्तावेज हैं जो ब्याज दर जोखिम प्रतिरक्षा रणनीति के अनुसार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए किए गए डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) लेनदेन के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। प्रतिरक्षा की शुरुआत में, निगम प्रतिरक्षा लिखत और प्रतिरक्षित किए गए मद, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, प्रतिरक्षा की रणनीति और प्रतिरक्षा प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के बीच

- (i) Debt Securities including Government Securities, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity. Where face value is greater than book value, discount is accounted on maturity.
- (ii) Listed Redeemable Preference Shares, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and is valued at amortised cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than amortised cost. Provision for diminution is made if market value is lower than amortised cost.

Unlisted Redeemable Preference Shares where the book value is more than the face value, the premium is amortised on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost less provision for diminution.

Listed Irredeemable Preference Shares are valued at book value if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than book value. In case last quoted price is lower, it is valued at book value less provision for diminution.

Unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at book value less provision for diminution.

- b) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at fair value on Balance Sheet date and the change in the carrying amount of equity securities is taken to Fair Value Change Account.
- c) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security shall be considered as being thinly traded as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI.
- d) All Investments are accounted on settlement basis except for purchase or sale of equity shares & government securities from the secondary market.
- e) The Investment Property is carried at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property is as under:-
 - (i) The valuation of investment property is carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
 - (ii) Investment properties having land alone without any building/structure is revalued as per current market value.
- f) Mutual fund and Exchange Traded Fund (ETF) investments are valued on fair value basis as at the Balance Sheet date and the change in the carrying amount of mutual fund /ETF is taken to Fair Value Change Account.
- g) Investments in subsidiary companies, joint ventures and associates are carried at cost.
- h) Investment in venture fund / Alternative Investment Fund (AIF) is valued at cost wherever NAV is greater than the Book Value. Wherever NAV is lower than Book value the difference is accounted as diminution.
- i) Money Market Instruments are measured at book value.
- j) Derivatives:

Interest Rate Derivative (IRD) contracts for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in Life, Pension and Annuity business are accounted for in accordance with the 'Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.

The Corporation has well defined Board approved Interest rate risk hedging Policy and Process document covering various aspects related to functioning of the derivative transactions undertaken to mitigate Interest rate risk as per the Interest rate risk hedging strategy. At the inception of the hedge, the Corporation designates and documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management

संबंध को नामित और प्रलेखित करता है। प्रतिरक्षा प्रभावशीलता वह डिग्री है जहां तक प्रतिरक्षा किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन जो प्रतिरक्षा किए गए जोखिम के कारण होते हैं, प्रतिरक्षा लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तनों द्वारा ऑफसेट किए जाते हैं। हेज की शुरुआत के समय और उसके बाद समय-समय पर रिपोर्टिंग तिथियों पर प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है।

अग्रिम दर करार (एफआरए) ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए एक अग्रिम संविदा है। अग्रिम दर करार संविदा में निगम अनुबंध की परिपक्वता तक की अवधि के लिए सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल निर्धारित करता है। पूर्वानुमानित लेनदेन पर ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए निगम अग्रिम दर करार में प्रवेश करता है। (क) निर्धारित आय निवेशों से बाहर निकलने की परिपक्वता आय का पुनर्निवेश; (ख) प्राप्त होने वाली ब्याज आय का निवेश; और (ग) बीमा अनुबंधों पर अपेक्षित पॉलिसी प्रीमियम आय प्राप्त करना जिसकी पहले से ही जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में हामीदारी की गई हो।

अग्रिम दर करार (एफआरए) संविदा का मूल्यांकन एफबीआईएल से लिए गए स्पॉट संदर्भ उत्पन्न पर अंतर्निहित बॉन्ड के बाजार मूल्य और मूल्यांकन तिथि से अग्रिम दर करार संविदा निपटारे की तारीख तक मध्यवर्ती कूपन प्रवाह के वर्तमान मूल्य सहित अंतर्निहित बॉन्ड के अनुबंधित अग्रिम मूल्य के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है। डेरिवेटिव वितीय साधनों का मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन / उचित मूल्यांकन दोनों पक्षों अर्थात निगम और प्रतिपक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रतिपक्ष (बैंक) मूल्यांकन को मार्जिन निपटान के लिए माना जाता है क्योंकि प्रतिपक्ष (बैंक) अग्रिम दर करार के अनुसार मूल्यांकन एजेंट होता है।

प्रतिरक्षा लिखत को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य पर पुनः उसकी माप की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न पर उचित मूल्य लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा जो एक प्रभावी प्रतिरक्षा के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे तुलन पत्र में “प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व” या “एचएफआर” में मान्यता दी जाती है और ऐसे डेरिवेटिव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन के अप्रभावी हिस्से को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे निर्मित होते हैं। ब्याज दर व्युत्पन्न पर उचित मूल्य लाभ / हानि जो एक अप्रभावी प्रतिरक्षा के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

“प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व” में चिन्हित किए गए संचित लाभ या हानि को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उसी अवधि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, जिसके दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से प्राप्त निवेशों से आय को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रतिरक्षा लेखा तब बंद हो जाता है जब प्रतिरक्षा लिखत समाप्त हो जाता है या ऐसा लगता हो कि अपेक्षित पूर्वानुमानित लेनदेन अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल जाता हो या अब पूरा होने की उम्मीद न हो। ऐसी समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जो प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ख. संबद्ध व्यवसाय:

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समय-समय पर जारी आईआरडीआई के निर्देशों के अनुसार होता है।

7. ऋण:

हानि प्रावधानों के अधीन ऋणों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

8. अचल सम्पत्ति:

क) अचल संपत्तियों के संचित मूल्यहास और हानि यदि कोई हो घटाकर लागत (करों सहित) पर रखा जाता है।

ख) निर्माणाधीन संपत्ति और कब्जे में ली गई संपत्तियों के लिए भुगतान की गई राशि, लंबित दस्तावेज, ‘गृह संपत्ति एवं भूमि’ के तहत गिना जाता है।

9. मूल्यहास / परिशोधन:

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास / परिशोधन, प्रबंधन द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्तियों के लिए मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है। ₹ 25000 तक की लागत वाली सभी अचल संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाएगा और साथ ही मूल्य को शून्य बनाने के लिए पूरी तरह से मूल्यहास किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यहास की दरें इस प्रकार हैं:-

objective, strategy for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by the changes in the fair value or cash flow of the hedging instrument. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter at subsequent reporting dates.

Forward Rate Agreement (FRA) is a forward contract to hedge the risk of movements in interest rates. In a FRA contract, the Corporation fixes the yield on the government bond for the period till the maturity of the contract. The Corporation enters into FRA to hedge interest rate risk on forecasted transactions. (A) Reinvestment of maturity proceeds of exiting fixed income investments; (B) Investment of interest income receivable; and (C) Expected policy premium income receivable on insurance contracts which are already underwritten in Life, Pension and Annuity business.

The Forward Rate Agreement (FRA) contract is valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the FBIL and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date. Mark-to-market valuation / fair valuation of the derivative financial instruments is done independently by both the parties i.e the Corporation and the counter party. The counter party (Bank) valuation is considered for margin settlement as the counter party (Bank) is the valuation agent as per FRA.

Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in "Hedge Fluctuation Reserve" or "HFR" in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change in fair value of such derivative instruments is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise. The fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise.

The accumulated gains or losses that were recognised in the "Hedge Fluctuation Reserve" are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognized in the Revenue Account / Profit & Loss Account. Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised into Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account.

B] Linked Business:

Valuation of Securities is in accordance with IRDAI directives issued from time to time.

7. Loans:

Loans are measured at historical cost subject to impairment provisions.

8. Fixed Assets:

- a) Fixed assets are carried at cost (inclusive of taxes) less accumulated depreciation and impairment, if any.
- b) Property under construction and amounts paid for the properties taken in possession, pending documentation, are accounted under 'House Property and Land'.

9. Depreciation/Amortisation:

Depreciation /amortisation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on useful lives of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/sold during the year. All fixed assets costing upto ₹ 25000 each shall be capitalized and simultaneously depreciated fully to make the value "NIL".

अचल संपत्तियों पर लगाए गए मूल्यहास की दरें:

क्रमांक	अचल संपत्तियाँ	मूल्यहास की दर
1	फर्नीचर और फिटिंग	10%
2	रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर आदि।	13.91%
3	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर सहित)	30%
4	वाहन	20%
5	साइकिलें	15%
6	कार्यालय उपकरण	10%
7	टेलीफोन, फैक्स/ईपीएबीएक्स, विविध पूंजीगत उपकरण	10%
8	मोबाइल फोन और संचार उपकरण, ऑडियो विजुअल और संबद्ध उपकरण, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स यूपीएस, अकाउंटिंग मशीन, जेनरेटर, डीजी सेट किराए के परिसर में	30%
9	पुस्तकालय की पुस्तकें और अन्य प्रचार सामग्री, डुप्लिकेटर्स/फोटोकॉपियर, कम्प्यूटोमीटर, जोड़ना और गणना करने वाली मशीनें	20%
10	इंजीनियरिंग विभाग के उपकरण	12.50%
11	भूमि (स्वामित्व की)	निरंक
12	भूमि (पट्टे की)	पट्टे की अवधि में यथा अनुपात
13	स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण	2%
14	पट्टा-भूमि पर भवन निर्माण, जहां पट्टा अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) या उससे अधिक है	2%
15	पट्टा-भूमि पर भवन, जहां पट्टा अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) से कम है	पट्टे की शेष अवधि में यथा अनुपात आधार पर
16	भूमि एवं भवन (पट्टा ग्रहित परिसर)	पट्टे की अवधि में 2% से अधिक या यथा अनुपात
17	सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व वाले फ्लैट	2%
18	बिल्डिंग में विद्युत प्रतिष्ठान, पंखे, लिफ्ट और जनरेटर (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड)	10%

पूंजीगत कार्य प्रगति पर:

ऐसी परिसंपत्तियों की लागत, जो तुलन पत्र की तिथि तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

10. परिसंपत्ति की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की क्षति के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस तरह की क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो उन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, हानि की पहचान की जाती है।

जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन आश्चर्य करता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो हानि के लिए परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि संपत्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक हो जाती है।

निगम की हानि नीति के अनुसार असूचीबद्ध/कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों और संबद्ध निवेशों के तहत इक्विटी के लिए हानि का आकलन और हिसाब किया गया।

Based on useful life evaluation carried out by the management, the rates of depreciation are as follows:-

Rates of Depreciation charged on Fixed Assets:

Sr. No.	Asset	Rate of Depreciation
1	Furniture and fittings	10%
2	Refrigerators and water coolers, etc.	13.91%
3	Information Technology Equipment (including Computers, Printers and Software)	30%
4	Vehicles	20%
5	Cycles	15%
6	Office Equipment	10%
7	Telephones, Fax/Epabx, Misc. Capital Equipment	10%
8	Mobile Phones & Communication equipments, Audio Visual & Allied equipment, Voltage stabilizers UPS, Accounting Machines, Generators, DG Sets in rented Premises	30%
9	Library Books and other publicity materials, Duplicators/Photocopier, Comptometers, adding and calculating machines	20%
10	Engineering Department's equipment	12.50%
11	Land (Freehold)	Nil
12	Land (Leasehold)	Pro-rata basis over the lease period
13	Building on Freehold Land	2%
14	Building on Leasehold Land where lease period is 50 years (useful life) or more	2%
15	Building on Leasehold Land where lease period is less than 50 years (useful life)	Pro-rata basis over the remaining lease period
16	Land and Building (Leasehold premises)	Higher of 2% or Pro-rata basis over lease period
17	Ownership Flats purchased in Co-op Societies	2%
18	Electrical Installations, Fans, Lifts and Generators in Building (Freehold and Leasehold)	10%

Capital Work in Progress:

Costs of assets which are not ready for its intended use as at the date of Balance Sheet are presented as Capital Work-in Progress.

10. Impairment of assets:

The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognized, wherever necessary.

Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

The impairment for unlisted/thinly traded equity shares, preference shares and equity under affiliated investments as assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation.

11. जीवन नीतियों के लिए दायित्व:

तुलन पत्र की तिथि पर पॉलिसीधारकों के प्रति देयताएं निगम के जीवन बीमा व्यवसाय की वार्षिक जांच के अनुसार निगम के नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों, यदि कोई हो, का वर्ष के अंत की समाप्ति दरों पर रूपांतरित किया जाता है। निपटान/अनुवाद पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को लागू होने वाले राजस्व या लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

- क) विदेशी व्यापार से संबंधित लाइफ फंड को संबंधित देशों के वैधानिक नियमों के अनुसार निवेश किया गया है।
- ख) वर्ष के अंत में विदेशों में शाखाओं के वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और विनिमय की उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है।
- ग) ऐसे रूपांतरणों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ या हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे राजस्व खाते में उत्पन्न होते हैं।
- घ) विदेशी शाखा कार्यालय में किए गए संचालन गैर-अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों को औसत विनिमय दर और तुलन-पत्र मदों को समापन दर पर अनुवादित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों के खाते के तहत विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव रिजर्व में जमा होता है जैसा भी मामला हो।
- ङ) भारत से भेजे गए प्रेषणों द्वारा भारत के बाहर किए गए निवेशों को मूल रुपये की लागत पर या जल्द से जल्द दर्ज की गई रुपये की लागत पर हिसाब किया जाता है, जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं होती है।

13. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान:

- क) भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।
गृह संपत्ति पर ऋण, डिबेंचर और बांड और बंधक ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
 - i) मानक
 - ii) उप-मानक
 - iii) संदिग्ध और
 - iv) हानि परिसंपत्तियाँ
- ख) गैर-निष्पादित ऋण, डिबेंचर और बॉन्ड और हाउस प्रॉपर्टी के खिलाफ बंधक ऋण का प्रावधान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

14. कर्मचारियों को लाभ:

- क) निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों को उपदान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किया जाता है और इस तरह, उसके संबंध में दायित्व, जीवन निधि का हिस्सा बनता है।
- ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके संबंध में जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट में समान अंशदान किया जाता है।
- ग) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के मामले में, योगदान तब किया जाता है जब संबंधित सेवाएं प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान राजस्व खाते में देय और प्रभारित किया जाता है।
पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना के मामले में, भविष्य निधि योजना के बदले में, निगम का योगदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन फंड ट्रस्ट में किया जाता है और उक्त योगदान सहित पिछले सेवा योगदान बीमांकिक गणना के आधार पर किया जाता है।

11. Liability for Life Policies:

The liability towards Policyholders as at Balance Sheet date is determined by the Corporation's Appointed Actuary pursuant to his annual investigation of the Corporation's life insurance business.

12. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary items in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

- a) Life Fund relating to foreign business has been invested according to the statutory regulations of the respective countries.
- b) Financial Statements of branches in foreign countries as at the year end are prepared in accordance with local laws and are translated at appropriate rates of exchange.
- c) Exchange gains or losses arising on such conversions are recognised in the period in which they arise in the Revenue Account.
- d) Operations carried at foreign Branch Offices are of non integral nature. The Revenue A/c items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate.

Revaluation Exchange difference is accumulated in Foreign Exchange fluctuation Reserve under shareholders or policyholders account as the case may be.

- e) Investments made outside India by remittances sent from India are accounted for at original rupee cost or at the earliest recorded rupee cost, where original cost is not available.

13. Asset Classification and Provisioning for Non-Performing Assets:

- a) As per the guidelines issued to Insurance Companies by Insurance Regulatory and Development Authority of India, Assets representing Loans, Debentures, Bonds and Mortgage Loans against House Property are classified based on record of recovery as:
 - i) Standard
 - ii) Sub-standard
 - iii) Doubtful and
 - iv) Loss Assets
- b) Provisioning for Non-Performing Loans, Debentures, Bonds and Mortgage Loans against House Property is made as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

14. Benefits to employees:

- a) Gratuity to employees is provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.
- b) In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to the Provident Fund Trust formed under Life Insurance Corporation Act 1956.
- c) In case of Defined Contribution Pension Scheme, the contributions are made when due and charged to Revenue account during the period when related services are rendered.

In case of Defined Benefit Plan for employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India and the said contribution including past service contribution is made on the basis of Actuarial calculation.

घ) निगम द्वारा जारी सामूहिक अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार, इसके संबंध में देयता, जीवन निधि का हिस्सा बनती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां।

कोई भी प्रावधान एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर किया जाता है जब यह संभव हो कि किसी दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व (पॉलिसियों के अलावा), यदि महत्वपूर्ण हैं, तो टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को पहचाना या प्रकट नहीं किया गया है।

16. प्राप्ति और भुगतान खाता:

प्राप्तियां और भुगतान खाता बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के चैप्टर-2 धारा - 1 (2.a.i) के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और रिपोर्ट किया जाता है।

17. कराधान:

क) **प्रत्यक्ष कर:** आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के प्रावधानों के साथ पहली अनुसूची में निहित नियमों और जीवन बीमा कारोबार के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ख) **अप्रत्यक्ष कर:** निगम इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के क्रेडिट का दावा करता है, जिसे आउटपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के खिलाफ सेट किया जाता है।

इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के लिए अप्रयुक्त क्रेडिट को तुलन-पत्र में 'अनुसूची 12 - अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत आगे बढ़ाया जाता है, जहां उपयोग की उचित निश्चितता होती है।

18. उधार लेने की लागत:

उधार लेने की लागत में ब्याज, जमा पर कमीशन/ब्रोकरेज और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल हैं, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

19. प्रति शेयर आय:

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

20. खंडीय रिपोर्टिंग:

क) खंडों की पहचान:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित खंडीय रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम 2024 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात् सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबंध (जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य) एवं पूंजी मोचन निधारित वार्षिकी सहित। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है।

ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

शेयरधारकों के खाते से संबंधित खर्चों के समायोजन के बाद जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को असंबंध सहभागी, असंबंध असहभागी, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय और यूनिट संबद्ध (लिंकड) व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:

क. व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर व्यवसाय की उसी संबंधित लाइनों पर मान्यता दी गई है, और

- d) Leave Encashment Benefits on retirement are provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.

15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A Provision is made based on a reliable estimate when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle an obligation. Contingent Liabilities (other than policies), if material, are disclosed by way of notes. Contingent Assets are not recognized or disclosed in the financial statements.

16. Receipts and Payments Account:

Receipts and Payments Account is prepared and reported using the Direct Method in accordance with Chapter-2 Section-I (2.a.i) of the Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

17. Taxation:

- a) **Direct Tax:** Provision for income tax is made in accordance with the provisions of Section 44 of the Income Tax Act, 1961 read with Rules contained in the First Schedule and other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 as applicable for life insurance business.
- b) **Indirect Tax:** The Corporation claims credit of goods and services tax on input services, which are set off against goods and services tax on output services.

Unutilized credits towards goods and services tax on input services are carried forward under 'Schedule 12 -Advances and Other Assets' in the Balance Sheet, wherever there is reasonable certainty of utilization.

18. Borrowing Costs:

Borrowing cost includes interest, commission/brokerage on deposits and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to interest cost.

19. Earnings per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

20. Segmental Reporting:

a) Identification of Segments:

Based on the primary segments identified under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies Act 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable Individual, Non Participating Health Individual, Non Participating Unit Linked (Life, Pension and Health) and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments.

b) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:

Operating Expenses relating to life insurance business after adjusting for expenses attributable to Shareholders Account is allocated to various lines of business such as Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business and Unit Linked Business on the basis of:

- a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been recognized in the respective lines of business on actual basis, and

ख. अन्य व्यय जो व्यवसाय की विशिष्ट लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:

- i. पॉलिसी की संख्या
- ii. कुल प्रीमियम आय
- iii. आश्वस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

21. पट्टे:

क) परिचालन पट्टा: पट्टों जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा किराया को सीधी रेखा आधार पर लीज अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां निगम पट्टेदार है, परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियों को अचल संपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे की आय को राजस्व/लाभ और हानि खाते में पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। मूल्यहास सहित लागतों को राजस्व / लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय पट्टा: पट्टों के तहत निगम पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को मानता है और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहीत ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति को परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो।

22. भविष्य के विनियोगों के लिए निधि:

असंबंध सहभागी बिजनेस के लिए, भविष्य के विनियोग खाते के लिए फंड में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आवंटन, 'पॉलिसी धारकों' या 'शेयरधारकों' में भाग लेने के लिए, तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और से स्थानांतरण निगम के 'पॉलिसी धारकों' निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखा अवधि में व्यय और विनियोग पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाता है। सहभागी पॉलिसीयो के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन भी आवश्यक अनुपात में एक शेयरधारक हस्तांतरण को जन्म देगा।

संबंध फंड में भविष्य के विनियोग के लिए फंड, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि कालातीत पॉलिसीयो से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस अधिशेष को 'पॉलिसीधारकों' के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं लेते।

23. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियां 17 नवंबर, 2020 के मास्टर परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के तहत पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर मास्टर परिपत्र की आवश्यकता, और समय-समय पर इसका संशोधित रूप, के अनुसार सृजित बनाए रखी जाती हैं:

- क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों की संपत्ति का खुलासा अनुसूची 12 "अग्रिम और अन्य संपत्ति" में किया गया है, जो तुलन-पत्र का हिस्सा है। दावा न की गई संपत्ति पर संबंधित आय को राजस्व खाते में ब्याज, लाभांश और किराया-सकल के तहत दिखाया गया है।
- ख) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर अर्जित आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जमा किया जाता है और एक अर्जित आधार पर हिसाब किया जाता है।
- ग) निधि में सभी संबंधित अभिवृद्धियों के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए दावा न की गई राशि को आईआरडीआई विनियमों की आवश्यकता के अनुसार वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में जमा किया जाता है।

24. उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय:

उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय, जो नॉन-पार्टिसिपेटिंग फंड का हिस्सा है, को नॉन-पार्टिसिपेटिंग बिजनेस के तहत संबंधित लेखा अवधि की आय के रूप में माना जाता है। परिणामस्वरूप एसएम पर अभिवृद्धि से संबंधित राशि (कर को घटाकर) गैर-भागीदारी से शेयरधारकों की निधि में संपत्ति की समान राशि के साथ स्थानांतरित कर दी गई है।

- b. Expenses which are not directly identifiable to the specific lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:

- i. Number of policies
- ii. Total premium income
- iii. Sum assured

Allocation of expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

21. Leases:

- a) **Operating Lease:** Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating lease. Operating lease rentals are recognized as an expense over the lease period on a straight-line basis.

Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the Revenue/Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term. Cost, including depreciation are recognised as expense in the Revenue/ Profit and Loss Account.

- b) **Finance Lease:** Leases under which the Corporation assumes substantially all the risks and the rewards of ownership of the asset are classified as finance lease. Such leased asset acquired is capitalised at fair value of the asset or present value of the minimum lease rental payment at the inception of the lease, whichever is lower.

22. Funds for future appropriations:

For Non- linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating 'Policy Holders' or to 'Shareholders', has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation's 'Policy holders' fund. In respect of participating policies any allocation to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is required to be held within the 'policyholders' fund till the point at which the policyholders' can no longer revive their policy.

23. Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the requirement of Master circular on Unclaimed amount of Policyholders IRDA/F&A/CIR/Misc/282/ 11/2020 dated November 17, 2020 and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 as amended from time to time:

- a) Assets of unclaimed amounts of policyholders are disclosed in Schedule 12 "Advances and Other Assets", forming part of Balance Sheet. Corresponding income on unclaimed assets is shown under "Interest, Dividend & Rent- Gross" in Revenue Account.
- b) Income earned on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis.
- c) Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) as per requirement of IRDAI regulations.

24. Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund:

Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund, which is part of Non-Participating fund, is treated as Income of the respective accounting period under Non- Participating business. Consequently amount (net of Tax) pertaining to the accretion on the ASM has been transferred from Non- Participating to Shareholders Fund along with equal amount of Assets.

(ब) खातों के लिए टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

अनु.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
क.	आंशिक रूप से चुकता निवेश	727.85	604.96
ख.	निगम द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न की गई पॉलिसियों के अलावा अन्य दावों (पॉलिसी से संबंधित दावों के अलावा मुकदमे के तहत दावे सहित)	736.44	944.49
ग.	अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं बकाया	शून्य	शून्य
घ.	निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां/लेटर ऑफ कम्फर्ट	6.07	0.08
ङ.	विवाद में वैधानिक मांगों/दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है (ब्याज और जुर्माना सहित, यदि कोई हो)	24,110.85	15,278.37
च.	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
छ.	अन्य:-		
	मुकदमेबाजी के तहत नीति संबंधी दावे	569.67	511.19
	कुल	26,150.88	17,339.09

2. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
ऋण और निवेश	7,311.45	1,615.04
अचल सम्पत्ति	967.60	1,058.80

3. पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमान:

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत और समूह अनुबंधों के तहत लिंकड और गैर-लिंकड व्यवसाय शामिल हैं। गैर-लिंकड व्यवसाय में सहभागी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन पॉलिसियों और गैर-भागीदारी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं, जो समूह पॉलिसियों के साथ गैर-भाग लेने वाले आश्वासनों के तहत लिखी गई हैं। लिंक किए गए व्यवसाय में समूह अनुबंधों के तहत लिखे गए लिंकड एश्योरेंस व्यवसाय के बहुत कम अनुपात के साथ गैर-भाग लेने वाली आश्वासन/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं। इनमें से कुछ पॉलिसियों में राइडर जुड़े होते हैं जैसे कि गंभीर बीमारी, प्रीमियम छूट लाभ, टर्म एश्योरेंस और दुर्घटना लाभ, जिसमें दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ शामिल हैं।

31 मार्च, 2025 तक हमारी बहियों में व्यक्तिगत और समूह पॉलिसियों के लिए मूल्यांकन दायित्व, मूल्यांकन की संभावित सकल प्रीमियम पद्धति या लागू ना हुए प्रीमियम रिजर्व का उपयोग करके प्रत्येक पॉलिसी के लिए बीमांकिक रूप से गणना की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पॉलिसी के लिए रिजर्व कम से कम गारंटीड सरेंडर मूल्य या विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिसी के तहत रिजर्व पर पहुंचते समय नकारात्मक रिजर्व शून्य पर सेट हो।

लिंकड व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को मूल्यांकन की तारीख को इकाइयों के कुल शुद्ध संपत्ति मूल्य के रूप में लिया जाता है। लिंकड व्यवसाय के तहत गैर-इकाई देयता की गणना रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

देनदारियों की गणना ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, व्यय, मुद्रास्फीति और बोनस के लिए जहां भी लागू हो, मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर की जाती है। सर्वोत्तम अनुमान मान्यताओं की गणना पिछले अनुभव विश्लेषण और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के आधार पर की जाती है। विनियमन और एक्चुरियल प्रैक्टिस मानकों के अनुसार सर्वोत्तम अनुमान मान्यताओं पर मार्जिन को ध्यान में रखने के बाद मूल्यांकन मान्यताओं पर पहुंची जाती है।

समूह नकद संचय योजनाओं के लिए देयता को मूल्यांकन तिथि पर ऐसी सभी योजनाओं के निधि मूल्य के रूप में लिया गया है। समूह बीमा योजनाओं के संबंध में देयता अगले वार्षिक नवीनीकरण तिथि तक की अवधि के आधार पर अनर्जित जोखिम प्रीमियम के रूप में निकाली गई है।

(B) NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities:

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a.	Partly paid-up investments	727.85	604.96
b.	Claims, other than against policies not acknowledged as Debts by the corporation (including claim under litigation other than policy related claims)	736.44	944.49
c.	Underwriting commitments outstanding	Nil	Nil
d.	Guarantees/letter of comfort given by or on behalf of the Corporation	6.07	0.08
e.	Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for (including interest & penalty, if any)	24,110.85	15,278.37
f.	Reinsurance obligations to the extent not provided for	Nil	Nil
g.	Others:-		
	Policy related claims under litigation	569.67	511.19
	TOTAL	26,150.88	17,339.09

2. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Loans and Investment	7,311.45	1,615.04
Fixed Assets	967.60	1,058.80

3. Actuarial Assumptions for valuation of Policy liabilities:

The Corporation's Life Insurance Business consists of linked and non-linked business under Individual and Group contracts. The non-linked business consists of Participating Assurance /Annuity / Pension policies and Non-participating Assurance / Annuity /Pension / Individual Health policies and Group policies written under non-participating assurances. The linked business consists of Non-participating Assurance / Pension / Individual Health policies with a very small proportion of linked assurance business written under Group contracts. Some of these policies have riders attached to them such as Critical Illness, Premium Waiver Benefit, Term Assurance and Accident Benefit including Accidental Death & Disability Benefit.

The Valuation liability for Individual and Group policies in our books as at 31st March, 2025, has been calculated actuarially for each policy by using Prospective Gross Premium Method of valuation or unexpired premium reserve as applicable. It is ensured that the reserve for each policy is at least equal to the Guaranteed Surrender Value or Special Surrender Value, whichever is higher. It is also ensured that negative reserve is set to zero while arriving at the reserve under a policy.

The unit liability in respect of Linked business is taken as the total Net Asset Value of the units as on the date of valuation. The non-unit liability under the linked business is calculated using the discounted cash flow method.

The liabilities are calculated based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses wherever applicable. The best estimate assumptions are calculated based on the past experience analysis and expected future experience. The valuation assumptions are arrived at after factoring in margins on the best estimate assumptions as per the Regulations and Actuarial Practice Standards.

The liability for Group Cash Accumulation schemes has been taken as the fund value of all such schemes as on the date of valuation. The liability in respect of One Year Renewable Group Term Assurance schemes has been arrived at as unearned risk premium based on period up to next Annual Renewal Date.

उपयोग की गई ब्याज की मूल्यांकन दरें योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रकृति और अवधि के आधार पर 5.65% से 7.38% प्रति वर्ष तक होती हैं। बोनस दर अनुमानों को ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप बनाया गया है।

उपयोग की गई मृत्यु दर प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत वार्षिक मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका पर आधारित हैं, तथा रुग्णता दर गंभीर बीमारी आधार तालिका (सीआईबीटी 93 यूके) / पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय अनुमान या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी के अनुसार या इनके संयोजन के रूप में निकाला गया था। व्यक्तिगत व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रति पॉलिसी व्यय का नवीनीकरण योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति और व्यय मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त धारणा के अनुसार भिन्न होता है। व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में नवीनीकरण प्रीमियम संबंधी खर्चों में योजना के प्रकार के आधार पर प्रीमियम पर जीएसटी, जहां भी लागू हो, शामिल है।

सहभागी नीतियों का मूल्यांकन करते समय, कराधान के लिए भत्ता और शेयरधारकों को अधिशेष का आवंटन अनुबंध की शेष अवधि के लिए आरक्षित भावी प्रत्यावर्ती बोनसों को उचित रूप से रेटिंग देकर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के संबंध में देयता के लिए आरक्षित निधियां प्रदान की गई हैं; प्रीमियम छूट लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ सहित दोहरा दुर्घटना लाभ, वापसी योग्य अतिरिक्त प्रीमियम और वापसी योग्य डबल दुर्घटना लाभ प्रीमियम के संबंध में देयता, भुगतान की गई पॉलिसियों का पुनरुद्धार, भुगतान मूल्य प्राप्त नहीं करने वाली पॉलिसियों की बहाली, व्यय में तत्काल वृद्धि के मामले में नए व्यवसाय के लिए कार्यालय बंद है, एड्स / एचआईवी के कारण उप मानक जीवन के संबंध में अतिरिक्त जोखिम, हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई मौतें (IBNR) और तबाही। इसके अलावा, लिंकड योजनाओं के मामले में, जहां परिपक्वता पर गारंटी है, ऐसी गारंटी की लागत स्टोकेस्टिक विधियों का उपयोग करके निकाली गई है। बीमा खाता II के लिए, ब्याज गारंटी की लागत प्रदान की गई है। उन योजनाओं के लिए जहां ऐसे विकल्प हैं जिनका पॉलिसीधारकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सबसे कठिन विकल्प लिया गया है। फ्यूचर विनियोग (एफएफए) के लिए फंड नॉन लिंकड और लिंकड दोनों तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निगम के बोर्ड ने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 और एलआईसी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 28 के तहत आवश्यक अधिशेष वितरण नीति के तहत सिंगल फंड को अलग-अलग सहभागी और गैर सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है। अधिशेष वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 95:5 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 92.5:7.5 और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 90:10 के रूप में पार नीतियों के लिए अधिशेष वितरण पैटर्न को अनिवार्य करती है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से गैर-पारस्परिक नीतियों के लिए 0:100।

4. पॉलिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेश और उस पर आय के आवंटन का आधार:

पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में धारित निवेशों से होने वाली आय को संबंधित निधियों में ले जाया गया है।

पॉलिसीधारकों के निवेश पर संचालन और आय से उत्पन्न निवेश योग्य अधिशेष, पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान शेयरधारकों के फंड में की गई अभिवृद्धि को शेयरधारकों के फंड में निवेश किया जाता है।

5. पूर्व अवधि की मद:

आय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया जमा असमायोजित	0.01	0.00
कुल	0.01	0.00

The valuation rates of interest used vary according to the type of plan and ranges from 5.65% p.a. to 7.38% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions have been aligned to be consistent with the valuation rates of interest.

The mortality rates used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitants Mortality (2012-15) Ultimate Table and Morbidity rates are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93, UK) /Reinsurer's incidence rates.

The expense assumption for valuation was arrived at either as a percentage of premiums or as per policy or a combination of these. The renewal per policy expenses used for valuing individual business varies according to the type of Plan and status of the policy and with an appropriate assumption for expense inflation. Renewal Premium related expenses in respect of individual business include GST on premium, wherever applicable, depending on the type of Plan. While valuing Participating policies, the allowance for applicable taxation and allocation of surplus to shareholders has been made by appropriately rating up future Reversionary Bonuses reserved for the remaining duration of the contract.

Additionally, reserves have been provided for liability in respect of Premium Waiver Benefit, Double Accident Benefit including Permanent Disability Benefit, revival of paid up policies, reinstatement of policies which have not acquired paid up value, immediate increase in expenses in case the office is closed for new business, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), Catastrophe etc. Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided for. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options. Fund for Future Appropriations (FFA) for both Non-Linked and Linked lines of business has been provided for in the respective lines of Business.

The Board of the Corporation had approved in Financial Year 2021-22, bifurcation of the Single fund into separate Par and Non-Par funds as mandated under Section 24 of LIC Act, 1956, and the Surplus Distribution Policy required under the amended Section 28 of LIC Act, 1956. The Surplus Distribution Policy mandates the surplus distribution pattern for Par policies as 95:5 for the financial year 2021-22, 92.5:7.5 for the financial years 2022-23 and 2023-24, and 90:10 from financial year 2024-25 onwards and 0:100 for Non-Par policies from financial year 2021-22 onwards.

4. **Basis of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account:**

Income accruing on investments held in Policyholders' and Shareholders' funds have been taken to the respective funds.

The investible surplus, arising out of operations and income on Policyholders' investments, was invested in Policyholders' account. The accretions to Shareholders' fund during the year is invested in Shareholders' fund.

5. **Prior Period Items:**

The income includes following prior period items:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Rent Deposits Unadjusted	0.01	0.00
Total	0.01	0.00

व्यय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया, दर एवं अन्य कर	0.00	4.38
डीजल खर्च	0.01	0.05
प्रोत्साहन /नकद पुरस्कार	0.00	0.01
विद्युत प्रभार	0.00	0.02
अन्य विविध व्यय	0.27	0.00
बीमा ग्राम व्यय	0.00	0.04
मूल्यहास	12.76	0.05
मोटर कार खर्च	0.00	0.01
पोस्टेज और टेलिग्राम	0.00	0.01
दावा न किए गए और ओ/एस दावों पर ब्याज	0.00	(7.46)*
भोजन कूपन	0.00	0.02
रिटर्न दाखिल करने और पंजीकरण नवीनीकरण के लिए शुल्क	0.00	0.01
पूर्णतः/आंशिक रूप से किराए पर दिए गए प्रतिष्ठान व्यय	0.00	0.10
एजेंट प्रतियोगिता मूल्य	0.00	0.04
एसएसवाई के तहत छात्रवृत्ति	0.00	0.54
अन्य स्टाफ सुविधाएँ और लाभ - कक्षा I, II, III और IV	0.07	0.00
प्रिंटिंग और स्टेशनरी (निरंतर स्टेशनरी, फॉर्म, कार्ड, रिबन)	0.03	0.00
मेडिकल शुल्क	0.01	0.00
बैंक शुल्क (चालू खाता)	0.11	0.00
कार्यालय रखरखाव के लिए वरिष्ठ व्यावसायिक सहयोगियों को प्रतिपूर्ति	0.09	0.00
आईटी उपकरणों के लिए केबलिंग व्यय	0.01	0.00
सिटी कैरियर एजेंटों को स्टाइपेंड	0.02	0.00
एलआईसी एसोसिएट्स को दिया जाने वाला कार्यालय रखरखाव भत्ता	0.01	0.00
कुल	13.39	(2.18)

*दावा न की गई और बकाया वार्षिकियां देय न होने वाले वार्षिक खाते में स्थानांतरित कर दी गईं और इन राशि पर अर्जित ब्याज उलट दिया गया।

*उपरोक्त उल्लिखित पूर्व अवधि की मदों को राजस्व खाते में अलग से प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

6. दावा

तुलन पत्र की तिथि - 31 मार्च, 2025 तक, छह महीने से अधिक समय तक निपटाए गए और अवैतनिक दावों की संख्या।

विवरण	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मृत्यु दावें	709	13.57
परिपक्वता दावें	4,22,156	2,239.49

पी एंड जीएस व्यवसाय के लिए दावों की संख्या का डेटा उपलब्ध नहीं है। दावों की राशि में पी एंड जीएस डेटा शामिल है।

The expenses includes following prior period items:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Rent, Rates & Taxes	0.00	4.38
Cost of Diesel	0.01	0.05
Incentive/cash awards	0.00	0.01
Electricity charges	0.00	0.02
Other Miscellaneous Expenses	0.27	0.00
Bima Gram Expenses	0.00	0.04
Depreciation	12.76	0.05
Motor Car Expenses	0.00	0.01
Postage and Telegram	0.00	0.01
Interest on unclaimed and O/s claims	0.00	(7.46)*
Meal Coupons	0.00	0.02
Fee for filing of returns and for renewal registration	0.00	0.01
Wholly/Partly rented out Establishment Expenses	0.00	0.10
Agent Competition Prizes	0.00	0.04
Scholarship under SSY	0.00	0.54
Other Staff Amenities and Benefits – Class I, II, III & IV	0.07	0.00
Printing & Stationery (Continuous Stationery, Forms, Cards, Ribbons)	0.03	0.00
Medical Fees	0.01	0.00
Bank Charges (Current Account)	0.11	0.00
Reimbursement to Senior Business Associates towards office maintenance	0.09	0.00
Cabling expenses for IT Equipments	0.01	0.00
Stipend to City Career Agents	0.02	0.00
Office Maintenance Allowance paid to LIC Associates	0.01	0.00
Total	13.39	(2.18)

*Annuities Unclaimed and outstanding were transferred to Annuity not payable account and interest accrued on these amount were reversed.

The above mentioned prior period items have not been disclosed separately in the Revenue Account as the impact of the same is not material.

6. Claims

The claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months, as on the Balance Sheet date - 31st March, 2025.

	Number of Claims*	Amount (₹ in Crore)
Claims by Death	709	13.57
Claims by Maturity	4,22,156	2,239.49

*Number of claims data is not available for P & GS business. Amount of claims includes P & GS data.

7. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल राशि	आयु अनुसार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीने से अधिक
बीमाधारक/पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किसी भी कारण से पॉलिसीधारकों/बीमित को भुगतान नहीं किया गया दावा	57.84 (229.44)	0.00 (0.32)	0.00 (21.22)	0.00 (13.27)	0.09 (11.09)	0.49 (31.34)	0.33 (17.55)	56.32 (134.65)	0.61 (0.00)
बीमित/पॉलिसीधारकों को परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि	6,982.81 (16,312.24)	0.22 (15.46)	233.78 (1,184.72)	462.22 (976.07)	448.05 (1,086.38)	371.12 (939.02)	423.87 (1,175.39)	4,963.39 (10,933.75)	80.16 (1.45)
प्रीमियम/कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है	6.35 (1,166.03)	0.00 (21.48)	0.02 (106.80)	0.11 (88.29)	0.24 (86.76)	0.27 (84.14)	0.26 (84.90)	5.17 (679.32)	0.28 (14.34)
चेक जारी किए लेकिन पॉलिसीधारक/बीमित द्वारा भुनाया नहीं गया	118.38 (207.23)	0.01 (0.00)	0.10 (0.03)	0.12 (10.34)	0.45 (1.40)	0.59 (3.02)	0.56 (2.73)	91.74 (187.38)	24.81 (2.33)

- नोट: 1. प्रति वर्ष 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अवधि के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
प्रारंभिक शेष	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि	842.35	0.00	2,404.22	0.00
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए)	0.00	0.00	(0.39)	0.00
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय	0.00	494.94	0.00	1,249.85
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि	9,399.22	2,320.40	3,620.96	413.31
घटा: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल)	226.09	141.18	505.30	270.59
दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03

7. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders:

(₹ in Crore)

Particulars	Total Amount	AGE WISE ANALYSIS							
		0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Claims Settled but not paid to the policyholders/ insured due to any reasons except under litigation from the insured/ policyholders	57.84 (229.44)	0.00 (0.32)	0.00 (21.22)	0.00 (13.27)	0.09 (11.09)	0.49 (31.34)	0.33 (17.55)	56.32 (134.65)	0.61 (0.00)
Sum due to the insured/ policyholders on maturity or otherwise	6,982.81 (16,312.24)	0.22 (15.46)	233.78 (1,184.72)	462.22 (976.07)	448.05 (1,086.38)	371.12 (939.02)	423.87 (1,175.39)	4,963.39 (10,933.75)	80.16 (1.45)
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	6.35 (1,166.03)	0.00 (21.48)	0.02 (106.80)	0.11 (88.29)	0.24 (86.76)	0.27 (84.14)	0.26 (84.90)	5.17 (679.32)	0.28 (14.34)
Cheques issued but not encashed by the policyholder/insured	118.38 (207.23)	0.01 (0.00)	0.10 (0.03)	0.12 (10.34)	0.45 (1.40)	0.59 (3.02)	0.56 (2.73)	91.74 (187.38)	24.81 (2.33)

Note: 1. Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30th, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.

2. Previous year figures are shown in bracket ().

b) Details of Unclaimed Amount and Investment Income

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2025		For the year ended 31 st March, 2024	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Opening Balance	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08
Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	842.35	0.00	2,404.22	0.00
Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	0.00	0.00	(0.39)	0.00
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	0.00	494.94	0.00	1,249.85
Less: Amount of claims paid during the year	9,399.22	2,320.40	3,620.96	413.31
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	226.09	141.18	505.30	270.59
Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03

8. भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार:

स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 3,483.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,177.46 करोड़)

9. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	असंबद्ध व्यवसाय		संबद्ध व्यवसाय	
	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	1,478.70	186.18	73.35	0.00
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	5,554.81	4,426.90	40.35	0.00

पेंशन व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय और सीआरएसी व्यवसाय के निवेश के संबंध में कोई अनुबंध बकाया नहीं था।

10. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वेतन और भत्ते	10.26	6.94
पेंशन में निगम का योगदान	0.58	0.28
अनुलाभों का कर योग्य मूल्य	1.91	1.52
कुल	12.75	8.74

उपरोक्त पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल नहीं है जो किताबों में अर्जित/भुगतान किया गया होगा। प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक पर नियुक्ति और निर्णय जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

अनु. गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का नाम	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1. डॉ. रंजन शर्मा	0.26	0.26
2. श्री विनोद कुमार वर्मा	0.17	0.16
3. प्रो. अनिल कुमार	0.24	0.21
4. श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	0.21	0.19
5. श्री महालिंगम जी	0.29	0.30
6. श्री राज कमल	0.25	0.24
7. डॉ. वी एस पार्थसारथी	0.23	0.22
8. श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	0.31	0.31
9. श्री संजीव नौटियाल	0.03	0.17

8. Encumbrances to assets of the Corporation in and outside India:

The assets of the Corporation are free from any encumbrances except, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with RBI (SLOC/CCIL) and Custodians: ₹ 3,483.57 Crore (Previous year ₹ 3,177.46 Crore).

9. Value of contracts in relation to Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	Non-Linked Business		Linked Business	
	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue
For the year ended March 31, 2025	1,478.70	186.18	73.35	0.00
For the year ended March 31, 2024	5,554.81	4,426.90	40.35	0.00

There were no contracts outstanding in relation to investments in respect of Pension business, Health Business and CRAC business.

10. Managerial Remuneration to Chairperson, Managing Directors & Key Managerial persons:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Salaries & Allowances	10.26	6.94
Corporation's contribution to Pension	0.58	0.28
Taxable Value of Perquisites	1.91	1.52
Total	12.75	8.74

The above remuneration excludes retirement benefits such as gratuity and leave encashment which would have accrued/paid in the books. The appointment and decision on remuneration of managerial personnel which includes the Chairperson and Managing Directors are done by the Government of India.

Remuneration to Non-Executive Directors and Independent Directors for the year ended March 31, 2025:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Name of Non-Executive and Independent Directors	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1.	Dr. Ranjan Sharma	0.26	0.26
2.	Shri Vinod Kumar Verma	0.17	0.16
3.	Prof. Anil Kumar	0.24	0.21
4.	Smt. Anjuly Chib Duggal	0.21	0.19
5.	Shri Mahalingam G	0.29	0.30
6.	Shri Raj Kamal	0.25	0.24
7.	Dr. V. S. Parthasarathy	0.23	0.22
8.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	0.31	0.31
9.	Shri Sanjeev Nautiyal	0.03	0.17

11. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	(क) असंबद्ध निवेश				(ख) संबद्ध निवेश
		शेयरधारकों का कोष	जीवन कोष	पी एंड जीएस कोष	यूनिट लिंक्ड (नॉन यूनिट कोष)	
31.03.2025 तक	पुस्तक मूल्य	12,681.46	7,08,206.17	1,39,235.10	1,599.68	39,478.16
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	12,448.44	13,27,730.57	1,67,111.63	1,738.62	47,119.86
31.03.2024 तक	पुस्तक मूल्य	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28

पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित के उचित मूल्य के आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत 31 मार्च, 2025 तक शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

12. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी हितलाभ के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

क) 31.03.2025 के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणना: -

दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर	8.15%	8.15%
वेतन वृद्धि	6%	6%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.37	11.72
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,745.77	15,311.19
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	1,220.30	1,186.62
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	683.59	580.49
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(2,629.21)	(1,262.60)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	822.59	(69.93)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,843.03	15,745.77
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1,220.30	1,186.62

11. Historical cost of investments valued on fair value basis is given below:

(₹ in Crore)

Financial Year	Particulars	(A) Non-Linked Investments				(B) Linked Investment
		Shareholder's Fund	Life Fund	P&GS Fund	Unit Linked (Non Unit Fund)	
As at March 31, 2025	Book Value	12,681.46	7,08,206.17	1,39,235.10	1,599.68	39,478.16
	Reported Value	12,448.44	13,27,730.57	1,67,111.63	1,738.62	47,119.86
As at March 31, 2024	Book Value	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	Reported Value	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28

Historical cost of investments valued on fair value basis for Capital Redemption & Annuity Certain Business as at March 31, 2025 is NIL (Previous year NIL).

12. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits are given below:

A) Employees' Gratuity Liability Calculation as at 31.03.2025: -

The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Salary Escalation	6%	6%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.37	11.72
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Obligations:-		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	15,745.77	15,311.19
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	1,220.30	1,186.62
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	683.59	580.49
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(2,629.21)	(1,262.60)
Actuarial (gain)/loss on obligations	822.59	(69.93)
Present Value of obligation as at the end of the year	15,843.03	15,745.77
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,745.77	15,311.19
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	1,220.30	1,186.62

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
योगदान	1,490.00	488.00
भुगतान किया गया लाभ	(2,629.21)	(1,262.60)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	16.18	22.55
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	1,236.47	1,209.17
योगदान	1,490.00	488.00
भुगतान किया गया लाभ	(2,629.21)	(1,262.60)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	16.18	22.55
V बीमांकिक लाभ / हानि मान्यता प्राप्त		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(822.59)	69.93
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(16.18)	(22.55)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	806.41	(92.49)
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	806.41	(92.49)
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,843.03	15,745.77
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	683.59	580.49
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	1,220.30	1,186.62
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1,220.30)	(1,186.62)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	806.41	(92.49)
राजस्व / लाभ एक हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,490.00	488.00

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
Contributions	1,490.00	488.00
Benefits paid	(2,629.21)	(1,262.60)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	16.18	22.55
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,843.03	15,745.77
IV Table showing Fair value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,745.77	15,311.19
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Actual return on Plan Assets	1,236.47	1,209.17
Contributions	1,490.00	488.00
Benefits paid	(2,629.21)	(1,262.60)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,843.03	15,745.77
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	16.18	22.55
V Actuarial Gain/Loss Recognized		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	(822.59)	69.93
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(16.18)	(22.55)
Total (gain)/loss for the year	806.41	(92.49)
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	806.41	(92.49)
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	0.00	0.00
VI The amounts to be recognised in Balance Sheet and statements of Revenue/Profit and Loss		
Present Value of obligation as at the end of the year	15,843.03	15,745.77
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,843.03	15,745.77
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses at the end of year	0.00	0.00
Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	0.00	0.00
VII Expense recognised in the Statement of Revenue/ Profit and Loss		
Current Service Cost	683.59	580.49
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	1,220.30	1,186.62
Expected return on Plan Assets	(1,220.30)	(1,186.62)
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	806.41	(92.49)
Expenses recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss	1,490.00	488.00

ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्वः

कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धति के तहत मूल्यांकन तिथि तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथि के अनुसार छूट दी जाती है।

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.15%	8.15%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.37	11.72
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,685.48	6,232.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	518.12	483.00
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	86.90	74.40
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(991.45)	(614.83)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्वों पर	450.51	510.61
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,749.56	6,685.48
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	518.12	483.00
योगदान	534.00	570.00
भुगतान किया गया लाभ	(991.45)	(614.83)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	3.41	15.01
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	521.54	498.01

B) Group Privilege Leave Encashment Liability:

The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Salary Escalation	6.00%	6.00%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.37	11.72
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Obligations:-		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	6,685.48	6,232.30
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	518.12	483.00
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	86.90	74.40
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(991.45)	(614.83)
Actuarial (gain)/loss on obligations	450.51	510.61
Present Value of obligation as at the end of the year	6,749.56	6,685.48
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,685.48	6,232.30
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	518.12	483.00
Contributions	534.00	570.00
Benefits paid	(991.45)	(614.83)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	3.41	15.01
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,749.56	6,685.48
IV Table showing Fair value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,685.48	6,232.30
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Actual return on Plan Assets	521.54	498.01

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
योगदान	534.00	570.00
भुगतान किया गया लाभ	(991.45)	(614.83)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
निध्दिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	3.41	15.01
V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:-		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(450.51)	(510.61)
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(3.41)	(15.01)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	447.10	495.60
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	447.10	495.60
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि: –		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,749.56	6,685.48
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
निध्दिक स्थिति	100.00%	100.00%
वर्ष के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	86.90	74.40
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	518.12	483.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(518.12)	(483.00)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	447.10	495.60
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	534.00	570.00

ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देयता:

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धति जहां मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथि तक की वेतन में होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते हैं। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है।

प्रमुख धारणाएं हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
Contributions	534.00	570.00
Benefits paid	(991.45)	(614.83)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,749.56	6,685.48
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	3.41	15.01
V Actuarial Gain/Loss Recognized:-		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	(450.51)	(510.61)
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(3.41)	(15.01)
Total (gain)/loss for the year	447.10	495.60
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	447.10	495.60
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	0.00	0.00
VI The amounts to be recognised in Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss:-		
Present Value of obligation as at the end of the year	6,749.56	6,685.48
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	6,749.56	6,685.48
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses at the end of the year	0.00	0.00
Net Asset/(Liability) recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
VII Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss		
Current Service Cost	86.90	74.40
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	518.12	483.00
Expected return on Plan Assets	(518.12)	(483.00)
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	447.10	495.60
Expenses recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss	534.00	570.00

C) Employees Pension Scheme 1995-Liability:

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) Discount Rate & (2) Salary Increase.

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.15%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.07	6.48
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	9,498.52	8,451.75
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	5,026.93	14,982.29
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(10,156.66)	(10,998.18)
बीमांकिक लाभ/दायित्वों पर (हानि)	1,787.55	1,070.91
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	9,498.52	8,451.75
योगदान	6,491.85	15,782.13
भुगतान किया गया लाभ	(10,156.66)	(10,998.18)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	322.63	271.07
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
बीमांकिक लाभ	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	9,821.15	8,722.82
योगदान	6,491.85	15,782.13
भुगतान किया गया लाभ	(10,156.66)	(10,998.18)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
निधिक स्थिति		
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	322.63	271.07

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in Salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of Pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.07	6.48
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Obligations:-		
Present Value of Obligation at the beginning of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	9,498.52	8,451.75
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	5,026.93	14,982.29
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(10,156.66)	(10,998.18)
Actuarial gain/(loss) on obligations	1,787.55	1,070.91
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair value of Plan assets at beginning of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Acquisition Adjustment	0.00	0.00
Expected Return on Plan Assets	9,498.52	8,451.75
Contributions	6,491.85	15,782.13
Benefits Paid	(10,156.66)	(10,998.18)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	322.63	271.07
Fair Value of Plan Assets at end of year	1,28,717.94	1,22,561.60
IV Table showing Fair value of Plan Assets:-		
Fair value of plan assets at beginning of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Actuarial gain	0.00	0.00
Actual Return on Plan Assets	9,821.15	8,722.82
Contributions	6,491.85	15,782.13
Benefits Paid	(10,156.66)	(10,998.18)
Fair value of plan assets at the end of year	1,28,717.94	1,22,561.60
Funded Status		
Excess of actual over estimated return on plan assets	322.63	271.07

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:-		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	1,787.55	1,070.91
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजनागत संपत्ति	322.63	271.07
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	1,464.92	799.84
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,464.92	799.84
अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियां		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	5,026.93	14,982.29
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	9,498.52	8,451.75
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(9,498.52)	(8,451.75)
सक्षिप्त लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,464.92	799.84
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	6,491.85	15,782.13

नोट: अतिरिक्त प्रकटीकरण भाग (ग) के अंतर्गत नोट सं. 20 और 22 देखें।

घ) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयता:

प्रमुख धारणाएं हैं (1) रियायती दर और (2) वेतन वृद्धि।

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर	8.15%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.01	6.34

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
V Actuarial Gain/Loss Recognized:-		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	1,787.55	1,070.91
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	322.63	271.07
Total gain / (loss) for the year	1,464.92	799.84
Actuarial gain / (loss) recognized in the year	1,464.92	799.84
Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI The amounts to be recognized in Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss A/c		
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
VII Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss A/c		
Current Service Cost	5,026.93	14,982.29
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	9,498.52	8,451.75
Expected Return on Plan Assets	(9,498.52)	(8,451.75)
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial gain/ (loss) recognized in the year	1,464.92	799.84
Expenses recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss A/c	6,491.85	15,782.13

Refer Note no. 20 and 22 under part (C) Additional Disclosures.

D) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:

The principal assumptions are the (1) Discount Rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.01	6.34

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:—		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	270.93	254.57
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	21.00	19.73
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	12.98	17.67
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(18.78)	(24.15)
बीमांकिक लाभ/दायित्वों पर (हानि)	6.30	3.11
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	292.43	270.93
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:—		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	270.93	254.57
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	21.00	19.73
योगदान	18.03	20.06
भुगतान किया गया लाभ	(18.78)	(24.15)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.25	0.72
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	292.43	270.93
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:—		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	270.93	254.57
बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	22.25	20.45
योगदान	18.03	20.06
भुगतान किया गया लाभ	(18.78)	(24.15)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	292.43	270.93
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	1.25	0.72
V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:—		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	6.30	3.11
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजनागत संपत्ति	1.25	0.72

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Obligations:-		
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	270.93	254.57
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	21.00	19.73
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	12.98	17.67
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(18.78)	(24.15)
Actuarial gain/ (loss) on Obligations	6.30	3.11
Present Value of Obligation at the end of the year	292.43	270.93
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair value of plan assets at beginning of the year	270.93	254.57
Acquisition Adjustment	0.00	0.00
Expected Return on Plan Assets	21.00	19.73
Contributions	18.03	20.06
Benefits Paid	(18.78)	(24.15)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	1.25	0.72
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	292.43	270.93
IV Table showing Fair value of Plan Assets:-		
Fair value of plan assets at the beginning of the year	270.93	254.57
Actuarial gain/loss	0.00	0.00
Actual Return on Plan Assets	22.25	20.45
Contributions	18.03	20.06
Benefits Paid	(18.78)	(24.15)
Fair value of plan assets at the end of the year	292.43	270.93
Funded Status	Funded	Funded
Excess of actual over estimated return on plan assets	1.25	0.72
V Actuarial Gain/Loss Recognized:-		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	6.30	3.11
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	1.25	0.72

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	5.05	2.39
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.05	2.39
अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	292.43	270.93
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	292.43	270.93
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	12.98	17.67
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	21.00	19.73
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(21.00)	(19.73)
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.05	2.39
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	18.03	20.06

13. डेरिवेटिव संविदाएं:

निगम गारंटीकृत उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें पॉलिसीधारकों को भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रीमियम के लिए एक निश्चित दर पर रिटर्न का आश्वासन दिया जाता है। ये प्रीमियम लंबी अवधि में प्राप्त होने की संभावना है और गारंटीकृत रिटर्न की दर पॉलिसी अवधि की शुरुआत में तय की जाती है। ब्याज दरों में किसी प्रकार की गिरावट का अर्थ होगा कि निगम के प्रत्येक वृद्धिशील निवेश पर कम दर पर रिटर्न मिलेगा। तदनुसार निगम भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परिपत्र संख्या IRDA/F&I/INV/CIR/138/06/2014 दिनांक 11 जून, 2014 (ब्याज दर व्युत्पन्न पर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण परिपत्र) और मई 2024 में जारी IRDAI निवेश मास्टर परिपत्र के अनुसार ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है, जो बीमाकर्ताओं को रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न जैसे कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (“एफआरए”), ब्याज दर स्वेप (“आईआरएस”) और एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर वायदा (“आईआरएफ”) में सौदा करने की अनुमति देता है।

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जो ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए बचाव रणनीति को प्रमाणित करने हेतु किए गए व्युत्पन्न लेनदेन के कामकाज पर लागू विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिससे बाजार ब्याज दरों में भिन्नता के कारण भविष्य के निश्चित आय निवेश से रिटर्न की अस्थिरता का प्रबंधन किया जा सके।

वर्ष के दौरान निगम ने अग्रिम दर समझौते (एफआरए) लेनदेन किए हैं, जो निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिरक्षा रणनीति का हिस्सा है, ताकि ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर आईआरडीएआई परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता को हेज किया जा सके।

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
Total gain / (loss) for the year	5.05	2.39
Actuarial gain / (loss) recognized in the year	5.05	2.39
Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI The Amounts to be recognized in Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss A/c		
Present Value of Obligation at the end of the year	292.43	270.93
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	292.43	270.93
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00
VII Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss A/c		
Current Service Cost	12.98	17.67
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	21.00	19.73
Expected Return on Plan Assets	(21.00)	(19.73)
Curtailement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial gain/ (loss) recognized in the year	5.05	2.39
Expenses Recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss A/c	18.03	20.06

13. Derivative Contracts:

The Corporation offers guaranteed products wherein the policyholders are assured of a fixed rate of return for premiums to be received in future. These premiums are likely to be received over a longer tenure and the guaranteed rate of return is fixed at the beginning of the policy term. Any fall in interest rates would mean that each incremental investment of the Corporation would earn a lower rate of return. Accordingly the Corporation manages the Interest Rate Risk in accordance with the IRDAI circular no. IRDA/F&I/INV/CIR/138/06/2014 dated 11 June, 2014 (the IRDAI Circular on Interest Rate Derivatives) and IRDAI Investment Master Circular issued in May 2024 which allows insurers to deal in rupee interest rate derivatives such as Forward Rate Agreements ("FRAs"), Interest Rate Swaps ("IRS") and Exchange Traded Interest Rate Futures ("IRF").

The Corporation has in place a derivative policy approved by Board which covers various aspects that apply to the functioning of the derivative transactions undertaken to substantiate the hedge strategy to mitigate the interest rate risk, thereby managing the volatility of returns from future fixed income investment, due to variations in market interest rates.

During the year the Corporation has entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions, as part of Corporation's Board approved Hedging strategy, to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives.

फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट डेरिवेटिव अनुबंध ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) लेनदेन हैं, जिसमें निगम एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर सरकारी बॉन्ड पर उपज को एफआरए अनुबंध के समय तय की गई कीमत पर लॉक-इन करता है, जिसका उद्देश्य भविष्य की तारीख पर ब्याज देने वाली सुरक्षा की कीमत को लॉक करना है।

निगम द्वारा डेरिवेटिव्स (एफआरए) का कार्य केवल निम्नलिखित पूर्वानुमानित लेनदेन के कारण ब्याज दर जोखिमों की हेजिंग के उद्देश्य से किया जाता है: क) विद्यमान निश्चित आय निवेशों की परिपक्वता आय का पुनर्निवेश; ख) प्राप्त होने वाली ब्याज आय का निवेश; तथा ग) बीमा अनुबंधों पर प्राप्त होने वाली अपेक्षित पॉलिसी प्रीमियम आय, जो पहले से ही जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में लिखित हैं।

क. बकाया डेरिवेटिव संविदाओं का स्वरूप और शर्तें

I. वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर करार (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/ अप्रैल/2064	1,160.00	-
कुल	1,160.00	-

II. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर करार (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/ अप्रैल/2064	1,040.00	-
कुल	1,040.00	-

III. ब्याज दर व्युत्पन्न का काल्पनिक मूलधन और मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है तथा 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर समझौतों (एफआरए) की अनुमानित मूल राशि बकाया है और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।	-	-
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं।	-	-
कुल	-	-

IV. वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर व्युत्पन्न अनुबंधों के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहेंगे।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर व्युत्पन्न अनुबंधों (फॉरवर्ड दर समझौते) के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहेंगे*	9.08	-
कुल	9.08	-

*एफआरए प्रतिपक्षियों की सकारात्मक / अनुकूल एमटीएम स्थिति का सकल आधार पर प्रकटन किया गया है। प्रतिपक्षी जोखिम को कम करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) में सहमति के अनुसार प्रतिपक्षियों से मार्जिन धन एकत्र किया जाता है।

Forward Rate Agreement derivative contracts are over-the counter (OTC) transactions wherein, the Corporation lock-in the yield on the government bond at a specified future date at a price decided at the time of the FRA contract with an objective to lock in the price of an interest bearing security at a future date.

Derivatives (FRA) are undertaken by Corporation solely for the purpose of hedging interest rate risks on account of following forecasted transactions: a) Reinvestment of maturity proceeds of existing fixed income investments. b) Investment of interest income receivable; and c) Expected policy premium income receivable on insurance contracts which are already underwritten in Life, Pension & Annuity business.

A. Nature and term of outstanding derivative contract

I. Total notional exposure of Interest Rate Derivative undertaken during the year (instrument-wise).

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	1,160.00	-
Total	1,160.00	-

II. Total notional exposure of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet Date (Instrument-wise).

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	1,040.00	-
Total	1,040.00	-

III. Notional Principal and mark-to-market value of Interest Rate Derivative outstanding and not 'highly effective'.

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Notional principal amount of Forward Rate Agreements (FRA) outstanding and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	-	-
Mark-to-market value of Forward Rate Agreement (FRA) and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	-	-
Total	-	-

IV. Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts.

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts (Forward rate agreement)*	9.08	-
Total	9.08	-

* Positive/Favourable MTM position of FRA counterparties has been disclosed on gross basis. Margin money is collected from counterparties as agreed in Credit Support Annex (CSA) to reduce above counterparty risk.

V. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में उचित मूल्य मार्क टू मार्केट (एमटीएम) लाभ या (हानि) नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर करार (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/ अप्रैल/2064	9.08	-
कुल	9.08	-

VI. प्रतिरक्षा उतार- चढ़ाव रिजर्व में संचलन

(₹ करोड़ में)

प्रतिरक्षा उतार- चढ़ाव रिजर्व लेखा	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
	प्राप्त	अप्राप्त	कुल	प्राप्त	अप्राप्त	कुल
वर्ष के प्रारंभ में शेष	0	0	0	-	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्तन	0.37	10.25	10.62	-	-	-
घटाएं: राजस्व/लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत राशियाँ खाता 'ब्याज, लाभांश और किराया-सकल' में शामिल है	(0.0007)	0	(0.0007)	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	0.37	10.25	10.62	-	-	-

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व खाते से निकाली गई राशि पूर्वानुमानित लेनदेन के संबंध में है जिसके लिए पहले प्रतिरक्षा लेखा का उपयोग किया गया था, लेकिन अब ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)। प्रतिरक्षा से नकदी प्रवाह अंतर्निहित पॉलिसी देनदारियों की बकाया अवधि के दौरान होने की उम्मीद है और तदनुसार राजस्व खाते में प्रवाहित होगा।

ख. निश्चित आय डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटीकरण:

व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन:

क) निश्चित आय डेरिवेटिव्स प्रतिरक्षा लिखत

डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें होती हैं जिनकी विशेषताएं अंतर्निहित परिसंपत्तियों, या ब्याज और विनिमय दरों या सूचकांकों से प्राप्त होती हैं। इनमें फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ब्याज दर स्वैप और ब्याज दर वायदा शामिल हैं।

निगम ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता की प्रतिरक्षा करने के लिए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स (एफआरए) लेनदेन में प्रवेश किया है। निगम सट्टेबाजी के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न नहीं है।

ख) व्युत्पन्न नीति / प्रक्रिया और प्रतिरक्षा प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

निगम ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव नीति और प्रक्रिया दस्तावेज को अच्छी तरह से परिभाषित किया है, जिसमें रणनीतिक उद्देश्य, विनियामक और परिचालन रूपरेखा तथा ब्याज दर डेरिवेटिव से जुड़े जोखिम, साथ ही मापन, निगरानी प्रक्रिया और नियंत्रण शामिल हैं। समय-समय पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन और लेखांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

निगम ने निवेश निर्णय, व्यापार निष्पादन, निपटान लेखांकन और ब्याज दर व्युत्पन्न जोखिमों की आवधिक रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे की निगरानी की जाती है।

V. The fair value mark to market (MTM) gains or (losses) in respect of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet date is stated below:

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	9.08	-
Total	9.08	-

VI. Movement in Hedge Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

Hedge Fluctuation Reserve Account	As at March 31, 2025			As at March 31, 2024		
	Realized	Unrealized	Total	Realized	Unrealized	Total
Balance at the beginning of the year	0	0	0	-	-	-
Add : Change during the year	0.37	10.25	10.62	-	-	-
Less: Amounts reclassified to Revenue/ Profit & Loss Account included in 'Interest, Dividends & Rent-Gross'	(0.0007)	0	(0.0007)	-	-	-
Balance at the end of the year	0.37	10.25	10.62	-	-	-

The amount that was removed from Hedge Fluctuation Reserve account during the year ended March 31, 2025 in respect of forecasted transaction for which hedge accounting had previously been used, but is no longer expected to occur is Nil (Previous year Nil). The cash flows from the hedges are expected to occur over the outstanding tenure of underlying policy liabilities and will accordingly flow to the Revenue Account.

B. Qualitative Disclosures on risk exposure in Fixed Income Derivatives:

Overview of business and processes:

a) Fixed Income Derivative Hedging instruments

Derivatives are financial instruments whose characteristics are derived from the underlying assets, or from interest and exchange rates or indices. These include forward rate agreements, interest rate swaps and interest rate futures.

The Corporation has during the year, as part of its Hedging strategy, entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives. The Corporation does not engage in derivative transactions for speculative purpose.

b) Derivative policy/process and Hedge effectiveness assessment:

The Corporation has well defined Board approved Derivative Policy and Process document setting out the strategic objectives, regulatory and operational framework and risks associated with interest rate derivatives along with having measurement, monitoring processes and controls thereof. The accounting policy has been clearly laid out for ensuring a process of periodic effectiveness assessment and accounting.

The Corporation has clearly identified roles and responsibilities to ensure independence and accountability through the investment decision, trade execution, to settlement accounting and periodic reporting and audit of the Interest Rate Derivative exposures. The risk management framework for the Interest Rate Derivatives are monitored by the Risk management Committee.

ग) जोखिम पहचान, जोखिम मापन और जोखिम निगरानी का दायरा और प्रकृति:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव और संबंधित नीतियां ब्याज दर डेरिवेटिव में जोखिम के लिए संवेदनशीलता सीमाएं और मूल्य-जोखिम सीमाएं जैसी उचित बाजार सीमाएं निर्धारित करती हैं। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के सभी वित्तीय जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा और मॉनिटर किया जाता है।

घ) अग्रिम दर समझौते में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रतिरक्षा को तभी प्रभावी माना जाता है, जब इसमें प्रतिरक्षा किए गए मद और प्रतिरक्षा लिखत (एफआरए) के मूल्य में परिवर्तन के बीच उच्च सांख्यिकीय सहसंबंध हो। प्रतिरक्षा की अप्रभावीता से होने वाले लाभ या हानि, यदि कोई हो, को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

प्रतिरक्षा लिखत की अवधि अंतर्निहित प्रतिरक्षा की गई परिसंपत्ति / देयता की अवधि से कम या उसके बराबर हो सकती है।

ब्याज दर डेरिवेटिव - प्रतिपक्षकार का एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1. प्रति पक्षकार का नाम	1. बैंक आफ अमेरिका	-
	2. कोटक महिंद्रा बैंक	-
	3. जे पी मोर्गन चेज बैंक	-
	4. एचएसबीसी बैंक	-
2. प्रतिरक्षा का पदनाम	नकद प्रवाह प्रतिरक्षा	-
3. डेरिवेटिव संविदा	अग्रिम दर करार	-
4. क्रेडिट एक्सपोजर	40.90	-
5. ब्याज दर में 1 बीपीएस की वृद्धि पर संभावित प्रभाव		
डेरिवेटिव	(4.39)	-
संबंधित आस्ति जिसकी प्रतिरक्षा की जा रही हो	4.39	-

एफआरए डेरिवेटिव्स के लिए ऋण जोखिम सीमा की गणना वर्तमान जोखिम विधि (सीईएम) का उपयोग करके ऋण समतुल्य राशि के आधार पर की गई है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

सीईएम का उपयोग करके गणना की गई बाजार से संबंधित ऑफ-बैलेंस शीट लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि का योग है।

क) वर्तमान ऋण जोखिम (अनुबंध का सकल सकारात्मक बाजार मूल्य): और

ख) संभावित भावी ऋण जोखिम, जो बकाया अनुबंध में अनुमानित मूल राशि का एक उत्पाद है और एक कारक जो ब्याज दर व्युत्पन्न पर भारतीय बीमा परिपत्र के तहत निर्धारित अनिवार्य ऋण रूपांतरण कारकों पर आधारित है, जो अनुबंध की शेष परिपक्वता पर लागू होता है।

(ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण:

1) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

शाखा	प्रतिभूतियों का प्रकार	पुस्तक मूल्य 31.03.2025 तक	पुस्तक मूल्य 31.03.2024 तक
मॉरीशस*	बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा @ 1.35% & 1.15%	1.87	1.80
फ़िजी*	एफजीआर स्टॉक @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, और 5.46%	74.90	58.56
पी एंड जीएस	सावधि जमा	0.20	0.20

*उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में आयोजित किए जाते हैं और समापन विनिमय दर पर परिवर्तित होते हैं।

c) Scope and nature of risk identification, risk measurement, and risk monitoring:

The Derivative and related Policies as approved by the Board sets appropriate market limits such as sensitivity limits and value-at-risk limits for exposures in Interest rate derivatives. All financial risks of the derivative portfolio are measured and monitored on periodic basis.

d) Quantitative disclosure on risk exposure in Forward Rate Agreement

A hedge is deemed effective, if it has a high statistical correlation between the change in value of the hedged item and the hedging instrument (FRA). Gains or losses arising from hedge ineffectiveness, if any, are recognised in the Revenue Account.

The tenure of the hedging instrument may be less than or equal to the tenure of underlying hedged asset/liability.

Interest Rate Derivative - Counterparty exposure

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1. Name of the counterparty	1. Bank of America	-
	2. Kotak Mahindra Bank	-
	3. JP Morgan Chase Bank	-
	4. HSBC Bank	-
2. Hedge Designation	Cash flow Hedge	-
3. Derivative Contract	Forward Rate Agreement	-
4. Credit Exposure	40.90	-
5. Likely impact of 1 bps increase in interest rate		
Derivative	(4.39)	-
Underlying being hedged	4.39	-

The Credit Exposure limit for FRA derivatives has been calculated on the basis of Credit Equivalent Amount using the Current Exposure Method (CEM) as detailed below:

The Credit Equivalent Amount of a market related off-balance sheet transaction calculated using the CEM is the sum of

- The current credit exposure (gross positive mark to market value of the contract); and
- Potential future credit exposure which is a product of the notional principal amount across the outstanding contract and a factor that is based on the mandated credit conversion factors as prescribed under the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives which is applied on the residual maturity of the contract.

(C) ADDITIONAL DISCLOSURES:

1) Investments made in accordance with the statutory requirements

(₹ in Crore)

Branch	Type of Securities	Book Value As at 31.03.2025	Book Value As at 31.03.2024
Mauritius*	Fixed Deposit with Bank of Baroda @ 1.35% & 1.15%	1.87	1.80
Fiji*	FGR Stock @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, and 5.46%	74.90	58.56
P & GS	Fixed Deposit	0.20	0.20

*The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.

- 2) आय की पहचान के उद्देश्य से निष्पादित/गैर-निष्पादित निवेशों में अलगाव। (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
निवेश निष्पादित:	5,70,364.87	5,21,183.55
गैर-निष्पादित निवेश:	8,442.89	10,697.53

- 3) पुनर्रचना के अधीन परिसंपत्तिया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पुनर्संरचना के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	882.84	566.11
पुनर्संरचना के अधीन मानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	882.84	15.44
पुनर्संरचना के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	0.00	0.00
पुनर्संरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली संपत्तियों की कुल राशि	0.00	550.67

- 4) क्षेत्रवार व्यवसाय का प्रतिशत

विवरण	वर्ष के लिए	
	31.03.2025	31.03.2024
ग्रामीण व्यवसाय	67.62%	47.72%
शहरी व्यवसाय	32.38%	52.28%
सामाजिक क्षेत्र (बीमित जीवन की संख्या % में)	12.63%	5.73%

- 5) अवधारित और बीमाकृत जोखिम: (% में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम
प्रथम वर्ष का प्रीमियम	99.92	0.08	99.85	0.15
परवर्ती प्रीमियम	99.74	0.26	99.75	0.25
एकल प्रीमियम	100.00	0.00	100.00	0.00

नोट: उपरोक्त आंकड़े निगम द्वारा अर्जित कुल प्रीमियम और कुल पुनर्बीमा के आधार पर तैयार किये गये हैं।

- 6) बंद पॉलिसियों - संबंध व्यवसाय: (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
बंद पॉलिसियों की नीतियों के लिए निधि		
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष	407.87	177.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड	1,015.96	558.01
घटाये: वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि	670.99	346.44
जोड़ें: निधि के निवेश पर शुद्ध आय/लाभ	57.24	22.34
घटाये: निधि प्रबंधन शुल्क	3.38	1.53
घटाये: वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि	1.91	1.73
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष	804.79	407.87

2) Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition.

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Performing investments	5,70,364.87	5,21,183.55
Non-performing investments	8,442.89	10,697.53

3) Assets Subject to Restructuring

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Total amount of loan assets subject to restructuring	882.84	566.11
Total amount of standard assets subject to restructuring	882.84	15.44
Total amount of sub standard assets subject to restructuring	0.00	0.00
Total amount of doubtful & loss assets subject to restructuring	0.00	550.67

4) Percentage of business sector-wise

Particulars	For the year ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Rural business	67.62%	47.72%
Urban business	32.38%	52.28%
Social Sector (No. of Lives Insured in %)	12.63%	5.73%

5) Risk Retained and Re-Insured:

(in %)

Particulars	For the year ended 31.03.2025		For the year ended 31.03.2024	
	Risk retained	Risk Insured	Risk retained	Risk Insured
First year premium	99.92	0.08	99.85	0.15
Renewal premium	99.74	0.26	99.75	0.25
Single premium	100.00	0.00	100.00	0.00

Note: The above data has been prepared based on the total premium earned and total premium reinsured by the Corporation.

6) Discontinued policies – Linked Business

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended / as at 31.03.2025	For the year ended / as at 31.03.2024
Fund for Discontinued Policies		
Opening Balance of Fund for Discontinued Policies	407.87	177.22
Add: Fund of policies discontinued during the Year	1,015.96	558.01
Less: Fund of policies revived/Paid during the Year	670.99	346.44
Add: Net Income/Gains on Investment of the Fund	57.24	22.34
Less: Fund Management Charges levied	3.38	1.53
Less: Amount refunded to Policy Holders during the Year	1.91	1.73
Closing Balance of Fund for Discontinued Policies	804.79	407.87

अन्य प्रकटीकरण:

विवरण	न्यू एंडोमेंट प्लस (835)	न्यू एंडोमेंट प्लस (935)	एसआई आईपी (852)	निवेश प्लस (849)	न्यू पेन्शन प्लस (867)	इन्डेक्स प्लस (873)	न्यू एंडोमेंट प्लस (735)	निवेश प्लस (749)	एसआई आईपी (752)
वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या	350 (572)	16,648 (20,595)	73,974 (80,458)	70 (21)	34,528 (37,029)	2,08,560 (5,499)	30 (0)	2 (0)	496 (0)
वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत	1.10 (1.46)	44.82 (52.99)	39.87 (44.60)	0.01 (0)	17.92 (32.02)	42.58 (7.23)	9.23 (0)	0 (0)	4.86 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या	0 (3)	7,382 (8,367)	42,963 (44,563)	0 (0)	18,241 (18,978)	98,428 (1)	0 (0)	0 (0)	78 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों का प्रतिशत	0.00 (0.52)	44.34 (40.63)	58.08 (55.39)	0 (0.00)	52.83 (51.25)	47.19 (0.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	15.73 (0.00)
बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	0.0012 (0.0049)	3.00 (3.60)	15.00 (15.93)	0.0063 (0.0038)	6.72 (7.58)	25.22 (0.24)	0.0017 (0.00)	0.0008 (0.00)	0.03 (0.00)
पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार (₹ करोड़ में)	0.00 (0.0002)	1.43 (1.58)	8.92 (9.13)	0.00 (0.00)	3.84 (4.30)	13.72 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.0038 (0.00)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

7) IRDAI द्वारा निर्धारित अनुपात

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
1	नव व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (खण्ड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन	198.65%	18.57%
	ख) पेंशन	69.87%	11.44%
	ग) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	-12.91%	-13.44%
	ख) वार्षिकी	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ग) पेंशन	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी युक्त:		
	क) जीवन	0.22%	35.44%
	ख) वार्षिकी	7.65%	0.12%

Other Disclosures:

Particulars	New Endowment Plus (835)	New Endowment Plus (935)	SIIP (852)	Nivesh Plus (849)	New Pension Plus (867)	Index Plus (873)	New Endowment Plus (735)	Nivesh Plus (749)	SIIP (752)
Number of policies discontinued during the Year	350 (572)	16,648 (20,595)	73,974 (80,458)	70 (21)	34,528 (37,029)	2,08,560 (5,499)	30 (0)	2 (0)	496 (0)
Percentage of discontinued to total policies during the Year	1.10 (1.46)	44.82 (52.99)	39.87 (44.60)	0.01 (0)	17.92 (32.02)	42.58 (7.23)	9.23 (0)	0 (0)	4.86 (0)
Number of policies revived during the Year	0 (3)	7,382 (8,367)	42,963 (44,563)	0 (0)	18,241 (18,978)	98,428 (1)	0 (0)	0 (0)	78 (0)
Percentage of policies revived during the Year	0.00 (0.52)	44.34 (40.63)	58.08 (55.39)	0 (0.00)	52.83 (51.25)	47.19 (0.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	15.73 (0.00)
Charges imposed on account of discontinued policies (₹ in Crore)	0.0012 (0.0049)	3.00 (3.60)	15.00 (15.93)	0.0063 (0.0038)	6.72 (7.58)	25.22 (0.24)	0.0017 (0.00)	0.0008 (0.00)	0.03 (0.00)
Charges readjusted on account of revival of policies (₹ in Crore)	0.00 (0.0002)	1.43 (1.58)	8.92 (9.13)	0.00 (0.00)	3.84 (4.30)	13.72 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.0038 (0.00)

* Previous year figures are shown in bracket ().

7) Ratios as prescribed by IRDAI

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
1	New Business Premium Growth Rate (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life	198.65%	18.57%
	b) Pension	69.87%	11.44%
	c) Health	NA	NA
	d) Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life	-12.91%	-13.44%
	b) Annuity	NA	NA
	c) Pension	NA	NA
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	Non-Participating:		
	a) Life	0.22%	35.44%
	b) Annuity	7.65%	0.12%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	ग) पेंशन	-0.73%	-17.04%
	घ) स्वास्थ्य	-68.27%	-55.58%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
2	एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	48.21%	43.47%
3	कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से संबद्ध नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	19.88%	7.70%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	99.86%	99.86%
5	संरक्षण अनुपात (खंड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	123.37%	119.69%
	ख) पेंशन	117.82%	128.89%
	ग) स्वास्थ्य	88.65%	88.50%
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी :		
	क) जीवन	91.84%	92.00%
	ख) वार्षिकी	86.05%	87.34%
	ग) पेंशन	87.79%	88.43%
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	66.10%	62.53%
	ख) वार्षिकी	83.89%	153.76%
	ग) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह)	28.34%	37.53%
	घ) स्वास्थ्य	83.86%	80.14%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	92.74%	77.46%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकीसहित	90.06%	82.04%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय	12.42%	15.57%
7	कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार से)	5.18%	5.46%
8	व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय का नव व्यापार प्रीमियम से	0.02%	प्रयोजनीय नहीं
9	ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क / प्रभार का नव व्यवसाय प्रीमियम से अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
10	पॉलिसीधारकों की निधि का शेयरधारकों की निधि से अनुपात	43.18	62.73
11	निवल संपत्ति में परिवर्तन (राशि ₹ करोड़ में)	44,249.58	36268.76

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
	c) Pension	-0.73%	-17.04%
	d) Health	-68.27%	-55.58%
	e) Variable Insurance	NA	NA
2	Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	48.21%	43.47%
3	Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	19.88%	7.70%
4	Net Retention Ratio	99.86%	99.86%
5	Conservation Ratio (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life (Individual and Group)	123.37%	119.69%
	b) Pension	117.82%	128.89%
	c) Health	88.65%	88.50%
	d) Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life	91.84%	92.00%
	b) Annuity	86.05%	87.34%
	c) Pension	87.79%	88.43%
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	Non-Participating:		
	a) Life (Individual and Group)	66.10%	62.53%
	b) Annuity	83.89%	153.76%
	c) Pension (Individual and Group)	28.34%	37.53%
	d) Health	83.86%	80.14%
	e) Variable Insurance	92.74%	77.46%
	CRAC	90.06%	82.04%
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	12.42%	15.57%
7	Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium)	5.18%	5.46%
8	Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium	0.02%	NA
9	Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium	NA	NA
10	Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds	43.18	62.73
11	Change in net worth (Amount in ₹ Crore)	44,249.58	36268.76

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
12	निवल मूल्य में वृद्धि	54.00%	79.42%
13	अधिशेष का पॉलिसीधारक निधि से अनुपात	0.0088	0.01
14	कर पश्चात लाभ/कुल आय	5.43%	4.74%
15	(कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति)	0.03	0.03
16	कुल निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)**	41.82	60.62
17	कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)	0.36	0.57
18	निवेश प्रतिफल – (सकल और निवल) – फंड वार और प्राप्त लाभ के साथ/बिना* वार्षिकी		
	(अ) अप्राप्त लाभ के बिना		
	पॉलिसीधारकों की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	8.15%	8.59%
	असंबद्ध गैर सहभागी	9.65%	9.60%
	संबद्ध	9.17%	9.71%
	कुल	8.65%	8.93%
	अंशधारको की निधियाँ	6.93%	8.02%
	(ब) अप्राप्त लाभ के साथ		
	पॉलिसीधारक की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	7.51%	17.89%
	असंबद्ध गैर सहभागी	7.88%	19.43%
	संबद्ध	8.81%	27.31%
	कुल	7.64%	18.46%
	अंशधारको की निधियाँ	6.81%	8.07%
19	सततावृत्ति अनुपात – प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)**		
	13वें महीने के लिए	74.84%	77.66%
	25वें महीने के लिए	70.99%	71.00%
	37वें महीने के लिए	66.11%	65.47%
	49वें महीने के लिए	61.51%	66.31%
	61वें महीने के लिए	63.12%	60.88%
	सततावृत्ति अनुपात – प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.43%	99.51%
	25वें महीने के लिए	98.70%	98.70%
	37वें महीने के लिए	97.24%	97.79%
	49वें महीने के लिए	96.26%	96.50%
	61वें महीने के लिए	94.95%	94.62%
	सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए	64.12%	66.99%
	25वें महीने के लिए	59.32%	57.47%

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
12	Growth in Networth	54.00%	79.42%
13	Ratio of Surplus to Policyholders' Fund	0.0088	0.01
14	Profit after tax / Total Income	5.43%	4.74%
15	(Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets)	0.03	0.03
16	Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus)**	41.82	60.62
17	Total Affiliated Investments/(Capital+ Reserves and Surplus)	0.36	0.57
18	Investment Yield - (Gross and Net) - Fund wise and With/Without realised gain *Annualised		
	(A) Without unrealized gain		
	Policyholder's Fund: Non-Linked Par	8.15%	8.59%
	Non-Linked Non Par	9.65%	9.60%
	Linked	9.17%	9.71%
	Total	8.65%	8.93%
	Shareholder's Fund	6.93%	8.02%
	(B) With unrealized gain		
	Policyholder's Fund: Non-Linked Par	7.51%	17.89%
	Non-Linked Non Par	7.88%	19.43%
	Linked	8.81%	27.31%
	Total	7.64%	18.46%
	Shareholder's Fund	6.81%	8.07%
19	Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/ Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	74.84%	77.66%
	For 25 th month	70.99%	71.00%
	For 37 th month	66.11%	65.47%
	For 49 th Month	61.51%	66.31%
	For 61 st month	63.12%	60.88%
	Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/ Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.43%	99.51%
	For 25 th month	98.70%	98.70%
	For 37 th month	97.24%	97.79%
	For 49 th Month	96.26%	96.50%
	For 61 st month	94.95%	94.62%
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	64.12%	66.99%
	For 25 th month	59.32%	57.47%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	37वें महीने के लिए	52.66%	52.50%
	49वें महीने के लिए	48.79%	53.23%
	61वें महीने के लिए	50.31%	48.59%
	सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.47%	99.52%
	25वें महीने के लिए	98.75%	98.70%
	37वें महीने के लिए	97.29%	97.28%
	49वें महीने के लिए	95.66%	95.92%
	61वें महीने के लिए	94.47%	94.60%
20	एनपीए अनुपात		
	पॉलिसीधारकों की निधि		
	असंबद्ध सहभागी सकल एनपीए अनुपात	1.76%	2.54%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	असंबद्ध गैर सहभागी सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	संबद्ध सकल एनपीए अनुपात	30.17%	12.56%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	कुल सकल एनपीए अनुपात	1.46%	2.01%
	कुल शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	अंशधारकों की निधि		
	सकल एनपीए अनुपात	1.38%	1.68%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
21	ऋण शोधन क्षमता अनुपात (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)	2.11	1.98
22	ऋण इक्विटी अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
23	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
24	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
25	औसत टिकट आकार ₹ – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)	19,310.94	16,766.81
	जीवन बीमाकर्ताओं के लिए इक्विटी होल्डिंग पैटर्न और आय संबंधी जानकारी:		
1.	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	632.50	632.50
2.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	भारतीय	99.85%	99.81%
	विदेशी	0.15%	0.19%

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
	For 37 th month	52.66%	52.50%
	For 49 th Month	48.79%	53.23%
	For 61 st month	50.31%	48.59%
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.47%	99.52%
	For 25 th month	98.75%	98.70%
	For 37 th month	97.29%	97.28%
	For 49 th Month	95.66%	95.92%
	For 61 st month	94.47%	94.60%
20	NPA Ratio		
	Policyholders' Funds		
	Non-linked Par Gross NPA Ratio	1.76%	2.54%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Non-linked Non Par Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	CRAC Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Linked Gross NPA Ratio	30.17%	12.56%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Total Gross NPA Ratio	1.46%	2.01%
	Total Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Shareholders' Funds		
	Gross NPA Ratio	1.38%	1.68%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
21	Solvency Ratio (Within India business)	2.11	1.98
22	Debt Equity Ratio	NA	NA
23	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA
24	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA
25	Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)	19,310.94	16,766.81
	Equity Holding Pattern for Life Insurers and information on earnings:		
1.	No. of shares (in crores)	632.50	632.50
2.	Percentage of shareholding		
	Indian	99.85%	99.81%
	Foreign	0.15%	0.19%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
3.	सरकारी हिस्सेदारी का प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	96.50%	96.50%
4.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले मूल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
5.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले डायल्यूटेड ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
6.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद मूल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
7.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद डायल्यूटेड ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
8.	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	199.51	129.55

पिछली अवधि के अनुपातों को पुनर्समूहित आंकड़ों पर निकाला जाता है

8) संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण:

(संबंधित पक्षकार का संबंध जैसा कि निगम द्वारा पहचाना गया है)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित पक्षकार प्रकटन पर लेखा मानक (एएस 18) के अनुसार, संबंधित पक्षकार/ निगम के संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं:

क) सहायक कंपनियां:

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड
एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड
एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)
एलआईसी (लंका) लिमिटेड
एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड

ख) सहयोगी कंपनियां

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

ग) संयुक्त उद्यम:

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप. इश्योरेन्स

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
3.	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)	96.50%	96.50%
4.	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
5.	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
6.	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
7.	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
8.	Book value per share (₹)	199.51	129.55

Previous Period's Ratios are worked out on regrouped figures wherever necessary.

"NA" : Not available

8) RELATED PARTY DISCLOSURE:

(Related Party Relationship as identified by the Corporation)

As per the Accounting Standard on Related Party Disclosures (AS 18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties/joint ventures of the Corporation are as follows:

A) Subsidiary Companies:

LIC Pension Fund Ltd.
 LIC Card Services Ltd.
 Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.
 Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.
 Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)
 Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.
 Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

B) Associate Companies

LIC Housing Finance Ltd.
 LICHFL Asset Management Company Ltd.
 LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
 LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.
 IDBI Bank Ltd.
 IDBI Trusteeship Services Ltd.

C) Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance

घ) निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति 31.03.2025

निदेशक मंडल		
श्री सिद्धार्थ मोहंती	अध्यक्ष	29.04.2023 से प्रभावी
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	30.06.2024 से प्रभावी
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	28.06.2023 से प्रभावी
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	13.03.2023 से प्रभावी
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	01.04.2023 से प्रभावी
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	20.07.2023 से प्रभावी
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	01.09.2023 से प्रभावी
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	20.01.2022 से प्रभावी
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति		
श्री रत्नाकर पटनायक	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	10.04.2023 से प्रभावी
श्री सुधाकर रविन्द्रनाथ	कार्यकारी निदेशक (विपणन/उत्पाद विकास) एवं मुख्य विपणन अधिकारी	01.08.2022 से प्रभावी
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से प्रभावी
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	17.01.2017 से प्रभावी 17.01.2020 को पुनः नियुक्त, 17.01.2023 को पुनः नियुक्त
श्री कृष्णा कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सी जी /आर सी /जी.जे.एफ.) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	11.04.2023 से प्रभावी
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	मुख्य जोखिम अधिकारी	19.03.2025 से प्रभावी
श्रीमती बेल्ला पॉल	प्रमुख (प्रभारी) बोर्ड एवं सचिवीय	18.01.2024 से प्रभावी
श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	18.01.2024 से प्रभावी

ङ) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(3) के तहत व्यवसाय के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा धारित नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक पद युक्त विवरण।

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
1.	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड - एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन - एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड

D) Board of Directors & Key Managerial Personnels as at 31.03.2025

Board of Directors		
Shri Siddhartha Mohanty	Chairman	w.e.f. 29.04.2023
	Chief Executive Officer & Managing Director	w.e.f. 30.06.2024
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	w.e.f. 28.06.2023
Shri Jagannath M	Managing Director	w.e.f. 13.03.2023
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	w.e.f. 01.04.2023
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	w.e.f. 20.07.2023
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	w.e.f. 01.09.2023
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Prof. Anil Kumar	Independent Director	w.e.f. 20.01.2022
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Mahalingam G	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Raj Kamal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Key Managerial Personnels		
Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer	w.e.f. 10.04.2023
Shri Sudhakar Ravindranath	Executive Director (Marketing/Product Development) & Chief Marketing Officer	w.e.f. 01.08.2022
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	w.e.f. 01.04.2022
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	w.e.f. 17.01.2017 Reappointed on 17.01.2020 again on 17.01.2023
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp Gov/GJF/Reg. Comp) & Chief Compliance Officer	w.e.f. 11.04.2023
Shri Shatmanyu Shrivastava	Chief Risk Officer	w.e.f. 19.03.2025
Smt. Bella Paul	Chief in-charge (Board & Secretarial)	w.e.f. 18.01.2024
Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer	w.e.f. 18.01.2024

E) Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business under section 11(3) of the Insurance Act, 1938.

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31st March, 2025
1.	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	- LIC Pension Fund Limited - LIC Golden Jubilee Foundation - LIC (Nepal) Limited

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
			- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड - एलआईसी (लंका) लिमिटेड - एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) बहरीन - एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड - केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - जीवन बीमा परिषद - बीमा लोकपाल परिषद - भारतीय बीमा ब्यूरो (IIB) की शासी परिषद - भारतीय बीमा संस्थान - बीमा सलाहकार समिति (IRDAI अधिनियम, 1999) - भारतीय एक्चुअरीज संस्थान की परिषद - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड - आई.टी.सी. लिमिटेड - सी.आई.आई. (भारतीय उद्योग परिसंघ)
2.	डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	- भारतीय सामान्य बीमा निगम - नाबार्ड - आई आर डी ए आई (IRDAI) (अंशकालिक सदस्य) - बैंक ऑफ बड़ौदा
3.	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (ट्रस्टी) - एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कं. लि. - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - एलआईसी बी.एस.सी. (सी) बहरीन - बीएसई लिमिटेड - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4.	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - भारतीय बीमा संस्थान - आई.टी.सी. होटल्स लिमिटेड
5.	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड - भारतीय बीमा संस्थान - महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड - आई.डी.बी.आई लिमिटेड

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 st March, 2025
			• LIC Housing Finance Limited • LIC Mutual Fund Asset Management Limited • LIC (Lanka) Limited • LIC Cards Services Limited • LIC (International) BSC (c) Bahrain • LIC (Singapore) Pte. Ltd. • Kenindia Assurance Co. Ltd. • Life Insurance Council • Council of Insurance Ombudsman • Governing Council of Insurance Bureau of India (IIB) • Insurance Institute of India • Insurance Advisory Committee (IRDAI Act, 1999) • Council of the Institute of Actuaries of India • National Insurance Academy • Larsen & Turbo Limited • ITC Limited • CII (Confederation of Indian Industry)
2.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	• General Insurance Corporation of India • NABARD • IRDAI (Part-Time member) • Bank of Baroda
3.	Shri Jagannath M	Managing Director	• LIC Golden Jubilee Foundation (Trustee) • LICHFL Asset Management Company Ltd. • LIC Housing Finance Ltd. • LIC BSC (c) Bahrain • BSE Limited • National Insurance Academy • Grasim Industries Limited
4.	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	• LIC Cards Services Limited • LIC (Nepal) Ltd. • LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd. • National Stock Exchange of India Limited • National Insurance Academy • Insurance Institute of India • ITC Hotels Limited
5.	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	• LIC Golden Jubilee Foundation • National Insurance Academy • LIC Bangladesh Limited • Insurance Institute of India • Mahindra & Mahindra Limited • IDBI Bank Limited

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
6.	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी एचएफएल केयर्स होम्स लिमिटेड - एलआईसी (लंका) लिमिटेड - नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड - बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन - नेशनल इश्योरेंस एकेडमी - एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन - एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोविडेंट फंड नंबर 1 - मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी - भारतीय बीमा संस्थान
7.	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	• -
8.	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	• -
9.	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	- उधमोदय फाउंडेशन - दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन
10.	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	- जिलेट इंडिया लिमिटेड - भारत की प्रकृति संरक्षण
11.	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	- सिटी युनियन बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IFSC) लिमिटेड - केयर रेटिंग्स लि. - सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड - डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	- एसएमआईटी कंसल्टिंग डीएमसीसी, (यूएई में निगमित) - ट्रांस-फाई इंक - ट्राइडेंट लिमिटेड - ट्रांस-फाई पीटीई लिमिटेड - ट्रांस-फाई यूएबी - ट्रांस-फाई टेक्नोलॉजी एलएलसी - पीटी ट्रांस-फाई इंडोनेशिया मेरडेका - नियोमनी इंक - ट्रांसफाई इनोवेशन लिमिटेड
13.	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	- रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड - ग्रासरूट ट्रेडिंग नेटवर्क फॉर वुमेन (GTNFW) धारा 8 की कंपनी - किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड - इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड - आईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड - ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड - गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड - एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड - एवरएनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड - आईआईएम मुंबई (पूर्व राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान) (सोसायटी) - पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड - मेपल इफ्रा इनवित इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 st March, 2025
6.	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	- LIC HFL Cares Homes Limited - LIC (Lanka) Ltd. - National Commodity & Derivatives Exchange Limited - Bima Sugam India Federation - National Insurance Academy - LIC Golden Jubilee Foundation - LIC of India Provident Fund No. 1 - Management Development Institute Society - Insurance Institute of India
7.	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	NIL
8.	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	NIL
9.	Prof. Anil Kumar	Independent Director	- Udhmodya Foundation - University of Delhi Foundation
10.	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	- Gillette India Ltd. - The Nature Conservancy India
11.	Shri Mahalingam G	Independent Director	- City Union Bank Limited - India International Bullion Exchange IFSC Limited - CARE Ratings Limited - Central Depository Services Ltd. - DSP Pension Fund Managers Private Limited
12.	Shri Raj Kamal	Independent Director	- SMIT Consulting DMCC, (incorporated in UAE) - Trans-Fi Inc - Trident Limited - TransFi Pte. Ltd. - Trans-Fi UAB - TransFi Technology LLC - Pt. TranFi Indonesia - NeoMoney Inc. - TransFi Innovation Limited
13.	Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	- RUDI Multi Trading Company Limited - Grassroot Network (GTNFW) a Section 8 company - Kids Clinic India Limited - Imperial Auto Industries Limited - IAI Industries Limited - Greencell Mobility Private Limited - Girnar Software Private Limited - NIIT Learning Systems Limited - Everenviro Resource Management Private Limited - IIM Mumbai (ex-National Institute of Industrial Engineering) (Society) - Pennar Industries Limited - Maple Infra InvIT Investment Manager Private Limited

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
14.	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	- हेरिटेज फूड्स लिमिटेड - सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नैस्डेक लिस्टेड) - ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमि - जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड - व्हील्स इंडिया लिमिटेड

च) उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के लेन-देन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार थी:

i) सहयोगी कंपनियां और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी					प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी	एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	
इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद	0.00	14.74 (15.59)	17,101.89 (17,774.49)	0.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड की बिक्री	0.00	0.00	16,260.96 (17,180.69)	0.00	0.00	0.00
ऋणों और बांडों / ऋणों का मोचन	2,000.00 (2,000.00)	12.07 (18.94)	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश से आय	1,008.55 (1165.42)	3.07 (7.38)	0.69 (0.50)	794.15 (529.41)	9.00 (7.65)	0.00
किराया	12.69 (12.62)	0.00	2.69 (2.94)	2.01 (2.17)	1.81 (1.85)	0.00
सिटिंग फीस	0.00	0.00	0.00	0.01 (0.00)	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति / भुगतान	3.61 (2.41)	0.10 (0.21)	0.15 (0.20)	23.32 (11.15)	0.06 (0.05)	0.00
कमीशन का भुगतान किया गया	0.00	0.00	0.00	77.40 (75.15)	0.00	0.00
पेंशन और समूह योजना	52.81 (26.26)	0.03 (0.02)	11.27 (0.27)	24.95 (109.89)	0.10 (0.04)	0.00
अन्य	0.00	0.00 (0.02)	0.01	16.19 (13.60)	0.00	0.00
सावधि जमा	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75 (8.74)
कुल	3,077.66 (3,206.71)	30.01 (42.16)	33,377.66 (34,959.09)	940.89 (741.37)	10.97 (9.59)	12.75 (8.74)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 st March, 2025
14.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	- Heritage Foods Limited - Sify Technologies Limited (Nasdaq Listed) - ONGC Petro Additions Limited - Geojit Investments Limited - Wheels India Limited

F) The nature and volume of transactions of the Corporation during the year ended on 31st March, 2025, with the above related parties were as follows:

i) Associates and Key Management Personnel

(₹ in Crore)

Particulars	Associates					Key Management Personnel
	LIC Housing Finance Ltd.	LIC HFL Assets Management Co. Ltd.	LIC Mutual Fund AM Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	
Purchase of Equity, Debts, Bonds and Mutual Fund	0.00	14.74 (15.59)	17,101.89 (17,774.49)	0.00	0.00	0.00
Sale of Mutual Fund	0.00	0.00	16,260.96 (17,180.69)	0.00	0.00	0.00
Redemption on Debts & Bonds / Loans	2,000.00 (2,000.00)	12.07 (18.94)	0.00	0.00	0.00	0.00
Income from Investment	1,008.55 (1165.42)	3.07 (7.38)	0.69 (0.50)	794.15 (529.41)	9.00 (7.65)	0.00
Rent	12.69 (12.62)	0.00	2.69 (2.94)	2.01 (2.17)	1.81 (1.85)	0.00
Sitting Fees	0.00	0.00	0.00	0.01 (0.00)	0.00	0.00
Reimbursement / payment towards other Administrative Expenses	3.61 (2.41)	0.10 (0.21)	0.15 (0.20)	23.32 (11.15)	0.06 (0.05)	0.00
Commission paid	0.00	0.00	0.00	77.40 (75.15)	0.00	0.00
Pension and Group Scheme	52.81 (26.26)	0.03 (0.02)	11.27 (0.27)	24.95 (109.89)	0.10 (0.04)	0.00
Others	0.00	0.00 (0.02)	0.01	16.19 (13.60)	0.00	0.00
Fixed Deposit etc.	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00
Managerial Remuneration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75 (8.74)
TOTAL	3,077.66 (3,206.71)	30.01 (42.16)	33,377.66 (34,959.09)	940.89 (741.37)	10.97 (9.59)	12.75 (8.74)

* Previous year figures are shown in bracket ().

ii) सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहायक कंपनियां						
	एलआईसी पेंशन फंड	एलआईसी कार्ड सर्विसेस	एलआईसी नेपाल लिमिटेड	एलआईसी बांग्लादेश	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
वार्षिक तकनीकी / आई. टी. समाधान शुल्क प्राप्त	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.09 (0.08)	1.60	0.00	0.04 (0.04)
आवेदन राशि	0.00	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजी निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00
किराया	0.84 (0.80)	1.08 (1.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभांश से आय	12.50 (10.00)	0.10 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति/भुगतान	2.44 (0.32)	10.77 (5.38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	14.09 (0.00)	4.05 (0.00)	0.43	0.59	2.12	0.34	0.37
सावधि जमा	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	29.87 (11.16)	40.00 (6.39)	81.30 (0.44)	0.68 (0.66)	3.72 (1.40)	14.38 (0.36)	0.41 (0.24)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

iii) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि 31.03.2025

क्रमांक	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंधों की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया राशि की राशि (₹ करोड़ में)		देय / प्राप्य	
			2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	10,896.46	12,907.45	प्राप्य	प्राप्य
2	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	3,955.77	3,090.87	प्राप्य	प्राप्य
3	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	110.69	247.23	देय	देय
4	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	35,529.64	33,776.53	प्राप्य	प्राप्य
5	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	1.26	0.53	प्राप्य	प्राप्य
6	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	50.02	50.30	प्राप्य	प्राप्य
7	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.58	0.66	देय	देय
8	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	2.00	0.0049	प्राप्य	प्राप्य

ii) Subsidiaries

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries						
	LIC Pension Fund	LIC Card Services	LIC Nepal Ltd.	LIC Bangladesh	LIC (International) B.S.C.(c) Bahrain	LIC (Lanka) Ltd.	LIC Singapore Pte. Ltd.
Annual Technical/ I.T. Solution fees received	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.09 (0.08)	1.60	0.00	0.04 (0.04)
Right Issue	0.00	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital Infusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00
Rent	0.84 (0.80)	1.08 (1.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend Income	12.50 (10.00)	0.10 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reimbursement / payment towards other Administrative Expenses	2.44 (0.32)	10.77 (5.38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	14.09 (0.00)	4.05 (0.00)	0.43	0.59	2.12	0.34	0.37
Fixed Deposit	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29.87 (11.16)	40.00 (6.39)	81.30 (0.44)	0.68 (0.66)	3.72 (1.40)	14.38 (0.36)	0.41 (0.24)

* Previous year figures are shown in bracket ().

iii) Outstanding balances with related parties as at 31.03.2025

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ In Crore)		Whether Payable / Receivable	
			2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	10,896.46	12,907.45	Receivable	Receivable
2	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	3,955.77	3,090.87	Receivable	Receivable
3	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	110.69	247.23	Payable	Payable
4	IDBI Bank Ltd.	Associate	35,529.64	33,776.53	Receivable	Receivable
5	LIC Cards Services Ltd.	Subsidiary	1.26	0.53	Receivable	Receivable
6	LIC Pension Fund Ltd.	Subsidiary	50.02	50.30	Receivable	Receivable
7	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Associate	0.58	0.66	Payable	Payable
8	LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd.	Associate	2.00	0.0049	Receivable	Receivable

9) प्रावधानों का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए रिजर्व का प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	14,943.06	14,943.06
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
जमा शेष	14,943.06	14,943.06

10) प्रबंधन का खर्च:

प्रबंधन के खर्च भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के कमीशन सहित प्रबंधन व्यय) विनियमन 2024 के अनुसार हैं।

11) खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित “खंडीय रिपोर्टिंग” पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम 2024 (‘विनियम’) के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार, निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन-पत्र तैयार की है, जैसे कि सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबंध (जीवन, पेंशन एवं स्वास्थ्य) एवं पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित व्यवसाय (CRAC)। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है। (अनुबंध-1 खंडीय रिपोर्टिंग पर)

12) विदेशी मुद्रा भंडार:

फिजी, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और गिफ्ट सिटी (गांधीनगर) में किए गए परिचालन गैर अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों का अनुवाद औसत विनियम दर और तुलन पत्र मदों को समापन दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनियम अंतर जो वर्ष 2010-11 तक राजस्व खाते में प्रभारित किया गया था, अब अनुसूची 6ए: बीमा आरक्षित (पॉलिसीधारक) और अनुसूची 6: आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारक) के तहत विदेशी मुद्रा भंडार में जमा हो गया है।

एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव रिजर्व इस प्रकार है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारक) अनुसूची 6	(1.09)	(0.60)
बीमा आरक्षित (पॉलिसीधारक) अनुसूची 6ए	826.98	754.23

13) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED ACT) के अन्तर्गत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, निगम के पास उक्त अधिनियम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया राशि निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया मूलधन राशि।	शून्य	शून्य
2	उपरोक्त 1 के अनुसार बकाया मूलधन पर अर्जित ब्याज।	शून्य	शून्य

9) **Movement of Provisions:**

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
1 Provision for reserve for solvency margin		
Opening Balance	14,943.06	14,943.06
Addition during the year	0.00	0.00
Deduction during the year	0.00	0.00
Closing Balance	14,943.06	14,943.06

10) **Expenses of Management:**

The Expenses of Management are in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management, including Commission, of Insurers) Regulation 2024.

11) **Disclosure on presentation of segmental Reporting:**

Based on the primary segments identified under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies Act, 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable Individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked (Life , Pension and Health) and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments. (Annexure – I on segmental reporting).

12) **Foreign Exchange Reserve:**

Operations carried out in Fiji, Mauritius, United Kingdom and Gift City (Gandhinagar) are of non integral nature. The Revenue Account items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate. Revaluation Exchange difference which was charged to Revenue Account till the year i.e. 2010-11 is now accumulated in Foreign Exchange Reserve under Schedule 6A: Insurance Reserves (Policyholders) and Schedule 6: Reserve and Surplus (shareholders).

The Exchange fluctuation reserve is as follows:-

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Reserve and Surplus (Shareholders) Schedule 6	(1.09)	(0.60)
Insurance Reserves (Policyholders) Schedule 6A	826.98	754.23

13) **The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:**

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT), the Corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Principal amount remaining unpaid to Micro, Small & Medium Enterprise.	Nil	Nil
2	Interest accrued on principal amount remaining unpaid as per 1 above.	Nil	Nil

अनु. क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
3	सेवाओं की सुपुदमी की तारीख से 15 दिन या सहमत समय के पश्चात वर्ष के दौरान मूलधन की धनराशि एवं भुगतान की गई ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
4	वर्ष के दौरान मूलधन पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान किया जाना शेष है	शून्य	शून्य
5	बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, जब तक उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	शून्य	शून्य

14) परिचालन व्यय प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल आउटसोर्सिंग व्यय	779.83	726.09
आउटसोर्सिंग व्यय का विवरण:		
1. हाउसकीपिंग / गेस्ट हाउस रखरखाव	161.73	151.25
2. खानपान	5.57	3.65
3. बागवानी	1.66	1.41
4. एएमसी	0.39	0.18
5. सुरक्षा	222.27	203.33
6. सलाहकार	2.58	1.01
7. स्वास्थ्य / टीपीए	0.35	0.55
8. कार्यालय रखरखाव	28.24	16.99
9. ईडीएमएस	73.99	82.00
10. सुविधा प्रबंधन	270.28	256.41
11. बीमांकिक सेवाएँ	0.51	0.00
12. आंतरिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.10	0.00
13. वैधानिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.12	0.00
14. अन्य विविध व्यय	12.04	9.31

15) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	प्राधिकरण	2024-2025			2023-2024		
		जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया	जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	232.86	0.01	0.00	375.42	0.01	0.00
3	आयकर प्राधिकरण	0.01	0.01	0.00	153.62	75.81	0.00
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण	0.01	0.01	0.00	0.07	0.07	0.00
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
3	Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery /rendering of services.	Nil	Nil
4	Interest due but yet to be paid on principal during the year.	Nil	Nil
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	Nil	Nil

14) Operating Expenses Disclosure:

(₹ in Crore)

Particular	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Total Outsourcing Expenses	779.83	726.09
Break up of Outsourcing Expenses:		
1. Housekeeping / Guest House Maintenance	161.73	151.25
2. Catering	5.57	3.65
3. Gardening	1.66	1.41
4. AMC	0.39	0.18
5. Security	222.27	203.33
6. Consultants	2.58	1.01
7. Health / TPA	0.35	0.55
8. Office Upkeep	28.24	16.99
9. EDMS	73.99	82.00
10. Facility Management	270.28	256.41
11. Actuarial Services	0.51	0.00
12. Internal Audit Services	0.10	0.00
13. Statutory Audit Services	0.12	0.00
14. Other Miscellaneous Expense	12.04	9.31

15) Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	2024-2025			2023-2024		
		Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced	Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GST/Service Tax Authorities	232.86	0.01	0.00	375.42	0.01	0.00
3	Income Tax Authorities	0.01	0.01	0.00	153.62	75.81	0.00
4	Any other Tax Authorities	0.01	0.01	0.00	0.07	0.07	0.00
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अनु. क्रमांक	प्राधिकरण	2024-2025			2023-2024		
		जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया	जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
6	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर	0.00	0.00	0.00	0.32	0.30	0.00
8	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
कुल		232.88	0.03	0.00	529.44	76.19	0.01

गैर अनुपालन/उल्लंघन का विवरण:

विवरण	2024-25	2023-24
रिटर्न भरने में देरी और कर के देर से भुगतान	0.01	0.11
पेशेवर कर का देर से प्रेषण	0.01	0.07
पॉलिसीधारकों के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया गया जुर्माना	0.00	0.03
सरकारी प्राधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना पॉलिसीधारक के अलावा	0.00	153.81
जीएसटी / सेवा कर प्राधिकरण	232.86	375.42
कुल	232.88	529.44

16) फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान:

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को फ्री-लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः ₹ 29.58 करोड़ और ₹ 28.02 करोड़ अप्रैल 2025 और अप्रैल 2024 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2025 और अप्रैल 2024 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले पूरी की गई पॉलिसियों से संबंधित है।

17) भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन की प्रगति:

भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन पर अंतर (गैप) विश्लेषण पूरा हो गया है और विनियामक को प्रस्तुत किया गया है। निगम विनियामक द्वारा अपेक्षित इंड एस अनुपालन प्रोफार्मा वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है।

लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को इस मामले में नियमित रूप से अवगत कराया जाता है।

18) दो कंपनियों को दी गई ऋण के तहत जमानत ₹ 628.60 करोड़ की राशि आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और नियत प्रक्रिया के तहत है (पिछले वर्ष दो कंपनियों के तहत, ₹ 628.60 करोड़ की राशि)।

Sl. No.	Authority	2024-2025			2023-2024		
		Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced	Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	0.00	0.00	0.00	0.32	0.30	0.00
8	Securities and Exchange Board of India	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Competition Commission of India	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Any other Central/State/Local Government/ Statutory Authority	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Total		232.88	0.03	0.00	529.44	76.19	0.01

Details of Non-compliance/Violation:

Particulars	2024-25	2023-24
Delay In return filing & late remittance of tax	0.01	0.11
Late remittance of professional tax	0.01	0.07
Penalty awarded by Court in favour of policyholders	0.00	0.03
Penalty awarded by Govt. Authority other than the policyholder matters	0.00	153.81
GST/ Service Tax Authority	232.86	375.42
Total	232.88	529.44

16) Provision for free-look period:

Provision for free-look period of ₹ 29.58 crores and ₹ 28.02 crores as at year end March 31, 2025 and March 31, 2024 respectively has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2025 and April 2024 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2025 and April 2024 pertained to the policies completed on or before March 31, 2025 and March 31, 2024 respectively.

17) Progress of implementation of Ind AS:

The Gap Analysis on implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) was completed and submitted to the Regulator. The Corporation is progressing on the preparation of Ind AS compliant Proforma Financial Statements as required by the Regulator.

The Audit Committee and Board of Directors have been updated regularly in this matter.

18) Security under debt extended to two companies amounting to ₹ 628.60 Crore is executed partially and is under due process (Previous Year under two companies, amounting to ₹ 628.60 Crore).

19) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 तक बकाया
रेपो (REPO) के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	2,108.18 (862.89)	35,163.08 (26,097.06)	12,845.45 (8,296.39)	18,639.94 (7,769.50)
1. सरकारी प्रतिभूतियां				
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

- 20) निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में परिशोधित किया जा रहा है, जो प्रति तिमाही ₹ 464.02 करोड़ होगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। शेष ₹ 6,496.25 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।
- 21) निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित सममूल्य खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होकर, तीन से अधिक नहीं बराबर वार्षिक किस्तों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए शेयरधारकों के खाते से ₹ 602.51 करोड़ की राशि पुनःपूर्ति की गई है। शेष ₹ 4,820.05 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी।
- 22) निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, सममूल्य खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए शेयरधारकों के खाते में जमा की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान शेयरधारकों के खाते में ₹ 456.42 करोड़ की राशि जमा की गई है। शेष ₹ 3,651.42 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक आने वाली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में जमा की जाएगी।

23) निवेश की हानि:

अस्थायी ह्रास के अलावा अन्य निवेशों के मूल्य में हानि का आकलन अवधि के लिए किया गया है और तदनुसार हानि प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (निवल) शीर्षक के तहत राजस्व खाते में मान्यता प्राप्त नुकसान में हानि के लिए प्रावधान/प्रत्यावर्तन।

24) प्रति शेयर आय (ईपीएस):-

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
शेयरधारकों के लिए निश्चित की गई आय (₹ करोड़ में)	48,151.18	40,675.79
ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
मूल ईपीएस (₹)	76.13	64.31
डायल्यूटेड ईपीएस (₹)	76.13	64.31

- 25) पट्टे:- निगम ने अपने कार्यालयों के लिए और स्टाफ क्वार्टर के रूप में कुछ संपत्तियों को किराए पर लिया है। 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 418.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 421.96 करोड़) का पट्टा किराया राजस्व खाते में डेबिट किया गया।

19) Repo/ Reverse Repo transactions for the year ended 31.03.2025

(₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31 st 2025
Securities sold under REPO				
1. Government Securities	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. Corporate Debt Securities				
Securities Purchased under reversed Repo				
1. Government Securities	2,108.18 (862.89)	35,163.08 (26,097.06)	12,845.45 (8,296.39)	18,639.94 (7,769.50)
2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

* Previous year figures are shown in bracket ().

- 20)** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crore pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an amount of ₹ 464.02 crore has been charged to Revenue Account for the quarter ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 6,496.25 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
- 21)** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 is being replenished from Shareholders' account in equal annual installments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 602.51 crore has been replenished from the Shareholders' account for the quarter ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 4,820.05 crore shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters up to Q4 of the FY 2026-27.
- 22)** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crore towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 456.42 crore has been charged to Shareholders' account during the quarter ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 3,651.42 crore shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters up to Q4 of the FY 2026-27.

23) Impairment of Investments:

The impairment in value of investments other than temporary diminution has been assessed for the period and accordingly impairment provisions have been provided.

Provision/(reversal) for impairment loss recognized in the Revenue Account under the head Provision for diminution in the value of investments (net).

24) Earnings per Share (EPS):

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Earnings attributable to Shareholders (₹ in Crore)	48,151.18	40,675.79
No. of equity shares for calculation of EPS	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
Basic EPS (₹)	76.13	64.31
Diluted EPS (₹)	76.13	64.31

- 25) Leases:** The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals amounting to ₹ 418.76 Crore (Previous year ₹ 421.96 Crore) debited to the Revenue Account for the year ended 31.03.2025.

26) आय पर कर के लिए लेखांकन:- 31 मार्च, 2025 तक आयकर के लिए प्रावधान नीचे दिया गया है: -

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व खाते में प्रभारित (₹ करोड़ में)	7,772.49	5,825.16
लाभ और हानि खाते में प्रभारित (₹ करोड़ में)	0.00	111.42
जीवन बीमा व्यवसाय के लिए लागू प्रभावी कर दर	14.56%	14.56%

27) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ:- ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़ में)

आस्तियाँ	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप मानक	11.92	6.76	10.80	6.13
संदिग्ध संपत्ति	7.56	7.25	608.23	607.76
हानि संपत्ति	8,423.41	8,423.41	10,078.50	10,078.50
कुल	8,442.89	8,437.42	10,697.53	10,692.39
मानक	5,70,364.87	2,675.52	5,21,183.55	2,489.82
कुल योग	5,78,807.76	11,112.94	5,31,881.08	13,182.21
	निवेश	एनपीए	निवेश	एनपीए
कुल	5,78,807.76	8,442.89	5,31,881.08	10,697.53
एनपीए प्रावधान	8,437.42	8,437.42	10,692.39	10,692.39
निवल स्थिति	5,70,370.34	5.47	5,21,188.69	5.14
सकल एनपीए %	1.46		2.01	
शुद्ध एनपीए %	0.00		0.00	

*ऊपर दर्शाई गई परिसंपत्तियाँ आईआरडीए द्वारा अनुसूची 8ए, 8बी और 9 में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रस्तुत की जाती हैं।

28) पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरण:

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है। पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:- (₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	पुनर्समूहित से	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित/ पुनर्निर्धारित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि	अंतर	कारण
1.	अनुसूची सं. 2	अनुसूची सं. 2				
	बिचौलियों को पुरस्कार और पारिश्रमिक	कमीशन (प्रथम वर्ष, नवीनीकरण और एकल)	1,960.48	1,960.48	0.00	आईआरडीएआई विनियमन 2024 के अनुसार।
2.	अनुसूची सं. 4	अनुसूची सं. 4				
	1. बीमा दावे ख. परिपक्वता दावे	1. बीमा दावे घ. आवधिक लाभ	55,347.91	55,347.91	0.00	आईआरडीएआई विनियमन 2024 के अनुसार।

26) Accounting for Taxes on Income: Provision for Income tax as at 31st March, 2025 is given below:-

Particulars	For the year ended March. 31, 2025	For the year ended March. 31, 2024
Charged to Revenue Account (₹ in Crore)	7,772.49	5,825.16
Charged to Profit & Loss Account (₹ in Crore)	0.00	111.42
Effective Tax Rate applicable for Life Insurance Business	14.56%	14.56%

27) Non - Performing Assets: Debt Portfolio

(₹ in Crore)

Assets	As at 31, March 2025		As at 31, March 2024	
	Asset	Provision	Asset	Provision
Sub-Standard	11.92	6.76	10.80	6.13
Doubtful Assets	7.56	7.25	608.23	607.76
Loss Assets	8,423.41	8,423.41	10,078.50	10,078.50
Total	8,442.89	8,437.42	10,697.53	10,692.39
Standard	5,70,364.87	2,675.52	5,21,183.55	2,489.82
Grand Total	5,78,807.76	11,112.94	5,31,881.08	13,182.21
	Investment	NPA	Investment	NPA
Gross	5,78,807.76	8,442.89	5,31,881.08	10,697.53
NPA Provision	8,437.42	8,437.42	10,692.39	10,692.39
Net Position	5,70,370.34	5.47	5,21,188.69	5.14
Gross NPA%	1.46		2.01	
Net NPA%	0.00		0.00	

* The assets shown above are presented under various categories in accordance with the formats prescribed by IRDA in Schedule 8A, 8B and 9.

28) Regrouping or reclassification:

Figures of the previous year have been re-grouped whenever necessary, to confirm to current year's classification. The details for regrouping are as follows:-

(₹ in Crore)

Sr. No.	Regrouped from	Regrouped to	Regrouped /Restated Amount	Amount as per financials of previous year	Difference	Reason
1.	Schedule No. 2	Schedule No. 2				
	Rewards and remuneration to Intermediaries	Commission (First year, Renewal and Single)	1,960.48	1,960.48	0.00	As per IRDAI Regulation 2024.
2.	Schedule No. 4	Schedule No. 4				
	1. Insurance Claims	1. Insurance Claims	55,347.91	55,347.91	0.00	As per IRDAI Regulation 2024
	b. Claims by Maturity	d. Periodical Benefit				

अनु. क्रमांक	पुनर्समूहित से	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित/ पुनर्निर्धारित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि	अंतर	कारण
	1. बीमा दावे घ) अन्य लाभ iii) अस्पताल भर्ती लाभ iv) बड़े शल्य लाभ v) आवासीय उपचार लाभ vi) दिन देखभाल लाभ vii) एकमुश्त लाभ/आय लाभ (किस्तों में)	1. बीमा दावे ड) स्वास्थ्य	82.49	82.49	0.00	आईआरडीआई विनियमन 2024 के अनुसार।
3.	राजस्व खाता	राजस्व खाता				
	निवेश से आय ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि	निवेश से आय ड) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छूट	1,093.61	1,093.61	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
4.	राजस्व खाता	राजस्व खाता				
	अंशधारकों के खाते से योगदान (क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	अंशधारकों के खाते से योगदान (ग) अन्य	12.98	12.98	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
5.	लाभ – हानि खाता	लाभ – हानि खाता				
	निवेश से आय (ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि	निवेश से आय (घ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छूट	12.13	12.13	0.00	आईआरडीआई विनियमन 2024 के अनुसार।
6.	लाभ – हानि खाता	लाभ – हानि खाता				
	पॉलिसिधारकों के खाते में योगदान (क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	पॉलिसिधारकों के खाते में योगदान (ग) अन्य	12.98	12.98	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए

29) निवेश संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का आधार

निवेश (किराए पर) संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन आईआरडीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन वर्षों में एक बार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:

- निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए को ध्यान में रखते हुए किराया पूंजीकरण विधि द्वारा किया गया है।
- बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है।
- 31 मार्च, 2025 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की राशि ₹ 14,841.92 करोड़ और 31 मार्च, 2024 को ₹ 14,839.06 करोड़ थी।

Sr. No.	Regrouped from	Regrouped to	Regrouped /Restated Amount	Amount as per financials of previous year	Difference	Reason
	1. Insurance Claims d) Other Benefits iii) Hospitalisation Benefit iv) Major Surgical Benefit v) Domiciliary Treatment Benefit vi) Day Care Benefit vii) Lump sum benefit/ Income Benefit (by installment)	1. Insurance Claims e) Health	82.49	82.49	0.00	As per IRDAI Regulation 2024.
3.	Revenue A/c	Revenue A/c				
	Income from Investments c) Loss on sale/ redemption of Investments	Income from Investments e) Amortisation of premium/Discount on Investments	1,093.61	1,093.61	0.00	As per IRDAI Regulation 2024.
4.	Revenue A/c	Revenue A/c				
	Contribution from Shareholder's A/c a) Towards Excess expenses of Management	Contribution from Shareholder's A/c c) Others	12.98	12.98	0.00	For appropriate presentation
5.	Profit & Loss A/c	Profit & Loss A/c				
	Income from Investments c) Loss on sale/ redemption of Investments	Income from Investments d) Amortisation of premium/Discount on Investments	12.13	12.13	0.00	As per IRDAI Regulation 2024
6.	Profit & Loss A/c	Profit & Loss A/c				
	Contribution to Policyholders' A/c a) Towards excess expenses of management	Contribution to Policyholders' A/c c) Others	12.98	12.98	0.00	For appropriate Presentatooon

29) Basis of revaluation of investment property:

Revaluation of investment (rented out) properties is being carried out once in three years as per IRDAI guidelines. The revaluation of properties has been carried out in the financial year 2022-23. The basis adopted for revaluation of property is as under:

- The valuation of investment property has been carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
- Revaluation of investment properties having land alone without any building/structure has been revalued as per current market value.
- The Revaluation Reserve as at March 31, 2025 amounts to ₹ 14,841.92 Crore and as at March 31, 2024 amounts to ₹ 14,839.06 Crore.

30) निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इकिटी शेयर पर ₹ 12 का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो निगम की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

31) गैर-दावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करना:

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश और संबंधित शेयरों का स्थानांतरण: जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (5) में यह प्रावधान है कि भुगतान के लिए देय होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष रही गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त राशि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाएगी।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (6) के अनुसार, सभी शेयर जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों के लिए गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त है, निगम द्वारा इन्हे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा।

31 मार्च 2025 को आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि के साथ-साथ दावा न किए गए लाभांश का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम / अंतिम	लाभांश प्रति शेयर (₹)	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि
2021-22	अंतिम	₹ 1.50 प्रति शेयर	सितम्बर 27, 2022	अक्टूबर 26, 2029
2022-23	अंतिम	₹ 3.00 प्रति शेयर	अगस्त 22, 2023	सितम्बर 20, 2030
2023-24	अंतरिम	₹ 4.00 प्रति शेयर	फरवरी 8, 2024	मार्च 08, 2031
2023-24	अंतिम	₹ 6.00 प्रति शेयर	अगस्त 22, 2024	सितम्बर 20, 2031

32) पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

33) कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं

i) जोखिम प्रबंधन संरचना का विवरण:

एलआईसी के पास निगम के सम्मुख आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यापार करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी देना, जोखिम भूख विवरण, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है।

आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड (आरएमसीबी) का गठन किया है। आरएमसीबी जोखिम प्रबंधन प्रशासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है, जोखिम उठाने की क्षमता और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम कम करने की योजना, कारोबारी माहौल और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करता है, इससे संबंधित सभी मामले परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, वार्षिक आधार पर आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना, निगम की सॉल्वेंसी स्थिति, धोखाधड़ी निगरानी आदि के अनुरूप नियमित आधार पर व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की समीक्षा करती है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसीबी की दृष्टि में, बोर्ड से और अधिक रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, को इसकी जानकारी में समय-समय पर इसकी बैठक में लाया जाता है।

महत्वपूर्ण कार्यात्मक विभागों के कार्यकारी अधिकारियों को, प्रमुखों की जोखिम प्रबंधन पर समिति और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (CERM और ALCO) के रूप में नामित एक आंतरिक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और उद्यम जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है। जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर कार्यकारियों की समिति की सिफारिशें सीआरओ द्वारा आरएमसीबी को रिपोर्ट की जाती हैं। CERM और ALCO उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना, ALM पॉलिसी, रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, जोखिम रिपोर्टिंग / जोखिम नियंत्रण के लिए MIS, रणनीतिक पहलों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों और कारोबारी माहौल या विनियमों में बदलाव, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम कम करने की योजना, व्यापार निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम के माहौल की समीक्षा, नियमित आधार पर निगम की सॉल्वेंसी स्थिति की समीक्षा, आईटी सुरक्षा और धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित जोखिम की समीक्षा जैसे प्रमुख कार्यों की देखरेख करके RMCB की सहायता करता है। CERM और ALCO द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर एक समेकित रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई को तिमाही आधार पर आरएमसीबी को रिपोर्ट किया जाता है।

- 30) The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share of ₹ 10/- each for the Financial Year 2024-25, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.

31) Transfer of unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF):

Transfer of Unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund: Section 28C (5) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 provides that the amount remaining unclaimed and unpaid for a period of seven years from the date it became due for payment in the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the IEPF established under sub-section (1) of section 125 of the Companies Act, 2013.

In terms of Section 28 C (6) of Life Insurance Corporation Act, 1956, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund.

As on March 31, 2025, the details of unclaimed dividend along with the due date for transfer to IEPF are given below:

Financial Year	Interim / Final	Dividend per Share (₹)	Date of Declaration	Due date of transfer to IEPF
2021-22	Final	₹ 1.50 per equity share	September 27, 2022	October 26, 2029
2022-23	Final	₹ 3.00 per equity share	August 22, 2023	September 20, 2030
2023-24	Interim	₹ 4.00 per equity share	February 8, 2024	March 08, 2031
2023-24	Final	₹ 6.00 per equity share	August 22, 2024	September 20, 2031

- 32) Figures of the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to the current periods' presentation.

33) Disclosure requirements as per Corporate Governance Guidelines:

i) A description of the risk management architecture:

LIC has robust Enterprise Risk Management (ERM) framework to conduct business in an orderly fashion taking into account the risks faced by the Corporation and controlling its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Cyber security policy, Risk Appetite statement, Asset Liability Management (ALM) Policy and Business Continuity Plan (BCP) of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The RMCB looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMCB, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

An internal independent Committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Management Committee (ALCO) has been constituted with Heads of key functional departments. Chief Risk Officer (CRO) acts as the custodian of Enterprise Risk Management framework and guides the implementation of the Enterprise Risk Management. Recommendations of the Committee of Executives on Risk Management & Asset Liability Management are reported to RMCB by the CRO. CERM & ALCO supports the RMCB by supervising major functions like establishing Enterprise Risk Management Policy, ALM Policy, Risk Appetite Statement, MIS for risk reporting/risk control, key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, risk assessment highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan, review of solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and Fraud Monitoring. A consolidated report on various issues discussed by the CERM & ALCO and action taken thereon are reported to RMCB on quarterly basis.

सूचना सुरक्षा संचालन समिति (ISSC), जिसमें केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) शामिल हैं, सभी सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करते हैं।

ii) व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित, निपटाए गए और लंबित मृत्यु दावों की संख्या का विवरण:

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	दावों की संख्या	₹ करोड़ में	दावों की संख्या	₹ करोड़ में
वर्ष की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या	275	344.05	675	305.87
जोड़ें:				
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों की संख्या	8,68,811	21,298.07	8,44,312	18,461.21
घटाएं:				
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या	8,48,145	20,793.37	8,29,318	17,861.76
वर्ष के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या	9,137	586.50	8,857	502.44
वर्ष के दौरान खारिज किए गए दावों की संख्या	6,827	15.06	6,007	15.06
वापस लिखे गए दावों की संख्या	187	30.29	530	43.77
अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या	4,790	216.90	275	344.05
बकाया दावों की अवधि का विवरण				
3 महीने से कम	335	59.58	198	317.75
3 महीने से 6 महीने	184	24.29	77	26.30
6 महीने से 1 वर्ष	0	0.00	0	0.00
1 वर्ष और उससे अधिक	4,271	133.03	0	0.00
कुल	4,790	216.90	275	344.05

निगम दावों के निपटान के लिए विभिन्न आईआरडीआई दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और दावों की समय पर रिकॉर्डिंग और निपटान के लिए दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया में है।

iii) पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतान:

संदर्भ नोट नं. 8 च) भाग के तहत (ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण: संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।

iv) लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण

आईआरडीआई द्वारा 18 मई 2016 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 7.1 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षक का नाम	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क
बाटलीबोई और पुरोहित	0.00	0.03	0.00	0.04
वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	0.00	0.03	0.00	0.00
कुल	0.00	0.06	0.00	0.04

v) वित्तीय विवरणों का सारांश

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
	पॉलिसीधारकों का खाता					
1	सकल प्रीमियम आय	4,88,848.92	4,75,751.92	4,74,668.14	4,28,024.97	4,03,286.55
2	शुद्ध प्रीमियम आय ^	4,88,148.17	4,75,069.58	4,74,004.61	4,27,419.21	4,02,844.34
3	निवेश से आय (शुद्ध) @	3,92,623.38	3,63,943.92	3,06,390.13	2,92,894.45	2,78,761.14

Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of heads of departments of Central office, Chief Risk Officer (CRO) and Chief Information Security Officer (CISO) oversees all Information and cyber security related policies and procedures.

ii) **Details of number of Death claims intimated, disposed of and pending with details of duration for Individual Business:**

Particulars	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
	No. of claims	₹ In Crore	No. of claims	₹ In Crore
No. of claims outstanding at the beginning of the year	275	344.05	675	305.87
Add:				
No. of claims reported during the year	8,68,811	21,298.07	8,44,312	18,461.21
Less:				
No. of claims settled during the year	8,48,145	20,793.37	8,29,318	17,861.76
No. of claims repudiated during the year	9,137	586.50	8,857	502.44
No. of Claims rejected during the year	6,827	15.06	6,007	15.06
No. of claims written back	187	30.29	530	43.77
No. of claims outstanding at the end of the period	4,790	216.90	275	344.05
Details of duration of outstanding claims				
Less than 3 months	335	59.58	198	317.75
3 months to 6 months	184	24.29	77	26.30
6 months to 1 year	0	0.00	0	0.00
1 year and above	4,271	133.03	0	0.00
Total	4,790	216.90	275	344.05

The Corporation is adhering various IRDAI guidelines for settlement of claims and is in the process of improving the claim submission process for timely recording and settlement of claims.

iii) **Payments made to group entities from Policyholders Funds:**

Refer Note no. 8 F) under part (C) Additional Disclosures: Related party disclosure.

iv) **Disclosure on additional works given to auditors:**

Pursuant to clause 7.1 of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 18, 2016, the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees (excluding GST) are detailed below:

(₹ in Crore)

Name of Auditor	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees
Batliboi & Purohit	0.00	0.03	0.00	0.04
V. Sankar Aiyer & Co.	0.00	0.03	0.00	0.00
Total	0.00	0.06	0.00	0.04

v) **Summary of Financial Statements:**

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
	<i>POLICYHOLDERS' A/C</i>					
1	Gross Premium Income	4,88,848.92	4,75,751.92	4,74,668.14	4,28,024.97	4,03,286.55
2	Net Premium Income	4,88,148.17	4,75,069.58	4,74,004.61	4,27,419.21	4,02,844.34
3	Income from Investments (Net)	3,92,623.38	3,63,943.92	3,06,390.13	2,92,894.45	2,78,761.14

अनु. क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
4	अन्य आय	662.51	14,648.36	7,648.54	788.90	599.50
5	शेयरधारकों के खाते से अंशदान					
	(ए) प्रबंधन के अतिरिक्त खर्च की ओर	2,642.09	12.98	9.37	0.00	0.00
	(बी) पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि पर आय ¹	-	-	-	-	-
7	कुल आय	8,84,076.15	8,53,674.84	7,88,052.64	7,21,102.57	6,82,204.99
8	कमीशन	25,308.76	25,959.12	25,580.39	23,171.46	22,169.92
9	दलाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	परिचालन व्यय संबंधित बीमा व्यवसाय	35,415.20	48,121.68	48,145.60	38,890.68	34,989.52
11	कराधान और अन्य के लिए प्रावधान	5,823.25	3,040.10	(9,494.28)	(1,408.59)	13,077.07
12	कुल खर्च	66,547.21	77,120.90	64,231.71	60,653.54	70,236.51
13	पॉलिसीधारकों को भुगतान* ²	4,16,354.69	3,88,809.33	3,42,576.75	3,57,464.89	2,86,883.81
14	बीमांकिक देयता में वृद्धि	3,40,677.29	3,44,319.22	3,41,109.35	3,06,323.75	3,21,758.23
15	संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान	12,657.01	8,716.85	2,273.41	(9,046.13)	434.31
16	संचालन से अधिशेष/घाटा	47,839.95	34,708.54	37,861.42	5,706.51	2,892.14
	शेयरधारकों का खाता					
17	शेयरधारकों के खातों के तहत कुल आय	55,498.43	43,716.59	37,199.63	4,076.65	2,912.00
18	शेयरधारक के खाते के तहत कुल खर्च	7,347.26	2,929.38	742.84	9.93	5.22
19	कर पूर्व लाभ/(हानि)	48,151.17	40,787.21	36,456.78	4,066.72	2,906.77
20	कर के प्रावधान	0.00	111.42	59.39	23.60	6.21
21	कर पश्चात लाभ/हानि	48,151.17	40,675.79	36,397.39	4,043.12	2,900.57
22	लाभ/हानि को तुलन-पत्र में ले जाया गया विविध	1,20,067.43	75,711.26	39,462.97	4,014.33	0.00
23	(ए) पॉलिसीधारकों का खाता					
	कुल फंड					
	कुल निवेश	54,48,966.82	51,40,100.12	44,45,462.04	41,48,936.03	37,22,541.75
	निवेश पर प्रतिफल%	53,10,877.80	50,31,577.60	43,30,818.95	40,29,202.77	36,20,759.42
	(बी) शेयरधारकों का खाता:	8.65	8.93	8.29	8.55	8.69
	कुल फंड	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69
	कुल निवेश	1,04,025.81	63,743.97	29,363.53	6,412.14	713.57
	*निवेश पर प्रतिफल%	6.93	8.02	6.48	3.00	3.35
24	*कुल निवेश पर प्रतिफल%	8.62	8.92	8.28	8.54	8.69
25	चुकता इक्विटी पूंजी	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	100.00
26	कुल मूल्य	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69
27	कुल संपत्ति	56,22,929.99	52,85,503.16	45,50,571.73	42,30,616.95	38,04,610.01
28	प्रति शेयर आय**	76.13	64.31	57.55	6.39	N.A.
29	प्रति शेयर उपार्जन - मूल	76.13	64.31	57.55	6.39	N.A.
30	प्रति शेयर उपार्जन - न्यूनीकृत	76.13	64.31	57.55	6.39	N.A.
31	प्रति शेयर पुस्तक मूल्य	199.51	129.55	72.20	16.46	10.06
32	कुल लाभांश भुगतान	3,795.00	4,427.50	948.75	-	N.A.
33	प्रति शेयर लाभांश	*12.00	10.00	3.00	1.50	N.A.
34	शोधन क्षमता अनुपात	2.11	1.98	1.87	1.85	1.76

Sl. No.	Particulars	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
4	Other Income	662.51	14,648.36	7,648.54	788.90	599.50
5	Contribution from Shareholders A/c					
	(a) Towards excess expenses of Management	2,642.09	12.98	9.37	0.00	0.00
	(b) Towards meeting deficit in Policyholders' Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Income on unclaimed amount of policyholders'	-	-	-	-	-
7	Total Income	8,84,076.15	8,53,674.84	7,88,052.64	7,21,102.57	6,82,204.99
8	Commissions	25,308.76	25,959.12	25,580.39	23,171.46	22,169.92
9	Brokerage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Operating Expenses related insurance business	35,415.20	48,121.68	48,145.60	38,890.68	34,989.52
11	Provision for Taxation and Others	5,823.25	3,040.10	(9,494.28)	(1,408.59)	13,077.07
12	Total Expenses	66,547.21	77,120.90	64,231.71	60,653.54	70,236.51
13	Payment to policyholders ²	4,16,354.69	3,88,809.33	3,42,576.75	3,57,464.89	2,86,883.81
14	Increase in actuarial liability	3,40,677.29	3,44,319.22	3,41,109.35	3,06,323.75	3,21,758.23
15	Provision for Linked Liabilities	12,657.01	8,716.85	2,273.41	(9,046.13)	434.31
16	Surplus/Deficit from operations	47,839.95	34,708.54	37,861.42	5,706.51	2,892.14
	SHAREHOLDERS' A/C					
17	Total income under Shareholders' Accounts	55,498.43	43,716.59	37,199.63	4,076.65	2,912.00
18	Total Expenses under Shareholder's Account	7,347.26	2,929.38	742.84	9.93	5.22
19	Profit/(loss) before tax	48,151.17	40,787.21	36,456.78	4,066.72	2,906.77
20	Provisions for tax	0.00	111.42	59.39	23.60	6.21
21	Profit/loss after tax	48,151.17	40,675.79	36,397.39	4,043.12	2,900.57
22	Profit/loss carried to Balance Sheet	1,20,067.43	75,711.26	39,462.97	4,014.33	0.00
	MISCELLANEOUS					
23	(A) Policyholders' account					
	Total funds	54,48,966.82	51,40,100.12	44,45,462.04	41,48,936.03	37,22,541.75
	Total Investments	53,10,877.80	50,31,577.60	43,30,818.95	40,29,202.77	36,20,759.42
	Yield on investments %	8.65	8.93	8.29	8.55	8.69
	(B) Shareholders' account:					
	Total funds	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69
	Total Investments	1,04,025.81	63,743.97	29,363.53	6,412.14	713.57
	Yield on investments %	6.93	8.02	6.48	3.00	3.35
24	Yield on total investments %	8.62	8.92	8.28	8.54	8.69
25	Paid-up equity capital	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	100.00
26	Net worth	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69
27	Total Assets	56,22,929.99	52,85,503.16	45,50,571.73	42,30,616.95	38,04,610.01
28	Earnings per share	76.13	64.31	57.55	6.39	N.A.
29	Basic earnings per share	76.13	64.31	57.55	6.39	N.A.
30	Diluted Earnings per share	76.13	64.31	57.55	6.39	N.A.
31	Book value per share	199.51	129.55	72.20	16.46	10.06
32	Total Dividend paid	3,795.00	4,427.50	948.75	-	N.A.
33	Dividend per share	*12.00	10.00	3.00	1.50	N.A.
34	Solvency Ratio	2.11	1.98	1.87	1.85	1.76

पिछली अवधियों के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किए जाते हैं।

- 1 पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि पर आय को निवेश से आय में शामिल किया गया है।
- 2 अंतरिम बोनस सहित, यदि कोई हो
- * निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 12 रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो निगम की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

vi) नियंत्रित निधि को दर्शाने वाला विवरण

क) तुलन-पत्र के अनुसार नियंत्रित फंड की गणना (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
पॉलिसीधारक निधि (जीवन निधि)		
सहभागी		
व्यक्तिगत बीमा	31,31,962.79	29,18,309.04
वार्षिकी व्यवसाय	4,817.85	4,952.54
पेंशन व्यवसाय	41,058.11	40,724.84
समूह बीमा	0.00	0.00
गैर-सहभागी		
व्यक्तिगत बीमा (जीवन सहित, वीआईपी, संबद्ध- गैर यूनिट फंड)	2,00,056.55	1,90,097.56
वार्षिकी व्यवसाय	1,67,917.79	1,51,957.98
समूह बीमा	11,84,801.33	10,84,358.00
स्वास्थ्य व्यवसाय	516.73	593.79
संबद्ध		
व्यक्तिगत बीमा	36,502.05	24,327.44
समूह बीमा	0.00	0.00
व्यक्तिगत पेंशन	8,929.36	8,420.55
समूह सेवानिवृत्ति	0.00	0.00
समूह ग्रेच्युटी	97.93	107.38
स्वास्थ्य व्यवसाय	1,931.26	1,945.14
बंद निधि (इकाई)	778.88	381.73
भविष्य के विनियोगों के लिए निधि	1,828.41	1,214.72
पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित	131.38	182.29
कुल (क)	47,81,330.42	44,27,573.00
शेयरधारकों का कोष		
प्रदत्त पूंजी	6,325.00	6,325.00
निधियाँ और अधिशेष	1,20,043.70	75,746.71
उचित मूल्य परिवर्तन	(235.43)	(141.81)
कुल (ख)	1,26,133.27	81,929.90
विविध खर्चे जो बढ़े खाते में नहीं डाले गए	0.00	0.00
लाभ हानि खाते से क्रेडिट / (डेबिट)	0.00	0.00
कुल (ग)	0.00	0.00
कुल शेयरधारकों की निधि (ख + ग)	1,26,133.27	81,929.90
उधारी (घ)	0.00	0.00
नियंत्रित निधि कुल (क+ख+ग+घ)	49,07,463.69	45,09,502.90

Previous Period's figures are regrouped wherever necessary.

1. Income on Unclaimed amount of policyholders is included in Income from Investment

2. Inclusive of interim bonuses, if any

*The Board of Directors have recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share for the financial year 2024-25, subject to approval of shareholder in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.

vi) Statement showing the Controlled Fund:

a) Computation of Controlled fund as per the Balance Sheet (In respect of Business In India)

(₹ in crore)		
Particulars	2024-25	2023-24
Policyholders' Fund (Life Fund)		
Participating		
Individual Assurance	31,31,962.79	29,18,309.04
Annuity Business	4,817.85	4,952.54
Pension Business	41,058.11	40,724.84
Group Assurance	0.00	0.00
Non Participating		
Individual Assurance (Includes Life, VIP, Linked - Non Unit Fund)	2,00,056.55	1,90,097.56
Annuity Business	1,67,917.79	1,51,957.98
Group Assurance	11,84,801.33	10,84,358.00
Health Business	516.73	593.79
Linked		
Individual Assurance	36,502.05	24,327.44
Group Assurance	0.00	0.00
Individual Pension	8,929.36	8,420.55
Group Superannuation	0.00	0.00
Group Gratuity	97.93	107.38
Health Business	1,931.26	1,945.14
Discontinued Fund (Unit)	778.88	381.73
Funds for Future Appropriations	1,828.41	1,214.72
CRAC	131.38	182.29
Total (A)	47,81,330.42	44,27,573.00
Shareholders' Fund		
Paid-up Capital	6,325.00	6,325.00
Reserves & Surplus	1,20,043.70	75,746.71
Fair Value Change	(235.43)	(141.81)
Total (B)	1,26,133.27	81,929.90
Misc. expenses not written off	0.00	0.00
Credit / (Debit) from P&L A/c.	0.00	0.00
Total (C)	0.00	0.00
Total shareholders' funds (B+C)	1,26,133.27	81,929.90
Borrowings (D)	0.00	0.00
Controlled Fund [Total (A+B+C+D)]	49,07,463.69	45,09,502.90

ख) राजस्व और लाभ और हानि खाते से नियंत्रित निधि का समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
नियंत्रित निधि का प्रारंभिक शेष	45,09,502.90	41,23,061.26
जोड़ें: अंतर्वाह		
आय		
प्रीमियम आय	4,88,450.77	4,75,275.67
घटाये: पुनर्बीमा सौंप दिया गया	699.23	680.72
शुद्ध प्रीमियम	4,87,751.54	4,74,594.95
निवेश आय*	3,92,387.67	3,63,686.89
अन्य आय	662.03	14,647.38
शेयरधारकों के खातों से धन हस्तांतरित	4,872.82	2,598.45
कुल आय	8,85,674.06	8,55,527.67
घटाये: निर्गम		
(i) भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)	4,12,892.10	3,85,454.77
(ii) भुगतान किया गया अंतरिम बोनस	3,074.04	2,858.41
(iii) दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन**	3,53,757.42	3,50,172.91
(iv) कमीशन	25,285.12	25,933.11
(v) परिचालन व्यय	35,360.06	48,062.61
(vi) कराधान के लिए प्रावधान (आयकर)	7,755.67	5,816.11
(vii) कराधान के अलावा अन्य प्रावधान***	(2,173.00)	(2,919.51)
(vii) अन्य***	223.34	134.38
कुल व्यय	8,36,174.75	8,15,512.79
पॉलिसीधारकों के कोष का अधिशेष	49,499.31	40,014.88
घटाये: शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरित	49,499.31	40,014.88
पॉलिसीधारकों के खाते में शुद्ध प्रवाह	0.00	0.00
जोड़ें: शेयरधारकों के कोष में शुद्ध आय/(व्यय)****	48,091.99	40,680.66
घटाये: लाभांश	3,795.00	4,427.50
प्रवाह / बहिर्वाह में शुद्ध	44,296.99	36,253.16
जोड़ें: देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन**	3,53,757.42	3,50,172.91
जोड़ें: चुकता पूंजी में वृद्धि	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: उधार में वृद्धि/कमी	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: रिजर्व और अधिशेष में वृद्धि/कमी (पी एंड एल मूवमेंट के अलावा)	0.00	0.00
जोड़ें: उचित मूल्य परिवर्तन	(93.62)	15.56
नियंत्रित निधि का अंतिम शेष	49,07,463.69	45,09,502.90
तुलन पत्र के अनुसार	49,07,463.69	45,09,502.90
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00

*संबद्ध व्यवसाय के निवेश आय में पुनर्मूल्यांकन पर स्थानांतरण/लाभ/यूनिट फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन शामिल है

**देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन में संबद्ध देयताओं के प्रावधान में स्थानांतरण, भविष्य के विनियोगों के लिए निधि और बंद निधि शामिल हैं

***“कराधान के अलावा अन्य प्रावधान” और “अन्य” को अलग-अलग पंक्ति वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है। अन्य में शामिल है अन्य व्यय और फंड प्रबंधन शुल्क और लिंकड व्यवसाय के अन्य शुल्क पर सेवा कर शामिल हैं।

****बोनस शेयर जारी करने के लिए पूंजीकृत राशि शामिल है

b) **Reconciliation of the Controlled Fund from Revenue and Profit & Loss Account (In respect of Business In India)**

(₹ in crore)

	2024-25	2023-24
Opening Balance of Controlled Fund	45,09,502.90	41,23,061.26
Add: Inflow		
Income		
Premium Income	4,88,450.77	4,75,275.67
Less: Reinsurance ceded	699.23	680.72
Net Premium	4,87,751.54	4,74,594.95
Investment Income*	3,92,387.67	3,63,686.89
Other Income	662.03	14,647.38
Funds transferred from Shareholders' Accounts	4,872.82	2,598.45
Total Income	8,85,674.06	8,55,527.67
Less: Outgo		
(i) Benefits paid (Net)	4,12,892.10	3,85,454.77
(ii) Interim Bonus Paid	3,074.04	2,858.41
(iii) Change in Valuation of Liability**	3,53,757.42	3,50,172.91
(iv) Commission	25,285.12	25,933.11
(v) Operating Expenses	35,360.06	48,062.61
(vi) Provision for Taxation I.T.	7,755.67	5,816.11
(vii) Provision other than Taxation ***	(2,173.00)	(2,919.51)
(vii) Others***	223.34	134.38
Total Outgo	8,36,174.75	8,15,512.79
Surplus of the Policyholders' Fund	49,499.31	40,014.88
Less: Transferred to Shareholders' Account	49,499.31	40,014.88
Net Flow in Policyholders' account	0.00	0.00
Add: Net income/(expense) in Shareholders' Fund ****	48,091.99	40,680.66
Less : Dividend	3,795.00	4,427.50
Net In Flow/Outflow	44,296.99	36,253.16
Add: change in valuation Liabilities**	3,53,757.42	3,50,172.91
Add: Increase in Paid-up Capital	0.00	0.00
Add/Less: Increase/Decrease in Borrowings	0.00	0.00
Add/Less: Increase/Decrease in Reserves & Surplus (Other than P & L Movement)	0.00	0.00
Add: Fair Value Change	(93.62)	15.56
Closing Balance of Controlled Fund	49,07,463.69	45,09,502.90
As Per Balance Sheet	49,07,463.69	45,09,502.90
Difference, if any	0.00	0.00

*Investment Income includes transfer/gain on revaluation/change in fair value of unit fund of Linked business

**Change in valuation of liabilities includes transfer to provision for Linked Liabilities, Funds for Future Appropriations and Discontinued fund

****"Provision other than taxation" and "Others" have been included as separate row items. "Others" include Other Expenses and GST on Fund Management Charges & Other Charges of Linked Business

*****Includes amount capitalised for issue of Bonus Shares

ग) शेयरधारकों और पॉलिसीधारक निधि के साथ समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

	2024-25	2023-24
पॉलिसीधारकों की निधि		
पॉलिसीधारकों के फंड - पारंपरिक-सहभागी और गैर-सहभागी		
पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि	43,92,390.76	40,51,163.71
जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: शेयरधारकों के खाते से/(में) स्थानांतरित की गई राशि	0.00	0.00
जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन	3,40,700.18	3,41,227.05
कुल	47,33,090.94	43,92,390.76
जोड़ें/घटाएँ: क्रेडिट/(डेबिट) उचित मूल्य परिवर्तन खाता और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाता	0.00	0.00
कुल	47,33,090.94	43,92,390.76
तुलन-पत्र के अनुसार	47,33,090.94	43,92,390.76
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के फंड - संबद्ध		
पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि	35,182.24	26,236.37
जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष		
जोड़ें/घटाएँ: शेयरधारकों के खाते से/(में) स्थानांतरित की गई राशि	0.00	0.00
जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन	13,057.24	8,945.87
कुल	48,239.48	35,182.24
तुलन-पत्र के अनुसार*	48,239.48	35,182.24
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
उधारी		
उधार का प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: उधार में वृद्धि/कमी	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00
तुलन-पत्र के अनुसार	0.00	0.00
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
अंशधारकों की निधि		
अंशधारकों की निधि का प्रारंभिक शेष	81,929.90	45,661.18
जोड़ें: अंशधारकों के कोष में आय/(व्यय)	48,091.99	40,680.66
जोड़ें: पूंजी का निवेश	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: रिजर्व और अधिशेष में वृद्धि/कमी (पी एंड एल मूवमेंट के अलावा)	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: पॉलिसीधारकों के खाते से/(में) स्थानांतरित की गई राशि	0.00	0.00
घटायें: लाभांश	3,795.00	4,427.50
जोड़ें: उचित मूल्य परिवर्तन	(93.62)	15.56
अंशधारकों की निधि का अंतिम शेष	1,26,133.27	81,929.90
तुलन-पत्र के अनुसार	1,26,133.27	81,929.90
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00

* बंद निधि (इकाई) शामिल है

c) **Reconciliation with Shareholders' and Policyholders' Fund (In respect of Business In India)**

(₹ in crore)

	2024-25	2023-24
Policyholders' Funds		
<i>Policyholders' Funds - Traditional-PAR and NON-PAR</i>		
Opening Balance of the Policyholders' Fund	43,92,390.76	40,51,163.71
Add: Surplus of the Revenue Account	0.00	0.00
Add/Less: Amount transferred from/(to) Shareholders' account	0.00	0.00
Add: Change in valuation Liabilities	3,40,700.18	3,41,227.05
Total	47,33,090.94	43,92,390.76
Add/Less: Credit/(Debit) Fair Value Change Account & Revaluation Reserve Account	0.00	0.00
Total	47,33,090.94	43,92,390.76
As per Balance Sheet	47,33,090.94	43,92,390.76
Difference, if any	0.00	0.00
<i>Policyholders' Funds - Linked</i>		
Opening Balance of the Policyholders' Fund	35,182.24	26,236.37
Add: Surplus of the Revenue Account		
Add/Less: Amount transferred from/(to) Shareholders' Account	0.00	0.00
Add: Change in valuation Liabilities	13,057.24	8,945.87
Total	48,239.48	35,182.24
As per Balance Sheet*	48,239.48	35,182.24
Difference, if any	0.00	0.00
Borrowings		
Opening Balance of Borrowings	0.00	0.00
Add/Less: Increase / Decrease in Borrowings	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
As per Balance Sheet	0.00	0.00
Difference, if any	0.00	0.00
<i>Shareholders' Funds</i>		
Opening Balance of Shareholders' Fund	81,929.90	45,661.18
Add: Net income/(expense) in Shareholders' Fund	48,091.99	40,680.66
Add: Infusion of Capital	0.00	0.00
Add/Less: Increase/Decrease in Reserves & Surplus (Other than P & L Movement)	0.00	0.00
Add/Less: Amount transferred from/(to) Policyholders' account	0.00	0.00
Less: Dividend	3,795.00	4,427.50
Add: Fair Value Change	(93.62)	15.56
Closing Balance of the Shareholders' Fund	1,26,133.27	81,929.90
As per Balance Sheet	1,26,133.27	81,929.90
Difference, if any	0.00	0.00

* Includes Discontinued Fund (Unit)

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,58,258.53	3,69,185.70	-	19,724.25	-	232.45
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	10.62	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	31,36,240.80	5,53,081.91	41,058.11	8,31,543.29	4,817.85	1,67,931.18
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	15,660.42	5.19	-	-	-	3.62
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	34,10,159.75	9,22,283.42	41,058.11	8,51,267.54	4,817.85	1,68,167.25

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,20,095.76	1,20,095.76	-	1,20,095.76
-	-	-	-	-	(233.02)	(233.02)	-	(233.02)
-	-	-	-	-	1,26,187.74	1,26,187.74	-	1,26,187.74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66.79	51.13	21.02	-	6,47,539.87	-	6,47,539.87
-	-	-	-	-	-	10.62	-	10.62
104.94	516.73	73.50	34.25	46.42	-	47,35,448.98	131.38	47,35,580.36
-	-	671.27	119.54	-	-	790.81	-	790.81
-	-	9.09	4.89	-	-	13.98	-	13.98
-	-	0.09	-	-	-	15,669.32	0.35	15,669.67
-	-	36,672.50	8,929.35	1,931.25	-	47,533.10	-	47,533.10
104.94	516.73	37,493.24	9,139.16	1,998.69	-	54,47,006.68	131.73	54,47,138.41

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	631.21	-	498.16	-	643.99	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,10,790.96	9,22,283.42	41,556.27	8,51,267.54	5,461.84	1,68,167.25
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	31,63,608.11	9,24,614.59	40,729.42	8,34,958.64	5,496.45	1,63,877.61
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,26,631.77	180.59	-	-	-	647.99
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	4,448.86	12.30	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	36,341.15	16,700.60	1.10	4,323.31	6.23	2,403.52
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,03,856.22	15,420.61	701.75	15,229.93	46.03	3,214.41
उप-योग (क) Sub-Total (A)	1,40,197.37	32,121.21	702.85	19,553.24	52.26	5,617.93
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	18,879.12	8,853.51	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
प्रावधान PROVISIONS	-	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	18,879.12	23,796.57	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,21,318.25	8,324.64	843.61	17,399.07	(34.51)	3,760.52
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	55.05	-	-	-	55.05	-	55.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,773.36	-	1,773.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.94	516.73	37,548.29	9,139.16	1,998.69	1,26,187.74	55,75,022.83	131.73	55,75,154.56
-	-	-	-	-	1,04,025.81	1,04,025.81	-	1,04,025.81
89.30	757.04	1,469.28	440.88	42.83	-	51,36,084.15	194.65	51,36,278.80
-	-	37,337.54	9,043.20	1,931.25	-	48,311.99	-	48,311.99
3.32	-	4.65	-	-	11.58	1,27,479.90	-	1,27,479.90
-	-	-	-	-	-	4,461.16	-	4,461.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.77	108.45	6.86	0.03	2,404.43	62,300.45	-	62,300.45
3.74	32.29	46.95	10.51	2.50	2,423.74	1,40,988.68	(2.54)	1,40,986.14
3.74	37.06	155.40	17.37	2.53	4,828.17	2,03,289.13	(2.54)	2,03,286.59
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	-	33,711.20	35.43	33,746.63
-	-	-	-	-	-	14,943.06	-	14,943.06
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	-	48,654.26	35.43	48,689.69
13.65	(187.14)	(1,330.91)	(334.61)	34.13	4,828.17	1,54,634.87	(37.97)	1,54,596.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,16,006.99	9,33,132.12	41,573.03	8,52,357.71	5,461.94	1,68,286.12

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.27	569.90	37,480.56	9,149.47	2,008.21	1,08,865.56	55,74,997.88	156.68	55,75,154.56

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT						
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नाम) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नाम) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,77,145.64	3,96,133.34	-	19,140.71	-	151.21
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	-	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	29,22,417.60	5,15,146.16	40,724.84	7,59,093.95	4,952.54	1,51,972.14
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	15,587.00	4.33	-	-	-	2.18
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	32,15,150.24	9,11,283.83	40,724.84	7,78,234.66	4,952.54	1,52,125.53

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	75,740.08	75,740.08	-	75,740.08
-	-	-	-	-	(126.92)	(126.92)	-	(126.92)
-	-	-	-	-	81,938.16	81,938.16	-	81,938.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	45.92	44.33	20.96	-	6,92,682.11	-	6,92,682.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.07	593.79	51.31	41.56	48.03	-	43,95,142.99	182.29	43,95,325.28
-	-	342.57	51.18	-	-	393.75	-	393.75
-	-	9.10	5.01	-	-	14.11	-	14.11
-	-	0.20	-	-	-	15,593.71	0.35	15,594.06
-	-	24,510.41	8,420.55	1,945.13	-	34,876.09	-	34,876.09
101.07	593.79	24,959.51	8,562.63	2,014.12	-	51,38,702.76	182.64	51,38,885.40

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	549.14	-	146.52	-	489.05	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	32,15,699.38	9,11,283.83	40,871.36	7,78,234.66	5,441.59	1,52,125.53
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	29,90,042.71	9,19,941.62	40,093.69	7,68,490.47	5,474.66	1,49,708.62
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,19,611.48	139.53	-	-	-	488.58
अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	4,041.16	15.81	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	20,549.16	8,998.57	2.15	1,456.43	12.57	2,216.52
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,11,118.22	21,477.64	677.11	13,744.25	47.63	3,111.54
उप-योग (क) Sub-Total (A)	1,31,667.38	30,476.21	679.26	15,200.68	60.20	5,328.06
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	46,796.34	(4,448.99)	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
प्रावधान PROVISIONS	-	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	46,796.34	10,494.07	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	84,871.04	19,982.14	791.44	12,141.83	(32.99)	3,774.27

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	30.01	-	-	-	30.01	-	30.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,184.71	-	1,184.71
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.07	593.79	24,989.52	8,562.63	2,014.12	81,938.16	52,21,855.64	182.64	52,22,038.28
-	-	-	-	-	63,743.97	63,743.97	-	63,743.97
90.11	808.96	1,112.89	453.19	80.14	-	48,76,297.06	215.34	48,76,512.40
-	-	24,847.19	8,465.49	1,945.14	-	35,257.82	-	35,257.82
3.20	-	3.91	-	-	11.58	1,20,258.28	-	1,20,258.28
-	-	-	-	-	-	4,056.97	-	4,056.97
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.02	6.74	0.07	6.85	0.02	1,271.94	34,521.04	0.01	34,521.05
2.87	37.15	43.18	10	2.87	907.57	1,51,180.03	2.22	1,51,182.25
2.89	43.89	43.25	16.85	2.89	2,179.51	1,85,701.07	2.23	1,85,703.30
(7.29)	224.38	1,049.65	339.75	(26.12)	0.46	48,521.83	29.57	48,551.40
-	-	-	-	-	-	14,943.06	-	14,943.06
(7.29)	224.38	1,049.65	339.75	(26.12)	0.46	63,464.89	29.57	63,494.46
10.18	(180.49)	(1006.40)	(322.90)	29.01	2,179.05	1,22,236.18	(27.34)	1,22,208.84

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	31,98,566.39	9,40,079.10	40,885.13	7,80,632.30	5,441.67	1,53,971.47

नोट: गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

Note: Previous years figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर.दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.49	628.47	24,957.59	8,595.78	2,054.29	65,934.60	52,21,850.28	188.00	52,22,038.28

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,58,247.04	3,69,185.70	-	19,724.25	-	232.45
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	10.62	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	31,31,962.79	5,53,052.46	41,058.11	8,31,543.29	4,817.85	1,67,917.79
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	14,951.56	-	-	-	-	-
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	34,05,161.39	9,22,248.78	41,058.11	8,51,267.54	4,817.85	1,68,150.24

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,20,043.70	1,20,043.70	-	1,20,043.70
-	-	-	-	-	(235.43)	(235.43)	-	(235.43)
-	-	-	-	-	1,26,133.27	1,26,133.27	-	1,26,133.27
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66.79	51.13	21.02	-	6,47,528.38	-	6,47,528.38
-	-	-	-	-	-	10.62	-	10.62
104.94	516.73	76.51	34.25	46.42	-	47,31,131.14	131.38	47,31,262.52
-	-	671.27	119.54	-	-	790.81	-	790.81
-	-	9.09	4.89	-	-	13.98	-	13.98
-	-	-	-	-	-	14,951.56	0.35	14,951.91
-	-	36,599.99	8,929.35	1,931.25	-	47,460.59	-	47,460.59
104.94	516.73	37,423.65	9,139.16	1,998.69	-	54,41,887.08	131.73	54,42,018.81

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	631.21	-	498.16	-	643.99	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,05,792.60	9,22,248.78	41,556.27	8,51,267.54	5,461.84	1,68,150.24
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	31,58,825.31	9,24,558.25	40,729.42	8,34,958.64	5,496.45	1,63,864.83
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,26,440.81	180.59	-	-	-	647.99
अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	4,429.34	12.30	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	36,259.44	16,700.60	1.10	4,323.31	6.23	2,403.52
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,03,768.61	15,420.61	701.75	15,229.93	46.03	3,214.41
उप-योग (क) Sub-Total (A)	1,40,028.05	32,121.21	702.85	19,553.24	52.26	5,617.93
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	17,209.34	8,831.81	(140.76)	2,154.17	86.77	1,861.64
प्रावधान PROVISIONS	-	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	17,209.34	23,774.87	(140.76)	2,154.17	86.77	1,861.64
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,22,818.71	8,346.34	843.61	17,399.07	(34.51)	3,756.29
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	55.05	-	-	-	55.05	-	55.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,773.36	-	1,773.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.94	516.73	37,478.70	9,139.16	1,998.69	1,26,133.27	55,69,848.76	131.73	55,69,980.49
-	-	-	-	-	1,02,467.69	1,02,467.69	-	1,02,467.69
89.30	757.04	1,469.28	440.88	42.83	-	51,31,232.23	194.65	51,31,426.88
-	-	37,265.03	9,043.20	1,931.25	-	48,239.48	-	48,239.48
3.32	-	4.65	-	-	11.58	1,27,288.94	-	1,27,288.94
-	-	-	-	-	-	4,441.64	-	4,441.64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.77	108.45	6.86	0.03	2,404.43	62,218.74	-	62,218.74
3.74	32.29	46.95	10.51	2.50	2,421.85	1,40,899.18	(2.54)	1,40,896.64
3.74	37.06	155.40	17.37	2.53	4,826.28	2,03,117.92	(2.54)	2,03,115.38
(9.91)	224.20	1,483.39	351.98	(31.60)	-	32,021.03	35.43	32,056.46
-	-	-	-	-	-	14,943.06	-	14,943.06
(9.91)	224.20	1,483.39	351.98	(31.60)	-	46,964.09	35.43	46,999.52
13.65	(187.14)	(1,327.99)	(334.61)	34.13	4,826.28	1,56,153.83	(37.97)	1,56,115.86
-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,12,514.17	9,33,097.48	41,573.03	8,52,357.71	5,461.94	1,68,269.11

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.27	569.90	37,410.97	9,149.47	2,008.21	1,07,305.55	55,69,823.81	156.68	55,69,980.49

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,77,135.63	3,96,133.34	-	19,140.71	-	151.21
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	-	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	29,18,309.04	5,15,117.40	40,724.84	7,59,093.95	4,952.54	1,51,957.98
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES	-	-	-	-	-	-
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	14,946.13	-	-	-	-	-
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	32,10,390.80	9,11,250.74	40,724.84	7,78,234.66	4,952.54	1,52,109.19
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	549.14	-	146.52	-	489.05	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	32,10,939.94	9,11,250.74	40,871.36	7,78,234.66	5,441.59	1,52,109.19

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	75,746.71	75,746.71	-	75,746.71
-	-	-	-	-	(141.81)	(141.81)	-	(141.81)
-	-	-	-	-	81,929.90	81,929.90	-	81,929.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	45.92	44.33	20.96	-	6,92,672.10	-	6,92,672.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.07	593.79	53.55	41.56	48.03	-	43,90,993.75	182.29	43,91,176.04
-	-	342.57	51.18	-	-	393.75	-	393.75
-	-	9.10	5.01	-	-	14.11	-	14.11
-	-	-	-	-	-	14,946.13	0.35	14,946.48
-	-	24,434.83	8,420.55	1,945.13	-	34,800.51	-	34,800.51
101.07	593.79	24,885.97	8,562.63	2,014.12	-	51,33,820.35	182.64	51,34,002.99
-	-	30.01	-	-	-	30.01	-	30.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,184.71	-	1,184.71
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.07	593.79	24,915.98	8,562.63	2,014.12	81,929.90	52,16,964.97	182.64	52,17,147.61

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	29,85,469.20	9,19,887.80	40,093.69	7,68,490.47	5,474.66	1,49,696.35
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,19,426.69	139.53	-	-	-	488.58
अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	4,019.83	15.81	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	20,467.46	8,998.57	2.15	1,456.43	12.57	2,216.52
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,11,044.84	21,477.64	677.11	13,744.25	47.63	3,111.54
उप-योग (क) Sub-Total (A)	1,31,512.30	30,476.21	679.26	15,200.68	60.20	5,328.06
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	45,249.63	(4,469.72)	(112.18)	3,058.85	93.19	1,557.86
प्रावधान PROVISIONS	-	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	45,249.63	10,473.34	(112.18)	3,058.85	93.19	1,557.86
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	86,262.67	20,002.87	791.44	12,141.83	(32.99)	3,770.20
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)						
	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	62,363.81	62,363.81	-	62,363.81
90.11	808.96	1,112.89	453.19	80.14	-	48,71,657.46	215.34	48,71,872.80
-	-	24,771.61	8,465.49	1,945.14	-	35,182.24	-	35,182.24
3.20	-	3.91	-	-	11.58	1,20,073.49	-	1,20,073.49
-	-	-	-	-	-	4,035.64	-	4,035.64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.02	6.74	0.07	6.85	0.02	1,271.94	34,439.34	0.01	34,439.35
2.87	37.15	43.18	10.00	2.87	907.57	1,51,106.65	2.22	1,51,108.87
2.89	43.89	43.25	16.85	2.89	2,179.51	1,85,545.99	2.23	1,85,548.22
(7.29)	224.38	1,047.61	339.75	(26.12)	-	46,955.96	29.57	46,985.53
-	-	-	-	-	-	14,943.06	-	14,943.06
(7.29)	224.38	1,047.61	339.75	(26.12)	-	61,899.02	29.57	61,928.59
10.18	(180.49)	(1,004.36)	(322.90)	29.01	2,179.51	1,23,646.97	(27.34)	1,23,619.63
-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	31,95,178.39	9,40,046.01	40,885.13	7,80,632.30	5,441.67	1,53,955.13

नोट: गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

Note: Previous years figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.49	628.47	24,884.05	8,595.78	2,054.29	64,554.90	52,16,959.61	188.00	52,17,147.61

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	11.49	-	-	-	-	-
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	-	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	4,278.01	29.45	-	-	-	13.39
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	708.86	5.19	-	-	-	3.62
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	4,998.36	34.64	-	-	-	17.01
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	52.06	52.06	-	52.06
-	-	-	-	-	2.41	2.41	-	2.41
-	-	-	-	-	54.47	54.47	-	54.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11.49	-	11.49
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(3.01)	-	-	-	4,317.84	-	4,317.84
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.09	-	-	-	717.76	-	717.76
-	-	72.51	-	-	-	72.51	-	72.51
-	-	69.59	-	-	-	5,119.60	-	5,119.60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	-	-	-	-	-	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	4,998.36	34.64	-	-	-	17.01
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	4,782.80	56.34	-	-	-	12.78
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	190.96	-	-	-	-	-
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	19.52	-	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	81.71	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	87.61	-	-	-	-	-
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	169.32	-	-	-	-	-
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	1,669.78	21.70	-	-	-	(4.23)
प्रावधान PROVISIONS	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	1,669.78	21.70	-	-	-	(4.23)
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(1,500.46)	(21.70)	-	-	-	4.23

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	69.59	-	-	54.47	5,174.07	-	5,174.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,558.12	1,558.12	-	1,558.12
-	-	-	-	-	-	4,851.92	-	4,851.92
-	-	72.51	-	-	-	72.51	-	72.51
-	-	-	-	-	-	190.96	-	190.96
-	-	-	-	-	-	19.52	-	19.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	81.71	-	81.71
-	-	-	-	-	1.89	89.50	-	89.50
-	-	-	-	-	1.89	171.21	-	171.21
-	-	2.92	-	-	-	1,690.17	-	1,690.17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.92	-	-	-	1,690.17	-	1,690.17
-	-	(2.92)	-	-	1.89	(1,518.96)	-	(1,518.96)

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	3,492.82	34.64	-	-	-	17.01

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	69.59	-	-	1,560.01	5,174.07	-	5,174.07

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ: POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	10.01	-	-	-	-	-
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	-	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	4,108.56	28.76	-	-	-	14.16
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	640.87	4.33	-	-	-	2.18
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	4,759.44	33.09	-	-	-	16.34

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(6.63)	(6.63)	-	(6.63)
-	-	-	-	-	14.89	14.89	-	14.89
-	-	-	-	-	8.26	8.26	-	8.26
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.01	-	10.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(2.24)	-	-	-	4,149.24	-	4,149.24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.20	-	-	-	647.58	-	647.58
-	-	75.58	-	-	-	75.58	-	75.58
-	-	73.54	-	-	-	4,882.41	-	4,882.41

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	-	-	-	-	-	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	4,759.44	33.09	-	-	-	16.34
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	4,573.51	53.82	-	-	-	12.27
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	184.79	-	-	-	-	-
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	21.33	-	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	81.70	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	73.38	-	-	-	-	-
उप-योग (क) Sub-Total (A)	155.08	-	-	-	-	-
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	1,547.17	20.73	-	-	-	(4.07)
प्रावधान PROVISIONS	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	1,547.17	20.73	-	-	-	(4.07)
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(1,392.09)	(20.73)	-	-	-	4.07

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	73.54	-	-	8.26	4,890.67	-	4,890.67
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,380.16	1,380.16	-	1,380.16
-	-	-	-	-	-	4,639.60	-	4,639.60
-	-	75.58	-	-	-	75.58	-	75.58
-	-	-	-	-	-	184.79	-	184.79
-	-	-	-	-	-	21.33	-	21.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	81.70	-	81.70
-	-	-	-	-	-	73.38	-	73.38
-	-	-	-	-	-	155.08	-	155.08
-	-	2.04	-	-	-	1,565.87	-	1,565.87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.04	-	-	-	1,565.87	-	1,565.87
-	-	(2.04)	-	-	-	(1,410.79)	-	(1,410.79)

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	3,387.54	33.09	-	-	-	16.34

नोट: गतवर्ष के आकड़ों के तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

Note: Previous years figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	73.54	-	-	1,380.16	4,890.67	-	4,890.67

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम	2,77,930.89	71,996.81	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
(a) Premium						
(ख) पुनर्बीमा अंतरण	(99.33)	(501.72)	(0.10)	-	-	-
(b) Reinsurance ceded						
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार	-	-	-	-	-	-
(c) Reinsurance accepted						
उप-योग / Sub-Total	2,77,831.56	71,495.09	360.66	1,06,588.84	1.86	15,797.67
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	2,04,079.06	40,202.56	3,095.70	55,158.00	374.04	11,503.47
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross						
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ	38,601.77	30,455.71	-	6,396.50	0.12	18.78
(b) Profit on sale/redemption of investments						
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)	347.62	716.01	(24.28)	(343.24)	(8.36)	-
(c) (Loss on sale/redemption of investments)						
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*	(33.42)	-	-	-	-	-
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*						
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट	(972.84)	(40.14)	(15.94)	-	(7.79)	(64.03)
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments						
अन्य आय						
Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	70.74	(0.09)	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	165.56	288.16	-	139.21	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान						
Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	2,390.81	-	19.22	-	-	-
(a) Towards Excess Expenses of Management						
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए	-	-	-	-	-	-
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WTDD/ Other KMPs						
(ग) अन्य	24.69	-	-	-	-	-
(c) Others						
कुल (क) TOTAL (A)	5,22,505.55	1,43,117.30	3,435.36	1,67,939.31	359.87	27,255.89

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
5.90	282.91	14,100.52	1,717.63	64.22	4,88,848.01	0.91	4,88,848.92
-	(87.37)	(0.63)	-	(11.60)	(700.75)	-	(700.75)
-	-	-	-	-	-	-	-
5.90	195.54	14,099.89	1,717.63	52.62	4,88,147.26	0.91	4,88,148.17
8.66	63.31	941.75	293.70	91.92	3,15,812.17	16.34	3,15,828.51
0.39	9.54	868.79	860.81	179.56	77,391.97	0.36	77,392.33
-	(0.35)	1.99	1.65	2.32	693.36	(0.50)	692.86
-	-	368.44	(417.80)	(106.70)	(189.48)	-	(189.48)
-	(0.10)	-	-	-	(1,100.84)	-	(1,100.84)
-	-	-	-	-	70.65	-	70.65
(0.15)	0.02	(0.94)	-	-	591.86	-	591.86
-	100.26	-	98.87	8.24	2,617.40	-	2,617.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24.69	-	24.69
14.80	368.22	16,279.92	2,554.86	227.96	8,84,059.04	17.11	8,84,076.15

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	22,818.84	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	31,676.43	2,212.59	53.50	192.84	5.69	360.96
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(1,545.66)	0.20	-	-	-	1.41
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for Tax	1,493.95	5,698.37	-	370.49	0.01	101.96
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(26.95)	31.87	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	(600.07)	(14.26)	(5.36)	(18.61)	(0.12)	(3.94)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	53,816.54	9,600.11	55.58	544.77	5.62	834.55
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,45,474.51	58,367.99	2,677.62	92,400.68	333.90	9,762.07
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	3,075.31	-	0.49	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,13,823.20	37,935.75	333.27	72,449.34	(134.69)	15,959.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund	-	-	-	-	-	-
(ग) भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for Future Appropriations - Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग) / TOTAL (C)	4,62,373.02	96,303.74	3,011.38	1,64,850.02	199.21	25,721.11

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,308.74	0.02	25,308.76
0.14	54.10	739.43	108.72	10.34	35,414.74	0.46	35,415.20
-	(0.01)	(1.32)	(0.24)	-	(1,545.62)	(0.17)	(1,545.79)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.45	44.25	34.38	-	6.97	7,750.83	21.66	7,772.49
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.32	3.34	2.02	15.60	-	15.60
-	(0.03)	-	-	-	(642.39)	-	(642.39)
-	-	180.83	29.79	12.72	223.34	-	223.34
0.75	117.77	1,320.78	193.57	35.20	66,525.24	21.97	66,547.21
7.89	23.60	2,493.63	1,570.92	160.36	4,13,273.17	5.72	4,13,278.89
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
-	-	-	-	-	-	-	-
3.87	(77.06)	22.19	(7.31)	(1.61)	3,40,305.99	(50.91)	3,40,255.08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,162.09	508.80	(13.88)	12,657.01	-	12,657.01
-	-	328.26	68.91	-	397.17	-	397.17
-	-	25.04	-	-	25.04	-	25.04
11.76	(53.46)	15,031.21	2,141.32	144.87	7,69,734.18	(45.19)	7,69,688.99

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	6,315.99	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	-	1,921.92	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	6,315.99	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23
विनियोजन / APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	6,233.92	39,135.37	16.76	2,544.52	0.10	700.23
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष Balance being Funds for Future Appropriations	82.07	-	351.64	-	154.94	-
कुल (घ) / TOTAL (D)	6,315.99	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैरच्युटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस, एलआईसी का सीप/निवेश प्लस, एल आई सी न्यू पेंशन प्लस और एल आई सी इंडेक्स प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,799.62	40.33	47,839.95
-	-	304.34	29.16	-	2,255.42	-	2,255.42
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,055.04	40.33	50,095.37
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	49,466.39	40.33	49,506.72
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	588.65	-	588.65
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,055.04	40.33	50,095.37

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस / Interim Bonus	3,075.31	-	0.49	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन* / Allocation of Bonus to policyholders*	56,179.39	-	150.86	-	0.85	-
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष / Surplus shown in Revenue account	6,315.99	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
कुल / Total	65,570.69	37,213.45	519.75	2,544.52	155.89	700.23

* इस राशि में यूके शाखा के सहभागी पॉलिसीधारकों को दिए गए अंतिम बोनस से संबंधित ₹ 26.76 करोड़ शामिल है, लेकिन यूके शाखा के वैधानिक मूल्यांकन में इसे अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

The amount includes ₹ 26.76 crores pertaining to final bonus paid to UK branch participating policyholders but shown as surplus for UK branch in statutory valuation of the UK branch.

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
-	-	-	-	-	56,331.10	-	56,331.10
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,799.62	40.33	47,839.95
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	1,07,206.52	40.33	1,07,246.85

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,75,293.58	70,501.69	410.93	1,08,051.58	2.16	14,622.42
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(116.17)	(467.95)	(0.13)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	2,75,177.41	70,033.74	410.80	1,08,051.58	2.16	14,622.42
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,91,807.08	37,750.42	3,052.29	51,449.63	372.46	10,679.95
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	37,354.20	22,723.19	21.34	5,385.38	7.35	13.92
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(1,174.53)	(347.80)	(11.29)	(458.55)	(15.65)	-
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	(47.41)	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments	(970.37)	(38.73)	(15.99)	-	(7.87)	(60.55)
अन्य आय Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	7,704.70	(0.07)	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	6,430.22	374.14	-	140.33	0.01	-
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	-	-	-	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (c) Others	12.98	-	-	-	-	-
कुल (क) TOTAL (A)	5,16,294.28	1,30,494.89	3,457.15	1,64,568.37	358.46	25,255.74

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
6.36	322.67	5,496.15	970.93	72.44	4,75,750.91	1.01	4,75,751.92
-	(85.69)	(0.47)	(0.01)	(11.92)	(682.34)	-	(682.34)
-	-	-	-	-	-	-	-
6.36	236.98	5,495.68	970.92	60.52	4,75,068.57	1.01	4,75,069.58
8.22	58.36	751.61	279.82	95.56	2,96,305.40	16.59	2,96,321.99
0.13	0.45	994.82	408.34	101.36	67,010.48	-	67,010.48
(0.16)	-	(104.16)	(30.79)	(19.10)	(2,162.03)	(0.02)	(2,162.05)
-	-	2,668.38	1,120.86	125.28	3,867.11	-	3,867.11
-	(0.10)	-	-	-	(1,093.61)	-	(1,093.61)
-	-	-	-	-	7,704.63	-	7,704.63
(0.10)	-	(0.89)	0.01	0.01	6,943.73	-	6,943.73
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12.98	-	12.98
14.45	295.69	9,805.44	2,749.16	363.63	8,53,657.26	17.58	8,53,674.84

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	24,270.11	921.59	11.67	0.07	0.05	506.09
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	44,417.81	2,294.41	85.14	245.09	7.45	405.41
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(866.58)	2.18	-	(0.03)	-	3.53
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for tax	631.28	4,542.18	-	349.11	-	268.78
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(1,935.22)	(2.46)	-	(3.16)	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	98.91	6.72	(1.98)	(67.37)	(0.12)	(3.11)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	66,616.31	7,764.62	94.83	523.71	7.38	1,180.70
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,14,063.37	58,058.46	2,371.80	99,622.04	318.67	8,304.06
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	2,859.77	-	0.41	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,32,469.07	35,876.54	(61.06)	62,024.98	(216.50)	13,925.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund	-	-	-	-	-	-
(च) भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for Future Appropriations- Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग) /TOTAL (C)	4,49,392.21	93,935.00	2,311.15	1,61,647.02	102.17	22,229.10

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
0.18	30.31	179.48	35.91	3.64	25,959.10	0.02	25,959.12
0.13	118.69	396.96	130.63	18.95	48,120.67	1.01	48,121.68
-	(0.02)	(100.24)	(31.28)	(19.00)	(1,011.44)	(0.04)	(1,011.48)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.35	5.05	19.68	-	5.85	5,822.28	2.88	5,825.16
-	-	-	-	-	(1,940.84)	-	(1,940.84)
(0.14)	(0.03)	-	-	-	32.88	-	32.88
-	-	96.63	24.89	12.86	134.38	-	134.38
0.52	154.00	592.51	160.15	22.30	77,117.03	3.87	77,120.90
20.71	14.69	1,944.31	1,112.86	112.13	3,85,943.10	6.05	3,85,949.15
-	-	-	-	-	2,860.18	-	2,860.18
(9.20)	92.32	0.16	(21.17)	(5.70)	3,44,074.48	2.30	3,44,076.78
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,095.54	1,426.60	194.71	8,716.85	-	8,716.85
-	-	193.83	37.59	-	231.42	-	231.42
-	-	11.02	-	-	11.02	-	11.02
11.51	107.01	9,244.86	2,555.88	301.14	7,41,837.05	8.35	7,41,845.40

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	285.76	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	-	2,399.59	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	285.76	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
विनियोजन/ APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	4,286.96	31,194.86	13.77	2,397.64	0.08	1,845.94
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष Balance being Funds for Future Appropriations	(4,001.20)	-	1,037.40	-	248.83	-
कुल (घ)/TOTAL (D)	285.76	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाईल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेंशन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैच्युटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस, एलआईसी का सीप/निवेश प्लस, एल आई सी न्यू पेंशन प्लस और एल आई सी इंडेक्स प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	34,703.18	5.36	34,708.54
-	-	160.54	38.32	-	2,598.45	-	2,598.45
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	37,301.63	5.36	37,306.99
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	40,016.60	5.36	40,021.96
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(2,714.97)	-	(2,714.97)
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	37,301.63	5.36	37,306.99

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस / Interim Bonus	2,859.77	-	0.41	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन / Allocation of Bonus to policyholders	52,919.89	-	169.80	-	0.91	-
राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष / Surplus shown in Revenue account	285.76	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
कुल Total	56,065.42	28,795.27	1,221.38	2,397.64	249.82	1,845.94

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	2,860.18	-	2,860.18
-	-		-	-	53,090.60	-	53,090.60
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	34,703.18	5.36	34,708.54
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	90,653.96	5.36	90,659.32

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खाते राजस्व का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम	2,77,536.09	71,995.98	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
(a) Premium						
(ख) पुनर्बीमा अंतरण	(97.81)	(501.72)	(0.10)	-	-	-
(b) Reinsurance ceded						
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार	-	-	-	-	-	-
(c) Reinsurance accepted						
उप-योग / Sub-Total	2,77,438.28	71,494.26	360.66	1,06,588.84	1.86	15,797.67
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	2,03,810.52	40,202.42	3,095.70	55,158.00	374.04	11,503.47
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross						
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ	38,577.11	30,455.71	-	6,396.50	0.12	18.78
(b) Profit on sale/redemption of investments						
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)	374.66	716.01	(24.28)	(343.24)	(8.36)	-
(c) (Loss on sale/redemption of investments)						
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*	-	-	-	-	-	-
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*						
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट	(972.84)	(40.14)	(15.94)	-	(7.79)	(64.03)
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments						
अन्य आय						
Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ	70.74	(0.09)	-	-	-	-
(i) Amounts written back						
(ii) विविध प्राप्तियाँ	164.03	288.16	-	139.21	-	-
(ii) Sundry Receipts						
अंशधारकों के खाते से योगदान						
Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	2,390.81	-	19.22	-	-	-
(a) Towards Excess Expenses of Management						
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए	-	-	-	-	-	-
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs						
(ग) अन्य	-	-	-	-	-	-
(c) Others						
कुल (क) / TOTAL (A)	5,21,853.31	1,43,116.33	3,435.36	1,67,939.31	359.87	27,255.89
कमीशन Commission	22,795.20	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च	31,618.57	2,212.49	53.50	192.84	5.69	360.96
Operating Expenses related to Insurance Business						

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
5.90	282.91	14,098.00	1,717.63	64.22	4,88,449.86	0.91	4,88,450.77
-	(87.37)	(0.63)	-	(11.60)	(699.23)	-	(699.23)
-	-	-	-	-	-	-	-
5.90	195.54	14,097.37	1,717.63	52.62	4,87,750.63	0.91	4,87,751.54
8.66	63.31	939.94	293.70	91.92	3,15,541.68	16.34	3,15,558.02
0.39	9.54	866.01	860.81	179.56	77,364.53	0.36	77,364.89
-	(0.35)	2.27	1.65	2.32	720.68	(0.50)	720.18
-	-	369.92	(417.80)	(106.70)	(154.58)	-	(154.58)
-	(0.10)	-	-	-	(1,100.84)	-	(1,100.84)
						-	-
-	-	-	-	-	70.65	-	70.65
(0.15)	0.02	0.11	-	-	591.38	-	591.38
-	100.26	-	98.87	8.24	2,617.40	-	2,617.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.80	368.22	16,275.62	2,554.86	227.96	8,83,401.53	17.11	8,83,418.64
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,285.10	0.02	25,285.12
0.14	54.10	742.25	108.72	10.34	35,359.60	0.46	35,360.06

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts	(1,546.08)	0.20	-	-	-	1.41
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for Tax	1,477.69	5,698.37	-	370.49	0.01	101.96
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(26.95)	31.87	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	(600.07)	(14.26)	(5.36)	(18.61)	(0.12)	(3.94)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	53,718.36	9,600.01	55.58	544.77	5.62	834.55
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,45,099.07	58,367.81	2,677.62	92,400.68	333.90	9,761.30
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	3,073.55	-	0.49	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,13,653.75	37,935.06	333.27	72,449.34	(134.69)	15,959.81
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund	-	-	-	-	-	-
(ड) भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation- Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग) / TOTAL (C)	4,61,826.37	96,302.87	3,011.38	1,64,850.02	199.21	25,721.11
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	6,308.58	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	-	1,921.92	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	6,308.58	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23
विनियोजन/ APPROPRIATIONS						

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	(0.01)	(1.32)	(0.24)	-	(1,546.04)	(0.17)	(1,546.21)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.45	44.25	33.82	-	6.97	7,734.01	21.66	7,755.67
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.32	3.34	2.02	15.60	-	15.60
-	(0.03)	-	-	-	(642.39)	-	(642.39)
-	-	180.83	29.79	12.72	223.34	-	223.34
0.75	117.77	1,323.04	193.57	35.20	66,429.22	21.97	66,451.19
7.89	23.60	2,483.23	1,570.92	160.36	4,12,886.38	5.72	4,12,892.10
-	-	-	-	-	3,074.04	-	3,074.04
-	-	-	-	-	-	-	-
3.87	(77.06)	22.96	(7.31)	(1.61)	3,40,137.39	(50.91)	3,40,086.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,165.16	508.80	(13.88)	12,660.08	-	12,660.08
-	-	328.26	68.91	-	397.17	-	397.17
-	-	25.04	-	-	25.04	-	25.04
11.76	(53.46)	15,024.65	2,141.32	144.87	7,69,180.10	(45.19)	7,69,134.91
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,792.21	40.33	47,832.54
-	-	304.34	29.16	-	2,255.42	-	2,255.42
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,047.63	40.33	50,087.96
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	6,226.51	39,135.37	16.76	2,544.52	0.10	700.23
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष Balance being Funds for Future Appropriations	82.07	-	351.64	-	154.94	-
कुल (घ) / TOTAL (D)	6,308.58	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाइल्ड फॉर्च्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेंशन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैच्युटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस, एलआईसी का सीप/निवेश प्लस, एल आईसी न्यू पेंशन प्लस और एल आई सी इंडेक्स प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	49,458.98	40.33	49,499.31
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	588.65	-	588.65
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,047.63	40.33	50,087.96

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	3,073.55	-	0.49	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	56,038.53	-	150.86	-	0.85	-
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	6,308.58	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
कुल / Total	65,420.66	37,213.45	519.75	2,544.52	155.89	700.23

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	3,074.04	-	3,074.04
-	-	-	-	-	56,190.24	-	56,190.24
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,792.21	40.33	47,832.54
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	1,07,056.49	40.33	1,07,096.82

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,74,827.33	70,500.83	410.93	1,08,051.58	2.16	14,622.42
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(114.55)	(467.95)	(0.13)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	2,74,712.78	70,032.88	410.80	1,08,051.58	2.16	14,622.42
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,91,506.57	37,750.28	3,052.29	51,449.63	372.46	10,679.95
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	37,337.84	22,723.19	21.34	5,385.38	7.35	13.92
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(1,154.64)	(347.80)	(11.29)	(458.55)	(15.65)	-
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	-	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments	(970.37)	(38.73)	(15.99)	-	(7.87)	(60.55)
अन्य आय Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	7,704.82	(0.07)	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	6,428.14	374.14	-	140.33	0.01	-
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	-	-	-	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (c) Others	-	-	-	-	-	-
कुल (क) TOTAL (A)	5,15,565.14	1,30,493.89	3,457.15	1,64,568.37	358.46	25,255.74

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
6.36	322.67	5,487.01	970.93	72.44	4,75,274.66	1.01	4,75,275.67
-	(85.69)	(0.47)	(0.01)	(11.92)	(680.72)	-	(680.72)
-	-	-	-	-	-	-	-
6.36	236.98	5,486.54	970.92	60.52	4,74,593.94	1.01	4,74,594.95
8.22	58.36	749.80	279.82	95.56	2,96,002.94	16.59	2,96,019.53
0.13	0.45	988.88	408.34	101.36	66,988.18	-	66,988.18
(0.16)	-	(102.45)	(30.79)	(19.10)	(2,140.43)	(0.02)	(2,140.45)
-	-	2,667.10	1,120.86	125.28	3,913.24	-	3,913.24
-	(0.10)	-	-	-	(1,093.61)	-	(1,093.61)
-	-	-	-	-	7,704.75	-	7,704.75
(0.10)	-	0.09	0.01	0.01	6,942.63	-	6,942.63
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.45	295.69	9,789.96	2,749.16	363.63	8,52,911.64	17.58	8,52,929.22

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	24,244.10	921.59	11.67	0.07	0.05	506.09
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	44,356.07	2,294.38	85.14	245.09	7.45	405.41
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts	(866.62)	2.18	-	(0.03)	-	3.53
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for tax	623.18	4,542.18	-	349.11	-	268.78
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(1,935.22)	(2.46)	-	(3.16)	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	98.88	6.72	(1.98)	(67.37)	(0.12)	(3.11)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	66,520.39	7,764.59	94.83	523.71	7.38	1,180.70
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,13,586.19	58,058.05	2,371.80	99,622.04	318.67	8,303.28
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	2,858.00	-	0.41	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,32,321.89	35,875.98	(61.06)	62,024.98	(216.50)	13,925.82
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबंध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund	-	-	-	-	-	-

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
0.18	30.31	179.48	35.91	3.64	25,933.09	0.02	25,933.11
0.13	118.69	399.66	130.63	18.95	48,061.60	1.01	48,062.61
-	(0.02)	(100.24)	(31.28)	(19.00)	(1,011.48)	(0.04)	(1,011.52)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.35	5.05	18.73	-	5.85	5,813.23	2.88	5,816.11
-	-	-	-	-	(1,940.84)	-	(1,940.84)
(0.14)	(0.03)	-	-	-	32.85	-	32.85
-	-	96.63	24.89	12.86	134.38	-	134.38
0.52	154.00	594.26	160.15	22.30	77,022.83	3.87	77,026.70
20.71	14.69	1,928.30	1,112.86	112.13	3,85,448.72	6.05	3,85,454.77
-	-	-	-	-	2,858.41	-	2,858.41
(9.20)	92.32	1.35	(21.17)	(5.70)	3,43,928.71	2.30	3,43,931.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,093.13	1,426.60	194.71	8,714.44	-	8,714.44
-	-	193.83	37.59	-	231.42	-	231.42

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(च) भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation - Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)	4,48,766.08	93,934.03	2,311.15	1,61,647.02	102.17	22,229.10
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग)	278.67	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)						
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	-	2,399.59	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	278.67	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
विनियोजन / APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	4,279.87	31,194.86	13.77	2,397.64	0.08	1,845.94
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष Balance being Funds for Future Appropriations	(4,001.20)	-	1,037.40	-	248.83	-
कुल (घ) / TOTAL (D)	278.67	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेंशन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैच्युटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस, एलआईसी का सीप/निवेश प्लस, एल आई सी न्यू पेंशन प्लस और एल आई सी इन्डेक्स प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	11.02	-	-	11.02	-	11.02
11.51	107.01	9,227.63	2,555.88	301.14	7,41,192.72	8.35	7,41,201.07
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	34,696.09	5.36	34,701.45
-	-	160.54	38.32	-	2,598.45	-	2,598.45
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	37,294.54	5.36	37,299.90
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	40,009.51	5.36	40,014.87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(2,714.97)	-	(2,714.97)
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	37,294.54	5.36	37,299.90

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	2,858.00	-	0.41	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	52,785.16	-	169.80	-	0.91	-
राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	278.67	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
कुल / Total	55,921.83	28,795.27	1,221.38	2,397.64	249.82	1,845.94

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	संबद्ध व्यवसाय Linked Business				योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
-	-	-	-	-		2,858.41	-	2,858.41
-	-	-	-	-		52,955.87	-	52,955.87
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19		34,696.09	5.36	34,701.45
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19		90,510.37	5.36	90,515.73

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम	394.80	0.83	-	-	-	-
(a) Premium						
(ख) पुनर्बीमा अंतरण	(1.52)	-	-	-	-	-
(b) Reinsurance ceded						
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार	-	-	-	-	-	-
(c) Reinsurance accepted						
उप-योग / Sub-Total	393.28	0.83	-	-	-	-
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल	268.54	0.14	-	-	-	-
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross						
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ	24.66	-	-	-	-	-
(b) Profit on sale/redemption of investments						
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)	(27.04)	-	-	-	-	-
(c) (Loss on sale/redemption of investments)						
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*	(33.42)	-	-	-	-	-
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*						
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट	-	-	-	-	-	-
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments						
अन्य आय Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	-	-	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	1.53	-	-	-	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholders' A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	-	-	-	-	-	-
(a) Towards Excess Expenses of Management						
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए	-	-	-	-	-	-
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs						
(ग) अन्य	24.69	-	-	-	-	-
(c) Others						
कुल (क) TOTAL (A)	652.24	0.97	-	-	-	-

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	2.52	-	-	398.15	-	398.15
-	-	-	-	-	(1.52)	-	(1.52)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.52	-	-	396.63	-	396.63
-	-	1.81	-	-	270.49	-	270.49
-	-	2.78	-	-	27.44	-	27.44
-	-	(0.28)	-	-	(27.32)	-	(27.32)
-	-	(1.48)	-	-	(34.90)	-	(34.90)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(1.05)	-	-	0.48	-	0.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24.69	-	24.69
-	-	4.30	-	-	657.51	-	657.51

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	23.64	-	-	-	-	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	57.86	0.10	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	0.42	-	-	-	-	-
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for tax	16.26	-	-	-	-	-
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	-	-	-	-	-	-
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	98.18	0.10	-	-	-	-
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	375.44	0.18	-	-	-	0.77
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	1.76	-	-	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	169.45	0.69	-	-	-	(0.77)
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबंध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund	-	-	-	-	-	-

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	23.64	-	23.64
-	-	(2.82)	-	-	55.14	-	55.14
-	-	-	-	-	0.42	-	0.42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.56	-	-	16.82	-	16.82
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(2.26)	-	-	96.02	-	96.02
-	-	10.40	-	-	386.79	-	386.79
-	-	-	-	-	1.76	-	1.76
-	-	(0.77)	-	-	168.60	-	168.60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(3.07)	-	-	(3.07)	-	(3.07)
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(घ) भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation - Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)	546.65	0.87	-	-	-	-
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग)	7.41	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)						
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholders' Account (Non-Technical Account)	-	-	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	7.41	-	-	-	-	-
विनियोजन/ APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	7.41	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनो के लिए निधियों का शेष Balance being Funds for Future Appropriations	-	-	-	-	-	-
कुल (घ)/TOTAL (D)	7.41	-	-	-	-	-

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6.56	-	-	554.08	-	-	554.08
-	-	-	-	-	7.41	-	-	7.41
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.41	-	-	7.41
-	-	-	-	-	7.41	-	-	7.41
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.41	-	-	7.41

अनुबंध - I फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस / Interim Bonus	1.76	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन* / Allocation of Bonus to policyholders*	140.86	-	-	-	-	-
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष / Surplus shown in Revenue account	7.41	-	-	-	-	-
कुल / Total	150.03	-	-	-	-	-

इस राशि में यूके शाखा के सहभागी पॉलिसीधारकों को दिए गए अंतिम बोनस से संबंधित ₹ 26.76 करोड़ शामिल है, लेकिन यूके शाखा के वैधानिक मूल्यांकन में इसे अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आवंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

The amount includes ₹ 26.76 crores pertaining to final bonus paid to UK branch participating policyholders but shown as surplus for UK branch in statutory valuation of the UK branch.

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	संबद्ध व्यवसाय Linked Business	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	
-	-	-	-	-	1.76
-	-	-	-	-	140.86
-	-	-	-	-	7.41
-	-	-	-	-	150.03

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम	466.25	0.86	-	-	-	-
(a) Premium						
(ख) पुनर्बीमा अंतरण	(1.62)	-	-	-	-	-
(b) Reinsurance ceded						
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार	-	-	-	-	-	-
(c) Reinsurance accepted						
उप-योग / Sub-Total	464.63	0.86	-	-	-	-
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	300.51	0.14	-	-	-	-
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross						
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ	16.36	-	-	-	-	-
(b) Profit on sale/redemption of investments						
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)	(19.89)	-	-	-	-	-
(c) (Loss on sale/redemption of investments)						
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*	(47.41)	-	-	-	-	-
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*						
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट	-	-	-	-	-	-
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments						
अन्य आय Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	(0.12)	-	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	2.08	-	-	-	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholders' A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	-	-	-	-	-	-
(a) Towards Excess Expenses of Management						
(ख) एमडी/सीईओ/डिप्युटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए	-	-	-	-	-	-
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs						
(ग) अन्य	12.98	-	-	-	-	-
(c) Others						
कुल (क) TOTAL (A)	729.14	1.00	-	-	-	-

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	9.14	-	-	476.25	-	476.25
-	-	-	-	-	(1.62)	-	(1.62)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9.14	-	-	474.63	-	474.63
-	-	1.81	-	-	302.46	-	302.46
-	-	5.94	-	-	22.30	-	22.30
-	-	(1.71)	-	-	(21.60)	-	(21.60)
-	-	1.28	-	-	(46.13)	-	(46.13)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(0.12)	-	(0.12)
-	-	(0.98)	-	-	1.10	-	1.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12.98	-	12.98
-	-	15.48	-	-	745.62	-	745.62

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	26.01	-	-	-	-	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	61.74	0.03	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	0.04	-	-	-	-	-
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for tax	8.10	-	-	-	-	-
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	0.03	-	-	-	-	-
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	95.92	0.03	-	-	-	-
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	477.18	0.41	-	-	-	0.78
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	1.77	-	-	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	147.18	0.56	-	-	-	(0.78)
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबंध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Transfer to Provision for Linked Liabilities	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद करने निधियों को अंतरण (e) Transfer to Funds for Discontinued Fund	-	-	-	-	-	-

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	26.01	-	26.01
-	-	(2.70)	-	-	59.07	-	59.07
-	-	-	-	-	0.04	-	0.04
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.95	-	-	9.05	-	9.05
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.03	-	0.03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(1.75)	-	-	94.20	-	94.20
-	-	16.01	-	-	494.38	-	494.38
-	-	-	-	-	1.77	-	1.77
-	-	(1.19)	-	-	145.77	-	145.77
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.41	-	-	2.41	-	2.41
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(च) भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण - संबद्ध व्यवसाय						
(f) Transfer to Funds for Future Appropriations - Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)	626.13	0.97	-	-	-	-
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	7.09	-	-	-	-	-
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholders' Account (Non Technical Account)	-	-	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	7.09	-	-	-	-	-
विनियोजन/APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	7.09	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों को शेष Balance being Funds for Future Appropriations	-	-	-	-	-	-
कुल (घ) / TOTAL (D)	7.09	-	-	-	-	-

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	17.23	-	-	644.33	-	644.33
-	-	-	-	-	7.09	-	7.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.09	-	7.09
-	-	-	-	-	7.09	-	7.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.09	-	7.09

अनुबंध - I फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	1.77	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	134.73	-	-	-	-	-
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	7.09	-	-	-	-	-
कुल / Total	143.59	-	-	-	-	-

* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Previous year's figure have been regrouped wherever necessary to make them comparable.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	संबद्ध व्यवसाय Linked			योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	1.77	-	1.77
-	-	-	-	-	134.73	-	134.73
-	-	-	-	-	7.09	-	7.09
-	-	-	-	-	143.59	-	143.59

भारतीय जीवन बीमा निगम

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की प्रबंधन रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के संचालन के संबंध में, निगम का प्रबंधन निम्नानुसार पुष्टि, प्रमाणित और घोषणा करता है:

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र

निगम ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और यह अभी भी वैध है। निगम ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।

2. वैधानिक बकाया

निगम इस बात की पुष्टि करता है कि वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी देय राशियों का भुगतान नियत तारीखों के भीतर कर दिया गया है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों के तहत विरोध हो रहा है या खुलासा किया जा रहा है।

3. शेयरधारिता पैटर्न

निगम पुष्टि करता है कि शेयरधारिता पैटर्न बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं के अनुरूप है, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन), 2015 और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया है।

विस्तृत शेयरधारिता पैटर्न अनुसूची 5ए में प्रकट किया गया है, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है। इसके अलावा, शेयरधारिता पैटर्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार है और निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. निधियों का निवेश

निगम ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत में जारी पॉलिसी धारकों के फंड से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है।

5. शोधन क्षमता मार्जिन (सॉल्वेंसी मार्जिन)

निगम के पास बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए और आईआरडीआई (जीवन बीमा व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियां और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016 के तहत निर्धारित अवधि के दौरान अपेक्षित सॉल्वेंसी मार्जिन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति है।

6. परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

किसी भी संभावित हानि प्रावधान/गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के प्रावधान के लिए तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में निर्धारित संपत्ति को कुल राशि में निम्नलिखित शीर्षकों के तहत दिखाया गया है जो उनकी वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है; ऋण, निवेश, एजेंट शेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, लाभांश और किराए बकाया, ब्याज, लाभांश और किराए पर उपार्जित लेकिन बकाया नहीं, अन्य व्यक्तियों या बीमा व्यवसाय करने वाले निकायों से देय राशि, प्राप्य बिल, विविध देनदार, नकद और अन्य खाते के तहत निर्दिष्ट कई भदों।

7. जीवन बीमा कोष का अनुप्रयोग और निवेश

जीवन बीमा निधि के किसी भी भाग का बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया गया है, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, जो जीवन बीमा निधि के अनुप्रयोग और निवेश से संबंधित है।

8. समग्र जोखिम तथा इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति

भारतीय जीवन बीमा निगम के पास व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा है। जो निगम के समक्ष उपस्थित जोखिमों को ध्यान में रखता है व पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।

जोखिम शासन रूपरेखा:

जोखिम प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके तहत निगम ऐसे जोखिमों की पहचान, मापन और कम करने के द्वारा निगम के संचालन से जुड़े जोखिमों को संबोधित करता है। जोखिम प्रबंधन में सभी कारकों की समझ शामिल है और जिस हद तक के सफलता

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

MANAGEMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

With respect to the operations of the Corporation for the year ended 31st March, 2025, the Management of the Corporation confirms, certifies and declares as below:

1. CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Corporation has obtained the Certificate of Renewal of Registration from the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the same continues to be valid. The Corporation has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.

2. STATUTORY DUES

The Corporation confirms that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid within due dates, except those which are being contested or disclosed under contingent liabilities in the notes to accounts forming part of the financial statements.

3. SHAREHOLDING PATTERN

The Corporation confirms that the shareholding pattern is with in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment), 2015 and the Life Insurance Corporation Act, 1956.

The detailed shareholding pattern is disclosed in Schedule 5A, forming part of financial statements. Further, the shareholding pattern is in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and is available on the website of the Corporation.

4. INVESTMENT OUTSIDE INDIA

The Corporation has not, directly or indirectly, invested outside India from the funds of the holders of policies, issued in India during the year.

5. SOLVENCY MARGIN

The Corporation has adequate assets to maintain its solvency margins as required by the Insurance Act, 1938 during the period as stipulated under Section 64VA of the said Act and the IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016.

6. VALUATION OF ASSETS

The values of all the assets have been reviewed on the date of Balance-Sheet for any possible impairment provision/provision for non performing asset and that in the opinion of the Management, the assets set forth in the Balance-Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value under the headings "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", "Bills Receivable", "Sundry Debtors", "Cash" and the several items specified under "Other Accounts".

7. APPLICATION AND INVESTMENTS OF LIFE INSURANCE FUNDS

No part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015, relating to the application and investment of the Life Insurance Funds.

8. OVERALL RISK EXPOSURE AND MITIGATION STRATEGIES

Life Insurance Corporation has robust Enterprise Risk Management framework to conduct its business in an orderly fashion, taking into account the risks faced by the Corporation and ensuring adequate risk management procedures.

Risk Governance Frame Work:

Risk management is defined as the process under which Corporation addresses risks associated with the Corporation's operations by identifying, measuring and mitigating such risks. Risk Management encompasses understanding of all the factors

के लिए खतरा हो सकते हैं। यह प्रक्रिया संगठन में जोखिम संस्कृति को लाने का भी प्रयास करेगी ताकि कर्मचारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने के महत्व को महसूस करें और प्रत्येक कर्मचारी संबंधित जोखिमों को उचित रूप से संबोधित करने में स्वयं को शामिल करें।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम भूख विवरण, एएलएम नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना को मंजूरी देना, प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना शामिल है।

आईआरडीआई कॉरपोरेट गवर्नेंस विनियम, 2016 के अनुरूप, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB) का गठन किया गया है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन और परिसंपत्ति देयता नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक आंतरिक समिति, जिसका नाम जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी अधिकारियों की समिति (CERM) व परिसंपत्ति देयता समिति (ALCO) का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख कार्यात्मक विभागों के प्रमुख शामिल हैं।

निगम के जोखिम प्रबंधन के लिए रक्षा मॉडल की तीन पंक्तियाँ:

रक्षा की पहली पंक्ति – विभागाध्यक्ष (केंद्रीय कार्यालय में विभागाध्यक्ष) यानी जोखिम स्वामी। विभाग संबंधित जोखिमों का स्वामित्व ग्रहण करेंगे।

रक्षा की दूसरी पंक्ति – ईआरएम विभाग

यह प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और जोखिम मालिकों को मूल्यांकन में सहायता करता है और जोखिम से संबंधित जानकारी आरएमसी और शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है

रक्षा की तीसरी पंक्ति – आंतरिक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा, प्रणाली लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, आई एफ सी लेखा परीक्षा और निरीक्षण कार्य जो प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी संचालन के लिए शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को आश्वासन दे रहे हैं।

प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरण:

जोखिम क्षमता कथन:

जोखिम लेने की क्षमता जोखिम की वह राशि और प्रकार है जिसे निगम अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेने हेतु तैयार है। विभिन्न जोखिमों के लिए क्षमता की एक श्रृंखला मौजूद है और जो समय के साथ बदल सकती है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा वार्षिक आधार पर जोखिम लेने की क्षमता की समीक्षा की जाती है और बोर्ड द्वारा व्यापक स्तर पर अनुमोदित किया जाता है।

निगम द्वारा निर्धारित सीमाओं की तुलना में जोखिमों की निगरानी की जाती है और शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट की जाती है।

जोखिम रजिस्टर:

निगम प्रत्येक कार्यात्मक स्तर पर जोखिम रजिस्टर रखता है जिसमें नियंत्रण उपायों के साथ उस कार्य से संबंधित जोखिमों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। रजिस्ट्रों में पहचाने गए इस जोखिम का मूल्यांकन छमाही आधार पर किया जाता है। उभरते जोखिमों को शामिल करने के लिए जोखिम रजिस्टर को हर तिमाही में अपडेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उभरते जोखिमों की पहचान की जा रही है और उनका ध्यान रखा जा रहा है।

घटना प्रबंधन और परिचालन हानि डेटाबेस:

घटना प्रबंधन का उद्देश्य निगम के भीतर घटनाओं (धोखाधड़ी सहित) की पहचान, निगरानी, शमन और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना है। घटना प्रबंधन प्रक्रिया को धोखाधड़ी, विनियामक / नीति उल्लंघनों और संभावित नुकसान सहित किसी भी परिचालन हानि को सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया गया है, भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यवस्थित रूप से पहचान, रिपोर्ट, वृद्धि विश्लेषण और समाधान किया जाता है।

शीर्ष जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक:

निगम के लिए शीर्ष जोखिमों की पहचान निगम द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की भौतिकता/प्रभाव का विश्लेषण करके की जाती है। RAG स्थिति का पता लगाने के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। शीर्ष जोखिम और संबंधित प्रमुख जोखिम संकेतक वार्षिक आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

and the extent to which they can be threats to success. The process also endeavors to bring about the Risk culture in the organization so that the employees feel the importance of putting Risk management system in place and each employee involves himself in appropriately addressing the risks concerned.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function, which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Corporate Governance Regulations, 2016, Risk Management Committee of the Board (RMCB) is formed.

An internal committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Committee (ALCO) has been constituted consisting of Heads of key functional departments, to monitor the implementation of Enterprise Risk Management policy and Asset Liability Policy respectively.

Three Lines of Defence Model for Risk Management of the Corporation:

First Line of Defence - Head of Departments (HODs at Central Office) i.e. the Risk Owners. The Departments would assume ownership of respective risks.

Second Line of Defence – ERM Department

Monitors implementation of effective risk management practices, supports the risk owners in Assessment and Reporting risk related information to RMC & top management.

Third Line of Defence - Internal Audit, Statutory Audit, System Audit, Concurrent Audit, IFC Audit and Inspection function which are giving assurance to Top Management and Board for effective conduct of procedures, systems and processes.

Key Risk Management Tools:

Risk Appetite Statements:

Risk appetite is the amount and type of risk that the Corporation is willing to take in order to meet its strategic objectives. A range of appetites exist for different risks which may change over time. The Risk appetite statements are reviewed on an annual basis by the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and approved by the Board. The risks are monitored vis-a-vis the limits set by the Corporation and reporting is done to the Top Management and to the Risk Management Committee of the Board.

Risk Registers:

Corporation maintains Risk Register at each functional level wherein risks relating to that function along with the control measures are documented. The risks identified in the registers are assessed on half-yearly basis. The Risk register is updated every quarter for inclusion of emerging risks to ensure that all the emerging risks are being identified and taken care of.

Incident Management & Operational Loss database:

The Incident Management aims to implement procedures for identification, monitoring, mitigation and reporting of incidents (including frauds) within the Corporation. Incident Management process is defined to ensure any operational losses including frauds, regulatory / policy breaches and potential losses are systematically identified, reported, escalated, analysed and resolved to prevent recurrence in future.

Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation are identified by analysing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The assessment of Key Risk Indicators is done every quarter to ascertain RAG status. The Top Risks and associated Key Risk Indicators are updated on annual basis with separate benchmarks and threshold limits.

डैशबोर्ड

ईआरएम मॉड्यूल में डैश बोर्ड उपलब्ध है, जो जोखिम रिपोर्ट देखने के लिए शीर्ष प्रबंधन के लिए सुलभ है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत विभिन्न जोखिमों के लिए न्यूनीकरण रणनीतियां:

एलआईसी भारतीय वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख संस्थागत निवेशक है। इसके फंड्स को आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है और बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और प्रतिपक्ष जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों के संपर्क में आते हैं। वित्तीय बाजारों में इस तरह के विविध जोखिम से उत्पन्न होने वाले इन जोखिमों को मापने और कम करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संरचना की आवश्यकता होती है। निवेश जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान की जाती है और इन जोखिमों को दूर करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को लागू किया गया है ताकि न केवल पॉलिसीधारकों के धन की रक्षा की जा सके बल्कि उनकी उचित अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सके। निगम जोखिम प्रबंधन पर निरंतर संगठनात्मक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम दृष्टि, जोखिम प्रशासन, जोखिम पहचान, जोखिम मापन, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम निगरानी और रिपोर्टिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम ब्याज दरों, विनिमय दरों और प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य की कमाई की अनिश्चितता को संदर्भित करता है। निगम मुख्य रूप से उन प्रतिभूतियों में निवेश करके बाजार जोखिम के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है जो प्रमुख सूचकांकों का हिस्सा हैं।

प्रकार और अवधि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों का मिलान करके और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक सीमा तक नकदी प्रवाह का मिलान करके बाजार जोखिम को और कम किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए लागू निवेश रणनीति स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देनदारियां संपत्ति की प्रकृति और अवधि से उचित रूप से मेल खाती हैं।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें भुगतान समय पर न कर पाने की स्थिति में नकदी या नकदी के बराबर तरल संपत्ति अपर्याप्त होने के कारण दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को भुनाने की आवश्यकता होती है। निगम को अपनी देनदारियों की प्रकृति के कारण सीमित तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है। निगम तिमाही और वार्षिक आधार पर परिसंपत्ति-देयता नकदी प्रवाह मिलान स्थितियों की निगरानी करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। नकदी प्रवाह मिलान का विश्लेषण विभिन्न तनाव परिदृश्यों के तहत भी किया जाता है। LIC ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति अपनाई है।

ऋण जोखिम:

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो किसी भी पक्ष द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों को समय पर पूरा करने में विफलता या क्रेडिट प्रोफ़ाइल में गिरावट के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

निगम को सीमित ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि निवेश का बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है। अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित ऋण जोखिम निम्न द्वारा कम किया जाता है,

- घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा मुख्य रूप से एए अथवा एएए और उससे ऊपर की रेटिंग वाली प्रतिभूतियों तक निवेश को सीमित करना और
- हमारी पोर्टफोलियो कंपनियों के त्रैमासिक प्रदर्शन, उनकी रेटिंग और नियत तारीखों पर अपने दायित्वों को पूरा करने के उनके ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करना।

बीमा जोखिम:

बीमा जोखिम दावों, रुग्णता, मृत्यु दर, निकासी, व्यय, कराधान उपचार और अन्य धारणाओं में प्रतिकूल अनुभव के परिणामस्वरूप हो सकता है जो उत्पाद के मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन गणनाओं के भीतर अनुमानित हैं। इसमें प्रीमियम और आरक्षित जोखिम हामीदारी जोखिम के महत्वपूर्ण घटक हैं। निगम अपने उच्च बीमित राशि के व्यवसाय का पुनर्बीमा करता है और विशिष्ट उत्पादों के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संधियाँ करता है।

Dash Board:

Dash Board is available in the ERM Module which is accessible to Top management for viewing the Risk Reports.

The mitigation strategies for various risks under Enterprise Risk Management framework:

LIC is a premier institutional investor in the Indian Financial Markets. Its funds are invested in asset classes in line with the IRDAI (Investment) Regulation and are exposed to various risks like market risk, credit risk, interest rate risk, liquidity risk and counterparty risk. The investment risks are systematically identified and systems & procedures have been implemented to address these risks so that not only the policyholders' funds are protected but also their reasonable expectations are met.

Market Risk:

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, exchange rates and the market prices of securities. Corporation attempts to minimise the effects of market risk by primarily investing in securities that are part of major indices.

Market risk is further mitigated by matching assets and liabilities by type and duration and matching cash flows to the extent commercially practicable. The applicable investment strategy for each type of business is set out clearly to ensure that liabilities are appropriately matched by the nature and duration of assets.

Liquidity Risk:

Liquidity risk is the risk of not being able to make payments as and when they fall due, because of insufficient liquid assets in cash or cash equivalent, thereby requiring redemption of long term assets. Corporation faces limited liquidity risk due to the nature of its liabilities. Corporation manages liquidity risk by monitoring the asset-liability cash flow matching positions on Quarterly and yearly basis. The cash flow matching is also analysed under various stress scenarios. LIC has Board approved Asset Liability Management policy.

Credit risk:

Credit risk is the risk resulting from the failure by either party to perform timely their contractual obligations or the deterioration in the credit profile.

Corporation faces limited credit risk as major portion of the investments are made in Govt. securities. Credit risk related to investment in other debt securities is mitigated by,

- (i) Restricting investments primarily to securities rated AA or AAA and above by domestic rating agencies and
- (ii) Monitoring the quarterly performances of our portfolio companies, their ratings and their track record of servicing of their obligations on the due dates.

Insurance Risk:

Insurance risk can occur as a result of adverse experience in claims, morbidity, mortality, withdrawals, expenses, taxation treatment and other assumptions that are estimated within pricing and valuation calculations of the product. This includes underwriting risk. The premium and reserve risks are significant components of the underwriting risk. The Corporation reinsures its higher Sum Assured business and has treaties with reinsurers for specific products.

परिचालनात्मक जोखिम:

निगम विभिन्न प्रकार के परिचालन जोखिम के संपर्क में है, जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें अपर्याप्त रिकॉर्ड कीपिंग, सिस्टम की विफलता और स्थापित नियंत्रण, कर्मचारी त्रुटि और आंतरिक/बाहरी धोखाधड़ी शामिल हैं। निगम प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी, धोखाधड़ी के लिए नियंत्रणों के कार्यान्वयन और परिचालन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का प्रबंधन करता है। साइबर सुरक्षा जोखिमों की निगरानी साइबर सुरक्षा डेस्क द्वारा की जाती है। निगम द्वारा प्रतिष्ठित जोखिमों की पहचान की जाती है और इसके प्रभाव की व्यवस्थित रूप से निगरानी की जाती है।

अनुपालन जोखिम:

इन जोखिमों को कम करने के लिए, निगम के पास मजबूत आंतरिक नियंत्रण हैं, नियमित ऑडिट आयोजित करता है, नैतिकता प्रशिक्षण प्रदान करता है, सूचना देने को बढ़ावा देता है, और पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति बनाता है। इसके अतिरिक्त, निगम प्रासंगिक कानूनों और विनियमों पर खुद को अपडेट करने, जहाँ भी आवश्यक हो उचित परिश्रम करने और इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करने पर जोर देता है।

व्यापार निरंतरता उपाय (बीसीएम):

निगम ने व्यवसाय निरंतरता के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना बनाई है। व्यवसाय में रुकावट का जोखिम परिचालन जोखिम का अभिन्न अंग है। निगम को कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो छोटी से लेकर भयावह तक हो सकती हैं, जो दिन-प्रतिदिन के संचालन को प्रभावित कर सकती हैं।

व्यवसाय निरंतरता योजना व्यवसाय निरंतरता ढांचे को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए समग्र दिशा-निर्देश प्रदान करती है जो आपदा की स्थिति का जवाब देने के लिए निर्देश / दिशा-निर्देश प्रदान करती है और इसमें मानव जीवन की सुरक्षा और न्यूनतम डाउन टाइम के लिए उपाय भी शामिल हैं। निरंतरता योजना को प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और तकनीकी व्यवधानों आदि जैसी घटनाओं का जवाब देने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप दिया गया है।

प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपदा रिकवरी साइट की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए और साथ ही व्यापार में रुकावट के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए नियमित आधार पर व्यवसाय निरंतरता अभ्यास किए जाते हैं।

व्यवसाय निरंतरता योजना के एक भाग के रूप में, निगम ने केंद्रीय कार्यालय और निगम के सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में संकट प्रबंधन दल का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी आपदाजनक स्थिति से निपटना है। आपदा के दौरान संकट प्रबंधन दल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निगम के सभी कार्यालयों में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी गठित किए गए हैं।

9. अन्य देशों में संचालन

निगम के तीन देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, फिजी और मॉरीशस में विदेशी शाखा कार्यालय हैं और विदेशी शाखाओं में नई शाखा आई एफ एस सी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, भारत है। निगम को किसी भी देश का जोखिम नहीं है क्योंकि इन देशों में पॉलिसीयां केवल संबंधित देश की मुद्रा में ही पेश की जाती हैं और देश में प्राप्त आय को भी उसी देश में निवेश किया जाता है, सिवाय यूनाइटेड किंगडम के शाखा कार्यालय द्वारा गैर यूनाइटेड किंगडम कंपनियों के इक्विटी में एक मामूली निवेश को छोड़कर।

10. पिछले 5 वर्षों के लिए स्वीकृत परंतु भुगतान न किए गए दावों के आंकड़ों (मृत्यु और परिपक्वता) की अवधि निम्नलिखित हैं।

पारंपरिक व्यवसाय:

(₹ करोड़ में)

अवधि	2024-25		2023-24		2022-23		2021-22		2020-21	
	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि
30 दिन	275232	2180	408908	1,560	423304	2,878	817305	5,851	606889	3,806
30 दिन से 6 महीने	356159	2050	536806	4,943	496348	2,973	720413	3,019	676970	4,960
6 महीने से 1 वर्ष	201558	914	-	-	-	-	-	-	-	-
1 वर्ष से 5 वर्ष	1007904	3946	-	-	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operational Risk:

Corporation is exposed to various types of operational risk, which arise from various sources including inadequate record keeping, failures of systems & established controls, employee error, and internal/external frauds. Corporation manages to minimize the impact of the operational risks by regular monitoring of processes, systems & procedures, implementation of controls for frauds. Cyber security risks are monitored by Cyber Security Desk. Reputational risks are identified by the Corporation and its impact is monitored systematically.

Compliance Risks:

To mitigate these risks, the Corporation has robust internal controls, conducts regular audits, provides ethics training, promotes whistle blowing, and creates a culture of transparency and accountability. Additionally, the Corporation emphasizes on updating itself on relevant laws and regulations, conduction of due diligence wherever necessary and implementing technology solutions for managing these risks effectively.

Business Continuity Measures (BCM):

The Corporation has Board approved plan for business continuity. Business interruption risk forms an integral part of operational risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which can impact day-to-day operations.

Business Continuity Plan provides overall guidelines to implement and manage the Business Continuity framework which provides instructions / guidelines to respond to disaster situation and also includes measures for – safety of human life and minimum down time. The continuity plan has been formalized to provide measures to be taken to respond to events as natural disasters, pandemic and technical disruptions etc.

Disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in adverse scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes and also to manage business interruption risks.

As a part of Business Continuity Plan, Corporation has formed Crisis Management Teams at Central Office and all the eight Zonal Offices of the Corporation, mainly to respond to any disastrous situation. Emergency Response Teams are also formed in all offices of the Corporation to oversee the implementation of guidelines issued by Crisis Management Team during disaster

9. OPERATIONS IN OTHER COUNTRIES

The Corporation has overseas branch offices in three countries viz. United Kingdom., Fiji and Mauritius and the new addition to the overseas branches is IFSC, GIFT CITY, Gandhinagar, India. The Corporation does not have any country risk as the policies in these countries are offered in the respective country currency only and income received in the country is also invested in the same country except a meager investment by United Kingdom branch office in equities of non United Kingdom Entities.

10. AGEING OF CLAIMS REGISTERED AND NOT SETTLED DATA (DEATH AND MATURITY) FOR THE PRECEDING 5 YEARS IS:-**Non Linked Business:**

(₹ in crore)

Period	2024-25		2023-24		2022-23		2021-22		2020-21	
	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
30 days	275232	2,180	408908	1,560	423304	2,878	817305	5,851	606889	3,806
30 days to 6 months	356159	2,050	536806	4,943	496348	2,973	720413	3,019	676970	4,960
6 months to 1 year	201558	914	-	-	-	-	-	-	-	-
1 year to 5 years	1007904	3,946	-	-	-	-	-	-	-	-
5 years and above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

संबद्ध कारोबार (लिंकड बिजनेस):

(₹ करोड़ में)

अवधि	2024-25		2023-24		2022-23		2021-22		2020-21	
	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि
30 दिन	1572	27.12	15915	167	27973	254	41718	415	111186	480
30 दिन से 6 महीने	6178	49.81	5661	57	9607	63	18990	154	63008	632
6 महीने से 1 वर्ष	3858	32.75	-	-	-	-	-	-	-	-
1 वर्ष से 5 वर्ष	34	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. निवेशों का मूल्यांकन

(क) गैर-संबद्ध व्यवसाय:

तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार गैर-संबद्ध व्यवसाय के निवेश का मूल्य और उसका बाजार मूल्य निम्नानुसार निकाला गया है:

निवेश	मूल्यांकन की विधि
1. ऋण प्रतिभूतियां	क) सरकारी प्रतिभूतियों और विमोच्य अधिमानी शेयरों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन परिशोधन की शर्तों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया गया। ख) गैर-निष्पादित ऋणों के लिए लेखा बहियों में आईआरडीआई/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
2. सक्रिय रूप से व्यापार किए गए इक्विटी शेयर	एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर मूल्यांकित। बंद होने की तिथि पर एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं/व्यापार न होने की स्थिति में, बीएसई दर।
3. असूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा	निगम की हानि नीति के अनुसार इस तरह के निवेशों को ऐतिहासिक लागत घटाए निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान पर मापा गया है।
4. म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल निवेश	म्यूचुअल फंड में निवेश का मूल्यांकन संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित अंतिम उद्धृत एनएवी पर किया जाता है। वेंचर कैपिटल निवेश का मूल्यांकन मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।
5. ईटीएफ, आरईआयटीएस/ आई एन वी आई टी एस	ईटीएफ में निवेश का मूल्यांकन संपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा घोषित अंतिम उद्धृत एनएवी पर किया जाता है। आरईआयटीएस / आईएनवीआईटीएस का मूल्यांकन एन एस ई पर अंतिम उद्धृत समापन दर पर किया गया है।
6. ऋण	इसका मूल्यांकन गैर-निष्पादन के प्रति ऐतिहासिक लागत में से प्रावधानों को घटा कर किया गया है।
7. सावधि जमा	लागत पर मूल्यांकित।
8. वायदा दर करार	अंतर्निहित बाँड के हाज़िर संदर्भ प्रतिफल पर बाजार मूल्य और अनुबंधित अग्रिम मूल्य के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। अंतर्निहित बाँड का मूल्य, मूल्यांकन तिथि से लेकर एफआरए अनुबंध निपटान तिथि तक मध्यवर्ती कूपन अंतर्वाह के वर्तमान मूल्य सहित, लागू आईएनआर-ओआईएस दर वक्र पर

Linked Business:

(₹ in crore)

Period	2024-25		2023-24		2022-23		2021-22		2020-21	
	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
30 days	1572	27.12	15915	167	27973	254	41718	415	111186	480
30 days to 6 months	6178	49.81	5661	57	9607	63	18990	154	63008	632
6 months to 1 year	3858	32.75	-	-	-	-	-	-	-	-
1 year to 5 years	34	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-
5 years and above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. VALUATION OF INVESTMENTS
(A) Non Linked Business

The values of Investments of Non Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:-

INVESTMENT	METHOD OF VALUATION
1. Debt Securities	a) All debt securities, including Govt. Securities and Redeemable Preference shares were valued at historical cost subject to amortization. b) Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts.
2. Actively traded Equity shares	Valued at the last quoted closing prices at the NSE. In case not listed/ not traded on NSE on closing date, then BSE rate.
3. Unlisted and other than actively traded equity shares	Measured at historical cost less provision for diminution in value of such investments in accordance with the impairment Policy of the Corporation.
4. Mutual Fund and Venture Capital Investments	Investments in Mutual Fund are valued at last quoted NAV declared by the respective Mutual fund. Venture Capital Investments are valued at book value less provision for diminution.
5. ETFs, REITs /InvITs	Investments in ETFs are valued at last quoted NAV declared by the respective Asset Management Company. REITs/InvITs are valued at the last quoted closing prices at the NSE.
6. Loans	Valued at historical cost less provision towards non-performing assets.
7. Fixed Deposits	Valued at cost.
8. Forward Rate Agreements	Valued as per the difference between the market value of the underlying bond at the spot reference yield and present value of contracted forward Price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date, at applicable INR-OIS rate curve.

(ख) संबद्ध व्यवसाय

तुलन पत्र में यथा दर्शित संबद्ध व्यवसाय के निवेशों के मूल्य और उनके बाजार मूल्य निम्नालिखित तरीके से निकाले गए हैं:

निवेश	मूल्यांकन की विधि
1. ऋण प्रतिभूतियाँ	केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, यूनिट निधियों के डिबेंचर और बाँडों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित अंतिम उपलब्ध बाजार दरों पर किया जाता है। और केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, गैर यूनिट निधियों के डिबेंचर और बाँडों का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया गया था। आई.आर.डी.ए.आई. /आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित ऋणों के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।
2. इक्विटी शेयर	इनका मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में अंतिम उद्धृत समापन कीमतों पर किया जाता है। जहाँ वे सूचीबद्ध हैं। एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं होने की स्थिति में, बीएसई पर समापन मूल्य लिया गया है।
3. म्यूचुअल फंड	म्यूचुअल फंड में निवेश का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा अंतिम घोषित एनएवी पर किया जाता है।
4. आईएनवीआईटी	आईआरडीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।

12. 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान संपत्ति की गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा निम्नानुसार है:-

(i) संपत्ति संरचना:

(क) गैर संबद्ध:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	निवेश	कुल का %
1	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	32,38,229.21	59.93%
2	डिबेंचर/बाँड/पीटीसी	4,48,486.72	8.30%
3	कॉर्पोरेट/सरकारी/सरकारी निकायों को ऋण	7,789.08	0.14%
4	समता/अधिमानी शेयर/म्यूचुअल फंड/ईटीएफ/आरईआईटी/आईएनवीआईटी	15,43,082.21	28.56%
5	मांग/सावधि जमा/ट्रेजरी बिल/वाणिज्यिक कागजात और अन्य	21,767.36	0.40%
6	निवेश संपत्ति	17,155.83	0.32%
7	बंधक ऋण	244.32	0.00%
8	पॉलिसी ऋण	1,26,181.86	2.34%
9	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश	88.02	0.00%
	कुल	54,03,024.61	100.00%

(ख) संबद्ध सकल:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	निवेश	कुल का %
1	केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	13,784.81	28.09%
2	अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.05	0.00%
3	डिबेंचर	84.54	0.17%
4	इक्विटी	32,448.44	66.12%

(B) Linked Business

The values of Investments of Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:-

INVESTMENT	METHOD OF VALUATION
1. Debt Securities	Central Government securities, State Government securities, Other Approved Securities, Debentures & Bonds of unit funds are valued at last available market rates declared by FIMMDA and Central Government Securities, State Government Securities, Other Approved securities, Debentures & Bonds of non-unit funds were valued at amortized cost. Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts.
2. Equity shares	These are valued at last quoted closing prices at the National Stock Exchange (NSE), where they are listed. In case of the scrips not listed on the NSE, the closing prices on the BSE have been taken.
3. Mutual Fund	Valued at last declared NAV by the Mutual Funds.
4. InvIT	Valued are per IRDAI guidelines.

12. REVIEW OF ASSETS QUALITY AND PERFORMANCE OF THE INVESTMENTS, DURING THE YEAR ENDED 31.03.2025 IS AS UNDER:-

(i) Asset Composition:**(a) Non Linked -Gross**

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Investment	% to total
1	Government and other approved securities	32,38,229.21	59.93%
2	Debenture/Bonds/PTC	4,48,486.72	8.30%
3	Loans to Corporate/Govt./Govt.Bodies	7,789.08	0.14%
4	Equities/Preference Shares /Mutual Funds/ETFs / REIT/ InvIT	15,43,082.21	28.56%
5	Call/Fixed deposits/Treasury Bills/Commercial Papers & others	21,767.36	0.40%
6	Investment Properties	17,155.83	0.32%
7	Loans Mortgage	244.32	0.00%
8	Policy Loans	1,26,181.86	2.34%
9	Other than approved investments	88.02	0.00%
Total		54,03,024.61	100.00%

(b) Linked-Gross

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Investment	% to total
1	Central & State Govt. Securities	13,784.81	28.09%
2	Approved Securities	0.05	0.00%
3	Debentures	84.54	0.17%
4	Equities	32,448.44	66.12%

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	निवेश	कुल का %
5	म्यूचुअल फंड्स	2,743.94	5.59%
6	पॉलिसी ऋण	4.68	0.01%
7	आईएनवीआईटी	10.64	0.02%
	कुल	49,077.10	100.00%

(ग) पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित-सकल (CRAC-Gross)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	निवेश	कुल का %
1	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	166.76	85.54%
2	डिबेंचर/बाँड/पीटीसी	28.00	14.36%
3	समता/अधिमानी शेयर/म्यूचुअल फंड/ईटीएफ/आरईआईटी/आईएनवीआईटी	0.20	0.10%
4	मांग/सावधि जमा/ट्रेजरी बिल/वाणिज्यिक कागजात और अन्य	0.00	0.00%
	कुल	194.96	100.00%

(ii) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेश का प्रदर्शन

क्रमांक	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1	शेयरधारकों की निधि	
	ब्याज	5611.48
	लाभांश	38.48
	शुद्ध लाभ	341.75
	प्राप्ति: अप्राप्त लाभ के बिना	6.93%
	अप्राप्त लाभ के साथ	6.81%
2	पॉलिसीधारक निधि	
	(क) गैर संबद्ध	
	ब्याज	2,73,003.18
	लाभांश	26,271.78
	शुद्ध लाभ	75,069.38
	निवेश संपत्ति से किराया	630.38
	पॉलिसी ऋण पर ब्याज	14,290.48
	बंधक ऋण पर ब्याज	288.97
	प्राप्ति: अप्राप्त लाभ के बिना	8.65%
	अप्राप्त लाभ के साथ	7.64%
	(ख) संबद्ध (लिंक्ड)	
	ब्याज	978.30
	लाभांश	348.53
	शुद्ध लाभ	1,915.10
	पॉलिसी ऋण पर ब्याज	0.55

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Investment	% to total
5	Mutual Funds	2,743.94	5.59%
6	Policy Loans	4.68	0.01%
7	InvIT	10.64	0.02%
	Total	49,077.10	100.00%

(c) CRAC-Gross

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Investment	% to total
1	Government and other approved securities	166.76	85.54%
2	Debenture/Bonds/PTC	28.00	14.36%
3	Equities/Preference Shares /Mutual Funds/ETFs / REIT/ InvIT	0.20	0.10%
4	Call/Fixed Deposits/Treasury Bills/Commercial Papers & others	0.00	0.00%
	Total	194.96	100.00%

(ii) Performance of the Investments during the year ended 31.03.2025

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crores)
1	Shareholders Fund	
	Interest	5611.48
	Dividend	38.48
	Net Profit	341.75
	Yield : without unrealized gain	6.93%
	with unrealized gain	6.81%
2	Policyholders Fund	
	(a) Non linked	
	Interest	2,73,003.18
	Dividend	26,271.78
	Net profit	75,069.38
	Rent from Investment Property	630.38
	Interest on Policy Loan	14,290.48
	Interest on loan on mortgages	288.97
	Yield : without unrealized gain	8.65%
	with unrealized gain	7.64%
	(b) Linked	
	Interest	978.30
	Dividend	348.53
	Net profit	1,915.10
	Interest on Policy Loan	0.55

क्रमांक	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
	प्राप्ति: अप्राप्त लाभ के बिना	9.17%
	अप्राप्त लाभ के साथ	8.81%
3	पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित (CRAC)	
	शुद्ध आय	16.20
	प्राप्ति	7.89%

13. प्रबंधन एतद्वारा एक जिम्मेदारी विवरण देता है जो दर्शाता है कि:

- वित्तीय विवरणों की तैयारी में, सामग्री विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है।
- प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में निगम के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए निगम के अधिशेष/लाभ की सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके;
- निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए; बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/एलआईसी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन ने पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
- प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों को चालू व्यापार की अवधारणा के आधार पर तैयार किया है;
- प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि संगठन के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

14. व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को किए गए भुगतानों की अनुसूची, जिसमें बीमाकर्ता के निदेशक रुचि रखते हैं, निम्नानुसार है:-

वर्ष के दौरान व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को किए गए भुगतानों का विवरण, जिनमें निगम के निदेशकों की रुचि है, लेखा नोट्स के नोट संख्या 15A(C)(8) (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण) में दिया गया है।

मुख्यकार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक

नियुक्त बीमांकक
एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट कार्यालय) एवं सी आय ओ
स्थान: मुंबई
दिनांक: 27.05.2025

कंपनी सचिव

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crores)
	Yield : without unrealized gain	9.17%
	with unrealized gain	8.81%
3	CRAC Business	
	Net income	16.20
	Yield	7.89%

13. THE MANAGEMENT HEREBY GIVES A RESPONSIBILITY STATEMENT INDICATING THAT:-

- In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
- The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true & fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the Financial Year and of Surplus/ profit of the Corporation for the year;
- The management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/LIC Act, 1956, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015, for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- The Management has prepared the financial statements on a going concern basis;
- The Management has ensured that an Internal Audit System commensurate with the size of the organization and nature of business exists and is operating effectively.

14. A SCHEDULE OF PAYMENTS, WHICH HAVE BEEN MADE TO INDIVIDUALS, FIRMS, COMPANIES AND ORGANIZATIONS, IN WHICH DIRECTORS OF THE INSURER ARE INTERESTED, IS AS UNDER:-

The details of payments made during the year to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the Corporation are interested are given in note no. 15A(C)(8) (Related Party Disclosure) of Notes to Accounts.

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER &
MANAGING DIRECTOR**

MANAGING DIRECTOR

**APPOINTED ACTUARY
& EXECUTIVE DIRECTOR (ACTL)**

CHIEF FINANCIAL OFFICER

EXECUTIVE DIRECTOR (INV FO) & CIO

COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai

Date: 27.05.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित वित्तीय विवरण एवं प्रकटीकरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी हमारी वेबसाइट www.licindia.in/annual-reports पर ई-प्रारूप में उपलब्ध है

- 1. अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण (योजना अनुसार)**
- 2. संबद्ध व्यवसाय से संबंधित प्रकटीकरण**

Financial Statements and Disclosures in respect of Linked Business (Plan wise) for the year ended 31st March, 2025

Following information related to Linked Business (Plan wise) for the year ended 31st March, 2025 is available in e-format on our web-site www.licindia.in/annual-reports

- 1. Financial Statements along with the Schedules (Plan wise)**
- 2. Disclosures in respect of Linked Business**

**31 मार्च, 2025 को समाप्त
वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण**

**Consolidated Financial Statements
For the year ended 31st March, 2025**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय जीवन बीमा निगम

के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित), इसकी सहायक कंपनियों और इसके सहयोगियों (निगम, इसकी सहायक कंपनियों और इसके सहयोगियों को एक साथ समूह के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन-पत्र, समेकित राजस्व खाता (जिसे “पॉलिसीधारक खाता” या “तकनीकी खाता” भी कहा जाता है), समेकित लाभ और हानि खाता (जिसे “शेयरधारक खाता” या “गैर-तकनीकी खाता”) और उस वर्ष के लिए समेकित प्राप्तियां और भुगतान खाता (जिसे “नकदी प्रवाह विवरण” भी कहा जाता है), और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ, इसके साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का एक सारांश संलग्न है। (इसके बाद उसे “समेकित वित्तीय विवरण” के रूप में संदर्भित) किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल हैं:
 - हमारे द्वारा ऑडिट किए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मण्डल कार्यालय, 78 पेंशन और समूह योजनाओं की इकाइयाँ शामिल हैं, जो निगम द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की जाती हैं। तीन विदेशी शाखाओं (मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और फिजी) के रिटर्न, उनके संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए एवं 1 विदेशी शाखा (गिफ्ट सिटी भारत) निगम के एक निगमित लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया है।
 - दो भारतीय सहायक, तीन विदेशी सहायकों और पाँच सहयोगियों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, एक सहायोगी का ऑडिट निगमित लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है।
 - दो विदेशी सहायकों का अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जिन्हें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और निगम के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर, सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं – जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (“एलआईसी अधिनियम”), संशोधित, बीमा अधिनियम, 1938 (“बीमा अधिनियम”), बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 (“आईआरडीए अधिनियम”), (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित और निवेश कार्य) विनियम 2024 (“विनियम”), जिसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (“आईआरडीएआई”), द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र शामिल हैं एवं कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) के धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक को शामिल करते हुए, लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से, और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के सम्बन्ध एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं
 - समेकित तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2025 तक निगम के मामलों की स्थिति;
 - समेकित राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष;
 - समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
 - समेकित प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

राय के लिए आधार

- हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (“एसएएस”) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं के अनुसार अन्य नैतिक उत्तरदायित्व हमने अपना पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The Members of
Life Insurance Corporation of India

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred as "the Corporation"), its subsidiaries and its associates (the Corporation, its subsidiaries and its associates together referred to as "the Group") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, the Consolidated Revenue Account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), Consolidated Profit and Loss Account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non-Technical Account") and the Consolidated Receipts and Payments Account (also called as the "Cash Flow Statement") for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto (hereafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), which includes:
 - a) The standalone financial statements of the Corporation audited by us, include returns of 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices, 77 units of Pension and Group Schemes, which are audited by other auditors appointed by the Corporation; and the returns of 3 foreign branches (Fiji, Mauritius and United Kingdom), audited by their respective local auditors and for 1 foreign branch (GIFT City, India) audited by one of the Corporation auditors.
 - b) The audited financial statements of 2 Indian subsidiaries, 3 foreign subsidiaries and 5 associates, which have been audited by other auditors for 1 associate audited by one of the Corporation auditors.
 - c) The unaudited financial statements of 2 foreign subsidiaries which have been certified by the management.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the audited standalone financial statements of the Corporation, separate audited/certified financial statements of the subsidiaries and associates, the Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the requirements of Life Insurance Corporation Act 1956 ("LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), (Actuarial Finance and Investment Functions of Insurers) Regulation, 2024 (the "Regulations"), including orders / directions / circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), and including the accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") to the extent applicable and in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:
 - a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2025;
 - b) in the case of the Consolidated Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
 - c) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
 - d) in the case of the Consolidated Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

Basis of Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

4. प्रसंग पर ज़ोर

हम अनुसूची 15A(C) के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क. नोट नं. 20 - जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में परिशोधित किया जा रहा है, जो प्रति तिमाही ₹ 464.02 करोड़ होगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। शेष ₹ 6,496.25 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।
- ख. नोट नं. 21, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित सममूल्य खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होकर, बराबर वार्षिक किस्तों (तीन से अधिक नहीं) में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान चार तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से ₹ 2,410.03 करोड़ की कुल राशि की भरपाई की गई है। ₹ 4,820.05 करोड़ की शेष राशि को वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी।
- ग. नोट नं. 22, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, सममूल्य खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन वर्षों से अधिक नहीं की अवधि के लिए शेयरधारकों के खाते में जमा की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान चार तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में कुल ₹ 1,825.68 करोड़ जमा किए गए हैं। शेष ₹ 3,651.42 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में जमा की जाएगी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2025: ₹ 53,04,249.98 करोड़) (जैसाकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट से पुनरुत्थापित) (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 8ए और 8बी देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15ए(ए)6 देखें।) निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर-संबद्ध (लिंक्ड और नॉन-लिंक्ड) में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("IRDAI") द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक वित और निवेश कार्य) विनियम 2024 (निवेश विनियम) और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होने चाहिए।	हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं: - निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा। - नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन। - प्रतिभूतियों का मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है। - परीक्षण की गई हानि/प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार है।

4. Emphasis of Matter:

We invite attention to the following notes to the consolidated financial statements under Schedule 15A(C):

- a) Note No. 20, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crore pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 1,856.08 crore has been charged to Revenue Account over four quarters during the year ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 6,496.25 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
- b) Note No. 21, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 2,410.03 crore has been replenished from the Shareholders' account over four quarters during the year ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 4,820.05 crore shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.
- c) Note No. 22, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crore towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders' account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 1,825.68 crore has been charged to Shareholders' account over four quarters during the year ended, March 31, 2025. The balance amount of ₹ 3,651.42 crores shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
Classification and Valuation of Investments (31.03.2025: ₹ 53,04,249.98 crore (as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements)) (Refer Schedule 8, 8A and 8B, 9 and 11 of the standalone financial statements. Refer Schedule 15A(A)6 to the standalone financial statements for accounting policy.) The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation. As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation. Also, all investments should be valued as prescribed in the Investment Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments.	We have carried out the following key audit procedures: • Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation/ impairment of investments. • Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Investment Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation. • Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Investment Regulations and Corporation's accounting policies. • Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Investment Regulations and Corporation's impairment policies.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं।

गैर-सूचीबद्ध या सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है।

इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है।

इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।

राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता

(जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट से पुनरुत्पादन)

स्टैंड अलोन का राजस्व खाता देखें।

वर्ष के दौरान, निगम ने ₹ 4,88,148.17 करोड़ के शुद्ध प्रीमियम राजस्व को मान्यता दी है।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (तुलन-पत्रडेट पर कट-ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है।

उद्योग की प्रकृति के कारण, राजस्व तुलन-पत्र की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

- गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धति और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतरिक नीतियों के साथ पुष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं।
- निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की।
- हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया।
- प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि राजस्व सही लेखा अवधि में अर्जित है या नहीं।
- वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया ताकि पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था ताकि राजस्व का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (तुलन-पत्र) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं (जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट से पुनरुत्पादन)

निगम के पास विवादित मामलों सहित कई अनिश्चित कर स्थितियां हैं, जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निगम के पास पिछले कई वर्षों से कर अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर विवाद लंबित है।

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- कर मुकदमों, अन्य मुकदमों और दावों के निर्धारण और आकलन के लिए प्रबंधन के आंतरिक निर्देशों, प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब-किताब और प्रकटीकरण किया।
- निगम के कानूनी सलाहकार और इन-हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate. Further, due to the reassessment of the investee company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Investment Regulations and/ or Corporation's internal policies. Hence, the valuation of investments was considered to be one of the areas which required our significant attention and was one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the financial statements.	• In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Investment Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment. • For any changes in ratings of the investee company, we examined the Corporation's assessment with the Investment Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation. • We have perused the available concurrent audit reports on investments. Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the investments were not properly classified or valued.
Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition (as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements) Refer Revenue Account of the standalone financial statements. During the year, the Corporation has recognised net premium revenue of ₹ 4,88,148.17 crore. We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the balance sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.	Our procedures included the following: • Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue. • Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period. • Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue. • Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit / premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to Balance Sheet but revenue was not recognised. Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the revenue recognition is not accounted in the correct period.
Contingencies relating to certain matters pertaining to Direct & Indirect Tax (as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements) The Corporation has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. The Corporation has disputes pending at various levels of tax authorities over the past several years.	Our procedures included the following: • Understood Management's internal instructions, process and control for determining and estimating the tax litigations, other litigations and claims and its appropriate accounting and/or disclosure; • Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts;

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है।

हमने मुकदमेबाजी और दावों को मुख्य लेखापरीक्षा विषय माना है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें प्रबंधन निर्णय की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है, जिसमें लेखांकन अनुमान भी शामिल है, जिसमें उच्च अनुमान अनिश्चितता शामिल है।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

- कर प्रावधान का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं, विवादों के संभावित परिणाम, कानूनी मिसाल और इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में अन्य निर्णयों की समीक्षा की गई।
- ऐसे विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों, उद्योग स्तर पर विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान तथा निगम के आंतरिक विशेषज्ञों/बाहरी कर सलाहकारों/वकीलों की राय पर भरोसा किया गया।

किए गए कार्य के आधार पर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2025 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत कथन है, तो हम इस मामले को संबंधित प्रशासन को अवगत करवाएं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और उन पर शासन का आरोप लगाया गया है

- निगम के सदस्यों का बोर्ड एलआईसी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि वे समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन का एक सही और निष्पक्ष दृश्य दे सकें। और समूह की समेकित प्राप्तियां और भुगतान, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों सहित, संशोधित बीमा अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम के साथ पठित बीमा अधिनियम, इस में आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम, आदेश/निर्देश कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग निगम के सदस्यों के बोर्ड द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।
- समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और चालू प्रतिष्ठान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।
- समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ऐसी प्रत्येक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
The management with the help of its expert, as needed, have made judgments relating to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We have considered litigations and claims as Key Audit Matter because the estimates on which these amounts are based involve a significant degree of management judgment, including accounting estimates that involves high estimation uncertainty.	- Reviewed the management's underlying assumptions in estimating the tax provision, the possible outcome of the disputes, legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions. - Relied upon the management judgments, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts/ External Tax Advisors/ lawyers of the Corporation in relation to such disputed tax positions. Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Direct & Indirect Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2025 to be reasonable.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Corporation's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated receipts and payments of the Group, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act to the extent applicable and in the manner so required. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Board of Directors of the Corporation, as aforesaid.
8. In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of each such company to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate such company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
9. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of each such company.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

10. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसे के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
11. एसे के अनुसार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:
 - समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के प्रति समझ पैदा करें।
 - उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
 - लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम एक चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
 - प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
 - समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए प्रभागों/शाखाओं/इकाइयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल डिवीजनों/शाखाओं/इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य प्रभागों/शाखाओं/इकाइयों के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।
12. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में प्रत्येक वे महत्वपूर्ण कमियां भी आती शामिल हैं जिनका हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पता लगाते हैं।
13. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।
14. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

10. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.
11. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. For all the entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion on Consolidated financial Statements.
12. We communicate with those charged with governance of the Corporation regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
13. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
14. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe

कि कानून या विनियमन इन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

15. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2025 तक देयता मौजूद है, के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई/ प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्राधिकरण के साथ सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाई जा सके जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता मौजूद है, जैसा कि निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों / सूचनाओं में निहित है।
16. निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली 4 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस, फिजी और गिफ्ट सिटी भारत) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना, 31 मार्च, 2025 तक कुल ₹ 5,090.08 करोड़ की कुल संपत्ति, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 653.21 करोड़ का राजस्व और ₹ 58.69 करोड़ का कुल लाभ दर्शाती है। समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक यह इन 3 विदेशी शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है एवं एक शाखा निगमित लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट की गई है।
17. समेकित वित्तीय तैयार करने के लिए उपयोग किए गए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में शामिल 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालयों (डीओ) (उसके अंतर्गत शाखाओं सहित) और पेंशन और समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) की 78 इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं जिनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना, मंडलीय/शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी गई है और जहां तक यह संभागों/शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित हमारी राय है, यह पूरी तरह से ऐसे मंडलीय/शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में कुल संपत्ति और कुल राजस्व की जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती है क्योंकि डिवीजनों को प्रत्येक शाखा का केवल ट्रायल बैलेंस प्राप्त होता है जिसे मंडल स्तर पर और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है।
18. समेकित वित्तीय विवरणों में 2 भारतीय सहायकी, 3 विदेशी सहायकी, 5 सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना शामिल की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण कुल संपत्ति ₹ 9,322.94 करोड़, कुल राजस्व ₹ 2,207.01 करोड़ और शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 158.69 करोड़ को दर्शाते हैं और सहयोगियों के मामले में, समूह का कुल शुद्ध लाभ का हिस्सा ₹ 1,884.05 करोड़ समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, जिनका लेखा-परीक्षा की जाती है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
19. समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण/सूचना शामिल की गई है जिसके शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा ₹ 2,963.17 करोड़ है। जिसे एक निगमित लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया है।
20. समेकित वित्तीय विवरणों में 2 विदेशी सहायक कंपनियों की अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी ₹ 12,470.25 करोड़ की कुल संपत्ति ₹ 1,206.30 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 77.08 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्शाती है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, केवल ऐसी वित्तीय जानकारी पर आधारित है जो हमें दी गई है और निगम के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण गैर लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों के जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
21. समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के आकड़ें शामिल हैं, जो निगम के संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित है, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म थी, जहां उन्होंने 27 मई, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।
उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

15. The actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2025 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI/ "Authority") and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the standalone financial statements/ information of the Corporation.
16. The audited financial statements/ information of the 4 foreign branches (United Kingdom, Mauritius, Fiji and GIFT City, India) included in the Standalone Financial Statements of the Corporation reflect total assets of ₹ 5,090.08 crores as at March 31, 2025 total revenue of ₹ 653.21 crores and net profit of ₹ 58.69 crores for the year ended March 31, 2025. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these 3 foreign branches is based solely on report of such other auditors and for 1 branch audited by one of the corporation auditors.
17. The financial statements / information of 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices (DO) (including branches there under) and 77 units of Pension & Group Schemes (P&GS) included in the standalone financial statements of the Corporation, whose audited financial statements / information, have been audited by the zonal/ divisional auditors, whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of zones/ divisions / branches, is based solely on the report of such zonal/ divisional auditors.

The information of total assets and total revenue in respect of the branches are not separately compiled as the divisions receive only trial balances of each branch which are consolidated at division level and thereafter at zonal level.
18. The audited financial statements/ information of 2 Indian subsidiaries, 3 foreign subsidiaries, and financial information of 5 associates have been included in the consolidated financial statements. The financial information/ financial statements of such subsidiaries included in the consolidated financial statements reflect total assets of ₹ 9,322.94 crore, total revenue of ₹ 2207.01 crore and total net profit (after tax) of ₹ 158.69 crore and in case of associates, the Group's share of total net profit of ₹ 1,884.05 crore as included in the consolidated financial statements. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the above subsidiaries and associates is based on report of such other auditors.
19. The audited financial statements/ information of 1 associate, included in the consolidated financial statements reflect Group's share of total net profit of ₹ 2,963.17 crore have been audited by one of the corporation auditors.
20. The unaudited financial statements/ information of 2 foreign subsidiaries have been included in the consolidated financial statements. The financial information of such subsidiaries included in the consolidated financial statements reflect total assets of ₹ 12,470.25 crores, total revenue of ₹ 1,206.30 crores and net Profit of ₹ 77.08 crores. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries are based solely on such financial information as furnished to us and certified by the management of the Corporation. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, this financial statements / information of the unaudited subsidiaries are not material to the Group.
21. The Consolidated Financial Statements includes figures for the year ended March 31, 2024, audited by the joint auditors of the Corporation, one of whom was a predecessor audit firm, where they had expressed an unmodified opinion on such consolidated financial statements vide their report dated May 27, 2024.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

22. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2025 तक मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकक (“नियुक्त बीमांकिक”) का उत्तरदायित्व है। नियुक्त बीमांकक ने देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और लागू जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के संबंध में विधिवत प्रमाणित किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2025 तक मौजूद है और उनकी राय में इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र पर देनदारियों के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाने के लिए और जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के लिए भरोसा किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन निगम के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।
23. इसके अलावा, जैसा कि आईआरडीए विनियमों के विनियम 3 का भाग III के तहत आवश्यक है और एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 25 बी की उप धारा (3) के तहत भी आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि;
- हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - हमारी राय में क्षेत्रीय, मण्डल कार्यालयों और शाखाओं की उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है;
 - इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
 - हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
 - हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, उस सीमा तक जहाँ तक आईआरडीए विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों और द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / इस संबंध में आईआरडीए परिपत्रों के साथ ये असंगत नहीं हैं।
 - एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 4ए के खंड (i) के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
 - खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है;
 - निगम के पास वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वे 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय के लिए हमारी अलग रिपोर्ट **अनुलग्नक ए** के रूप में देखें।
 - कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - निगम ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है।
 - समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिनके लिए कोई भी सामग्री के लिए कोई नुकसान हुआ था।
 - निगम, इसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित इसके सहयोगियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
 - निगम के संबंधित प्रबंधन, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत ऑडिट किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अन्य लेखा परीक्षकों को, उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधित्व किया है। और विश्वास, जैसा कि खातों के नोट्स में बताया गया है, निगम या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

22. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2025 is the responsibility of the Corporation's appointed actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2025 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists in the standalone financial statements of the Corporation.
23. Further, as required under the Part III of Regulation 3 of IRDA Regulations and also as required under sub-section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
- i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
 - iii. In our opinion proper returns of zones / divisional offices and branches have been received and found them adequate for the purpose of audit;
 - iv. The Balance Sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDA in this behalf;
 - vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDA Regulations and orders / directions / circulars issued by IRDA in this regard.
 - vii. No directors are disqualified as per clause (i) of Section 4A of the LIC Act (as amended).
 - viii. There are no qualification or adverse remarks relating to maintenance of accounts and matters connected therewith;
 - ix. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A".
 - x. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries and associates:
 - a) the Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group and its associates.
 - b) the Group did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - c) there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation, its subsidiaries and its associates incorporated in India.
 - d) i. The respective Management of the Corporation, its subsidiaries and associates, which are incorporated in India, whose Financial Statements have been audited under the Act, have represented to us and to the other auditors of such subsidiaries and associates that, to the best of their knowledge and belief, other

गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) और कंपनियों को विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) के साथ संबद्ध करना, समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या व्यक्तियों या संस्थाओं की किसी भी तरह से पहचान की गई हो (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उनकी ओर से निगम या ऐसी कोई सहायक कंपनी और सहयोगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करते हैं।

- ii. निगम के संबंधित प्रबंधन, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत ऑडिट किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अन्य लेखा परीक्षकों को, उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधित्व किया है। और विश्वास, जैसा कि खातों के नोट्स में बताया गया है, निगम या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी और सहयोगियों द्वारा विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। यह समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि निगम या ऐसी कोई भी सहायक कंपनी और सहयोगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को उधार देंगे या निवेश करेंगे। अंतिम लाभार्थियों की ओर से पार्टी या कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।
 - iii. ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है और सहायक कंपनियों और सहयोगियों के लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए हैं, जो भारत में शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत ऑडिट किए गए हैं, कुछ भी नहीं आया है हमारे या अन्य लेखा परीक्षकों के नोटिस ने हमें या अन्य लेखा परीक्षकों को यह विश्वास दिलाया है कि उपरोक्त उप-खंड (डी) (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- ड) i. पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान निगम द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है। जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 30 में कहा गया है, निगम के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा की लागू हो।
- ii. भारत में निगमित 2 सहायक कंपनियों और 5 सहयोगी कंपनियों के संबंध में, उनके लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि संबंधित सहायक कंपनियों / सहयोगियों ने पिछले वर्ष में प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

च) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 11(g) का प्रावधान, लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने के लिए है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से निगम पर लागू है।

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी एवं जैसा कि सहायक/सहयोगी कंपनियों के लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है। निगम एवं इसके सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है, सिवाय इसके कि:

- i) DB सर्वर सहित सभी eFeap सर्वर प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट (PAM) के अंतर्गत आते हैं। PAM सिस्टम में निष्पादित सभी कमांड के लॉग कैप्चर और रिकॉर्ड किए जाते हैं। हालाँकि, प्रदर्शन और स्थान संबंधी समस्याओं के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है, लेकिन eFeap के ट्रांजेक्शन स्तर के लॉग को संबंधित मॉड्यूल टेबल (इतिहास तालिका) से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही डेटाबेस ट्रांजेक्शन लॉग mySQLbinlog के रूप में उपलब्ध है।
- ii) ePGS के मामले में, प्रदर्शन और स्थान की कमी के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है। हालाँकि, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा संबंधित मॉड्यूल की हिस्ट्री टेबल में बनाए रखा जाता है। इसके अलावा ऑडिट डेटा को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लॉग, सर्वर लॉग, LB लॉग भी कैप्चर किए जाते हैं। ePGS के ट्रांजेक्शन लेवल लॉग संबंधित मॉड्यूल टेबल से प्राप्त किए जा सकते हैं।

भारत में निगमित एक सहायक कंपनी एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के मामले में, हम वित्तीय संबंध में जारी 23 अप्रैल 2025 की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खंड 2 (बी) (v) का संदर्भ लेते हैं। जो कि नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Corporation or any of such subsidiary companies and associate companies to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries), with the understanding, whether recorded in writing or persons or entities identified in any manner whatsoever (Ultimate Beneficiaries) by or on behalf of the Corporation or any of such subsidiary companies and associates or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

- ii. The respective Management of the Corporation, its subsidiaries and associates, which are incorporated in India, whose Financial Statements have been audited under the Act, have represented to us and to the other auditors of such subsidiaries and associates that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Corporation or any of such subsidiaries and associates from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Parties), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Corporation or any of such subsidiaries and associates shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever (Ultimate Beneficiary) by or on behalf of the Funding Party or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - iii. Based on the audit procedures that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances performed by us and those performed by the Auditors of the subsidiaries and associates, which are incorporated in India, whose Financial Statements have been audited under the Act, nothing has come to our or other auditors notice that has caused us or the other auditors to believe that the representations under sub-clause (d) (i) and (ii) above contain any material misstatement.
- e) i. The final dividend paid by the Corporation during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act, 2013 to the extent it applies to payment of dividend. As stated in Note No. 30 to the consolidated financial statements, the Board of Directors of the Corporation have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act as applicable.
- ii. In respect of 2 subsidiaries and 5 associates incorporated in India, their auditors have reported that the respective subsidiaries / associates have paid the dividend proposed in the previous year which is in accordance with Section 123 of the Companies Act.
- f) The reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is applicable from April 01, 2023.

Based on our examination which included test checks, and as communicated by the respective auditor of subsidiaries/associates, except for the instances mentioned below, the Corporation and its subsidiaries/ associates incorporated in India, have used accounting software for maintaining its books of account, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except that:

- i) All eFeap servers including DB servers are under Privilege Access Management(PAM). In PAM system logs of all commands executed are captured and recorded. However, audit transaction log in database is not enabled due to performance and space issues, but transaction level logs of eFeap can be derived from the relevant module tables (history tables). Also database transaction log is available as mySQLbinlog.
- ii) In case of ePGS, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space constraints. However, data required for audit is maintained in the history table of the respective module. In addition to this the application log, server log, LB logs are also captured to augment the audit data. Transaction level logs of ePGS can be derived from the relevant module tables.

In case of LIC Pension Fund Limited, a subsidiary incorporated in India, we refer to paragraph 2(B)(v) of Report on other legal and regulatory requirements section of the Independent Auditor's Report dated April 23, 2025 issued in respect of the financial statements, and is reproduced hereunder:

“हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने खाते के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिनमें परिवर्तन लॉग प्रबंधन के साथ, ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने की सुविधा है (लॉग संपादन) और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होती है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर से छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।”

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, जो कि 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसके तहत रिपोर्टिंग कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी), कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल लागू नहीं किया है (लॉग संपादन)। तदनुसार, उक्त नियमों के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी ऑडिट ट्रेल संरक्षित नहीं किया गया है।

भारत में निगमित एक सहायक कंपनी, एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, हम 15 मई, 2025 को जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के पैराग्राफ 7 (i) (जी) (viii) का संदर्भ लेते हैं। वित्तीय विवरण, और यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम) का उपयोग किया है, जिसमें सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा 10.6.2024 से शुरू की गई है।

भारत में निगमित एक सहयोगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, हम वित्तीय विवरण के संबंध में जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 15 मई, 2025 के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खंड 2 (h)(vi) का संदर्भ लेते हैं और यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए विभिन्न लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादन) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह एप्लिकेशन और डेटाबेस स्तर पर संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है, तीन लेखांकन सॉफ्टवेयर को छोड़कर जहां डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सक्षम की गई थी और डेटाबेस स्तर पर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल सुविधा 13 फरवरी 2025 से सक्षम की गई थी।

इसके अलावा, उन अवधियों के लिए जहां ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा संबंधित लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए पूरे वर्ष सक्षम और संचालित की गई थी, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

संबंधित सॉफ्टवेयर के लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम होने के बाद से कंपनी ने रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया है।

इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर से छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

वी शंकर अय्यर एंड कं.

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए. एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 127055

UDIN: 25127055BMOC PD7453

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए. धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 108845

UDIN: 25108845BMFXSH5928

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 27, 2025

“Based on our examination which included test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of account which, along with change log management, have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.”

As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from 1st April, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company has not implemented the audit trail (edit log) feature in its accounting software for the financial year 2023-24. Accordingly, the audit trail has not been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention under the said Rules.

In case of LIC Cards Services Ltd, a subsidiary incorporated in India, we refer to paragraph 7(i)(g)(viii) of Report on other legal and regulatory requirements section of the Independent Auditor’s Report dated May 15, 2025 issued in respect of the financial statements, and is reproduced hereunder:

“Based on our examination, the Company has used accounting software (Tally Prime) for maintaining its books of accounts which have feature of recording audit trail (edit log) facility started from 10.06.2024 for all relevant transactions recorded in the software”.

In case of LIC Housing Finance Limited, an associate incorporated in India, we refer to paragraph 2(h)(vi) of Report on other legal and regulatory requirements section of the Independent Auditor’s Report dated May 15, 2025 issued in respect of the financial statements, and is reproduced hereunder:

“Based on our examination which included test checks, the Company has used various accounting software for maintaining its books of account, which have the feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software at application and database level except for three accounting software where audit trail feature at database level was enabled during the first quarter of the financial year and for one accounting software audit trail feature at database level was enabled from 13th February 2025.

Further, for the periods where audit trail (edit log) facility was enabled and operated throughout the year for the respective accounting software, we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

The Company has preserved the audit trail in compliance with statutory requirements for record retention since the audit trail was enabled for the respective software”.

Further, during the course of our audit, we did not come across any instances of audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the Group as per the statutory requirements for record retention.

V. Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN:109208W

CA L. V. Saptharishi
Partner
Membership No.:127055
UDIN: 25127055BMOC PD7453

Place: Mumbai
Date: May 27, 2025

Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
FRN: 101872W/W100045

CA Dharmista Shah
Partner
Membership No.: 108845
UDIN: 25108845BMFXSH5928

अनुलग्नक – ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

(सम तिथि के भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 20 (ix) में संदर्भित)

एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) की धारा 25(बी) की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, हमने समेकित के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। निगम और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों (निगम और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों को एक साथ समूह कहा जाता है) और उसके सहयोगियों के वित्तीय विवरण, जो 31 मार्च, 2025 तक भारत में निगमित कंपनियां हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') संस्थान के द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए निगम प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो निगम की नीतियों के पालन, इसकी सुरक्षा सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। संपत्ति, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और जो ऑडिट साक्ष्य अन्य ऑडिटर्स द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त किए गए हैं नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित, निगम के समेकित वित्तीय विवरणों, इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों भारत में निगमित, पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्ति और व्यय केवल प्रबंधन और निगम के निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

Annexure A to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 20(ix) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Life Insurance Corporation of India of even date)

Report on the internal financial controls with reference to the aforesaid Consolidated Financial Statements under Clause (i) of sub-section (3) of Section 25(B) to the LIC Act, 1956 (as amended)

In conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred to as "the Corporation") as of and for the year ended March 31, 2025, we have audited the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Corporation and its subsidiaries and associates (Corporation and its subsidiaries and associates together referred to as "the Group") and its associates which are companies incorporated in India as of March 31, 2025.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Management and Board of Directors of the companies included in the Group, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing prescribed under sub-section (10) of Section 143 of the Act, to the extent applicable to the audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls to these Consolidated Financial Statements of the Corporation, its subsidiaries and associates which are incorporated in India.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

The Corporation's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक समेकित वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित है, निगम, इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियों ने सभी भौतिक मामलों में समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा स्थापित किये गये हैं।

अन्य मामला

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट निगम के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25बी की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह 2 भारतीय सहायक कंपनियों और 5 सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

लागू जीवन पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों का प्रीमियम बंद कर दिया गया है, उनके लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, और हमारे द्वारा इस पर भरोसा किया गया है, जैसा कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अन्य मामले पैरा में उल्लेख किया गया है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय में मूल्यांकन पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन की सटीकता पर रिपोर्टिंग शामिल नहीं है।

वी शंकर अय्यर एंड कं.

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए. एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 127055

UDIN: 25127055BMOC PD7453

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 27, 2025

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए. धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 108845

UDIN: 25108845BMFXSH5928

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to these Consolidated Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of reports of other auditors, as referred to in Other Matters paragraph below, the Corporation, its subsidiaries and associates, which are companies incorporated in India have, maintained in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements and such internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2025, based on the internal financial controls over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matter

Our aforesaid report under Clause (i) of sub-section (3) of Section 25(B) of the LIC Act 1956 (as amended) on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Corporation, in so far as it relates to separate financial statements of 2 Indian subsidiaries and 5 associates which are companies incorporated in India, is based on the respective reports of the auditors of such subsidiaries and associates.

The actuarial valuation of liabilities for life policies in force and policies where premium is discontinued is required to be certified by the Appointed Actuary as per the regulations, and has been relied upon by us, as mentioned in "other matter" para of our audit report on the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2025. Accordingly, our opinion on the internal financial controls with reference to financial statements does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

V. Sankar Aiyar & Co.

Chartered Accountants

FRN: 109208W

CA L. V. Saptharishi

Partner

Membership No.: 127055

UDIN: 25127055BMOC PD7453

Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants

FRN: 101872W/W100045

CA Dharmista Shah

Partner

Membership No.: 108845

UDIN: 25108845BMFXSH5928

Place: Mumbai

Dated: May 27, 2025

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित तुलन पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF LICI AS AT MARCH 31, 2025

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5 & 5A	6,325.00	6,325.00
आंबटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	1,21,195.90	76,614.03
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(294.51)	(192.16)
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) / MINORITY INTEREST (Shareholders)		277.27	152.73
उप-योग / Sub-Total		1,27,503.66	82,899.60
उधारी / BORROWINGS	7	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		6,47,553.70	6,92,695.38
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षितनिधि / HEDGE FLUCTUATION RESERVE		10.62	-
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		47,50,240.06	44,11,597.30
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) / MINORITY INTEREST (Policyholders)		0.99	8.67
बंद पॉलिसियों के लिये निधि: / FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES:			
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना / Discontinued on account of non payment of premium		790.81	393.75
अन्य / Others		13.98	14.11
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	35,982.27	28,527.08
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		47,664.75	34,901.53
उप-योग / Sub-Total		54,82,257.18	51,68,137.82
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ: / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS:			
संबद्ध / Linked		55.05	30.01
असंबद्ध (असहभागी) / Non-Linked (non-par)		-	-
असंबद्ध (सहभागी) / Non-Linked (par)		1,773.36	1,184.71
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITY (Net)		-	-
कुल / Total		56,11,589.25	52,52,252.14
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश / INVESTMENTS:			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	1,02,869.66	62,608.36
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	51,64,298.26	48,95,238.95
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पतियाँ / ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	48,434.75	35,280.98

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
ऋण / LOANS	9	1,28,961.49	1,21,744.75
अचल सम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	10	4,483.18	4,074.77
आस्थगित कर संपत्तिया (शुद्ध) /DEFERRED TAX ASSETS (Net)		0.27	0.30
चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS:			
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	69,884.66	41,824.47
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,41,636.19	1,55,274.54
उप-योग (क) चालू संपत्तिया / Sub-Total (A)-Current Assets		2,11,520.85	1,97,099.01
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	34,033.13	48,848.84
प्रावधान / PROVISIONS	14	14,946.08	14,946.14
उप-योग (ख) चालू दायित्व / Sub-Total (B)-Current Liabilities		48,979.21	63,794.98
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		1,62,541.64	1,33,304.03
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	-	-
लाभ-हानि लेखा में नाम शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) / DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (Policyholder's Account)		-	-
कुल / Total		56,11,589.25	52,52,252.14

आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities 15A (B) 2
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ 15A (A) & (B)
Significant Accounting Policies & Notes to Accounts
उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

Schedules referred to above form an integral part of the Balance-sheet

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित राजस्व खाता

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	4,90,489.26	4,77,521.05
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(713.87)	(689.83)
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		-	-
उप-योग / Sub-Total		4,89,775.39	4,76,831.22
निवेशों से आय / Income from Investments:			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		3,17,292.26	2,97,678.24
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		77,408.46	67,052.25
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		649.19	(2,210.47)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		(79.64)	3,983.98
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छूट (e) Amortisation of Premium/ Discount on Investment		(1,100.84)	(1,093.61)
अन्य आय / Other Income:			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		70.65	7,704.63
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		609.85	6,959.37
(iii) अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,617.40	-
(ख) एमडी/ सीईओ / डब्ल्यूटीडी / अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTG/Other KMP's		-	-
(सी) अन्य (c) Others		24.69	12.98
कुल (क) / TOTAL (A)		8,87,267.41	8,56,918.59
कमीशन / Commission	2	25,419.37	26,063.66
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	35,574.11	48,292.72
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for Doubtful debts		(1,544.74)	(1,011.48)
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-
कर के लिए प्रावधान / Provision for tax		7,916.37	5,956.94

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation):			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		6.64	(1,952.02)
(ख) संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds		(644.11)	33.34
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services tax on ULIP Charges		223.34	134.38
कुल (ख) / TOTAL (B)		66,950.98	77,517.54
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	4,17,507.98	3,89,741.29
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		3,075.80	2,860.18
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन / Change in valuation of liability in respect of life policies			
(क) सकल** / (a) Gross**		3,38,661.18	3,42,881.21
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance		-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies		12,657.01	8,716.85
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Fund for Discontinued Policies		397.17	231.42
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय (f) Funds for Future Appropriations for Linked business		25.04	11.02
कुल (ग) / TOTAL (C)		7,72,324.18	7,44,441.97
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) / SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		47,992.25	34,959.08
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associates		4,847.22	4,102.56
(हटाएँ) / जोड़ें: अल्पसंख्यक हित (Less)/Add: Minority Interest		(41.13)	(31.08)
कुल अधिशेष/(घाटा) (ङ) TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (E)		52,798.34	39,030.56
अंशधारकों के खाते (गैर तकनीकी खाता) से हस्तांतरित राशि Amount transferred from Shareholders' Account (Non-Technical Account)		2,255.42	2,598.45
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		55,053.76	41,629.01
विनियोजन APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		49,605.00	40,215.10
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		4,860.11	4,128.88
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष / Balance being Funds for Future appropriations		588.65	(2,714.97)
कुल / TOTAL		55,053.76	41,629.01

* निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माना गया प्राप्त लाभ दर्शाता है।

** बोनस आवंटन के पश्चात गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण:

The Breakup of Total Surplus during the period:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
(क) अंतरिम बोनस (a) Interim Bonus	3,075.80	2,860.18
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन# (b) Allocation of Bonus to policyholders#	56,331.10	52,955.87
(ग) राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in Revenue account	52,798.34	39,030.56
कुल अधिशेष (क + ख + ग) Total Surplus [a + b + c]	1,12,205.24	94,846.61

उपर्युक्त अनुसूचियाँ राजस्व खाता के अभिन्न अंग हैं।

#पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account

The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित लाभ हानि खाता

शेयरधारकों का लेखा (गैर-तकनीकी खाता)

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF LIC FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2025 Shareholders' Account (Non-technical Account)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
		(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी लेखा) से अंतरित शेष : Amounts transferred from Policyholders Account (Technical Account)	49,605.00	40,215.10
निवेशों से आय / Income from Investments:		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	5,683.08	3,594.87
(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	380.70	147.85
(ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(9.07)	(5.84)
(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेश पर छूट (d) (Amortisation of Premium / Discount on Investments)	(29.51)	(12.13)
अन्य आय / Other Income	172.55	151.68
कुल (क) / TOTAL (A)	55,802.75	44,091.53
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the Insurance business	741.85	333.84
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान / Contribution to Policyholders' Account		
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	4,443.10	-
(ख) एमडी/ सीईओ / डब्ल्यूटीडी / अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMP's	-	-
(ख) अन्य (b) Others	24.69	12.98
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज / Interest on Subordinated debt	-	-
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च / Expenses towards CSR activities	1.55	1.01
दंड / Penalties	0.03	-
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off	-	-
पॉलिसीधारकों के खातों में हस्तांतरित राशि Amount Transferred to Policyholders' Account	2,255.42	2,598.45
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (Other than taxation)		
(क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(14.63)	1.58
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful debts	1.34	-
(ग) अन्य (c) Others	(1.21)	87.07
कुल (ख) / TOTAL (B)	7,452.14	3,034.93

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
कर पूर्व लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) before tax	48,350.61	41,056.60
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation	30.28	140.75
कर पश्चात लाभ / (हानि) / Profit/Loss after tax	48,320.33	40,915.85
विनियोजन / APPROPRIATIONS		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	75,709.39	39,217.53
(a) Balance at the beginning of the year		
(ख) अंतरिम लाभांश का भुगतान	-	2,530.00
(b) Interim Dividends paid		
(ग) अंतिम लाभांश का भुगतान	3795.00	1,897.50
(c) Final dividend Paid		
(घ) आरक्षितनिधि में अंतरण		
(d) Transfer to reserves:		
(i) अन्य आरक्षित निधि	17.30	8.28
(i) Other Reserve		
(ङ) पॉलिसी धारकों की निधि से लाभो के हिस्से का अंतरण	(0.91)	11.79
(e) Share of profit/loss transferred from Policyholders fund		
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ / Profit carried forward to the Balance Sheet	1,20,216.51	75,709.39
प्रति शेयर उपार्जन - मूल (₹) / Earning per Share- Basics (₹)	76.40	64.69
प्रति शेयर उपार्जन - न्यूनीकृत (₹) / Earning per Share- Diluted (₹)	76.40	64.69
शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Nominal Value of Share (₹)	10.00	10.00

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित प्राप्ति एवं भुगतान खाता
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT OF LIC FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from the operating activities:		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हैं Premium received from policyholders, including advance receipts	4,91,546.54	4,76,798.46
अन्य प्राप्तियाँ Other receipts	841.89	7,116.27
पुनः बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन एवं दावों/लाभ से शुद्ध Payments to the re-insurers, net of commissions and claims/ Benefits	(59.03)	(2.19)
सह-बीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों/लाभ वसूली से (शुद्ध) Payments to co-insurers, net of claims / benefit recovery	-	-
दावों/लाभों का भुगतान Payments of claims/benefits	(4,25,463.72)	(3,93,326.18)
कमीशन और दलाली का भुगतान Payments of commission and brokerage	(25,476.49)	(26,436.32)
प्रारंभिक और संचालन पूर्व व्यय Preliminary and pre-operative expenses	-	-
अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of other operating expenses	(48,105.24)	(40,534.09)
जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans	(163.40)	(347.42)
आयकर का रिफंड / (भुगतान) Income taxes refund / (Paid)	395.54	5,689.36
सेवाकर/जीसटी का भुगतान Service tax/ GST paid	(2,660.86)	(2,409.95)
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह Cash flows before extraordinary items	(9,144.77)	26,547.94
असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) Cash flow from extraordinary operations (give break-up)	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from operating activities	(9,144.77)	26,547.94

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
निवेशों गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from investing activities:		
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	(776.73)	(767.77)
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ Proceeds from sale of fixed assets	61.94	55.05
निवेशों की खरीद Purchases of investments	(5,66,852.13)	(5,76,036.89)
वितरित ऋण (पुनर्भुगतान से शुद्ध) Loans disbursed (Net of Repayments)	(5,672.00)	(3,727.80)
निवेशों की बिक्री Sales of investments	3,07,792.15	2,57,944.76
किराया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received	3,15,107.76	2,93,173.52
मुद्रा बाजार और तरल म्यूचुअल फंडों में निवेश (शुद्ध) Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (Net)	(8,645.68)	3,959.11
निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(591.88)	(426.29)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from investing activities	40,423.43	(25,826.31)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from financing activities:		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्तियाँ / Proceeds from issuance of share capital	-	-
उधारी से प्राप्तियाँ / Proceeds from borrowing	-	-
उधारी का भुगतान Repayments of borrowing	-	-
ब्याज/लाभांश का भुगतान Interest/dividends paid	(3,794.28)	(4,427.20)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from financing activities	(3,794.28)	(4,427.20)
नकद और नकद के समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव (शुद्ध) Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net	408.27	131.26
नकद और नकद के समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी): Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents:	27,892.65	(3,574.31)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year	42,013.83	45,588.14

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the period	69,906.48	42,013.83
नोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period		
नकद और चेक हाथ में / Cash and cheques in hand	4,375.48	3,369.48
बैंक शेष / Bank Balances	35,712.49	22,160.72
सावधि जमा / Fixed Deposits	13,407.48	9,037.61
मुद्रा बाज़ार विलेख / Money Market Instruments	15,615.75	5,676.32
मार्ग प्रेषस्त धन और अन्य / Remittance in Transit and Others	795.28	1,769.70
कुल नकद और नकद समतुल्य / Total Cash and Cash Equivalents	69,906.48	42,013.83

उपरोक्त प्राप्तियां और भुगतान खाता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम 2024 के अन्तर्गत, लेखांकन मानक 3 नकद प्रवाह विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है।

The above Receipts and payments account has been prepared as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 under the "Direct method" in accordance with Accounting Standard 3 Cash Flow Statements.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
(FRN:101872W/ W100045)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

एल.वी. सप्तर्षि (साझेदार)
L.V. Saptharishi (Partner)
M.No. 127055

धर्मिष्ठा शाह (साझेदार)
Dharmista Shah (Partner)
M.No. 108845

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती
Siddhartha Mohanty

एम. पी. विजय कुमार
M.P. Vijay Kumar

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 08058830)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि
प्रबंध निदेशक
R. Doraiswamy
Managing Director
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
नियुक्त बीमांकक
Dinesh Pant
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai (मुम्बई)

Date: 27.05.2025

अनुसूची - 1
SCHEDULE - 1

प्रीमियम
PREMIUM

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
1 प्रथम वर्षीय प्रीमियम / First year Premiums	37,198.98	39,198.08
2 परवर्ती प्रीमियम / Renewal Premiums	2,63,289.44	2,54,281.35
3 एकल प्रीमियम और सीएजी / Single Premiums & CAG	1,90,000.84	1,84,041.62
कुल Total	4,90,489.26	4,77,521.05
व्यवसाय से लिखित प्रीमियम आय / Premium Income from business written:		
भारत में / In India	4,88,450.77	4,75,275.67
भारत के बाहर / Outside India	2,038.49	2,245.38
कुल प्रीमियम / Total Premium	4,90,489.26	4,77,521.05

अनुसूची - 2
SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय
COMMISSION EXPENSES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
कमीशन / Commission		
प्रत्यक्ष - प्रथम वर्षीय प्रीमियम Direct - First year premiums	10,033.57	11,119.04
- परवर्ती प्रीमियम - Renewal premiums	14,622.78	14,154.71
- एकल प्रीमियम - Single premiums	764.08	790.58
- अन्य कमीशन - Other Commission	0.02	0.03
सकल कमीशन / Gross Commission	25,420.45	26,064.36
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add : Commission on Re-insurance Accepted	-	-
घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	1.08	0.70
कुल कमीशन / Total Commission	25,419.37	26,063.66
कमीशन का माध्यम वार अलग-अलग विवरण (पुनर्बीमा कमीशन छोड़कर) / Channel wise break up of Commission and Rewards (Excluding Reinsurance commission)		
व्यक्तिगत एजेंट / Individual Agents	25,077.77	25,725.99
कॉर्पोरेट एजेंट-बैंक / एफआईआई / एचएफसी / Corporate Agents- Bank/FII/HFC	163.61	168.48
कॉर्पोरेट एजेंट / Corporate Agents- Others	23.53	25.51

अनुसूची – 2
SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय (जारी)
COMMISSION EXPENSES (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
ब्रोकर्स / Brokers	7.12	6.24
सूक्ष्म एजेंट / Micro Agents	87.53	65.28
प्रत्यक्ष व्यवसाय – ऑनलाइन / Direct bussiness- Online*	-	-
प्रत्यक्ष व्यवसाय – अन्य / Direct bussiness- Others	-	-
सामान्य सेवा केंद्र / Common Service centre	33.62	47.49
वेब एग्रीगेटर्स / Web Aggregators	-	-
बीमा विपणन फर्म (आई.एम.एफ) / Insurance Marketing Firm (IMF)	27.17	25.16
विक्री केन्द्र (पाइंट ऑफ सेल) प्रत्यक्ष / Point of sales (Direct) POSLI	0.10	0.21
अन्य / Others	-	-
कुल / TOTAL	25,420.45	26,064.36
लिखित व्यवसाय पर कमीशन (पूर्णबीमाको छोड़कर) / Commission (Excluding Reinsurance commission)		
भारत में / In India	25,285.12	25,933.11
भारत के बाहर / Outside India	135.33	131.25
कुल / TOTAL	25,420.45	26,064.36

*कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन

*Commission on business procured through company website.

अनुसूची – 3
SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ / Employees' remuneration & welfare benefits	26,946.68	39,624.76
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय / Travel, conveyance and vehicle running expenses	477.72	368.74
3 प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	33.76	39.50
4 किराया, दरें एवं कर / Rents, rates & taxes	816.84	799.32
5 मरम्मत / Repairs	199.11	172.50
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री / Printing & Stationery	216.23	219.51
7 संचार व्यय / Communication expenses	268.43	288.65
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार / Legal & professional charges	62.79	33.34
9 चिकित्सा शुल्क / Medical Fees	64.40	74.37
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.:		

अनुसूची – 3
SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय (जारी)

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor	17.92	23.45
(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of:		
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0.12	0.12
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	-	-
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and	-	-
(ग) किसी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity	0.05	0.01
11 विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and publicity	554.50	556.60
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार / Interest & bank Charges	142.65	127.88
13 मूल्य-हास / Depreciation	506.47	465.94
14 ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार / Brand/ Trade Mark usage fee/ charges	-	-
15 व्यवसाय विकास और विक्रय संवर्धन व्यय / Business Development and Sales Promotion Expenses	57.71	-
16 पॉलिसियो पर स्टाम्प शुल्क / Stamp duty on policies	262.36	284.53
17 सूचना प्रौद्योगिकी व्यय / Information Technology Expenses	62.17	-
18 वस्तु एवं सेवा कर / Good and Services tax (GST)	2,069.32	2,193.96
19 अन्य / Others:		
1 भत्ते / Allowances	1,771.66	1,973.82
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय Expense on Investment Property	155.18	143.41
3 पावती स्टॉम्प / Receipt stamps	13.72	17.20
4 बिजली प्रभार / Electricity charges	221.75	224.39
5 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम Cash in transit and other insurance premia	3.97	3.63
6 विविध व्यय / Miscellaneous expenses	646.44	654.95
7 मुख्य कार्यालय व्यय / Head Office expenses	1.69	2.20
8 विनिमय (लाभ) / हानि / Exchange (Gain)/Loss	0.47	(0.06)
कुल / Total	35,574.11	48,292.72
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय / Operating Expenses related to Insurance Business		
भारत में / In India	35,360.06	48,062.61
भारत के बाहर / Out Side India	214.05	230.11
कुल / Total	35,574.11	48,292.72

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध)
BENEFITS PAID (NET)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
1 बीमा दावें Insurance Claims:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	25,043.65	23,149.92
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	1,85,491.10	1,55,746.58
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	22,118.71	20,121.12
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefits	55,578.09	55,490.19
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	93.99	87.23
(च) अभ्यर्पण (f) Surrenders	49,013.92	45,788.69
(छ) अन्य लाभ (g) Other benefits:		
(i) आहरण (i) Withdrawal	82,286.62	88,630.88
(ii) दावा न की गई राशि पर ब्याज (ii) Interest on unclaimed amounts	(1,495.21)	1,236.62
(iii) अन्य / Others	4.66	27.84
प्रदत्त लाभ (सकल) / Benefits Paid (Gross)		
भारत में / In India	4,13,515.43	3,85,990.79
भारत के बाहर / Outside India	4,620.10	4,288.28
2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि): (Amount ceded in reinsurance):		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	(569.88)	(478.34)
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefits		
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	(57.67)	(59.44)
(च) अन्य (f) Other	-	-

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध) (जारी)
BENEFITS PAID (NET)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024
3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: Amount accepted in reinsurance:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	-	-
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-
(ग) वार्षिकियों/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefits	-	-
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	-	-
(च) अन्य (f) Other	-	-
कुल / Total	4,17,507.98	3,89,741.29
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Benefits Paid (Net)		
भारत में / In India	4,12,892.10	3,85,454.77
भारत के बाहर / Out Side India	4,615.88	4,286.52
कुल / Total	4,17,507.98	3,89,741.29

अनुसूची - 5
SCHEDULE - 5

अंश पूँजी
SHARE CAPITAL

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 अधिकृत पूँजी / Authorised Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	25,000.00	25,000.00
2 निर्गमित पूँजी / Issued Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
3 अभिदत्त पूँजी / Subscribed Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
4 याचित पूँजी / Called-up Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
घटाएँ: अदत्त माँग / Less: Calls unpaid		
जोड़ें: जब्त अंश (मूल रूप से भुगतान की गई राशि) / Add : Shares forfeited (amount originally paid up)		
घटाएँ: वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back		
घटाएँ: प्रारंभिक खर्च / Less : Preliminary Expenses		

अनुसूची – 5
SCHEDULE - 5

अंश पूँजी (जारी)
SHARE CAPITAL (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्ची सहित । Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares.		
कुल / Total	6,325.00	6,325.00

नोट:

- क) पूँजी के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण - निगम के पास पूँजी का केवल एक ही प्रकार है समता अंश पूँजी
ख) बोनस शेयर जारी करने के कारण पूँजीकृत राशि - शून्य
ग) धारक कंपनी द्वारा धारित पूँजी - लागू नहीं

Notes:

- a) Particulars of the different classes of capital - The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Share Capital
b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares - Nil
c) Capital held by a holding company - N/A

अनुसूची – 5 अ
SCHEDULE - 5A

अंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)
STATEMENT OF PATTERN OF SHAREHOLDING
(As certified by the Mangement)

Shareholders	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025		31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	
	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding
प्रवर्तक / Promoters				
- भारतीय / Indian	6103622781	96.50	6103622781	96.50
- विदेशी / Foreign	-	-	-	-
निवेशक / Investors				
- भारतीय / Indian	212121723	3.35	209287416	3.31
- विदेशी / Foreign	9253197	0.15	12087504	0.19
अन्य / Others				
- भारतीय / Indian	-	-	-	-
- विदेशी / Foreign	-	-	-	-
कुल / Total	6324997701	100.00	6324997701	100.00

अनुसूची - 6
SCHEDULE - 6

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष (शेयरधारकों के)
RESERVES & SURPLUS (SHAREHOLDERS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	466.69	465.01
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	-	-
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	17.12	2.10
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve :	1.97	1.97
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ / General Reserves :		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	29.42	29.42
जोड़ें: लाभ हानि खाते से अग्रेषित Add Transfer from Profit and Loss Account	-	-
घटाएँ: शेयरो की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back of shares	-	-
घटाएँ: बोनस शेयरो के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for issue of Bonus shares	-	-
अंतिम शेष / Closing Balance	29.42	29.42
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	22.44	16.80
7 अन्य आरक्षित निधियाँ: Other Reserves :		
क) विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि a) Exchange Fluctuation Reserve	375.92	331.52
ख) अन्य b) Others	65.83	65.38
8 लाभ-हानि खाता में लाभ का शेष / Balance of profit in Profit and Loss Account	1,20,216.51	75,709.39
जोड़ें / (घटाव) वर्ष के दौरान Addition /(Deduction) during the year	-	(7.56)
अंतिम शेष / Closing Balance	1,20,216.51	75,701.83
कुल / Total	1,21,195.90	76,614.03

बीमा आरक्षित निधियाँ (पॉलिसीधारकों के)
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	26.42	26.42
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	-	-
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	-	-
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि: Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	14,839.06	14,835.23
वर्ष के दौरान योग Additions during the period	2.86	3.83
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	-	-
अंतिम शेष Closing Balance	14,841.92	14,839.06
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ General Reserves:	0.77	0.77
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	-	-
7 अन्य आरक्षित निधि Other Reserves:		
(i) विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (i) Exchange Fluctuation Reserve	4,683.27	4,318.94
(ii) अन्य (ii) Others	19.17	19.70
8 लाभ-हानि खाते में लाभ का शेष Balance of profit in Profit and Loss account:		
प्रारंभिक शेष Opening balance	9,322.19	6,116.88
जोड़े: वर्ष के दौरान योग Add :Additions during the period	4,860.11	4,128.88
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ / हस्तान्तरण Less: Deductions/Transfer during the period	2,228.42	(923.57)
अंतिम शेष Closing balance	16,410.72	9,322.19
कुल / Total	35,982.27	28,527.08

अनुसूची - 7
SCHEDULE - 7

उधारी
BORROWINGS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 ऋण पत्र / बन्ध पत्र / Debentures/Bonds	-	-
2 बैंको से / From Banks	-	-
3 वित्तीय संस्थानों से / From Financial Institutions	-	-
4 अन्य से / From Others	-	-
कुल / Total	0.00	0.00

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	86,658.83	56,185.44
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	-	-
3 अन्य निवेश Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	11,131.60	675.10
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	2.50	-
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	(0.25)	(0.03)
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	207.24	83.35
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ: यू टी आय II पूँजी में आरंभिक अंशदान (e) Other Securities: Initial Contribution to UTI II Capital	0.01	0.01
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	94.69	93.72

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	3.26	2.39
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	34.45	-
5 अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश / Other than Approved Investments	5,050.86	4,149.61
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Investments	(530.52)	(548.71)
अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	-	-
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	-	-
3 अन्य निवेश/ Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	-	-
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	216.99	1,967.48
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	-	-
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	-	-
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	-	-
5 अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	-	-
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	-	-
कुल / Total	1,02,869.66	62,608.36

अनुसूची - 8क
SCHEDULE - 8A

निवेश (शेयरधारकों के)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	30,49,226.62	28,95,999.05
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	3,859.96	6,565.31
3 Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	13,01,971.34	12,18,926.22
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	23,724.14	21,770.95
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	(0.68)	(0.03)
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	1,37,451.82	1,26,688.40
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:		
अन्य प्रतिभूतियाँ तथा बन्ध-पत्र Other Securities & Bonds	151.89	194.62
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	49,396.13	41,482.94
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	17,169.95	16,992.63
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	4,17,172.97	3,40,579.48
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	40,075.57	70,393.73
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(6,522.34)	(6,359.83)

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,00,724.44	1,12,756.97
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	2,716.17	6,088.16
3 अन्य निवेश Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	-	-
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	16,497.73	9,976.07
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	1,992.31	7,740.63
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	-	-
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ – संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	7,967.19	25,973.53
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	3,056.09	2,590.34
6 संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(2,333.04)	(3,120.22)
कुल / Total	51,64,298.26	48,95,238.95

अनुसूची - 8ख
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
दीर्घवधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	12,925.77	10,815.26
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0.05	0.05
3 अन्य निवेश / Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	30,322.69	20,397.31
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	122.76	23.16
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	9.86	10.18
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:	-	-
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	1,893.69	1,779.23
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	70.94	603.76
अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	727.94	162.04
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3 अन्य निवेश / Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(कक) समता (aa) Equity	-	-
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	1,081.85	593.42
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	-	10.39
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	-	300.50
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	86.31	134.78
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश / Other than Approved Investments	-	-
चालू संपत्तियाँ / Current Assets		
6 रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash & Bank Balance		
रोकड़ (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प सहित) / Cash (including cheques, drafts and stamps)	-	187.87
बैंक शेष / Bank Balance:		
(क) जमा (a) Deposits:		
(कक) अल्पावधि (aa) Short term	-	-
(खख) अन्य (bb) Others	-	-
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	23.25	2.61
(ग) अन्य (c) Others	-	-

अनुसूची – 8ख
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
7 अग्रिम / Advances		
अन्य अग्रिम / Other Advances	0.07	0.07
निवेशो पर बकाया / अर्जित आय / Income outstanding/accrued on investments	255.31	230.77
कुल (क) – चालू सम्पत्तियाँ / Total (A)- Current Assets	278.63	421.32
चालू दायित्व / Current Liabilities		
विविध लेनदार / Sundry Creditors	76.74	43.77
जीवन विभाग चालू खाता / Life department current account	(991.00)	(73.35)
कुल (ख) चालू दायित्व / Total (B)- Current Liabilities	(914.26)	(29.58)
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (क-ख) / Net current assets (A-B)	1,192.89	450.90
कुल / Total	48,434.75	35,280.98

अनुसूची – 9
SCHEDULE - 9

**ऋण
LOANS**

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
रक्षित / Secured		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property:		
(कक) भारत में (aa) In India	5,964.63	7,284.47
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	9.83	9.85
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.	-	-
(ग) पॉलिसियों पर ऋण (c) Loans against Policies	1,27,676.61	1,19,705.06
(घ) अन्य (d) Others:		
सरकार द्वारा गारंटी / Guaranteed by Government	1,023.38	1,470.68
गिरवी / Hypothecation	74.61	474.81

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अनारक्षित ऋण / Unsecured Loans	960.96	972.17
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Loans	(6,748.53)	(8,172.29)
कुल / Total	1,28,961.49	1,21,744.75
2 उधारकर्तावार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
(क) केंद्र तथा राज्य सरकार (a) Central and State Governments	610.79	861.21
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	-	-
(ग) सहायक (c) Subsidiaries	-	-
(घ) कंपनियाँ (d) Companies	4,937.89	6,612.67
(ङ) पॉलिसियों पर ऋण (e) Loans against policies	1,27,676.61	1,19,705.06
(च) अन्य: (f) Others:		
बंधक संपत्ति / Mortgage Property	244.33	262.25
महानगरपालिकाएँ / Municipalities	1.31	1.62
राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators	312.40	457.94
राज्य सड़क परिवहन निगम / State Road Transport Corporation	-	6.16
सहकारी औद्योगिक संपत्ति / Co-operative Industrial Estates	5.40	10.57
सहकारी आवास संस्थाएँ / Housing Co-op Societies	64.25	80.34
सिंचाई क्षेत्र / Irrigation Sector	-	6.67
डब्ल्यू.एस.बी., एस.एफ.सी. पी.टी.आर. ओ.टी.एच., एल.डी.बी., आदि* / WSB, SFC, PTR, OTH, LDB Etc.*	1,857.04	1,912.54
व्यक्तिगत सुरक्षा पर ऋण / Loans on Personal Security	-	0.01
(छ) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (g) Provision for bad and doubtful debts	(6,748.53)	(8,172.29)
कुल / Total	1,28,961.49	1,21,744.75
3 निष्पादनवार वर्गीकरण PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
(क) वर्गीकृत मानक ऋण (a) Loans classified as standard:		

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(कक) भारत में (aa) In India	1,27,803.82	1,20,570.07
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	1,677.75	1,668.78
मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Standard Loans	(525.55)	(499.23)
(ख) गैर मानक ऋण (b) Non-standard loans:		
(कक) भारत में (aa) In India	6,218.62	7,669.82
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	9.83	8.37
गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Non-Standard Loans	(6,222.98)	(7,673.06)
कुल / Total	1,28,961.49	1,21,744.75
4 परिपक्वता - वार वर्गीकरण MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
(क) अल्पावधि (a) Short-Term:		
भारत में / In India	4,473.46	14,625.88
भारत के बाहर / Out of India	16.70	17.66
अल्पावधि के लिए प्रावधान / Provision for Short-Term	(4,371.36)	(4,709.03)
(ख) दीर्घावधि (b) Long-Term:		
भारत में / In India	1,29,548.98	1,13,614.01
भारत के बाहर / Out of India	1,670.88	1,659.49
दीर्घावधि के लिए प्रावधान / Provision for Long-Term	(2,377.17)	(3,463.26)
कुल / Total	1,28,961.49	1,21,744.75

नोट / Note

- * जल राज्य बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), पोर्ट टर्स्ट (पीटीआर), अन्य, भूमि विकास बैंक (एलडीबी)
- * WATER STATE BOARD (WSB), STATE FINANCIAL CORPORATION (SFC), PORT TURST (PTR), OTHERS (OTH), LAND DEVELOPMENT BANK (LDB)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Gross Block			मूल्यह्रास परीक्षण और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment					शुद्ध ब्लॉक Net Block	
	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2024	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions*	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2025	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2024	वर्ष के लिए For the period	विक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment*	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2025	वर्ष मार्च 31, 2025 तक As at March 2025	वर्ष मार्च 31, 2024 तक As at March 31, 2024
खयाति / Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त / Intangibles	64.68	4.85	0.14	69.39	53.56	6.97**	0.07	60.46	8.93	11.12
भूमि-पूर्ण संपदा / Land-Freehold	51.21	0.03	14.47	36.77	-	-	-	-	36.77	51.21
पट्टा-भूमि / Land-Leasehold	92.33	2.12	0.23	94.22	12.10	1.14	0.01	13.23	80.99	80.23
भवन / Buildings	3,663.98	278.63	18.31	3,924.30	1,055.45	113.30	0.03	1,168.72	2,755.58	2,608.53
फर्नीचर एवं फिटिंग / Furniture & Fittings	571.30	60.66	9.79	622.17	438.75	31.30	9.44	460.61	161.56	132.55
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	1,913.96	518.05	72.40	2,359.61	1,652.82	174.37	71.29	1,755.90	603.71	261.14
वाहन / Vehicles	1,367.65	153.80	98.23	1,423.22	893.87	158.39	82.05	970.21	453.01	473.78
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	73.12	1.97	2.44	72.65	64.19	2.26	2.42	64.03	8.62	8.93
अन्य: / Others:										
टेलिफोन / Telephones	14.01	0.11	0.14	13.98	12.83	0.27	0.13	12.97	1.01	1.18
फैक्स / इपीएक्स / Fax/Epabx	2.21	0.02	0.20	2.03	2.21	-	0.20	2.01	0.02	-
मोबाइल फोन / Mobile Phones	0.67	0.08	0.01	0.74	0.53	0.08	0.01	0.60	0.14	0.14
पुस्तकालय की पुस्तकें / Library books	0.30	-	-	0.30	0.30	-	-	0.30	-	-
विविध पूँजी उपकरण / Miscellaneous Capital Equipment	68.60	4.62	0.65	72.57	52.86	3.45	0.64	55.67	16.90	15.74
दृश्यश्रव्य तथा अन्य सम्बन्धित प्रचार उपकरण Audio visual and other allied publicity equipment	89.34	6.80	1.16	94.98	76.72	4.86	1.11	80.47	14.51	12.62
इंजीनीयरिंग विभाग उपकरण / Engineering Dept. equipment	0.27	-	-	0.27	0.11	0.02	-	0.13	0.14	0.16
वोल्टेज स्टेबलाइजर तथा यू.पी.एस. / Voltage stabilizers and UPS	166.37	9.12	5.71	169.78	151.68	8.53	5.69	154.52	15.26	14.69
क्रिएट के भवनो पर जनरेटर, डी.जी. सेट्स / Generators, DG sets in rented premises	2.27	-	0.02	2.25	2.04	0.12	0.02	2.14	0.11	0.23
विविध अचल सम्पत्तिय / Sundry Fixed Assets	-	7.51	-	7.51	-	7.51	-	7.51	-	-
कुल / Total	8,142.27	1,048.37	223.90	8,966.74	4,470.02	512.57	173.11	4,809.48	4,157.26	3,672.25
कार्य प्रगति पर / Work in Progress	402.52	309.10	385.70	325.92	-	-	-	-	325.92	402.52
सकल कुल / Grand Total	8,544.79	1,357.47	609.60	9,292.66	4,470.02	512.57	173.11	4,809.48	4,483.18	4,074.77
गत वर्ष / Previous Year	8,027.76	963.97	446.94	8,544.79	4,191.03	471.34	192.35	4,470.02	4,074.77	

*also Includes Exchange difference gains/losses

** Impairment loss of Rs. 5.13 Cr. on TDR recognised during the year including in Depreciation for the year.

** टीडीआर पर वर्ष के दौरान 5.13 करोड़ ₹ की क्षति से हानि को मान्यता दी गई जो वर्ष के लिए मूल्यह्रास में शामिल है।

अनुसूची - 11
SCHEDULE - 11

रोकड़ एवं बैंक शेष
CASH AND BANK BALANCES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टॉम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	4,375.48	3,181.61
2 बैंक शेष Bank Balances:		
(क) जमा खाता (a) Deposit Accounts:		
(कक) अल्पावधि (तुलन पत्र की तारीख से 12 महिनो के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)	7,295.35	3,681.56
(खख) अन्य (bb) Others	6,112.13	5,356.05
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	35,690.67	22,159.23
(ग) अन्य - मार्गस्थ प्रेषस्त धन (c) Others - Remittances in transit	795.28	1,769.70
3 मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
(क) बैंकों में (a) With Banks	184.72	17.16
(ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions	-	-
(ग) त्रिपक्षीय पुनर्खरीद विकल्प (टीआरईपीएस) (c) Tri-Party Repurchasing Option (TREPS)	15,431.03	5,659.16
Total	69,884.66	41,824.47
Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above*		
गैर अनुसूचित बैंको की शेष उपरोक्त 2 तथा 3 में सम्मिलित है*		
Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above.*		
रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES		
1 भारत में / In India	62,381.29	34,604.52
2 भारत के बाहर / Outside India	7,503.37	7,219.95
कुल / Total	69,884.66	41,824.47

* स्थानीय विधि के अनुसार विदेशी शाखाओं के बैंक खातों के अलावा

* Excluding bank accounts of foreign branches which are held as per local laws.

अनुसूची – 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ
ADVANCES AND OTHER ASSETS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
अग्रिम / ADVANCES		
1 अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा / Reserve deposits with ceding companies	-	-
2 निवेशो के लिए आवेदन राशि / Application money for investments	50.63	-
3 पूर्व भुगतान / पूर्वदत्त खर्च / Prepayments/Prepaid Expenditure	1,044.87	905.50
4 अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम Advances to Directors/ Officers	1.08	0.32
5 अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर) / Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	8,565.20	16,907.66
6 वस्तु एवं सेवा कर जमा / Goods and Service tax Credit	1,150.14	802.67
7(a) अन्य / Others:		
i कर्मचारियों को अग्रिम / Advances to employees	1,168.43	1,062.49
ii अन्य को अग्रिम / Advances to others	60.39	83.19
iii जमा / Deposits	111.50	67.54
iv अन्य अग्रिम / Other advances	1,104.21	1,256.87
7(b) विविध देनदार, अग्रिम तथा जमा के लिए प्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits	(90.00)	(103.77)
कुल / TOTAL (A)	13,166.45	20,982.47
अन्य सम्पत्तियाँ OTHER ASSETS		
1 निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	84,249.59	80,798.25
संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends	(9,021.94)	(11,684.80)
2 बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums	11,836.98	11,675.25
3 एजेंटों की शेष राशियाँ / Agents' Balances	1,292.88	1,306.08
एजेंटों के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान / Provision for agents doubtful balances	(2.76)	(1.46)
4 विदेशी एजेंसियों की शेष राशियाँ / Foreign Agencies' Balances	-	-
5 बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होनेवाली राशियाँ (पुनर्बीमा सहित) / Due from other entities carrying on insurance business (Including reinsurance)	160.93	3,563.98
6 सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होनेवाली राशियाँ / Due from subsidiaries/ holding company	-	-
7 पालिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेश Investment held for Unclaimed amount of Policyholders	7,165.68	17,915.29
8 पालिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज Interest on Investment held for Unclaimed amount of Policyholders	-	-

अनुसूची - 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ (जारी)
ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
9 अन्य / Others:		
i बकाया / उपार्जित ऋण पर ब्याज / Interest on loans outstanding/accrued	32,024.26	30,295.42
ii स्टॉक हाथ में / Stock on hand	55.73	57.55
iii अन्य संपत्तियाँ / Other assets	695.13	366.51
iv (क) निवेश जिनका आबंटन बाकी है (a) Investments Pending Allotment	58.46	178.07
(ख) निवेश जिनका आबंटन बाकी है के लिए प्रावधान (b) Provision for Investments Pending Allotment	(58.46)	(178.07)
v (क) व्युत्पन्न सम्पत्तियाँ - वायदा दर करार (एफआरए) (a) Derivative Assets - FRA	13.26	-
(ख) ओटीसी मार्जिन - वायदा दर करार (एफआरए) (b) OTC Margin - FRA	-	-
(ग) प्राप्य मार्जिन - वायदा दर करार (एफआरए) (c) Margin Reveivable - FRA	-	-
(घ) सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज - वायदा दर करार (एफआरए) (d) Interest accrued on Gsec. - FRA	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	1,28,469.74	1,34,292.07
कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)	1,41,636.19	1,55,274.54

अनुसूची - 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं
CURRENT LIABILITIES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 एजेंटों की शेष राशियाँ / Agents' Balances	11.54	13.17
2 अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि / Balances due to other insurance companies	245.57	94.58
3 पुनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा / Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4 अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance	68.70	66.47
5 अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	236.51	282.97
6 विविध लेनदार / Sundry creditors	3,944.26	11,192.86
7 सहायक / नियंत्रक कंपनी को देय / Due to subsidiaries/holding company	-	-

अनुसूची – 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
8 बकाया दावें / Claims Outstanding	14,184.67	7,845.98
9 देय वार्षिकियाँ / Annuities Due	1,208.45	1,049.52
10 अधिकारियों / निदेशको को देय / Due to Officers/Directors	1.71	1.40
11 पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि Unclaimed Amount of Policyholders	5,513.99	14,297.36
12 अस्वामिक राशि पर अर्जित आय Income accrued on Unclaimed Amount	1,651.39	3,618.03
13 ऋण पत्र/बंध पत्र पर देय ब्याज Interest payable on debentures/bonds	-	-
14 वस्तु एवं सेवा कर दायित्व Goods and Service tax Liabilities	1,831.66	1,852.39
15 अन्य / Others		
क कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेन्शन निधि के न्यास को देय राशियाँ a Amounts due to trust of staff provident & pension fund	(57.95)	5,530.07
ख बकाया कमीशन b Outstanding Commission	1,560.19	1,616.23
ग प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियाँ c Premium and other deposits	2,320.98	1,145.29
घ अस्वामिक लाभांश d Unclaimed Dividend	1.18	0.46
ड (i) व्युत्पन्न देयताएँ – वायदा दर करार (एफआरए) e (i) Derivative Liabilities - FRA	4.19	-
(ii) ओटीसी मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (ii) OTC Margin - FRA	5.30	-
(iii) देय मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (iii) Margins Payable - FRA	-	-
च वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) f Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (161)	30.04	15.46

अनुसूची - 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
छ वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) g Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (828)	41.37	36.49
ज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842) h Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842)	70.19	57.95
झ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842 नया) i Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New)	7.69	(43.93)
ट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) j Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856)	160.56	94.10
ठ सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता k Social Security Fund Current account	0.04	5.40
ड छात्रवृत्ति निधि चालू खाता l Scholarship Fund Contra account	0.04	0.04
ढ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता m Pradhan Mantri Shram Yogi Maan -Dhan (PMSYM) Current Account	(5.41)	(2.62)
ण प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता n Pradhan Mantri Kishan Maan-Dhan Yojan (PMKMDY) Current Account	(3.62)	(2.90)
त प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता o Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) Current Account	(0.08)	(0.04)
थ संबद्ध व्यवसाय चालू खाता p Linked Business Current a/c	991.00	73.35
द बैंक शेष q Bank Balance	1.43	1.12
ध अन्य r Others	7.64	4.59
कुल / Total	34,033.13	48,848.84

अनुसूची – 14
SCHEDULE - 14

प्रावधान
PROVISIONS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes deducted at source)	-	-
2 कर्मचारियों के लाभों के लिए / For Employee Benefit	-	-
3 अन्य / Others:		
शोधक्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान / Provision for reserve for solvency margin	14,943.06	14,943.06
अन्य प्रावधान / Other Provisions	3.02	3.08
कुल / Total	14,946.08	14,946.14

अनुसूची – 15
SCHEDULE - 15

विविध व्यय
MISCELLANEOUS EXPENDITURE
(To the extent not written off or adjusted)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट / Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2 अन्य / Others	-	-
कुल / Total	-	-

अनुसूची 15अ : समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले प्रकटीकरण

निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम”) 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (‘शासी अधिनियम’) के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है; यह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है और IRDAI अधिनियम, 1999 के यथा संशोधित प्रावधानों और अंतर्निहित विनियमनों के अधीन है, और जो शासी अधिनियम से असंगत नहीं है। निगम व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें व्यवसायों की सहभागी, गैर सहभागी और सम्बद्ध शामिल हैं। पोर्टफोलियो में विभिन्न बीमा और निवेश उत्पाद जैसे सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश, वार्षिकी, स्वास्थ्य, परिवर्तनीय व्यवसाय और पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) शामिल हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) निगम और उसकी सहायक कंपनियों और निगम की सहयोगी कंपनियों में लाभ/हानि हिस्सेदारी से संबंधित हैं (एक साथ “समूह” के रूप में संदर्भित)।

(अ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. तैयारी का आधार

समूह के लिए ये समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21, “समेकित वित्तीय विवरण” के तहत निर्धारित समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं और उसी प्रकार के प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस प्रकार से निगम के प्रस्तुत किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराके तहत तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं, निरंतरता और प्रोद्घवन के आधार पर तैयार किया गया है। समूह की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं (भारतीय जीएपी), जिसमें निम्न शामिल हैं; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (संशोधित) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड और दिशानिर्देश, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 (“मास्टर परिपत्र”) और IRDAI द्वारा समय-समयपर जारी अन्य परिपत्रसमय, बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान, यथा संशोधित, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और लेखामानकों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखामानकों के अनुपालनमें, और उसमें किए गए संशोधनों और नियमों के अनुसार, लागू सीमातक, नीचे लिखित अपवदोको छोड़कर, आवश्यक तरीके से लागू किया गया है।

निगम की भारतीय सहायक/सहयोगियों कंपनियां विभिन्न व्यवसायों में है एवं विभिन्न लेखा विनियमों द्वारा शासित की जाती है और उनमें व्यवसाय की एकरूपता की कमी होती है, इसलिए समेकन के समय लेखांकन नीतियों में स्थिरता लाने के लिए सहायक कंपनियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरणों में, जिस सीमा तक व्यवहार्य है, केवल महत्वपूर्ण समायोजन किये गये हैं। जहां समायोजन करना व्यावहारिक नहीं है और परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियां भिन्न होती हैं, निगम और उसकी सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों के बीच इस तरह के अंतर का खुलासा किया गया है।

समूह के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का उद्देश्य सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करना और समूह की समेकित स्थिति की बेहतर समझ की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। समूह ने निगम और उसकी सहायक कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से ऐसे नोटों को प्रकट किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं। केवल महत्वपूर्ण नोटों का खुलासा किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण मदोका मूल्यांकन किया जाता है। सहायक कंपनियों और/या निगम के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी जो कि समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं डालती है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की जाती है।

निगम की लेखांकन नीतियों, टिप्पणियों और प्रकटीकरण को इसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में सर्वोत्तम रूप से देखा जा सकता है जिनके साथ ये समेकित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

Schedule 15A: Disclosures forming part of the Consolidated Financial Statements

CORPORATE INFORMATION

Life Insurance Corporation of India ("Corporation") is a statutory corporation established on 1st September, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956 ('Governing Act') engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by the provisions of the governing Act; it is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('IRDAI'), Registration No. 512 dated 01.01.2001 and is subject to such provisions of IRDA Act, 1999 as amended and regulations there under which are not inconsistent with the governing Act. The Corporation offers a range of individual and group insurance solutions including participating, non-participating and unit linked business. The portfolio comprises of various insurance and investment products such as Protection, Pension, Savings, Investment, Annuity, Health, Variable and Capital Redemption and Annuity Certain (CRAC). The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17th May, 2022).

The Consolidated Financial Statements (CFS) relate to Corporation and its subsidiary companies and the Corporation's share of profit/loss in its associate companies (together referred as "the Group").

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

These consolidated financial statements for the Group are prepared in accordance with the principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statements as laid down under the Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements" and are presented in the same format as that of the Corporation.

These Consolidated Financial Statements are prepared under the historical cost convention, with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency and accrual, unless otherwise stated. The accounting and reporting policies of the Group conform to accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP), comprising of regulatory norms and guidelines prescribed by the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 ("the Master Circular") and other circulars issued by the IRDAI from time to time, provisions of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time, norms & guidelines prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, and amendments and rules made thereto, to the extent applicable Accounting policies have been consistently applied to the extent applicable and in the manner so required except to the extent specified below.

Indian Subsidiaries/Associates of the Corporation are governed by different operations and accounting regulations and lack homogeneity of business, hence only material adjustments have been made to the financial statements of the subsidiaries/associates to bring consistency in accounting policies at the time of consolidation to the extent it is practicable to do so. Where it is not practicable to make adjustments and as a result the accounting policies differ, such differences between accounting policies of the Corporation and its subsidiaries have been disclosed.

The notes to these consolidated financial statements for the Group are intended to serve as a means of informative disclosure and a guide towards better understanding of the consolidated position of the Group. The Group has disclosed such notes from the standalone financial statements of the Corporation and its subsidiaries which are necessary for presenting a true and fair view of the consolidated financial statements. Only the notes involving items which are material are disclosed. Materiality for this purpose is assessed in relation to the information contained in the consolidated financial statements. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the subsidiaries and/or the Corporation having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements are not disclosed in the consolidated financial statements.

The accounting policies, notes and disclosures made by the Corporation are best viewed in its standalone financial statements to which these consolidated financial statements are attached.

निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और प्रतिभूतियों के विभिन्न अन्य वर्गों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 - निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार हिसाब लगाया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में कुछ निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए नहीं माना गया है:

– **जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है:**

इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में निगम के नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगम द्वारा इन कंपनियों के गठन के समय निवेश के कारण, प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।

– **निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है:**

निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशिती कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना लीगेंसी निवेश। अतः इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

– **निगम के पास समझौते या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड में प्रतिनिधित्व है:**

ऐसे मामलों में निगम की शेयरधारिता 20% से कम होती है और निगम के पास इन निवेशिती कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक होते हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों में निवेश के समान है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। इस तरह निगम का इन कंपनियों पर कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

2. समेकन का आधार

- क) निगम और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समूह के भीतर शेष राशि, लेन-देन और परिणामी अप्राप्त लाभ या हानि को निकालने के बाद (जब तक लागत वसूल नहीं की जा सकती) परीसंपत्ति, दायित्वों, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ा गया है। विशेष रूप से आईआरडीआई विनियमों द्वारा शासित प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय से संबंधित पॉलिसीधारकों के खाते ने इन समेकित वित्तीय विवरणों में अपना विशिष्ट स्वतंत्र रूप बरकरार रखा है। चूंकि विदेशी सहायक कंपनियां बीमा व्यवसाय में लगी हुई हैं, सहायक कंपनियों के बीमा व्यवसाय से संबंधित राजस्व/व्यय को राजस्व खाता- पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाता) के तहत प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, बीमा व्यवसाय में नहीं होने के कारण, लाभ और हानि-शेयरधारक खाते (गैर-तकनीकी खाता) में प्रस्तुत की जाती हैं।
- ख) सहायक कंपनियों में निवेश की तारीखों पर सहायक कंपनियों की इक्विटी में अपने हिस्से पर निगम की लागत की अधिकता को समेकित वित्तीय विवरणों में एक संपत्ति की तरह मानते हुये 'गुडविल' के रूप में दिखाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, जहां निवेश की तिथि पर सहायक कंपनियों में इक्विटी का हिस्सा निगम के निवेश की लागत से अधिक है, इसे 'पूंजी आरक्षित निधि' के रूप में माना जाता है और समेकित वित्तीय विवरण में शीर्षक 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत दिखाया जाता है। प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए 'गुडविल'/'पूंजी आरक्षित निधि' अलग से निर्धारित किया जाता है।
- ग) समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों के लाभ / हानि का हिस्सा शामिल है, जिसका लेखा लेखांकन मानक (एएस) 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार 'इक्विटी विधि' का उपयोग करके दिया गया है और तदनुसार, प्रत्येक सहयोगी कंपनी के लाभ/हानि के हिस्से (हानि को निवेश की लागत तक सीमित किया जा रहा है) को निवेश की लागत में जोड़ा/ घटाया गया है। सहयोगियों से प्राप्त वितरण के लिए वहन मूल्य कम कर दिया गया है।
- घ) निगम अधिग्रहण के बाद, सहयोगीयों की निवल संपत्तियों में परिवर्तन में अपने हिस्से को निगम व सहयोगीयों के लेनदेन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ और हानि को समाप्त करने के बाद, लाभ और हानि (गैर-तकनीकी खाता) / राजस्व खाता- पॉलिसीधारक खाता (तकनीकी खाता) के अपने विवरण के माध्यम से अपने हिस्से की उस हद तक जिस हद तक इस तरह का परिवर्तन सहयोगियों के लाभ और हानि के विवरण के कारण होता है, शामिल करता है।
- ड) अल्पांश हित समेकित सहायक कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में निवेश तथा उसके बाद के परिणामों में अल्पांश शेयरधारकों का हिस्सा है।

The Corporation has made certain investments in equity shares and various other classes of securities in other companies which have been accounted for as per Accounting Standard 13 - Accounting for Investments. This includes certain investments in companies, not considered for Consolidation, as per category wise reasons given hereunder:

- **Where the Corporation is categorized as Promoter:**

The Corporation has nominee directors on Board of some of these companies. However, Corporation does not have any control or significant influence on these companies. The Board seat of the Corporation in these investees is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. The Promoter/ Shareholder status is by way of investment at the time of formation of these companies.

- **Shareholding of Corporation is more than 20%:**

Legacy investments by the Corporation without any Board representation and/or any involvement in the management/ administration of the investee Companies. As such, Corporation does not have any management control or significant influence in these entities.

- **Corporation has Board position through agreement or nominee directors:**

In such cases the shareholding of the Corporation is below 20% and Corporation has nominee directors on the Board of these investee companies. The investments in these companies are at par with other companies and shares are bought and sold depending upon market conditions. The Board seat is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. As such Corporation does not have control or significant influence on these companies.

2. Basis of Consolidation

- a) The financial statements of the Corporation and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together similar items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group balances, transactions and resulting unrealized profits or losses (unless cost cannot be recovered). The Policyholders' account specifically dealing with direct insurance business governed by IRDAI regulations has retained its distinct independent form in these consolidated financial statements. As foreign subsidiaries are engaged in the insurance business, revenue/expenses pertaining to the insurance business of the subsidiaries are presented under Revenue Account-Policyholders' Account (Technical Account). However, the activities carried by the Indian Subsidiaries, not being in insurance business, are presented in the Profit and Loss-Shareholders Account (Non-Technical Account).
- b) The excess of costs to the Corporation of its investment in the subsidiaries over its share of equity of the subsidiaries at the dates on which the investments in subsidiaries are made, is recognised as 'Goodwill' being an asset in the consolidated financial statements. Alternatively, where the share of equity in the subsidiaries as on the date of investment is in excess of cost of investment of the Corporation, it is recognised as 'Capital Reserve' and shown under the head 'Reserves and Surplus', in the consolidated financial statements. The 'Goodwill' / 'Capital Reserve' is determined separately for each subsidiary.
- c) The consolidated financial statements include the share of profit / loss of the associate companies which have been accounted for using 'Equity Method' in accordance with Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in consolidated financial statements" and accordingly, the share of profit/ loss of each of the associate companies (the loss being restricted to the cost of investment) has been added to/deducted from the cost of investments. The carrying value is reduced for the distributions received from the associates.
- d) The Corporation accounts for its share in the change in the net assets of the associate, post-acquisition, after eliminating unrealised profits and losses resulting from the transaction between the Corporation and its associate to the extent of its share, through its statement of Profit and Loss (Non-Technical Account) / Revenue Account-Policyholders' Account (Technical Account) to the extent such change is attributable to the associates' Statement of Profit and Loss.
- e) Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of the amount of equity attributable to the minority shareholders at the dates on which investments are made by the Corporation in the subsidiaries and further movements in their share in the equity, subsequent to the dates of investments as stated above.

- च) समेकन में प्रयुक्त विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण निगम की रेपोर्टिंग तिथि 31 मार्च तक तैयार किए जाते हैं जहां सहायक या सहयोगी उस तारीख को अपना वित्तीय वर्ष बंद करते हैं। विदेशी सहायक कंपनियों ने संबंधित देश के आवश्यक स्थानीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) / आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार अपने खाते तैयार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय (GAAP) की तुलना में निगम द्वारा अनुसरित कुछ भिन्नताएं हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से, इन संस्थाओं के खातों को निगम द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों के साथ पुष्टि करने के लिए लेखांकन समायोजन नहीं किया गया है। लेखांकन नीति में अंतर का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- छ) विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण, गैर-अभिन्न संचालन होने के कारण, निम्नलिखित विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिए गए हैं: राजस्व और व्यय: वर्ष के औसत पर, संपत्ति और देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में समापन दर पर। परिणामी रूपांतरण “फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व” में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ज) सहायक/सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/घाटा जहां पॉलिसीधारक निधि से निवेश किया जाता है, पॉलिसीधारकों की आरक्षित निधि में ले जाया जाता है और सहायक/सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/घाटा जहां शेयरधारकों की निधि से निवेश किया जाता है, लाभ और हानि खाते के माध्यम से किया जाता है और उसके बाद शेयरधारकों के भंडार को अग्रेषित किया जाता है।

3. अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप है, जिसके लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसम्पत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की शेष राशि और आकस्मिक दायित्वों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख तक और उसके अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

4. राजस्व मान्यता:

प्रीमियम आय:-

- क) प्रीमियम को देय होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए अनुग्रह अवधि समाप्त नहीं हुई है और पिछली किश्तों का भुगतान किया गया है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, भुगतान की नियत तारीख को उस तारीख के रूप में लिया जाता है जब संबद्ध इकाइयां सृजित की जाती हैं।
- ख) संबद्ध निधि से होने वाली आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार, मृत्युदर शुल्क आदि शामिल हैं, को संबद्ध निधि से नियम और शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर मान्यता दी जाती है।
- ग) पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमा संधि की शर्तों या पुनर्बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

निवेश से आय:-

- घ) सभी सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों ऋण सहित, डिबेंचर और बांड, पास थ्रू प्रमाणपत्र, बंधक ऋण के संबंध में ब्याज आय को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।
- ड) द्वितीयक बाजार से सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में, खंडित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान/ प्राप्ति आधार पर प्राप्त किया जाता है।
- च) ब्याज, लाभांश, किराया आदि का सकल मूल्य (आयकर की कटौती से पहले) पर हिसाब लगाया जाता है।
- छ) ऋण, डिबेंचर और बांड के संबंध में, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना ऋण दस्तावेज़ / सूचना ज्ञापन या ऐसे अन्य दस्तावेज़ में उल्लिखित साधारण ब्याज की गणना की विधि के अनुसार की जाती है। सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बंधक ऋणों के संबंध में, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।
- ज) प्रतिभूतियों/इक्विटी/म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के वर्ष में ही राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

- f) The financial statements of the Foreign Subsidiaries used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Corporation i.e., 31st March. The foreign subsidiaries have prepared their accounts in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) / Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as per the required local laws of the respective country, resulting in some variations as compared to Indian GAAP followed by the Corporation. For the purpose of preparing the CFS, accounting adjustments have not been made to align the accounts of these entities to confirm with the accounting policies followed by the Corporation. The impact of difference in accounting policy is not material.
- g) Financial Statements of Foreign Subsidiaries, being non-integral operations, have been converted into Indian Rupees at following exchange rates: Revenue and Expenses: At the average of the year Assets and Liabilities: Closing rate at the end of the financial year. The resultant translation exchange difference is transferred to "Foreign Currency Translation Reserve".
- h) The Net Surplus/Deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Policyholders' Funds is carried forward to Policyholders' Reserves and the Net Surplus/Deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Shareholders Funds is routed through P&L Account and thereafter carried forward to Shareholders' Reserves.

3. Use of Estimates:

The preparation of consolidated financial statements is in conformity with generally accepted accounting principles in India ('Indian GAAP') requires that the Group's management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the consolidated financial statements. The estimates and assumptions used in the accompanying consolidated financial statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances up to and as on the date of the consolidated financial statements. Actual results could differ from the estimates. Any revision to the accounting estimates is accounted for prospectively.

4. Revenue Recognition:

Premium Income:-

- a) Premium is recognized as income when due, for which grace period has not expired and the previous instalments have been paid. In case of Linked Business, the due date for payment is taken as the date when the associated units are created.
- b) Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions and recognized when due.
- c) Premium ceded on re-insurance is accounted in accordance with the terms of the re-insurance treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

Investment Income:-

- d) Interest income in respect of all Government securities, debt securities including loans, debentures and bonds, Pass Through Certificate (PTC), mortgage loans is recognized in Revenue Account as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.
- e) In respect of purchase or sale of Government and other approved securities from secondary market, interest for the broken period is paid / received on settlement basis.
- f) Interest, Dividend, Rent, etc. are accounted at gross value (before deduction of Income Tax)
- g) In respect of loans, debentures and bonds, accrued interest as at the date of the balance sheet is calculated as per method of calculation of simple interest mentioned in the loan document/information memorandum or such other document. In respect of Government and other approved securities and mortgage loans, accrued interest as at the date of balance sheet is calculated based on 360 days a year.
- h) Profit or Loss on sale of Securities/Equities/ Mutual Funds is recognised in Revenue Account in the year of sale.

- झ) उद्धृत इक्विटी शेयरों पर लाभांश जहां इसे प्राप्त करने का अधिकार 31 मार्च (यानी निवेशित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश) को या उससे पहले देय हो गया है, इसे बाद में प्राप्त आय के रूप में लिया जाता है। गैर-उद्धृत इक्विटी पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ञ) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज का हिसाब अर्जित के आधार पर किया जाता है।
- त) किराये की आय को अर्जित के आधार में मान्यता दी जाती है जब वह देय होता है और किराया / लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से अधिक के लिए बकाया है, को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। किराये पर अपफ्रंट प्रीमियम का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- थ) अधिमानी शेयरों/म्यूचुअल फंड पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- द) डिबेंचर/बांड की खरीद पर आवेदन राशि पर ब्याज को प्राप्ति के आधार पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ध) उद्यम पूंजी निवेश पर आय का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।
- न) जीरो कूपन बांड से होने वाली आय को अर्जित आधार पर लेखों में लिया जाता है।
- प) तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार एनपीए पर बकाया ब्याज, ब्याज सस्पेंस के रूप में मान्यता दी गई है।
- फ) मोचन/परिपक्वता पर प्रीमियम को मोचन/परिपक्वता पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ब) प्रस्तावित निवेशों के लिए प्रसंस्करण शुल्क, यदि कोई हो प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

5. अधिग्रहण लागतें:

अधिग्रहण लागत उस अवधि में दिखाई जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। अधिग्रहण लागत वह लागतें हैं जो अलग-अलग होती हैं और मुख्य रूप से नए और नवीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं।

6. भुगतान किया गया लाभ:

- क) भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां भी लागू हो, शामिल होते हैं।
- ख) दावे की मान्यता की तिथि पॉलिसी धारक द्वारा मृत्यु या समर्पण की सूचना प्राप्त होने की तिथि होगी। परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, वार्षिकी आदि के मामले में दावों की मान्यता की तिथि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
- ग) न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को प्रबंधन मूल्यांकन और विवेक के आधार पर आकस्मिक दायित्व माना जाता है।
- घ) उन अस्वीकृत दावों से संबंधित विवादित कानूनी मामलों के लिए प्रावधान किया गया है जहां एलआईसी द्वारा दायर अपील/रिट/संशोधन लंबित रहने तक एलआईसी के खिलाफ फोरम/कोर्ट द्वारा दी गई संपूर्ण राशि की सीमा तक लोअर फोरम/कोर्ट द्वारा निगम के खिलाफ निर्णय दिया जाता है।

7. निवेश:

क) असंबद्ध व्यवसाय

क) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता पर धारित' माना जाता है और निम्नानुसार परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियां, जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा। जहां अंकित मूल्य बही मूल्य से अधिक होता है, छूट को परिपक्वता पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ii) सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर, जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की बैलेंस अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले नहीं) परिशोधन से अधिक है तो परिशोधन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है लागत।

गैर-सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की शेष अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधन लागत कम करने के लिए प्रावधान कम किया जाता है।

- i) Dividend on quoted equity shares where right to receive the same has fallen due on or before 31st March (i.e. dividend declared by the investee company) is taken as income though received subsequently. Dividend on unquoted equity is taken as income only on receipt.
- j) Interest on Loan against Policies is accounted for on accrual basis.
- k) Rental income is recognized on accrual basis and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is not recognized as income. Upfront premium on rent is accounted on cash basis.
- l) Dividend on Preference Shares/Mutual Funds is recognized as income only on receipt.
- m) Interest on Application Money on purchase of debentures/bonds is accounted on receipt basis.
- n) Income on venture capital investment is accounted on receipt basis.
- o) Income from zero coupon bonds is accounted on accrual basis.
- p) Outstanding interest on NPAs as at balance sheet date is recognized as interest suspense.
- q) Premium on redemption/maturity of investments is recognized as income on redemption/maturity.
- r) Processing fee for proposed investments, if any is accounted on receipt basis.

5. Acquisition Costs:

Acquisition Cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

6. Benefits Paid:

- a) Benefits paid consist of the policy benefit amount and claims settlement costs, wherever applicable.
- b) The date of recognition of claim shall be the date of receipt of intimation of death or surrender by the policy holder. The date of recognition of claims in case of Maturity, Survival benefits, Annuity etc. shall be as per the terms and conditions of the policies.
- c) Repudiated claims disputed before judicial authorities are treated as contingent liability based on management assessment and prudence.
- d) The provision is made for disputed legal cases pertaining to repudiated claims where decision is given against the Corporation by Lower Forum/Court to the extent of entire amount awarded by the Forum/Court against LIC, pending the Appeal/Writ/Revision filed by LIC.

7. Investments:

A] Non-Linked Business

- a) Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and is carried at historical cost subject to amortization as follows:
 - (i) Debt Securities including Government Securities, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity. Where face value is greater than book value, discount is accounted on maturity.
 - (ii) Listed Redeemable Preference Shares, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and is valued at amortised cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than amortised cost. Provision for diminution is made if market value is lower than amortised cost.

Unlisted Redeemable Preference Shares where the book value is more than the face value, the premium is amortised on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost less provision for diminution.

सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को बुक वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन तिथि से 30 दिन पहले नहीं), बुक वैल्यू से अधिक है। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य कम है, तो इसका मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बही मूल्य पर किया जाता है।

असूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।

- ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का सक्रिय बाजारों में कारोबार होता है, जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इक्विटी प्रतिभूतियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- ग) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और कम कारोबार वाली इक्विटी प्रतिभूतियों को ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। इस तरह की कमी का आकलन और हिसाब निगम की हानि नीति के अनुसार किया जाता है। प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार ही कम कारोबार के रूप में माना जाएगा।
- घ) द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब निपटान के आधार पर किया जाता है।
- ङ) निवेश संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन राशि पर रखा जाता है और निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ले जाया जाता है। निवेश संपत्ति का हर तीन साल में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:-
 - (i) निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए पर विचार करते हुए रेंट कैपिटलाइजेशन विधि द्वारा किया जाता है।
 - (ii) बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
- च) म्युचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश का मूल्यांकन तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है और म्युचुअल फंड/ईटीएफ की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- छ) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश लागत पर किया जाता है।
- ज) वेंचर फंड/वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जहां एनएवी बुक वैल्यू से अधिक होता है। जहां कहीं भी एनएवी बुक वैल्यू से कम होती है, वहां अंतर को ह्रास के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- झ) मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स को बुक वैल्यू पर मापा जाता है।

ञ) व्युत्पन्न:

बीमा अनुबंधों पर अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन की प्रतिरक्षा (हेजिंग) के लिए ब्याज दर व्युत्पन्न (आईआरडी) अनुबंध और जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में निवेश, नकदी प्रवाह का लेखा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट' और समय-समय पर संशोधित बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के निवेश के मास्टर परिपत्र के अनुसार किया जाता है।

निगम के पास ब्याज दर जोखिम प्रतिरक्षा (हेजिंग) नीति और प्रक्रिया दस्तावेज हैं जो ब्याज दर जोखिम प्रतिरक्षा रणनीति के अनुसार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए किए गए डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) लेनदेन के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। प्रतिरक्षा की शुरुआत में, निगम प्रतिरक्षा लिखत और प्रतिरक्षित किए गए मद, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, प्रतिरक्षा की रणनीति और प्रतिरक्षा प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के बीच संबंध को नामित और प्रलेखित करता है। प्रतिरक्षा प्रभावशीलता वह डिग्री है जहां तक प्रतिरक्षा किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन जो प्रतिरक्षा किए गए जोखिम के कारण होते हैं, प्रतिरक्षा लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तनों द्वारा ऑफसेट किए जाते हैं। हेज की शुरुआत के समय और उसके बाद समय-समय पर रिपोर्टिंग तिथियों पर प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है।

अग्रिम दर करार (एफआरए) ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए एक अग्रिम संविदा है। अग्रिम दर करार संविदा में निगम अनुबंध की परिपक्वता तक की अवधि के लिए सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल निर्धारित करता है। पूर्वानुमानित लेनदेन पर ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए निगम अग्रिम दर करार में प्रवेश करता है। (क) निर्धारित आय निवेशों से बाहर निकलने की परिपक्वता आय का पुनर्निवेश; (ख) प्राप्त होने वाली ब्याज आय का निवेश; और (ग) बीमा अनुबंधों पर अपेक्षित पॉलिसी प्रीमियम आय प्राप्त करना जिसकी पहले से ही जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में हामीदारी की गई हो।

Listed Irredeemable Preference Shares are valued at book value if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than book value. In case last quoted price is lower, it is valued at book value less provision for diminution.

Unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at book value less provision for diminution.

- b) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at fair value on Balance Sheet date and the change in the carrying amount of equity securities is taken to Fair Value Change Account.
- c) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security shall be considered as being thinly traded as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI.
- d) All Investments are accounted on settlement basis except for purchase or sale of equity shares & government securities from the secondary market.
- e) The Investment Property is carried at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property is as under:-
 - (i) The valuation of investment property is carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
 - (ii) Investment properties having land alone without any building/structure is revalued as per current market value.
- f) Mutual Fund and Exchange Traded Fund (ETF) investments are valued on fair value basis as at the Balance Sheet date and the change in the carrying amount of Mutual Fund /ETF is taken to Fair Value Change Account.
- g) Investment in venture fund / Alternative Investment Fund (AIF) is valued at cost wherever NAV is greater than the Book Value. Wherever NAV is lower than Book Value the difference is accounted as diminution.
- h) Money Market Instruments are measured at Book Value.
- i) **Derivatives:**

Interest Rate Derivative (IRD) contracts for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in Life, Pension and Annuity business are accounted for in accordance with the 'Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.

The Corporation has well defined Board approved Interest rate risk hedging Policy and Process document covering various aspects related to functioning of the derivative transactions undertaken to mitigate Interest rate risk as per the Interest rate risk hedging strategy. At the inception of the hedge, the Corporation designates and documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective, strategy for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by the changes in the fair value or cash flow of the hedging instrument. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter at subsequent reporting dates.

Forward Rate Agreement (FRA) is a forward contract to hedge the risk of movements in interest rates. In a FRA contract, the Corporation fixes the yield on the government bond for the period till the maturity of the contract. The Corporation enters into FRA to hedge interest rate risk on forecasted transactions. (A) Reinvestment of maturity proceeds of exiting fixed income investments; (B) Investment of interest income receivable; and (C) Expected policy premium income receivable on insurance contracts which are already underwritten in Life, Pension and Annuity business.

अग्रिम दर करार (एफआरए) संविदा का मूल्यांकन एफबीआईएल से लिए गए स्पॉट संदर्भ उत्पन्न पर अंतर्निहित बॉन्ड के बाजार मूल्य और मूल्यांकन तिथि से अग्रिम दर करार संविदा निपटारे की तारीख तक मध्यवर्ती कूपन प्रवाह के वर्तमान मूल्य सहित अंतर्निहित बॉन्ड के अनुबंधित अग्रिम मूल्य के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है। डेरिवेटिव वितीय साधनों का मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन / उचित मूल्यांकन दोनों पक्षों अर्थात निगम और प्रतिपक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रतिपक्ष (बैंक) मूल्यांकन को मार्जिन निपटान के लिए माना जाता है क्योंकि प्रतिपक्ष (बैंक) अग्रिम दर करार के अनुसार मूल्यांकन एजेंट होता है।

प्रतिरक्षा लिखत को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य पर पुनः उसकी माप की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न पर उचित मूल्य लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा जो एक प्रभावी प्रतिरक्षा के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे तुलन पत्र में “प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व” या “एचएफआर” में मान्यता दी जाती है और ऐसे डेरिवेटिव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन के अप्रभावी हिस्से को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे निर्मित होते हैं। ब्याज दर व्युत्पन्न पर उचित मूल्य लाभ / हानि जो एक अप्रभावी प्रतिरक्षा के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

“प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व” में चिन्हित किए गए संचित लाभ या हानि को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उसी अवधि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, जिसके दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से प्राप्त निवेशों से आय को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रतिरक्षा लेखा तब बंद हो जाता है जब प्रतिरक्षा लिखत समाप्त हो जाता है या ऐसा लगता हो कि अपेक्षित पूर्वानुमानित लेनदेन अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल जाता हो या अब पूरा होने की उम्मीद न हो। ऐसी समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जो प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ख. संबद्ध व्यवसाय:

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समय-समय पर जारी आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होता है।

8. ऋण और प्रावधान

हानि प्रावधानों के अधीन ऋणों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान निम्नानुसार हैं:

क) भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, गृह संपत्ति पर ऋण, डिबेंचर और बांड और बंधक ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

- मानक
- उप-मानक
- संदिग्ध और
- हानि परिसंपत्तियाँ

ख) गैर-निष्पादित ऋण, डिबेंचर और बॉन्ड और हाउस प्रॉपर्टी के खिलाफ बंधक ऋण का प्रावधान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

9. अचल सम्पत्ति एवं मूल्यहास / परिशोधन:

9.1 अचल सम्पत्ति

अचल संपत्तियों के संचित मूल्यहास और हानि यदि कोई हो घटाकर लागत (करों सहित) पर रखा जाता है। निर्माणाधीन संपत्ति और कब्जे में ली गई संपत्तियों के लिए भुगतान की गई राशि, लंबित दस्तावेज, ‘गृह संपत्ति एवं भूमि’ के तहत गिना जाता है।

9.2 मूल्यहास / परिशोधन:

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास / परिशोधन, प्रबंधन द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्तियों के लिए मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है। ₹ 25000 तक की लागत वाली सभी अचल संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाएगा और साथ ही मूल्य को शून्य

The Forward Rate Agreement (FRA) contract is valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the FBIL and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date. Mark-to-market valuation / fair valuation of the derivative financial instruments is done independently by both the parties i.e the Corporation and the counter party. The counter party (Bank) valuation is considered for margin settlement as the counter party (Bank) is the valuation agent as per FRA.

Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in “Hedge Fluctuation Reserve” or “HFR” in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change in fair value of such derivative instruments is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise. The fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise.

The accumulated gains or losses that were recognised in the “Hedge Fluctuation Reserve” are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognized in the Revenue Account / Profit & Loss Account. Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised into Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account.

B] Linked Business:

Valuation of Securities is in accordance with IRDAI directives issued from time to time.

8. Loans and Provisions:

Loans are measured at historical cost subject to impairment provisions. Asset Classification and Provisioning for Non-Performing Assets are as follows:

- a) As per the guidelines issued to Insurance Companies by Insurance Regulatory and Development Authority of India, Assets representing Loans, Debentures, Bonds and Mortgage Loans against House Property are classified based on record of recovery as:
 - i) Standard
 - ii) Sub-standard
 - iii) Doubtful and
 - iv) Loss Assets
- b) Provisioning for Non-Performing Loans, Debentures, Bonds and Mortgage Loans against House Property is made as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

9. Fixed Assets and Depreciation /Amortisation:

9.1 Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost (inclusive of taxes) less accumulated depreciation and impairment, if any. Property under construction and amounts paid for the properties taken in possession, pending documentation, are accounted under ‘House Property and Land’.

9.2 Depreciation/Amortisation:

Depreciation /amortisation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on useful lives of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/sold during the year. All fixed assets costing upto Rs. 25000 each shall be capitalized and simultaneously depreciated fully to make the value “NIL”.

बनाने के लिए पूरी तरह से मूल्यहास किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यहास की दरें इस प्रकार हैं:-

अचल संपत्तियों पर लगाए गए मूल्यहास की दरें:

क्रमांक	अचल संपत्तियाँ	मूल्यहास की दर
1	फर्नीचर और फिटिंग	10%
2	रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर आदि।	13.91%
3	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर सहित)	30%
4	वाहन	20%
5	साइकिलें	15%
6	कार्यालय उपकरण	10%
7	टेलीफोन, फैक्स/ईपीएबीएक्स, विविध पूंजीगत उपकरण	10%
8	मोबाइल फोन और संचार उपकरण, ऑडियो विजुअल और संबद्ध उपकरण, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स यूपीएस, अकाउंटिंग मशीन, जेनरेटर, डीजी सेट किराए के परिसर में	30%
9	पुस्तकालय की पुस्तकें और अन्य प्रचार सामग्री, डुप्लिकेट्स/फोटोकॉपियर, कम्प्यूटोमीटर, जोड़ना और गणना करने वाली मशीनें	20%
10	इंजीनियरिंग विभाग के उपकरण	12.50%
11	भूमि (स्वामित्व की)	निरंक
12	भूमि (पट्टे की)	पट्टे की अवधि में यथा अनुपात
13	स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण	2%
14	पट्टा-भूमि पर भवन निर्माण, जहां पट्टा अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) या उससे अधिक है	2%
15	पट्टा-भूमि पर भवन, जहां पट्टा अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) से कम है	पट्टे की शेष अवधि में यथा अनुपात आधार पर
16	भूमि एवं भवन (पट्टा ग्रहित परिसर)	पट्टे की अवधि में 2% से अधिक या यथा अनुपात
17	सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व वाले फ्लैट	2%
18	बिल्डिंग में विद्युत प्रतिष्ठान, पंखे, लिफ्ट और जनरेटर (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड)	10%

पूंजीगत कार्य प्रगति पर:

ऐसी परिसंपत्तियों की लागत, जो तुलन पत्र की तिथि तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

10. परिसंपत्ति की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की क्षति के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस तरह की क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो उन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, हानि की पहचान की जाती है।

जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन आश्चर्य करता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो हानि के लिए परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि संपत्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक हो जाती है।

Based on useful life evaluation carried out by the management, the rates of depreciation are as follows:-

Rates of Depreciation charged on Fixed Assets:

Sr. No.	Asset	Rate of Depreciation
1.	Furniture and fittings	10%
2.	Refrigerators and water coolers, etc.	13.91%
3.	Information Technology Equipment (including Computers, Printers and Software)	30%
4.	Vehicles	20%
5.	Cycles	15%
6.	Office Equipment	10%
7.	Telephones, Fax/Epabx, Misc. Capital Equipment	10%
8.	Mobile Phones & Communication equipments, Audio Visual & Allied equipment, Voltage stabilizers UPS, Accounting Machines, Generators, DG Sets in rented Premises	30%
9.	Library Books and other publicity materials, Duplicators/Photocopier, Comptometers, adding and calculating machines	20%
10.	Engineering Department's equipment	12.50%
11.	Land (Freehold)	Nil
12.	Land (Leasehold)	Pro-rata basis over the lease period
13.	Building on Freehold Land	2%
14.	Building on Leasehold Land where lease period is 50 years (useful life) or more	2%
15.	Building on Leasehold Land where lease period is less than 50 years (useful life)	Pro-rata basis over the remaining lease period
16.	Land and Building (Leasehold premises)	Higher of 2% or Pro-rata basis over lease period
17.	Ownership Flats purchased in Co-op Societies	2%
18.	Electrical Installations, fans, Lifts and generators in Building (Freehold and leasehold)	10%

Capital Work in Progress:

Costs of assets which are not ready for its intended use as at the date of Balance Sheet are presented as Capital Work-in Progress.

10. Impairment of Assets:

The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognized, wherever necessary.

Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

निगम की हानि नीति के अनुसार असूचीबद्ध/कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों और संबद्ध निवेशों के तहत इक्विटी के लिए हानि का आकलन और हिसाब किया गया।

11. जीवन नीतियों के लिए दायित्व:

तुलन पत्र की तिथि पर पॉलिसीधारकों के प्रति देयताएं निगम के जीवन बीमा व्यवसाय की वार्षिक जांच के अनुसार निगम के नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

12. विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव

i. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों, यदि कोई हो, का वर्ष के अंत की समाप्ति दरों पर रूपांतरित किया जाता है। निपटान/अनुवाद पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को लागू होने वाले राजस्व या लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

ii. गैर-अभिन्न विदेशी संचालन

क) विदेशी व्यापार / विदेशी सहायक कंपनी से संबंधित लाइफ फंड को संबंधित देशों के वैधानिक नियमों के अनुसार निवेश किया गया है।

ख) वर्ष के अंत में विदेशों में शाखाओं के वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और जिसके लिए विनिमय की उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है।

ग) ऐसे रूपांतरणों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ या हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे राजस्व खाते में उत्पन्न होते हैं।

घ) विदेशी शाखाओं के संचालन गैर-अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों को औसत विनिमय दर और तुलन-पत्र मदों को समापन दर पर अनुवादित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों के खाते के तहत विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव रिजर्व में जमा होता है जैसा भी मामला हो।

ङ) भारत से भेजे गए प्रेषणों द्वारा भारत के बाहर किए गए निवेशों को मूल रुपये की लागत पर या जल्द से जल्द दर्ज की गई रुपये की लागत पर हिसाब किया जाता है, जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं होती है।

13. कर्मचारियों को लाभ:

क) निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों को उपदान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किया जाता है और इस तरह, उसके संबंध में दायित्व, जीवन निधि का हिस्सा बनता है।

ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके संबंध में जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट में समान अंशदान किया जाता है।

ग) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के मामले में, योगदान तब किया जाता है जब संबंधित सेवाएं प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान राजस्व खाते में देय और प्रभारित किया जाता है।

पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना के मामले में, भविष्य निधि योजना के बदले में, निगम का योगदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन फंड ट्रस्ट में किया जाता है और उक्त योगदान सहित पिछले सेवा योगदान बीमांकिक गणना के आधार पर किया जाता है।

घ) निगम द्वारा जारी सामूहिक अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार, इसके संबंध में देयता, जीवन निधि का हिस्सा बनती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां।

कोई भी प्रावधान एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर किया जाता है जब यह संभव हो कि किसी दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व (पॉलिसियों के अलावा), यदि महत्वपूर्ण हैं, तो टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को पहचाना या प्रकट नहीं किया गया है।

The impairment for unlisted/thinly traded equity shares, preference shares and equity under affiliated investments as assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation.

11. Liability for Life Policies:

The liability towards Policyholders as at Balance Sheet date is determined by the Corporation's Appointed Actuary pursuant to his annual investigation of the Corporation's life insurance business.

12. Effect of change in foreign exchange rate:

i. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary items in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ii. Non- Integral Foreign Operations:

- a) Life Fund relating to foreign business/foreign subsidiary has been invested according to the statutory regulations of the respective countries.
- b) Financial Statements of branches in foreign countries as at the year end are prepared in accordance with local laws and are translated at appropriate rates of exchange.
- c) Exchange gains or losses arising on such conversions are recognised in the period in which they arise in the Revenue Account.
- d) Operations carried at foreign Branch Offices are of non integral nature. The Revenue A/c items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate. Revaluation Exchange difference is accumulated in Foreign Exchange fluctuation Reserve under shareholders' or policyholders' account as the case may be.
- e) Investments made outside India by remittances sent from India are accounted for at original rupee cost or at the earliest recorded rupee cost, where original cost is not available.

13. Benefits to employees:

- a) Gratuity to employees is provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.
- b) In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to the Provident Fund Trust formed under Life Insurance Corporation Act 1956.
- c) In case of Defined Contribution Pension Scheme, the contributions are made when due and charged to Revenue account during the period when related services are rendered.

In case of Defined Benefit Plan for employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India and the said contribution including past service contribution is made on the basis of Actuarial calculation.

- d) Leave Encashment Benefits on retirement are provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A Provision is made based on a reliable estimate when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle an obligation. Contingent Liabilities (other than policies), if material, are disclosed by way of notes. Contingent Assets are not recognized or disclosed in the financial statements.

15. प्राप्ति और भुगतान खाता:

प्राप्तियां और भुगतान खाता बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के चैप्टर-2 धारा - 1 (2.a.i) के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और रिपोर्ट किया जाता है।

16. कराधान:

क) प्रत्यक्ष कर: आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के प्रावधानों के साथ पहली अनुसूची में निहित नियमों और जीवन बीमा कारोबार के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ख) अप्रत्यक्ष कर: निगम इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के क्रेडिट का दावा करता है, जिसे आउटपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के खिलाफ सेट किया जाता है।

इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के लिए अप्रयुक्त क्रेडिट को तुलन-पत्र में 'अनुसूची 12 - अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत आगे बढ़ाया जाता है, जहां उपयोग की उचित निश्चितता होती है।

ग) समेकित वित्तीय विवरण में, आयकर व्यय मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू कानूनों के अनुसार प्रदर्शित होने वाले कर व्यय की कुल राशि है।

17. उधार लेने की लागत:

उधार लेने की लागत में ब्याज, जमा पर कमीशन/ब्रोकरेज और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल हैं, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

18. प्रति शेयर आय:

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

19. खंडीय रिपोर्टिंग:

क) खंडों की पहचान:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित खंडीय रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम 2024 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात् सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबंध (जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य) एवं पूंजी मोचन निधारित वार्षिकी सहित। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है।

ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

शेयरधारकों के खाते से संबंधित खर्चों के समायोजन के बाद जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को असंबंध सहभागी, असंबंध असहभागी, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय और यूनिट संबद्ध (लिंकड) व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:

क. व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर व्यवसाय की उसी संबंधित लाइनों पर मान्यता दी गई हैं, और

ख. अन्य व्यय जो व्यवसाय की विशिष्ट लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:

i. पॉलिसी की संख्या

15. Receipts and Payments Account:

Receipts and Payments Account is prepared and reported using the Direct Method in accordance with Chapter-2 Section-I (2.a.i) of the Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

16. Taxation:

- a) Direct Tax: Provision for income tax is made in accordance with the provisions of Section 44 of the Income Tax Act, 1961 read with Rules contained in the First Schedule and other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 as applicable for life insurance business.
- b) Indirect Tax: The Corporation claims credit of goods and services tax on input services, which are set off against goods and services tax on output services.

Unutilized credits towards goods and services tax on input services are carried forward under 'Schedule 12 - Advances and Other Assets' in the Balance Sheet, wherever there is reasonable certainty of utilization.

- c) In Consolidated Financial Statement, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statement of the parent and its subsidiaries, as per their applicable laws.

17. Borrowing Cost:

Borrowing cost includes interest, commission/brokerage on deposits and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to interest cost.

18. Earnings per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

19. Segmental Reporting:

a) Identification of Segments:

Based on the primary segments identified under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies Act, 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non-Participating Life (Individual & Group), Non-Participating Pension (Individual & Group), Non-Participating Annuity Individual, Non-Participating Variable individual, Non-Participating Health individual, Non Participating Unit Linked (Life, Pension and Health) and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments.

b) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:

Operating Expenses relating to life insurance business after adjusting for expenses attributable to Shareholders Account is allocated to various lines of business such as Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business and Unit Linked Business on the basis of:

- a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been recognized in the respective lines of business on actual basis, and
- b. Expenses which are not directly identifiable to the specific lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:
 - i. Number of policies

- ii. कुल प्रीमियम आय
- iii. आश्वस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

20. पट्टे:

क) परिचालन पट्टा: पट्टों जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा किराया को सीधी रेखा आधार पर लीज अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां निगम पट्टेदार है, परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियों को अचल संपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे की आय को राजस्व/लाभ और हानि खाते में पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। मूल्यहास सहित लागतों को राजस्व / लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय पट्टा: पट्टों के तहत निगम पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को मानता है और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहीत ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति को परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो।

21. भविष्य के विनियोगों के लिए निधि:

असंबंध सहभागी बिजनेस के लिए, भविष्य के विनियोग खाते के लिए फंड में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आवंटन, 'पॉलिसी धारकों' या 'शेयरधारकों' में भाग लेने के लिए, तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और से स्थानांतरण निगम के 'पॉलिसी धारकों' निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखा अवधि में व्यय और विनियोग पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाता है। सहभागी पॉलिसीयो के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन भी आवश्यक अनुपात में एक शेयरधारक हस्तांतरण को जन्म देगा।

संबंध फंड में भविष्य के विनियोग के लिए फंड, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि कालातीत पॉलिसीयो से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस अधिशेष को 'पॉलिसीधारकों' के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं लेते।

22. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियां 17 नवंबर, 2020 के मास्टर परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के तहत पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर मास्टर परिपत्र की आवश्यकता, और समय-समय पर इसका संशोधित रूप, के अनुसार सृजित बनाए रखी जाती हैं:

- क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों की संपत्ति का खुलासा अनुसूची 12 "अग्रिम और अन्य संपत्ति" में किया गया है, जो तुलन-पत्र का हिस्सा है। दावा न की गई संपत्ति पर संबंधित आय को राजस्व खाते में ब्याज, लाभांश और किराया-सकल के तहत दिखाया गया है।
- ख) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर अर्जित आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जमा किया जाता है और एक अर्जित आधार पर हिसाब किया जाता है।
- ग) निधि में सभी संबंधित अभिवृद्धियों के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए दावा न की गई राशि को आईआरडीआई विनियमों की आवश्यकता के अनुसार वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में जमा किया जाता है।

23. उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय:

उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय, जो नॉन-पार्टिसिपेटिंग फंड का हिस्सा है, को नॉन-पार्टिसिपेटिंग बिजनेस के तहत संबंधित लेखा अवधि की आय के रूप में माना जाता है। परिणामस्वरूप एसएम पर अभिवृद्धि से संबंधित राशि (कर को घटाकर) गैर-भागीदारी से शेयरधारकों की निधि में संपत्ति की समान राशि के साथ स्थानांतरित कर दी गई है।

- ii. Total premium income
- iii. Sum assured

Allocation of expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

20. Leases:

- a) **Operating Lease:** Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating lease. Operating lease rentals are recognized as an expense over the lease period on a straight-line basis.

Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the Revenue/Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term. Cost, including depreciation are recognised as expense in the Revenue/Profit and Loss Account.

- b) **Finance Lease:** Leases under which the Corporation assumes substantially all the risks and the rewards of ownership of the asset are classified as finance lease. Such leased asset acquired is capitalised at fair value of the asset or present value of the minimum lease rental payment at the inception of the lease, whichever is lower.

21. Funds for future appropriations:

For Non- linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating 'Policy Holders' or to 'Shareholders', has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation's 'Policy holders' fund. In respect of participating policies any allocation to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is required to be held within the 'policyholders' fund till the point at which the policyholders' can no longer revive their policy.

22. Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the requirement of Master circular on Unclaimed amount of Policyholders IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated November 17, 2020 and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 as amended from time to time:

- a) Assets of unclaimed amounts of policyholders are disclosed in Schedule 12 "Advances and Other Assets", forming part of Balance Sheet. Corresponding income on unclaimed assets is shown under "Interest, Dividend & Rent-Gross" in Revenue Account.
- b) Income earned on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis.
- c) Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) as per requirement of IRDAI regulations.

23. Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund:

Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund, which is part of Non-Participating fund, is treated as Income of the respective accounting period under Non- Participating business. Consequently amount (Net of Tax) pertaining to the accretion on the ASM has been transferred from Non-Participating to Shareholders' Fund along with equal amount of Assets.

क. समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार की गई सहायक/सहयोगियों की सूची।

(क) सहायक कंपनियाँ

क्र.	सहायक कंपनी का नाम	देश जहाँ निगमित हुई	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी	
			31 मार्च तक,	
			2025	2024
1.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2.	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3.	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	100.00%	100.00%
4.	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	बांग्लादेश	83.33%	83.33%
5.	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	नेपाल	55.00%	55.00%
6.	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)	बहरीन	99.66%	99.66%
7.	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	श्री लंका	93.75%	90.91%

(ख) सहयोगी कंपनियाँ

क्र.	सहयोगी कंपनी का नाम	देश जहाँ निगमित हुई	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी	
			31 मार्च तक,	
			2025	2024
1.	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	भारत	45.24%	45.24%
2.	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ⁽¹⁾	भारत	5.38%	5.38%
3.	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	44.61%	44.61%
4.	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड	भारत	49.00%	49.00%
5.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	भारत	29.84%	29.84%
6.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ⁽²⁾	भारत	49.24%	49.24%

नोट्स:-

- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में बकाया शेयरों का 94.62% हिस्सा है। इसलिए, एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में एलआईसीआई का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित बकाया शेयरों का 48.19% है।
- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में, एलआईसीआई द्वारा धारित मतदान शक्ति का अनुपात 31 मार्च, 2025 31 मार्च, 2024 को 26% है।

(ग) कंपनियों में निवेश, समेकन के लिए विचार नहीं किया गया: निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और विभिन्न अन्य वर्गों की प्रतिभूतियों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 - निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार किया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में कुछ निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए नहीं माना गया है:-

- जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है: निगम में इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगम द्वारा इन कंपनियों के गठन के समय निवेश के कारण प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।

(B) NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**1. List of Subsidiaries/Associates considered for preparation of Consolidated Financial Statements:****(A) Subsidiary Companies**

Sr. No.	Name of Subsidiary	Country of Incorporation	LICI's Direct Stake	
			As at March 31,	
			2025	2024
1.	LIC Pension Fund Ltd.	India	100.00%	100.00%
2.	LIC Cards Services Ltd.	India	100.00%	100.00%
3.	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.	Singapore	100.00%	100.00%
4.	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.	Bangladesh	83.33%	83.33%
5.	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	Nepal	55.00%	55.00%
6.	Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)	Bahrain	99.66%	99.66%
7.	Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.	Sri Lanka	93.75%	90.91%

(B) Associates Companies

Sr. No.	Name of Associates	Country of Incorporation	LICI's Direct Stake	
			As at March 31,	
			2025	2024
1.	LIC Housing Finance Ltd.	India	45.24%	45.24%
2.	LIC HFL Asset Management Company Ltd. ⁽¹⁾	India	5.38%	5.38%
3.	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	India	44.61%	44.61%
4.	LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd.	India	49.00%	49.00%
5.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	India	29.84%	29.84%
6.	IDBI Bank Ltd. ⁽²⁾	India	49.24%	49.24%

Notes:

- LIC Housing Finance Ltd. holds 94.62% of the outstanding shares in LICHFL Asset Management Company Ltd. Therefore, LICI's direct and indirect interest in LICHFL Asset Management Company Ltd, is 48.19% of the outstanding shares.
- In case of IDBI Bank Limited, the proportion of voting power held by LICI is 26% as at March 31, 2025 and March 31, 2024.

(C) Investments in companies, not considered for consolidation:

The Corporation has made certain investments in equity shares and various other classes of securities in other companies which have been accounted for as per Accounting Standard 13 - Accounting for Investments. This includes certain investments in companies, not considered for consolidation, as per category wise reasons given hereunder:-

- Where the Corporation is categorized as Promoter:** The Corporation has nominee directors on Board of some of these companies. However, Corporation does not have any control or significant influence on these companies. The Board seat of the Corporation in these investees is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. The Promoter/ Shareholder status is by way of investment at the time of formation of these companies.

(₹ करोड़ में)

क्र.	कंपनी का नाम	31 मार्च तक,			
		2025		2024	
		एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य
1.	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	6.00	4.50	6.00	4.50
2.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड	15.00	15.00	15.00	15.00
3.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.96	3.94	14.96	3.94
4.	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	12.50	10.00	12.50	10.00
5.	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.00	5.00	10.00	5.00
6.	एएसआरआईसी (आई) लिमिटेड	9.18	9.00	9.18	9.00
7.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7.90	4960.76	7.93	4960.76
8.	टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2.92	6.05	2.99	6.05
9.	गुजरात राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	0.11	0.09	0.11	0.09
10.	इन्वेस्टर सर्विसेस ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत)	12.50	0.00	12.50	0.00
11.	ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत)	8.00	0.80	8.00	0.80
12.	बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)	28.78	0.45	28.78	0.45

- ii. **निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है:** निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशिती कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना लीगेसी निवेश। इस प्रकार, इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

(₹ करोड़ में)

क्र.	कंपनी का नाम	31 मार्च तक,			
		2025		2024	
		एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य
1.	बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड	20.03	0.04	20.03	0.04
2.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	28.29	0.25	28.29	0.25
3.	बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड	28.78	0.45	28.78	0.45
4.	ईआर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	0.00	0.00	23.23	1.16
5.	एच जी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25.29	3.18	25.29	3.18
6.	हनुमान टी कंपनी लिमिटेड	22.02	4.32	22.02	4.32
7.	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	25.34	829.17	25.34	829.17
8.	कटखल लाला बाजार रेलवे कंपनी	23.47	0.02	23.47	0.02
9.	मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड	23.44	0.86	23.44	0.86
10.	पटना इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	30.66	0.06

(₹ in Crores)

Sr. No.	Name of the Company	As at March 31,			
		2025		2024	
		LICI's Direct Stake%	Book Value	LICI's Direct Stake%	Book Value
1.	National E-Governance Services Ltd.	6.00	4.50	6.00	4.50
2.	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	15.00	15.00	15.00	15.00
3.	Stock Holding Corporation of India Limited	14.96	3.94	14.96	3.94
4.	J&K Development Finance Corporation Ltd.	12.50	10.00	12.50	10.00
5.	Clearing Corporation of India Ltd.	10.00	5.00	10.00	5.00
6.	ASREC (I) Ltd.	9.18	9.00	9.18	9.00
7.	Axis Bank	7.90	4960.76	7.93	4960.76
8.	Tourism Finance Corporation of India	2.92	6.05	2.99	6.05
9.	Gujarat State Financial Corporation Ltd.	0.11	0.09	0.11	0.09
10.	Investor Services of India (under Liquidation)	12.50	0.00	12.50	0.00
11.	OTC Exchange of India (under liquidation)	8.00	0.80	8.00	0.80
12.	Burrakur Coal Co. Ltd. (under liquidation)	28.78	0.45	28.78	0.45

- ii. **Shareholding of Corporation is more than 20%:** Legacy investments by the Corporation without any Board representation and/or any involvement in the management/administration of the investee Companies. As such, Corporation does not have any management control or significant influence in these entities.

(₹ in Crore)

Sr. No.	Name of Company	As at March 31,			
		2025		2024	
		LICI's Direct Stake%	Book Value	LICI's Direct Stake%	Book Value
1.	Borrea Coal Co. Ltd.	20.03	0.04	20.03	0.04
2.	Braithwaite & Co. Ltd.	28.29	0.25	28.29	0.25
3.	Burrakur Coal Co. Ltd.	28.78	0.45	28.78	0.45
4.	Er Textile Limited	0.00	0.00	23.23	1.16
5.	H. G. I Industries Ltd.	25.29	3.18	25.29	3.18
6.	Hanuman Tea Co. Ltd.	22.02	4.32	22.02	4.32
7.	Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.	25.34	829.17	25.34	829.17
8.	Katakhal Lala Bazar Railway Co.	23.47	0.02	23.47	0.02
9.	Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd.	23.44	0.86	23.44	0.86
10.	Patna Electric Supply Co. Ltd.	0.00	0.00	30.66	0.06

- iii. निगम के पास अनुबंधों या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड में प्रतिनिधित्व: ऐसे मामलों में निगम की हिस्सेदारी 20% से कम है और निगम के पास इन निवेशित कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों के बराबर है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। इस प्रकार इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

क्र.	कंपनियां जहां एलआईसीआई के अधिकारी नामित निदेशक हैं	एलआईसीआई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%		एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
		31 मार्च तक,		31 मार्च तक,	
		2025	2024	2025	2024
1.	एसीसी लिमिटेड	7.85	6.40	1	1
2.	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड	5.55	5.07	1	1
3.	एसआरआईसी (इंडिया लिमिटेड)**	9.18	9.18	1	0
4.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7.90	7.93	1	1
5.	बीएसई लिमिटेड	5.60	5.59	1	1
6.	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	9.58	9.61	1	1
7.	केंद्रीय भंडारण निगम	1.04	0.00	1	0
8.	सीडीएसएल	8.79	4.40	1	1
9.	क्विलयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.00	10.00	1	1
10.	डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4.64	4.84	1	1
11.	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	6.22	6.76	1	1
12.	एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	6.64	6.89	1	1
13.	ग्लोस्टर लिमिटेड	12.73	12.73	1	1
14.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.19	8.08	1	1
15.	हाई एनर्जी बैटरीज (आई) लिमिटेड	5.99	5.99	1	1
16.	आईएफसीआई लिमिटेड	0.82	1.86	1	1
17.	आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड*	0.00	0.00	1	1
18.	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड	2.64	3.60	1	1
19.	इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड	0.99	0.99	1	1
20.	आईटीसी लिमिटेड	15.52	15.19	1	1
21.	आईटीसी होटल लिमिटेड	9.22	0.00	1	0
22.	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	13.11	11.04	1	1
23.	महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	9.10	9.89	1	1
24.	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड**	7.12	6.50	1	0
25.	नेशनल को-ओपी हाउसिंग भारत की फेड*	0.00	0.00	1	1
26.	नेशनल इंगवर्नेस सर्विसेज लिमिटेड	6.00	6.00	1	1
27.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	10.72	10.72	1	1
28.	एनसीडीईएक्स लिमिटेड	11.10	11.10	1	1
29.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड	15.00	15.00	1	1
30.	ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड	2.08	2.08	1	1
31.	उड़ीसा खनिज विकास निगम लिमिटेड	6.55	6.55	1	1
32.	सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व नाम इंडिया बुल्स हावसिंग फाइनेंस लिमिटेड)	4.73	5.32	1	1

- iii. **Corporation has Board position through agreement or nominee directors:** In such cases the shareholding of the Corporation is below 20% and the Corporation has nominee directors on the Board of these investee companies. The investments in these companies are at par with other companies and shares are bought and sold depending upon market conditions. The Board seat is 1 out of total strength of the respective Board of Investee companies ranging from 6 to 15. As such the Corporation does not have control or significant influence on these companies.

Sr. No.	Companies where LICl officials are Nominee Director	LICl Direct Stake %		No. of Board Members representing LICl	
		As at March 31,		As at March 31,	
		2025	2024	2025	2024
1.	ACC Limited	7.85	6.40	1	1
2.	Ambuja Cements Limited	5.55	5.07	1	1
3.	Asrec (India) Ltd.**	9.18	9.18	1	0
4.	Axis Bank Limited	7.90	7.93	1	1
5.	BSE Limited	5.60	5.59	1	1
6.	CARE Ratings Limited	9.58	9.61	1	1
7.	Central Warehousing Corporation	1.04	0.00	1	0
8.	CDSL	8.79	4.40	1	1
9.	Clearing Corporation of India Limited	10.00	10.00	1	1
10.	DCM Shriram Industries Limited	4.64	4.84	1	1
11.	DCM Shriram Limited	6.22	6.76	1	1
12.	Excel Industries Limited	6.64	6.89	1	1
13.	Gloster Limited	12.73	12.73	1	1
14.	Grasim Industries Limited	8.19	8.08	1	1
15.	High Energy Batteries (I) Limited	5.99	5.99	1	1
16.	IFCI Limited	0.82	1.86	1	1
17.	IIFL Finance Limited*	0.00	0.00	1	1
18.	India Cements Limited	2.64	3.60	1	1
19.	Industrial Investment Trust Limited	0.99	0.99	1	1
20.	ITC Limited	15.52	15.19	1	1
21.	ITC Hotels Limited	9.22	0.00	1	0
22.	Larsen & Toubro Limited	13.11	11.04	1	1
23.	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	9.10	9.89	1	1
24.	Mahindra & Mahindra Limited**	7.12	6.50	1	0
25.	National Co-op Housing Fed. of India*	0.00	0.00	1	1
26.	National E-governance Services Limited	6.00	6.00	1	1
27.	National Stock Exchange	10.72	10.72	1	1
28.	NCDEX Limited	11.10	11.10	1	1
29.	North Eastern Development Finance Corp. Ltd.	15.00	15.00	1	1
30.	Oriental Carbon & Chemicals Limited	2.08	2.08	1	1
31.	Orissa Mineral Development Corporation Ltd.	6.55	6.55	1	1
32.	Sammaan Capital Limited (formerly name india bulls Housing finance Limited)	4.73	5.32	1	1

क्र.	कंपनियां जहां एलआईसीआई के अधिकारी नामित निदेशक हैं	एलआईसीआई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%		एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
		31 मार्च तक,		31 मार्च तक,	
		2025	2024	2025	2024
33.	सिडबी	13.33	13.33	1	1
34.	सिम्प्लेक्स रियल्टी लिमिटेड	11.92	11.92	1	1
35.	स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.96	14.96	1	1
36.	टाइडल पार्क लिमिटेड	6.25	6.25	1	1
37.	टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2.92	2.99	1	1
38.	वक्रांगी लिमिटेड**	4.41	6.21	1	0
39.	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	12.50	12.50	1	1
40.	वेलस्पन निगम लिमिटेड**	4.72	4.08	1	0
41.	केनइंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड	10.21	10.21	0	1
	पीएसयू बैंक जहां एलआईसीआई अधिकारी शेयरधारक निदेशक हैं				
42.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7.10	4.10	1	1
43.	कॅनरा बैंक**	5.72	1.24	1	0
44.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2.62	2.62	0	1
45.	इंडियन बैंक	2.91	2.91	1	1
46.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.82	1.21	1	1
47.	पंजाब नेशनल बैंक	9.15	8.34	1	1
48.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.33	0.62	1	1
49.	भारतीय स्टेट बैंक	9.29	8.83	1	1
50.	यूको बैंक	2.31	1.24	1	1

नोट्स:-

- * ऋण जोखिम के लिए नामित निदेशक नियुक्त।
 - 31.03.2024 को नामित निदेशक की नियुक्ति नहीं होने या नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने के कारण ये कंपनियाँ 31.03.2024 के डेटा में नहीं दिखाई दीं।
 - प्रतिशत धारिता की गणना के प्रयोजन के लिए कैपिटल लाईन/प्रोविस में उपलब्ध प्रदत्त पूंजी आकड़ों पर विचार किया गया है।
 - एलआईसीआई डायरेक्ट स्टोक% कंपनी में एलआईसी डायरेक्ट होल्डिंग का अनुपात है जो कंपनी के कुल बकाया शेयरों में अंतर्निहित डिपॉजिटरी रसीदों की संख्या सहित है।
- iv. जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन निगम को कोई आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं है: - एस 21 के पैरा 10 के अनुसार जहां संस्थाओं पर नियंत्रण का उद्देश्य उनकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, उन्हें समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नहीं माना जाता है। चूंकि निगम एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन और भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि ट्रस्ट से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इसे आईसीआईआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 के प्रावधानों के अनुसार समेकन से बाहर रखा गया है।
- v. जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन दीर्घकालिक प्रतिबंध मौजूद है:- एस 27 के पैरा 38 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत काम करती हैं, जो मूल रूप से धन हस्तांतरित करने की क्षमता को कम करती हैं, उन्हें समेकन से बाहर रखा जाना चाहिए। सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को-ऑपरेटिव इश्योरेस (SICCI) या वफ़ा इश्योरेस 7 अगस्त 2007 को

Sr. No.	Companies where LIC officials are Nominee Director	LIC Direct Stake %		No. of Board Members representing LIC	
		As at March 31,		As at March 31,	
		2025	2024	2025	2024
33.	SIDBI	13.33	13.33	1	1
34.	Simplex Realty Limited	11.92	11.92	1	1
35.	Stockholding Corporation of India Limited	14.96	14.96	1	1
36.	Tidel Park Limited	6.25	6.25	1	1
37.	Tourism Finance Corp. of India	2.92	2.99	1	1
38.	Vakrangee Limited**	4.41	6.21	1	0
39.	Jammu & Kashmir Development Finance Corp. Ltd.	12.50	12.50	1	1
40.	Welspun Corporation Ltd.**	4.72	4.08	1	0
41.	KenIndia Assurance Company Ltd.	10.21	10.21	0	1
PSU Banks where LIC Officials are Shareholders Director					
42.	Bank of Maharashtra	7.10	4.10	1	1
43.	Canara Bank**	5.72	1.24	1	0
44.	Central Bank of India	2.62	2.62	0	1
45.	Indian Bank	2.91	2.91	1	1
46.	Indian Overseas Bank	1.82	1.21	1	1
47.	Punjab National Bank	9.15	8.34	1	1
48.	Punjab & Sind Bank	1.33	0.62	1	1
49.	State Bank of India	9.29	8.83	1	1
50.	UCO Bank	2.31	1.24	1	1

Note:-

1. * Nominee Director appointed for Debt Exposure.
2. ** Companies not appeared in the data as on 31.03.24 since Nominee Director was not appointed or appointment under process as on 31.03.24.
3. Paid-up capital data available in capital line/prowess have been considered for purpose of calculation of percentage holding.
4. LIC Direct Stake % is ratio of LIC direct equity holding in company to total outstanding shares of the company as on date including number of shares underlying depository receipts.

iv. **Where the Corporation has control but no economic benefits are available to the Corporation:** As per the Para 10 of AS 21 where the objective of control over entities is not to obtain economic benefits from their activities, these are not considered for the purpose of preparation of consolidated financial statements. As the Corporation does not obtain any economic benefits from LIC Golden Jubilee Foundation and Life Insurance Corporation of India Provident Fund Trust hence the same has been excluded from consolidation as per the provisions of Accounting Standard 21 issued by ICAI.

v. **Where the Corporation has control but there exists long term restriction:** As per para 38 of AS 27, entities that operate under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent should be excluded from consolidation. Saudi Indian Company for Co-operative Insurance (SICCI) or Wafa Insurance is a Saudi Joint Stock Company established on 7th August 2007. LIC of India and Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c), Bahrain currently holds 4.98% share each in SICCI, and the balance

स्थापित एक सऊदी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। एलआईसी ऑफ इंडिया और लाइफ इश्योरेंस कॉरपोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन के पास वर्तमान में सिक्री में 4.98% शेयर हैं, और शेष न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, अन्य और सऊदी अरब साम्राज्य की जनता के पास है। अपने व्यवसाय संचालन में अव्यवहार्यता के कारण, SICCI स्थानीय कानूनों के अनुसार वित्तीय पुनर्गठन पर विचार कर रहा है और पिछले कई वर्षों के वित्तीय विवरण भी निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण SICCI को बीमा पॉलिसी जारी करने से निलंबित कर दिया गया है। तदनुसार, निवेश के मूल्य में स्थायी कमी का प्रावधान निगमों की लेखा पुस्तकों में किया गया है, इसलिए समेकन से बाहर रखा गया है।

(घ) एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन के वित्तीय विवरणों का एलआईसी की रिपोर्टिंग तिथि के साथ संरेखण:

एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन के वित्तीय विवरणों को भारतीय जीवन बीमा निगम की रिपोर्टिंग अवधि के साथ संरेखित करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने की वृद्धि के साथ समेकित किया गया है (अतीत में एक तिमाही के अंतराल के साथ लेखांकन के बजाय)। तदनुसार, चालू वर्ष की कुल आय में ₹ 181.91 करोड़ की वृद्धि हुई है और कर के बाद शुद्ध लाभ में ₹ 6.21 करोड़ की कमी आई है।

(ङ) एलआईसी (लंका) एवं एलआईसी (नेपाल) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए निवेश:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान एलआईसी (लंका) में ₹ 14.04 करोड़ (एलकेआर 500 मिलियन) का निवेश (पूँजी निवेश) किया गया जिसे शेयरधारीता में वृद्धि 90.91% से 93.75% हो गई है।
- मार्च 2025 में, एलआईसी नेपाल ने 1,29,07,400 शेयर प्रत्येक 100 एनपीआर, कुल एनपीआर 1,29,07,40,000 (भारतीय ₹ 80,67,12,500) राइट इश्यू के आधार पर आवंटित किए गए हैं। जिससे एलआईसी (नेपाल) में निवेश ₹ 12.40 करोड़ से ₹ 93.07 करोड़ हो गया है।

(च) गुडकिल / (पूँजीगत आरक्षित):

सहयोगी कंपनियों में निवेश की अग्रणी राशि में शामिल एलआईसीआई द्वारा सहयोगी कंपनियों के अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाली गुडकिल / (पूँजीगत आरक्षित) का उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

सहयोगी कंपनी का नाम	गुडकिल / (पूँजीगत आरक्षित) 31 मार्च को,	
	2025	2024
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	7.27	7.27
एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.44	0.44
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	(1.56)	(1.56)
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	3400.63	3400.63

आईआरडीआई विनियमों और लागू लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण।

2. आकस्मिक देयताएं (समूह):

(₹ करोड़ में)

अनु.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
क.	आंशिक रूप से चुकता निवेश	727.85	604.96
ख.	निगम द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न की गई पॉलिसियों के अलावा अन्य दावों (पॉलिसी से संबंधित दावों के अलावा मुकदमे के तहत दावे सहित)	736.44	944.49
ग.	अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं बकाया	शून्य	शून्य
घ.	निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां/लेटर ऑफ कम्फर्ट	6.27	0.08
ङ.	विवाद में वैधानिक मांगों/दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है (ब्याज और जुर्माना सहित, यदि कोई हो)	24,110.08	15,278.37
च.	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
छ.	अन्य:-		
	मुकदमेबाजी के तहत नीति संबंधी दावे	569.83	511.19
	कुल	26,151.47	17,339.09

is held by New India Assurance Company, others, and the public from the Kingdom of Saudi Arabia. Due to non-viability in its business operations, SICCI is considering financial re-organization as per the local laws and the financial statements for the past several years are also not available with the Corporation. SICCI has been suspended from issuing insurance policies as it has failed to meet the solvency margin requirements. Accordingly, the provision for permanent diminution in value of investment has been made in the Corporations books of accounts hence excluded from consolidation.

(D) Alignment of financial statements of LIC (International) B.S.C (c) Bahrain with the reporting date of LIC:

The financial statements of LIC (International) BSC (c) Bahrain are consolidated for incremental three months to align with the reporting period of LIC of India (instead of accounting with lag of one quarter in the past). Accordingly, the current year's total income is increased by ₹ 181.91 Crore and net profit after tax is decreased by ₹ 6.21 Crore.

(E) Investments made in LIC (Lanka) Ltd. and LIC (Nepal) Ltd. during the F.Y. 2024-25:

- (i) During the 2nd quarter of the F.Y. 2024-2025, Investment (Capital Infusion) of ₹ 14.04 Crore (LKR 500 million) is made in LIC (Lanka) Ltd., which has increased the shareholding from 90.91% to 93.75%.
- (ii) In March 2025, LIC Nepal has allotted 1,29,07,400 shares of NRP 100 each on amounting to NPR 1,29,07,40,000 (Indian ₹ 80,67,12,500) on account of Right issue. This has increased investment in LIC Nepal from ₹ 12.40 Crore to ₹ 93.07 Crore.

(F) Goodwill/ (Capital Reserve):

Goodwill / (Capital Reserve) arising on acquisition of the associate companies by LIC included in the carrying amount of investment in associates companies is mentioned below:

(₹ in Crore)

Name of the Associate Company	Goodwill / (Capital Reserve) as at March 31,	
	2025	2024
LIC Housing Finance Ltd.	7.27	7.27
LICHFL Asset Management Company Ltd.	0.44	0.44
IDBI Trusteeship Services Ltd.	(1.56)	(1.56)
IDBI Bank Limited	3400.63	3400.63

Disclosures as per IRDAI Regulations & applicable Accounting Standards.

2. Contingent Liabilities: (Group)

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a.	Partly paid-up investments	727.85	604.96
b.	Claims, other than against policies not acknowledged as Debts by the Corporation (including claim under litigation other than policy related claims)	736.44	944.49
c.	Underwriting commitments outstanding	Nil	Nil
d.	Guarantees/letter of comfort given by or on behalf of the Corporation	6.27	0.08
e.	Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for (including interest & penalty, if any)	24,111.08	15,278.37
f.	Reinsurance obligations to the extent not provided for	Nil	Nil
g.	Others:		
	Policy related claims under litigation	569.83	511.19
	TOTAL	26,151.47	17,339.09

3. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया इस प्रकार हैं (एलआयसी):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
ऋण और निवेश	7,311.45	1,615.04
अचल सम्पत्ति	967.60	1,058.80

4. पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमान (एलआयसी):

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत और समूह अनुबंधों के तहत लिंकड और गैर-लिंकड व्यवसाय शामिल हैं। गैर-लिंकड व्यवसाय में सहभागी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन पॉलिसियों और गैर-भागीदारी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं, जो समूह पॉलिसियों के साथ गैर-भाग लेने वाले आश्वासनों के तहत लिखी गई हैं। लिंक किए गए व्यवसाय में समूह अनुबंधों के तहत लिखे गए लिंकड एश्योरेंस व्यवसाय के बहुत कम अनुपात के साथ गैर-भाग लेने वाली आश्वासन/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं। इनमें से कुछ पॉलिसियों में राइडर जुड़े होते हैं जैसे कि गंभीर बीमारी, प्रीमियम छूट लाभ, टर्म एश्योरेंस और दुर्घटना लाभ, जिसमें दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ शामिल हैं।

31 मार्च, 2025 तक हमारी बहियों में व्यक्तिगत और समूह पॉलिसियों के लिए मूल्यांकन दायित्व, मूल्यांकन की संभावित सकल प्रीमियम पद्धति या लागू ना हुए प्रीमियम रिजर्व का उपयोग करके प्रत्येक पॉलिसी के लिए बीमांकिक रूप से गणना की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पॉलिसी के लिए रिजर्व कम से कम गारंटीड सरेंडर मूल्य या विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिसी के तहत रिजर्व पर पहुंचते समय नकारात्मक रिजर्व शून्य पर सेट हो।

लिंकड व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को मूल्यांकन की तारीख को इकाइयों के कुल शुद्ध संपत्ति मूल्य के रूप में लिया जाता है। लिंकड व्यवसाय के तहत गैर-इकाई देयता की गणना रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

देनदारियों की गणना ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, व्यय, मुद्रास्फीति और बोनस के लिए जहां भी लागू हो, मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर की जाती है। सर्वोत्तम अनुमान मान्यताओं की गणना पिछले अनुभव विश्लेषण और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के आधार पर की जाती है। विनियमन और एक्चुरियल प्रैक्टिस मानकों के अनुसार सर्वोत्तम अनुमान मान्यताओं पर मार्जिन को ध्यान में रखने के बाद मूल्यांकन मान्यताओं पर पहुंची जाती है।

समूह नकद संचय योजनाओं के लिए देयता को मूल्यांकन तिथि पर ऐसी सभी योजनाओं के निधि मूल्य के रूप में लिया गया है। समूह बीमा योजनाओं के संबंध में देयता अगले वार्षिक नवीनीकरण तिथि तक की अवधि के आधार पर अनर्जित जोखिम प्रीमियम के रूप में निकाली गई है।

उपयोग की गई ब्याज की मूल्यांकन दरें योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रकृति और अवधि के आधार पर 5.65% से 7.38% प्रति वर्ष तक होती हैं। बोनस दर अनुमानों को ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप बनाया गया है।

उपयोग की गई मृत्यु दर प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत वार्षिक मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका पर आधारित हैं, तथा रुग्णता दर गंभीर बीमारी आधार तालिका (सीआईबीटी 93 यूके) / पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय अनुमान या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी के अनुसार या इनके संयोजन के रूप में निकाला गया था। व्यक्तिगत व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रति पॉलिसी व्यय का नवीनीकरण योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति और व्यय मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त धारणा के अनुसार भिन्न होता है। व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में नवीनीकरण प्रीमियम संबंधी खर्चों में योजना के प्रकार के आधार पर प्रीमियम पर जीएसटी, जहां भी लागू हो, शामिल है।

सहभागी नीतियों का मूल्यांकन करते समय, कराधान के लिए भत्ता और शेयरधारकों को अधिशेष का आवंटन अनुबंध की शेष अवधि के लिए आरक्षित भावी प्रत्यावर्ती बोनसों को उचित रूप से रेटिंग देकर किया गया है।

3. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows (LICl):

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Loans and Investment	7,311.45	1,615.04
Fixed Assets	967.60	1,058.80

4. Actuarial Assumptions for valuation of Policy liabilities of LICl:

The Corporation's Life Insurance Business consists of linked and non-linked business under Individual and Group contracts. The non-linked business consists of Participating Assurance /Annuity / Pension policies and Non-Participating Assurance / Annuity /Pension / Individual Health policies and Group policies written under Non-Participating Assurances. The linked business consists of Non-participating Assurance / Pension / Individual Health policies with a very small proportion of linked assurance business written under Group contracts. Some of these policies have riders attached to them such as Critical Illness, Premium Waiver Benefit, Term Assurance and Accident Benefit including Accidental Death & Disability Benefit.

The Valuation liability for Individual and Group policies in our books as at 31st March, 2025, has been calculated actuarially for each policy by using Prospective Gross Premium Method of valuation or unexpired premium reserve as applicable. It is ensured that the reserve for each policy is at least equal to the Guaranteed Surrender Value or Special Surrender Value, whichever is higher. It is also ensured that negative reserve is set to zero while arriving at the reserve under a policy.

The unit liability in respect of Linked business is taken as the total Net Asset Value of the units as on the date of valuation. The non-unit liability under the linked business is calculated using the discounted cash flow method.

The liabilities are calculated based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses wherever applicable. The best estimate assumptions are calculated based on the past experience analysis and expected future experience. The valuation assumptions are arrived at after factoring in margins on the best estimate assumptions as per the Regulations and Actuarial Practice Standards.

The liability for Group Cash Accumulation schemes has been taken as the fund value of all such schemes as on the date of valuation. The liability in respect of One Year Renewable Group Term Assurance schemes has been arrived at as unearned risk premium based on period up to next Annual Renewal Date.

The valuation rates of interest used vary according to the type of plan and ranges from 5.65% p.a. to 7.38% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions have been aligned to be consistent with the valuation rates of interest.

The mortality rates used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitants Mortality (2012-15) Ultimate Table and Morbidity rates are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93, UK) /Reinsurer's incidence rates.

The expense assumption for valuation was arrived at either as a percentage of premiums or as per policy or a combination of these. The renewal per policy expenses used for valuing individual business varies according to the type of Plan and status of the policy and with an appropriate assumption for expense inflation. Renewal Premium related expenses in respect of individual business include GST on premium, wherever applicable, depending on the type of Plan. While valuing Participating policies, the allowance for applicable taxation and allocation of surplus to shareholders has been made by appropriately rating up future Reversionary Bonuses reserved for the remaining duration of the contract.

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के संबंध में देयता के लिए आरक्षित निधियां प्रदान की गई हैं; प्रीमियम छूट लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ सहित दोहरा दुर्घटना लाभ, वापसी योग्य अतिरिक्त प्रीमियम और वापसी योग्य डबल दुर्घटना लाभ प्रीमियम के संबंध में देयता, भुगतान की गई पॉलिसियों का पुनरुद्धार, भुगतान मूल्य प्राप्त नहीं करने वाली पॉलिसियों की बहाली, व्यय में तत्काल वृद्धि के मामले में नए व्यवसाय के लिए कार्यालय बंद है, एड्स / एचआईवी के कारण उप मानक जीवन के संबंध में अतिरिक्त जोखिम, हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई मौतें (IBNR) और तबाही। इसके अलावा, लिंकड योजनाओं के मामले में, जहां परिपक्वता पर गारंटी है, ऐसी गारंटी की लागत स्टोकेस्टिक विधियों का उपयोग करके निकाली गई है। बीमा खाता II के लिए, ब्याज गारंटी की लागत प्रदान की गई है। उन योजनाओं के लिए जहां ऐसे विकल्प हैं जिनका पॉलिसीधारकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सबसे कठिन विकल्प लिया गया है। फ्यूचर विनियोग (एफएफए) के लिए फंड नॉन लिंकड और लिंकड दोनों तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निगम के बोर्ड ने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 और एलआईसी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 28 के तहत आवश्यक अधिशेष वितरण नीति के तहत सिंगल फंड को अलग-अलग सहभागी और गैर सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है। अधिशेष वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 95:5 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 92.5:7.5 और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 90:10 के रूप में पार नीतियों के लिए अधिशेष वितरण पैटर्न को अनिवार्य करती है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से गैर-पारस्परिक नीतियों के लिए 0:100।

5. पॉलिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेश और उस पर आय के आवंटन का आधार (एलआयसी):

पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में धारित निवेशों से होने वाली आय को संबंधित निधियों में ले जाया गया है।

पॉलिसीधारकों के निवेश पर संचालन और आय से उत्पन्न निवेश योग्य अधिशेष, पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान शेयरधारकों के फंड में की गई अभिवृद्धि को शेयरधारकों के फंड में निवेश किया जाता है।

6. पूर्व अवधि की मद (एलआयसी):

आय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया जमा असमायोजित	0.01	0.00
कुल	0.01	0.00

व्यय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया, दर एवं अन्य कर	0.00	4.38
डीजल खर्च	0.01	0.05
प्रोत्साहन /नकद पुरस्कार	0.00	0.01
विद्युत प्रभार	0.00	0.02
अन्य विविध व्यय	0.27	0.00
बीमा ग्राम व्यय	0.00	0.04
मूल्यहास	12.76	0.05
मोटर कार खर्च	0.00	0.01
पोस्टेज और टेलिग्राम	0.00	0.01
दावा न किए गए और ओ/एस दावों पर ब्याज	0.00	(7.46)*
भोजन कूपन	0.00	0.02
रिटर्न दाखिल करने और पंजीकरण नवीनीकरण के लिए शुल्क	0.00	0.01

Additionally, reserves have been provided for liability in respect of Premium Waiver Benefit, Double Accident Benefit including Permanent Disability Benefit, revival of paid up policies, reinstatement of policies which have not acquired paid up value, immediate increase in expenses in case the office is closed for new business, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), Catastrophe etc. Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided for. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options. Fund for Future Appropriations (FFA) for both Non-Linked and Linked lines of business has been provided for in the respective lines of Business.

The Board of the Corporation had approved in Financial Year 2021-22, bifurcation of the Single fund into separate Par and Non-Par funds as mandated under Section 24 of LIC Act, 1956, and the Surplus Distribution Policy required under the amended Section 28 of LIC Act, 1956. The Surplus Distribution Policy mandates the surplus distribution pattern for Par policies as 95:5 for the financial year 2021-22, 92.5:7.5 for the financial years 2022-23 and 2023-24, and 90:10 from financial year 2024-25 onwards and 0:100 for Non-Par policies from financial year 2021-22 onwards.

5. Basis of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account (LICI):

Income accruing on investments held in Policyholders' and Shareholders' funds have been taken to the respective funds.

The investible surplus, arising out of operations and income on Policyholders' investments, was invested in Policyholders' account. The accretions to shareholders' fund during the year is invested in shareholders' fund.

6. Prior Period Items of LICI:

The income includes following prior period items:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Rent Deposits Unadjusted	0.01	0.00
Total	0.01	0.00

The expenses includes following prior period items:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Rent, Rates & Taxes	0.00	4.38
Cost of Diesel	0.01	0.05
Incentive/cash awards	0.00	0.01
Electricity charges	0.00	0.02
Other Miscellaneous Expenses	0.27	0.00
Bima Gram Expenses	0.00	0.04
Depreciation	12.76	0.05
Motor Car Expenses	0.00	0.01
Postage and Telegram	0.00	0.01
Interest on unclaimed and O/s claims	0.00	-7.46*
Meal Coupons	0.00	0.02
Fee for filing of returns and for renewal registration	0.00	0.01

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पूर्णतः/आंशिक रूप से किराए पर दिए गए प्रतिष्ठान व्यय	0.00	0.10
एजेंट प्रतियोगिता मूल्य	0.00	0.04
एसएसवाई के तहत छात्रवृत्ति	0.00	0.54
अन्य स्टाफ सुविधाएँ और लाभ - कक्षा I, II, III और IV	0.07	0.00
प्रिंटिंग और स्टेशनरी (निरंतर स्टेशनरी, फ़ॉर्म, कार्ड, रिबन)	0.03	0.00
मेडिकल शुल्क	0.01	0.00
बैंक शुल्क (चालू खाता)	0.11	0.00
कार्यालय रखरखाव के लिए वरिष्ठ व्यावसायिक सहयोगियों को प्रतिपूर्ति	0.09	0.00
आईटी उपकरणों के लिए केबलिंग व्यय	0.01	0.00
सिटी कैरियर एजेंटों को स्टाइपेंड	0.02	0.00
एलआईसी एसोसिएट्स को दिया जाने वाला कार्यालय रखरखाव भत्ता	0.01	0.00
कुल	13.39	(2.18)

*दावा न की गई और बकाया वार्षिकियां देय न होने वाले वार्षिक खाते में स्थानांतरित कर दी गईं और इन राशि पर अर्जित ब्याज उलट दिया गया।

*उपरोक्त उल्लिखित पूर्व अवधि की मदों को राजस्व खाते में अलग से प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

7. दावा (एलआयसी)

तुलन पत्र की तिथि - 31 मार्च, 2025 तक, छह महीने से अधिक समय तक निपटाए गए और अवैतनिक दावों की संख्या।

विवरण	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मृत्यु दावें	709	13.57
परिपक्वता दावें	4,22,156	2,239.49

पी एंड जीएस व्यवसाय के लिए दावों की संख्या का डेटा उपलब्ध नहीं हैं। दावों की राशि में पी एंड जीएस डेटा शामिल है।

8. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण (एलआयसी):

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल राशि	आयु अनुसार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीने से अधिक
बीमाधारक/पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किसी भी कारण से पॉलिसीधारकों/बीमित को भुगतान नहीं किया गया दावा	57.84 (229.44)	0.00 (0.32)	0.00 (21.22)	0.00 (13.27)	0.09 (11.09)	0.49 (31.34)	0.33 (17.55)	56.32 (134.65)	0.61 (0.00)
बीमित/पॉलिसीधारकों को परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि	6,982.81 (16,312.24)	0.22 (15.46)	233.78 (1,184.72)	462.22 (976.07)	448.05 (1,086.38)	371.12 (939.02)	423.87 (1,175.39)	4,963.39 (10,933.75)	80.16 (1.45)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Wholly/Partly rented out Establishment Expenses	0.00	0.10
Agent Competition Prizes	0.00	0.04
Scholarship under SSY	0.00	0.54
Other Staff Amenities and Benefits – Class I, II, III & IV	0.07	0.00
Printing & Stationery (Continuous Stationery, Forms, Cards, Ribbons)	0.03	0.00
Medical Fees	0.01	0.00
Bank Charges (Current Account)	0.11	0.00
Reimbursement to Senior Business Associates towards office maintenance	0.09	0.00
Cabling expenses for IT Equipments	0.01	0.00
Stipend to City Career Agents	0.02	0.00
Office Maintenance Allowance paid to LIC Associates	0.01	0.00
Total	13.39	(2.18)

* Annuities Unclaimed and outstanding were transferred to Annuity not payable account and interest accrued on these amount were reversed.

The above mentioned prior period items have not been disclosed separately in the Revenue account as the impact of the same is not material.

7. Claims for LIC:

The claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months, as on the Balance Sheet date - 31st March, 2025.

Particulars	Number of Claims*	Amount (₹ in Crore)
Claims by Death	709	13.57
Claims by Maturity	4,22,156	2,239.49

*Number of claims data is not available for P & GS business. Amount of claims includes P & GS data.

8. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders (LIC):

(₹ in Crore)

Particulars	AGE WISE ANALYSIS								
	Total Amount	0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Claims Settled but not paid to the policyholders/ insured due to any reasons except under litigation from the insured/ policyholders	57.84 (229.44)	0.00 (0.32)	0.00 (21.22)	0.00 (13.27)	0.09 (11.09)	0.49 (31.34)	0.33 (17.55)	56.32 (134.65)	0.61 (0.00)
Sum due to the insured/ policyholders on maturity or otherwise	6,982.81 (16,312.24)	0.22 (15.46)	233.78 (1,184.72)	462.22 (976.07)	448.05 (1,086.38)	371.12 (939.02)	423.87 (1,175.39)	4,963.39 (10,933.75)	80.16 (1.45)

विवरण	कुल राशि	आयु अनुसार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीने से अधिक
प्रीमियम/कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है	6.35 (1,166.03)	0.00 (21.48)	0.02 (106.80)	0.11 (88.29)	0.24 (86.76)	0.27 (84.14)	0.26 (84.90)	5.17 (679.32)	0.28 (14.34)
चेक जारी किए लेकिन पॉलिसीधारक /बीमित द्वारा भुनाया नहीं गया	118.38 (207.23)	0.01 (0.00)	0.10 (0.03)	0.12 (10.34)	0.45 (1.40)	0.59 (3.02)	0.56 (2.73)	91.74 (187.38)	24.81 (2.33)

- नोट: 1. प्रति वर्ष 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अवधि के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण (एलआयसी):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
प्रारंभिक शेष	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि	842.35	0.00	2,404.22	0.00
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए)	0.00	0.00	(0.39)	0.00
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय	0.00	494.94	0.00	1,249.85
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि	9,399.22	2,320.40	3,620.96	413.31
घटा: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल)	226.09	141.18	505.30	270.59
दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03

9. भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार (एलआयसी):

स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 3,483.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,177.46 करोड़)

Particulars	AGE WISE ANALYSIS								
	Total Amount	0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	6.35 (1,166.03)	0.00 (21.48)	0.02 (106.80)	0.11 (88.29)	0.24 (86.76)	0.27 (84.14)	0.26 (84.90)	5.17 (679.32)	0.28 (14.34)
Cheques issued but not encashed by the policyholder/insured	118.38 (207.23)	0.01 (0.00)	0.10 (0.03)	0.12 (10.34)	0.45 (1.40)	0.59 (3.02)	0.56 (2.73)	91.74 (187.38)	24.81 (2.33)

Note:

1. Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30th, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.
2. Previous year figures are shown in bracket ().

b) Details of Unclaimed Amount and Investment Income (LICI):

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2025		For the year ended 31 st March, 2024	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Opening Balance	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08
Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	842.35	0.00	2,404.22	0.00
Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	0.00	0.00	(0.39)	0.00
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	0.00	494.94	0.00	1,249.85
Less: Amount of claims paid during the year	9,399.22	2,320.40	3,620.96	413.31
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	226.09	141.18	505.30	270.59
Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03

9. Encumbrances to assets of LICI in and outside India:

The assets of the Corporation are free from any encumbrances except, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with RBI (SLOC/CCIL) and Custodians: ₹ 3,483.57 Crore (Previous year ₹ 3,177.46 Crore).

10. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य (एलआयसी):

(₹ करोड़ में)

विवरण	असंबद्ध व्यवसाय		संबद्ध व्यवसाय	
	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	1,478.70	186.18	73.35	0.00
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	5,554.81	4,426.90	40.35	0.00

पेंशन व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय और सीआरएसी व्यवसाय के निवेश के संबंध में कोई अनुबंध बकाया नहीं था।

11. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक (एलआयसी):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वेतन और भत्ते	10.26	6.94
पेंशन में निगम का योगदान	0.58	0.28
अनुलाभों का कर योग्य मूल्य	1.91	1.52
कुल	12.75	8.74

उपरोक्त पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल नहीं है जो किताबों में अर्जित/भुगतान किया गया होगा। प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक पर नियुक्ति और निर्णय जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

अनु. गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का नाम	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1. डॉ. रंजन शर्मा	0.26	0.26
2. श्री विनोद कुमार वर्मा	0.17	0.16
3. प्रो. अनिल कुमार	0.24	0.21
4. श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	0.21	0.19
5. श्री महालिंगम जी	0.29	0.30
6. श्री राज कमल	0.25	0.24
7. डॉ. वी एस पार्थसारथी	0.23	0.22
8. श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	0.31	0.31
9. श्री संजीव नौटियाल	0.03	0.17

10. Value of contracts in relation to Investments of LIC:

(₹ in Crore)

Particulars	Non-Linked Business		Linked Business	
	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue
For the year ended March 31, 2025	1,478.70	186.18	73.35	0.00
For the year ended March 31, 2024	5,554.81	4,426.90	40.35	0.00

There were no contracts outstanding in relation to investments in respect of Pension business, Health Business and CRAC business.

11. Managerial Remuneration to Chairperson, Managing Directors & Key Managerial persons (LIC):

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Salaries & Allowances	10.26	6.94
Corporation's contribution to Pension	0.58	0.28
Taxable Value of Perquisites	1.91	1.52
Total	12.75	8.74

The above remuneration excludes retirement benefits such as gratuity and leave encashment which would have accrued/paid in the books. The appointment and decision on remuneration of managerial personnel which includes the Chairperson and Managing Directors are done by the Government of India.

Remuneration to Non-Executive Directors and Independent Directors for the year ended March 31, 2025:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Name of Non-Executive and Independent Directors	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1.	Dr. Ranjan Sharma	0.26	0.26
2.	Shri Vinod Kumar Verma	0.17	0.16
3.	Prof. Anil Kumar	0.24	0.21
4.	Smt. Anjuly Chib Duggal	0.21	0.19
5.	Shri Mahalingam G	0.29	0.30
6.	Shri Raj Kamal	0.25	0.24
7.	Dr. V. S. Parthasarathy	0.23	0.22
8.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	0.31	0.31
9.	Shri Sanjeev Nautiyal	0.03	0.17

12. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है (एलआयसी):

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	(क) असंबद्ध निवेश				(ख) संबद्ध निवेश
		शेयरधारकों का कोष	जीवन कोष	पी एंड जीएस कोष	यूनिट लिंक्ड (नॉन यूनिट कोष)	
31.03.2025 तक	पुस्तक मूल्य	12,681.46	7,08,206.17	1,39,235.10	1,599.68	39,478.16
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	12,448.44	13,27,730.57	1,67,111.63	1,738.62	47,119.86
31.03.2024 तक	पुस्तक मूल्य	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28

पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित के उचित मूल्य के आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत 31 मार्च, 2025 तक शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

13. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी हितलाभ के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं (एलआयसी):

क) 31.03.2025 के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणना: -

दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर	8.15%	8.15%
वेतन वृद्धि	6%	6%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.37	11.72
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,745.77	15,311.19
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	1,220.30	1,186.62
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	683.59	580.49
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(2,629.21)	(1,262.60)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	822.59	(69.93)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,843.03	15,745.77
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00

12. Historical cost of investments of LICl valued on fair value basis is given below:

(₹ in Crore)

Financial Year	Particulars	(A) Non-Linked Investments				(B) Linked Investment
		Shareholder's Fund	Life Fund	P&GS Fund	Unit Linked (Non Unit Fund)	
As at March 31, 2025	Book Value	12,681.46	7,08,206.17	1,39,235.10	1,599.68	39,478.16
	Reported Value	12,448.44	13,27,730.57	1,67,111.63	1,738.62	47,119.86
As at March 31, 2024	Book Value	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	Reported Value	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28

Historical cost of investments valued on fair value basis for Capital Redemption & Annuity Certain Business as at March 31, 2025 is NIL (Previous year NIL).

13. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits of LICl are given below:

A) Employees' Gratuity Liability Calculation as at 31.03.2025:

The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I. Assumptions:		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Salary Escalation	6%	6%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.37	11.72
		(₹ in Crore)
II. Table showing changes in Present Value of Obligations:		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	15,745.77	15,311.19
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	1,220.30	1,186.62
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	683.59	580.49
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(2,629.21)	(1,262.60)
Actuarial (gain)/loss on obligations	822.59	(69.93)
Present Value of obligation as at the end of the year	15,843.03	15,745.77
III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,745.77	15,311.19
Acquisition adjustments	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1,220.30	1,186.62
योगदान	1,490.00	488.00
भुगतान किया गया लाभ	(2,629.21)	(1,262.60)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	16.18	22.55
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	1,236.47	1,209.17
योगदान	1,490.00	488.00
भुगतान किया गया लाभ	(2,629.21)	(1,262.60)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	16.18	22.55
V बीमांकिक लाभ / हानि मान्यता प्राप्त		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(822.59)	69.93
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(16.18)	(22.55)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	806.41	(92.49)
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	806.41	(92.49)
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,843.03	15,745.77
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	683.59	580.49
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	1,220.30	1,186.62
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1,220.30)	(1,186.62)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	806.41	(92.49)
राजस्व / लाभ एक हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,490.00	488.00

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
Expected return on Plan Assets	1,220.30	1,186.62
Contributions	1,490.00	488.00
Benefits paid	(2,629.21)	(1,262.60)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	16.18	22.55
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,843.03	15,745.77
IV. Table showing Fair value of Plan Assets:		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,745.77	15,311.19
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Actual return on Plan Assets	1,236.47	1,209.17
Contributions	1,490.00	488.00
Benefits paid	(2,629.21)	(1,262.60)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,843.03	15,745.77
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	16.18	22.55
V. Actuarial Gain/Loss Recognized:		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	(822.59)	69.93
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(16.18)	(22.55)
Total (gain)/loss for the year	806.41	(92.49)
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	806.41	(92.49)
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	0.00	0.00
VI. The amounts to be recognised in Balance Sheet and statements of Revenue/Profit and Loss:		
Present Value of obligation as at the end of the year	15,843.03	15,745.77
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,843.03	15,745.77
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses at the end of year	0.00	0.00
Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	0.00	0.00
VII. Expense recognised in the Statement of Revenue/Profit and Loss:		
Current Service Cost	683.59	580.49
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	1,220.30	1,186.62
Expected return on Plan Assets	(1,220.30)	(1,186.62)
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	806.41	(92.49)
Expenses recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	1,490.00	488.00

ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्व:

कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धति के तहत मूल्यांकन तिथि तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथि के अनुसार छूट दी जाती है।

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.15%	8.15%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.37	11.72
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,685.48	6,232.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	518.12	483.00
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	86.90	74.40
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(991.45)	(614.83)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्वों पर	450.51	510.61
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,749.56	6,685.48
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	518.12	483.00
योगदान	534.00	570.00
भुगतान किया गया लाभ	(991.45)	(614.83)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	3.41	15.01
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	521.54	498.01

B) Group Privilege Leave Encashment Liability:

The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I. Assumptions:		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Salary Escalation	6.00%	6.00%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.37	11.72
		(₹ in Crore)
II. Table showing changes in Present Value of Obligations:		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	6,685.48	6,232.30
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	518.12	483.00
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	86.90	74.40
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(991.45)	(614.83)
Actuarial (gain)/loss on obligations	450.51	510.61
Present Value of obligation as at the end of the year	6,749.56	6,685.48
III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,685.48	6,232.30
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	518.12	483.00
Contributions	534.00	570.00
Benefits paid	(991.45)	(614.83)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	3.41	15.01
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,749.56	6,685.48
IV. Table showing Fair value of Plan Assets:		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,685.48	6,232.30
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Actual return on Plan Assets	521.54	498.01

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
योगदान	534.00	570.00
भुगतान किया गया लाभ	(991.45)	(614.83)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	3.41	15.01
V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:-		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(450.51)	(510.61)
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(3.41)	(15.01)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	447.10	495.60
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	447.10	495.60
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि: -		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,749.56	6,685.48
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
वर्ष के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	86.90	74.40
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	518.12	483.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(518.12)	(483.00)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	447.10	495.60
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	534.00	570.00

ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देयता:

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धति जहां मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथि तक की वेतन में होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते हैं। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है।

प्रमुख धारणाएं हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
Contributions	534.00	570.00
Benefits paid	(991.45)	(614.83)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,749.56	6,685.48
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	3.41	15.01
V. Actuarial Gain/Loss Recognized:		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	(450.51)	(510.61)
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(3.41)	(15.01)
Total (gain)/loss for the year	447.10	495.60
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	447.10	495.60
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	0.00	0.00
VI. The amounts to be recognised in Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss:		
Present Value of obligation as at the end of the year	6,749.56	6,685.48
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	6,749.56	6,685.48
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses at the end of the year	0.00	0.00
Net Asset/(Liability) recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
VII. Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss:		
Current Service Cost	86.90	74.40
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	518.12	483.00
Expected return on Plan Assets	(518.12)	(483.00)
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	447.10	495.60
Expenses recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	534.00	570.00

C) Employees Pension Scheme 1995 Liability:

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.15%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.07	6.48
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	9,498.52	8,451.75
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	5,026.93	14,982.29
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(10,156.66)	(10,998.18)
बीमांकिक लाभ/दायित्वों पर (हानि)	1,787.55	1,070.91
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	9,498.52	8,451.75
योगदान	6,491.85	15,782.13
भुगतान किया गया लाभ	(10,156.66)	(10,998.18)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	322.63	271.07
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
बीमांकिक लाभ	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	9,821.15	8,722.82
योगदान	6,491.85	15,782.13
भुगतान किया गया लाभ	(10,156.66)	(10,998.18)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
निधिक स्थिति		
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	322.63	271.07

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I. Assumptions:		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.07	6.48
		(₹ in Crore)
II. Table showing changes in Present Value of Obligations:		
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	9,498.52	8,451.75
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	5,026.93	14,982.29
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(10,156.66)	(10,998.18)
Actuarial gain/(loss) on obligations	1,787.55	1,070.91
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:		
Fair value of plan assets at beginning of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Acquisition Adjustment	0.00	0.00
Expected Return on Plan Assets	9,498.52	8,451.75
Contributions	6,491.85	15,782.13
Benefits Paid	(10,156.66)	(10,998.18)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	322.63	271.07
Fair Value of Plan Assets at end of year	1,28,717.94	1,22,561.60
IV. Table showing Fair value of Plan Assets:		
Fair value of plan assets at beginning of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Actuarial gain	0.00	0.00
Actual Return on Plan Assets	9,821.15	8,722.82
Contributions	6,491.85	15,782.13
Benefits Paid	(10,156.66)	(10,998.18)
Fair value of plan assets at the end of year	1,28,717.94	1,22,561.60
Funded Status		
Excess of actual over estimated return on plan assets	322.63	271.07

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:-		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	1,787.55	1,070.91
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजनागत संपत्ति	322.63	271.07
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	1,464.92	799.84
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,464.92	799.84
अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियां		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	5,026.93	14,982.29
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	9,498.52	8,451.75
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(9,498.52)	(8,451.75)
संक्षिप्त लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,464.92	799.84
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	6,491.85	15,782.13

नोट: अतिरिक्त प्रकटीकरण भाग (ग) के अंतर्गत नोट सं. 20 और 22 देखें।

घ) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयता:

प्रमुख धारणाएं हैं (1) रियायती दर और (2) वेतन वृद्धि ।

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर	8.15%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.01	6.34

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
V. Actuarial Gain/Loss Recognized:		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	1,787.55	1,070.91
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	322.63	271.07
Total gain / (loss) for the year	1,464.92	799.84
Actuarial gain / (loss) recognized in the year	1,464.92	799.84
Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI. The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss:		
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
VII. Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss:		
Current Service Cost	5,026.93	14,982.29
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	9,498.52	8,451.75
Expected Return on Plan Assets	(9,498.52)	(8,451.75)
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial gain/ (loss) recognized in the year	1,464.92	799.84
Expenses Recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	6,491.85	15,782.13

Refer Note no. 20 and 22 under part (C) Additional Disclosures.

D) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
I. Assumptions:		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	8.15%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.01	6.34

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:—		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	270.93	254.57
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	21.00	19.73
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	12.98	17.67
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(18.78)	(24.15)
बीमांकिक लाभ/दायित्वों पर (हानि)	6.30	3.11
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	292.43	270.93
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:—		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	270.93	254.57
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	21.00	19.73
योगदान	18.03	20.06
भुगतान किया गया लाभ	(18.78)	(24.15)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.25	0.72
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	292.43	270.93
IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:—		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	270.93	254.57
बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	22.25	20.45
योगदान	18.03	20.06
भुगतान किया गया लाभ	(18.78)	(24.15)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	292.43	270.93
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	1.25	0.72
V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:—		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	6.30	3.11
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजनागत संपत्ति	1.25	0.72

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
		(₹ in Crore)
II. Table showing changes in Present Value of Obligations:		
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	270.93	254.57
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	21.00	19.73
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	12.98	17.67
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(18.78)	(24.15)
Actuarial gain/ (loss) on obligations	6.30	3.11
Present Value of Obligation as at the end of the year	292.43	270.93
III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:		
Fair value of plan assets at beginning of the year	270.93	254.57
Acquisition Adjustment	0.00	0.00
Expected Return on Plan Assets	21.00	19.73
Contributions	18.03	20.06
Benefits Paid	(18.78)	(24.15)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	1.25	0.72
Fair Value of Plan Assets at end of year	292.43	270.93
IV. Table showing Fair value of Plan Assets:		
Fair value of plan assets at beginning of the year	270.93	254.57
Actuarial gain/loss	0.00	0.00
Actual Return on Plan Assets	22.25	20.45
Contributions	18.03	20.06
Benefits Paid	(18.78)	(24.15)
Fair value of plan assets at the end of year	292.43	270.93
Funded Status	Funded	Funded
Excess of actual over estimated return on plan assets	1.25	0.72
V. Actuarial Gain/Loss Recognized:		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	6.30	3.11
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	1.25	0.72

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	5.05	2.39
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.05	2.39
अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	292.43	270.93
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	292.43	270.93
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	0.00	0.00
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	12.98	17.67
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	21.00	19.73
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(21.00)	(19.73)
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.05	2.39
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	18.03	20.06

14. डेरिवेटिव संविदाएं (एलआयसी):

निगम गारंटीकृत उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें पॉलिसीधारकों को भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रीमियम के लिए एक निश्चित दर पर रिटर्न का आश्वासन दिया जाता है। ये प्रीमियम लंबी अवधि में प्राप्त होने की संभावना है और गारंटीकृत रिटर्न की दर पॉलिसी अवधि की शुरुआत में तय की जाती है। ब्याज दरों में किसी प्रकार की गिरावट का अर्थ होगा कि निगम के प्रत्येक वृद्धिशील निवेश पर कम दर पर रिटर्न मिलेगा। तदनुसार निगम भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परिपत्र संख्या IRDA/F&I/INV/CIR/138/06/2014 दिनांक 11 जून, 2014 (ब्याज दर व्युत्पन्न पर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण परिपत्र) और मई 2024 में जारी IRDAI निवेश मास्टर परिपत्र के अनुसार ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है, जो बीमाकर्ताओं को रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न जैसे कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (“एफआरए”), ब्याज दर स्वेप (“आईआरएस”) और एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर वायदा (“आईआरएफ”) में सौदा करने की अनुमति देता है।

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जो ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए बचाव रणनीति को प्रमाणित करने हेतु किए गए व्युत्पन्न लेनदेन के कामकाज पर लागू विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिससे बाजार ब्याज दरों में भिन्नता के कारण भविष्य के निश्चित आय निवेश से रिटर्न की अस्थिरता का प्रबंधन किया जा सके।

वर्ष के दौरान निगम ने अग्रिम दर समझौते (एफआरए) लेनदेन किए हैं, जो निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिरक्षा रणनीति का हिस्सा है, ताकि ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर आईआरडीएआई परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता को हेज किया जा सके।

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2025	For the year ended/ As at 31.03.2024
Total gain / (loss) for the year	5.05	2.39
Actuarial gain / (loss) recognized in the year	5.05	2.39
Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI. The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet And Statements of Revenue/Profit and Loss:		
Present Value of Obligation as at the end of the year	292.43	270.93
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	292.43	270.93
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
VII. Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss:		
Current Service Cost	12.98	17.67
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	21.00	19.73
Expected Return on Plan Assets	(21.00)	(19.73)
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial gain/ (loss) recognized in the year	5.05	2.39
Expenses Recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	18.03	20.06

14. Derivative Contracts (LICI):

The Corporation offers guaranteed products wherein the policyholders are assured of a fixed rate of return for premiums to be received in future. These premiums are likely to be received over a longer tenure and the guaranteed rate of return is fixed at the beginning of the policy term. Any fall in interest rates would mean that each incremental investment of the Corporation would earn a lower rate of return. Accordingly the Corporation manages the Interest Rate Risk in accordance with the IRDAI circular no. IRDA/F&I/INV/CIR/138/06/2014 dated 11 June, 2014 ('the IRDAI Circular on Interest Rate Derivatives') and IRDAI Investment Master Circular issued in May 2024 which allows insurers to deal in rupee interest rate derivatives such as Forward Rate Agreements ("FRA"), Interest Rate Swaps ("IRS") and Exchange Traded Interest Rate Futures ("IRF").

The Corporation has in place a derivative policy approved by Board which covers various aspects that apply to the functioning of the derivative transactions undertaken to substantiate the hedge strategy to mitigate the interest rate risk, thereby managing the volatility of returns from future fixed income investment, due to variations in market interest rates.

During the year the Corporation has entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions, as part of Corporation's Board approved Hedging strategy, to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives.

Forward Rate Agreement derivative contracts are over-the counter (OTC) transactions wherein, the Corporation lock-in the yield on the government bond at a specified future date at a price decided at the time of the FRA contract with an objective to lock in the price of an interest bearing security at a future date.

फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट डेरिवेटिव अनुबंध ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) लेनदेन हैं, जिसमें निगम एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर सरकारी बॉन्ड पर उपज को एफआरए अनुबंध के समय तय की गई कीमत पर लॉक-इन करता है, जिसका उद्देश्य भविष्य की तारीख पर ब्याज देने वाली सुरक्षा की कीमत को लॉक करना है।

निगम द्वारा डेरिवेटिव्स (एफआरए) का कार्य केवल निम्नलिखित पूर्वानुमानित लेनदेन के कारण ब्याज दर जोखिमों की हेजिंग के उद्देश्य से किया जाता है: क) विद्यमान निश्चित आय निवेशों की परिपक्वता आय का पुनर्निवेश: ख) प्राप्त होने वाली ब्याज आय का निवेश: तथा ग) बीमा अनुबंधों पर प्राप्त होने वाली अपेक्षित पॉलिसी प्रीमियम आय, जो पहले से ही जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में लिखित हैं।

क. बकाया डेरिवेटिव संविदाओं का स्वरूप और शर्तें

I. वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर करार (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/ अप्रैल/2064	1,160.00	-
कुल	1,160.00	-

II. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर करार (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/ अप्रैल/2064	1,040.00	-
कुल	1,040.00	-

III. ब्याज दर व्युत्पन्न का काल्पनिक मूलधन और मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है तथा 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर समझौतों (एफआरए) की अनुमानित मूल राशि बकाया है और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।	-	-
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं।	-	-
कुल	-	-

IV. वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर व्युत्पन्न अनुबंधों के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहेंगे।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर व्युत्पन्न अनुबंधों (फॉरवर्ड दर समझौते) के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहेंगे*	9.08	-
कुल	9.08	-

*एफआरए प्रतिपक्षियों की सकारात्मक / अनुकूल एमटीएम स्थिति का सकल आधार पर प्रकटन किया गया है। प्रतिपक्षी जोखिम को कम करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) में सहमति के अनुसार प्रतिपक्षियों से मार्जिन धन एकत्र किया जाता है।

Derivatives (FRA) are undertaken by Corporation solely for the purpose of hedging interest rate risks on account of following forecasted transactions: a) Reinvestment of maturity proceeds of existing fixed income investments: b) Investment of interest income receivable: and c) Expected policy premium income receivable on insurance contracts which are already underwritten in Life, Pension & Annuity business.

A. Nature and term of outstanding derivative contract:

I. Total notional exposure of Interest Rate Derivative undertaken during the year (instrument-wise)

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	1,160.00	-
Total	1,160.00	-

II. Total notional exposure of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet Date (Instrument-wise)

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	1,040.00	-
Total	1,040.00	-

III. Notional Principal and mark-to-market value of Interest Rate Derivative outstanding and not 'highly effective'

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Notional principal amount of Forward Rate Agreements (FRA) outstanding and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	0.00	0.00
Mark-to-market value of Forward Rate Agreement (FRA) and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

IV. Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts (Forward rate agreement)*	9.08	0.00
Total	9.08	0.00

* Positive/Favourable MTM position of FRA counterparties has been disclosed on gross basis. Margin money is collected from counterparties as agreed in Credit Support Annex (CSA) to reduce above counterparty risk.

V. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में उचित मूल्य मार्क टू मार्केट (एमटीएम) लाभ या (हानि) नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अग्रिम दर करार (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/ अप्रैल/2064	9.08	-
कुल	9.08	-

VI. प्रतिरक्षा उतार- चढ़ाव रिजर्व में संचलन

(₹ करोड़ में)

प्रतिरक्षा उतार- चढ़ाव रिजर्व लेखा	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
	प्राप्त	अप्राप्त	कुल	प्राप्त	अप्राप्त	कुल
वर्ष के प्रारंभ में शेष	0	0	0	-	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्तन	0.37	10.25	10.62	-	-	-
घटाएं: राजस्व/लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत राशियाँ खाता 'ब्याज, लाभांश और किराया-सकल' में शामिल है	(0.0007)	0	(0.0007)	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	0.37	10.25	10.62	-	-	-

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व खाते से निकाली गई राशि पूर्वानुमानित लेनदेन के संबंध में है जिसके लिए पहले प्रतिरक्षा लेखा का उपयोग किया गया था, लेकिन अब ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)। प्रतिरक्षा से नकदी प्रवाह अंतर्निहित पॉलिसी देनदारियों की बकाया अवधि के दौरान होने की उम्मीद है और तदनुसार राजस्व खाते में प्रवाहित होगा।

ख. निश्चित आय डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटीकरण:

व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन:

क) निश्चित आय डेरिवेटिव्स प्रतिरक्षा लिखत

डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें होती हैं जिनकी विशेषताएं अंतर्निहित परिसंपत्तियों, या ब्याज और विनिमय दरों या सूचकांकों से प्राप्त होती हैं। इनमें फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ब्याज दर स्वैप और ब्याज दर वायदा शामिल हैं।

निगम ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता की प्रतिरक्षा करने के लिए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स (एफआरए) लेनदेन में प्रवेश किया है। निगम सट्टेबाजी के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न नहीं है।

ख) व्युत्पन्न नीति / प्रक्रिया और प्रतिरक्षा प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

निगम ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव नीति और प्रक्रिया दस्तावेज को अच्छी तरह से परिभाषित किया है, जिसमें रणनीतिक उद्देश्य, विनियामक और परिचालन रूपरेखा तथा ब्याज दर डेरिवेटिव से जुड़े जोखिम, साथ ही मापन, निगरानी प्रक्रिया और नियंत्रण शामिल हैं। समय-समय पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन और लेखांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

निगम ने निवेश निर्णय, व्यापार निष्पादन, निपटान लेखांकन और ब्याज दर व्युत्पन्न जोखिमों की आवधिक रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे की निगरानी की जाती है।

V. The fair value mark to market (MTM) gains or (losses) in respect of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet date is stated below

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	9.08	0.00
Total	9.08	0.00

VI. Movement in Hedge Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

Hedge Fluctuation Reserve Account	As at March 31, 2025			As at March 31, 2024		
	Realized	Unrealized	Total	Realized	Unrealized	Total
Balance at the beginning of the year	0	0	0	-	-	-
Add : Change during the year	0.37	10.25	10.62	-	-	-
Less: Amounts reclassified to Revenue/ Profit & Loss Account included in 'Interest, Dividends & Rent-Gross'	(0.0007)	0	(0.0007)	-	-	-
Balance at the end of the year	0.37	10.25	10.62	-	-	-

The amount that was removed from Hedge fluctuation Reserve account during the year ended March 31, 2025 in respect of forecasted transaction for which hedge accounting had previously been used, but is no longer expected to occur is Nil (Previous year Nil). The cash flows from the hedges are expected to occur over the outstanding tenure of underlying policy liabilities and will accordingly flow to the Revenue Account.

B. Qualitative Disclosures on risk exposure in Fixed Income Derivatives:

Overview of business and processes:

a) Fixed Income Derivative Hedging instruments

Derivatives are financial instruments whose characteristics are derived from the underlying assets, or from interest and exchange rates or indices. These include forward rate agreements, interest rate swaps and interest rate futures.

The Corporation has during the year, as part of its Hedging strategy, entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives. The Corporation does not engage in derivative transactions for speculative purpose.

b) Derivative policy/process and Hedge effectiveness assessment

The Corporation has well defined Board approved Derivative Policy and Process document setting out the strategic objectives, regulatory and operational framework and risks associated with interest rate derivatives along with having measurement, monitoring processes and controls thereof. The accounting policy has been clearly laid out for ensuring a process of periodic effectiveness assessment and accounting.

The Corporation has clearly identified roles and responsibilities to ensure independence and accountability through the investment decision, trade execution, to settlement accounting and periodic reporting and audit of the Interest Rate Derivative exposures. The risk management framework for the Interest Rate Derivatives are monitored by the Risk management Committee.

ग) जोखिम पहचान, जोखिम मापन और जोखिम निगरानी का दायरा और प्रकृति:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव और संबंधित नीतियां ब्याज दर डेरिवेटिव में जोखिम के लिए संवेदनशीलता सीमाएं और मूल्य-जोखिम सीमाएं जैसी उचित बाजार सीमाएं निर्धारित करती हैं। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के सभी वित्तीय जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा और मॉनिटर किया जाता है।

घ) अग्रिम दर समझौते में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रतिरक्षा को तभी प्रभावी माना जाता है, जब इसमें प्रतिरक्षा किए गए मद और प्रतिरक्षा लिखत (एफआरए) के मूल्य में परिवर्तन के बीच उच्च सांख्यिकीय सहसंबंध हो। प्रतिरक्षा की अप्रभावीता से होने वाले लाभ या हानि, यदि कोई हो, को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

प्रतिरक्षा लिखत की अवधि अंतर्निहित प्रतिरक्षा की गई परिसंपत्ति / देयता की अवधि से कम या उसके बराबर हो सकती है।

ब्याज दर डेरिवेटिव - प्रतिपक्षकार का एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1. प्रति पक्षकार का नाम	1. बैंक आफ अमेरिका	-
	2. कोटक महिंद्रा बैंक	-
	3. जे पी मोर्गन चेज बैंक	-
	4. एचएसबीसी बैंक	-
2. प्रतिरक्षा का पदनाम	नकद प्रवाह प्रतिरक्षा	-
3. डेरिवेटिव संविदा	अग्रिम दर करार	-
4. क्रेडिट एक्सपोजर	40.90	-
5. ब्याज दर में 1 बीपीएस की वृद्धि पर संभावित प्रभाव		
डेरिवेटिव	(4.39)	-
संबंधित आस्ति जिसकी प्रतिरक्षा की जा रही हो	4.39	-

एफआरए डेरिवेटिव्स के लिए ऋण जोखिम सीमा की गणना वर्तमान जोखिम विधि (सीईएम) का उपयोग करके ऋण समतुल्य राशि के आधार पर की गई है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

सीईएम का उपयोग करके गणना की गई बाजार से संबंधित ऑफ-बैलेंस शीट लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि का योग है।

क) वर्तमान ऋण जोखिम (अनुबंध का सकल सकारात्मक बाजार मूल्य): और

ख) संभावित भावी ऋण जोखिम, जो बकाया अनुबंध में अनुमानित मूल राशि का एक उत्पाद है और एक कारक जो ब्याज दर व्युत्पन्न पर भारतीय बीमा परिपत्र के तहत निर्धारित अनिवार्य ऋण रूपांतरण कारकों पर आधारित है, जो अनुबंध की शेष परिपक्वता पर लागू होता है।

(ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण (एलआयसी):

1) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

शाखा	प्रतिभूतियों का प्रकार	पुस्तक मूल्य 31.03.2025 तक	पुस्तक मूल्य 31.03.2024 तक
मॉरीशस*	बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा @ 1.35% & 1.15%	1.87	1.80
फ़िजी*	एफजीआर स्टॉक @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, और 5.46%	74.90	58.56
पी एंड जीएस	सावधि जमा	0.20	0.20

*उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में आयोजित किए जाते हैं और समापन विनिमय दर पर परिवर्तित होते हैं।

c) Scope and nature of risk identification, risk measurement, and risk monitoring

The Derivative and related Policies as approved by the Board sets appropriate market limits such as sensitivity limits and value-at-risk limits for exposures in Interest rate derivatives. All financial risks of the derivative portfolio are measured and monitored on periodic basis.

d) Quantitative disclosure on risk exposure in Forward Rate Agreement

A hedge is deemed effective, if it has a high statistical correlation between the change in value of the hedged item and the hedging instrument (FRA). Gains or losses arising from hedge ineffectiveness, if any, are recognised in the Revenue Account.

The tenure of the hedging instrument may be less than or equal to the tenure of underlying hedged asset/liability.

Interest Rate Derivative - Counterparty exposure

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
1. Name of the counterparty	1. Bank of America	-
	2. Kotak Mahindra Bank	-
	3. JP Morgan Chase Bank	-
	4. HSBC Bank	-
2. Hedge Designation	Cash flow Hedge	-
3. Derivative Contract	Forward Rate Agreement	-
4. Credit Exposure	40.90	-
5. Likely impact of 1 bps increase in interest rate		
Derivative	(4.39)	-
Underlying being hedged	4.39	-

The credit exposure limit for FRA derivatives has been calculated on the basis of Credit Equivalent Amount using the Current Exposure Method (CEM) as detailed below:

The Credit Equivalent Amount of a market related off-balance sheet transaction calculated using the CEM is the sum of

- The current credit exposure (gross positive mark to market value of the contract): and
- Potential future credit exposure which is a product of the notional principal amount across the outstanding contract and a factor that is based on the mandated credit conversion factors as prescribed under the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives which is applied on the residual maturity of the contract.

(C) ADDITIONAL DISCLOSURES (LIC):

1) Investments made in accordance with the statutory requirements

(₹ in Crore)

Branch	Type of Securities	Book Value As at 31.03.2025	Book Value As at 31.03.2024
Mauritius*	Fixed Deposit with Bank of Baroda @ 1.35% & 1.15%	1.87	1.80
Fiji*	FGR Stock @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, and 5.46%	74.90	58.56
P & GS	Fixed Deposit	0.20	0.20

*The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.

- 2) आय की पहचान के उद्देश्य से निष्पादित/गैर-निष्पादित निवेशों में अलगाव। (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
निवेश निष्पादित:	5,70,364.87	5,21,183.55
गैर-निष्पादित निवेश:	8,442.89	10,697.53

- 3) पुनर्चना के अधीन परिसंपत्तिया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पुनर्संरचना के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	882.84	566.11
पुनर्संरचना के अधीन मानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	882.84	15.44
पुनर्संरचना के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	0.00	0.00
पुनर्संरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली संपत्तियों की कुल राशि	0.00	550.67

- 4) क्षेत्रवार व्यवसाय का प्रतिशत

विवरण	वर्ष के लिए	
	31.03.2025	31.03.2024
ग्रामीण व्यवसाय	67.62%	47.72%
शहरी व्यवसाय	32.38%	52.28%
सामाजिक क्षेत्र (बीमित जीवन की संख्या % में)	12.63%	5.73%

- 5) अवधारित और बीमाकृत जोखिम: (% में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम
प्रथम वर्ष का प्रीमियम	99.92	0.08	99.85	0.15
परवर्ती प्रीमियम	99.74	0.26	99.75	0.25
एकल प्रीमियम	100.00	0.00	100.00	0.00

नोट: उपरोक्त आंकड़े निगम द्वारा अर्जित कुल प्रीमियम और कुल पुनर्बीमा के आधार पर तैयार किये गये हैं।

- 6) बंद पॉलिसियों - संबंध व्यवसाय: (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
बंद पॉलिसियों की नीतियों के लिए निधि		
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष	407.87	177.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड	1,015.96	558.01
घटाये: वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि	670.99	346.44
जोड़ें: निधि के निवेश पर शुद्ध आय/लाभ	57.24	22.34
घटाये: निधि प्रबंधन शुल्क	3.38	1.53
घटाये: वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि	1.91	1.73
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष	804.79	407.87

2) Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Performing investments	5,70,364.87	5,21,183.55
Non-performing investments	8,442.89	10,697.53

3) Assets Subject to Restructuring

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Total amount of loan assets subject to restructuring	882.84	566.11
Total amount of standard assets subject to restructuring	882.84	15.44
Total amount of sub standard assets subject to restructuring	0.00	0.00
Total amount of doubtful & loss assets subject to restructuring	0.00	550.67

4) Percentage of business sector-wise

Particulars	For the year ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Rural business	67.62%	47.72%
Urban business	32.38%	52.28%
Social Sector (No. of Lives Insured in %)	12.63%	5.73%

5) Risk Retained and Re-Insured

(in %)

Particulars	For the year ended 31.03.2025		For the year ended 31.03.2024	
	Risk retained	Risk Insured	Risk retained	Risk Insured
First year premium	99.92	0.08	99.85	0.15
Renewal premium	99.74	0.26	99.75	0.25
Single premium	100.00	0.00	100.00	0.00

Note: The above data has been prepared based on the total premium earned and total premium reinsured by the Corporation.

6) Discontinued policies – Linked Business

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended / as at 31.03.2025	For the year ended / as at 31.03.2024
Fund for Discontinued Policies		
Opening Balance of Fund for Discontinued Policies	407.87	177.22
Add: Fund of policies discontinued during the Year	1,015.96	558.01
Less: Fund of policies revived/Paid during the Year	670.99	346.44
Add: Net Income/Gains on Investment of the Fund	57.24	22.34
Less: Fund Management Charges levied	3.38	1.53
Less: Amount refunded to Policy Holders during the Year	1.91	1.73
Closing Balance of Fund for Discontinued Policies	804.79	407.87

अन्य प्रकटीकरण:

विवरण	न्यू एंडोमेंट प्लस (835)	न्यू एंडोमेंट प्लस (935)	एसआई आईपी (852)	निवेश प्लस (849)	न्यू पेन्शन प्लस (867)	इन्डेक्स प्लस (873)	न्यू एंडोमेंट प्लस (735)	निवेश प्लस (749)	एसआई आईपी (752)
वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या	350 (572)	16,648 (20,595)	73,974 (80,458)	70 (21)	34,528 (37,029)	2,08,560 (5,499)	30 (0)	2 (0)	496 (0)
वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत	1.10 (1.46)	44.82 (52.99)	39.87 (44.60)	0.01 (0)	17.92 (32.02)	42.58 (7.23)	9.23 (0)	0 (0)	4.86 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या	0 (3)	7,382 (8,367)	42,963 (44,563)	0 (0)	18,241 (18,978)	98,428 (1)	0 (0)	0 (0)	78 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों का प्रतिशत	0.00 (0.52)	44.34 (40.63)	58.08 (55.39)	0 (0.00)	52.83 (51.25)	47.19 (0.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	15.73 (0.00)
बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	0.0012 (0.0049)	3.00 (3.60)	15.00 (15.93)	0.0063 (0.0038)	6.72 (7.58)	25.22 (0.24)	0.0017 (0.00)	0.0008 (0.00)	0.03 (0.00)
पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार (₹ करोड़ में)	0.00 (0.0002)	1.43 (1.58)	8.92 (9.13)	0.00 (0.00)	3.84 (4.30)	13.72 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.0038 (0.00)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

7) IRDAI द्वारा निर्धारित अनुपात

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
1	नव व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (खण्ड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन	198.65%	18.57%
	ख) पेंशन	69.87%	11.44%
	ग) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	-12.91%	-13.44%
	ख) वार्षिकी	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ग) पेंशन	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी युक्त:		
	क) जीवन	0.22%	35.44%
	ख) वार्षिकी	7.65%	0.12%

Other Disclosures:

Particulars	New Endowment Plus (835)	New Endowment Plus (935)	SIIP (852)	Nivesh Plus (849)	New Pension Plus (867)	Index Plus (873)	New Endowment Plus (735)	Nivesh Plus (749)	SIIP (752)
Number of policies discontinued during the Year	350 (572)	16,648 (20,595)	73,974 (80,458)	70 (21)	34,528 (37,029)	2,08,560 (5,499)	30 (0)	2 (0)	496 (0)
Percentage of discontinued to total policies during the Year	1.10 (1.46)	44.82 (52.99)	39.87 (44.60)	0.01 (0)	17.92 (32.02)	42.58 (7.23)	9.23 (0)	0 (0)	4.86 (0)
Number of policies revived during the Year	0 (3)	7,382 (8,367)	42,963 (44,563)	0 (0)	18,241 (18,978)	98,428 (1)	0 (0)	0 (0)	78 (0)
Percentage of policies revived during the Year	0.00 (0.52)	44.34 (40.63)	58.08 (55.39)	0 (0.00)	52.83 (51.25)	47.19 (0.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	15.73 (0.00)
Charges imposed on account of discontinued policies (₹ in Crore)	0.0012 (0.0049)	3.00 (3.60)	15.00 (15.93)	0.0063 (0.0038)	6.72 (7.58)	25.22 (0.24)	0.0017 (0.00)	0.0008 (0.00)	0.03 (0.00)
Charges readjusted on account of revival of policies (₹ in Crore)	0.00 (0.0002)	1.43 (1.58)	8.92 (9.13)	0.00 (0.00)	3.84 (4.30)	13.72 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.0038 (0.00)

* Previous year figures are shown in bracket ().

7) Ratios as prescribed by IRDAI

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
1.	New Business Premium Growth Rate (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life	198.65%	18.57%
	b) Pension	69.87%	11.44%
	c) Health	NA	NA
	d) Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life	-12.91%	-13.44%
	b) Annuity	NA	NA
	c) Pension	NA	NA
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	Non Participating:		
	a) Life	0.22%	35.44%
	b) Annuity	7.65%	0.12%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	ग) पेंशन	-0.73%	-17.04%
	घ) स्वास्थ्य	-68.27%	-55.58%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
2	एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	48.21%	43.47%
3	कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से संबद्ध नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	19.88%	7.70%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	99.86%	99.86%
5	संरक्षण अनुपात (खंड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	123.37%	119.69%
	ख) पेंशन	117.82%	128.89%
	ग) स्वास्थ्य	88.65%	88.50%
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी :		
	क) जीवन	91.84%	92.00%
	ख) वार्षिकी	86.05%	87.34%
	ग) पेंशन	87.79%	88.43%
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	66.10%	62.53%
	ख) वार्षिकी	83.89%	153.76%
	ग) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह)	28.34%	37.53%
	घ) स्वास्थ्य	83.86%	80.14%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	92.74%	77.46%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकीसहित	90.06%	82.04%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय	12.42%	15.57%
7	कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार से)	5.18%	5.46%
8	व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय का नव व्यापार प्रीमियम से	0.02%	प्रयोजनीय नहीं
9	ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क / प्रभार का नव व्यवसाय प्रीमियम से अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
10	पॉलिसीधारकों की निधि का शेयरधारकों की निधि से अनुपात	43.18	62.73
11	निवल संपत्ति में परिवर्तन (राशि ₹ करोड़ में)	44,249.58	36268.76

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
	c) Pension	-0.73%	-17.04%
	d) Health	-68.27%	-55.58%
	e) Variable Insurance	NA	NA
2.	Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	48.21%	43.47%
3.	Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	19.88%	7.70%
4.	Net Retention Ratio	99.86%	99.86%
5.	Conservation Ratio (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life (Individual and Group)	123.37%	119.69%
	b) Pension	117.82%	128.89%
	c) Health	88.65%	88.50%
	d) Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life	91.84%	92.00%
	b) Annuity	86.05%	87.34%
	c) Pension	87.79%	88.43%
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	Non-Participating:		
	a) Life (Individual and Group)	66.10%	62.53%
	b) Annuity	83.89%	153.76%
	c) Pension (Individual and Group)	28.34%	37.53%
	d) Health	83.86%	80.14%
	e) Variable Insurance	92.74%	77.46%
	CRAC	90.06%	82.04%
6.	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	12.42%	15.57%
7.	Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium)	5.18%	5.46%
8.	Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium	0.02%	NA
9.	Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium	NA	NA
10.	Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' Funds	43.18	62.73
11.	Change in net worth (Amount in ₹ Crore)	44,249.58	36268.76

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
12	निवल मूल्य में वृद्धि	54.00%	79.42%
13	अधिशेष का पॉलिसीधारक निधि से अनुपात	0.0088	0.01
14	कर पश्चात लाभ/कुल आय	5.43%	4.74%
15	(कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति)	0.03	0.03
16	कुल निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)**	41.82	60.62
17	कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)	0.36	0.57
18	निवेश प्रतिफल – (सकल और निवल) – फंड वार और प्राप्त लाभ के साथ/बिना* वार्षिकी		
	(अ) अप्राप्त लाभ के बिना		
	पॉलिसीधारकों की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	8.15%	8.59%
	असंबद्ध गैर सहभागी	9.65%	9.60%
	संबद्ध	9.17%	9.71%
	कुल	8.65%	8.93%
	अंशधारको की निधियाँ	6.93%	8.02%
	(ब) अप्राप्त लाभ के साथ		
	पॉलिसीधारक की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	7.51%	17.89%
	असंबद्ध गैर सहभागी	7.88%	19.43%
	संबद्ध	8.81%	27.31%
	कुल	7.64%	18.46%
	अंशधारको की निधियाँ	6.81%	8.07%
19	सततावृत्ति अनुपात – प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)**		
	13वें महीने के लिए	74.84%	77.66%
	25वें महीने के लिए	70.99%	71.00%
	37वें महीने के लिए	66.11%	65.47%
	49वें महीने के लिए	61.51%	66.31%
	61वें महीने के लिए	63.12%	60.88%
	सततावृत्ति अनुपात – प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.43%	99.51%
	25वें महीने के लिए	98.70%	98.70%
	37वें महीने के लिए	97.24%	97.79%
	49वें महीने के लिए	96.26%	96.50%
	61वें महीने के लिए	94.95%	94.62%
	सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए	64.12%	66.99%
	25वें महीने के लिए	59.32%	57.47%

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
12.	Growth in Networth	54.00%	79.42%
13.	Ratio of Surplus to Policyholders' Fund	0.0088	0.01
14.	Profit after tax / Total Income	5.43%	4.74%
15.	(Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets)	0.03	0.03
16.	Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus)**	41.82	60.62
17.	Total Affiliated Investments/(Capital+ Reserves and Surplus)	0.36	0.57
18.	Investment Yield - (Gross and Net) -Fund wise and With/ Without realised gain *Annualised		
	(A) Without unrealized gain		
	Policyholder's Fund: Non Linked Par	8.15%	8.59%
	Non Linked Non Par	9.65%	9.60%
	Linked	9.17%	9.71%
	Total	8.65%	8.93%
	Shareholder's Fund	6.93%	8.02%
	(B) With unrealized gain		
	Policyholder's Fund: Non Linked Par	7.51%	17.89%
	Non Linked Non Par	7.88%	19.43%
	Linked	8.81%	27.31%
	Total	7.64%	18.46%
	Shareholder's Fund	6.81%	8.07%
19.	Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	74.84%	77.66%
	For 25 th month	70.99%	71.00%
	For 37 th month	66.11%	65.47%
	For 49 th Month	61.51%	66.31%
	For 61 st month	63.12%	60.88%
	Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.43%	99.51%
	For 25 th month	98.70%	98.70%
	For 37 th month	97.24%	97.79%
	For 49 th Month	96.26%	96.50%
	For 61 st month	94.95%	94.62%
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/ Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	64.12%	66.99%
	For 25 th month	59.32%	57.47%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	37वें महीने के लिए	52.66%	52.50%
	49वें महीने के लिए	48.79%	53.23%
	61वें महीने के लिए	50.31%	48.59%
	सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.47%	99.52%
	25वें महीने के लिए	98.75%	98.70%
	37वें महीने के लिए	97.29%	97.28%
	49वें महीने के लिए	95.66%	95.92%
	61वें महीने के लिए	94.47%	94.60%
20	एनपीए अनुपात		
	पॉलिसीधारकों की निधि		
	असंबद्ध सहभागी सकल एनपीए अनुपात	1.76%	2.54%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	असंबद्ध गैर सहभागी सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	संबद्ध सकल एनपीए अनुपात	30.17%	12.56%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	कुल सकल एनपीए अनुपात	1.46%	2.01%
	कुल शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	अंशधारकों की निधि		
	सकल एनपीए अनुपात	1.38%	1.68%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
21	ऋण शोधन क्षमता अनुपात (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)	2.11	1.98
22	ऋण इक्विटी अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
23	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
24	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
25	औसत टिकट आकार ₹ – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)	19,310.94	16,766.81
	जीवन बीमाकर्ताओं के लिए इक्विटी होल्डिंग पैटर्न और आय संबंधी जानकारी:		
1.	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	632.50	632.50
2.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	भारतीय	99.85%	99.81%
	विदेशी	0.15%	0.19%
3.	सरकारी हिस्सेदारी का प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	96.50%	96.50%

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
	For 37 th month	52.66%	52.50%
	For 49 th Month	48.79%	53.23%
	For 61 st month	50.31%	48.59%
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/ Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.47%	99.52%
	For 25 th month	98.75%	98.70%
	For 37 th month	97.29%	97.28%
	For 49 th Month	95.66%	95.92%
	For 61 st month	94.47%	94.60%
20.	NPA Ratio		
	Policyholders' Funds		
	Non linked Par Gross NPA Ratio	1.76%	2.54%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Non linked Non Par Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	CRAC Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Linked Gross NPA Ratio	30.17%	12.56%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Total Gross NPA Ratio	1.46%	2.01%
	Total Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Shareholders' Funds		
	Gross NPA Ratio	1.38%	1.68%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
21	Solvency Ratio (Within India business)	2.11	1.98
22	Debt Equity Ratio	NA	NA
23	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA
24	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA
25	Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)	19,310.94	16,766.81
	Equity Holding Pattern for Life Insurers and information on earnings:		
1.	No. of shares (in crores)	632.50	632.50
2.	Percentage of shareholding		
	Indian	99.85%	99.81%
	Foreign	0.15%	0.19%
3.	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)	96.50%	96.50%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
4.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले मूल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
5.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले डायल्यूटेड ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
6.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद मूल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
7.	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद डायल्यूटेड ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	76.13	64.31
8.	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	199.51	129.55

पिछली अवधि के अनुपातों को पुनर्समूहित आंकड़ों पर निकाला जाता है

8) संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण:

(संबंधित पक्षकार का संबंध जैसा कि निगम द्वारा पहचाना गया है)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित पक्षकार प्रकटन पर लेखा मानक (एएस 18) के अनुसार, संबंधित पक्षकार/ निगम के संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं:

क) सहायक कंपनियां:

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड
एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड
एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)
एलआईसी (लंका) लिमिटेड
एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड

ख) सहयोगी कंपनियां

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

ग) संयुक्त उद्यम:

सरुदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप. इश्योरेन्स

घ) निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति 31.03.2025

निदेशक मंडल		
श्री सिद्धार्थ मोहंती	अध्यक्ष	29.04.2023 से प्रभावी
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	30.06.2024 से प्रभावी
डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	28.06.2023 से प्रभावी

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 st March 2025	Up to the quarter ended 31 st March 2024
4.	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
5.	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
6.	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
7.	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	76.13	64.31
8.	Book value per share (₹)	199.51	129.55

Previous Period's Ratios are worked out on regrouped figures wherever necessary.

"NA" : Not available

8) RELATED PARTY DISCLOSURE:

(Related Party Relationship as identified by the Corporation)

As per the Accounting Standard on Related Party Disclosures (AS 18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties/joint ventures of the Corporation are as follows:

A) Subsidiary Companies:

LIC Pension Fund Ltd.
 LIC Card Services Ltd.
 Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.
 Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.
 Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)
 Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd
 Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

B) Associate Companies:

LIC Housing Finance Ltd.
 LICHL Asset Management Company Ltd.
 LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
 LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.
 IDBI Bank Ltd.
 IDBI Trusteeship Services Ltd.

C) Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

D) Board of Directors & Key Managerial Personnels as at 31.03.2025

Board of Directors		
Shri Siddhartha Mohanty	Chairman	w.e.f. 29.04.2023
	Chief Executive Officer & Managing Director	w.e.f. 30.06.2024
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	w.e.f. 28.06.2023

निदेशक मंडल

श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	13.03.2023 से प्रभावी
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	01.04.2023 से प्रभावी
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	20.07.2023 से प्रभावी
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	01.09.2023 से प्रभावी
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	20.01.2022 से प्रभावी
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति

श्री रत्नाकर पटनायक	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	10.04.2023 से प्रभावी
श्री सुधाकर रविन्द्रनाथ	कार्यकारी निदेशक (विपणन/उत्पाद विकास) एवं मुख्य विपणन अधिकारी	01.08.2022 से प्रभावी
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से प्रभावी
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	17.01.2017 से प्रभावी 17.01.2020 को पुनः नियुक्त, 17.01.2023 को पुनः नियुक्त
श्री कृष्णा कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सी जी /आर सी /जी.जे.एफ.) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	11.04.2023 से प्रभावी
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	मुख्य जोखिम अधिकारी	19.03.2025 से प्रभावी
श्रीमती बेल्ला पॉल	प्रमुख (प्रभारी) बोर्ड एवं सचिवीय	18.01.2024 से प्रभावी
श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	18.01.2024 से प्रभावी

ड) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(3) के तहत व्यवसाय के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा धारित नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक पद युक्त विवरण।

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
1.	श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड - एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन - एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड - एलआईसी (लंका) लिमिटेड

Board of Directors		
Shri Jagannath M	Managing Director	w.e.f. 13.03.2023
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	w.e.f. 01.04.2023
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	w.e.f. 20.07.2023
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	w.e.f. 01.09.2023
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Prof. Anil Kumar	Independent Director	w.e.f. 20.01.2022
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Mahalingam G	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Raj Kamal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Key Managerial Personnels		
Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer	w.e.f. 10.04.2023
Shri Sudhakar Ravindranath	Executive Director (Marketing/Product Development) & Chief Marketing Officer	w.e.f. 01.08.2022
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	w.e.f. 01.04.2022
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	w.e.f. 17.01.2017 Reappointed on 17.01.2020 again on 17.01.2023
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp Gov/GJF/Reg. Comp) & Chief Compliance Officer	w.e.f. 11.04.2023
Shri Shatmanyu Shrivastava	Chief Risk Officer	w.e.f. 19.03.2025
Smt. Bella Paul	Chief in-charge (Board & Secretarial)	w.e.f. 18.01.2024
Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer	w.e.f. 18.01.2024

- E) Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business under section 11(3) of the Insurance Act, 1938.

Sl. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 st March, 2025
1.	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	- LIC Pension Fund Limited - LIC Golden Jubilee Foundation - LIC (Nepal) Limited - LIC Housing Finance Limited - LIC Mutual Fund Asset Management Limited - LIC (Lanka) Limited

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
			- एलआईसी कार्डस् सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) बहरीन - एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड - केनइंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड - जीवन बीमा परिषद - बीमा लोकपाल परिषद - भारतीय बीमा ब्यूरो (IIB) की शासी परिषद - भारतीय बीमा संस्थान - बीमा सलाहकार समिति (IRDAI अधिनियम, 1999) - भारतीय एकचुअरीज संस्थान की परिषद - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड - आई.टी.सी. लिमिटेड - सी.आई.आई. (भारतीय उद्योग परिसंघ)
2.	डॉ. मारुति प्रसाद तन्गिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	- भारतीय सामान्य बीमा निगम - नाबार्ड - आई आर डी ए आई (IRDAI) (अंशकालिक सदस्य) - बैंक ऑफ बड़ौदा
3.	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (ट्रस्टी) - एलआईसी एचएफएल असेट मैनेजमेंट कं. लि. - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - एलआईसी बी.एस.सी. (सी) बहरीन - बीएसई लिमिटेड - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4.	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - भारतीय बीमा संस्थान - आई.टी.सी. होटल्स लिमिटेड
5.	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड - भारतीय बीमा संस्थान - महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड - आई.डी.बी.आई लिमिटेड

Sl. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 st March, 2025
			• LIC Cards Services Limited • LIC (International) BSC (c) Bahrain • LIC (Singapore) Pte Ltd. • Kenindia Assurance Co. Ltd. • Life Insurance Council • Council of Insurance Ombudsman • Governing Council of Insurance Bureau of India (IIB) • Insurance Institute of India • Insurance Advisory Committee (IRDAI Act, 1999) • Council of the Institute of Actuaries of India • National Insurance Academy • Larsen & Turbo Limited • ITC Limited • CII (Confederation of Indian Industry)
2.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	• General Insurance Corporation of India • NABARD • IRDAI (Part – Time member) • Bank of Baroda
3.	Shri Jagannath M	Managing Director	• LIC Golden Jubilee Foundation (Trustee) • LICHFL Asset Management Company Ltd. • LIC Housing Finance Ltd. • LIC BSC (c) Bahrain • BSE Limited • National Insurance Academy • Grasim Industries Limited
4.	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	• LIC Cards Services Limited • LIC (Nepal) Ltd. • LIC Mutual Fund Trustee Pvt Ltd • National Stock Exchange of India Limited • National Insurance Academy • Insurance Institute of India • ITC Hotels Limited
5.	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	• LIC Golden Jubilee Foundation • National Insurance Academy • LIC Bangladesh Limited • Insurance Institute of India • Mahindra & Mahindra Limited • IDBI Bank Limited

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
6.	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी एचएफएल केयर्स होम्स लिमिटेड - एलआईसी (लंका) लिमिटेड - नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड - बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन - नेशनल इश्योरेंस एकेडमी - एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन - एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोविडेंट फंड नंबर 1 - मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी - भारतीय बीमा संस्थान
7.	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	• -
8.	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	• -
9.	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	- उधमोदय फाउंडेशन - दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन
10.	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	- जिलेट इंडिया लिमिटेड - भारत की प्रकृति संरक्षण
11.	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	- सिटी युनियन बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IFSC) लिमिटेड - केयर रेटिंग्स लि. - सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड - डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	- एसएमआईटी कंसल्टिंग डीएमसीसी, (यूएई में निगमित) - ट्रांस-फाई इंक - ट्राइडेंट लिमिटेड - ट्रांस-फाई पीटीई लिमिटेड - ट्रांस-फाई यूएबी - ट्रांस-फाई टेक्नोलॉजी एलएलसी - पीटी ट्रांस-फाई इंडोनेशिया मेरडेका - नियोमनी इंक - ट्रांसफाई इनोवेशन लिमिटेड
13.	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	- रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड - ग्रासरूट ट्रेडिंग नेटवर्क फॉर वुमेन (GTNFW) धारा 8 की कंपनी - किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड - इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड - आईआईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड - ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड - गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड - एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड - एवरएनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड - आईआईएम मुंबई (पूर्व राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान) (सोसायटी) - पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड - मेपल इफ्रा इनवित इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड

Sl. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 st March, 2025
6.	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	- LIC HFL Cares Homes Limited - LIC (Lanka) Ltd - National Commodity & Derivatives Exchange Limited - Bima Sugam India Federation - National Insurance Academy - LIC Golden Jubilee Foundation - LIC of India Provident Fund No. 1 - Management Development Institute Society - Insurance Institute of India
7.	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	NIL
8.	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	NIL
9.	Prof. Anil Kumar	Independent Director	- Udhmodya foundation - University of Delhi Foundation
10.	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	- Gillette India Ltd - The Nature Conservancy India
11.	Shri Mahalingam G	Independent Director	- City Union Bank Limited - India International Bullion Exchange IFSC Limited - CARE Ratings Limited - Central Depository Services Ltd. - DSP Pension Fund Managers Private Limited
12.	Shri Raj Kamal	Independent Director	- SMIT Consulting DMCC, (incorporated in UAE) - Trans-Fi Inc - Trident Limited - TransFi Pte. Ltd - Trans-Fi UAB - TransFi Technology LLC - Pt. TranFi Indonesia - NeoMoney Inc. - TransFi Innovation Limited
13.	Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	- RUDI Multi Trading Company Limited - Grassroot Network (GTNFW) a Section 8 company - Kids Clinic India Limited - Imperial Auto Industries Limited - IAI Industries Limited - Greencell Mobility Private Limited - Girnar Software Private Limited - NIIT Learning Systems Limited - Everenviro Resource Management Private Limited - IIM Mumbai (ex National Institute of Industrial Engineering) (Society) - Pennar Industries Limited - Maple Infra InvIT Investment Manager Private Limited

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2025 को निदेशकता
14.	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	- हेरिटेज फूड्स लिमिटेड - सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नैस्टेक लिस्टेड) - ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमि - जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड - व्हील्स इंडिया लिमिटेड

च) उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के लेन-देन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार थी:

i) सहयोगी कंपनियां और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी					प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी	एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	
इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद	0.00	14.74 (15.59)	17,101.89 (17,774.49)	0.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड की बिक्री	0.00	0.00	16,260.96 (17,180.69)	0.00	0.00	0.00
ऋणों और बांडों / ऋणों का मोचन	2,000.00 (2,000.00)	12.07 (18.94)	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश से आय	1,008.55 (1165.42)	3.07 (7.38)	0.69 (0.50)	794.15 (529.41)	9.00 (7.65)	0.00
किराया	12.69 (12.62)	0.00	2.69 (2.94)	2.01 (2.17)	1.81 (1.85)	0.00
सिटिंग फीस	0.00	0.00	0.00	0.01 (0.00)	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति / भुगतान	3.61 (2.41)	0.10 (0.21)	0.15 (0.20)	23.32 (11.15)	0.06 (0.05)	0.00
कमीशन का भुगतान किया गया	0.00	0.00	0.00	77.40 (75.15)	0.00	0.00
पेंशन और समूह योजना	52.81 (26.26)	0.03 (0.02)	11.27 (0.27)	24.95 (109.89)	0.10 (0.04)	0.00
अन्य	0.00	0.00 (0.02)	0.01	16.19 (13.60)	0.00	0.00
सावधि जमा	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75 (8.74)
कुल	3,077.66 (3,206.71)	30.01 (42.16)	33,377.66 (34,959.09)	940.89 (741.37)	10.97 (9.59)	12.75 (8.74)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

Sl. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 st March, 2025
14.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	- Heritage Foods Limited - Sify Technologies Limited (Nasdaq Listed) - ONGC Petro additions Limited - Geojit Investments Limited - Wheels India Limited

F) The nature and volume of transactions of the Corporation during the year ended on 31st March, 2025, with the above related parties were as follows:

i) Associates and Key Management Personnel

(₹ in Crore)

Particulars	Associates					Key Management Personnel
	LIC Housing Finance Ltd.	LIC HFL Asset Management Co. Ltd.	LIC Mutual Fund AM Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	
Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund	0.00	14.74 (15.59)	17,101.89 (17,774.49)	0.00	0.00	0.00
Sale of Mutual Fund	0.00	0.00	16,260.96 (17,180.69)	0.00	0.00	0.00
Redemption on Debts & bonds / Loans	2,000.00 (2,000.00)	12.07 (18.94)	0.00	0.00	0.00	0.00
Income from Investment	1,008.55 (1165.42)	3.07 (7.38)	0.69 (0.50)	794.15 (529.41)	9.00 (7.65)	0.00
Rent	12.69 (12.62)	0.00	2.69 (2.94)	2.01 (2.17)	1.81 (1.85)	0.00
Sitting Fees	0.00	0.00	0.00	0.01 (0.00)	0.00	0.00
Reimbursement / payment towards other administrative Expenses	3.61 (2.41)	0.10 (0.21)	0.15 (0.20)	23.32 (11.15)	0.06 (0.05)	0.00
Commission paid	0.00	0.00	0.00	77.40 (75.15)	0.00	0.00
Pension and Group Scheme	52.81 (26.26)	0.03 (0.02)	11.27 (0.27)	24.95 (109.89)	0.10 (0.04)	0.00
Others	0.00	0.00 (0.02)	0.01	16.19 (13.60)	0.00	0.00
Fixed Deposit etc.	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00
Managerial Remuneration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75 (8.74)
TOTAL	3,077.66 (3,206.71)	30.01 (42.16)	33,377.66 (34,959.09)	940.89 (741.37)	10.97 (9.59)	12.75 (8.74)

* Previous year figures are shown in bracket ().

ii) सहायक कंपनियों

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहायक कंपनियां						
	एलआईसी पेंशन फंड	एलआईसी कार्ड सर्विसेस	एलआईसी नेपाल लिमिटेड	एलआईसी बांग्लादेश	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
वार्षिक तकनीकी / आई. टी. समाधान शुल्क प्राप्त	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.09 (0.08)	1.60	0.00	0.04 (0.04)
आवेदन राशि	0.00	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजी निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00
किराया	0.84 (0.80)	1.08 (1.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभांश से आय	12.50 (10.00)	0.10 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति/भुगतान	2.44 (0.32)	10.77 (5.38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	14.09 (0.00)	4.05 (0.00)	0.43	0.59	2.12	0.34	0.37
सावधि जमा	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	29.87 (11.16)	40.00 (6.39)	81.30 (0.44)	0.68 (0.66)	3.72 (1.40)	14.38 (0.36)	0.41 (0.24)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

iii) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि 31.03.2025

क्रमांक	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंधों की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया राशि की राशि (₹ करोड़ में)		देय / प्राप्य	
			2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	10,896.46	12,907.45	प्राप्य	प्राप्य
2	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	3,955.77	3,090.87	प्राप्य	प्राप्य
3	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	110.69	247.23	देय	देय
4	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	35,529.64	33,776.53	प्राप्य	प्राप्य
5	एलआईसी कार्डस् सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	1.26	0.53	प्राप्य	प्राप्य
6	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	50.02	50.30	प्राप्य	प्राप्य
7	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.58	0.66	देय	देय
8	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	2.00	0.0049	प्राप्य	प्राप्य

ii) Subsidiaries

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries						
	LIC Pension Fund	LIC Card Services	LIC Nepal Ltd.	LIC Bangladesh	LIC (International) B.S.C.(c) Bahrain	LIC (Lanka) Ltd.	LIC Singapore Pte Ltd
Annual Technical/ I.T. Solution fees received	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.09 (0.08)	1.60	0.00	0.04 (0.04)
Right Issue	0.00	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital Infusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00
Rent	0.84 (0.80)	1.08 (1.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend Income	12.50 (10.00)	0.10 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reimbursement / payment towards other administrative expenses	2.44 (0.32)	10.77 (5.38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	14.09 (0.00)	4.05 (0.00)	0.43	0.59	2.12	0.34	0.37
Fixed Deposit	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29.87 (11.16)	40.00 (6.39)	81.30 (0.44)	0.68 (0.66)	3.72 (1.40)	14.38 (0.36)	0.41 (0.24)

* Previous year figures are shown in bracket ().

iii) Outstanding balances with related parties as at 31.03.2025

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ In Crore)		Whether Payable / Receivable	
			2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1.	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	10,896.46	12,907.45	Receivable	Receivable
2.	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	3,955.77	3,090.87	Receivable	Receivable
3.	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	110.69	247.23	Payable	Payable
4.	IDBI Bank Ltd.	Associate	35,529.64	33,776.53	Receivable	Receivable
5.	LIC Cards Services Ltd.	Subsidiary	1.26	0.53	Receivable	Receivable
6.	LIC Pension Fund Ltd.	Subsidiary	50.02	50.30	Receivable	Receivable
7.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Associate	0.58	0.66	Payable	Payable
8.	LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd..	Associate	2.00	0.0049	Receivable	Receivable

9) प्रावधानों का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए रिजर्व का प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	14,943.06	14,943.06
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
जमा शेष	14,943.06	14,943.06

10) प्रबंधन का खर्च:

प्रबंधन के खर्च भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के कमीशन सहित प्रबंधन व्यय) विनियमन 2024 के अनुसार हैं।

11) खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित “खंडीय रिपोर्टिंग” पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम 2024 (‘विनियम’) के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार, निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन-पत्र तैयार की है, जैसे कि सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबंध (जीवन, पेंशन एवं स्वास्थ्य) एवं पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित व्यवसाय (CRAC)। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है। (अनुबंध-1 खंडीय रिपोर्टिंग पर)

12) विदेशी मुद्रा भंडार (समूह):

फिजी, मॉरीशस, यू.के. और गिफ्ट सिटी गांधीनगर में किए गए ऑपरेशन गैर-अभिन्न प्रकृति के हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, जिसमें विदेशी बीमा सहायक कंपनियां शामिल हैं, राजस्व खाता एवं लाभ-हानि खाता की मद को औसत दर पर अनुवादित किया जाता है और तुलन पत्र की मदों को समापन विनियम दरों पर अनुवादित किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिखने वाला विनियम उतार-चढ़ाव रिजर्व नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च तक	
	2025	2024
अनुसूची 6 के अनुसार आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारकों) का समेकित विवरण	375.92	331.52
अनुसूची 6ए के अनुसार: बीमा आरक्षित का समेकित विवरण (पॉलिसीधारक)	4,683.27	4,318.94

13) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED ACT) के अन्तर्गत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, निगम के पास उक्त अधिनियम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया राशि निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया मूलधन राशि।	शून्य	शून्य
2	उपरोक्त 1 के अनुसार बकाया मूलधन पर अर्जित ब्याज।	शून्य	शून्य

9) **Movement of Provisions:**

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Provision for reserve for solvency margin		
Opening Balance	14,943.06	14,943.06
Addition during the year	0.00	0.00
Deduction during the year	0.00	0.00
Closing Balance	14,943.06	14,943.06

10) **Expenses of Management:**

The Expenses of Management are in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management, including Commission, of Insurers) Regulation 2024.

11) **Disclosure on presentation of Segmental Reporting:**

Based on the primary segments identified under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies Act, 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked (Life, Pension and Health) and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments. (Annexure – I on segmental reporting).

12) **Foreign Exchange Reserve (Group):**

Operations carried out in Fiji, Mauritius, United Kingdom and Gift City (Gandhinagar) are of non integral nature. While preparing Consolidated Financial Statements which includes foreign insurance subsidiaries, revenue & P&L account items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items are translated at closing rate.

The Exchange fluctuation reserve of CFS is as follows:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Reserve and surplus (shareholders)-Schedule 6	375.92	331.52
Insurance Reserves (Policyholders)- Schedule 6A	4,683.27	4,318.94

13) **The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:**

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT), the corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1.	Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium enterprise.	Nil	Nil
2.	Interest accrued on principal amount remaining unpaid as per 1 above.	Nil	Nil

अनु. क्रमांक	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
3	सेवाओं की सुपुदमी की तारीख से 15 दिन या सहमत समय के पश्चात वर्ष के दौरान मूलधन की धनराशि एवं भुगतान की गई ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
4	वर्ष के दौरान मूलधन पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान किया जाना शेष है	शून्य	शून्य
5	बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, जब तक उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	शून्य	शून्य

14) परिचालन व्यय प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल आउटसोर्सिंग व्यय	779.83	726.09
आउटसोर्सिंग व्यय का विवरण:		
1. हाउसकीपिंग / गेस्ट हाउस रखरखाव	161.73	151.25
2. खानपान	5.57	3.65
3. बागवानी	1.66	1.41
4. एएमसी	0.39	0.18
5. सुरक्षा	222.27	203.33
6. सलाहकार	2.58	1.01
7. स्वास्थ्य / टीपीए	0.35	0.55
8. कार्यालय रखरखाव	28.24	16.99
9. ईडीएमएस	73.99	82.00
10. सुविधा प्रबंधन	270.28	256.41
11. बीमांकिक सेवाएँ	0.51	0.00
12. आंतरिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.10	0.00
13. वैधानिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.12	0.00
14. अन्य विविध व्यय	12.04	9.31

15) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	प्राधिकरण	2024-2025			2023-2024		
		जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया	जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	232.86	0.01	0.00	375.42	0.01	0.00
3	आयकर प्राधिकरण	0.01	0.01	0.00	153.62	75.81	0.00
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण	0.01	0.01	0.00	0.07	0.07	0.00
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
3.	Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery /rendering of services.	Nil	Nil
4.	Interest due but yet to be paid on principal during the year.	Nil	Nil
5.	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	Nil	Nil

14) Operating Expenses Disclosure:

(₹ in Crore)

Particular	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Total Outsourcing Expenses	779.83	726.09
Break up of Outsourcing Expenses:		
1. Housekeeping / Guest House Maintenance	161.73	151.25
2. Catering	5.57	3.65
3. Gardening	1.66	1.41
4. AMC	0.39	0.18
5. Security	222.27	203.33
6. Consultants	2.58	1.01
7. Health / TPA	0.35	0.55
8. Office Upkeep	28.24	16.99
9. EDMS	73.99	82.00
10. Facility Management	270.28	256.41
11. Actuarial Services	0.51	0.00
12. Internal Audit Services	0.10	0.00
13. Statutory Audit Services	0.12	0.00
14. Other Miscellaneous Expense	12.04	9.31

15) Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	2024-2025			2023-2024		
		Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced	Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GST/Service Tax Authorities	232.86	0.01	0.00	375.42	0.01	0.00
3	Income Tax Authorities	0.01	0.01	0.00	153.62	75.81	0.00
4	Any other Tax Authorities	0.01	0.01	0.00	0.07	0.07	0.00
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अनु. क्रमांक	प्राधिकरण	2024-2025			2023-2024		
		जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया	जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
6	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर	0.00	0.00	0.00	0.32	0.30	0.00
8	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
कुल		232.88	0.03	0.00	529.44	76.19	0.01

गैर अनुपालन/उल्लंघन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
रिटर्न भरने में देरी और कर के देर से भुगतान	0.01	0.11
पेशेवर कर का देर से प्रेषण	0.01	0.07
पॉलिसीधारकों के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया गया जुर्माना	0.00	0.03
सरकारी प्राधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना पॉलिसीधारक के अलावा	0.00	153.81
जीएसटी / सेवा कर प्राधिकरण	232.86	375.42
कुल	232.88	529.44

16) फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान:

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को फ्री-लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः ₹ 29.58 करोड़ और ₹ 28.02 करोड़ अप्रैल 2025 और अप्रैल 2024 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2025 और अप्रैल 2024 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले पूरी की गई पॉलिसियों से संबंधित है।

17) भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन की प्रगति:

भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन पर अंतर (गैप) विश्लेषण पूरा हो गया है और विनियामक को प्रस्तुत किया गया है। निगम विनियामक द्वारा अपेक्षित इंड एस अनुपालन प्रोफार्मा वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है।

लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को इस मामले में नियमित रूप से अवगत कराया जाता है।

18) दो कंपनियों को दी गई ऋण के तहत जमानत ₹ 628.60 करोड़ की राशि आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और नियत प्रक्रिया के तहत है (पिछले वर्ष दो कंपनियों के तहत, ₹ 628.60 करोड़ की राशि)।

Sl. No.	Authority	2024-2025			2023-2024		
		Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced	Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	0.00	0.00	0.00	0.32	0.30	0.00
8	Securities and Exchange Board of India	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Competition Commission of India	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Total		232.88	0.03	0.00	529.44	76.19	0.01

Details of non compliance/Violation:

(₹ in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Delay In return filling & late remittance of tax	0.01	0.11
Late remittance of professional tax	0.01	0.07
Penalty awarded by Court in favor of policyholders	0.00	0.03
Penalty awarded by Govt. Authority other than the policyholder matters.	0.00	153.81
GST/ Service Tax Authority	232.86	375.42
Total	232.88	529.44

16) Provision for free-look period :

Provision for free-look period of ₹ 29.58 crores and ₹ 28.02 crores as at year end March 31, 2025 and March 31, 2024 respectively has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2025 and April 2024 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2025 and April 2024 pertained to the policies completed on or before March 31, 2025 and March 31, 2024 respectively.

17) Progress of implementation of Ind AS:

The Gap Analysis on implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) was completed and submitted to the Regulator. The Corporation is progressing on the preparation of Ind AS compliant Proforma Financial Statements as required by the Regulator.

The Audit Committee and Board of Directors have been updated regularly in this matter.

18) Security under debt extended to two companies amounting to ₹ 628.60 Crore is executed partially and is under due process (Previous Year under two companies, amounting to ₹ 628.60 Crore).

19) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 तक बकाया
रेपो (REPO) के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	2,108.18 (862.89)	35,163.08 (26,097.06)	12,845.45 (8,296.39)	18,639.94 (7,769.50)
1. सरकारी प्रतिभूतियां				
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

- 20) निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में परिशोधित किया जा रहा है, जो प्रति तिमाही ₹ 464.02 करोड़ होगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। शेष ₹ 6,496.25 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।
- 21) निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित सममूल्य खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होकर, तीन से अधिक नहीं बराबर वार्षिक किस्तों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए शेयरधारकों के खाते से ₹ 602.51 करोड़ की राशि पुनःपूर्ति की गई है। शेष ₹ 4,820.05 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी।
- 22) निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, सममूल्य खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए शेयरधारकों के खाते में जमा की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान शेयरधारकों के खाते में ₹ 456.42 करोड़ की राशि जमा की गई है। शेष ₹ 3,651.42 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक आने वाली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में जमा की जाएगी।

23) निवेश की हानि:

अस्थायी हास के अलावा अन्य निवेशों के मूल्य में हानि का आकलन अवधि के लिए किया गया है और तदनुसार हानि प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (निवल) शीर्षक के तहत समेकीत राजस्व खाते में मान्यता प्राप्त नुकसान में हानि के लिए प्रावधान/प्रत्यावर्तन।

24) प्रति शेयर आय (ईपीएस, समूह):-

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
शेयरधारकों के लिए निश्चित की गई आय (₹ करोड़ में)	48,320.33	40,915.85
ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
मूल ईपीएस (₹)	76.40	64.69
डायल्यूटेड ईपीएस (₹)	76.40	64.69

- 25) **पट्टे:-** निगम ने अपने कार्यालयों के लिए और स्टाफ क्वार्टर के रूप में कुछ संपत्तियों को किराए पर लिया है। 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 418.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 421.96 करोड़) का पट्टा किराया राजस्व खाते में डेबिट किया गया।

19) Repo/ Reverse Repo transactions for the year ended 31.03.2025

(₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31 st 2025
Securities sold under REPO				
1. Government Securities	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. Corporate Debt securities				
Securities Purchased under reversed Repo	2,108.18	35,163.08	12,845.45	18,639.94
1. Government Securities	(862.89)	(26,097.06)	(8,296.39)	(7,769.50)
2. Corporate Debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

* Previous year figures are shown in bracket ().

- 20)** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crore pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an amount of ₹ 464.02 crore has been charged to Revenue Account for the quarter ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 6,496.25 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
- 21)** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 is being replenished from Shareholders' account in equal annual Installments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 602.51 crore has been replenished from the Shareholders' account for the quarter ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 4,820.05 crore shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.
- 22)** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crore towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 456.42 crore has been charged to Shareholders' account during the quarter ended March 31, 2025. The balance amount of ₹ 3,651.42 crore shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.

23) Impairment of Investments:

The impairment in value of investments other than temporary diminution has been assessed for the period and accordingly impairment provisions have been provided.

Provision/(reversal) for impairment loss recognized in the Consolidated Revenue Account under the head Provision for diminution in the value of investments (net).

24) Earnings per Share (EPS)(Group):

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Earnings attributable to Shareholders (₹ in Crore)	48,320.33	40,915.85
No. Of equity shares for calculation of EPS	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
Basic EPS (₹)	76.40	64.69
Diluted EPS (₹)	76.40	64.69

25) Leases:

The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals amounting to ₹ 418.76 Crore (Previous year ₹ 421.96 Crore) debited to the Revenue Account for the year ended 31.03.2025.

26) आय पर कर के लिए लेखांकन (समूह) :- 31 मार्च, 2025 तक आयकर के लिए प्रावधान नीचे दिया गया है: -

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित राजस्व खाते में प्रभारित (₹ करोड़ में)	7,916.37	5,956.94
समेकित लाभ और हानि खाते में प्रभारित (₹ करोड़ में)	30.28	140.75

27) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ:- ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़ में)

आस्तियाँ	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप मानक	11.92	6.76	10.80	6.13
संदिग्ध संपत्ति	7.56	7.25	608.23	607.76
हानि संपत्ति	8,423.41	8,423.41	10,078.50	10,078.50
कुल	8,442.89	8,437.42	10,697.53	10,692.39
मानक	5,70,364.87	2,675.52	5,21,183.55	2,489.82
कुल योग	5,78,807.76	11,112.94	5,31,881.08	13,182.21
	निवेश	एनपीए	निवेश	एनपीए
कुल	5,78,807.76	8,442.89	5,31,881.08	10,697.53
एनपीए प्रावधान	8,437.42	8,437.42	10,692.39	10,692.39
निवल स्थिति	5,70,370.34	5.47	5,21,188.69	5.14
सकल एनपीए %	1.46		2.01	
शुद्ध एनपीए %	0.00		0.00	

*ऊपर दर्शाई गई परिसंपत्तियाँ आईआरडीए द्वारा अनुसूची 8ए, 8बी और 9 में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रस्तुत की जाती हैं।

28) पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरण (समूह):

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है। पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:- (₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	पुनर्समूहित से	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित/ पुनर्निर्धारित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि	अंतर	कारण
1.	अनुसूची सं. 2	अनुसूची सं. 2				
	बिचौलियों को पुरस्कार और पारिश्रमिक	कमीशन (प्रथम वर्ष, नवीनीकरण और एकल)	1,960.65	1,960.65	0.00	आईआरडीएआई विनियमन 2024 के अनुसार।
2.	अनुसूची सं. 4	अनुसूची सं. 4				
	1. बीमा दावे	1. बीमा दावे	55,490.19	55,490.19	0.00	आईआरडीएआई विनियमन 2024 के अनुसार।
	ख. परिपक्वता दावे	घ. आवधिक लाभ				
	1. बीमा दावे	1. बीमा दावे	87.23	87.23	0.00	आईआरडीएआई विनियमन 2024 के अनुसार।
	घ) अन्य लाभ	ड) स्वास्थ्य				
	iii) अस्पताल भर्ती लाभ					
	iv) बड़े शल्य लाभ					

26) Accounting for Taxes on Income (Group):

Provision for Income tax as at 31st March, 2025 is given below:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31,	
	2025	2024
Charged to Consolidated Revenue Account	7,916.37	5,956.94
Charged to Consolidated Profit & loss Account	30.28	140.75

27) Non - Performing Assets:- Debt Portfolio

(₹ in Crore)

Assets	As at 31, March 2025		As at 31, March 2024	
	Asset	Provision	Asset	Provision
Sub Standard	11.92	6.76	10.80	6.13
Doubtful Assets	7.56	7.25	608.23	607.76
Loss assets	8,423.41	8,423.41	10,078.50	10,078.50
Total	8,442.89	8,437.42	10,697.53	10,692.39
Standard	5,70,364.87	2,675.52	5,21,183.55	2,489.82
Grand Total	5,78,807.76	11,112.94	5,31,881.08	13,182.21
	Investment	NPA	Investment	NPA
Gross	5,78,807.76	8,442.89	5,31,881.08	10,697.53
NPA Provision	8,437.42	8,437.42	10,692.39	10,692.39
Net position	5,70,370.34	5.47	5,21,188.69	5.14
Gross NPA%	1.46		2.01	
Net NPA%	0.00		0.00	

* The assets shown above are presented under various categories in accordance with the formats prescribed by IRDA in Schedule 8A, 8B and 9.

28) Regrouping or reclassification (Group):

Figures of the previous year have been re-grouped whenever necessary, to confirm to current year's classification. The details for regrouping are as follows:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Regrouped from	Regrouped to	Regrouped /Restated Amount	Amount as per financials of previous year	Difference	Reason
1.	Schedule No. 2	Schedule No. 2				
	Rewards and remuneration to Intermediaries	Commission (First year, Renewal and Single)	1,960.65	1,960.65	0.00	As per IRDAI Regulation 2024.
2.	Schedule No. 4	Schedule No. 4				
	1. Insurance Claims	1. Insurance Claims	55,490.19	55,490.19	0.00	As per IRDAI Regulation 2024
	b. Claims by Maturity	d. Periodical Benefit				
	1. Insurance Claims	1. Insurance Claims	87.23	87.23	0.00	As per IRDAI Regulation 2024
	d) Other Benefits	e) Health				
	iii) Hospitalisation Benefit					
	iv) Major Surgical Benefit					

अनु. क्रमांक	पुनर्समूहित से	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित/ पुनर्निर्धारित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि	अंतर	कारण
	v) आवासीय उपचार लाभ vi) दिन देखभाल लाभ vii) एकमुश्त लाभ/आय लाभ (किस्तों में)					
3.	राजस्व खाता निवेश से आय ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि	राजस्व खाता निवेश से आय ड) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छूट	1,093.61	1,093.61	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
4.	राजस्व खाता अंशधारकों के खाते से योगदान (क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	राजस्व खाता अंशधारकों के खाते से योगदान (ग) अन्य	12.98	12.98	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
5.	लाभ – हानि खाता निवेश से आय (ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि	लाभ – हानि खाता निवेश से आय (घ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छूट	12.13	12.13	0.00	आईआरडीआई विनियमन 2024 के अनुसार।
6.	लाभ – हानि खाता पॉलिसिधारकों के खाते में योगदान (क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	लाभ – हानि खाता पॉलिसिधारकों के खाते में योगदान (ग) अन्य	12.98	12.98	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए

29) निवेश संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का आधार

निवेश (किराए पर) संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन आईआरडीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन वर्षों में एक बार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:

- निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए को ध्यान में रखते हुए किराया पूंजीकरण विधि द्वारा किया गया है।
- बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है।
- 31 मार्च, 2025 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की राशि ₹ 14,841.92 करोड़ और 31 मार्च, 2024 को ₹ 14,839.06 करोड़ थी।

30) निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 12 का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो निगम की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

31) गैर-दावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करना:

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश और संबंधित शेयरों का स्थानांतरण: जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (5) में यह प्रावधान है कि भुगतान के लिए देय होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष रही गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त राशि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाएगी।

Sr. No.	Regrouped from	Regrouped to	Regrouped /Restated Amount	Amount as per financials of previous year	Difference	Reason
	v) Domiciliary Treatment Benefit					
	vi) Day Care Benefit					
	vii) Lump sum benefit/ Income Benefit (by installment)					
3.	Revenue A/c	Revenue A/c				
	Income from Investments	Income from Investments				As per IRDAI
	c) Loss on sale/redemption of Investments	e) Amortisation of premium/Discount on Investments	1,093.61	1,093.61	0.00	Regulation 2024.
4.	Revenue A/c	Revenue A/c				
	Contribution from Shareholder's A/c	Contribution from Shareholder's A/c				For
	a) Towards Excess expenses of Management	c) Others	12.98	12.98	0.00	appropriate presentation
5.	Profit & Loss A/c	Profit & Loss A/c				
	Income from Investments	Income from Investments				As per IRDAI
	c) Loss on sale/redemption of Investments	d) Amortisation of premium/Discount on Investments	12.13	12.13	0.00	Regulation 2024
6.	Profit & Loss A/c	Profit & Loss A/c				
	Contribution to Policyholders' A/c	Contribution to Policyholders' A/c				For
	a) Towards excess expenses of management	c) Others	12.98	12.98	0.00	appropriate Presentation

29. Basis of revaluation of investment property:

Revaluation of investment (rented out) properties is being carried out once in three years as per IRDAI guidelines. The revaluation of properties has been carried out in the financial year 2022-23. The basis adopted for revaluation of property is as under:

- The valuation of investment property has been carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
- Revaluation of investment properties having land alone without any building/structure has been revalued as per current market value.
- The Revaluation Reserve as at March 31, 2025 amounts to ₹ 14,841.92 Crore and as at March 31, 2024 amounts to ₹ 14,839.06 Crore.

30. The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 12/- per equity share of ₹ 10/- each for the Financial Year 2024-25, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.

31. Transfer of unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF):

Transfer of Unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund: Section 28C (5) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 provides that the amount remaining unclaimed and unpaid for a period of seven years from the date it became due for payment in the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the IEPF established under sub-section (1) of section 125 of the Companies Act, 2013.

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (6) के अनुसार, सभी शेयर जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों के लिए गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त है, निगम द्वारा इन्हे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा।

31 मार्च 2025 को आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि के साथ-साथ दावा न किए गए लाभांश का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम / अंतिम	लाभांश प्रति शेयर (₹)	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि
2021-22	अंतिम	₹ 1.50 प्रति शेयर	सितम्बर 27, 2022	अक्टूबर 26, 2029
2022-23	अंतिम	₹ 3.00 प्रति शेयर	अगस्त 22, 2023	सितम्बर 20, 2030
2023-24	अंतरिम	₹ 4.00 प्रति शेयर	फरवरी 8, 2024	मार्च 08, 2031
2023-24	अंतिम	₹ 6.00 प्रति शेयर	अगस्त 22, 2024	सितम्बर 20, 2031

32) पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

33) कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं

i) जोखिम प्रबंधन संरचना का विवरण:

एलआईसी के पास निगम के सम्मुख आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यापार करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी देना, जोखिम भूख विवरण, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है।

आईआरडीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड (आरएमसीबी) का गठन किया है। आरएमसीबी जोखिम प्रबंधन प्रशासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है, जोखिम उठाने की क्षमता और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम कम करने की योजना, कारोबारी माहौल और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करता है, इससे संबंधित सभी मामले परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, वार्षिक आधार पर आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना, निगम की सॉल्वेंसी स्थिति, धोखाधड़ी निगरानी आदि के अनुरूप नियमित आधार पर व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की समीक्षा करती है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसीबी की दृष्टि में, बोर्ड से और अधिक रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, को इसकी जानकारी में समय-समय पर इसकी बैठक में लाया जाता है।

महत्वपूर्ण कार्यात्मक विभागों के कार्यकारी अधिकारियों को, प्रमुखों की जोखिम प्रबंधन पर समिति और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (CERM और ALCO) के रूप में नामित एक आंतरिक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और उद्यम जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है। जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर कार्यकारियों की समिति की सिफारिशें सीआरओ द्वारा आरएमसीबी को रिपोर्ट की जाती हैं। CERM और ALCO उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना, ALM पॉलिसी, रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, जोखिम रिपोर्टिंग / जोखिम नियंत्रण के लिए MIS, रणनीतिक पहलों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों और कारोबारी माहौल या विनियमों में बदलाव, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम कम करने की योजना, व्यापार निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम के माहौल की समीक्षा, नियमित आधार पर निगम की सॉल्वेंसी स्थिति की समीक्षा, आईटी सुरक्षा और धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित जोखिम की समीक्षा जैसे प्रमुख कार्यों की देखरेख करके RMCB की सहायता करता है। CERM और ALCO द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर एक समेकित रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई को तिमाही आधार पर आरएमसीबी को रिपोर्ट किया जाता है।

सूचना सुरक्षा संचालन समिति (ISSC), जिसमें केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) शामिल हैं, सभी सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करते हैं।

In terms of Section 28 C (6) of Life Insurance Corporation Act, 1956, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund

As on March 31, 2025, the details of unclaimed dividend along with the due date for transfer to IEPF are given below:

Financial Year	Interim / Final	Dividend per Share (₹)	Date of Declaration	Due date of transfer to IEPF
2021-22	Final	₹ 1.50 per equity share	September 27, 2022	October 26, 2029
2022-23	Final	₹ 3.00 per equity share	August 22, 2023	September 20, 2030
2023-24	Interim	₹ 4.00 per equity share	February 8, 2024	March 08, 2031
2023-24	Final	₹ 6.00 per equity share	August 22, 2024	September 20, 2031

32) Figures of the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to the current periods' presentation.

33) Disclosure requirements as per Corporate Governance Guidelines

i) A description of the risk management architecture:

LIC has robust Enterprise Risk Management (ERM) framework to conduct business in an orderly fashion taking into account the risks faced by the Corporation and controlling its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Cyber security policy, Risk Appetite statement, Asset Liability Management (ALM) Policy and Business Continuity Plan (BCP) of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The RMCB looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMCB, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

An internal independent Committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Management Committee (ALCO) has been constituted with Heads of key functional departments. Chief Risk Officer (CRO) acts as the custodian of Enterprise Risk Management framework and guides the implementation of the Enterprise Risk Management. Recommendations of the Committee of Executives on Risk Management & Asset Liability Management are reported to RMCB by the CRO. CERM & ALCO supports the RMCB by supervising major functions like establishing Enterprise Risk Management Policy, ALM Policy, Risk Appetite Statement, MIS for risk reporting/risk control, key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, risk assessment highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan, review of solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and Fraud Monitoring. A consolidated report on various issues discussed by the CERM & ALCO and action taken thereon are reported to RMCB on quarterly basis.

Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of heads of departments of Central office, Chief Risk Officer (CRO) and Chief Information Security Officer (CISO) oversees all Information and cyber security related policies and procedures.

ii) व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित, निपटाए गए और लंबित मृत्यु दावों की संख्या का विवरण:

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	दावों की संख्या	₹ करोड़ में	दावों की संख्या	₹ करोड़ में
वर्ष की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या	275	344.05	675	305.87
जोड़ें:				
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों की संख्या	8,68,811	21,298.07	8,44,312	18,461.21
घटाएं:				
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या	8,48,145	20,793.37	8,29,318	17,861.76
वर्ष के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या	9,137	586.50	8,857	502.44
वर्ष के दौरान खारिज किए गए दावों की संख्या	6,827	15.06	6,007	15.06
वापस लिखे गए दावों की संख्या	187	30.29	530	43.77
अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या	4,790	216.90	275	344.05
बकाया दावों की अवधि का विवरण				
3 महीने से कम	335	59.58	198	317.75
3 महीने से 6 महीने	184	24.29	77	26.30
6 महीने से 1 वर्ष	0	0.00	0	0.00
1 वर्ष और उससे अधिक	4,271	133.03	0	0.00
कुल	4,790	216.90	275	344.05

निगम दावों के निपटान के लिए विभिन्न आईआरडीआई दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और दावों की समय पर रिकॉर्डिंग और निपटान के लिए दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया में है।

iii) पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतान:

संदर्भ नोट नं. 8 च) भाग के तहत (ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण: संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।

iv) लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण

आईआरडीआई द्वारा 18 मई 2016 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 7.1 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षक का नाम	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क
बाटलीबोई और पुरोहित	0.00	0.03	0.00	0.04
वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	0.00	0.03	0.00	0.00
कुल	0.00	0.06	0.00	0.04

ii) **Details of number of Death claims intimated, disposed off and pending with details of duration for Individual Business:**

Particulars	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
	No. of claims	₹ In Crore	No. of claims	₹ In Crore
No. of claims outstanding at the beginning of the year	275	344.05	675	305.87
Add:				
No. of claims reported during the year	8,68,811	21,298.07	8,44,312	18,461.21
Less:				
No. of claims settled during the year	8,48,145	20,793.37	8,29,318	17,861.76
No. of claims repudiated during the year	9,137	586.50	8,857	502.44
No. of Claims rejected during the year	6,827	15.06	6,007	15.06
No. of claims written back	187	30.29	530	43.77
No. of claims outstanding at the end of the period	4,790	216.90	275	344.05
Details of duration of outstanding claims				
Less than 3 months	335	59.58	198	317.75
3 months to 6 months	184	24.29	77	26.30
6 months to 1 year	0	0.00	0	0.00
1 year and above	4,271	133.03	0	0.00
Total	4,790	216.90	275	344.05

The Corporation is adhering various IRDAI guidelines for settlement of claims and is in the process of improving the claim submission process for timely recording and settlement of claims.

iii) **Payments made to group entities from Policyholders Funds:**

Refer Note no. 8 F under part (C) Additional Disclosures: Related party disclosure.

iv) **Disclosure on additional works given to auditors:**

Pursuant to clause 7.1 of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 18, 2016, the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees (excluding GST) are detailed below:

(₹ in Crore)

Name of Auditor	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees
Batliboi & Purohit	0.00	0.03	0.00	0.04
V. Sankar Aiyer & Co.	0.00	0.03	0.00	0.00
Total	0.00	0.06	0.00	0.04

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Share Holders)	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,58,272.36	3,69,185.70	-	19,724.25	-	232.45
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	10.62	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	31,50,900.50	5,53,081.91	41,058.11	8,31,543.29	4,817.85	1,67,931.18
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (POLICY HOLDERS)	0.99	-	-	-	-	-
बंद पॉलिसियों के लिये निधि: FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES:						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on Account of Non-Payment of Premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES	35,973.02	5.19	-	-	-	3.62
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	34,45,146.87	9,22,283.42	41,058.11	8,51,267.54	4,817.85	1,68,167.25
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	631.21	-	498.16	-	643.99	-

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,21,195.90	1,21,195.90	-	1,21,195.90
-	-	-	-	-	(294.51)	(294.51)	-	(294.51)
-	-	-	-	-	277.27	277.27	-	277.27
-	-	-	-	-	1,27,503.66	1,27,503.66	-	1,27,503.66
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66.79	51.13	21.02	-	6,47,553.70	-	6,47,553.70
-	-	-	-	-	-	10.62	-	10.62
104.94	516.73	73.50	34.25	46.42	-	47,50,108.68	131.38	47,50,240.06
-	-	-	-	-	-	0.99	-	0.99
-	-	671.27	119.54	-	-	790.81	-	790.81
-	-	9.09	4.89	-	-	13.98	-	13.98
-	-	0.09	-	-	-	35,981.92	0.35	35,982.27
-	-	36,804.15	8,929.35	1,931.25	-	47,664.75	-	47,664.75
104.94	516.73	37,624.89	9,139.16	1,998.69	-	54,82,125.45	131.73	54,82,257.18
-	-	55.05	-	-	-	55.05	-	55.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,773.36	-	1,773.36

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,45,778.08	9,22,283.42	41,556.27	8,51,267.54	5,461.84	1,68,167.25
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	31,91,627.57	9,24,614.59	40,729.42	8,34,958.64	5,496.45	1,63,877.61
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,28,113.36	180.59	-	-	-	647.99
अचल सम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	4,466.84	12.30	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	0.17	-	-	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	43,762.80	16,700.60	1.10	4,323.31	6.23	2,403.52
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,04,476.18	15,420.61	701.75	15,229.93	46.03	3,214.41
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	1,48,238.98	32,121.21	702.85	19,553.24	52.26	5,617.93
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	19,157.33	8,853.51	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
प्रावधान PROVISIONS	3.02	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	19,160.35	23,796.57	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,29,078.63	8,324.64	843.61	17,399.07	(34.51)	3,760.52
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,53,286.57	9,33,132.12	41,573.03	8,52,357.71	5,461.94	1,68,286.12

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.94	516.73	37,679.94	9,139.16	1,998.69	1,27,503.66	56,11,457.52	131.73	56,11,589.25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,02,869.66	1,02,869.66	-	1,02,869.66
89.30	757.04	1,469.28	440.88	42.83	-	51,64,103.61	194.65	51,64,298.26
-	-	37,460.30	9,043.20	1,931.25	-	48,434.75	-	48,434.75
3.32	-	4.65	-	-	11.58	1,28,961.49	-	1,28,961.49
-	-	-	-	-	4.04	4,483.18	-	4,483.18
-	-	-	-	-	0.10	0.27	-	0.27
-	4.77	108.45	6.86	0.03	2,566.99	69,884.66	-	69,884.66
3.74	32.29	46.95	10.51	2.50	2,453.83	1,41,638.73	(2.54)	1,41,636.19
3.74	37.06	155.40	17.37	2.53	5,020.82	2,11,523.39	(2.54)	2,11,520.85
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	8.29	33,997.70	35.43	34,033.13
-	-	-	-	-	-	14,946.08	-	14,946.08
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	8.29	48,943.78	35.43	48,979.21
13.65	(187.14)	(1,330.91)	(334.61)	34.13	5,012.53	1,62,579.61	(37.97)	1,62,541.64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.27	569.90	37,603.32	9,149.47	2,008.21	1,07,897.91	56,11,432.57	156.68	56,11,589.25

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Shareholders)	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,77,158.91	3,96,133.34	-	19,140.71	-	151.21
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	-	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	29,38,689.62	5,15,146.16	40,724.84	7,59,093.95	4,952.54	1,51,972.14
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (Policyholders)	8.67	-	-	-	-	-
बंद पॉलिसियों के लिये निधि: FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES:						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on Account of Non-Payment Of Premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES	28,520.02	4.33	-	-	-	2.18
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	32,44,377.22	9,11,283.83	40,724.84	7,78,234.66	4,952.54	1,52,125.53

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2024

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked			Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	76,614.03	76,614.03	-	76,614.03
-	-	-	-	-	(192.16)	(192.16)	-	(192.16)
-	-	-	-	-	152.73	152.73	-	152.73
-	-	-	-	-	82,899.60	82,899.60	-	82,899.60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	45.92	44.33	20.96	-	6,92,695.38	-	6,92,695.38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.07	593.79	51.31	41.56	48.03	-	44,11,415.01	182.29	44,11,597.30
-	-	-	-	-	-	8.67	-	8.67
-	-	342.57	51.18	-	-	393.75	-	393.75
-	-	9.10	5.01	-	-	14.11	-	14.11
-	-	0.20	-	-	-	28,526.73	0.35	28,527.08
-	-	24,535.85	8,420.55	1,945.13	-	34,901.53	-	34,901.53
101.07	593.79	24,984.95	8,562.63	2,014.12	-	51,67,955.18	182.64	51,68,137.82

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	549.14	-	146.52	-	489.05	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	32,44,926.36	9,11,283.83	40,871.36	7,78,234.66	5,441.59	1,52,125.53
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	30,08,769.26	9,19,941.62	40,093.69	7,68,490.47	5,474.66	1,49,708.62
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,21,097.95	139.53	-	-	-	488.58
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	4,058.00	15.81	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	0.19	-	-	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS:						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	27,687.41	8,998.57	2.15	1,456.43	12.57	2,216.52
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,15,173.47	21,477.64	677.11	13,744.25	47.63	3,111.54
उप-योग (क) Sub-Total (A)	1,42,860.88	30,476.21	679.26	15,200.68	60.20	5,328.06
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	47,088.95	(4,448.99)	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
प्रावधान PROVISIONS	3.08	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	47,092.03	10,494.07	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	95,768.85	19,982.14	791.44	12,141.83	(32.99)	3,774.27
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में नाम शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	32,29,694.25	9,40,079.10	40,885.13	7,80,632.30	5,441.67	1,53,971.47

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2024

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked			Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health							
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health				
-	-	30.01	-	-	-	30.01	-	30.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,184.71	-	1,184.71
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.07	593.79	25,014.96	8,562.63	2,014.12	82,899.60	52,52,069.50	182.64	52,52,252.14
-	-	-	-	-	62,608.36	62,608.36	-	62,608.36
90.11	808.96	1,112.89	453.19	80.14	-	48,95,023.61	215.34	48,95,238.95
-	-	24,870.35	8,465.49	1,945.14	-	35,280.98	-	35,280.98
3.20	-	3.91	-	-	11.58	1,21,744.75	-	1,21,744.75
-	-	-	-	-	0.96	4,074.77	-	4,074.77
-	-	-	-	-	0.11	0.30	-	0.30
0.02	6.74	0.07	6.85	0.02	1,437.11	41,824.46	0.01	41,824.47
2.87	37.15	43.18	10.00	2.87	944.61	1,55,272.32	2.22	1,55,274.54
2.89	43.89	43.25	16.85	2.89	2,381.72	1,97,096.78	2.23	1,97,099.01
(7.29)	224.38	1,049.65	339.75	(26.12)	5.29	48,819.27	29.57	48,848.84
-	-	-	-	-	-	14,946.14	-	14,946.14
(7.29)	224.38	1,049.65	339.75	(26.12)	5.29	63,765.41	29.57	63,794.98
10.18	(180.49)	(1,006.40)	(322.90)	29.01	2,376.43	1,33,331.37	(27.34)	1,33,304.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.49	628.47	24,980.75	8,595.78	2,054.29	64,997.44	52,52,064.14	188.00	52,52,252.14

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,79,571.23	71,996.81	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(112.45)	(501.72)	(0.10)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	2,79,458.78	71,495.09	360.66	1,06,588.84	1.86	15,797.67
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	2,05,542.81	40,202.56	3,095.70	55,158.00	374.04	11,503.47
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	38,617.90	30,455.71	-	6,396.50	0.12	18.78
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	303.95	716.01	(24.28)	(343.24)	(8.36)	-
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	76.42	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छुट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments	(972.84)	(40.14)	(15.94)	-	(7.79)	(64.03)
अन्य आय / Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	70.74	(0.09)	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	183.55	288.16	-	139.21	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	2,390.81	-	19.22	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (c) Others	24.69	-	-	-	-	-
कुल (अ) / TOTAL (A)	5,25,696.81	1,43,117.30	3,435.36	1,67,939.31	359.87	27,255.89

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
5.90	282.91	14,100.52	1,717.63	64.22	4,90,488.35	0.91	4,90,489.26
-	(87.37)	(0.63)	-	(11.60)	(713.87)	-	(713.87)
-	-	-	-	-	-	-	-
5.90	195.54	14,099.89	1,717.63	52.62	4,89,774.48	0.91	4,89,775.39
8.66	63.31	941.75	293.70	91.92	3,17,275.92	16.34	3,17,292.26
0.39	9.54	868.79	860.81	179.56	77,408.10	0.36	77,408.46
-	(0.35)	1.99	1.65	2.32	649.69	(0.50)	649.19
-	-	368.44	(417.80)	(106.70)	(79.64)	-	(79.64)
-	(0.10)	-	-	-	(1,100.84)	-	(1,100.84)
-	-	-	-	-	70.65	-	70.65
(0.15)	0.02	(0.94)	-	-	609.85	-	609.85
-	100.26	-	98.87	8.24	2,617.40	-	2,617.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24.69	-	24.69
14.80	368.22	16,279.92	2,554.86	227.96	8,87,250.30	17.11	8,87,267.41

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	22,929.45	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	31,835.34	2,212.59	53.50	192.84	5.69	360.96
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(1,544.61)	0.20	-	-	-	1.41
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for tax	1,637.83	5,698.37	-	370.49	0.01	101.96
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(35.91)	31.87	-	-	-	-
(ख) संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	(601.79)	(14.26)	(5.36)	(18.61)	(0.12)	(3.94)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	54,220.31	9,600.11	55.58	544.77	5.62	834.55
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,49,703.60	58,367.99	2,677.62	92,400.68	333.90	9,762.07
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	3,075.31	-	0.49	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,12,229.30	37,935.75	333.27	72,449.34	(134.69)	15,959.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध लिंकड पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Policies	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,419.35	0.02	25,419.37
0.14	54.10	739.43	108.72	10.34	35,573.65	0.46	35,574.11
-	(0.01)	(1.32)	(0.24)	-	(1,544.57)	(0.17)	(1,544.74)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.45	44.25	34.38	-	6.97	7,894.71	21.66	7,916.37
-	-	5.32	3.34	2.02	6.64	-	6.64
-	(0.03)	-	-	-	(644.11)	-	(644.11)
-	-	180.83	29.79	12.72	223.34	-	223.34
0.75	117.77	1,320.78	193.57	35.20	66,929.01	21.97	66,950.98
7.89	23.60	2,493.63	1,570.92	160.36	4,17,502.26	5.72	4,17,507.98
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
3.87	(77.06)	22.19	(7.31)	(1.61)	3,38,712.09	(50.91)	3,38,661.18
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,162.09	508.80	(13.88)	12,657.01	-	12,657.01
-	-	328.26	68.91	-	397.17	-	397.17

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation- Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)	4,65,008.21	96,303.74	3,011.38	1,64,850.02	199.21	25,721.11
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	6,468.29	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associates	4,847.22	-	-	-	-	-
(घटाएं)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित (Less)/Add: Minority Interest	(41.13)	-	-	-	-	-
कुल अधिशेष (इ) Total Surplus/(Deficit) (E)	11,274.38	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
अशुद्धिधरको के खाते (गैर तकनीकी खाता) से हस्तांतरित राशि Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	-	1,921.92	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	11,274.38	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23
विनियोजन/ APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खातों में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	6,332.20	39,135.37	16.76	2,544.52	0.10	700.23
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	4,860.11	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों का शेष Balance being Funds for Future Appropriations	82.07	-	351.64	-	154.94	-
कुल (घ)/ TOTAL (D)	11,274.38	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
-	-	25.04	-	-	25.04	-	25.04
11.76	(53.46)	15,031.21	2,141.32	144.87	7,72,369.37	(45.19)	7,72,324.18
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,951.92	40.33	47,992.25
-	-	-	-	-	4,847.22	-	4,847.22
-	-	-	-	-	(41.13)	-	(41.13)
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	52,758.01	40.33	52,798.34
-	-	304.34	29.16	-	2,255.42	-	2,255.42
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	55,013.43	40.33	55,053.76
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	49,564.67	40.33	49,605.00
-	-	-	-	-	4,860.11	-	4,860.11
-	-	-	-	-	588.65	-	588.65
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	55,013.43	40.33	55,053.76

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	3,075.31	-	0.49	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन* Allocation of Bonus to policyholders*	56,179.39	-	150.86	-	0.85	-
राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	11,274.38	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
कुल अधिशेष Total	70,529.08	37,213.45	519.75	2,544.52	155.89	700.23

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आवंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
-	-	-	-	-	56,331.10	-	56,331.10
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	52,758.01	40.33	52,798.34
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	1,12,164.91	40.33	1,12,205.24

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,77,062.71	70,501.69	410.93	1,08,051.58	2.16	14,622.42
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(123.66)	(467.95)	(0.13)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	2,76,939.05	70,033.74	410.80	1,08,051.58	2.16	14,622.42
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,93,163.33	37,750.42	3,052.29	51,449.63	372.46	10,679.95
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	37,395.97	22,723.19	21.34	5,385.38	7.35	13.92
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(1,222.95)	(347.80)	(11.29)	(458.55)	(15.65)	-
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	69.46	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छुट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments	(970.37)	(38.73)	(15.99)	-	(7.87)	(60.55)
अन्य आय / Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	7,704.70	(0.07)	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तिराशियाँ Sundry Receipts	6,445.86	374.14	-	140.33	0.01	-
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholders' A/c:						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	-	-	-	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTDD/ Other KMPs	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non- Participating						
6.36	322.67	5,496.15	970.93	72.44	4,77,520.04	1.01	4,77,521.05
-	(85.69)	(0.47)	(0.01)	(11.92)	(689.83)	-	(689.83)
-	-	-	-	-	-	-	-
6.36	236.98	5,495.68	970.92	60.52	4,76,830.21	1.01	4,76,831.22
8.22	58.36	751.61	279.82	95.56	2,97,661.65	16.59	2,97,678.24
0.13	0.45	994.82	408.34	101.36	67,052.25	-	67,052.25
(0.16)	-	(104.16)	(30.79)	(19.10)	(2,210.45)	(0.02)	(2,210.47)
-	-	2,668.38	1,120.86	125.28	3,983.98	-	3,983.98
-	(0.10)	-	-	-	(1,093.61)	-	(1,093.61)
-	-	-	-	-	7,704.63	-	7,704.63
(0.10)	-	(0.89)	0.01	0.01	6,959.37	-	6,959.37
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ग) अन्य (c) Others	12.98	-	-	-	-	-
कुल (क) TOTAL (A)	5,19,538.03	1,30,494.89	3,457.15	1,64,568.37	358.46	25,255.74
कमीशन Commission	24,374.65	921.59	11.67	0.07	0.05	506.09
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	44,588.85	2,294.41	85.14	245.09	7.45	405.41
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(866.58)	2.18	-	(0.03)	-	3.53
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for tax	763.06	4,542.18	-	349.11	-	268.78
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation):						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(1,946.40)	(2.46)	-	(3.16)	-	-
(ख) संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debenture and Bonds	99.37	6.72	(1.98)	(67.37)	(0.12)	(3.11)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)/ TOTAL (B)	67,012.95	7,764.62	94.83	523.71	7.38	1,180.70
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,17,855.51	58,058.46	2,371.80	99,622.04	318.67	8,304.06
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	2,859.77	-	0.41	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,31,273.50	35,876.54	(61.06)	62,024.98	(216.50)	13,925.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध लिंकड पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating						
-	-	-	-	-	12.98	-	12.98
14.45	295.69	9,805.44	2,749.16	363.63	8,56,901.01	17.58	8,56,918.59
0.18	30.31	179.48	35.91	3.64	26,063.64	0.02	26,063.66
0.13	118.69	396.96	130.63	18.95	48,291.71	1.01	48,292.72
-	(0.02)	(100.24)	(31.28)	(19.00)	(1,011.44)	(0.04)	(1,011.48)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.35	5.05	19.68	-	5.85	5,954.06	2.88	5,956.94
-	-	-	-	-	(1,952.02)	-	(1,952.02)
(0.14)	(0.03)	-	-	-	33.34	-	33.34
-	-	96.63	24.89	12.86	134.38	-	134.38
0.52	154.00	592.51	160.15	22.30	77,513.67	3.87	77,517.54
20.71	14.69	1,944.31	1,112.86	112.13	3,89,735.24	6.05	3,89,741.29
-	-	-	-	-	2,860.18	-	2,860.18
(9.20)	92.32	0.16	(21.17)	(5.70)	3,42,878.91	2.30	3,42,881.21
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,095.54	1,426.60	194.71	8,716.85	-	8,716.85

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ड) बंद पॉलिसियों के लिए निधि	-	-	-	-	-	-
(e) Fund for Discounted Policies	-	-	-	-	-	-
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय	-	-	-	-	-	-
(f) Transfer to Funds for future appropriation- Link Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)	4,51,988.78	93,935.00	2,311.15	1,61,647.02	102.17	22,229.10
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग)	536.30	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)						
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा	4,102.56	-	-	-	-	-
Add: Share of Profit in Associates						
(घटाएं)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित	(31.08)	-	-	-	-	-
(Less)/Add: Minority Interest						
कुल अधिशेष/(घाटा) (ड)	4,607.78	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (E)						
अशुद्धिधारकों के खाते (गैर तकनीकी खाता) से हस्तांतरित राशि	-	2,399.59	-	-	-	-
Amount transferred from Shareholders' Account (Non-Technical Account)						
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	4,607.78	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION						
विनियोजन/APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खातों में अंतरण	4,480.10	31,194.86	13.77	2,397.64	0.08	1,845.94
Transfer to Shareholders' Account						
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	4,128.88	-	-	-	-	-
Transfer to Other Reserves						
भावी विनियोजनों के निधियों का शेष	(4,001.20)	-	1,037.40	-	248.83	-
Balance being Funds for Future Appropriations						
कुल (घ)/TOTAL (D)	4,607.78	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating						
-	-	193.83	37.59	-	231.42	-	231.42
-	-	11.02	-	-	11.02	-	11.02
11.51	107.01	9,244.86	2,555.88	301.14	7,44,433.62	8.35	7,44,441.97
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	34,953.72	5.36	34,959.08
-	-	-	-	-	4,102.56	-	4,102.56
-	-	-	-	-	(31.08)	-	(31.08)
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	39,025.20	5.36	39,030.56
-	-	160.54	38.32	-	2,598.45	-	2,598.45
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	41,623.65	5.36	41,629.01
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	40,209.74	5.36	40,215.10
-	-	-	-	-	4,128.88	-	4,128.88
-	-	-	-	-	(2,714.97)	-	(2,714.97)
2.42	34.68	128.61	71.45	40.19	41,623.65	5.36	41,629.01

अनुबंध - I

फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the year

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	2,859.77	-	0.41	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन* Allocation of Bonus to policyholders*	52,785.16	-	169.80	-	0.91	-
राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	4,607.78	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
कुल अधिशेष Total	60,252.71	28,795.27	1,221.38	2,397.64	249.82	1,845.94

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आवंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024 (In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked			कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
-	-	-	-	-	2,860.18	-	2,860.18
-	-	-	-	-	52,955.87	-	52,955.87
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	39,025.20	5.36	39,030.56
2.42	34.68	(31.93)	33.13	40.19	94,841.25	5.36	94,846.61

Results of Indian Embedded Value (IEV) and Value of New Business (VNB) of the Life Insurance Corporation of India as at 31.03.2025

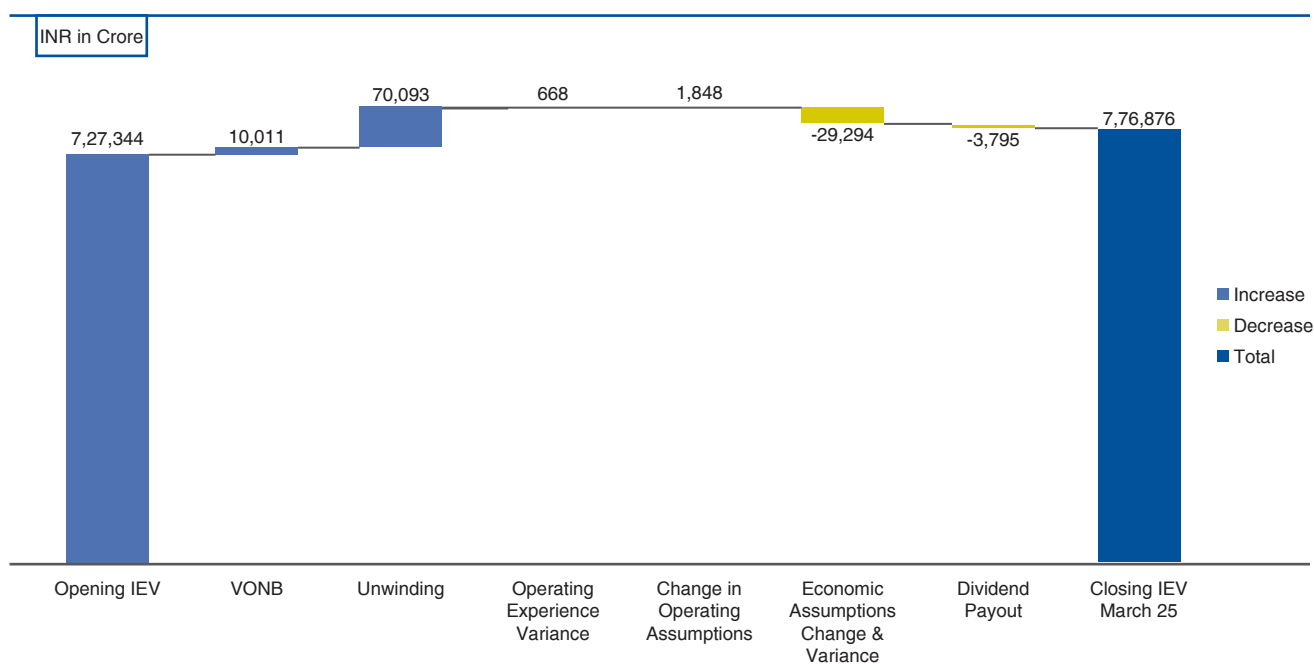
ANNUALIZED PREMIUM EQUIVALENT (APE) (IN INR CRS)

Line of Business	Amount
Individual Par	27636
Individual Non par	10581
Group	18610
Total	56828

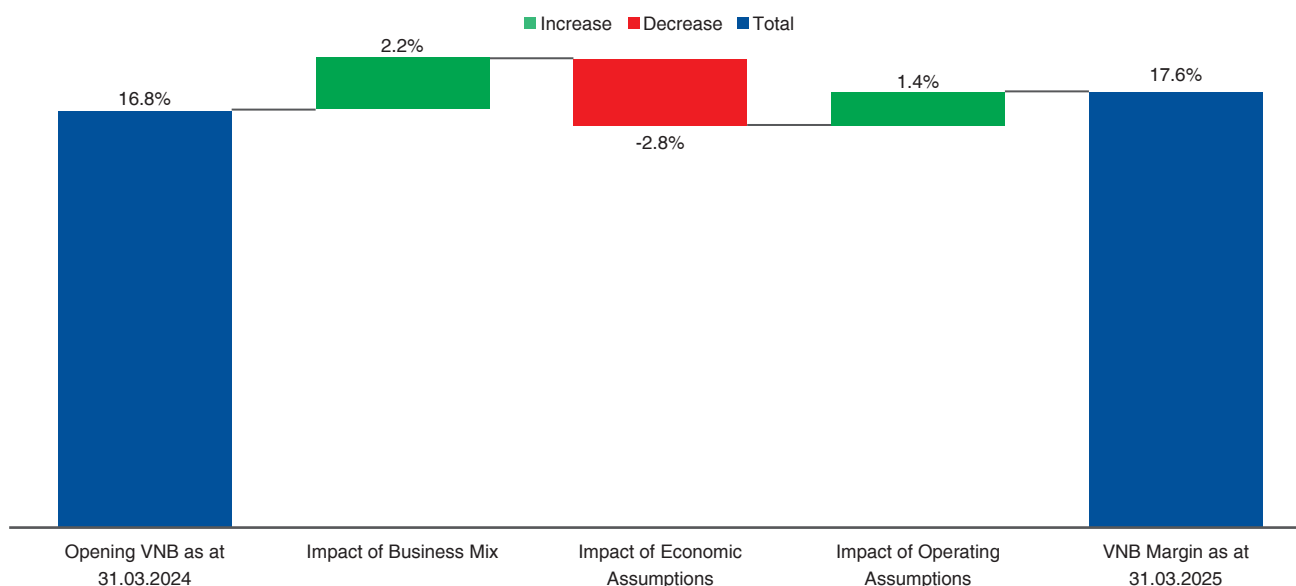
- Embedded Value of the Corporation - ₹ 7,76,876/-Crs (₹ 7,27,344/- Crs as at 31.03.2024)
- Value of New Business - ₹ 10011/- Crs (₹ 9583 Crs as at 31.03.2024)
- New Business Margin – 17.6% (16.8% as at 31.03.2024)

MOVEMENT OF IEV (IN INR CRS)

Indian Embedded Value (IEV) walk - March 2024 to March 2025



MOVEMENT OF VALUE OF NEW BUSINESS MARGIN (%)



Sensitivities

Scenario	Change in embedded value	Change in new business margin
Base results	776,876	17.6%
Reference rates		
An increase of 100 bps in the reference rates	-1.0%	4.7%
A decrease of 100 bps in the reference rates	0.5%	-8.0%
Acquisition expenses		
10% increase in acquisition expenses	NA	-0.5%
10% decrease in acquisition expenses	NA	0.5%
Maintenance expenses		
10% increase in maintenance expenses	-0.5%	-0.8%
10% decrease in maintenance expenses	0.5%	0.8%
Persistency		
10% increase in the withdrawal rates	-0.1%	-0.6%
10% decrease in the withdrawal rates	0.1%	0.7%
Mortality/Morbidity		
An increase of 5% in the mortality/ morbidity rates	0.0%	-0.1%
A decrease of 5% in the mortality/ morbidity rates	-0.0%	0.1%
Taxation		
Assumed tax rate increased to 25%	-10.3%	-2.4%
Equity		
Equity values decrease by 10%	-6.7%	-0.6%

*Figures may not add up due to rounding off.

The methodology, assumptions and the results of Embedded Value have been reviewed by BDO.

GLOSSARY OF TERMS

AAUM	Average Assets under Management	CRM	Customer Relationship Management
AES	Advanced Economies	CRNHR	Cost of Residual Non-Hedgeable Risks
AGM	Annual General Meeting	CSR	Corporate Social Responsibility
AI	Artificial Intelligence	CTC	Computer Training Centres
AIF	Alternative Investment Fund	DCMC	Deposit Collection & Management Centre
ALM	Asset Liability Management	DRHP	Draft Red herring Prospectus
AMT	Asset Management Tool	EBPP	Electronic Bill Presentation and Payment
ANANDA	Atma Nirbhar Agents New Business Digital Application	ECLGS	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
ANF	Automated Non Forfeiture	EDMS	Enterprise Document Management System
APA	Annuity Per Annum	IEM	Independent External Monitors
APE	Annualised Premium Equivalent	EMDEs	Emerging Market and Developing Economies
APPS	Auto Premium Payment System	E-NACH	Electronic National Automated Clearing House
APS10	Actuarial Practice Standard 10	ERM	Enterprise Risk Management
AUM	Assets Under Management	ETC	Employee Training Centre
BAC	Building Advisory Committee	ETCF	Exchange Traded Currency Future
BCM	Business Continuity Measures	ETF	Exchange Traded Fund
BE	Budget Estimate	EV	Embedded Value
BG	Bank Guarantee	FCT	Free Commercial Time
BHIM	Bharat Interface for Money	FDI	Foreign Direct Investment
BoD	Board of Directors	FEDAI	Foreign Exchange Dealers Association of India
BRSR	Business Responsibility & Sustainability Report	FIMMDA	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
CERM	Committee of Executives on Risk Management	FPI	Foreign Portfolio Investors
CIBT	Critical Illness Base Table	FYP	First Year Premium
CIN	Corporate Identity Number	FYPI	First Year Premium Income
CISO	Chief Information Security Officer	GAAP	Generally Accepted Accounting Principles
CO	Central Office	GDP	Gross Domestic Product
COVID-19	Coronavirus Disease 2019	GDS	Global Depository Shares
CPGRAMS	Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System	GJF	Golden Jubilee Foundation
CPI	Consumer Price Index	GOI	Government of India
CPSC or CSC	Common Public Service Centre	GRO	Grievance Redressal Officer
CRAC	Capital Redemption and Annuity Certain Business	HCI	Hyper Converged Infrastructure
		HOD	Head of the Department

IAI	Institute of Actuaries of India	MDC	Management Development Centre
IASB	International Accounting Standard Board	MF	Mutual Fund
IBLNPS	IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme	MOF	Ministry of Finance
ICAI	Institute of Chartered Accountants of India	MPLS	Multiprotocol Label Switching
ICDS	Income Computation and Disclosure Standards	MSB	Major Surgical Benefit
ICMS	Integrated Complaint Management System	MSF	Marginal Standby Facility
IEV	Indian Embedded Value	MSMED	Micro, Small and Medium Enterprises Development
IFRS	International Financial Reporting Standards	MSP	Medical Service Provider
IGL	IDBI Gilts Limited	NBV	Net Book Value
IGMS	Integrated Grievance Management System	NCH	National Consumer Helpline
IHFL	IDBI Home Finance Limited	NCO	Notional Cash Option
IMF	International Monetary Fund	NEFT	National Electronic Fund Transfer
IMFs	Insurance Marketing Firms	NRC	Nomination & Remuneration Committee
INGRAM	Integrated Grievance Redress Mechanism	NSO	National Statistical Office
IO	International Operations	OLI	Official Language Implementation
IPP	Individual Pension Plan	P&GS	Pension & Group Schemes
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India	PAN	Permanent Account Number
ISO	International Organization for Standardization	PAT	Profit After Tax
ISSC	Information Security Steering Committee	PE	Provisional Estimates
IT SD	Information Technology – Software Development	PIDPI	Public Interest Disclosure and Protection of Informers
LAF	Liquidity Adjustment Facility	PLI	Production Linked Incentives
LC	Letter of Credit	PMJDY	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
LCA	Life Cycle Perspective / Assessments	PMJBY	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
LDB	Land Development Bank	PMKMDY	Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana
LIC CSL	LIC Cards Services Ltd.	PMLVMDY	Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan Dhan Yojana
LICI	Life Insurance Corporation of India	PMSYM	Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan
LICMF BAF	LIC MF Balanced Advantage Fund	PMVVY	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
LMS	Learning Management System	PPC	Policyholders' Protection Committee
LODR	Listing Obligations & Disclosures Requirement	PRAGATI	Performance Review Application, Growth And Trend Indicator
MAT	Minimum Alternate Tax	PTC	Pass Through Certificate
MCA	Ministry of Corporate Affairs	PTR	Port Turst
MD&A	Management Discussion and Analysis	RBI	Reserve Bank of India
		RCs	Reconstruction Companies

RE	Revised Estimates	TLTRO	Targeted Long-Term Repo Operations
RMCB	Risk Management Committee of the Board	UCS	Ulip Centralization System
RTI	Right to Information	UPI	Unified Payments Interface
SA	Sum Assured	USD	United States Dollar
SAE	Second Advance Estimates	VAW	Vigilance Awareness Week
SASF	Stressed Assets Stabilisation Fund	VNB	Value of New Business
SCs	Securitisation Companies	VRRR	Variable Rate Reverse Repo
SCWF	Senior Citizen Welfare Fund	WFH	Work From Home
SEBI	Securities and Exchange Board of India	WPC	With Profit Committee
SIA	Social Impact Assessments	WPI	Wholesale Price Index
SIEM	Security Information & Event Management	WRP	Weighted Received Premium
SRC	Stakeholders Relationship Committee	WSB	Water State Board
SRs	Security Receipts	YTM	Yield to Maturity
SSS	Salary Saving Scheme	ZMRs	Zonal Medical Referees
STF	State Financial Corporation	ZTC	Zonal Training Centre
TAT	Turn Around Time	ZUS	Zonal Underwriting Section

[illegible]

NOTES

[illegible]

*Pioneering
Excellence*



Har Pal Aapke Saath



**BRAND
RANKING
2024-25**



AWARDS & ACCOLADES 2024-25



Excellence in Corporate Communications
By Greentech



Best Practices in Rural Expansion
By Assocham



Most Effective Insurance Penetration for the year
By Assocham



BEST USE OF QUORA
Best in Content Marketing
By Brand Storyz



Smart Insurer in the Life Insurer-Large Category for the year 2024
By ET Now



Dhanam Life Insurer of the Year 2024
By Dhanam Business Media



National Awards in BFSI Insurance Company of the year (Life)
By CMO ASIA



National Awards in BFSI Digital Transformation Award
By CMO ASIA



National Awards in BFSI Customer Service Excellence Award
By CMO ASIA



Best Life Insurance Company
By InsureNext Global



India's Leading Life Insurance Company (Public)
By Dun & Bradstreet



FICCI Special Jury Award Immense Contribution to the Industry and Society
By FICCI Special Jury Award



The Golden Star Awards for Excellence in BFSI E-Business Leader - Large
By CMO ASIA



The Golden Star Awards for Excellence in BFSI Excellence in Claims Service
By CMO ASIA



The Golden Star Awards for Excellence in BFSI Insurance Inclusion in Rural Areas at Affordable Price
By CMO ASIA



THE Great Indian BFSI Mobile Campaign Award of the year 2024
By Veve



13th Edition of Finnoviti Conclave Awards 2024, for Innovative Product JEEVAN UTSAV
By Banking Frontier



Most Preferred Workplace 2024-25
By Team Marksmen Daily



Honor Roll for Most Impactful Campaign
By Quoraverse



One Decade Excellence in CSR Award - For Contribution towards Community Development through Corporate Social Responsibility
By CSR



Best Performance in Claims Settlement
By Navabharat



Excellence in Women Empowerment
By Navabharat

LIC PROUDLY ENTERS THE GUINNESS WORLD RECORDS

“Most Life Insurance Policies Sold in 24 Hours”



Shri Siddhartha Mohanty, CEO & MD, LIC of India, received the Guinness World Records Certificate from Shri Rishi Nath (Adjudicator, Guinness World Records) in the presence of Managing Directors and other Senior LIC Officials during the ceremony held on 24th May, 2025.

PRESENTATION OF DIVIDEND CHEQUE



Shri Siddhartha Mohanty, CEO & MD, LIC of India, presenting the Final Dividend Cheque of ₹ 3662.17 Crore for the Year 2023-24 to Smt. Nirmla Sitharaman, Honourable Union Minister of Finance and Corporate Affairs. Seen with him are Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Additional Secretary, GOI, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services along with Managing Directors of LIC of India, Shri Jagannath M, Shri Tablesh Pandey, Shri Sat Pal Bhanoo, Shri R. Doraiswamy and Zonal Manager, LIC Northern Zone, Shri J. P. S. Bajaj.



Scan QR Code to download
<https://licindia.in/Investor Relations/Financial Details/Annual Report>
<https://licindia.in/Investor Relations/Shareholder Service/Annual General Meeting/FY2024-25>